शाश्वत ऊर्जा

इरेडा
IREDA

एक बार इरेडा सदैव इरेडा
(एक नवरत्न सीपीएसई)

39वीं वार्षिक रिपोर्ट
2025-26



नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जिम्मेदार

सीएमडी को सीएसआर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड



इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) तथा निदेशक (वित्त), डॉ. बिजय कुमार महान्ती को ओड़िशा के माननीय राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति द्वारा सीएसआर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 18 अगस्त 2026 को भुवनेश्वर में आयोजित 'ब्रिजभारत 2026' समारोह में दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ओड़िशा कॉर्पोरेट फाउंडेशन ने ओड़िशा सरकार के लोक उद्यम विभाग के सहयोग से किया था।

हमारे बारे में

इरेडा एक अग्रणी वित्तीय संस्थान है, जिसके पास ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने के क्षेत्र में 39 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हम नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और उपकरण निर्माण के लिए परियोजना की अवधारणा से लेकर शुरुआत के बाद के चरण तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करते हैं।

विजन

देश में किफायती, स्केलेबिलिटी और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार और परिवर्तन।

मिशन

बनो एक :

- अग्रणी
- प्रतिभागी अनुकूल
- प्रतिस्पर्धी संस्था

निम्नलिखित में आत्मनिर्भर निवेश के वित्तपोषण और संवर्धन के लिए

- नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन
- ऊर्जा दक्षता
- पर्यावरण प्रौद्योगिकी

सतत विकास के लिए

हमारी अब तक की यात्रा

1987
तत्कालीन गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक समर्पित *वित्तीय संस्थान* के रूप में स्थापित
₹1.55 करोड़*

1996
कंपनी अधिनियम के अधीन सार्वजनिक *वित्तीय संस्थान* के रूप में अधिसूचित
₹391 करोड़*

2005
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएसओ प्रमाणन
₹1,825 करोड़*

2010
अनुसूची ग से *अनुसूची ख* की सीपीएसई में उन्नत किया गया।
₹3,034 करोड़*

2015
मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त।
केरल में 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की
₹8,908 करोड़*

2018
लंदन/सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई आईएफएससी में सूचीबद्ध ग्रीन मसाला बॉण्ड जुटाने वाला पहला भारतीय वित्तीय संस्थान
₹15,820 करोड़*

*ऋण पुस्तिका

हमारी अब तक की यात्रा

2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने *इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी* का दर्जा प्रदान किया। आईसीआरए एवं इंडिया रेटिंग्स द्वारा श्रेणी निर्धारण को एएए (स्थिर) में उन्नत किया गया। 13वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में 'सीएमडी ऑफ द ईयर' प्रदान किया गया।

₹47,076 करोड़*

2022

भारत सरकार द्वारा ₹1500 करोड़ का इक्विटी निवेश। नवरत्न दर्जे के साथ-साथ अनुसूची क हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत

₹33,931 करोड़*

2024

भारत सरकार ने इरेडा को *अनुसूची 'क'* की सीपीएसई में उन्नत किया।

निरंतर चौथे वर्ष बाबत एमएनआरई से वित्त वर्ष 24 हेतु उत्कृष्ट समझौता ज्ञापन रेटिंग।

समग्र 39x अभिदान सहित शेयर बाजार में उल्लेखनीय शुरुआत

₹59,698 करोड़*

2025

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न दर्जा प्राप्त।

एसएंडपी ग्लोबल से बीबीबी-(स्थिर) अंतरराष्ट्रीय रेटिंग

सीएआरई रेटिंग्स द्वारा एएए (स्थिर) घरेलू रेटिंग

आईएफएससी गिफ्ट सिटी (गुजरात) में सहायक कंपनी हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर)

14वें पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड्स में निगमित शासन तथा सीएसआर व संधारणीयता में स्वर्ण पदक

इरेडा को सीबीआईपी अवार्ड 2024 व सीएमडी, इरेडा को सीबीआईपी व्यक्तिशः अवार्ड

₹76,282 करोड़*

2026

क्यूआईपी के ज़रिए ₹2,005.90 करोड़ जुटाए;

54ईसी बॉण्ड्स के लिए मंज़ूरी मिली;

गिफ्ट सिटी सब्सिडियरी के ज़रिए पहला अंतरराष्ट्रीय ऋण मंज़ूर हुआ;

ग्रीन एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी में महिलाओं की उत्कृष्टता के लिए 'ग्रीन ऊर्जा अवॉर्ड्स' में रजत पदक जीता।

₹93,069 करोड़*

*ऋण पुस्तिका

वित्त वर्ष 26 की मुख्य बातें

1 अब तक की सर्वाधिक मंजूरी (₹51,883 करोड़) और संवितरण (₹34,946 करोड़); कुल ऋण पोर्टफोलियो ₹93,069 करोड़ तक पहुंच गया।

2 क्यूआईपी के ज़रिए सफलतापूर्वक ₹2,005.90 करोड़ जुटाए गए, जिससे निवल मूल्य बढ़कर ₹13,781 करोड़ हो गया।

3 गिफ्ट सिटी सब्सिडियरी के ज़रिए 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पहला अंतरराष्ट्रीय ऋण मंज़ूर किया, जो क्रॉस-बॉर्डर ग्रीन फाइनेंस में विस्तार का संकेत है।

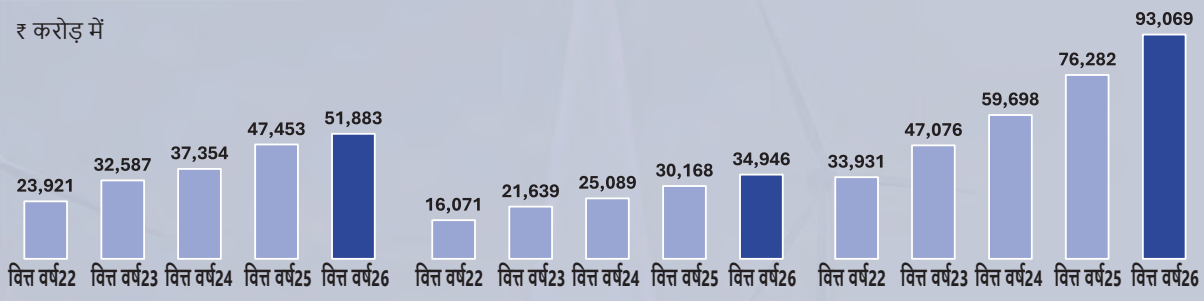
4 ₹1,873 करोड़ का कर पश्चात् लाभ प्राप्त किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 10% ज़्यादा है; साथ ही एनआईएम बढ़कर 3.65% और ब्याज प्रसार 2.49% हो गया।

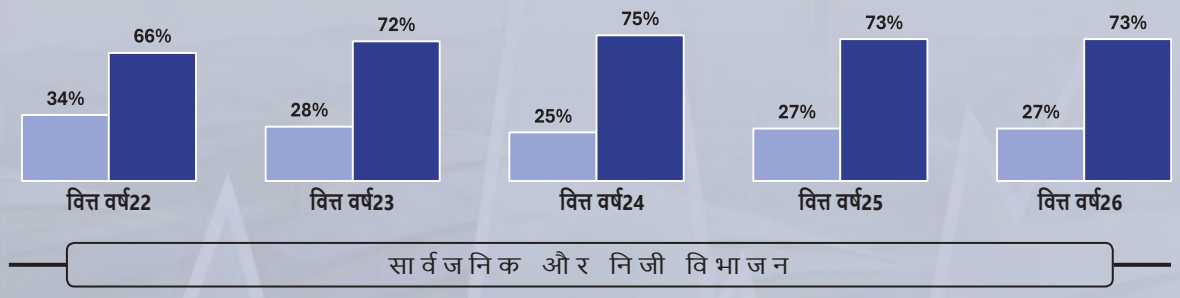
5 एनएनपीए के 1.29% पर, स्टेज III प्रोविज़न कवरेज 63.88% पर रहने और गियरिंग में 5.65 गुना सुधार होने से तुलनपत्र सुदृढ़ हुआ है।

कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें
(पिछले पांच वित्त वर्ष)

बढ़ती ऋण बुक

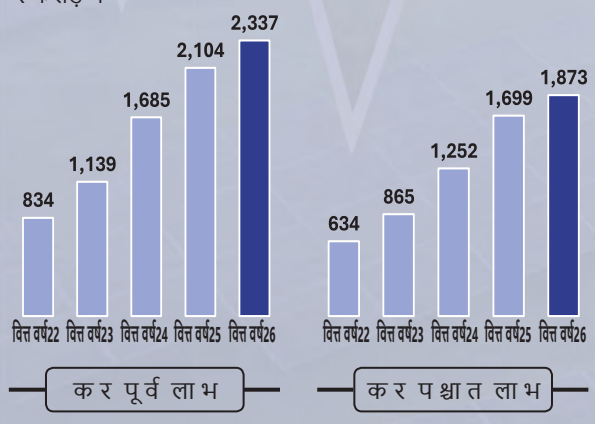
₹ करोड़ में





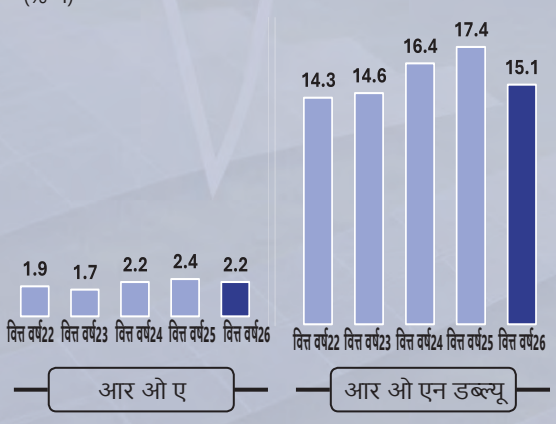
स्थिर लाभप्रदता

₹ करोड़ में



प्रमुख परिचालनगत मेट्रिक्स

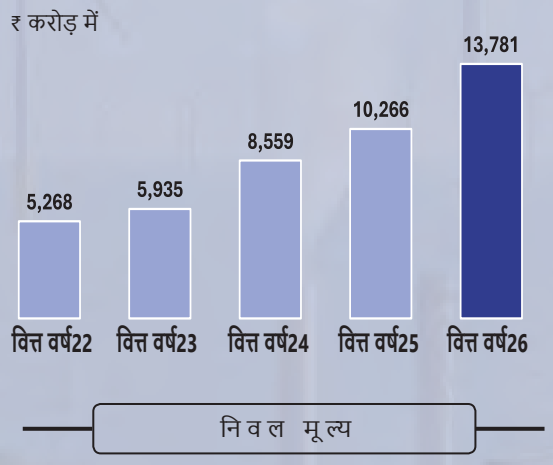
(% में)

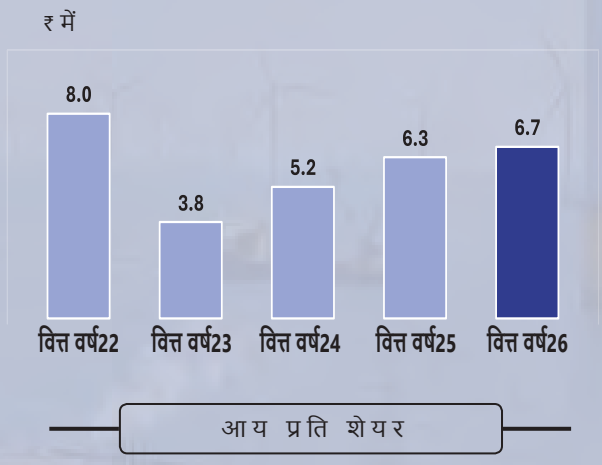


कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें

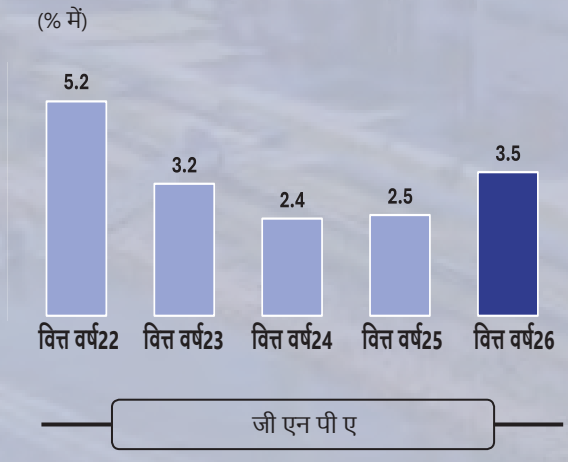
(पिछले पांच वित्त वर्ष)

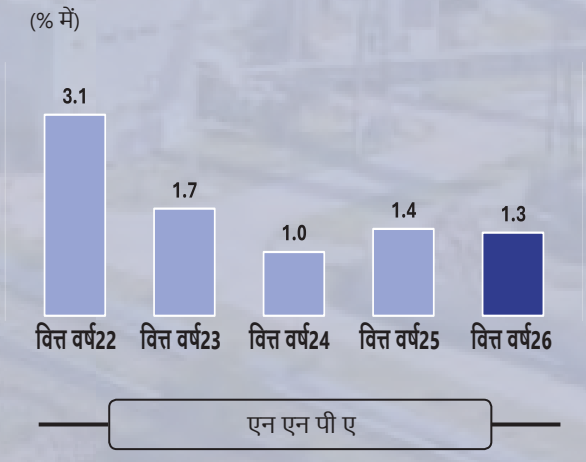
सुदृढ़ शेयरधारक मूल्य





उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियां

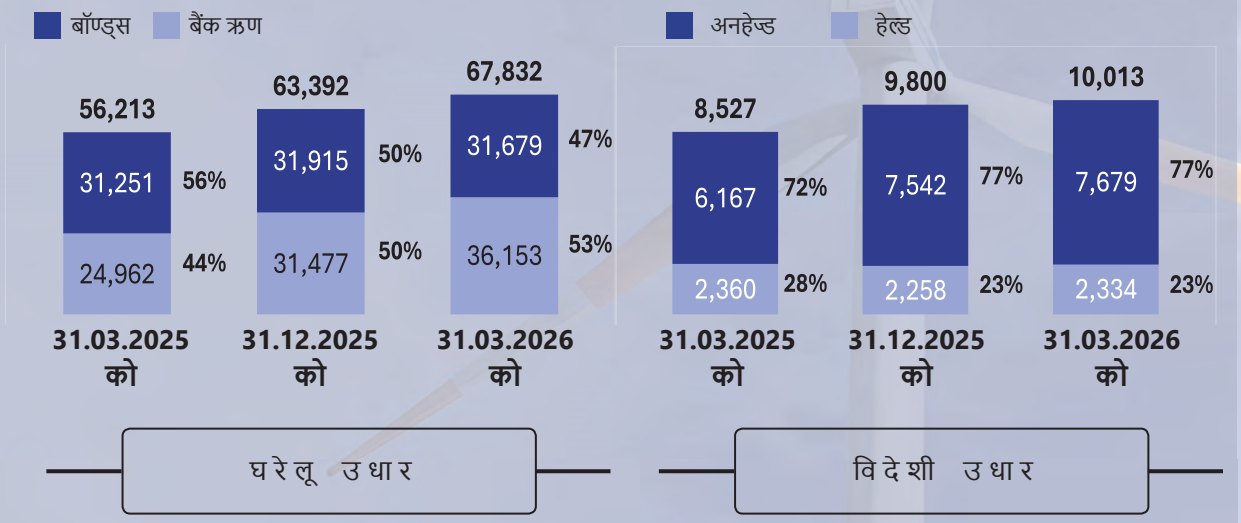




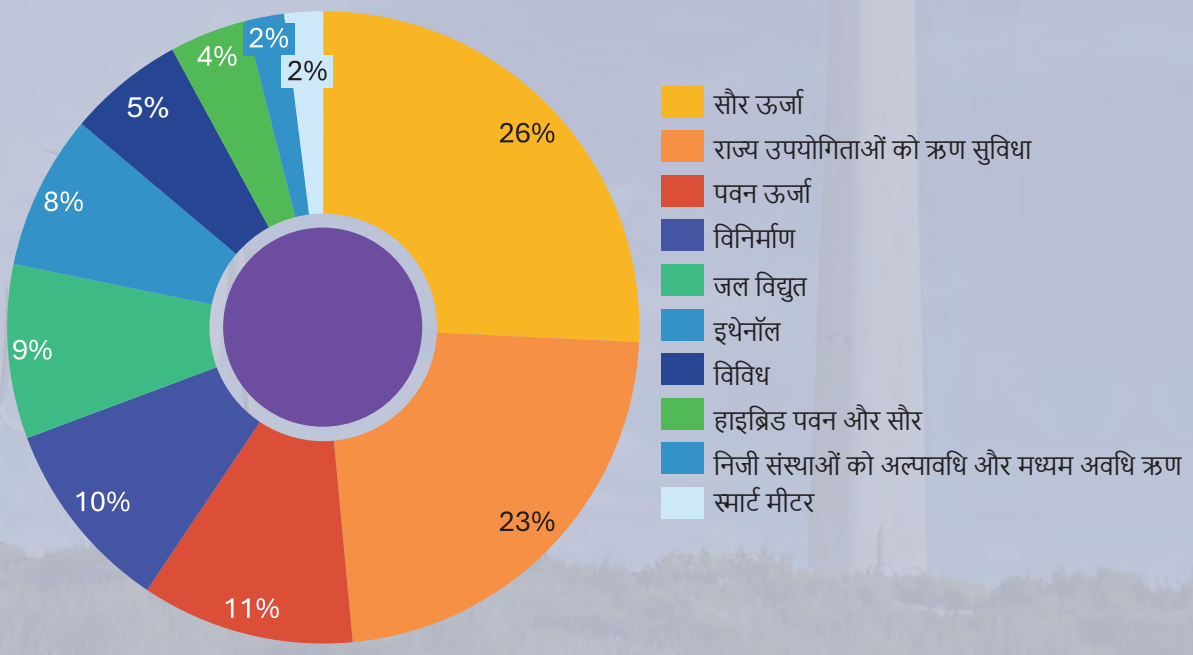
वित्त के स्रोत और उपयोग

ऋण प्रोफाइल

₹ करोड़ में



ऋण प्रोफ़ाइल । बकाया ऋणों की संरचना



नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में उपस्थिति...

पारम्परिक आरई तकनीक

- सौर
- हाइड्रो
- पवन
- पारेषण
- बायोमास और सह-उत्पादन
- अपशिष्ट से ऊर्जा
- इथेनॉल
- ऊर्जा दक्षता और संरक्षण

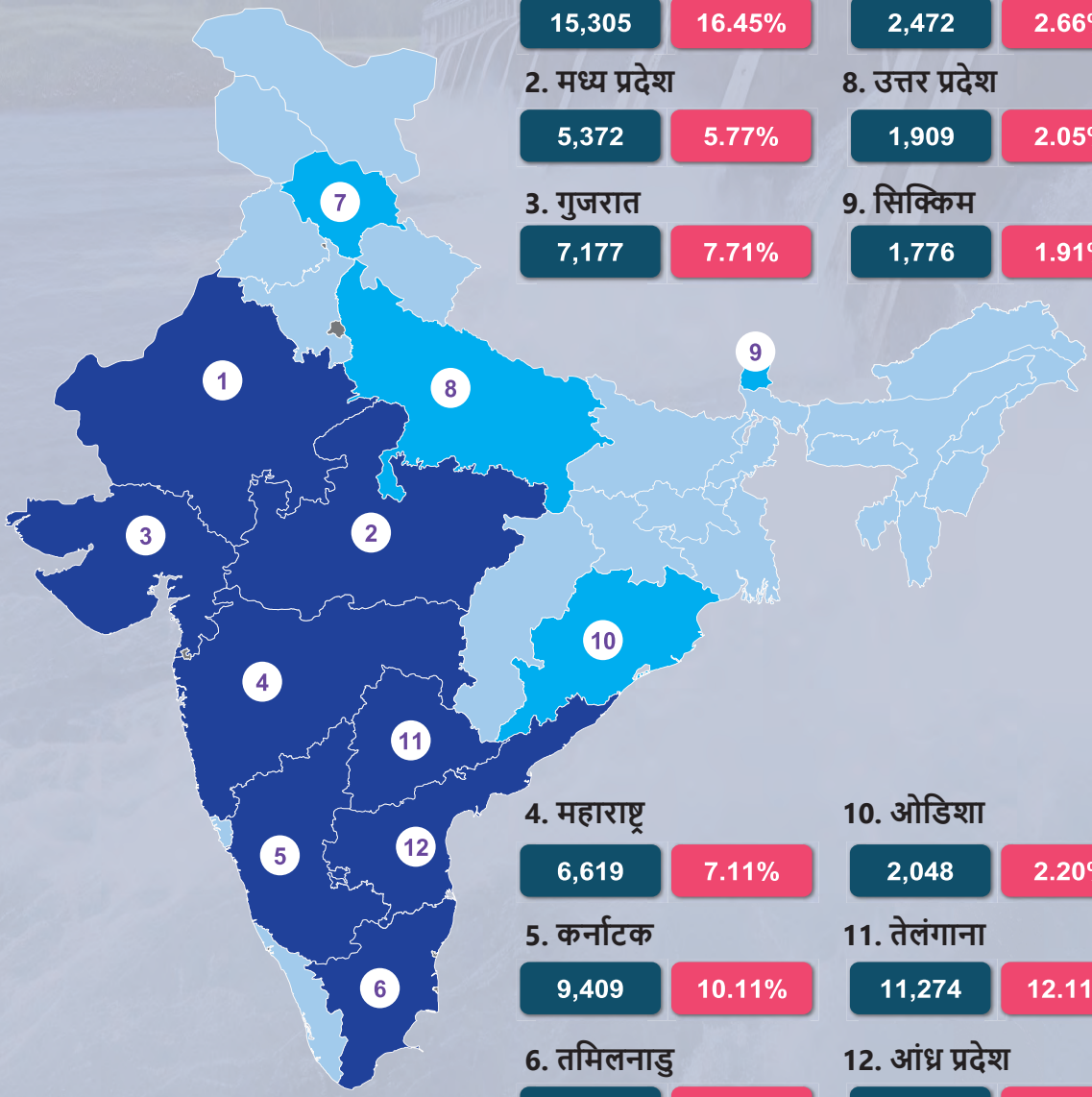
उभरती आरई तकनीक

- बैटरी स्टोरेज सिस्टम
- विद्युत वाहन एवं चार्जिंग इंफ्रा
- ग्रीन हाइड्रोजन और व्युत्पन्न
- पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो
- स्मार्ट मीटर
- आरई अवयव का निर्माण

...वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के व्यापक सुइट के साथ

- परियोजना अवधि ऋण
- टॉप-अप ऋण
- ऊर्जा दक्षता और संरक्षण
- भविष्य के नकद प्रवाह के प्रतिभूतिकरण के तहत ऋण
- ऋणों का पुनर्वित्तपोषण

राज्यवार बकाया ऋण पुस्तिका



1. राजस्थान
15,305 | 16.45%

2. मध्य प्रदेश
5,372 | 5.77%

3. गुजरात
7,177 | 7.71%

4. महाराष्ट्र
6,619 | 7.11%

5. कर्नाटक
9,409 | 10.11%

6. तमिलनाडु
8,500 | 9.13%

7. हिमाचल प्रदेश
2,472 | 2.66%

8. उत्तर प्रदेश
1,909 | 2.05%

9. सिक्किम
1,776 | 1.91%

10. ओडिशा
2,048 | 2.20%

11. तेलंगाना
11,274 | 12.11%

12. आंध्र प्रदेश
10,466 | 11.25%

अन्य राज्य[1]
10,741 | 11.54%

● सकल ऋण प्रोफाइल में 5% से अधिक हिस्सेदारी वाले राज्य
● सकल ऋण प्रोफाइल में 5% से कम हिस्सेदारी वाले राज्य
● 31 मार्च, 2026 को बकाया ऋण (₹ करोड़ में)
● ₹ 93,069 करोड़ के सकल ऋण प्रोफाइल का प्रतिशत

1. अन्य अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, मणिपुर, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में मौजूदगी तथा बहु राज्य श्रेणी के अधीन परियोजनाओं को दर्शाते हैं।

* मानचित्र केवल सांकेतिक है और भौगोलिक प्रतिनिधित्व नहीं है।

इरेडा द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं



इरेडा ने राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में 300 मेगावाट / 601.9 एमडब्ल्यूएच बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के लिए वित्त पोषण दिया - यह इरेडा की पहली मर्चेंट-आधारित बीईएसएस परियोजना है।



इरेडा ने मध्य प्रदेश में एएमपी एनर्जी ग्रीन सेवन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाई गई 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना के लिए वित्त पोषण दिया।



इरेडा ने तेलंगाना में व्हाइटफ़ील्ड बायो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित 120 केएलपीडी इथेनॉल परियोजना के लिए वित्त पोषण दिया।



इरेडा के निदेशक (वित्त) डॉ. बिजय कुमार महान्ती ने माननीय केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की और उन्हें नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दीं।

विषय सूची

कंपनी की जानकारी	14
निदेशक मंडल	15
सूचना	17
निदेशकों का संक्षिप्त परिचय	33
अध्यक्ष महोदय का संदेश	35
निदेशक रिपोर्ट	45
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	84
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट	95
निगमित अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र	100
निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट	103
व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट	135
बीआरएसआर कोर पर स्वतंत्र उचित आश्वासन रिपोर्ट	187
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	192
एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट	207
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट	224
एकल वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के मंतव्य	225
एकल वित्तीय विवरण	226
समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट	376
समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के मंतव्य	383
समेकित वित्तीय विवरण	384
पांच वर्षों का परिचालनगत सारांश	534

कंपनी की जानकारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	डॉ. बिजय कुमार महान्ती (01.07.2026 से अतिरिक्त प्रभार) श्री प्रदीप कुमार दास (30.06.2026 तक)		
कार्यवाहक निदेशक	डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ		
नामित निदेशक	श्री पदम लाल नेगी श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम (24.07.2026 से)		
स्वतंत्र निदेशक	श्री मनोनीत दलाल (18.08.2026 से) श्री राम निहाल निषाद (05.03.2026 तक) श्रीमती रोहिणी रावत (05.03.2026 तक) श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट (27.03.2026 तक) डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर (27.03.2026 तक)		
कंपनी सचिव	श्रीमती एकता मदान		
सीआईएन	L65100DL1987GOI027265		
एलईआई कोड	335800AXWFKW4BC99J48		
कंपनी का पता	**पंजीकृत कार्यालय**	**निगमित कार्यालय**	**व्यवसाय केंद्र**
	भारत पर्यावास केंद्र, कोर-4 'ए', ईस्ट कोर्ट, प्रथम तल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	तृतीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-II, प्लेट-बी, 7वाँ तल, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
लेखा-परीक्षक	**सांविधिक लेखा-परीक्षक** मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स 103, 105, प्लॉट संख्या 1, वर्धमान इंद्रप्रस्थ प्लाजा, आई. पी. एक्सटेंशन, पटपरगंज, दिल्ली-110092 मैसर्स राव एंड एमार, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 469, दूसरी मंज़िल, पॉकेट 4, डीडीए एलआईजी फ्लैट्स, सेक्टर 11, द्वारका, नई दिल्ली – 110007 **लागत लेखा-परीक्षक** मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी फ्लैट संख्या 260, पॉकेट-ए, सरिता विहार, नई दिल्ली-110088 **सचिवीय लेखा-परीक्षक** मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव # 2382, सेक्टर-16, फरीदाबाद, हरियाणा-121002		
रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट	**इक्विटी के लिए** एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी-101, एम्बेसी 247, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुंबई– 400 083 दूरभाष : 022 - 49186270, ई-मेल: Investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com		
	बॉण्ड्स के लिए एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी-101, एम्बेसी 247, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुंबई– 400 083 दूरभाष: 022 - 49186270, ई-मेल: bonds.helpdesk@in.mpms.mufg.com ajit.patankar@in.mpms.mufg.com केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सी 101, 247 पार्क, सेलेनियम टावर बी, प्लाट संख्या-31 एवं 32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद तेलंगाना- 500032, भारत दूरभाष: +91 40 6716 2222, ई-मेल आईडी: umesh.pandey@kfintech.com आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बी-25/1, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली -110020 दूरभाष : 011-26387320; 011- 35020465, मोबाइल: 8527695125 ई-मेल: investor.services@rcmcdelhi.com		
डिबेंचर ट्रस्टी	**विस्तरा (आईटीसीएल) इंडिया लिमिटेड** प्लॉट नंबर-सी-22, जी ब्लॉक, बांद्रा, मुंबई 400,051	**एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड** मिस्त्री भवन, चौथी तल, 122 दिनशॉ वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020	**बेकन ट्रस्टी** 4सी एवं डी सिद्धिविनायक चेम्बर्स गांधी नगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब बांद्रा के सामने (पूर्व), मुंबई-400051
स्टॉक एक्सचेंज	बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध इक्विटी और बॉण्ड		

निदेशक मंडल

(01 सितम्बर, 2026 के अनुसार)



डॉ. बिजय कुमार महान्ती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार);
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(डीआईएन : 08816532)



श्री पदम लाल नेगी
सरकार नामित निदेशक
(डीआईएन : 10041387)



श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम
सरकार नामित निदेशक
(डीआईएन: 07935156)



श्री मनोनीत दलाल
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 10059661)

वरिष्ठ कार्यपालक

(01 सितम्बर, 2026 के अनुसार)



श्री सुशांत कुमार डे
कार्यपालक निदेशक (परियोजना)



श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा
कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)



श्री धीरज मेहता
कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)



श्री दीपक कुमार बारिक
कार्यपालक निदेशक (विधि)



श्री तुषार कांत परिदा
कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)



श्रीमती माला घोष चौधुरी
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)



श्री भरत सिंह राजपूत
महाप्रबंधक (परियोजना)



सुश्री दुर्रे शाहवार
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)



श्री अमित गोयल
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)



श्री के.पी. फिलिप
महाप्रबंधक (परियोजना)



श्री कुबेर मल्होत्रा
महाप्रबंधक (आईटी) एवं सीटीओ



श्री शैलेन्द्र कुमार मालवीय
महाप्रबंधक (परियोजना)



श्री कौशिक गोस्वामी
महाप्रबंधक (परियोजना)



श्री भागीरथ सियाग
महाप्रबंधक (परियोजना)



श्री सुजीत वी सुरेंद्रन
महाप्रबंधक (परियोजना)



श्री राहुल कमल
महाप्रबंधक (परियोजना)



श्रीमती पुन्नू ग्रोवर
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं
मुख्य अनुपालन अधिकारी



श्री जगदीप सिंह
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं
आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रमुख

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, कोर-4ए, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
सीआईएन: L65100DL1987GOI027265, वेबसाइट: www.ireda.in, ईमेल: equityinvestor2023@ireda.in,
दूरभाष : +91-11-24682206-19, फैक्स संख्या : +91-11-24682202

सूचना

इसके द्वारा **सूचित** किया जाता है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **मंगलवार, 29 सितम्बर, 2026 को दोपहर 12:30 बजे (भा.मा.स.)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

1. **31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों के साथ ही निदेशक मंडल, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।**

   इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए :

   "संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरणों, साथ ही निदेशक मंडल और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ, जो सदस्यों को भेजी गई थीं, उन्हें यहाँ स्वीकार किया जाता है, उन पर विचार किया जाता है और उन्हें अपनाया जाता है।"

2. **वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घोषित और भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम लाभांश घोषित करना।**

   इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए:

   "संकल्प लिया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घोषित और भुगतान किये गए 6% की दर से (₹0.60 प्रति ₹10 वाले इक्विटी शेयर) अंतरिम लाभांश की यहाँ पुष्टि की जाती है; और निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के लाभ में से 7.50% की दर से (₹0.75 प्रति ₹10 वाले इक्विटी शेयर) अंतिम लाभांश यहाँ घोषित किया जाता है।"

3. **श्री पदम लाल नेगी (डीआईएन : 10041387), निदेशक (सरकार नामित) की जगह एक निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और योग्य होने के कारण, स्वयं को फिर से नियुक्ति के लिए पेश कर रहे हैं।**

   इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए :

   "संकल्प लिया गया कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्री पदम लाल नेगी (डीआईएन : 10041387), जो इस बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और योग्य होने के कारण स्वयं को फिर से नियुक्ति के लिए पेश कर रहे हैं, उन्हें एतदद्वारा कंपनी के निदेशक के तौर पर फिर से नियुक्त किया जाता है।"

4. **वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।**

   इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए :

   "संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5), 142 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।"

विशेष व्यवसाय :

5. **श्री जव्वदी वेंकटा नागा सुब्रमण्यम (डीआईएन : 07935156) को कंपनी का निदेशक (सरकार नामित) नियुक्त करना।**

   इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए :

   "संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 161 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और उनके तहत बने नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) और अन्य लागू कानूनों (जिसमें उस समय लागू कोई भी कानूनी संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है), कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 74 के अनुसार, श्री जव्वदी वेंकटा नागा सुब्रमण्यम (डीआईएन : 07935156), संयुक्त सचिव, एमएनआरई, को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की आदेश संख्या 340/85/2017-इरेडा दिनांक 23 जुलाई, 2026 के मार्फ़त 03 (तीन) कार्यात्मक निदेशक के पद भरे जाने तक

या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (सरकार नामित) के रूप में नियुक्त किया गया था, और जिन्हें बाद में निदेशक मंडल द्वारा 24 जुलाई, 2026 से अपर निदेशक (सरकार नामित) के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें अब एतदद्वारा कंपनी का निदेशक (सरकार नामित) नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे, और उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी।"

संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल को ऊपर दिए गए प्रस्ताव को लागू करने के लिए ज़रूरी, उचित या फ़ायदेमंद सभी काम और गतिविधियाँ करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

6. श्री मनोनीत दलाल (डीआईएन : 10059661) को कंपनी का गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त करना।

इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **विशेष प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए :

"**संकल्प लिया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1सी), 25(2ए) और अन्य लागू प्रावधानों (जिसमें उस समय लागू कोई भी कानूनी बदलाव या दोबारा लागू किए गए नियम शामिल हैं); कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 74 और 74ए तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा-पार्ट (1) तारीख 18 अगस्त, 2026 के तहत, श्री मनोनित दलाल (डीआईएन: 10059661) को निदेशक मंडल ने 18 अगस्त, 2026 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कंपनी का अपर गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया था। अब उन्हें एतदद्वारा 18 अगस्त, 2026 से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो), कंपनी का गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया जाता है। वे रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होंगे और उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई शर्तों (कार्यकाल सहित) के आधार पर होगी।

संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल को ऐसे सभी काम, गतिविधियाँ और कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें ऊपर दिए गए प्रस्ताव को लागू करने के लिए ज़रूरी, उचित या सुविधाजनक माना जाए।

7. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागत लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक को मंज़ूरी देना।

इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए :

"**संकल्प लिया गया** कि कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के लागत लेखा-परीक्षक, मैसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या : 000022) को देय ₹62,000 (केवल बासठ हज़ार रुपये) के पारिश्रमिक (जिसमें कर शामिल हैं) की, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल ने मंज़ूरी दी है, एतदद्वारा पुष्टि की जाती है और मंज़ूर किया जाता है"।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02 सितम्बर, 2026

हस्ता. /-
(एकता मदान)
कंपनी सचिव

नोट:-

1. वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।
2. इस एजीएम में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संबंध में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियम 36(3) और सचिवीय मानक के अनुसार प्रासंगिक विवरण भी संलग्न है।
3. अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के वैधानिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा की जाती है और अधिनियम की धारा 142 के अनुसार, पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा। सदस्य वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सी एंड एजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वैधानिक लेखा-परीक्षकों का उचित पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अधिकृत कर सकते हैं, जैसा कि बोर्ड द्वारा उचित समझा जाए।
4. निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 मई, 2020, 5 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022, 25 सितम्बर, 2023, 19 सितंबर, 2024 के परिपत्रों के साथ पठित 22 सितंबर, 2025 के एमसीए परिपत्र ("एमसीए परिपत्र") और 3 अक्टूबर, 2024 के सेबी परिपत्र और अन्य लागू अधिसूचना के मद्देनजर, कंपनी की 39वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसमें सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। 39वीं एजीएम के लिए माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एमसीए और सेबी परिपत्र के अनुसार, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति और प्रॉक्सी की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म और रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं। चूंकि बैठक वीसी/ओवीएएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, इसलिए सदस्य की ओर से उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति उपलब्ध नहीं है। हालांकि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 39वीं एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए सदस्य के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जा सकता है।

6. एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट के साथ 39वीं एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को ई-मेल से भेजी जा रही है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी /डिपॉजिटरी के साथ **28 अगस्त, 2026** के अनुसार पंजीकृत थीं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सूचना और वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक वेबलिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेयरधारकों को भेजा जा रहा है जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है। सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/IredaWebPortal/investors/annual-reports पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)की वेबसाइट www.nseindia.com पर और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ("आरटीए") की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।

7. वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 39वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

8. एजीएम में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में दिखाई देता है, वह एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा।

9. संस्थागत/निगमित शेयरधारकों (अर्थात, व्यक्तियों/हिंदू अविभाजित परिवार, अनिवासी व्यक्तियों आदि के अतिरिक्त) को अपने बोर्ड या शासी निकाय के संकल्प/प्राधिकरण आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) भेजनी होगी, ताकि उनके पक्ष में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए उनके प्रतिनिधि को अधिकृत किया जा सके। उक्त संकल्प/प्राधिकरण कंपनी के आरटीए को insta.vote@linkintime.co.in पर ईमेल द्वारा भेजना होगा।

10. कंपनी ने सूचना में विस्तृत रूप से 39वीं एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के मद(दों) पर वोट देने की पात्रता निर्धारित करने के लिए **मंगलवार, 22 सितम्बर, 2026** को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, तो वह enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। कोई भी शेयरधारक जो अपनी शेयरधारिता का निपटान इस तरह करता है कि वह कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, तो उसे इस सूचना को सिर्फ़ जानकारी के उद्देश्य से लेना चाहिए।

11. मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव (श्री पी.सी. जैन, प्रबंध साझेदार, एफसीएस - 4103, सीओपी संख्या 3349), कंपनी के सचिवीय लेखा-परीक्षक को 39वीं एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

12. सूचना में ऊपर उल्लिखित एमसीए और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के अनुपालन में, कंपनी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। वे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

13. एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ("एमयूएफजी") रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 39वीं एजीएम में भागीदारी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से 39वीं एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, **26 सितम्बर, 2026 को सुबह 09:00 बजे** से शुरू होगी और **सोमवार, 28 सितम्बर, 2026 को शाम 05:00 बजे** समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एमयूएफजी द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

14. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का हक नहीं होगा।

15. सदस्य 29 सितम्बर , 2026 को दोपहर 12:15 बजे (भा.मा.स.) से यानी निर्धारित प्रारम्भ समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 39वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैंऔर कंपनी निर्धारित प्रारंभ समय के 30 मिनट बाद अर्थात एजीएम की तिथि को दोपहर 01:00 बजे तक वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए विंडो बंद कर सकती है।

रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 39वीं एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए कृपया विस्तृत अनुदेश देखें, जो इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अनुसार वैधानिक रजिस्टर और सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज, इस सूचना के

प्रसारित होने की तिथि से एजीएम की तिथि अर्थात 29 सितम्बर, 2026 तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे equityinvestor2023@ireda.in पर कंपनी को एक ई-मेल भेजें। निरीक्षण तभी किया जाएगा जब यह पारस्परिक रूप से उपयुक्त हो।

17. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी), जिनके पास उनका डीमैट खाता है, के साथ पैन, पिन के साथ पता, ई-मेल, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और नामांकन अपडेट करें।

18. एजीएम के एजेंडे/कारोबार से संबंधित कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा रखने वाले सदस्य या एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना या प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वे बैठक की तारीख से कम से कम 7 (सात) दिन पहले यानी 22 सितम्बर, 2026 तक अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल संख्या का उल्लेख करते हुए कंपनी के निवेशक ईमेल-आईडी, यानी equityinvestor2023@ireda.in पर कंपनी सचिव को ईमेल भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं। अन्य ईमेल आईडी पर दिए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन सदस्यों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी एजीएम के सुचारु संचालन के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नों की संख्या, वक्ताओं की संख्या और उनके अनुक्रम को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दिया जाएगा जब वे 22 सितम्बर, 2026 तक अर्थात् ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि तक इक्विटी शेयर धारण करना जारी रखेंगे।

19. सदस्यगण सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में 39वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 39वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आएं पहले पाएं के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा-परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आएं पहले पाएं के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के 39वीं एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

20. संवीक्षक वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के समापन के तुरंत बाद, रिमोट ई-वोटिंग/वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और वार्षिक आम बैठक के समापन के 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर, पक्ष में या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों (यदि कोई हो) की एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे बैठक के अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

21. प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष में या उसके विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या, अमान्य मत और प्रस्ताव को लागू किया गया है या नहीं, को दर्शाते हुए, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ मतदान के परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त, अगर शेयरधारक प्रस्ताव(वों) को मंज़ूरी देते हैं, तो उन्हें 39वीं एजीएम में पारित माना जाएगा।

22. **लाभांश और लाभांश पर टीडीएस कटौती:** आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने एजीएम में सदस्यों की मंज़ूरी के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7.50% की दर से (₹10 के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 0.75) अंतिम लाभांश देने की सिफ़ारिश की है। एजीएम में मंज़ूरी/घोषणा होने पर, मंज़ूरी की तारीख से 30 (तीस) दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर योग्य सदस्यों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा (स्रोत पर कर कटौती के अधीन)। ये वे सदस्य होंगे जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि यानी **शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026** को कामकाज के समय के अंत तक लाभार्थी स्वामी/सदस्य के तौर पर दर्ज होंगे। यह वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले ही घोषित और भुगतान किए गए 6% की दर से (₹10 के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹0.60) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

    सदस्यगण यह भी ध्यान दें कि आय कर अधिनियम, 2025 (अधिनियम) और उससे जुड़े नियमों के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश से होने वाली आय पर शेयरधारक को कर देना होता है। कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय अधिनियम में बताई गई दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटना होता है। हालाँकि, अगर कोई शेयरधारक चाहता है कि उसका कर कम दरों पर काटा जाए या आय कर अधिनियम, 2025 के अनुसार कोई कर ना काटा जाए, तो उसे ज़रूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति **11 सितंबर, 2026 तक या उससे पहले** https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html पर जमा करनी होगी।

    यह भी सूचित किया जाता है कि 11 सितंबर, 2026 के बाद कर निर्धारित करने/कम दरों पर कर की कटौती के संबंध में किसी भी तरह के संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधूरे दस्तावेज और/या निर्धारित तरीके के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरीके से जमा किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

    इसके अतिरिक्त, यह बताना ज़रूरी है कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में हाल ही में हुए बदलावों के अनुसार, लाभांश का भुगतान सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही किया जाएगा। चेक या वारंट जैसे भौतिक साधनों के ज़रिए लाभांश भेजने की व्यवस्था बंद कर दी गई है। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभांश आसानी से और समय पर मिलने के लिए, अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और उनके बताए गए तरीके के अनुसार अपने डीमैट खाते में बैंक खाते का विवरण रजिस्टर या अपडेट करें। लाभांश पर कराधान से जुड़ी जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in/IredaWebPortal/investors/dividend पर 'इन्वेस्टर्स टैब' के तहत भी उपलब्ध है।

व्याख्यात्मक कथन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में)

सूचना में उल्लिखित विशेष व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित कथन में बताए गए हैं।

मद संख्या 5

इरेडा एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के 'आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन' के आर्टिकल 74 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को प्रशासनिक मंत्रालय, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के ज़रिए कंपनी में निदेशक(कों) नियुक्त करने का अधिकार है। इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, एमएनआरई ने अपनी आदेश संख्या 340/85/2017-इरेडा तारीख 23 जुलाई, 2026 के मार्फ़त श्री जव्वदी वेंकटा नागा सुब्रमण्यम (डीआईएन : 07935156), जो एमएनआरई में संयुक्त सचिव हैं, को निदेशक (सरकार नामित) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 03 (तीन) कार्यात्मक निदेशक के पद भरे जाने तक या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) के लिए थी। इसके बाद, उन्हें निदेशक मंडल ने 24 जुलाई, 2026 से कंपनी के बोर्ड में अपर निदेशक (सरकार नामित) के तौर पर नियुक्त किया, ताकि वे इस एजीएम की तारीख तक पद संभाल सकें।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 ("सेबी (एलओडीआर) विनियम") के विनियम 17(1सी) की शर्त के अनुसार, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या फिर से नियुक्ति के लिए शेयरधारक की मंज़ूरी अगली आम बैठक में ली जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम के सभी लागू प्रावधानों के तहत, कंपनी को श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम से सहमति और ज़रूरी घोषणाएं व वचनबद्धताएँ मिली हैं। मिली घोषणाओं/वचनबद्धताओं के अनुसार, वे अधिनियम की धारा 164 के प्रावधानों के तहत निदेशक के तौर पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं और न ही उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण ने निदेशक के तौर पर नियुक्त होने से रोका है। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, उनकी नियुक्ति के समय कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति मौजूद नहीं थी।

कंपनी को उसके निदेशक के तौर पर नियुक्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार ज़रूरी सूचना मिली है। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें एमएनआरई के 23 जुलाई, 2026 के आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी अन्य आदेश के अनुसार हैं। सरकार नामित निदेशक बोर्ड और समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए बैठने का शुल्क पाने के हकदार नहीं हैं।

उनके संक्षिप्त बायोडेटा में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी विशेष कार्य के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य जानकारी शामिल है। यह जानकारी इस सूचना का हिस्सा है।

श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम को छोड़कर, किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का, उक्त साधारण प्रस्ताव को पारित करने में कोई लेना-देना या हित (चाहे वह आर्थिक हो या कोई और) नहीं है, सिवाय कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी की सीमा तक, यदि कोई हो।

निदेशक मंडल, कंपनी के सदस्यों की मंज़ूरी के लिए सूचना की **मद संख्या 5** में दिए गए प्रस्तावों को साधारण प्रस्ताव के तौर पर पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 6

इरेडा एक सरकारी कंपनी है और इसके संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 74 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को प्रशासनिक मंत्रालय, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के ज़रिए कंपनी में निदेशक(कों) नियुक्त करने का अधिकार है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए, एमएनआरई ने अपने 18 अगस्त, 2026 की आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा-पार्ट(1) के मार्फ़त श्री मनोनीत दलाल को इरेडा के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 18 अगस्त, 2026 से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी। कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री मनोनीत दलाल को 18 अगस्त, 2026 से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए अपर गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के तौर पर नियुक्त किया है, जो इस एजीएम तक पद पर बने रहेंगे।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम, 2015) ["सेबी (एलओडीआर) विनियम"] के विनियम 17(1सी) की शर्त के अनुसार, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या फिर से नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंज़ूरी अगली आम बैठक में ली जाए। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 25(2ए) के अनुसार, किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, फिर से नियुक्ति या उन्हें हटाने का काम विशेष प्रस्ताव के ज़रिए शेयरधारकों की मंज़ूरी पर निर्भर करेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) और सेबी (एलओडीआर) विनियम के सभी लागू प्रावधानों के तहत, कंपनी को श्री मनोनीत दलाल से सहमति और ज़रूरी घोषणाएं व वचनबद्धताएँ मिली हैं। मिली घोषणाओं/वचनबद्धताओं के अनुसार, वे अधिनियम की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के तौर पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के तौर पर नियुक्त होने से रोके गए हैं। बोर्ड की राय में, श्री मनोनीत दलाल अधिनियम में बताई गई सरकारी कंपनियों पर लागू निदेशक के तौर पर अपनी नियुक्ति की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण उनकी नियुक्ति के समय कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति मौजूद नहीं

थी। कंपनी को उनकी नियुक्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 160 के प्रावधानों के अधीन ज़रूरी सूचना मिली है। श्री मनोनीत दलाल की नियुक्ति के नियम और शर्तें एमएनआरई के 18 अगस्त, 2026 के आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी अन्य आदेश के अनुसार हैं। स्वतंत्र निदेशक अधिनियम के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर बोर्ड द्वारा संस्वीकृत की गई बोर्ड और समिति की बैठक में शामिल होने के लिए बैठक शुल्क पाने के हकदार हैं।

उनके संक्षिप्त बायोडेटा में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी विशेष कार्य के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य जानकारी शामिल है। यह जानकारी इस सूचना का हिस्सा है।

श्री मनोनीत दलाल को छोड़कर, किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का, उक्त साधारण प्रस्ताव को पारित करने में कोई लेना-देना या हित (चाहे वह आर्थिक हो या कोई और) नहीं है, सिवाय कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी की सीमा तक, यदि कोई हो।

निदेशक मंडल, कंपनी के सदस्यों की मंज़ूरी के लिए सूचना की **मद संख्या 6** में दिए गए प्रस्तावों को विशेष प्रस्ताव के तौर पर पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखा-परीक्षक की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा ऐसे पारिश्रमिक पर की जाएगी जिसे शेयरधारक मंज़ूरी दें। कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के तहत, लागत लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करते समय बोर्ड को उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक को मंज़ूरी देनी होती है और बोर्ड द्वारा मंज़ूर किए गए इस पारिश्रमिक को शेयरधारकों से मंज़ूरी लेनी होती है।

स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण, लेखा-परीक्षक की नियुक्ति के समय लेखा-परीक्षा समिति मौजूद नहीं थी। निदेशक मंडल ने मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या : 000022) को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी का लागत लेखा-परीक्षक नियुक्त किया है। इसके लिए उन्हें ₹62,000 (बासठ हज़ार रुपये) का मेहनताना (कर सहित) दिया जाएगा। सूचना में बताए अनुसार, एक साधारण प्रस्ताव पारित करके शेयरधारकों की मंज़ूरी मांगी जा रही है।

किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का, उक्त प्रस्ताव को पारित करने में कोई लेना-देना या हित (चाहे वह आर्थिक हो या कोई और) नहीं है, सिवाय कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी की सीमा तक, यदि कोई हो।

निदेशक मंडल, कंपनी के सदस्यों की मंज़ूरी के लिए सूचना की **मद संख्या 7** में दिए गए प्रस्ताव को पारित करने की सिफ़ारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02 सितम्बर, 2026

हस्ता. /-
(एकता मदान)
कंपनी सचिव

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 और सचिवीय मानक-2 की शर्तों पर मद संख्या 3, 5 और 6 के अंतर्गत 39वीं एजीएम में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	श्री पदम लाल नेगी	श्री जव्वदी वेंकटा नागा सुब्रमण्यम	श्री मनोनीत दलाल
डीआईएन	10041387	07935156	10059661
जन्म तिथि/आयु	22 नवंबर, 1966 (59 वर्ष)	16 फरवरी, 1980 (46 वर्ष)	17 अगस्त, 1979 (47 वर्ष)
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	07 फरवरी, 2023	24 जुलाई, 2026	18 अगस्त, 2026
योग्यता(एँ)	पंजाब विश्वविद्यालय से आर्ट्स में बैचलर डिग्री और पॉलिटिकल साइंस एवं सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री	भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, सनदी लेखाकार और लागत लेखाकार (पूरे भारत में पहला स्थान)। आपके पास कॉमर्स में बैचलर डिग्री और पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स (एमपीपी) डिग्री है, साथ ही आपको किंग्स कॉलेज लंदन से लीडरशिप में शेवनिंग गुरुकुल फेलोशिप भी प्राप्त है।	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु से एलएल.एम. और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स)।
संक्षिप्त वृत्त	श्री पदम लाल नेगी कंपनी के सरकार नामित निदेशक हैं। आप अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं, साथ ही आपके पास भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार भी है। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से आर्ट्स में बैचलर डिग्री और पॉलिटिकल साइंस एवं सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। आपके पास प्रशासन में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग में 1992 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी के रूप में शामिल हुए। इस पद को संभालने से पहले, आपने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्तीय सलाहकार (सीमा सड़क) के रूप में काम किया। आप ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में निदेशक और अंडमान और निकोबार कमांड के एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कई महत्वपूर्ण उत्तरदायीयिं निभाई हैं।	श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम कंपनी के सरकार नामित निदेशक हैं। आप एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं, आपको केंद्र और राज्य सरकारों में नवीकरणीय ऊर्जा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, औद्योगिक और संरचना को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य प्रणालियों और अभिशासन सुधारों के क्षेत्रों में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में आप भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यसूची में योगदान दे रहे हैं। अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, आप ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक के रूप में कार्य किया है, जहाँ आप ने फाइनेंशियल मार्केट पॉलिसी और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामलों को संभाला। आप ने राज्य-स्तर पर भी महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) के उप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; उद्योग आयुक्त; एपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ; राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, असम के मिशन डायरेक्टर और गोआलपाड़ा, असम के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं।	श्री मनोनीत दलाल कंपनी के गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। आप एक कानूनी और वित्तीय पेशेवर हैं एवं आपके पास कराधान, वित्तीय परामर्श, कानूनी सलाह, लोक प्रशासन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु से एलएल.एम. और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बी.ए., एलएल.बी. (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की है। आप हेक्सा एडवाइजर्स लिमिटेड के निदेशक भी हैं, जो वित्तीय मॉडलिंग, मूल्यांकन और क्रॉस-बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन एडवाइजरी पर केंद्रित एक विशेष सलाहकार फर्म है। इससे पहले आप डेलॉयट हैस्किन्स एंड सेल्स और अर्न्स्ट एंड यंग जैसी कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। आप ने सार्वजनिक नीति अनुसंधान में योगदान दिया है और कराधान तथा अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक कानून पर किताबें और शोध पत्र लिखे हैं।

	इसके अतिरिक्त, आप एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नामित निदेशक हैं।	अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, आप ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक के रूप में कार्य किया है, जहाँ आप ने फाइनेंशियल मार्केट पॉलिसी और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामलों को संभाला। आप ने राज्य-स्तर पर भी महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) के उप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; उद्योग आयुक्त; एपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ; राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, असम के मिशन डायरेक्टर और गोआलपाड़ा, असम के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं। आपको जन सेवा, नवाचार और अभिशासन में उत्कृष्टता के लिए कई राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। साथ ही, भारत सरकार की ओर से सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में बेहतरीन तौर-तरीकों और नवाचार के लिए पुरस्कार; जन सेवा और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए कई मुख्यमंत्री पुरस्कार; और ज़िला-स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए कायाकल्प पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।	
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति	श्री पदम लाल नेगी के पास वित्तीय प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, नेतृत्व और सामाजिक क्षेत्र आदि में 33 वर्षों का अनुभव है।	श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम के पास लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र, परियोजना मूल्यांकन, कानूनी सलाहकार, निगमित योजना और रणनीति, सामाजिक सरोकार और नेतृत्व के क्षेत्रों में पेशेवर प्रमाणन/अनुभव के साथ 18 वर्षों की विशेषज्ञता है।	श्री मनोनीत दलाल के पास लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र डोमेन, परियोजना मूल्यांकन, कानूनी सलाहकार, निगमित योजना और रणनीति, जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व, पर्यावरण संबंधी चिंता, सामाजिक चिंता, बोर्ड कार्यप्रणाली और अभिशासन तथा व्यवसाय विकास के क्षेत्रों में पेशेवर प्रमाणन/अनुभव के साथ 20 वर्षों की विशेषज्ञता है।
निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटीकरण	कंपनी के किसी भी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।	कंपनी के किसी भी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।	कंपनी के किसी भी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

अन्य कंपनियों में निदेशक पद	1. एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड 2. एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 3. एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड 4. पवन हंस लिमिटेड 5. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 6. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया	शून्य	हेक्सा एडवाइजर्स लिमिटेड
अन्य संस्थाओं के नाम जिनमें व्यक्ति समितियों का सदस्य/अध्यक्ष है*	निम्नलिखित कंपनियों में लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष : 1. एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड 2. एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 3. एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड 4. पवन हंस लिमिटेड	शून्य	शून्य
सूचीबद्ध निकायों में धारित बोर्ड की समितियों* की सदस्यता और निदेशक पद	इरेडा लिमिटेड: • लेखा-परीक्षा समिति (सदस्य) • पणधारक सम्बन्ध समिति (सदस्य)	इरेडा लिमिटेड • लेखा-परीक्षा समिति (सदस्य)	इरेडा लिमिटेड • लेखा-परीक्षा समिति (अध्यक्ष) • स्टेकधारक सम्बन्ध समिति (अध्यक्ष)
नियुक्ति और दिए गए/दिए जाने वाले पारिश्रमिक के नियम और शर्तें	भारत सरकार के आदेशानुसार	भारत सरकार के आदेशानुसार	भारत सरकार के आदेशानुसार
वित्त वर्ष 26 के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	26	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्त वर्ष 26 के दौरान समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	19	लागू नहीं	लागू नहीं
उन सूचीबद्ध निकायों की जानकारी जहाँ से व्यक्ति ने पिछले तीन सालों में इस्तीफ़ा दिया है	शून्य	शून्य	शून्य
शेयरधारिता	शून्य	शून्य	शून्य

**सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुसार, सिर्फ लेखा-परीक्षा समिति और हितधारक सम्बन्ध समिति की सदस्यता को ही ध्यान में रखा गया है।*



07 अगस्त, 2025 को आयोजित इरेडा की 38वीं वार्षिक आम बैठक

शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग अनुदेश

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 26 सितम्बर, 2026 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और सोमवार, 28 सितम्बर, 2026 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम रिकॉर्ड तिथि (विच्छेद तिथि) यानी मंगलवार, 22 सितम्बर, 2026 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के हकदार हैं। शेयरधारकों के मतदान का अधिकार विच्छेद तिथि 22 सितम्बर, 2026 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी सही ढंग से उल्लेख/अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगइन की पद्धति :

क. एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

पद्धति 1 - एनएसडीएल IDeAS सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

एनएसडीएल IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत शेयरधारक:

क) यूआरएल: https://eservices.nsdl.com पर जाएँ और "IDeAS लॉगइन सेक्शन" के अंतर्गत "बेनेफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें।

ख) IDeAS यूजर आईडी, पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और "लॉगइन" पर क्लिक करें।

ग) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवा सेक्शन के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें।

घ) "एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

अथवा

शेयरधारक जिन्होंने एनएसडीएल IDeAS सुविधा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है:

क) पंजीकरण करने के लिए, यूआरएल: https://eservices.nsdl.com पर जाएँ और "IDeAS पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण" सेलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें

ख) 8-कैरेक्टर का डीपी आईडी, 8-अंकों का क्लाइंट आईडी, मोबाइल संख्या और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और "सब्मिट" पर क्लिक करें।

ग) अपने बैंक खाते के आखिरी 4 अंक दर्ज करें/ 'ओटीपी' जेनरेट करें।

घ) सफल पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।

ङ) उपर्युक्त पॉइंट्स (क-घ) में दिए गए क़दमों का अनुसरण करें।

Shareholders/ Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.

Google Play App Store

पद्धति 2 - व्यक्तिगत शेयरधारक सीधे एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं

क) यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com पर जाएँ

ख) 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगइन" टैब पर क्लिक करें।

ग) उपयोगकर्ता आईडी (यानी, एनएसडीएल के पास धारित आपका 16 अंकों वाला डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करें एवं "लॉगइन" पर क्लिक करें।

घ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें।

ङ) "एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

पद्धति 3 - एनएसडीएल ओटीपी आधारित लॉगइन

क) यूआरएल: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर जाएं।

ख) अपना 8-कैरेक्टर वाला डीपी आईडी, 8-अंकों वाला क्लाइंट आईडी, पैन और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और ओटीपी जनरेट करें।

ग) अपने पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल संख्या पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें।

घ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें।

ङ) "एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

ख. सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

पद्धति 1 – सीडीएसएल Easi/Easiest सुविधा के साथ पंजीकृत व्यक्तिगत शेयरधारक
शेयरधारक जिन्होंने सीडीएसएल Easi/Easiest सुविधा के लिए पंजीकरण/विकल्प लिया है :

क) यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login या www.cdslindia.com. पर जाएं।

ख) "लॉगइन" पर क्लिक करें तथा "My Easi New (टोकन) सेलेक्ट करें।

ग) मौजूदा यूजर नेम, पासवर्ड दर्ज करें तथा "लॉगइन" पर क्लिक करें।

घ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा। ई-वोटिंग विकल्प में ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं यानी एमयूएफजी इनटाइम के लिंक होंगे।

ङ) "एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

अथवा

शेयरधारक जिन्होंने सीडीएसएल इजी/ईजीएस्ट सुविधा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है:

क) पंजीकरण के लिए, यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration, https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiestRegistration पर जाएँ।

ख) आवश्यक क्षेत्र अपडेट करके आगे बढ़ें।

ग) पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को पंजीकृत ईमेल आईडी पर यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।

घ) उपर्युक्त पॉइंट्स (क-ग) में दिए गए क़दमों का अनुसरण करें।

पद्धति 2 - व्यक्तिगत शेयरधारक सीधे सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं

क) यूआरएल: https://www.cdslindia.com पर जाएं।

ख) ई-वोटिंग टैब पर जाएँ।

ग) 16-अंकों वाला डीमैट खाता संख्या (बीओ आईडी) और पैन संख्या दर्ज करें और "सबमिट" पर क्लिक करें।

घ) सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज किए गए पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा।

ङ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा। ई-वोटिंग विकल्प में ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं यानी एमयूएफजी इनटाइम के लिंक होंगे।

च) "एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

निक्षेपागार सहभागी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

व्यक्तिगत शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगइन कर सकते हैं :

क) डीपी वेबसाइट पर लॉग इन करें।

ख) सफलतापूर्वक लॉग इन के बाद, उपयोगकर्ता "ई-वोटिंग" विकल्प के माध्यम से नेविगेट करेगा।

ग) ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को एनएसडीएल/ सीडीएसएल निक्षेपागार वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा, जहाँ उपयोगकर्ता ई-वोटिंग सुविधा देख सकता है।

घ) सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद,"एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगइन पद्धति :

ई-वोटिंग के लिए विच्छेदक तिथि पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक इंस्टावोट पर निम्नानुसार पंजीकरण कर तथा वोट डाल सकते हैं :

जिन शेयरधारकों ने इंस्टावोट सुविधा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है:

क) यूआरएल: https://instavote.linkintime.co.in पर जाएं।

ख) 'शेयर होल्डर' टैब के अंतर्गत **"साइन अप"** पर क्लिक करें और अपने निम्नलिखित विवरणों के साथ पंजीकरण करें:

अ. यूजर आईडी:

एनएसडीएल डीमैट खाता - यूजर आईडी 8 वर्णों की डीपी आईडी है जिसके बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी है।

सीडीएसएल डीमैट खाता - यूजर आईडी 16 अंकों की लाभार्थी आईडी है।

ब. पैन:

अपना 10 अंकों का स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करें।

(शेयरधारक जिन्होंने निक्षेपागार सहभागी (डीपी)/कंपनी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, वे आपको प्रदान की गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करेंगे, यदि लागू हो।

स. डीओबी/डीओआई:

जन्म तिथि (डीओबी)/निगमन तिथि (डीओआई) दर्ज करें (जैसा कि दिन/महीना/वर्ष प्रारूप में आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज है)

द. बैंक खाता संख्या :

अपना बैंक खाता संख्या (अंतिम चार अंक) दर्ज करें, जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज है।*

*एनएसडीएल प्रपत्र में शेयर रखने वाले शेयरधारक, उपर्युक्त 'पॉइंट द' प्रदान करेंगे

सीडीएसएल प्रपत्र में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को ऊपर दिया गया 'पॉइंट स' या 'पॉइंट द' प्रदान करना होगा।

ग) अपनी पसंद का पासवर्ड सेट करें।

(पासवर्ड में कम से कम 8 वर्ण होने चाहिए, जिसमें से कम से कम एक विशेष वर्ण (!#$&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक वर्णमाला और कम से कम एक बड़ा अक्षर)।

घ) इमेज वेरिफिकेशन (कैप्चा) कोड दर्ज करें।

ङ) "सबमिट" पर क्लिक करें (आप अब इंस्टावोट पर पंजीकृत हो चुके हैं)।

शेयरधारक जिन्होंने इंस्टावोट सुविधा के लिए पंजीकरण किया है:

क) यूआरएल: https://instavote.linkintime.co.in पर जाएं।

ख) 'शेयर होल्डर' टैब के तहत **"लॉगइन"** पर क्लिक करें।

- यूजर आईडी : अपना यूजर आईडी दर्ज करें
- पासवर्ड: अपना पासवर्ड दर्ज करें
- इमेज वेरिफिकेशन (कैप्चा) कोड दर्ज करें
- "सबमिट" पर क्लिक करें

(ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा। "प्रस्ताव के लिए वोट डालने के चरण" के तहत दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करें।)

ग) अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डालें:

- सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण एवं इंस्टावोट इनबॉक्स पेज में पुनःनिर्देशित होने के बाद, आप "ई-वोटिंग के लिए अधिसूचना" देख पाएंगे।

- 'व्यू' आइकन सेलेक्ट करें। ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा।
- संकल्प विवरण देखें और अपना इच्छित विकल्प 'पक्ष/विपक्ष' चुनकर अपना वोट डालें (यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'व्यू रेज़ोलुशन' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें)।
- इच्छित विकल्प यानी पक्ष/विपक्ष चुनने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें।
- एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'यस' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, 'नो' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।

एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपना वोट डाल देंगे, तो बाद में आपको उसमें कोई बदलाव या संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

संस्थागत शेयरधारकों के लिए दिशानिर्देश ("कस्टोडियन / निगमित निकाय / म्यूचुअल फंड")

चरण 1 – कस्टोडियन/निगमित निकाय/म्यूचुअल फंड पंजीकरण

क) यूआरएल: https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ तथा इंस्टावोट लॉगइन क्रेडेंशियल के साथ लॉगइन करें।

ख) "कस्टोडियन/निगमित निकाय/म्यूचुअल फंड" के अंतर्गत "साइन अप" पर क्लिक करें।

ग) अपनी इकाई का विवरण भरें और फ़ॉर्म जमा करें।

घ) एक घोषणा फॉर्म और संगठन आईडी तैयार की जाती है और प्राथमिक संपर्क व्यक्ति की ईमेल आईडी (जो साइन अप के समय भरी जाती है) पर भेजी जाती है। उक्त फ़ॉर्म पर इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक/कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और मुहर लगा होना चाहिए तथा insta.vote@linkintime.co.in पर भेजा जाना चाहिए।

ङ) इसके बाद, लॉगइन क्रेडेंशियल (यूजर आईडी; संगठन आईडी; पासवर्ड) प्राथमिक संपर्क व्यक्ति की ईमेल आईडी पर भेजे जाते हैं (आप अब इंस्टावोट पर पंजीकृत हो गए हैं)।

चरण 2 – निवेशक मानचित्रण

क) यूआरएल: https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ और इंस्टावोट लॉगइन क्रेडेंशियल के साथ लॉगइन करें।

ख) मेनू सेक्शन के अंतर्गत "इन्वेस्टर मैपिंग" टैब पर क्लिक करें।

ग) निम्नलिखित विवरण के साथ निवेशक का मानचित्रण :

- 'निवेशक आईडी' –
  - i. एनएसडीएल डीमैट खाता – यूजर आईडी 8 अक्षरों की डीपी आईडी है जिसके बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है, यानी IN00000012345678
  - ii. सीडीएसएल डीमैट खाता – यूजर आईडी 16 अंकों की लाभार्थी आईडी है।
- निवेशक का नाम – डीपी के साथ अपडेट किए गए अनुसार निवेशक का नाम दर्ज करें।
- 'निवेशक पैन' – अपना 10 अंकों का पैन दर्ज करें।
- 'पावर ऑफ अटॉर्नी' – बोर्ड का प्रस्ताव या पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।*

*बोर्ड के प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए फ़ाइल का नाम –डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी होगा। इसके अतिरिक्त, कस्टोडियन और म्यूचुअल फंड भी नमूना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

घ) सबमिट बटन पर क्लिक करें। (निवेशक का अब कस्टोडियन/निगमित निकाय/म्यूचुअल फंड इकाई के साथ मानचित्रण किया गया है)। इसे "रिपोर्ट सेक्शन" के अंतर्गत देखा जा सकता है।

चरण 3 - इंस्टावोट के ज़रिए प्रस्ताव पर वोट करने के चरण

निगमित शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, निम्नलिखित पद्धति में से किसी भी पद्धति से मतदान कर सकते हैं :

पद्धति 1 - वोट प्रविष्टि

क) यूआरएल: https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ और इंस्टावोट लॉगइन क्रेडेंशियल के साथ लॉगइन करें।

ख) मेनू अनुभाग के अंतर्गत "वोट एंट्री" टैब पर क्लिक करें।

ग) "ईवेंट नंबर" दर्ज करें जिसके लिए आप वोट डालना चाहते हैं।

इवेंट संख्या को इंस्टावोट के होम पेज पर "ऑन-गोइंग इवेंट्स" के अंतर्गत देखा जा सकता है।

घ) "16-अंकों वाला डीमैट खाता संख्या" दर्ज करें ।

ङ) संकल्प विवरण देखें और अपना इच्छित विकल्प 'पक्ष/विरुद्ध' चुनकर अपना वोट डालें (यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'व्यू रेज़ोलुशन' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें)।

च) इच्छित विकल्प यानी पक्ष/विरुद्ध चुनने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें।

एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'यस' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, 'नो' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।

अथवा

पद्धति 2 - वोट अपलोड करें

क) यूआरएल: https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ और इंस्टावोट लॉगइन क्रेडेंशियल के साथ लॉगइन करें।

ख) सफलतापूर्वक लॉगइन के बाद, आप "नोटिफिकेशन फॉर ई-वोटिंग" देख पाएंगे।

ग) "कंपनी का नाम/ईवेंट नंबर" के लिए "व्यू" आइकन सेलेक्ट करें।

घ) ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा।

ङ) "डाउनलोड सैंपल वोट फ़ाइल" टैब से सैंपल वोट फ़ाइल डाउनलोड करें।

च) सैंपल वोट फ़ाइल में अपना पसंदीदा विकल्प 'पक्ष/विपक्ष' चुनकर अपना वोट डालें और "अपलोड वोट फ़ाइल" विकल्प के तहत उसे अपलोड करें।

छ) 'सबमिट' पर क्लिक करें। 'डेटा सफलतापूर्वक अपलोड हो गया' संदेश प्रदर्शित होगा।

(एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपना वोट डाल देते हैं, तो आपको बाद में इसे संशोधित या बदलने की अनुमति नहीं होगी)।

हेल्पडेस्क :

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक :

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वे enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर इंस्टावोट हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष : 022 – 4918 6000 पर संपर्क कर सकते हैं।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक :

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक निक्षेपागार यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क का विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या निःशुल्क संख्या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

पासवर्ड भूल गए

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक:

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक अपना यूजर आईडी [लॉगइन आईडी] या पासवर्ड या दोनों भूल गए हैं, तो शेयरधारक https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध "फॉरगॉट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

- 'शेयर होल्डर' टैब के अंतर्गत **"लॉगइन"** पर क्लिक करें।
- **"फॉरगॉट पासवर्ड?"** पर क्लिक करें
- यूजर आईडी दर्ज करें, मोड चुनें और इमेज वेरिफिकेशन कोड (कैप्चा) दर्ज करें।
- "सबमिट" पर क्लिक करें।

यदि शेयरधारकों के पास वैध ईमेल पता है, तो पासवर्ड उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा। शेयरधारक सुरक्षा प्रश्न और उत्तर, पैन, डीओबी/डीओआई, बैंक खाता संख्या (अंतिम चार अंक) आदि के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करके अपनी पसंद का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, जिसमें से कम से कम एक विशेष अक्षर (!#$&), कम से कम एक अंक, कम से कम एक वर्णमाला और कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए।*

एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक पासवर्ड भूल गए हैं

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक यूजर आईडी [लॉगइन आईडी] या पासवर्ड या दोनों भूल गए हैं, तो शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर उल्लिखित निक्षेपागार/निक्षेपागार सहभागियों की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

- ❖ यह कठोर रूप से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

- ❖ मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक/सदस्य किसी विशेष "इवेंट" के लिए संकल्प(पों) पर मतदान करने तक वे कितनी भी बार लॉगइन कर सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के अनुदेश

निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22.09.2025 के अनुसार, कंपनियाँ मौजूदा प्रक्रियागत ज़रूरतों के अनुसार वीसी या ओएवीएम के ज़रिए एजीएम आयोजित करना जारी रख सकती हैं। ये छूट अगले आदेश तक लागू रहेंगी।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे इंस्टामीट सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करें।

इंस्टामीट के जरिए आम बैठक में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए लॉगइन पद्धति :

क) यूआरएल: https://instameet.in.mpms.mufg.com पर जाएँऔर "लॉगइन" पर क्लिक करें।

ख) "कंपनी का नाम" सेलेक्ट करें और अपने निम्नलिखित विवरणों के साथ पंजीकरण करें :

ग) चेकबॉक्स - डीमैट अकाउंट संख्या / फोलियो संख्या / पैन सेलेक्ट करें।

- एनएसडीएल/सीडीएसएल डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारक चेक बॉक्स - डीमैट खाता संख्या सेलेक्ट करेंगे और 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या प्रदान करेंगे।
- शेयरधारक को चेक बॉक्स -पैन सेलेक्ट करना होगा और 10-अंकों का स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करना होगा। जिन शेयरधारकों ने निक्षेपागार सहभागियों (डीपी) या कंपनी के पास अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उन्हें एमयूएफजी इनटाइम द्वारा दिए गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करना होगा (अगर लागू हो)।
- मोबाइल संख्या : डीपी के साथ अपडेट किया गया मोबाइल संख्या स्वचालित रूप से प्रदर्शित होता है। जिन शेयरधारकों ने डीपी के साथ अपना मोबाइल संख्या अपडेट नहीं किया है, वे मोबाइल संख्या दर्ज करेंगे।
- ईमेल आईडी : डीपी के साथ अपडेट किया गया ईमेल आईडी स्वचालित रूप से प्रदर्शित होता है। जिन शेयरधारकों ने डीपी के साथ अपना ईमेल आईडी अपडेट नहीं किया है, वे ईमेल आईडी दर्ज करेंगे।

घ) "गो टू मीटिंग" पर क्लिक करें

अब आप इंस्टामीट के लिए पंजीकृत हैं, और आपकी उपस्थिति मीटिंग के लिए चिह्नित की गई है।

इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक के दौरान शेयरधारकों के बोलने के लिए अनुदेश :

क) जो शेयरधारक बैठक के दौरान बोलना चाहते हैं, उन्हें कंपनी के साथ अपना अनुरोध अवश्य पंजीकृत करवाना होगा।

ख) शेयरधारकों को कंपनी द्वारा किए गए प्रावधान के आधार पर पुष्टि मिलेगी।

ग) शेयरधारकों को बैठक के लिए उपस्थिति दर्ज करने के बाद "स्पीकिंग सीरियल नंबर" प्राप्त होगा। कृपया स्पीकिंग सीरियल संख्या याद रखें और अपने डिवाइस के वीडियो मोड और ऑडियो को चालू करके पैनलिस्ट के साथ अपनी बातचीत शुरू करें।

घ) अन्य शेयरधारक जिन्होंने "स्पीकर शेयरहोल्डर" के रूप में पंजीकरण नहीं किया है, वे अभी भी बैठक के दौरान सक्रिय चैट-बोर्ड के माध्यम से पैनलिस्ट से प्रश्न पूछ सकते हैं।

**शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे तभी बोलें जब बैठक/प्रबंधन के मॉडरेटर बोलने के लिए नाम और सीरियल संख्या की घोषणा करेंगे।*

इंस्टामीट के जरिए आम बैठक के दौरान वोट डालने हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश :

बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सक्रिय होने के बाद, जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे निम्नानुसार वोट डाल सकते हैं:

क) शेयरधारक वीसी पेज पर, "कास्ट योर वोट" लिंक पर क्लिक करें।

ख) इंस्टामीट के लिए पंजीकरण के दौरान प्राप्त अपना 16 अंकों का डीमैट खाता नंबर/फोलियो संख्या और ओटीपी (पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्राप्त) दर्ज करें।

ग) 'सबमिट' पर क्लिक करें।

घ) सफलतापूर्वक लॉगइन के बाद, आपको "रेज़ोलुशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसी के तहत वोटिंग के लिए "पक्ष/विपक्ष" विकल्प दिखाई देगा।

ङ) अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प यानी "पक्ष/विपक्ष" का चयन करके अपना वोट डालें। 'पक्ष/विपक्ष' के अंतर्गत विच्छेद तिथि पर शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाती है) दर्ज करें।

च) अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प यानी पक्ष/विपक्ष का चयन करने के बाद और आपने वोट देने का फैसला कर लिया है, तो "सेव" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "कन्फर्म" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "बैक" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें। एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको बाद में अपना वोट संशोधित या बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट:

शेयरधारक/सदस्य, जो इंस्टामीट सुविधा के माध्यम से आम बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट डालने के पात्र होंगे।

शेयरधारक/सदस्य जिन्होंने आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है, वे इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक में उपस्थित होने/भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे बैठक के दौरान फिर से वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

शेयरधारकों/सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए ब्रॉडबैंड से जुड़े हुए टैबलेट/लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

शेयरधारकों/सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए अच्छी गति (अधिमानतः 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्ट्रीम) के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक है।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप के माध्यम से शेयरधारक/सदस्य अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/विज़ुअल हानि का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की उपर्युक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

हेल्पडेस्क :

लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक instameet@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर इंस्टामीट हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष : 022 – 4918 6000 / 4918 6175 पर संपर्क कर सकते हैं।

जानकारी एक नज़र में

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरे
1	एजीएम की तारीख	मंगलवार, 29 सितम्बर, 2026 दोपहर 12.00 बजे (भा.मा.स.)
2	आयोजन की पद्धति	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज़ुअल साधनों ("ओएवीएम")
3	एजीएम की सूचना भेजने हेतु कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026
4	अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि	शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2026
5	रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, 22 सितम्बर, 2026
6	ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख एवं समय	शनिवार, 26 सितम्बर, 2026 सुबह 09.00 बजे
7	ई-वोटिंग समाप्त होने की तारीख एवं समय	सोमवार, 28 सितम्बर, 2026 अपराह्न 05.00 बजे
8	अंतिम लाभांश के भुगतान की तारीख	घोषणा के 30 (तीस) दिनों के अंदर
9	केवाईसी विवरण का अद्यतन	अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपनी केवाईसी का विवरण (जैसे कि पैन, बैंक का विवरण, फ़ोन नंबर, ई-मेल आईडी,आदि) अपडेट करवाएं और आपके डीपी द्वारा यथोचित प्रमाणित अपडेट की गई क्लाइंट मास्टर लिस्ट ("सीएमएल") की स्व-अभिप्रमाणित प्रति ईमेल के ज़रिए हमारे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर भेजें। केवाईसी जानकारी अपडेट करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपको कंपनी की ओर से समय-समय पर जारी सभी सूचनाएं/जानकारी और लाभांश भुगतान (अगर कोई हो) मिलते रहें।
10	टीडीएस छूट फ़ॉर्म शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को या उससे पहले https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html पर जमा करना होगा।	

****

निदेशकों का संक्षिप्त परिचय



डॉ. बिजय कुमार महान्ती (डीआईएन: 08816532)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक(अतिरिक्त प्रभार); निदेशक (वित्त) व मु.वि.अ.

डॉ. बिजय कुमार महान्ती को 1 जुलाई, 2026 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आप 12 अक्टूबर, 2023 से कंपनी के निदेशक (वित्त) के तौर पर काम कर रहे हैं और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का पद भी संभाल रहे हैं। आप इरेडा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।

आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं। आपके पास वाणिज्य में स्नातक की डिग्री और वाणिज्य, दर्शनशास्त्र और लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री है। आपके पास विधि में स्नातक और वाणिज्य में डॉक्टरेट ऑफ़ फिलोसॉफी की उपाधि भी है।

आप के पास भारतीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है और आप के पास वित्त, लेखा, ट्रेज़री, परियोजना मूल्यांकन, परियोजना निष्पादन और प्रबंधन, वाणिज्य और कानूनी कार्यों का अनुभव है।

इरेडा में शामिल होने से पहले, डॉ. महान्ती ने आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) में स्मार्ट मीटरिंग मंडल का नेतृत्व किया और आरईसी लिमिटेड में वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) के रूप में काम किया है। आरईसी में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा के मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में भी काम किया है तथा आपने एफएसीओआर पावर लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला।

आपने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली प्रत्येक घर योजना (सौभाग्य) को लागू करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन योजनाओं का उद्देश्य प्रत्येक घर तक बिजली पहुँचाना और सभी घरों का विद्युतीकरण करना था।

इससे पहले, आप ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ़ ओडिशा लिमिटेड (सीईएससीओ) और ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ ओडिशा लिमिटेड (जीआरआईडीसीओ) के साथ काम किया।



श्री पदम लाल नेगी (डीआईएन: 10041387)

सरकार नामित निदेशक

श्री पदम लाल नेगी आपकी कंपनी के सरकार नामित निदेशक हैं। आप वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं और आपके पास भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार भी है। आपके पास पंजाब विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की डिग्री और राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र में मास्टर की डिग्री है। आपके पास प्रशासन में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग में 1992 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। इस पद को संभालने से पहले, आपने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्तीय सलाहकार (सीमा सड़कें) के रूप में काम किया। आपने, अन्य के साथ-साथ, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में निदेशक तथा अंडमान एवं निकोबार कमान के एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में भी विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यभार संभाला है।

निदेशकों का संक्षिप्त परिचय



श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम (डीआईएन: 07935156)

सरकार नामित निदेशक

श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम कंपनी के सरकार नामित निदेशक हैं। आप एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और आपके पास केंद्र और राज्य सरकारों में नवीकरणीय ऊर्जा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, औद्योगिक और संरचना संवर्धन, स्वास्थ्य प्रणाली और अभिशासन सुधारों के क्षेत्रों में 18 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है। आप वर्तमान में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यसूची में योगदान दे रहे हैं। अपनी मौजूदा भूमिका से पहले, आप ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक के तौर पर काम किया, जहाँ आप ने वित्तीय बाज़ार नीति और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध को संभाला। आप ने राज्य-स्तर पर भी प्रमुख नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक; उद्योग आयुक्त, एपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ; नेशनल हेल्थ मिशन, असम के मिशन निदेशक और उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट, गोआलपाड़ा, असम शामिल हैं।

आप एक सनदी लेखाकार और लागत लेखाकार (पूरे भारत में पहला स्थान) हैं। आपके पास वाणिज्य में स्नातक डिग्री और पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स (एमपीपी) डिग्री है, साथ ही आप ने किंग्स कॉलेज लंदन से लीडरशिप में चेवेनिंग गुरुकुल फेलोशिप भी प्राप्त की है।

आपको जन सेवा, नवाचार और अभिशासन में उत्कृष्टता के लिए कई राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। साथ ही, भारत सरकार की ओर से सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में बेहतरीन तौर-तरीकों और नवाचार के लिए पुरस्कार; जन सेवा और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए कई मुख्यमंत्री पुरस्कार; और ज़िला-स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए कायाकल्प पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।



श्री मनोनीत दलाल (डीआईएन: 10059661)

स्वतंत्र निदेशक

श्री मनोनीत दलाल कंपनी के गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। आप एक कानूनी और वित्तीय पेशेवर हैं एवं आपके पास कराधान, वित्तीय परामर्श, कानूनी सलाह, लोक प्रशासन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु से एलएल.एम. और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बी.ए., एलएल. बी. (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की है।

आप हेक्सा एडवाइजर्स लिमिटेड के निदेशक भी हैं, जो वित्तीय मॉडलिंग, मूल्यांकन और क्रॉस-बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन एडवाइजरी पर केंद्रित एक विशेष सलाहकार फर्म है। इससे पहले आप डेलॉयट हैस्किन्स एंड सेल्स और अर्न्स्ट एंड यंग जैसी कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं।

आप ने सार्वजनिक नीति अनुसंधान में योगदान दिया है और कराधान तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक कानून पर किताबें और शोध पत्र लिखे हैं।

अध्यक्ष महोदय का संदेश



प्रिय हितधारक,

जैसे-जैसे दुनिया स्थिरता की ओर अपना रुझान तेजी से बढ़ा रही है, आपकी कंपनी अग्रणी बनी हुई है - उद्देश्य के साथ परिवर्तन का नेतृत्व करते हुए, अवसरों का लाभ उठाते हुए और हरित भविष्य को आकार देते हुए।

अपनी 39वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए, हम सिर्फ़ एक वर्ष के कार्यनिष्पादन पर ही नज़र नहीं डाल रहे हैं; बल्कि हम इस प्रगति को एक व्यापक सफ़र का हिस्सा मान रहे हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के हमारे स्थायी मिशन पर आधारित है। इस प्रगति के महत्व को पूरी तरह समझने के लिए, हम इसे एक बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिकोण से देखें, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता, विकसित होती नीतियों, तकनीकी विकास और जलवायु की प्राथमिकताओं से प्रेरित हमारे उद्योग के आयामों को लगातार नया आकार दे रही है।

<u>वैश्विक हरित वित्तपोषण परिदृश्य</u>

ब्लूमबर्ग एनईएफ के अनुसार, वर्ष 2025 में कम-कार्बन वाली ऊर्जा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए वैश्विक निवेश अभूतपूर्व स्तर पर पहुँचकर 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वर्ष 2024 की तुलना में 8% की वृद्धि को दर्शाता है। यह उपलब्धि व्यापारिक बाधाओं और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद वैश्विक ऊर्जा बदलाव की मज़बूती को दर्शाती है। इसमें विद्तीकृत परिवहन सबसे आगे रहा, जिसमें 893 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ; इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा 690 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पावर ग्रिड 483 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्थान रहा। इससे पता चलता है कि अब ध्यान सिर्फ़ बिजली बनाने वाले साधनों से हटकर व्यापक बदलाव की ओर जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में सौर ऊर्जा मुख्य आधार बनी रही, जबकि निवेश के दायरे में ग्रिड, स्टोरेज, इलेक्ट्रिफाइड हीट और अन्य सहायक तकनीकों का महत्व भी बढ़ रहा है।

इस निवेश के परिणामस्वरूप ज़मीनी स्तर पर रिकॉर्ड प्रगति हुई। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (आईआरईएनए) ने बताया कि वर्ष 2025 में दुनिया भर में 692 गीगावाट नवीकरणीय विद्त क्षमता जोड़ी गई; यह इतिहास में वार्षिक बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आंकड़ा और अब तक की सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। इससे वर्ष के अंत तक कुल स्थापित नवीकरणीय क्षमता 5,149 गीगावाट हो गई। सौर पीवी की हिस्सेदारी नई जोड़ी गई क्षमता का लगभग तीन-चौथाई रही, जिसमें 511 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई; इसके बाद पवन ऊर्जा का संख्या रहा, जिसमें 159 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर, सौर और पवन ऊर्जा का हिस्सा सभी निवल नवीकरणीय क्षमता वृद्धि का 96.8% था। इस विस्तार में एशिया सबसे आगे रहा, जिससे यह बात साफ़ होती है कि नवीकरणीय क्षमता में बढ़ोतरी का ज़्यादातर हिस्सा उभरते और तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों में ही केंद्रित है।

इस तेज़ी को कई अहम चीज़ों ने बढ़ावा दिया। तीन वर्ष की गिरावट के बाद क्लाइमेट-टेक इक्विटी वित्तपोषण में 53% की बढ़ोतरी के साथ नियोजन, आपूर्ति कड़ी, इक्विटी और ऋण बाजार में वित्तपोषण का दायरा बढ़ा है; और ऊर्जा परिवर्तन के लिए जारी ऋण की राशि 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई है। हरित वित्तीय साधन, जिसमें परियोजना का ऋण, सरकारी बॉण्ड जारी करना, ईएसजी से जुड़ा हुआ ऋण और मिश्रित वित्तीय प्लेटफॉर्म शामिल हैं, बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाने का काम जारी रहा, भले ही पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता, व्यापार प्रतिबन्ध और पारेषण की तैयारी जैसे विषय काम को पूरा करने के लिए अहम बने रहे।

वर्ष 2024-2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की अध्यक्षता का भारत के पास बने रहना, वैश्विक सौर सहयोग का एक अहम स्तंभ है। अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित आईएसए असेंबली के आठवें सत्र में 120 से ज़्यादा सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के प्रतिनिधि एक साथ आए। इसका मकसद प्रगति की समीक्षा करना, निवेश के नए अवसर खोलना, क्षमताओं को मज़बूत करना और सभी के लिए किफायती सौर ऊर्जा के प्रसार को गति देना। सौर निवेश, क्षमता निर्माण, सर्कुलेरिटी और ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग पर केंद्रित पहलों ने सौर-ऊर्जा आधारित जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने में भारत की अहम भूमिका को और मज़बूत किया।

नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 में, भारत ने 'साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं' के सिद्धांतों पर आधारित इक्विटी, जलवायु न्याय और किफायती जलवायु कार्रवाई के लिए एक मज़बूत आवाज़ के तौर पर अपनी स्थिति को फिर से दोहराया।

सम्मेलन की मुख्य बातें इस प्रकार थीं :

- बेलेम पैकेज / वैश्विक सहयोग को अपनाना, जिससे कार्यान्वयन, न्याय संगतता और बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना।
- वर्ष 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापक सार्वजनिक और निजी जलवायु वित्त जुटाने के लिए नए सिरे से प्रयास करना।
- रियायती और अनुदान-आधारित वित्तपोषण को बढ़ाकर विकासशील देशों को ज़्यादा मदद देना।
- असुरक्षित विकासशील देशों पर खास ज़ोर देते हुए अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता में भारी वृद्धि की मांग, जिसे वर्ष 2035 तक तीन गुना करना शामिल है।

भू-राजनीतिक तनावों, व्यापार प्रतिबंधों और जलवायु वित्त से जुड़ी वार्ताओं के बीच वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है। इन बाधाओं ने नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कड़ी को प्रभावित किया है और बाज़ार में उतार-चढ़ाव बढ़ा दिया है। फिर भी, बहुपक्षीय जलवायु वित्तपोषण में तेज़ी आ रही है। सीओपी के फैसलों में विकासशील देशों के लिए वित्तपोषण बढ़ाने, अनुकूलन सहायता को मज़बूत करने और बहुत बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी पूंजी जुटाने पर ध्यान दिया गया है।

वर्तमान परिवेश में, आपकी कंपनी वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को रणनीतिक रूप से मज़बूत कर रही है- इसके लिए वह बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों को और सुदृढ़ करते हुए विदेशी मुद्रा में वित्तपोषण के लिए गिफ्ट सिटी का इस्तेमाल कर रही है, और अपने ग्रीन फाइनेंस के लक्ष्य को अंतरराष्ट्रीय क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क के साथ जोड़ रही है। ये प्रयास लचीलेपन को बढ़ाते हैं, सीमा-पार पूंजी तक पहुँच का दायरा बढ़ाते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक केंद्रित वित्तपोषक के तौर पर आपकी कंपनी की भूमिका को सुदृढ़ करते हैं।

हालांकि वर्ष 2025 में ऐतिहासिक बढ़त देखने को मिली, लेकिन आगे के रास्ते के लिए अभी और भी बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। आईईए के अनुसार, 'नेट ज़ीरो' के रास्ते पर बने रहने के लिए, वर्ष 2030 के शुरुआत तक स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को प्रति वर्ष लगभग 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना होगा। इस बीच, ब्लूमबर्ग एनईएफ के ताज़ा अनुमान के अनुसार, वर्ष 2026-2030 के दौरान अपने 'बेस-केस इकोनॉमिक ट्रांज़िशन सिनेरियो' के अधीन ऊर्जा परिवर्तन में प्रति वर्ष औसतन 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का अनुमान है। आपकी कंपनी जैसे हरित वित्तपोषण संस्थान, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, ग्रिड-सक्षम संरचना और सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता जैसे बड़े प्रभाव वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी के प्रवाह को निर्देशित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इससे एक ऐसे बदलाव को बढ़ावा मिलेगा जो तेज़, न्यायपूर्ण और मज़बूत हो।

भारत का हरित वित्तपोषण परिदृश्य

इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (आईआरईएनए) की 2026 ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार, भारत अब कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (सिर्फ़ चीन और अमेरिका के बाद) में दुनिया में तीसरे, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी ट्रांज़िशन (ऊर्जा बदलाव) में से एक पर काम कर रहा है। इसके तहत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की नॉन-फॉसिल ईंधन क्षमता और वर्ष 2047 तक 1,800 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का संकल्प लिया है। यह बदलाव न केवल जलवायु संबंधी ज़रूरतों के प्रति एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है, बल्कि भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था का रणनीतिक रूप से नया तालमेल भी है—जो देश को स्वच्छ ऊर्जा नवाचार, मज़बूती और निरंतर विकास के मामले में एक वैश्विक लीडर के तौर पर स्थापित करता है।

वित्त वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) के अंत में, भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जिसमें बड़ी पन बिजली भी शामिल है, 274.69 गीगावाट तक पहुंच गई, जिसमें सौर क्षमता 150.26 गीगावाट और पवन क्षमता 56.09 गीगावाट है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, भारत ने रिकॉर्ड 54.59 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जबकि कुल गैर-जीवाश्म क्षमता वृद्धि 55.29 गीगावाट रही, जो अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है और मजबूत नीतिगत, त्वरित परियोजना निष्पादन और बढ़ते निवेशक विश्वास को दर्शाती है। सौर ऊर्जा क्षेत्र की वार्षिक क्षमता में अब तक की सबसे ज़्यादा 44.61 गीगावाट की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें से संवितरित सौर ऊर्जा का योगदान 16.31 गीगावाट रहा, जबकि सी एंड आई क्षेत्र (जिसमें कैप्टिव प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं) ने सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 15 गीगावाट का योगदान दिया। इस वर्ष पवन ऊर्जा क्षमता में भी 6.05 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त, 29 जुलाई 2025 को भारत की बिजली की 51.5% मांग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी हुई, जो देश की विद्त प्रणाली में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 26 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में कई महत्वपूर्ण नीतिगत और क्षेत्र से जुडी उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की गयीं :

- **केंद्रीय बजट आवंटन:** वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को रिकॉर्ड ₹32,914.67 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि पिछले बजट में यह राशि ₹26,549.38 करोड़ थी। इसमें सबसे ज़्यादा आवंटन पीएम सूर्य घर, पीएम-कुसुम, सौर, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रिड-सक्षम बुनियादी ढांचे के लिए किया गया।
- **आत्मनिर्भर भारत:** भारत ने घरेलू स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उपकरणों के निर्माण में बड़ी बढ़ोतरी हासिल की है। सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता वर्ष 2014 में 2.3 गीगावाट से बढ़कर 31 मार्च, 2026 तक लगभग 172 गीगावाट हो गई है, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बन गया है। इस प्रगति को उच्च-क्षमता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम, एएलएमएम की ज़रूरतों और स्थानीयकरण पर केंद्रित नीति उपायों से मदद मिली, जिससे सौर ऊर्जा मूल्य कड़ी में घरेलू स्तर पर मूल्य संयोजन मज़बूत हुआ।
- **स्वच्छ ऊर्जा पहुँच सभी के लिए:**
  - **पीएम सूर्य घर:** 'मुफ़्त बिजली योजना' तेज़ी से आगे बढ़ी है। पीएमएसजी के तहत अब तक 34.3 लाख स्थापना हो चुके हैं, जिनमें से अकेले वित्त वर्ष 26 में 22.7 लाख घरों को फ़ायदा पहुँचा है। इससे घरों में सौर ऊर्जा अपनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया है। वित्त वर्ष 26 में, रूफ-टॉप सोलर ने 8.7 गीगावाट की नई विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय क्षमता में योगदान दिया, जिससे घरों में बिजली का खर्च कम हुआ और ऊर्जा परिवर्तन अधिक समावेशी, जन-केंद्रित और न्यायसंगत बना।
  - **पीएम-कुसुम** योजना ने भारत के कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित करना जारी रखा। वित्त वर्ष 2026 के दौरान पीएम-कुसुम के अधीन 7,672.35 मेगावाट की क्षमता जोड़ी गई, जिससे कुल स्थापित क्षमता 13,111.87 मेगावाट हो गई, जबकि इस वर्ष 13.94 लाख पंप लगाए गए या उन्हें सौर-ऊर्जा से चलाया गया। इसने विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बड़े पैमाने पर किसानों की क्षमता बढ़ाने, कृषि क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद की।
- **ग्रीन हाइड्रोजन व व्युत्पन्नी अपनाने का दायरा बढ़ाना:** भारत का ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र अब सिर्फ़ एक सोच से आगे बढ़कर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, जो उद्योग में कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 'नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' के तहत, हर वर्ष 3,000 मेगावाट की इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण क्षमता और 8.62 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की क्षमता के लिए अनुबंध दिए गए हैं। साथ ही, रिफाइनरियों के लिए प्रत्येक वर्ष 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और आपूर्ति करने की क्षमता के लिए भी अनुबंध दिए गए हैं। उर्वरक इकाइयों को प्रत्येक वर्ष 7.24 लाख टन ग्रीन अमोनिया आपूर्ति करने के लिए कीमतें भी निर्धारित हो गई हैं, जिससे भारत ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन इकॉनमी में एक उभरते हुए अग्रणी के तौर पर स्थापित हो रहा है।

इस प्रकार, भारत का हरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से बढ़ रहा है, जो स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, कार्बन मुक्त औद्योगिकीकरण और समावेशी ऊर्जा पहुँच में भारत को वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरने का संकेत देता है।

इरेडा के वित्तीय और परिचालनगत कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें

➢ मजबूत व्यावसायिक वृद्धि और लाभप्रदता

वित्त वर्ष 26 में, आपकी कंपनी ने अब तक का सबसे अधिक वार्षिक ऋण पुस्तिका, संस्वीकृति, संवितरण, लाभ और निवल मूल्य हासिल किया।

नीचे दिए गए आंकड़े इस असाधारण कार्यनिष्पादन को दर्शाता है:

- **सकल ऋण पुस्तिका:** वित्त वर्ष 26 में ₹93,069 करोड़, जबकि वित्त वर्ष 25 में यह ₹76,282 करोड़ थी (22% तक की वृद्धि)
- **ऋण संस्वीकृति:** वित्त वर्ष 26 में ₹51,883 करोड़, जबकि वित्त वर्ष 25 में यह ₹47,453 करोड़ थी (9% तक की वृद्धि)
- **ऋण संवितरण:** वित्त वर्ष 26 में ₹34,946 करोड़, जबकि वित्त वर्ष 25 में यह ₹ 30,168 करोड़ था (16% तक की वृद्धि)
- **कर पश्चात लाभ:** वित्त वर्ष 26 में ₹1,873 करोड़, जबकि वित्त वर्ष 25 में यह ₹ 1,699 करोड़ था (10% तक की वृद्धि)
- **निवल मूल्य:** वित्त वर्ष 26 में ₹13,781 करोड़, जबकि वित्त वर्ष 25 में यह ₹ 10,266 करोड़ था (34% तक की वृद्धि)
- **निवल एनपीए:** काफ़ी बड़े ऋण पुस्तिका पर वित्त वर्ष 25 में 1.35% के मुकाबले वित्त वर्ष 26 में घटकर 1.29% हो गया (6 बीपीएस की कमी)।

एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर, आपकी कंपनी ने सूचीबद्धता के बाद पहली बार लाभांश की घोषणा की। यह एक सूचीबद्ध संस्थान के तौर पर कंपनी के सफर का एक खास पल है और शेयरधारकों के लिए लगातार मूल्य बढ़ाने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दोहराता है।

31 मार्च 2026 तक, आपकी कंपनी ने संचयी रूप से ₹2,89,799 करोड़ संस्वीकृत किए हैं और संचयी रूप से ₹1,90,030 करोड़ संवितरित किए हैं।

➢ **प्रमुख कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें**

मज़बूत वित्तीय नतीजों के अलावा, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के दौरान कई रणनीतिक उपलब्धियां हासिल कीं। नीचे दी गई मुख्य बातें भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में इसके निरंतर नेतृत्व, अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था के तौर पर इसके उभरने और अभिशासन, समावेशिता और उत्कृष्टता के प्रति इसकी लगातार प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

- **सॉवरेन-ग्रेड इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग**

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने आपकी कंपनी की इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करके बीबीबी (स्थिर) कर दिया है। यह रेटिंग सॉवरेन-ग्रेड की है और भारत के लिए एस एंड पी की रेटिंग के बराबर है। इससे आपकी कंपनी की मज़बूत वित्तीय स्थिति की पुष्टि होती है, भरोसेमंद वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन वित्तपोषकों के बीच इसकी साख मज़बूत होती है, और प्रतिस्पर्धी लागत पर वैश्विक स्तर पर ग्रीन कैपिटल हासिल करने की इसकी क्षमता बढ़ती है। अपनी इंटरनेशनल संरचना की मज़बूती को दिखाते हुए, गिफ्ट सिटी में आपकी कंपनी की सहायक कंपनी आईएफएससी ने सीएआरई से बीबीबी+ (स्थिर) की इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग हासिल की। यह रेटिंग सॉवरेन-ग्रेड की है और भारत के लिए सीएआरई की रेटिंग के बराबर है, जिससे उस प्लेटफ़ॉर्म की विश्वसनीयता और पुख्ता होती है जिसके माध्यम से आपकी कंपनी विदेशी मुद्रा हरित वित्त प्रदान करती है।

- **पूँजी आधार को सुदृढ़ करना**

इस साल, आपकी कंपनी ने ₹2,005.90 करोड़ के सफल 'क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट' (क्यूआईपी) के ज़रिए अपनी पूंजी स्थिति को काफी सुदृढ़ किया। इसमें जाने-माने घरेलू और विदेशी निवेशकों ने हिस्सा लिया। साथ ही, अपनी पूंजी पर्याप्तता को और सुदृढ़ करने के लिए ₹453 करोड़ के स्थायी ऋण साधन (पीडीआई) भी जारी किए गए। आपकी कंपनी ने एसएमबीसी से 28 बिलियन जापानी येन का बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) प्राप्त करके अपने वित्तपोषण आधार को और भी विविधतापूर्ण बनाया है, जिससे उसे कम लागत वाले अंतरराष्ट्रीय ऋण तक बेहतर पहुँच मिली है। ये सभी घटनाक्रम मिलकर आपकी कंपनी की विकास की गति और समझदारी भरे पूँजी प्रबंधन में निवेशकों के निरंतर बने हुए भरोसे को दर्शाते हैं।

- **गिफ़्ट सिटी के ज़रिए वैश्विक पहुँच बढ़ाना**

आपकी कंपनी की सहायक कंपनी ने ज़ाम्बिया में 100 एमडब्ल्यूएसी (125.20 एमडब्ल्यूडीसी) के सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट के लिए 22.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अपना पहला विदेशी ऋण मंज़ूर किया और विदेशी मुद्रा में ऋण लेकर 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, इस सुविधा के तहत पहली बार रकम जारी की गई। इससे आपकी कंपनी घरेलू वित्तपोषक से बदलकर एक ऐसी संस्था बन गई है जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी-खासी पहुँच है और जो 'ग्लोबल साउथ' में हरित पूँजी पहुँचा सकती है।

- **भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के तहत "उत्कृष्ट" रेटिंग**

आपकी कंपनी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के क्रम को बनाए रखा है और वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 25 तक लगातार पांच वर्षों के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग हासिल की है। वित्त वर्ष 26 के लिए समझौता ज्ञापन रेटिंग अभी भारत सरकार से मिलनी बाकी है; हालाँकि, वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों को लगातार पूरा करने का आपकी कंपनी का कार्य-निष्पादन, सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ाने के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **उत्कृष्टता और समावेशिता के लिए सम्मान**

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन, नेतृत्व और संस्थागत संस्कृति को बाह्य स्तर पर विशेष पहचान मिली। वित्त वर्ष 26 में, 4 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स द्वारा आयोजित 'छठे ग्रीन ऊर्जा एंड एनर्जी एफिशिएंसी अवार्ड्स' में आपकी कंपनी को 'एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वीमेन इन ग्रीन एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी' श्रेणी में रजत पुरस्कार दिया गया।

➢ **<u>मुख्य परिचालनगत पहलें शुरू की गईं</u>**

वित्त वर्ष 26 के दौरान, आपकी कंपनी ने परिचालनगत, संस्थागत और समुदाय से जुड़ी कई पहलें आगे बढ़ाईं, जिनसे उसकी नींव मजबूत हुई और भारत के ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम में उसका नेतृत्व और मजबूत हुआ।

- **इरेडा बॉण्ड्स के लिए सेक्शन 54ईसी के अधीन कर लाभ की स्थिति**

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर, इरेडा बॉण्ड्स को आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के अधीन पूंजीगत लाभ कर में छूट के लिए योग्य माना गया। इस स्थिति से निवेशकों की एक नई श्रेणी तक आपकी कंपनी की पहुँच बढ़ती है और भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए कम लागत पर कोष जुटाने में मदद मिलती है।

- **मुख्य क्षेत्रों के परे नेतृत्व को सुदृढ़ करना**

आपकी कंपनी ने अपनी परियोजना, वित्त और लेखा-परीक्षा कार्यों में प्रमुख नियुक्तियों के ज़रिए अपने नेतृत्व दल को सुदृढ़ किया है। इससे कंपनी की बढ़ती क्षमता और जटिल होते पोर्टफोलियो के साथ-साथ उसकी संस्थागत क्षमता और अभिशासन भी बेहतर हुई है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने उत्पत्ति पर ऋण मूल्यांकन को तेज करने के लिए एक नई इकाई मूल्यांकन प्रभाग का गठन किया है, और समय पर निगरानी, समाधान और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली के लिए एक नए तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन प्रभाग का गठन किया है।

- **डिजिटल बदलाव और आईटी पहलों को आगे बढ़ाना**

आपकी कंपनी ने तेज़ी से बढ़ रहे संस्थान के कामकाज के मुख्य आधार को सुदृढ़ करने के लिए कई डिजिटल और आईटी पहलों की शुरूआत की। जुलाई 2026 में प्रोफिन पोर्टल की शुरुआत ऋण लेने और उसकी प्रसंस्करण की प्रक्रिया को सीधे और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इससे काम पूरा होने में लगने वाला समय घट गया और ऋण लेने की पूरी प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों का अनुभव बेहतर हुआ। डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और वर्कफ़्लो डिजिटलीकरण में पूरक निवेश से तेजी से निर्णय लेने, बेहतर जोखिम विश्लेषण और मजबूत नियंत्रण संभव हो रहे हैं, साथ ही एक स्केलेबल, प्रौद्योगिकी-आधारित हरित वित्तपोषण मंच की नींव रखी जा रही है।

- **हितधारकों के साथ जुड़ाव को और मजबूत करना**

आपकी कंपनी की हितधारक बैठक, अपनी विकास रणनीति को स्पष्ट रूप से बताने और ऋण लेने वालों व निवेशकों के साथ सीधे जुड़ने का एक प्रमुख मंच है। ये बैठकें पारदर्शिता, तत्परता और ग्रीन फाइनेंस के मामले में ग्राहकों को प्राथमिकता देने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को फिर से पुख्ता करती हैं।

- **सामुदायिक कार्यों के ज़रिए स्थिरता को बढ़ावा देना**

अपने हरित वित्तपोषण अभियान के तहत, आपकी कंपनी ने स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समुदाय-स्तर पर प्रभावदार बनाया। माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री, श्री श्रीपद नाइक ने गोवा की जल-आपूर्ति संरचना को सहारा देने वाले आपकी कंपनी के 45 केडब्ल्यू सोलर सीएसआर परियोजना का उद्घाटन किया।

भारत के ग्रीन सेक्टर के विकास का भावी दृष्टिकोण

भारत के हरित वित्तपोषण परिदृश्य का दायरा अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। इसे नीति में निरंतरता, क्षमता में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और क्षेत्र-विशेष उपायों का समर्थन मिल रहा है, जिनका उद्देश्य देश को कम-कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की प्रक्रिया को तेज़ करना है। नीति की दिशा अब और भी साफ़ हो गई है, जिसमें पूंजी प्रवाह के जोखिम को कम करने, उठाव की निश्चितता को सुदृढ़ करने, घरेलू निर्माण को बढ़ाने और उत्पादन, भण्डारण, गतिशीलता, पारेषण और वितरण के लिए ज़रूरी संरचना तैयार करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्य नीतिगत उपाय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण के विषय नीचे दिए गए हैं:

- **उपयोगिता पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा**

उपयोगिता पैमाने पर सौर और पवन का दृष्टिकोण, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए निर्धारित बोली प्रक्रिया, नवीकरणीय ऊर्जा खपत दायित्व (आरसीओ) ढांचा और ट्रांसमिशन-तैयारी के उपाय से निर्धारित होगा। सरकार ने वित्त वर्ष 24 से वित्त वर्ष 28 तक प्रत्येक वर्ष 50 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए बोलियां आमंत्रित करने का फैसला किया है। इसमें प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता भी शामिल होगी। इससे डेवलपर्स, डिस्कॉम और निर्माताें को भविष्य की मांग के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकेगी। अनुपालन के नज़रिए से, संशोधित आरसीओ ढांचा राज्य-स्तरीय आरपीओ लक्ष्यों को एक ही ढांचे में शामिल करता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद के लिए ऑफ़-टेक सिग्नल सुदृढ़ होता है। सीईआरसी के चौथे संशोधन नियम, 2025 जैसे सहायक उपाय जून 2028 तक शुरू होने वाले सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस छूट की व्यवस्था करते हैं। इसमें 30 जून, 2025 को या उससे पहले शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए 100% छूट और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से छूट मिलती है। यह क्षेत्र भी एक सुदृढ़ आधार के साथ इस चरण में प्रवेश कर रहा है; 31 मई, 2026 तक सौर ऊर्जा क्षमता 157.05 गीगावाट थी, जिसमें 118.79 गीगावाट ज़मीन पर लगी सौर ऊर्जा और 4.06 गीगावाट हाइब्रिड सौर ऊर्जा क्षमता शामिल थी। साथ ही, वित्त वर्ष 26 में 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता भी जोड़ी गई, जो किसी एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। अपतटीय पवन के लिए ट्रांसमिशन इंसेंटिव की अवधि लंबी है, जिसमें 31 दिसंबर, 2032 को या उससे पहले शुरू होने परियोजना के लिए पूरी छूट मिलती है।

- **रूफ़ टॉप सोलर और विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा**

रूफ़ टॉप सोलर और विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा के अगले चरण की पहचान घरेलू स्तर पर इसे अपनाने, खेती में सौर ऊर्जा के प्रयोग और डिजिटल/फाइनेंसिंग से जुड़ी सुविधाओं से होगी।

फरवरी 2024 में 75,021 करोड़ के व्यय के साथ शुरू की गई पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (पीएमएसजी:एमबीवाई) का लक्ष्य है वित्त वर्ष 2027 तक आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाना। वित्त वर्ष 2026 का आधार महत्वपूर्ण है, जिसमें संवितरित सौर ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 16.31 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई; इसमें 8.71 गीगावाट रूफ़ टॉप सोलर सौर पैनल और 7.67 गीगावाट कुसुम परियोजनाओं से प्राप्त क्षमता शामिल है, जो उस वर्ष कुल सौर ऊर्जा क्षमता में हुई बढ़ोतरी का लगभग 36% है। कुल मिलाकर रूफ़ टॉप सोलर स्थापना से 42 लाख से अधिक घरों को लाभ हुआ, जिसमें पीएमएसजी के तहत 34.3 लाख स्थापनाएं हुईं;

अकेले वित्त वर्ष 2026 में ही 22.7 लाख घरों को इसका लाभ मिला। आवासीय स्थापनाओं के लिए कई तरह की मदद दी गई, जैसे कि समपार्श्विक-मुक्त रियायती ऋण रेपो रेट + 50 बीपीस पर, आसान ऑटो-लोड में 10 केडब्ल्यू तक बढ़ोतरी, नेट-मीटरिंग प्रक्रिया को आसान बनाना और बड़े स्तर पर स्थापनाओं के लिए आरईएससीओ/यूएलए मॉडल। पीएम-कुसुम के तहत, वित्त वर्ष 26 में 7,672.35 मेगावाट की क्षमता जोड़ी गई, जिससे कुल स्थापित क्षमता 13,111.87 मेगावाट हो गई; इस दौरान 13.94 लाख पंप स्थापित या सौर ऊर्जा से चालित किए गए। इन उपायों से उम्मीद है कि संवितरित सौर ऊर्जा, प्रोग्राम-आधारित अपनाए जाने के तरीके से मुख्यधारा की ऊर्जा पहुँच, खेती में सुदृढ़ी और माँग-पक्ष की भागीदारी की ओर आगे बढ़ेगी।

• निर्माण और घरेलू मूल्य कड़ी

भारत का सौर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गया है, जो आयात पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। मार्च 2026 तक,अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ़ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स (एएलएमएम) के तहत सोलर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता लगभग 172 गीगावाट प्रति वर्ष तक पहुँच गई। एमएनआरई ने जुलाई 2025 में सोलर सेल्स के लिए एएलएमएम लिस्ट-II जारी की, जिसमें लगभग 24 गीगावाट की सोलर सेल विनिर्माण क्षमता को शामिल किया गया, जिससे पहली बार घरेलू अपस्ट्रीम मूल्य कड़ी स्थापित हुई। ₹24,000 करोड़ के परिव्यय के साथ उच्च दक्षता संपन्न पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई स्कीम के अधीन, लाभार्थियों ने वर्ष 2025 के दौरान लगभग 11 गीगावाट मॉड्यूल और लगभग 5 गीगावाट सोलर सेल निर्माण की क्षमता स्थापित की; यह 'लेटर ऑफ़ अवार्ड' के अधीन मिली कुल 48,337 मेगावाट की निर्माण क्षमता के अतिरिक्त है। एमएनआरई ने एएलएमएम ढांचे को जुलाई 2025 के एएलएमएम-पवन संशोधन और अक्टूबर 2025 में जारी की गई संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के ज़रिए,विंड टर्बाइन और उनके महत्वपूर्ण अवयवों (ब्लेड, टावर, जनरेटर, गियरबॉक्स और बेयरिंग सहित) तक भी बढ़ा दिया है। जून 2026 से शुरू होने वाले स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एएलएमएम-सूचीबद्ध सौर पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स का प्रयोग अनिवार्य करने वाली नई घरेलू सामग्री की आवश्यकता, आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयासों को और सुदृढ़ करती है और इससे स्वच्छ ऊर्जा मूल्य कड़ी में घरेलू स्तर पर मूल्य संयोजन के बढ़ने की भी उम्मीद है।

• ग्रीन हाइड्रोजन व इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण

वित्त वर्ष 30 तक 19,744 करोड़ रु. के एक परिव्यय सहित, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम)का बजट है जो अब नीति तैयार करने के चरण से आगे बढ़कर मांग पैदा करने, कीमत निर्धारित करने और संरचना विकसित करने के चरण में पहुँच गया है। मई 2025 तक, 19 कंपनियों को 8.62 लाख टीपीए की कुल वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता आवंटित की गई थी और 15 फर्मों को वार्षिक 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण क्षमता दी गई थी। एकीकृत तटीय उत्पादन और निर्यात अवसंरचना के लिए एनजीएचएम के अधीन तीन प्रमुख बंदरगाहों, जिनके नाम हैं दीनदयाल (कांडला), वी.ओ. चिदंबरनर (तूतीकोरिन) और पारादीप, को ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पर मान्यता दी गई। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफ़िकेशन योजना अप्रैल 2025 में शुरू की गई थी। यह योजना उत्पादन चक्र के दौरान होने वाले जीएचजी उत्सर्जन को प्रमाणित करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करती है और घरेलू एवं निर्यात बाजार के लिए पारदर्शिता बढ़ाती है। एमएनआरई ने हाइड्रोजन नवाचार में स्टार्ट-अप्स को सहयोग देने के लिए ₹100 करोड़ का प्रस्तावों के लिए आमंत्रण भी जारी किया है। इसके तहत उत्पादन, भण्डारण, परिवहन और उपयोग के लिए प्रति परियोजना को 5 करोड़ तक की मदद दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, सीईआरसी के चौथे संशोधन विनियम, 2025 के तहत 31 दिसंबर, 2030 तक शुरू होने वाले पात्र ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया संयंत्रों के लिए पूरी तरह से आईएसटीएस छूट प्रदान की गई है। इससे नवीकरणीय स्रोतों से किफायती दाम पर इनकी खरीद को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक कार्बन से मुक्ति की राह मजबूत होगी।

• ऊर्जा भंडारण व पारेषण

ऊर्जा भण्डारण और पारेषण, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के अगले चरण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जून 2025 में, विद्युत मंत्रालय ने 30 जीडब्ल्यूएच की बीईएसएस क्षमता के लिए एक अतिरिक्त वीजीएफ योजना को मंज़ूरी दी। इसके लिए 'पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड' (पीएसडीएफ) से ₹5,400 करोड़ का वित्तपोषण किया गया और लगभग ₹33,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यह विद्यमान 13.8 जीडब्ल्यूएच वीजीएफ कार्यक्रम के अतिरिक्त है जो 43.8 जीडब्ल्यूएच हेतु ₹9,160 करोड़ की बीईएसएस वीजीएफ योजना बाबत संयुक्त वित्तीय सहयोग आवृत करते हुए है। जून 2028 तक शुरू होने वाली सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस चार्ज पूरी तरह से माफ कर दिए गए हैं; जिन पीएसपी परियोजनाओं का निर्माण कार्य जून 2028 तक प्रदान कर दिया जाएगा, वे पारेषण शुल्क में छूट के लिए भी पात्र होंगे। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी भण्डारण के लिए पीएलआई योजना, जिसमें 50 जीडब्ल्यूएच के लिए ₹18,100 करोड़ का परिव्यय रखा गया है, ग्रिड-स्केल स्टेशनरी स्टोरेज एप्लीकेशन के लिए चिह्नित 10 जीडब्ल्यूएच के साथ घरेलू बैटरी विनिर्माण को समर्थन देना जारी रखी है। इन उपायों से सामूहिक रूप से यह उम्मीद की जाती है कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, क्षमता संयोजन से आगे बढ़कर चौबीसों घंटे एकीकरण, लचीलापन और प्रेषणीय की ओर स्थानांतरित हो जायेगी।

• जलविद्युत और जैव ऊर्जा

जलविद्युत और जैव ऊर्जा भारत के हरित परिवर्तन के महत्वपूर्ण पूरक स्तंभ बने हुए हैं, विशेष रूप से ग्रिड को संतुलित करने, सुदृढ़ी लाने और उन क्षेत्रों से कार्बन उत्सर्जन कम करने में, जहाँ ऐसा करना मुश्किल है। पात्र जलविद्युत परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस छूट, लंबे समय में तैयार होने वाले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और भण्डारण से जुड़ी अवसंरचना की आर्थिक व्यवस्था को सहयोग देना जारी रखती है। जैव ऊर्जा के क्षेत्र में, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत इथेनॉल मिश्रण जुलाई 2025 में 19.93% तक पहुँच गई। यह ईएसवाई 2025-26 के लिए निर्धारित 20% के राष्ट्रीय लक्ष्य के करीब है और मूल वर्ष 2030 की समय-सीमा से काफी आगे है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम ने केंद्रीय वित्तीय सहायता को धीरे-धीरे जारी करके, कार्य-निष्पादन से जुड़े संवितरण और

आसान दस्तावेजी ज़रूरतों के जरिए वेस्ट-टू-एनर्जी और बायोमास परियोजना को सहयोग देना जारी रखा, जिससे भारत के वेस्ट-टू-एनर्जी और सर्कुलर इकोनॉमी एजेंडे को और बल मिला।

• ई-मोबिलिटी व स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर

प्राथमिक मांग-पक्ष के मुख्य प्रोत्साहन के रूप में जारी पीएम ई-ड्राइव योजना के द्वारा वित्त वर्ष 2026 में भारत के ई-मोबिलिटी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यसूची को काफी महत्वपूर्ण गति मिली। 31 दिसंबर, 2025 तक, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू के मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को ₹1,703 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई थी। यह योजना 28 लाख से ज़्यादा विद्युतीय वाहन को सहयोग देती है और इसमें राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए 14,028 ई-बसों के लिए अनुदान भी शामिल है। जुलाई 2025 में, भारी उद्योग मंत्रालय ने पूरे भारत में विद्युतीय वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना को दो वर्ष (मार्च 2026 से मार्च 2028 तक) के लिए बढ़ा दिया। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, देश भर में कुल स्मार्ट मीटर स्थापनाओं की संख्या 6.3 करोड़ तक पहुँच गई है, जबकि एटीएंडसी नुकसान वित्त वर्ष 21 के 21.91% से सुधरकर वित्त वर्ष 25 में 15.04% हो गया है। इन उपायों से साफ़-सुथरी गतिशीलता, वितरण में सुधार, डिजिटल मीटरिंग और बिजली की मांग के प्रबंधन के बीच तालमेल मजबूत होने की उम्मीद है।

इरेडा हेतु समग्र रणनीति

भारत की अग्रणी प्योर-प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग संस्था के रूप में, आपकी कंपनी अपनी बढ़ी हुई पहुँच, ज़्यादा सुदृढ़ पूँजी और बेहतर संस्थागत अनुशासन के आधार पर भविष्य के लिए तैयार रणनीति बना रही है। वित्त वर्ष 26 न केवल रिकॉर्ड मंज़ूरी और प्रतिपूर्ति के लिए जाना जाएगा, बल्कि एक ऐसे संस्थान के परिपक्व होने के लिए भी याद किया जाएगा जिसने वैश्विक मंच पर अपने शुरुआती कदम रखे, अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया और परिसंपत्ति की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी ढांचों को सुदृढ़ किया। आगे के सफ़र के लिए आपकी कंपनी की रणनीति इस बात पर टिकी है कि जो कुछ उसने अब तक बनाया है उसे आगे बढ़ाया जाए, और साथ ही उन बुनियादों को सुदृढ़ किया जाए जिनसे विकास टिकाऊ बनता है।

• मुख्य आधार को सुदृढ़ करना, और अग्रणी भूमिका निभाना

भारत जैसे-जैसे गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है, सौर, पवन, जलविद्युत और जैव ऊर्जा आपकी कंपनी के पोर्टफोलियो का मुख्य हिस्सा बनते रहते हैं। हालाँकि, आज नेतृत्व के लिए बाज़ार के साथ-साथ नहीं, बल्कि उससे आगे रहकर वित्तपोषण की ज़रूरत होती है। इस नज़रिए से, आपकी कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण और इथेनॉल मूल्य कड़ी में अपनी मौजूदगी को काफी बढ़ाया है - ये ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत की आत्मनिर्भरता की कार्यसूची के लिए बहुत प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने नए और उभरते क्षेत्रों में अपने काम का दायरा बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन, बीईएसएस,पीएसपी, अपतटीय पवन और ग्रीन ट्रांसमिशन जैसी तकनीकों के लिए एक प्रमुख वित्तपोषक बनी रहना चाहती है, क्योंकि ये तकनीकें ही आने वाले दशक में ऊर्जा प्रणाली की दिशा निर्धारित करेंगी।

• अगले दशक हेतु अधिदेश को बढ़ाना

भारत में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते बदलाव के दायरे को देखते हुए, आपकी कंपनी ने विकसित भारत और नेट ज़ीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने और क्षेत्र की नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने काम का दायरा बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसके अनुसार, अपेक्षित अनुमोदनों के अध्यधीन बोर्ड ने संस्था के बहिर्नियम के उद्देश्य खंड में बदलाव के लिए मंज़ूरी दे दी है। इससे आपकी कंपनी हरित और स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन कैप्चर यूटिलाइज़ेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस), ऊर्जा बदलाव और जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना, बिजली उत्पादन के लिए सिविल न्यूक्लियर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा मूल्य कड़ी से जुड़े अन्य उभरते क्षेत्रों में नए व्यावसायिक के मौकों को तलाश कर सकेगी। इससे इरेडा आने वाले दशक में ऊर्जा बदलाव और जलवायु-अनुकूल निवेश के व्यापक दायरे को सहयोग देने की स्थिति में आ जाएगा।

• वैश्विक मंच पर बढ़ते कदम

यह वर्ष आपकी कंपनी के एक घरेलू वित्तपोषक से अंतरराष्ट्रीय पहुंच वाले संस्थान में परिवर्तन का प्रतीक है। आपकी कंपनी ने अपनी गिफ़्ट सिटी सहायक कम्पनी के ज़रिए ज़ाम्बिया में 100 मेगावाट के सौर पीवी विद्युत परियोजना के लिए अपना पहला विदेशी ऋण दिया। इससे 'ग्लोबल साउथ' में भारत के हरित वित्तपोषण की पहुँच बढ़ी है और 'साउथ-साउथ सहयोग' की उस भावना को भी बढ़ावा मिला है, जिसकी वकालत भारत 'अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन' के ज़रिए करता है। यह विदेशी मुद्रा में कोष जुटाने की क्षमता को रणनीतिक रूप से विकसित करके संभव हुआ, जिसमें गिफ़्ट सिटी के कामकाज के लिए पहली बार विदेशी मुद्रा में ऋण लेना भी शामिल था।

• एक स्मार्ट, सुदृढ़ पूंजी आधार का निर्माण

निरंतर विकास के लिए एक ऐसे वित्तपोषण आधार की ज़रूरत होती है जो बड़ा और ज़्यादा विविधतापूर्ण हो। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने सफल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) और स्थायी ऋण साधनों के नए निर्गमन के माध्यम से अपनी पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने के लिए अपनी पूंजी स्थिति को मजबूत किया। आपकी कंपनी की इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग को 'सॉवरेन-ग्रेड इन्वेस्टमेंट लेवल' तक उन्नत किए जाने से इसे और बढ़ावा मिला - यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने ऊर्जा-बदलाव के लिए भरोसेमंद वैश्विक ऋणदाताओं के बीच संस्था की साख को पुख़्ता किया, ग्रीन फाइनेंस के वैश्विक पूल तक पहुंच बढ़ाई और पूँजी की लागत को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद की।

• संस्थागत सुदृढ़ीकरण के जरिए लचीलापन बढ़ाना

बड़े पैमाने पर विकास के लिए संस्थागत सुदृढ़ी और अनुशासन की ज़रूरत होती है। कुछ विशेष क्षेत्रों में हुए घटनाक्रम और एक अन्य क्षेत्र के मामले में बाह्य अदालती आदेश के कारण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बढ़ोतरी हुई - यह इस बात की याद दिलाता है कि महत्वाकांक्षा के साथ-साथ समझदारी भी ज़रूरी है। आपकी कंपनी ने ऋण प्रदान करने के शुरुआती चरण में ही ऋण हामीदारी को बेहतर बनाने के लिए एक समर्पित इकाई मूल्यांकन प्रभाग और शीघ्र पता लगाने, निगरानी और समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन प्रभाग का गठन करके सक्रिय और संरचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही, आपकी कंपनी ने उन क्षेत्रों में सोच-समझकर सावधानी बरती, जहां बाजार में अतिरिक्त क्षमता की चिंताओं के कारण जोखिम प्रबंधन को और सख्त करने की आवश्यकता थी।

• मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोगों में निवेश करना

किसी संस्था का लक्ष्य उतना ही सुदृढ़ होता है जितनी सुदृढ़ उसे पूरा करने वाली टीम होती है। अपने बढ़ते दायरों और ऋण बही के साथ तालमेल बिठाते हुए, आपकी कंपनी ने इस वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी की। कंपनी ने अलग-अलग कामों के लिए विशेष क्षमताएं विकसित कीं और साथ ही प्रशिक्षण, कर्मचारियों के कल्याण और एक समावेशी व बेहतरीन कार्य-निष्पादन वाली संस्कृति में निवेश करना जारी रखा। मानव संसाधन का यह सुनियोजित सुदृढ़ीकरण यह सुनिश्चत करता है कि संस्था में निरंतर जटिल होते क्षेत्रों में नेतृत्व करने की क्षमता बनी रहें। क्योंकि कंपनी का दायरा बढ़ रहा है और वह ग्रीन इकॉनमी के नए क्षेत्रों में वित्तपोषण करती है।

वर्ष के दौरान, हमने अपने कार्यबल को बढ़ाकर 224 कर्मचारी कर लिया है, जिसमें प्रतिभा को निखारने, जुड़ाव बढ़ाने और भविष्य के लिए तैयार संगठन बनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया है।कंपनी विविधता और समावेश को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है; 31 मार्च, 2026 तक कुल कार्यबल में 52 महिला कर्मचारी शामिल हैं, जो कुल संख्या का 23.21% है। आपकी कंपनी ने विशेष विकास कार्यक्रम, व्याख्यान श्रृंखला और कार्यशाला के ज़रिए कर्मचारियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना जारी रखा और वित्त वर्ष 26 के दौरान 2,721 प्रशिक्षण जन-दिवस प्राप्त किए।

अभिशासन के माध्यम भरोसा बनाना

आपकी कंपनी न केवल ज़रूरी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि अपनी व्यापारिक प्रक्रिया, कामकाज और जानकारी देने के तरीकों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निर्धारित दायरे से आगे बढ़कर काम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह तरीका उत्तरदायी से फ़ैसले लेने, कामकाज में बेहतरीन प्रदर्शन और सभी हितधारकों के लिए लंबे समय तक मूल्य सृजन को बढ़ावा देता है।

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के तौर पर, आपकी कंपनी की निगमित संस्कृति में बेहतर जवाबदेही, पारदर्शिता और आंतरिक प्रतिबद्धता को संगठन के केंद्र में रखा जाता है, जिससे प्रत्येक हितधारक के साथ जुड़ाव में भरोसा बढ़ता है। आपकी कंपनी में अभिशासन सिर्फ़ नियमों का पालन करने की कोई अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं है; यह व्यावसायिक प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए संगठन के प्रत्येक सदस्य के लिए यह ज़रूरी है कि वे सभी गतिविधियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखें। आपकी कंपनी लंबे समय तक विकास और सफलता बनाए रखने के लिए निगमित अभिशासन के अपने मानकों को निरंतर बेहतर बना रही है।

निगमित अभिशासन पर एक अलग रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा होती है।

निगमित सामाजिक दायित्व

आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से काम करने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता सांविधिक ज़रूरतों से कहीं आगे जाती है और इसका उद्देश्य पूरे समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। कंपनी का मानना है कि उसकी लंबी अवधि की सफलता, उन समुदायों के कल्याण, उस पर्यावरण जिस पर वह निर्भर है, और उस समाज जिसमें वह काम करती है, से गहराई से जुड़ी हुई है। इसकी सीएसआर पहल का उद्देश्य निरंतर विकास और समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देना है, और ये भारत सरकार की प्राथमिकताओं और निरंतर विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

आपकी कंपनी की सीएसआर परियोजनाएं मुख्य रूप से स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ तकनीक पर केंद्रित हैं, जिनका उद्देश्य देश के पर्यावरण और सामाजिक विकास में योगदान देना है। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी पर्यावरण सुरक्षा, ग्रीन और ऊर्जा-कुशल तकनीकों को बढ़ावा देने और पिछड़े इलाकों के विकास पर भी ध्यान देती है।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, आपकी कंपनी ने सीएसआर कोष के तहत कुल 34 परियोजनाओं के लिए ₹32.60 करोड़ मंजूर किए, जिसमें ₹0.03 करोड़ के प्रशासनिक ऊपरी खर्च शामिल थे, और वित्त वर्ष 26 के लिए सीएसआर कोष से ₹6.51 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई, जिसमें प्रशासनिक ऊपरी खर्च भी शामिल थे।

सीएसआर गतिविधियों पर एक अलग रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा होती है।

आभार

अंत में, मैं भारत सरकार, विशेष रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा आपकी कंपनी को निरंतर दिए जा रहे सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपनी सच्ची सराहना व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं नीति आयोग, वित्त, विद्युत और निगमित मामलों के मंत्रालयों, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों, भारत के नियंत्रक

और महालेखा-परीक्षक के कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, एनएसई, बीएसई और अन्य संवैधानिक और नियामक प्राधिकरणों के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे संवैधानिक, सचिवीय, लागत और आंतरिक लेखा-परीक्षकों के साथ-साथ हमारी साख श्रेणी निर्धारण एजेंसियों - एसएंडपी ग्लोबल, आईसीआरए, सीएआरई रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग्स एवं रिसर्च, एक्यूइटे रेटिंग्स और रिसर्च और ब्रिकवर्क रेटिंग्स का भी उनके निरंतर सहयोग और स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं अपने ग्राहकों, ऋणदाताओं, शेयरधारकों, निवेशकों, राज्य सरकारों, विद्युत कंपनियों, निजी क्षेत्र के सहयोगियों और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोगियों का उनके निरंतर भरोसे और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं बोर्ड में अपने सहकर्मियों का भी उनकी बहुमूल्य सलाह और प्रतिबद्धता के लिए उतना ही आभारी हूँ, और आपकी कंपनी के प्रत्येक उस कर्मचारी का भी, जिनकी लगन, व्यावसायिकता और साझा उद्देश्य की भावना इरेडा की प्रगति और संस्थागत उत्कृष्टता में निरंतर योगदान दे रही है।

अब, मैं अनुरोध करता हूँ कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निदेशक की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट को अपनाया जाए।

धन्यवाद,

हार्दिक सम्मान सहित,

हस्ता./-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार),
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.
डीआईएन : 08816532

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01 सितम्बर, 2026

सुदृढ़ मौजूदगी : इरेडा की दिल्ली मेट्रो ब्राण्डिंग पहल





दिल्ली मेट्रो के सबसे व्यस्त इंटरचेंज स्टेशनों में से एक, पिंक लाइन पर स्थित इरेडा-ब्राण्डेड दिल्ली हाट-आईएनए मेट्रो स्टेशन' की झलकियाँ। यह स्टेशन बड़ी संख्या में और अलग-अलग तरह के यात्री समूह के बीच ब्राण्ड की पहचान और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है।

निदेशक रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2026 **(वित्त वर्ष 26)** को समाप्त वित्त वर्ष हेतु लेखा-परीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ आपकी कंपनी के व्यवसाय और प्रचालन पर 39वां वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है।

1. कार्य-निष्पादन सारांश:

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के दौरान अनुकरणीय प्रदर्शन किया है और उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 26 के लिए आपकी कंपनी के प्रदर्शन की मुख्य बातें, पिछले वर्ष के प्रदर्शन के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ, नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 26	वित्त वर्ष 25
संस्वीकृत ऋण	51,883.36	47,453.11
संवितरित ऋण	34,945.67	30,167.87
निवल मूल्य	13,781.35	10,266.16
प्रचालनों से राजस्व	8,309.00	6,742.41
अन्य आय	28.48	12.37
वित्त लागत (निवल परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि सहित)	4,948.07	4,182.64
कर पूर्व लाभ	2,336.92	2,103.80
घटाएं : आयकर	565.12	471.31
घटाएं : आस्थगित कर	(101.54)	(66.11)
कर पश्चात लाभ	1,873.34	1,698.60
अन्य व्यापक आय	120.12	68.23
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	1,993.46	1,766.83
प्रतिधारित आय का विनियोजन :		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	28.04	38.26
जोड़ें: वर्ष हेतु लाभ	1,873.34	1,698.60
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	(31.06)	(15.55)
घटाएं: डिबेंचर मोचन संरक्षित (डीआरआर) में स्थानांतरित (निवल)	-	41.26
घटाएं: विशेष संरक्षित में स्थानांतरित	466.00	362.00
घटाएं:एनबीएफसी संरक्षित में स्थानांतरित	375.00	340.00
घटाएं: साधारण संरक्षित में स्थानांतरित	250.00	950.00
घटाएं: क्षति संरक्षित में स्थानांतरित	300.46	-
घटाएं: अंतरिम लाभांश	168.55	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**310.31**	**28.04**

वित्तीय विशिष्टताएं

- वित्त वर्ष 26 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रचालन से अब तक का सबसे ज़्यादा ₹8,309.00 करोड़ का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के ₹6,742.41 करोड़ के राजस्व के मुकाबले 23.23% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करता है।
- वित्त वर्ष 26 के अंत में, कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः ₹2,336.92 करोड़ (पिछले वर्ष के मुकाबले 11.08% ज़्यादा) और ₹1,873.34 करोड़ (पिछले वर्ष के मुकाबले 10.29% ज़्यादा) के अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गया।
- वित्त वर्ष 26 के अंत में आपकी कंपनी का निवल मूल्य बढ़कर ₹13,781.35 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष के ₹10,266.16 करोड़ के निवल मूल्य के मुकाबले 34.24% की वृद्धि दर्ज करता है।
- 31 मार्च, 2026 को कंपनी की टियर-I पूंजी ₹14,668.22 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की ₹11,137.60 करोड़ की तुलना में लगभग 31.70% की वृद्धि दिखाती है।

- 31 मार्च, 2026 तक कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेश्यो (सीआरएआर) बढ़कर 20.59% हो गया, जो पिछले वर्ष 17.77% था। यह बेहतर पूंजी पर्याप्तता स्थिति को दिखाता है, जो लागू आरबीआई निर्देशों के अनुसार एनबीएफसी के लिए निर्धारित 15% की न्यूनतम सीमा से अधिक है और साथ ही पूंजी के सही उपयोग को भी दर्शाता है।

विवरण	वित्त वर्ष 26	वित्त वर्ष 25
टियर-I पूंजी (₹ करोड़ में)	14,668.22	11,137.60
टियर-II पूंजी (₹ करोड़ में)	1,740.61	1,922.96
आईआरएआर (% में)	20.59	17.77

कंपनी के मुख्य वित्तीय अनुपात

विवरण	वित्त वर्ष 26	वित्त वर्ष 25
निवल मूल्य पर आय (%)	15.07	17.44
पुस्तिका मूल्य प्रति शेयर (₹)	49.06	38.20
आय प्रति शेयर (₹)	6.73	6.32
इक्विटी के मुकाबले ऋण का अनुपात (गुना)	5.65	6.31

- वित्त वर्ष 25 में 17.44% से घटकर वित्त वर्ष 26 में निवल मूल्य पर आय (आरओएनडब्ल्यू) 15.07% हो गया। इसका मुख्य कारण वर्ष के दौरान ₹2,005.90 करोड़ के योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के बाद कंपनी के इक्विटी आधार में हुई बढ़ोतरी थी। हालांकि वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन निवल मूल्य में बढ़ोतरी का अनुपात ज़्यादा रहा, जिसके कारण आरओएनडब्ल्यू में कमी आई।
- प्रति शेयर पुस्तिका मूल्य और प्रति शेयर आय में प्रत्येक वर्ष निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।
- मुख्य रूप से आंतरिक अभिवृद्धि और वित्त वर्ष 26 में योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के ज़रिए कोष जुटाने की वजह से इक्विटी के मुकाबले ऋण का अनुपात बेहतर होकर 5.65 गुना हो गया है।

ऋण संस्वीकृत, संवितरण और ऋण पुस्तिका

- वित्त वर्ष 26 के दौरान संस्वीकृत ऋण ₹51,883.36 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की संस्वीकृत राशि ₹47,453.11 करोड़ से 9.34% की वृद्धि दर्शाता है, जो आपकी कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक संस्वीकृति है।
- वित्त वर्ष 26 के दौरान संवितरित ऋण ₹34,945.67 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की संवितरित राशि ₹30,167.87 करोड़ से 15.84% की वृद्धि दर्शाता है, जो आपकी कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक संवितरण है।
- आपकी कंपनी की ऋण बही 31 मार्च 2025 को ₹76,281.65 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹93,068.71 करोड़ हो गई है, जो 22.01% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करती है।

अन्य विशिष्टताएं

- आपकी कंपनी की अंतरराष्ट्रीय साख निर्धारण दरों में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी) ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा सुधार किया गया है। इसके तहत स्थिर परिव्यय सहित लॉन्ग-टर्म इश्यूअर रेटिंग को 'बीबीबी-' से बदलकर 'बीबीबी' और शॉर्ट-टर्म रेटिंग को 'ए-3' से बदलकर 'ए-2' कर दिया गया है।
- आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 25 तक, पिछले 5 (पाँच) वर्षों के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत निरंतर "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई है। वित्त वर्ष 26 हेतु समझौता ज्ञापन रेटिंग अभी भारत सरकार से मिलना बाकी है।
- वित्त वर्ष 26 के दौरान, ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद, कंपनी ने योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के ज़रिए ₹165.14 प्रति इक्विटी शेयर (जिसमें ₹155.14 प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है) की कीमत पर प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य वाले 12,14,66,562 इक्विटी शेयर जारी और आवंटन करके ₹2,005.90 करोड़ उगाहे हैं।
- वित्त वर्ष 26 के दौरान, कंपनी ने 5 (पांच) वर्षों की अवधि सहित 26 बिलियन जापानी येन सफलतापूर्वक उगाहे हैं और साथ ही 5 (पांच) वर्षों के बुलेट पुनर्भुगतान संरचना के साथ अतिरिक्त 28 बिलियन जापानी येन हेतु एक सुविधा समझौता भी किया। विदेशी ऋणदाताओं से इन सुविधाओं के लिए मिली प्रतिस्पर्धी कीमत, कंपनी के सुदृढ़ अभिशासन ढांचा, सही जोखिम प्रबंधन प्रथा और सुदृढ़ संस्थागत प्रक्रिया में उनके भरोसे को दर्शाती है।

- वित्त वर्ष 26 के दौरान, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने आपकी कंपनी के बॉण्ड्स को आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के तहत "लम्बी अवधि निर्धारित परिसंपत्तियां"के रूप में अधिसूचित किया है। इसके परिणामस्वरूप, 9 जुलाई 2025 को या उसके बाद जारी किए गए और कम से कम 05 (पांच) वर्षों की विनिमय अवधि वाले पात्र इरेडा बॉण्ड, उक्त प्रावधान के अधीन कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट के लाभ के लिए पात्र हैं।

2. व्यवसाय प्रचालन

• संस्वीकृतियाँ और संवितरण

वित्त वर्ष 26 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹51,883.36 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किये, जिससे पिछले वर्ष की संस्वीकृत राशि ₹47,453.11 करोड़ से 9.34% की वृद्धि दर्ज की गयी। वित्त वर्ष 26 के दौरान संवितरित ऋण ₹34,945.67 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की संवितरित राशि ₹30,167.87 करोड़ से 15.84% अधिक है।

वित्त वर्ष 26 के दौरान संस्वीकृतियों और संवितरणों का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	संस्वीकृतियां	%	संवितरण*	%
1.	**विद्युत उत्पादन परियोजनाएं**	**22,884.31**	**44.11**	**12,073.67**	**34.55**
	क. सौर ऊर्जा	15,938.97	30.72	8,425.57	24.11
	ख. पवन ऊर्जा	1,486.49	2.87	800.84	2.29
	ग. जलविद्युत	94.88	0.18	283.45	0.81
	घ. हाइब्रिड पवन और सौर	4,681.47	9.02	1,876.30	5.37
	ङ. बायोमास विद्युत व सह-उत्पादन	682.50	1.32	687.50	1.97
2.	विनिर्माण	12,857.33	24.78	7,153.53	20.47
3.	**सरकारी ऋण**	**12,450.00**	**24.00**	**10,800.00**	**30.91**
	क. राज्य उपयोगिताएं -जेनको	1,800.00	3.47	1,800.00	5.15
	ख. राज्य उपयोगिताएं - डिस्कॉम्स एवं अन्य	10,650.00	20.53	9,000.00	25.75
4.	इथेनॉल	401.19	0.77	2,023.24	5.79
5.	विद्युत वाहन	0.00	0.00	51.80	0.15
6.	अल्पकालिक एवं मध्यकालिक ऋण	500.00	0.96	1,241.55	3.55
7.	बायोमास (औद्योगिक अपशिष्टों से ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और मीथेनेशन)	131.90	0.25	201.80	0.58
8.	ग्रीन हाइड्रोजन एवं व्युत्पन्नी	0.00	0.00	48.00	0.14
9.	स्मार्ट मीटर	0.00	0.00	741.50	2.12
10.	बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस)	2064.49	3.98	610.58	1.75
11.	विविध (पारेषण लाइनें, गारंटी सहायता, उभरती तकनीक और एनबीएफसी को ऋण)	594.14	1.15	0.00	0.00
	कुल	**51,883.36**	**100**	**34,945.67**	**100**

**पिछले वर्ष की संस्वीकृति में से शामिल करते हुए*

मार्च 31, 2026 को संचयी संस्वीकृतियां और संवितरण क्रम से ₹2,89,799.00 करोड़ और ₹1,91,030.21 करोड़ थे। संचयी राज्यवार और क्षेत्रवार संस्वीकृतियों और संवितरणों का विवरण **अनुलग्नक I से IV** में दिया गया है।

• संस्वीकृत उत्पादन क्षमता

वित्त वर्ष 26 के दौरान, आपकी कंपनी ने अक्षय ऊर्जा (आरई) विद्युत उत्पादन क्षमता, उपकरणों के विनिर्माण और अन्य आरई पहलों का समर्थन करने बाबत वित्तीय सहायता प्रदान की है, जैसा कि निम्नलिखित विवरण में बताया गया है:

क. विद्युत उत्पादन: संस्वीकृत क्षमता :

क्षेत्र	संस्वीकृत क्षमता (मेगावाट)
सौर ऊर्जा	5,069.26
पवन ऊर्जा	361.50
जल विद्युत ऊर्जा	20.30
सौर और पवन हाइब्रिड	1,303.03
बायोमास विद्युत एवं सह-उत्पादन	221.00
कुल विद्युत उत्पादन क्षमता	**6,975.09**

ख. अन्य क्षेत्र : संस्वीकृत क्षमता

क्षेत्र	संस्वीकृत क्षमता
विनिर्माण	24,100.00 एमडब्ल्यूपी
जैव ईंधन इथेनॉल	100 केएलपीडी
लिथियम-आयन सेल का निर्माण	1.00 जीडब्ल्यूएच
बायोमास	15.00 टीपीडी
बायोमास पेलेट निर्माण	10.50 टीपीएच

- **बकाया ऋण पुस्तिका**

आपकी कंपनी का ऋण बही 31 मार्च, 2025 को ₹ 76,282 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹93,069 करोड़ हो गया है, जो 22.01% की वृद्धि दर्ज करता है। वित्त वर्ष 26 के अंत तक बकाया ऋण बही का विवरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	ऋण राशि (₹ करोड़ में)	%
सार्वजनिक	25,159	27
निजी	67,910	73
कुल	**93,069**	**100**
घटाएं : स्तर III प्रावधान	2,073	-
कुल ऋण (निवल)	**90,996**	**-**

3. संसाधन उगाही

आपकी कंपनी ने कोष की लागत को अनुकूल बनाने के लिए अलग-अलग तरह के ऋण का मिश्रण बनाए रखा है। वित्त वर्ष 26 के आखिर में आपकी कंपनी का कुल ऋण ₹77,845.63 करोड़ था (जिसमें क्रमशः लगभग ₹16,087.34 करोड़ और ₹61,758.28 करोड़ का मौजूदा ऋण और गैर-मौजूदा ऋण शामिल है), जबकि वित्त वर्ष 25 के आखिर में यह ₹64,740.31 करोड़ था। वित्त वर्ष 26 के दौरान, आपकी कंपनी ने नीचे दिए गए अलग-अलग स्रोतों से ₹30,510.84 करोड़ की लंबी अवधि की निधि उगाही है:

(₹ करोड़ में)

वित्तपोषण के स्रोत	वित्त वर्ष 26	वित्त वर्ष 25
घरेलू ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण	27,005.00	12,070.00
अरक्षित कर योग्य बॉण्ड	1,500.00	10,740.00
स्थायी ऋण साधन	453.00	1,247.00
अधीनस्थ ऋण	0.00	910.37
कुल (क)	**28,958.00**	**24,967.37**
विदेशी मुद्रा ऋण		
विदेशी मुद्रा ऋण (अंतरराष्ट्रीय संसाधन)	1,552.84	233.09
कुल (ख)	**1,552.84**	**233.09**
कुल (क + ख)	**30,510.84**	**25,200.46**

इसके अतिरिक्त, पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी के पास 31 मार्च, 2026 तक विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्पावधि वित्तपोषण के लिए ₹4,327.21 करोड़ की संस्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा भी उपलब्ध थीं, वह भी बिना किसी प्रतिबद्धता शुल्क के।

ग्रीन बॉण्ड

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 19 के दौरान क्रम से ₹700 करोड़ और ₹865 करोड़ के घरेलू करयोग्य ग्रीन बॉण्ड उगाहे थे, जो एनएसई और बीएसई दोनों में सूचीबद्ध हैं। बॉण्ड्स से प्राप्त राशि का उपयोग सौर और पवन क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए किया गया, जिसमें आपकी कंपनी के ग्रीन बॉण्ड ढांचे में परिभाषित पात्र परियोजनाओं का पुनर्वित्तपोषण भी शामिल है।

केपीएमजी, इंडिया ने वित्त वर्ष 19 के दौरान जारी किये गये ₹865 करोड़ मूल्य के ग्रीन बॉण्ड्स हेतु अपनी सत्यापन पश्चात की स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की थी और मैसर्स इमर्जेंट वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 17 के दौरान जारी किये गये ₹700 करोड़ मूल्य के ग्रीन बॉण्ड्स के लिए अपनी सत्यापन पश्चात की स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की थी। ये आश्वासन रिपोर्ट आपकी कंपनी के ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क पर आधारित हैं, जिसे अक्टूबर 5, 2016 को क्लाइमेट बॉण्ड्स इनिशिएटिव (सीबीआई) के क्लाइमेट बॉण्ड्स स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है। आपकी कंपनी सीबीआई के अनुरूप अपने ग्रीन बॉण्ड्स फ्रेमवर्क की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रीन बॉण्ड्स के माध्यम से उगाही गयी राशि पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहे। आपकी कंपनी द्वारा जारी किये गये ये ग्रीन बॉण्ड्स समय-समय पर संशोधित अनुसार लागू सेबी दिशा-निर्देशों की निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ग्रीन बॉण्ड्स की आय के उपयोग पर विस्तृत रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे www.ireda.in/IredaWebPortal/investors/disclosures पर देखा जा सकता है।

स्थायी ऋण साधन

वित्त वर्ष 26 के दौरान, आपकी कंपनी ने स्थायी ऋण साधनों (पीडीआई) के जारी करने के माध्यम से ₹453 करोड़ की राशि उगाही है। विषयगत पीडीआई की कोई परिपक्वता नहीं है और इसे केवल 10 (दस) वर्षों के बाद और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ पर कंपनी के विकल्प पर ही वापस लिया जा सकता है। पीडीआई पर अन्य प्रासंगिक प्रकटीकरण इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में परिलक्षित हैं।

4. साख श्रेणी निर्धारण

वित्त वर्ष 26 के दौरान, आपकी कंपनी की अंतरराष्ट्रीय साख श्रेणी निर्धारण में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी) ग्लोबल रेटिंग्स ने सुधार किया है। इसके तहत लंबे समय की इश्यूअर रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'बीबीबी-' से बदलकर 'बीबीबी' और कम समय की रेटिंग को 'ए-3' से बदलकर 'ए-2' कर दिया गया है। यह कोटि उन्नयन भारत की सर्वोत्तम साख निर्धारण दर में हुए बदलाव के अनुरूप है और कंपनी के क्रेडिट प्रोफ़ाइल तथा भारत सरकार की सर्वोत्तम स्थिति के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करता है।

आईसीआरए लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा सभी घरेलू ऋण साधन (पीडीआई को छोड़कर) की साख निर्धारण दर एएए (स्थिर) निर्धारित की गई है। आईसीआरए लिमिटेड और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने पीडीआई को एए+ (स्थिर) रेटिंग दी है। इसके अतिरिक्त, आईसीआरए लिमिटेड और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए दीर्घकालीन ऋण और अल्पकालीन ऋण को क्रम से "एएए" स्थिर और "ए1+" रेटिंग दी है। इसके अतिरिक्त, एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों तरह के ऋण के लिए "एएए" स्थाई श्रेणी निर्धारण दी है।

भारत सरकार पूर्ण सेवा बॉण्ड्स को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआरए लिमिटेड और सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा"एएए" स्थिर रेटिंग दी गई है।

5. वित्तीय योजनाएँ एवं पहल

आपकी कंपनी समय-समय पर अपनी नीतियों/प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है, ताकि बाजार की आवश्यकताओं, निगमित उद्देश्यों और लागू वैधानिक एवं विनियामक आवश्यकताओं के साथ उपयुक्त रूप से संरेखित हो सके। आपकी कंपनी आरई परियोजनाओं, नयी एवं उभरती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और उपकरण निर्माताओं के लिए परियोजना की अवधारणा से लेकर शुरुआत के बाद के चरण तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करती है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, आपकी कंपनी ने न सिर्फ़ अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण में आपकी कंपनी की बाजार हिस्सेदारी की वृद्धि को बनाए रखने के लिए बल्कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए भी कई नयी योजनाएं शुरू की हैं और मौजूदा योजनाओं/नीतियों को संशोधित किया है, जिसमें विद्युत उत्पादन/पारेषण, विनिर्माण/ऊर्जा दक्षता/चालू परियोजनाओं का पुनर्वित्तपोषण/प्रथम पीढ़ी के इथेनॉल का उत्पादन आदि से संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने एमएसएमई को भी मदद दी है, जैसे कि ब्याज दर में छूट पाने के लिए आम तौर पर ज़रूरी 02 (दो) बाह्य रेटिंग के बजाय सिर्फ़ 01 (एक) बाह्य रेटिंग की ज़रूरत होना, और पंजीकृत विलेख के बदले वचन के ज़रिए परियोजना के अधिकार सौंपना; और कंपनी ने इस प्रक्रिया को जारी रखा है। सरकारी पहलों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने पीएम-कुसुम क्षेत्र और रूफ़ टॉप सोलर सौर (समूह पद्धति में) से जुड़ी परियोजनाओं का भी समर्थन किया है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन संस्था के रूप में नियुक्त किया गया है :

- एमएनआरई सीपीएसयू योजना - चरण- II, शृंखला - III
- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम
- पीएलआई योजना, शृंखला - I के अधीन उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) योजना

पीएम कुसुम योजना के तहत, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के दौरान ₹9,165 करोड़ के ऋण मंज़ूर किए हैं और ₹2,452 करोड़ का वितरण किया है। इन मंज़ूरियों के साथ, इस योजना के तहत मंज़ूर किए गए कुल ऋण का पोर्टफोलियो ₹12,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। यह विकेंद्रीकृत सोलर अनुप्रयोग में निरंतर तेज़ी और राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्राथमिकताओं के साथ निरंतर तालमेल को दर्शाता है।

6. वसूली, समीक्षा निगरानी व दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन

आपकी कंपनी के पास परियोजनाओं की नियमित निगरानी और समीक्षा आयोजित करने के लिए एक समर्पित समीक्षा निगरानी विभाग और दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है, ताकि परिसंपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने और गैर-कार्यनिष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) को कम करने के लिए आवश्यकतानुसार समय पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसमें एक व्यापक परियोजना/ ऋण समीक्षा और निगरानी तंत्र है जो मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेज़ीकरण, संवितरण, चालूकरण और परिचालन चरणों के दौरान परियोजना की निगरानी तथा परियोजना/ऋण आवेदनों का पता लगाने से संबंधित पहलुओं पर नज़र बनाए रखता है। यह ऋणकर्ताओं की देरी और चूक तथा उनकी वसूली की संभावना पर निरंतर नज़र रखता है। एनपीए खातों सहित पूरे ऋण पोर्टफोलियो की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी नियमित रूप से की जा रही है। इससे विलंबित पुनर्भुगतान, अंतर्निहित कारणों और समाधान/वसूली कार्रवाई की समय पर शुरुआत, जहां भी आवश्यक हो, जैसे प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानने में मदद मिलती है।

ऋणकर्ता के खाते में चूक होने पर, आपकी कंपनी आवश्यक कदम उठाती है जिसमें कार्रवाई(याँ) शामिल हो सकती है, लेकिन यह, पत्रों/ई-मेल के माध्यम से खाते(तों) के नियमितीकरण के लिए ऋणकर्ता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई, बैठकें आयोजित करना, आरबीआई को विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) की रिपोर्टिंग, सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी), सीआईबीआईएल आदि को ऋण सूचना की रिपोर्टिंग, ट्रस्ट और रिटेंशन खाते (टीआरए) की नियमित निगरानी, बकाया वसूलने के लिए जहां भी संभव और टिकाऊ हो, ऋण खातों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण और आवश्यकतानुसार प्रबंधन में बदलाव, प्रतिभूतियों का आह्वान और अन्य वसूली तंत्र जैसे मामले को उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए संदर्भित करना जैसी उपयुक्त समाधान योजनाओं तक ही सीमित नहीं है। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनएनपीए) की स्थिति का सारांश नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

	वित्त वर्ष 26		वित्त वर्ष 25	
	राशि (₹ करोड़ में)	%	राशि (₹ करोड़ में)	%
सकल एनपीए	3,245.46	3.49	1,866.25	2.45
निवल एनपीए	1,172.31	1.29	1,020.67	1.35

केंद्रित पहल के साथ, वित्त वर्ष 26 के दौरान एनपीए/तनावग्रस्त ऋणों से ₹338.65 करोड़ की वसूली की गई है, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक वसूली है। एनपीए से वसूली गई राशि में मूलधन के लिए ₹197.51 करोड़, ब्याज के लिए ₹141.14 करोड़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी अपेक्षित ऋण हानि पद्धति के आधार पर ऋण पुस्तिका का ऋण जोखिम मूल्यांकन करती है और इस आधार पर, चरणों और अपेक्षित हानि के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऊपर बताई गई उगाही में से 1 (एक) खाते का निपटान ओटीएस के ज़रिए किया गया, जिसमें एनपीए खाते से ₹143.10 करोड़ की उगाही हुई थी, जबकि बकाया मूलधन ₹100 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, एनसीएलटी के ज़रिए 1 (एक) खाते का निपटारा किया गया, जिसमें एनसीएलटी प्रक्रिया के माध्यम से ₹84.10 करोड़ की वसूली हुई, जबकि उक्त ऋण पर बकाया मूल राशि ₹39.10 करोड़ थी।

परिसंपत्ति गुणवत्ता

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 26			वित्त वर्ष 25		
	चरण 1 व 2	चरण 3	कुल	चरण 1 व 2	चरण 3	कुल
सार्वजनिक/सरकारी	25,107.96	51.11	25,159.07	20,820.89	51.11	20,872.00
निजी	64,715.25	3,194.35	67,909.60	53,594.51	1,815.14	55,409.65
कुल बकाया ऋण (क)	**89,823.21**	**3,245.46**	**93,068.67**	**74,415.40**	**1,866.25**	**76,281.65**
कुल प्रावधान (ख)	**608.90**	**2,073.15**	**2,682.05**	**1,048.44**	**845.58**	**1,894.02**
शुद्ध परिसंपत्तियां	**89,214.31**	**1,172.31**	**90,386.62**	**73,366.96**	**1,020.67**	**74,387.63**
प्रावधान (%) (ख/क)	**0.68%**	**63.88%**		**1.41%**	**45.31%**	

आपकी कंपनी को मैसर्स जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईएल) के प्रचालन में अनियमितताओं के संबंध में 16 अप्रैल 2025 को सेबी से अंतरिम आदेश प्राप्त हुआ। आपकी कंपनी की आंतरिक जांच समिति ने इस मामले की जांच की और उनकी सिफारिश पर, आपकी कंपनी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में जीईएल और मैसर्स जेनसोल ईवी लीज लिमिटेड (जीईवीएल) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई; ये दोनों ही जेनसोल ग्रुप की ऋण लेने वाली कंपनियाँ हैं। इसके बाद, आपकी कंपनी ने जीईएल और जीईवीएल को दी गई बकाया ऋण सुविधाओं को वापस मंगा लिया। इसके बाद, जीईएल और जीईवीएल के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (आईआईआरपी) शुरू करने के लिए दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 (आईबीसी) की धारा 7 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष आवेदन दायर किए गए। एनसीएलटी ने 13 जून, 2025 को दोनों अर्जियों को स्वीकार कर लिया। आपकी कंपनी ने तब से दिवाला समाधान पेशेवर (आईआरपी) के पास अपने दावे दाखिल कर दिए हैं, और उन्हें विधिवत स्वीकार कर लिया गया है। ऊपर बताई गई कंपनियाँ मुख्य रूप से (i) सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए अभियांत्रिकी, प्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) गतिविधियों, और (ii) विद्युतीय वाहनों के पट्टे के काम में लगी हुई थीं। सीआईआरपी शुरू होने के बाद, आईआरपी ने, जिन्हें बाद में समाधान पेशेवर (आरपी) के तौर पर पुष्टि किया गया, कंपनियों के व्यावसायिक परिचालन और परिसम्पत्तियों (जिनमें विद्युतीय वाहनों का बेड़ा भी शामिल है) का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। आरपी ने ज़रूरी मरम्मत और रख-रखाव गतिविधियों को अपने हाथ में लिए हैं और राजस्व पैदा करने के उद्देश्य से विद्युतीय वाहनों को धीरे-धीरे परिचालित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, चल रही ईपीसी परियोजनाओं का कार्यान्वयन आरपी की देख-रेख में जारी है। यह मामला समाधान प्रक्रिया के अग्रिम चरण में है। लेनदारों की समिति (सीओसी) के सदस्य के तौर पर, आपकी कंपनी सीआईआरपी में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही है और अपनी बकाया रकम की ज़्यादा से ज़्यादा वसूली के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रही है।

कंपनी ने जीईएल और जीईवीएल को धोखेबाज़ घोषित किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के 'मास्टर डायरेक्शन –गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन निर्देश, 2024 के तहत नियामक ज़रूरतों के अनुसार आरबीआई को इसकी रिपोर्ट दी है।

7. शेयर पूंजी

आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹6,000 करोड़ है, जिसे ₹10 प्रति शेयर वाले 600,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान, ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद, कंपनी ने योग्य संस्थान नियोजन (क्यूआईपी) के ज़रिए ₹165.14 प्रति इक्विटी शेयर (जिसमें ₹155.14 प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है) की कीमत पर ₹10 के अंकित मूल्य वाले 12,14,66,562 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करके ₹2,005.90 करोड़ जुटाए हैं। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 31 मार्च, 2025 को ₹26,87,76,47,060 (जिसमें ₹10 के अंकित मूल्य के 268,77,64,706 इक्विटी शेयर शामिल थे) से बढ़कर 31 मार्च, 2026 को ₹28,09,23,12,680 (जिसमें ₹10 के अंकित मूल्य के 280,92,31,268 इक्विटी शेयर शामिल थे) हो गई। 31 मार्च, 2026 तक, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी का 71.76% हिस्सा भारत सरकार के पास है।

शेयरों के अमूर्तिकरण तथा डीमैट उचंत खाते/ अदावी उचंत खाते का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित अभिशासन रिपोर्ट में प्रस्तुत है।

8. लाभांश

वित्त वर्ष 26 हेतु, निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर ₹0.75 का अंतिम लाभांश देने की सिफ़ारिश की है। यह ₹10 के अंकित मूल्य वाले प्रदत्त इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य का 7.5% है। यह सिफ़ारिश कंपनी की आने वाली वार्षिकआम बैठक में शेयरधारकों की मंज़ूरी पर निर्भर है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹0.60 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया था, यानी प्रत्येक ₹10 के प्रदत्त इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य पर 6% की दर से। वित्त वर्ष 26 के लिए कुल लाभांश प्रति इक्विटी शेयर ₹1.35 है, यानी ₹10 के अंकित मूल्य पर 13.5%; इसमें प्रस्तावित अंतिम लाभांश भी शामिल है। वित्त वर्ष 26 के लिए कुल लाभांश भुगतान, जिसमें प्रस्तावित अंतिम लाभांश भी शामिल है, ₹379.25 करोड़ होगा। लाभांश का विवरण नीचे दिया गया है और यह वित्तीय विवरण की नोट संख्या 38(48द)(घ) के अधीन भी उपलब्ध है।

विवरण	वित्त वर्ष 26			
	शेयर पूँजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)	भारत सरकार को भुगतान की गई/देय राशि (₹ करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	6.0%	0.60	168.55	120.95
अंतिम लाभांश	7.5%	0.75	210.69	151.19
वित्त वर्ष हेतु कुल लाभांश	**13.5%**	**1.35**	**379.25**	**272.14**
वर्ष हेतु लाभ के % के तौर पर कुल लाभांश (कुल लाभांश/कर पश्चात लाभ)	**20.24%**			

9. सहायक, संयुक्त उद्यम व सहयोगी कंपनी

आपकी कंपनी ने 7 मई, 2024 को आईएफएससी, गिफ्ट सिटी, गुजरात में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी मैसर्स इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड को शामिल किया है। कंपनी को एक वित्त कंपनी के रूप में गतिविधियों को संचालित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) से दिनांक 18 फरवरी 2025 को अनुमोदन प्राप्त हुआ है। यह सहायक कंपनी आरई क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मुद्रा में धन सुरक्षित करने और नए व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक अपतटीय मंच के रूप में कार्य करेगी। वित्त वर्ष 26 के दौरान, आईजीजीईएफआईएल ने अपना कामकाज शुरू किया और ज़ाम्बिया के सेंट्रल प्रोविंस के सेरेन्जे ज़िले में 100एमडब्ल्यूएसी (125.20 एमडब्ल्यूडीसी) के फोटोवोल्टिक सौर विद्युत संयंत्र के विकास के लिए 22.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सावधि ऋण मंज़ूर किया। वित्त वर्ष 26 के लिए सहायक कंपनी का वित्तीय कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 26	वित्त वर्ष 25
कुल आय	1.41	0.91
कर पूर्व लाभ	0.67	(0.28)
कर पश्चात लाभ	0.67	(0.28)
निवल मूल्य	30.06	26.36

31 मार्च, 2026 तक, कंपनी के पास कोई सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

स्वयंरा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के लिए एक सहायक कंपनी की स्थापना हेतु प्रस्ताव और मैसर्स जीएमआर अपर करनाली हाइड्रो पावर लिमिटेड, नेपाल और मैसर्स करनाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में प्रस्तावित इक्विटी निवेश से जुड़ी जानकारी वित्तीय विवरण की नोट संख्या 38(11) में दी गई है।

10. समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 129 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा भारतीय लेखा मानकों के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के लिए समेकित इंड-एएस वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मैसर्स इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण शामिल है। अपनाए जाने के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के साथ समेकित वित्तीय विवरण भी 39वीं वार्षिक आम बैठक में रखे जाएंगे। अधिनियम की धारा 129(3) के अनुसार, फॉर्म एओसी-1 में सहायक कंपनियों, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। कंपनी की सहायक कंपनी के समेकित इंड-एएस वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण सहित लेखा परीक्षित इंड-एएस वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आगे, इन दस्तावेजों को कंपनी के डिबेंचर धारकों के किसी भी सदस्य या किसी भी ट्रस्टी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

वित्त वर्ष 26 हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की मुख्य बातें यहां दी गई हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 26	वित्त वर्ष 25
परिचालन से राजस्व	8,310.41	6,743.32
कर पूर्व लाभ	2,337.58	2,103.54
कर पश्चात लाभ	1,874.00	1,698.34
कुल परिसंपत्तियां	93,807.87	76,867.39
कुल देयताएं	80,022.45	66,600.86

11. जोखिम प्रबंधन नीति अवलोकन

आपकी कंपनी ने ऋण जोखिम, चल निधि जोखिम, बाजार जोखिम, प्रचालनगत जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और सूचना सुरक्षा जोखिम को निपटने के लिए एक जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है। यह ढांचा बोर्ड द्वारा मंज़ूर की गई नीतियों, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की देख-रेख और मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के नेतृत्व वाले जोखिम प्रबंधन विभाग की स्वतंत्र निगरानी के ज़रिए काम करता है। जोखिम प्रबंधन का काम व्यावसायिक के कामों से अलग रहकर किया जाता है और यह मुख्य जोखिम क्षेत्रों में स्वतंत्र जोखिम निगरानी प्रदान करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने जोखिम प्रबंधन और निगरानी ढांचे के विभिन्न पहलुओं को मजबूत करना जारी रखा, जिसमें पोर्टफोलियो निगरानी तंत्र, तनाव जांच के तरीके, आईसीएएपी ढांचा और जोखिम विश्लेषण की समीक्षा शामिल है। आपकी कंपनी के पास समझदारी भरी जोखिम प्रबंधन नीतियां हैं, जो आरबीआई के दिशानिर्देश और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं; ये सभी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए विनियामक ढांचा बनाती हैं। जोखिम प्रबंधन समिति समय-समय पर जारी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग घ के साथ पठित विनियम 21 की अनिवार्य शर्तों पर विचार करने के अतिरिक्त, उन मामलों पर भी विचार करती है जो विशेष तौर पर निदेशक मंडल द्वारा उसे भेजे जाते हैं। जोखिम प्रबंधन की पूरी उत्तरदायी बोर्ड की होती है, जो संगठन में जोखिम से जुड़े सभी पहलुओं को प्रबंधित करने का काम करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ इसे ऋण संचालन, ऋणकर्ता एकाग्रता, परियोजना कार्यान्वयन जोखिम, पुनर्वित्तपोषण जोखिम और प्रतिपक्ष ऋण गिरावट से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम के संपर्क में लाती हैं। आपकी कंपनी लागू विनियामक दिशानिर्देश और आंतरिक नीति के अनुसार ऋण मूल्यांकन, निगरानी और अनावरण प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करती है। जोखिम प्रबंधन का काम पोर्टफोलियो की गुणवत्ता, प्रावधान से जुड़े अनुमानों, तनावपूर्ण स्थिति और उभरते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों (जिनमें बदलते क्षेत्र और परियोजना लागू करने से जुड़े जोखिम शामिल हैं) की समीक्षा को जारी रखना है।

प्रचालनगत जोखिम प्रबंधन

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाह्य घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान को संदर्भित करता है। आपकी कंपनी ने एक परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है, जो परिचालन जोखिमों की पहचान, समीक्षा और प्रबंधन के लिए एक कार्यात्मक-स्तरीय समिति है। आपकी कंपनी परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत कर रही है, जो व्यवस्थित जोखिम नियंत्रण के लिए 'रक्षा की तीन पंक्तियाँ' मॉडल का अनुसरण करता है।

चल निधि जोखिम प्रबंधन

चल निधि जोखिम का मतलब है किसी कंपनी की उस संभावित असमर्थता से, जिसके कारण वह अपनी प्रचालन ज़रूरतों और कर्ज़ चुकाने की उत्तरदायीयिों को पूरा करने के लिए सही समय पर और सही लागत पर कोष नहीं जुटा पाती है। चल निधि प्रबंधन का अर्थ है व्यावसायिक की निरंतर वृद्धि को सहयोग देते हुए, सभी वित्तीय ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकद प्रवाह और वित्तपोषण में लचीलापन बनाए रखा जाए।

कंपनी ने एक सुदृढ़ परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) ढांचा बनाया है, जिसमें परिसंपत्ति-देयता समिति (एएलसीओ) और उसकी उप-समिति से सम्मिलित एक बहु स्तरीय अभिशासन अवसंरचना शामिल है। एएलसीओ समय-समय पर कंपनी की तरलता पोर्टफोलियो की समीक्षा करता है और बोर्ड अनुमोदित एएलएम नीति और उससे जुड़ी जोखिम सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करता है।

कंपनी बैंकों और पूँजी बाज़ार में अलग-अलग तरह के वित्तपोषण के स्रोत बनाए रखती है और निकट-अवधि की अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए समझदारी भरा कदम उठती है। वित्तपोषण की ज़रूरतों का आकलन करने और संभावित तरलता संकटों का सामना करने की क्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर परिपक्वता का आकलन, तनाव प्रशिक्षण और आकस्मिक वित्तपोषण की योजना बनाई जाती है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाज़ार के चर में बदलाव के कारण किसी वित्तीय लिखत के भावी नकद प्रवाह में उतार-चढ़ाव आ सकता है। कंपनी मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा दरों और ब्याज दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव से उत्पन्न बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशील है।

आपकी कंपनी एक सुदृढ़ परिसंपत्ति-देनदारी प्रबंधन (एएलएम) और विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन ढांचा के ज़रिए इन जोखिमों को प्रबंधित करती है। दर-संवेदनशील परिसंपत्तियों और देनदारियों का समय-समय पर आकलन किया जाता है, और अनुमोदित जोखिम उठाने की क्षमता के दायरे में रहते हुए वित्तपोषण का सबसे अच्छा मिश्रण बनाए रखने हेतु कीमतें फिर से निर्धारित करने की सही रणनीतियाँ लागू की जाती हैं।

सावधानीपूर्ण सीमाएँ और समय-समय पर समीक्षाएँ, ऋण और ऋण की रणनीतियों को समय पर समायोजित करने में मदद करती हैं। इससे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव कम होता है और मार्जिन स्थिरता बनी रहती है। सही जानकारी के आधार पर और समय पर फ़ैसले लेने में मदद के लिए बाज़ार की गतिविधियों पर निरंतर नज़र रखी जाती है।

कंपनी केवल विदेशी मुद्रा दरों और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों से बचाव के लिए ही एकमात्र व्युत्पन्न लिखतों का प्रयोग करती है।

विदेशी मुद्रा या विनिमय जोखिम

अपने सम्पूर्ण जोखिम प्रबंधन ढांचा के अधीन, कंपनी ने विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन के लिए एक विशेष नीति बनाई है। यह नीति विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण से जुड़े जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और उन्हें कम करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करती है।

यह नीति लागू विनियामक नियमों जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश भी शामिल हैं, के अनुरूप है और इसमें दुनिया भर में स्वीकृत बाज़ार प्रथाएं शामिल हैं। यह बाह्य ऋण से जुड़े मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और आधार जोखिम को प्रबंधित करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है।

नीति ढांचे के अनुसार, विदेशी मुद्रा ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए, कंपनी जहाँ ज़रूरी हो, अनुमतियोग्य व्युत्पन्न साधनों का प्रयोग करती है। इनमें ब्याज दर विनिमय (आईआरएस)/प्रति मुद्रा विनिमय (सीसीएस), अग्रिम अनुबंध और विकल्प व विकल्प-आधारित संरचना शामिल है।

सभी व्युत्पन्न लेन-देन उन प्रतिपक्ष के साथ किए जाते हैं जिनके साथ कंपनी 'इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन' (आईएसडीए) मास्टर एग्रीमेंट के अधीन मानकीकृत संविदात्मक अनुबंध में शामिल हुई है। इससे कानूनी रूप से लागू करने की क्षमता, नेटिंग की व्यवस्था और प्रतिपक्ष जोखिम को कम करने की सुविधा सुनिश्चित होती है।

अन्य चीज़ों के अतिरिक्त, इस ढाँचे में ये बातें भी शामिल हैं:

- व्युत्पन्न स्थिति का मार्क-टू-मार्केट (एमईएम) मूल्यांकन और समय-समय पर उनका पुनःमूल्यांकन
- जोखिम की सीमाएँ और प्रतिपक्ष जोखिम का आकलन
- बचाव की प्रभावशीलता की निगरानी और दस्तावेजीकरण
- जहाँ लागू हो, वहाँ बचाव लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन
- स्वतंत्र निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

आपकी कंपनी के पास बोर्ड द्वारा मंज़ूर की गई एक व्यापक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ), जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, कंपनी के परिसंपत्ति-देयता पोर्टफोलियो और तरलता की स्थिति पर निरंतर नज़र रखती है।

एएलसीओ समय-समय पर क्षेत्र और कंपनी पर प्रभाव डालने वाले मैक्रो-इकोनॉमिक और बाज़ार घटनाक्रमों, तुलन पत्र की वृद्धि, तरलता की स्थिति, ब्याज दरों का परिदृश्य और देयता परिपक्वता पोर्टफोलियो की समीक्षा करता है। यह मासिक परिसंपत्ति-देयता विसंगतियों की भी निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सांद्रता और संरचनात्मक असंतुलन अनुमोदित सीमाओं के भीतर रहें, साथ ही तनावपूर्ण बाजार स्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त तरलता बफर बनाए रखा जा सके। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ब्याज दर के प्रति संवेदनशीलता और परिसंपत्ति-देनदारी के असंतुलन से जुड़े मुख्य पैमानों की निगरानी करता है।

अपनी वित्तीय उत्तरदायीयिों को समय पर पूरा करने और संस्थापित व्यावसायिक वृद्धि के लिए सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कंपनी विवेकपूर्ण तरलता बफ़र, समर्पित ऋण सुविधाएँ और अलग-अलग तरह के वित्तपोषण स्रोत बनाए रखती है।

सूचना और साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने एक सुदृढ़ सूचना और साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है, जिसमें अभिशासन, जोखिम मूल्यांकन, आंतरिक नियंत्रण और निरंतर निगरानी शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की देख-रेख संबंधित बोर्ड और अधिकारी -स्तर की समितियां करती हैं। इन समितियों का गठन सूचना प्रौद्योगिकी, अभिशासन,जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं' पर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन के अनुसार किया जाता है।

आपकी कंपनी ने सूचना परिसंपत्तियों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को सुरक्षित रखने के साथ-साथ नियमों का पालन और कामकाज में सुदृढ़ी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा नीतियां लागू की हैं। इनमें सूचना सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति, परिवर्तन प्रबंधन नीति, पहुँच नियंत्रण नीति, सूचना परिसंपत्ति नीति, व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति, घटना प्रबंधन नीति और अन्य सहायक मानक व प्रक्रियाएं शामिल हैं।

आपकी कंपनी स्वतंत्र सीईआरटी-इन एम्पैनल्ड ऑडिटर्स के ज़रिए समय-समय पर सूचना प्रणाली, सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा लेखा-परीक्षा करवाती है। इन लेखा-परीक्षा में कमजोरियों का आकलन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी), विन्यास की समीक्षा और अनुपालन मूल्यांकन शामिल हैं।

12. सौर ऊर्जा परियोजना

इरेडा ने कासरगोड, केरल में स्थित 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को पूर्ण रूप से प्रारंभ कर दिया है। यह संयंत्र पूरी क्षमता से चल रहा है, अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है जिसकी आपूर्ति केरल राज्य विद्युत पर्षद (केएसईबी) को दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के अधीन की जाती है। इस परियोजना से उत्पादित बिजली का बिल केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार ₹3.83 प्रति यूनिट के टैरिफ पर लिया जाता है।

भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में योगदान देने के अतिरिक्त, यह परियोजना आपकी कंपनी की स्थिरता और कार्बन तटस्थता के प्रति प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र ने 71.436 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया, जिससे 60,672 टन कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है, जिससे कार्बन मुक्त राष्ट्र के व्यापक लक्ष्यों को समर्थन मिला।

13. आईएसओ प्रमाणन

आपकी कंपनी एक आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 27001:2022 प्रमाणित संगठन है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएसओ 9001:2015 प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। बेहतर प्रक्रिया प्रबंधन के साथ आपकी कंपनी अपने व्यावसायिक परिचालन में गुणवत्ता, स्थिरता और ग्राहक संतुष्टि बनाये रखती है।

सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईक्यूसीएस सर्टीफिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईएसओ 27001:2022 प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। उपर्युक्त मानकों के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यकतानुसार विभिन्न सुरक्षा उपायों के अनुपालन ने डेटा प्रोसेसिंग और सूचना प्रवाह के लिए एक मजबूत सुरक्षित नेटवर्क सुनिश्चित किया है।

14. सूचना प्रौद्योगिकी पहल

कंपनी की वृद्धि रणनीति को आगे बढ़ाने, अभिशासन तंत्र को सुदृढ़ करने, परिचालनगत क्षमता को बेहतर बनाने और डेटा-आधारित फ़ैसले लेने में मदद करने में सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख भूमिका निभाती है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, कंपनी ने प्रौद्योगिकी तकनीक को आधुनिक बनाकर, साइबर-सुरक्षा नियंत्रण को सुदृढ़ करके, व्यावसायिक प्रक्रिया को स्वचलित करके और घरेलू प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बेहतर बनाकर अपने डिजिटल रूपांतरण के सफ़र को तेज़ किया।

ईआरपी प्रणाली

आपकी कंपनी ने पहले ही एक एकीकृत ईआरपी प्रणाली स्थापित कर ली है, जो कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ सभी व्यावसायिक कार्यों को आवृत करता है। व्यवसाय के बदलते परिदृश्य के हिसाब से ईआरपी प्रणाली में निरंतर सुधार किया जा रहा है। बाह्य व्यावसायिक हितधारकों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं।

आईटी अभिशासन ढांचा

कंपनी ने आईटी अभिशासन ढाँचे की स्थापना की है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर डायरेक्शन के अनुरूप है। यह ढांचा प्रौद्योगिकी निवेश, सूचना सुरक्षा, डिजिटल पहलों, परिचालन संबंधी लचीलापन और विनियामक नियमों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करता है।

आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)

आईटी रणनीति समिति, बोर्ड-स्तर की एक समिति है जिसे प्रौद्योगिकी अपनाने और डिजिटल रूपांतरण पहलों के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह समिति कंपनी की आईटी रणनीति, टेक्नोलॉजी रोडमैप, साइबर सुरक्षा की तैयारियों, बड़े टेक्नोलॉजी निवेश और व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ आईटी पहलों के संरेखण की समीक्षा करती है।

आईटी संचालन समिति

वरिष्ठ प्रबंधन प्रतिनिधियों वाली आईटी संचालन समिति, प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों को लागू करने की देख-रेख करती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित आईटी रणनीति के कार्यान्वयन पर नज़र रखती है।समिति परियोजना की प्रगति, प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिमों, अवसंरचना का कार्य-निष्पादन, संसाधनों के प्रयोग और आईटी प्रणाली की परिचालनगत प्रभावशीलता की समीक्षा करती है।

सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी)

सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी), आईटीएससी की देख-रेख में काम करती है और पूरे संगठन में सूचना सुरक्षा अभिशासन की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। समिति समय-समय पर साइबर सुरक्षा जोखिमों, सुरक्षा घटनाओं, कमजोरियों का प्रबंधन, अनुपालन आवश्यकताओं और सुरक्षा नियंत्रणों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है, ताकि कंपनी की सूचना परिसंपत्तियों और महत्वपूर्ण प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

क्रॉस-फ़ंक्शनल समिति

क्रॉस-फ़ंक्शनल समिति में मुख्य व्यावसायिक कार्य के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसे वर्तमान आईटी प्रणाली को बेहतर बनाने, आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने, पहचान और भौतिक हस्तक्षेप आदि कम करने जैसे उद्देश्यों के साथ बनाया गया है।

इन-हाउस टेक्नोलॉजी क्षमताओं को सुदृढ करना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने श्रमबल को शामिल करके अपनी इन हाउस प्रौद्योगिकी क्षमताओं को काफी बढ़ाया। इस रणनीतिक निवेश से टेक्नोलॉजी समाधानों का घरेलू विकास और प्रबंधन बेहतर हुआ है, जिससे बाह्य सेवा प्रदाता पर निर्भरता कम हुई है जबकि प्रतिक्रियाशीलता, अभिशासन और परिचालन नियंत्रण में भी सुधार आया है।

डिजिटल बदलाव और प्रक्रिया स्वचालन

आपकी कंपनी ने परिचालनगत क्षमता और सेवा प्रदान को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित समाधान विकसित और लागू करके अपने डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार करना जारी रखा। वर्ष के दौरान शुरू की गई मुख्य पहलों में शामिल हैं:

- केन्द्रीय प्रबंधन डैशबोर्ड का विकास और कार्यान्वयन प्रदान करते हैं -परिचालनगत, वित्तीय और परियोजना से जुड़ी जानकारी की वास्तविक-समय दृश्यता।
- आंतरिक व्यावसायिक प्रक्रिया को स्वचालित करने और कार्य प्रवाह की क्षमता को बढ़ाने हेतु घरेलू अनुप्रयोगों का नियोजन।
- स्वचालित डेटा विनिमय, वैधता और सत्यापन के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के ज़रिए बाह्य एजेंसियों के साथ प्रणाली का एकीकरण।
- परिवर्तन प्रबंधन और घटना प्रबंधन प्रक्रियाओं का डिजिटाइज़ेशन के परिणामस्वरूप सेवा प्रबंधन बेहतर हुआ है और समस्याओं का समाधान तेज़ी से होता है।
- सूचित निर्णय लेने में सहायता करने और संगठनात्मक उत्पादकता में सुधार करने के लिए विश्लेषिकी और स्वचालन उपकरण का बेहतर उपयोग।

आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवा प्रबंधन

कंपनी ने महत्वपूर्ण व्यापर प्रणाली की विश्वसनीयता, मापनीयता और बाधाहीन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाना जारी रखा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय करने, एआई-आधारित सेवा प्रबंधन क्षमताओं को लागू करके कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने और सक्रिय निगरानी प्रणाली लाने के लिए अपने प्राथमिक डेटा सेंटर को पूरी तरह से उन्नत किया है।

प्रौद्योगिकी परिसम्पत्तियों की वास्तविक समय में निगरानी करने, संसाधन के प्रयोग को अनुकूल बनाने और अलग-अलग जगहों पर प्रणाली की उपलब्धता को बेहतर करने के लिए एडवांस्ड नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) और सेंट्रलाइज्ड एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन लागू किए गए हैं।

सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा

कंपनी एक सुरक्षित, लचीले और सुदृढ़ टेक्नोलॉजी माहौल को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उभरते साइबर खतरों, बदलते विनियामक आवश्यकताओं और उद्योग की बेहतरीन प्रथाओं से निपटने के लिए सूचना सुरक्षा नियंत्रण को निरंतर सुदृढ़ किया जाता है। कंपनी की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) आईएसओ 27001:2022 मानकों के अधीन प्रमाणित है, जो प्रभावी सूचना सुरक्षा अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और महत्वपूर्ण सूचना परिसम्पत्तियों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान की गई मुख्य पहलों में ये शामिल हैं:

- महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना और सुरक्षा घटनाओं की निगरानी।
- अनुप्रयोगों और अवसंरचना का समय-समय पर कमजोरियों का आकलन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी)।
- अनुमोदित आईटी ऑडिट कैलेंडर के अनुसार नियमित सुरक्षा और प्रणाली लेखा-परीक्षा, साथ ही लेखा-परीक्षा, मूल्यांकन और समीक्षा से मिली सिफ़ारिशों को लागू करना।
- साइबर सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नेटवर्क, एप्लिकेशन, एंडपॉइंट और डेटा एनवायरनमेंट में कई स्तरों वाले सुरक्षा कंट्रोल को सुदृढ़ करना।
- पूरे संगठन में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरंतर सहयोग और लागू होने वाली विनियामक सलाहों, दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम तौर-तरीकों का पालन।
- एक्सेस सिक्योरिटी को और सुदृढ़ करने और महत्वपूर्ण सूचना परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए पूरे एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन, सिस्टम और रिमोट एक्सेस चैनलों में मल्टी-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) लागू करना।

ये पहले एक सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम बनाए रखने, परिचालनगत लचीलापन सुनिश्चित करने और तेज़ी से बदलते साइबर खतरों के माहौल में अपने व्यावसायिक के लक्ष्यों को सहयोग देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती हैं।

विनियामक अनुपालन

आपकी कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए विनियामक और साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करती आ रही है। बदलती विनियामक अपेक्षाओं और उद्योगों की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी अभिशासन, साइबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा और परिचालनगत लचीला ढांचे की समय-समय पर समीक्षा और उन्हें मजबूत किया जाता है।

व्यावसायिक की निरंतरता और परिचालनगत लचीलापन

आपकी कंपनी महत्वपूर्ण व्यापारिक सेवाओं की बाधाहीन डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक व्यावसायिक निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा पुनर्प्राप्ति (डीआर) ढांचा बनाए रखती है। तैयारी का आकलन करने, पुनर्प्राप्ति क्षमताओं की पुष्टि करने और संभावित रुकावटों के ख़िलाफ़ संगठनात्मक लचीलापन बढ़ाने के लिए समय-समय पर जांच और मान्यकरण की प्रक्रियाएँ की जाती हैं।

15. ग्राहक संबंध

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख वित्तपोषण संस्थान के तौर पर अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया पाने के लिए ऋणकर्ताओं और दूसरे हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करती है। यह प्रतिक्रिया नीतियों और परिचालनगत प्रक्रियाओं की समीक्षा और उनमें सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही व्यावसायिक करने में आसानी को बेहतर बनाने पर निरंतर ध्यान दिया जाता है।

व्यावसायिक विकास

आपकी कंपनी के पास एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक विकास विभाग है, जो बाज़ार की जानकारी इकट्ठा करता है और संभावित ग्राहकों तक पहुँचता है। भारत के समर्पित हरित वित्तपोषण संस्थान के तौर पर, आपकी कंपनी देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लक्ष्यों के अनुरूप, व्यावसायिक विकास के लिए एक व्यवस्थित और सक्रिय तरीका अपनाती है। यह तरीका हितधारक के साथ जुड़ाव, बाज़ार तक पहुँच और ब्राण्ड बनाने पर केंद्रित है।

हितधारकों के साथ जुड़ाव

आपकी कंपनी अपनी सेवा-उन्मुख कार्य-संस्कृति के मूल आधार के रूप में हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव को महत्व देती है। मौजूदा ऋणकर्ताओं के साथ नियमित बातचीत को बढ़ावा देने के लिए हितधारक बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिससे आपकी कंपनी को ज़मीनी स्तर पर प्रतिक्रिया मिल सके और उसे नीति को बेहतर बनाने और प्रक्रियाओं में सुधार करने में शामिल किया जा सके। इस संरचित जुड़ाव से यह सुनिश्चित होता है कि इरेडा का वित्तपोषण ढांचा समय के साथ बदलती क्षेत्र की ज़रूरतों के अनुसार प्रतिक्रियाशील और सुलभ बना रहे।













हितधारकों की आपसी विचार-विमर्श वाली बैठकों की झलकियाँ

वित्त वर्ष 26 के दौरान, आपकी कंपनी ने 03 (तीन) ऋणकर्ताओं की बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों में मौजूदा और भावी, दोनों तरह के ऋणकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिससे सार्थक बातचीत और विचारों का आदान-प्रदान संभव हो सका।

बाज़ार विकास और नए क्षेत्र

व्यावसायिक विकास विभाग आपकी कंपनी के बाज़ार विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाता है। इसका मुख्य काम उभरते अवसरों की पहचान करना, संभावित ग्राहकों के साथ संबंध बनाना और काम के लायक परियोजना प्रस्ताव का एक जरिया विकसित करना है। कंपनी की रणनीतिक प्राथमिकताएं भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए प्रमुख उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित हैं, जिनमें ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन और उससे जुड़े व्युत्पन्न, स्मार्ट मीटरिंग अवसंरचना वगैरह शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने इन क्षेत्रों में सक्रिय रूप से संपर्क बढ़ाने के प्रयास किए, नयी परियोजना विकासकर्ताओं को जोड़ा और इन उभरती हुई प्रौद्योगिकी श्रेणियों में प्रस्तावों के माध्यम को मजबूत किया।

ब्राण्ड का निर्माण

आपकी कंपनी बहु चैनलों और मंचों पर फैले व्यापक मीडिया जुड़ाव के ज़रिए ब्राण्ड की दृश्यता और संस्थागत स्थिति को सुदृढ़ करने में निवेश करना जारी रखे हुए है। भारत की प्रमुख ग्रीन वित्तपोषण संस्था के तौर पर इरेडा की पहचान को सुदृढ़ करने के लिए, मुख्य उपलब्धियों, रणनीतिक विकास और क्षेत्र-वार कामयाबियों की जानकारी सभी प्लेटफॉर्म्स पर प्रभावी ढंग से दी जाती है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सबसे व्यस्त इंटरचेंज स्टेशनों में से एक, पिंक लाइन पर स्थित डीएमआरसी मेट्रो स्टेशन दिल्ली हाट-आईएनए के नामकरण के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं; अब इस स्टेशन के नाम के आगे 'इरेडा' जोड़ा गया है। यह पहल यात्रियों के एक बड़े और विविध समूह को निरंतर दैनिक दृश्यता प्रदान करती है और कंपनी के ब्राण्ड को टिकाऊ शहरी गतिशीलता के साथ जोड़ती है, जिससे इसकी सार्वजनिक उपस्थिति और मजबूत होती है।

प्रदर्शनियां और सम्मेलन

वित्त वर्ष 2026 के दौरान, आपकी कंपनी ने 02 (दो) कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, अर्थात पहला, 21 नवंबर 2025 से 23 नवंबर 2025 तक गुवाहाटी, असम के सरुसजाई स्टेडियम में आयोजित 'नॉर्थ ईस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो-2025'; और दूसरा, वर्ष 2026 के जनवरी महीने में दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ-2026)'।



भूतपूर्व सीएमडी ने माननीय केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के मार्गदर्शन में दावोस में डब्ल्यूईएफ 2025 में इरेडा का प्रतिनिधित्व किया और वैश्विक मंच पर भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण पहलों को प्रदर्शित किया।

16. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय व व्यय से सम्बंधित विवरण

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन

एक एनबीएफसी होने के नाते आपकी कंपनी, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है। इस प्रकार, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन से संबंधित जानकारी लागू नहीं होती है। हालाँकि, कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए, कंपनी ने केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की है।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वित्त वर्ष 26 के दौरान, ब्याज और प्रतिबद्धता व्यय खाते में ₹226.46 करोड़ की विदेशी मुद्रा व्यय के मुकाबले, विदेशी मुद्रा की कोई कमाई नहीं हुई।

17. मानव संसाधन विकास

तेज़ी से बदलते कारोबारी माहौल में, आपकी कंपनी अपनी मानव संसाधन क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर निरंतर ज़ोर दे रही है। मानव संसाधन (एचआर) का काम एक ऐसा समावेशी और बेहतरीन कार्य-निष्पादन वाली कार्य संस्कृति बनाना है, जो निरंतर सीखने और विकास को बढ़ावा दे।

कंपनी अपने कर्मचारियों को एक प्रमुख परिसंपत्ति मानती है। वे नवाचार को बढ़ावा देने, उत्पादकता बढ़ाने और कामकाज को प्रभावदार बनाए रखने के साथ-साथ कंपनी के लंबे समय के रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।

➢ **मानव संसाधन उद्देश्य :**

आपकी कंपनी मूल्यों पर आधारित संस्कृति को विकसित करने और संगठनात्मक प्रभावशीलता व क्षमता को निरंतर बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन तौर-तरीकों को अपनाने पर बहुत ज़ोर देती है। इसका मानव संसाधन दृष्टिकोण व्यावसायिक की प्राथमिकताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह कंपनी की निरंतर वृद्धि और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी प्रतिभा को आकर्षित करने, उसे निखारने और बनाए रखने पर ध्यान देता है, ताकि एक कुशल और प्रेरित कार्यबल तैयार किया जा सके। एक सकारात्मक, सहयोगी और उच्च-प्रदर्शन वाला कार्य-माहौल बनाने के लिए लोगों से जुड़ी कई संरचित प्रथाएं लागू की गई हैं। मानव संसाधन विभाग ने व्यापक नीतियां तैयार की हैं, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के जुड़ाव, उनकी भलाई और उनके समग्र पेशेवर विकास को बढ़ावा देना है। एक जैसा और प्रभावदार संपादन सुनिश्चित करने के लिए, इन नीतियों को प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली का समर्थन प्राप्त है, जिनमें परिभाषित नियंत्रण और सुव्यवस्थित कार्यप्रवाह शामिल हैं। आपकी कंपनी उद्योग मानकों के साथ तालमेल बनाए रखने और प्रतिभा बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कर्मचारियों को मिलने वाले फायदों का भी नियमित आकलन करती है।

➢ **उन्नत कर्मचारी जुड़ाव स्तर :**

लक्षित पहलों को लागू कर, आपकी कंपनी एक ऐसा कार्यस्थल बनाती है जहाँ कर्मचारी जुड़ा हुआ और अभिप्रेरित महसूस करते हैं तथा कंपनी के मिशन से जुड़े रहते हैं; इस तरह इसका उद्देश्य कर्मचारियों के जुड़ाव को बढ़ाना होता है। सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देकर और कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ावा देकर, आपकी कंपनी मनोबल, नौकरी से संतुष्टि और वफादारी बढ़ा सकती है। कर्मचारियों की भलाई से जुड़ी पहलों, जैसे कि स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम में निवेश करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, काम से गैर-हाज़िरी कम होती है और कुल मिलाकर कार्य-क्षमता में सुधार होता है।

प्रतिभा को निखारने और निरंतर सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण, उपदेशक और कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नियमित प्रतिक्रिया तंत्र और प्रशिक्षण व कौशल विकास के अवसर कर्मचारियों को सकारात्मक अनुभव प्रदान करने में मदद करते हैं।



अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

वित्त वर्ष 26 के दौरान शुरू की गई कर्मचारी जुड़ाव पहल निम्नानुसार हैं:

- 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत 15 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 के बीच सफाई और अनावश्यक सामान हटाने का अभियान
- 17 अक्टूबर, 2025 को दीपावली उत्सव
- 1 जनवरी, 2026 को नए वर्ष का उत्सव
- 8 मार्च, 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस उत्सव
- 11 मार्च, 2026 को स्थापना दिवस उत्सव
- कर्मचारियों के लिए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, हिंदी पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस आदि जैसे विभिन्न अवसरों पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

➢ **मानव संसाधन के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा पहल :**

वित्त वर्ष 26 हेतु समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, कंपनी को कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर 01 (एक) खेल प्रतियोगिता, 01 (एक) फिटनेस और चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित करने और 02 (दो) सुरक्षा जांच/ निरीक्षण या योग सत्र आयोजित करने थे। एक सुरक्षित, स्वस्थ और समावेशी कार्य-वातावरण प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल कीं :

- आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 27 सितंबर, 2025 को एक चिकित्सा शिविर लगाया गया था।
- सभी कर्मचारियों के लिए 10 जनवरी, 2026 को एक चिकित्सा/फिटनेस शिविर आयोजित किया गया था।
- आपकी कंपनी अपने कार्यालय परिसर में एक विशेष फिटनेस सुविधा बनाए रखती है, जिसमें बेहतरीन जिम उपकरण मौजूद हैं। कर्मचारियों की सेहत और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य जागरूकता सत्र, मेडिकल हेल्थ टॉक और वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।
- एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और स्पेशलिस्ट डॉक्टर कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए प्रत्येक हफ़्ते कंपनी के कार्यालय में आते हैं।
- सम्पूर्ण स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रोज़ाना ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं। आपकी कंपनी समय-समय पर चिकित्सा और स्वास्थ्य रिट्रीट कार्यक्रम के लिए कर्मचारियों को भी नामांकित करती है।
- कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आग से सुरक्षा वाले उपकरणों और मशीनों की नियमित रूप से जांच और रख-रखाव किया जाता है।
- 21 जून, 2025 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और कंपनी के कार्यालय में रोज़ाना योग सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का आकलन करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट किए जाते हैं।
- खेल और शारीरिक फिटनेस गतिविधियों में कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 17 जनवरी, 2026 को एक खेल दिवस आयोजित किया गया था।





सभी कर्मचारियों के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया था।

ऊपर बताई गईं पहलों के ज़रिए, कंपनी ने न सिर्फ़ समझौता ज्ञापन की निर्धारित ज़रूरतों को पूरा किया, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर नतीजे प्राप्त किए। इससे कर्मचारियों की सेहत, सुरक्षा, कल्याण और कुल मिलाकर उनकी भलाई के प्रति कंपनी की निरंतर प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।

कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और बीमारी का जल्द पता लगाने हेतु बड़े पैमाने पर टीबी स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और स्वच्छता पखवाड़ा जैसे अवसरों पर, आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के परिवारों की भागीदारी के साथ-साथ कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित कीं, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिला और कर्मचारियों के जुड़ाव व संगठनात्मक एकजुटता को मजबूती मिली।

➢ **स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 और विशेष अभियान 5.0 :**

स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 और विशेष अभियान 5.0 के तहत, आपकी कंपनी ने 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक स्वच्छता और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली कई संरचित गतिविधियों के ज़रिए यह अभियान चलाया। इस अभियान की शुरुआत नई दिल्ली के स्कूलों में छात्रों के साथ कार्यक्रमों से हुई, जिनमें पौधे लगाने, नारा लिखने और पोस्टर बनाने जैसी गतिविधियां शामिल थीं। साथ ही, वरिष्ठ कर्मचारियों ने अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता सत्र भी आयोजित किए।





साथ ही, सोशल मीडिया और आतंरिक संचार मंच के ज़रिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए गए। निगमित कार्यालय में "एक दिन, एक घंटा, एक साथ" के तहत स्वच्छता मेगा अभियान का आयोजन किया गया, इस दौरान सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। इसके बाद पूरी कंपनी में साफ़-सफ़ाई और अव्यवस्था दूर करने का अभियान, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और स्वच्छता पर एक विशेषज्ञ सत्र आयोजित किया गया, और अंत में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सफाई मित्रों और गृह-व्यवस्था कर्मचारी के लिए रक्त की जांच, ईसीजी आदि का एक स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के चंदौली में 'स्वच्छता लक्ष्य इकाइयाँ' (सीटीयू) की सफ़ाई और सौंदर्यीकरण का काम हाथ में लिया गया। साथ ही, निरीक्षण और कचरा अलग-अलग करने के अभियान भी चलाए गए, जिससे साफ़-सुथरे पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता और सुदृढ़ हुई।

- **मानव संसाधन जनसांख्यिकी:**

बोर्ड स्तरीय कार्यपालकों को छोड़कर, आपकी कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या 31 मार्च, 2026 तक 224 थी, जबकि 31 मार्च, 2025 तक 166 थी। कुल 224 कर्मचारियों में से 208 कर्मचारी कार्यपालक स्तर के पदों पर हैं। आपकी कंपनी को छोड़ने की दर 1.54 % थी, जिसमें सेवानिवृत्ति के मामले शामिल नहीं हैं। 31 मार्च, 2026 तक कर्मचारियों की औसत आयु ~41.25 वर्ष थी।

- **बुनियाद का सुदृढ़ीकरण : प्रतिभा अधिग्रहण**

आपकी कंपनी ने देश भर के अलग-अलग इलाकों से 79 पेशेवरों को शामिल करके अपने प्रतिभा पूल को काफ़ी सुदृढ़ किया है। इनमें राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात 26 प्रमुख संगठनों के अनुभवी पेशेवर और आईआईटी, आईआईएम, एक्सएलआरआई, आईसीएफएआई, एक्सआईएम, आईसीएमएआई, एनएलयू और एनएमआईएमएस जैसे लगभग 16 बेहतरीन संस्थानों की युवा प्रतिभा शामिल हैं। इस तरह, कंपनी ने एक ऐसा कार्यबल तैयार किया है जिसमें अलग-अलग पेशेवर, शैक्षणिक और क्षेत्रीय पृष्भूमि वाले लोग शामिल हैं।

युवा प्रतिभा के आने और साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता और अनुभव से आपकी कंपनी की संस्थागत क्षमता काफी सुदृढ़ हुई है, उसका रणनीतिक फोकस बेहतर हुआ है, और वह बेहतरीन प्रदर्शन और लंबे समय तक मूल्य निर्माण के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इससे भारत सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में कंपनी का योगदान और भी सुदृढ़ होगा।

- **उत्तराधिकार की योजना और नेतृत्व विकास :**

आपकी कंपनी के पास नेतृत्व निरंतरता सुनिश्चित करने बनाए रखने, भावी-तैयार लीडरों को बनाने और संगठनात्मक संस्कृति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक उत्तराधिकार योजना और नेतृत्व विकास नीति (एसपीएलडीपी) है। यह नीति प्रमुख पदों के लिए प्रतिभा की पहचान करने और उसे निखारने, सुदृढ़ नेतृत्व का जरिया बनाने और मुख्य भूमिकाओं में आसानी से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है, ताकि संगठन की लंबे समय तक स्थिरता और व्यावसायिक के निरंतर चलते रहने में मदद मिल सके।

- **लैंगिक विविधता और महिला सशक्तिकरण :**

महिला कर्मचारी आपकी कंपनी की संगठनात्मक क्षमताओं और समावेशी संस्कृति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती हैं। आपकी कंपनी भर्ती, पेशे में आगे बढ़ने और नेतृत्व विकास में समान अवसर सुनिश्चित करके लिंग-विविध कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 31 मार्च 2026 तक, महिला कर्मचारियों की संख्या 52 थी, जो कुल कर्मचारियों की संख्या का 23.21% है। कुल महिला कर्मचारियों में से 98.08% कार्यपालक स्तर के पदों पर हैं।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, अलग-अलग कामों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष पहल की गईं। इन पहलों को वैधानिक प्रावधानों और बेहतरीन अभिशासन के तरीकों के अनुरूप, एक सुरक्षित, सम्मानजनक और काम करने के लिए अनुकूल परिवेश निर्माण हेतु सहयोग मिला। कंपनी यौन उत्पीड़न की रोकथाम और कर्मचारियों की भलाई के लिए सुदृढ़

नीतियां लागू करना जारी रखे हुए है, साथ ही क्षमता-निर्माण और परामर्श कार्यक्रम भी चला रही है। ये प्रयास विविधता, समानता और समावेश के प्रति कंपनी की व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिससे संगठनात्मक प्रदर्शन और टिकाऊ विकास में सुधार होता है।

- **सुदृढ़ कार्यबल विकास: प्रशिक्षण व विकास**

आपकी कंपनी निरंतर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के ज़रिए अपने कर्मचारियों के ज्ञान को सामूहिक रूप से बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को निखारने में विश्वास रखती है।आपकी कंपनी ने अपने कामकाज से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित कीं। वित्त वर्ष 26 में, कर्मचारियों को कई विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है, जैसे कि सार्वजनिक खरीद; केवाईसी और सीकेवाईसी; ईएसजी, बीआरएसआर और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग; बैटरी निर्माण; कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी); बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस); ग्रीन हाइड्रोजन और उससे जुड़े व्युत्पन्न; इनसाइडर ट्रेडिंग कोड; सूचना और साइबर सुरक्षा; डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट; बीएफएसआई क्षेत्र के लिए अभिशासन, जोखिम और अनुपालन; एआई-सक्षम परियोजना प्रबंधन; एनबीएफसी के लिए केवाईसी/एएमएल प्रथा और विनियामक उम्मीदें; परियोजना वित्तपोषण और पीपीपी; गैर-सहकारी ऋणकर्ताओं; जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले और स्टाफ की जवाबदेही; एबीबीएफएफ और आरबीआई की नवीनतम धोखाधडी नीति; एनबीएफसी के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए); सतर्कता प्रशासन; व्युतपन्न; पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) - अवधारणा और नीति ढांचा; परियोजना के वित्तपोषण के लिए वित्तपोषण मॉडलिंग; कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम; आईएफएससी में धन-शोधन विरोधी और आतंकवाद के लिए वित्तपोषण को रोकना; श्रमिक संहिता; धोखाधडी के बारे में जागरूकता; उद्यम के नेतृत्व के लिए सॉफ्ट स्किल्स और कार्यकारी दक्षता आदि शामिल हैं।

नियमित रूप से आयोजित होने वाले प्रशिक्षण, व्याख्यान शृंखला और अन्य विशेष विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के ज़रिए (चाहे वे ऑफ़लाइन हों या आभासी अपना कौशल सीखने, विकसित करने और बेहतर बनाने का मौका कर्मचारियों को मिला।आपकी कंपनी ने संगठन के अंदर कर्मचारियों के स्थानांतरण और कार्यावर्तन के ज़रिए ज्ञान साझा करने और काम के दौरान सीखने को भी बढ़ावा दिया।

आपकी कंपनी एजेएनआईएफ़एम, एससीओपीई, आरबीआई, हडको के एचएसएमआई, बीसीजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स आदि जैसे कई बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों/संगठनों से विशेषज्ञ प्रशक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय टीबी प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि द्वारा कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ज़रूरत-आधारित अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ अनुकूलित आभासी घरेलू कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। दिए जाने वाले प्रशिक्षण में नए कर्मचारियों के साथ-साथ कार्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहने वाले प्रबंधक के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, कर्मचारियों के लिए व्यवहार-संबंधी और नेतृत्व प्रशिक्षण भी शामिल हैं।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, आपकी कंपनी ने कई व्याख्यान शृंखला, केंद्रित विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित किए, जिससे 2,721 प्रशिक्षण मानव-दिवस का लक्ष्य प्राप्त हुआ।

कर्मचारियों की भलाई, रणनीतिक तालमेल और निरंतर सीखने-सिखाने की संस्कृति को बढ़ावा देकर, आपकी कंपनी एक चुस्त और प्रेरित कार्यबल तैयार करती है। मानव पूंजी पर यह रणनीतिक फ़ोकस न केवल आपकी कंपनी को उसके लंबे समय के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाता है, बल्कि हितधारकों के लिए टिकाऊ मूल्य बनाने की उसकी क्षमता को भी सुदृढ़ करता है। इससे तेज़ी से बदलते माहौल में कंपनी की प्रतिस्पर्धी बढ़त और लचीलेपन सुदृढ़ और पक्का होता है।

- **आरक्षण और रोजगार**

आपकी कंपनी अ.जा./अ.ज°जा./अ.पि.व. कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। 31 मार्च, 2026 तक कुल कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का समूहवार विवरण निम्नानुसार है:

समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.जजा.	अ.पि.व.
क	208	19	07	43
ख	-	-	-	-
ग	16	03	01	03
घ	-	-	-	-
कुल	**224**	**22**	**08**	**46**

➢ **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण।**

आपकी कंपनी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त एक सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट करने की स्थिति में सख्त और कठोर कार्रवाई करती है। आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनायी है। वित्त वर्ष 26 के दौरान इस विषय पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

क्रम संख्या	विवरण	शिकायतों की संख्या
1.	वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	शून्य
2.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
3.	90 (नब्बे) दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	शून्य

सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम के बारे में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, आईसीसी के सदस्यों ने पीओएसएच अधिनियम पर एक विशेषज्ञ कार्यशाला में भाग लिया।

➢ **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961**

आपकी कंपनी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और इसके तहत बनाए गए सभी लागू नियमों का पालन करती है। महिला कर्मचारियों को कानूनी प्रावधानों के अनुसार मातृत्व लाभ दिए जाते हैं, जिनमें सेवारत मातृत्व अवकाश और लागू होने वाले अन्य संबंधित लाभ शामिल हैं। आपकी कंपनी लागू श्रमिक कानूनों और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार मानव संसाधन नीति लागू करके महिला कर्मचारियों के लिए एक सहयोगी और समावेशी काम का माहौल भी सुनिश्चित करती है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ और कल्याणकारी उपायों से सम्बंधित सभी कानूनी ज़रूरतों का पालन करती रही है।

➢ **शिकायत निवारण**

आपकी कंपनी के पास आम जनता और कर्मचारियों, दोनों के लिए शिकायत निवारण की एक सुदृढ़ और पारदर्शी व्यवस्था है। शिकायत निवारण समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती हैं ताकि चिंताओं की समीक्षा की जा सके और उन्हें व्यवस्थित तरीके से हल किया जा सके। सभी शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर, अच्छी तरह से परिभाषित और मानक प्रक्रियाओं के ज़रिए किया जाता है। इससे शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित होता है और जवाबदेही, निष्पक्षता तथा हितधारक की संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्धता सुदृढ़ होती है।

आपकी कंपनी में कर्मचारियों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल है, जो समस्याओं का आसानी से, पारदर्शी तरीके से और निर्धारित समय में समाधान सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए विधिवत रूप से अधिसूचित 'नागरिक चार्टर' लागू है और सभी हितधारकों की सुविधा के लिए यह कंपनी की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है।

➢ **कर्मचारी ब्योरा**

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उक्त नियमों में निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण दिखाने वाला एक विवरण देना आवश्यक है। हालांकि, भारत सरकार के निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गयी 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का पालन करने से छूट दी गयी है। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए ऐसे विवरणों को निदेशक की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

18. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था बनने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है जो जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समाज और राष्ट्र में सक्रिय रूप से योगदान देती है। कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल सकारात्मक प्रभाव डालने और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं सतत विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के सिद्धांत में गहराई से जुड़ी हुई हैं। अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, आपकी कंपनी का लक्ष्य है देश के पर्यावरणीय और सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों आदि के क्षेत्र में टिकाऊ समुदाय और पर्यावरणीय परियोजनाओं में योगदान के माध्यम से समाज में मूल्य सृजन को बढ़ावा देना और उसे आगे भी सुविधाजनक बनाये रखना। इसके अतिरिक्त,कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों के संवर्धन और वंचित क्षेत्रों के विकास जैसे विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है।

आपकी कंपनी ने बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति बनायी है। आपकी कंपनी की सीएसआर नीति https://www.ireda.in/policy/csr पर उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2026 के लिए, आपकी कंपनी का सीएसआर बजट ₹32.60 करोड़ था। कंपनी ने आम जनता के लिए एक स्वस्थ और ज़्यादा टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम करने के लिए, कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अधीन अनुमति दी गई सीएसआर गतिविधियों के लिए कुल 34 (चौतीस) अदद परियोजनाओं के लिए ₹32.57 करोड़ की मंज़ूरी दी, और ₹0.03 करोड़ प्रशासनिक खर्चों पर व्यय किए गए।

हमारी सीएसआर गतिविधियों और प्रत्येक गतिविधि पर हुए खर्च का विवरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-V** में दिया गया है। सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार निगम के तौर पर, आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में अपने सीएसआर प्रभाव को बढ़ाने और देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रीन एनर्जी को अपनाने और सेहत से जुड़े सक्रिय उपायों को एक साथ लाकर, आपकी कंपनी एक ऐसा व्यापक बदलाव लाना चाहती है जो समाज और आम जन को सशक्त बनाए।

19. राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों और अनुदेशों को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, हिंदी टंकण और स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया। भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, प्रत्येक वर्ष जांच बिंदु निर्धारित किए जाते हैं और उनकी जानकारी दी जाती है।



हिंदी पखवाड़ा के दौरान अक्षय क्रांति पत्रिका का विमोचन करते तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ अधिकारीगण

राजभाषा के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, इरेडा का इंट्रानेट और आधिकारिक वेबसाइट द्विभाषी रूप में बनाए रखे जाते हैं। साथ ही, ई-ऑफिस और दैनिक टंकण कार्यों में हिंदी के उपयोग को समर्थन देने के लिए सभी कंप्यूटरों पर हिंदी टंकण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रोज़ाना एसएमएस के माध्यम से हिंदी शब्द भेजे जाते हैं।

राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएं और राजभाषा बैठकें आयोजित की जाती हैं। वित्त वर्ष 26 के दौरान, कर्मचारियों को राजभाषा से संबंधित भारत सरकार के दिशानिर्देशों की जानकारी देने के लिए भौतिक/आभासी माध्यम से 04 (चार) हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इरेडा में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण 25 नवंबर, 2025 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अधिकारियों द्वारा किया गया और निरीक्षण के दौरान कंपनी के प्रदर्शन की सराहना की गई।

सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर से 16 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान आभासी माध्यम से कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इरेडा कर्मचारियों के बच्चों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के दौरान सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

राजभाषा को और बढ़ावा देने के लिए, इरेडा नियमित रूप से अपनी तिमाही ई-पत्रिका 'अक्षय क्रांति' प्रकाशित करता है। इस पत्रिका के सभी अंक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

11 दिसंबर, 2025 को दिल्ली स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम-1) के तत्वावधान में, इरेडा ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की। अलग-अलग संगठनों से कुल 14 (चौदह) प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अपने बेहतरीन आयोजन के लिए इरेडा को नराकास की ओर से "ऑर्गनाइज़र अवॉर्ड" से सम्मानित किया गया।

राजभाषा विभाग ने इरेडा के सभी कर्मचारियों के लिए विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 10 जनवरी, 2026 को एक ऑनलाइन राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर 21 फरवरी, 2026 को हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की।

20. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के अंतर्गत रिपोर्टिंग

भारत सरकार द्वारा जारी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु सार्वजनिक खरीद नीति के अनुपालन में, देखें सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012, आपकी कंपनी खरीद करते समय एमएसई विक्रताओं को क्रय अधिमान्यता देती है। एमएसई को कई तरह की छूट भी दी जा रही हैं, जैसे कि खरीद गतिविधियों में जमा बयाना राशि, पिछले कारोबार और पिछले अनुभव से छूट (चयन के आधार पर) आदि।इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी भारत सरकार के जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस), सम्बन्ध एवं समाधान और टीआरईडीएस(ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टल्स पर पंजीकृत है। आपकी कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की व्यावसायिक प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए सभी 05 (पांच) टीआरईडीएस मंचों पर पंजीकृत है, यानी रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) पर 06.01.2020 से, इनवॉयसमार्ट पर 08.11.2024 से, एम1एक्सचेंज पर 15.10.2024 से, क्रेडएक्स पर 20.01.2026 से और सी2एफओ पर 31.03.2026 से। टीआरईडीएस प्लेटफ़ॉर्म एमएसएमई के इनवॉयस की डिस्काउंटिंग में मदद करता है, जिससे उनके नियमित कामकाज के लिए तत्काल कार्यशील पूँजी मिल जाती है।

कंपनी ने समय-समय पर संशोधित 'सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012' के प्रावधानों और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एमएसई (जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई भी शामिल हैं) से खरीद को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आपकी कंपनी सामान और सेवाओं की उपलब्धता के अनुसार जीईएम पोर्टल से ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर रही है। जीईएम पोर्टल के ज़रिए कुल खरीद ₹23.528 करोड़ की थी। वित्त वर्ष 26 के दौरान, कंपनी की कुल खरीद (सामान और सेवाएँ) ₹41.367 करोड़ थी।

वित्त वर्ष 26 के लिए एमएसई से खरीद की जानकारी नीचे दी गई है :

श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)	कुल खरीद का %	समझौता ज्ञापन के अनुसार लक्ष्य
एमएसई से खरीद (कुल मिलाकर)	10.924	26.41%	25%
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद	0.263	0.64%	4%
महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद	2.452	5.93%	3%

एमएसई से खरीद की जानकारी 'संबंध' पोर्टल पर प्रत्येक महीने अद्यतन की जाती है। वर्ष 2026 के मार्च महीने खरीद का विवरण भी 30.04.2026 से पहले समय पर पोर्टल पर अद्यतन किया गया था। एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी की खरीद गतिविधियाँ मुख्य रूप से कार्यालय से जुड़ी ज़रूरतों तक ही सीमित हैं, जैसे कि कार्यालय का सामान, संचार उपकरण और आईटी उपकरण। इस तरह की सभी खरीद 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (जीईएम) के ज़रिए की जाती है, जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) से सामान खरीदने पर विशेष ज़ोर दिया जाता है और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। 31 मार्च, 2026 तक, कंपनी पर ऐसी किसी भी एमएसई का कोई बकाया नहीं है जो 45 दिनों से ज़्यादा समय से लंबित हो।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, कंपनी ने अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एमएसई को छोड़कर, एमएसई से खरीद के वार्षिक समझौता ज्ञापन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत उप-श्रेणी के लक्ष्यों सहित, निर्धारित खरीद लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी निरंतर प्रयास करती है। हालांकि, जीईएम पोर्टल पर

विक्रेताओं का वर्गीकरण बोली लगाने वालों द्वारा बोली जमा करते समय दिए गए स्व-घोषणाओं पर आधारित होता है। परिणामस्वरूप, विशेष सब-श्रेणी से जुड़े योग्य विक्रेताओं की उपलब्धता पूरी तरह से किसी विशेष खरीद ज़रूरत के लिए मिली बोलियों पर निर्भर करती है।

चूंकि कंपनी केवल प्राप्त पात्र बोलियों में से ही अनुबंध दे सकती है, इसलिए विशिष्ट एमएसई उप-श्रेणियों के विक्रेताओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व पर उसका सीमित नियंत्रण है। यह कमी बोली प्रक्रिया में संबंधित उप-श्रेणियों के पात्र विक्रेताओं की अनुपलब्धता या अपर्याप्त भागीदारी के कारण है, जिसकी जानकारी एमएसएमई मंत्रालय को दी जाएगी।

21. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने नागरिकों को सूचना प्रदान करने तथा जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है। आपकी कंपनी के पास आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) है। तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट जैसी अनिवार्य रिपोर्टें केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित समय-सीमा के अंदर समय-समय पर प्रस्तुत की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अधीन स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण के साथ सभी प्रासंगिक विवरण भी आपकी कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in/IredaWebPortal/rti/right-to-information-act पर प्रकाशित किये गये हैं।

वित्त वर्ष 26 के दौरान आरटीआई कक्ष द्वारा प्राप्त आवेदनों और अपीलों की संख्या से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है :

क्र.सं.	आरटीआई का विवरण	संख्या
1.	प्राप्त आवेदन	238
2.	निपटाए गए आवेदन	238
3.	अपीलीय प्राधिकारी, इरेडा द्वारा प्राप्त प्रथम अपील	28
4.	अपीलीय प्राधिकारी, इरेडा द्वारा निपटाई गई प्रथम अपील	28
5.	केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त द्वितीय अपील	0
6.	केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटाई गई द्वितीय अपील	0

सभी आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर किया गया है।

22. सतर्कता

आपकी कंपनी समय-समय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी अनुदेशों और दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है और प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए निवारक और प्रशासनिक सतर्कता जांच आयोजित करती है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा कई नई पहल और प्रणाली सुधार किए गए।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

आपकी कंपनी ने 27 अक्टूबर 2025 से 02 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया है, जिसका विषय है "सतर्कता हमारी साझा उत्तरदायी", अर्थात "Vigilance: Our Shared Responsibility", जिसमें प्रत्येक कर्मचारी द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की पूर्व संध्या पर, कर्मचारियों ने व्याख्यान, सेमिनार, प्रस्तुतीकरण, भाषण प्रतियोगिताओं आदि सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। कंपनी की सतर्कता से जुड़ी आंतरिक वार्षिक पत्रिका 'पहल' का नौवां संस्करण भी प्रकाशित किया गया, जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भेजे गए लेख, कविताएं, चित्र आदि शामिल थे। जागरूकता अभियान के एक भाग के रूप में, विभिन्न स्थानों पर पोस्टर और बैनर प्रदर्शित किए गए और रेडियो जिंगल बजाए गए।

23. पुरस्कार एवं सम्मान

- वित्त वर्ष 2026 के दौरान, नई दिल्ली में 4 फरवरी, 2026 को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 'छठे ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार' में आपकी कंपनी को "ग्रीन एनर्जी और ऊर्जा दक्षता में महिलाओं के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार" श्रेणी में रजत अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- आपकी कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास को 23 जून, 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएमए) द्वारा प्रतिष्ठित 'CMA ICON 2025' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
- आपकी कंपनी के निदेशक (वित्त) डॉ. बिजय कुमार महान्ती को 23 जून, 2025 को आईसीएमएआई द्वारा इस पेशे में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफ़ एप्रिसिएशन' से सम्मानित किया गया।
- 23 जून, 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आईसीएमएआई के 12वें राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह के दौरान, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक श्री सदानंद दाते ने श्री प्रदीप कुमार दास, तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए।
- आपकी कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास को 8 जून, 2025 को नई दिल्ली में 'प्रवासी ओडिया विकास समिति' द्वारा 'प्रवासी सबुज सम्मान (प्रवासी ग्रीन अवॉर्ड)' से सम्मानित किया गया।

24. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणालियाँ

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बहु ईसीजी रेटिंग प्रदाताओं (ईआरपी) द्वारा दी गई रेटिंग्स में सुदृढ़ ईसीजी कार्य-निष्पादन/कम ईसीजी जोखिम का प्रदर्शन किया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख इकाई और एक उत्तरदायी वित्तपोषण संस्थान होने के नाते, इसने एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) अपनायी है। इसका उद्देश्य उन परियोजनाओं के पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव (अगर कोई हो) की पहचान करना और उन्हें कम करना है, जिनका इसने वित्तपोषण किया है। एक सूचीबद्ध कंपनी के तौर पर, कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के तौर पर 'व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग' (बीआरएसआर) प्रारूप में अपनी पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त, अपने ईएसजी ढांचा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सक्रिय कदम के तौर पर, कंपनी ने एक व्यापक ईएसजी पॉलिसी अपनाई है, जो इसकी वेबसाइट https://www.ireda.in/policy/esg पर भी उपलब्ध है।

पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा इकाई (ईएसएसयू) की मुख्य उत्तरदायी है अलग-अलग परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी में पर्यावरण एवं सामाजिक (ई एंड एस) जोखिमों को प्रबंधित करना और साथ ही ईएसएमएस को प्रभावी ढंग से लागू करना। वित्त वर्ष 2026 के दौरान, ईएसएसयू ने कंपनी द्वारा वित्तपोषित सभी तकनीकों के तहत लगभग 84 (चौरासी) परियोजनाओं की ईएंडएस स्क्रीनिंग और वर्गीकरण का काम किया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ नियमित बातचीत से उनकी ईएंडएस (पर्यावरण और सामाजिक) ज़रूरतों के साथ तालमेल और सुदृढ़ हुआ है। इससे कंपनी अपनी उत्तरदायीयिों को पूरा करने और ऋण लेने वालों को ई एंड एस जोखिमों के प्रभावी ढंग से प्रबंधन में सहायता करने में सक्षम हुई है।

25. निदेशक

• निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

31 मार्च, 2026 तक, आपकी कंपनी के बोर्ड में 3 (तीन) निदेशक शामिल हैं, जिनमें 2 (दो) कार्यपालक निदेशक और 1 (एक) अंशकालिक सरकार नामित निदेशक हैं। वित्त वर्ष 26 के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी के निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के 18 अगस्त, 2026 के आदेश के अनुसार, श्री मनोनीत दलाल (डीआईएन : 10059661) को 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री मनोनीत दलाल को 18 अगस्त, 2026 से गैर- आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया है।
- एमएनआरई के 23 जुलाई, 2026 के आदेश के अनुसार, एमएनआरई के संयुक्त सचिव श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम (डीआईएन : 07935156) को तत्काल प्रभाव से सरकार नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 03 (तीन) कार्यात्मक निदेशकों के पदों के भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। इसके अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम को 24 जुलाई, 2026 से सरकार नामित निदेशक नियुक्त किया है।
- एमएनआरई के 30 जून, 2026 के आदेश के अनुसार, डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (डीआईएन : 08816532) को 01 जुलाई, 2026 से 03 (तीन) महीने की अवधि के लिए, या सीएमडी के पद पर किसी नियमित अभ्यर्थी की नियुक्ति होने तक, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अनुसार, डॉ. महान्ती ने 01 जुलाई, 2026 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है।

- एमएनआरई के 14 मई, 2025 के आदेश के अनुसार, श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) (डीआईएन : 07448576) का कार्यकाल 6 मई, 2025 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 30 जून, 2026 तक, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया था। इसके अनुसार, श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी 30 जून, 2026 को कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। श्री दास 1 जुलाई, 2026 से कंपनी के सीएमडी नहीं रहे।

- डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर (डीआईएन : 09556253) और श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट (डीआईएन : 09483059) दिनांक 28 मार्च 2026 से इरेडा के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नहीं रहे, क्योंकि एमएनआरई आदेश दिनांक 28 मार्च 2025 के अनुसार उनका कार्यकाल पूरा हो गया है।

- एमएनआरई के 06 मार्च, 2023 के आदेश के अनुसार, कार्यकाल पूरा होने के कारण श्री राम निहाल निषाद (डीआईएन: 10064841) और श्रीमती रोहिणी रावत (डीआईएन :10064820) 06 मार्च, 2026 से इरेडा के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नहीं रहे।

- श्री तुषार कांत परिदा, कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) - संसाधन समूह के प्रमुख (एएलएम सहित) को 02 मार्च, 2026 से श्री अमित गोयल, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) की जगह कंपनी का प्रमख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त किया गया है।

श्रीमती एकता मदान कंपनी की कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बोर्ड की मंज़ूरी के अनुसार, 31 मार्च, 2026 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त) और सीएफओ, ईडी (वित्त एवं लेखा) - संसाधन समूह (एएलएम सहित) के प्रमुख और कंपनी सचिव आपकी कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं।

श्री प्रदीप कुमार दास के कार्यकाल के दौरान उनके असाधारण नेतृत्व, बेहतरीन योगदान और अमूल्य मार्गदर्शन के लिए बोर्ड उनके प्रति अपनी गहरी सराहना और हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता है। बोर्ड ने यह भी माना कि उनकी लगन, दूरदर्शिता और शानदार कार्य-निष्पादन ने कंपनी के विकास और सफलता में प्रमुख योगदान दिया है। कंपनी के साथ जुड़े रहने के दौरान स्वतंत्र निदेशक द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए बोर्ड उनके प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करना चाहता है।

- **बोर्ड और उसकी समितियाँ**

बोर्ड और उसकी समितियों के गठन, समिति के दायरे, बोर्ड/समिति की हुई बैठकों की संख्या और उनमें निदेशकों /सदस्यों की उपस्थिति के साथ-साथ अन्य जानकारी 'निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट' में दी गई है, जो इस रिपोर्ट का ही एक हिस्सा है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो।

- **आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे निदेशक(कों) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग**

कंपनी अधिनियम, 2013 और आपकी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 74(7) के प्रावधानों के अनुसार, श्री पदम लाल नेगी (डीआईएन : 10041387) आपकी कंपनी की आगामी 39वीं एजीएम में रोटेशन के तहत सेवानिवृत्त होंगे और योग्य होने के कारण, दोबारा नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तावित कर सकते है। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के तहत, श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम (डीआईएन : 07935156) को सरकार नामित निदेशक और श्री मनोनीत दलाल (डीआईएन : 10059661) को गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के तौर पर नियुक्त करने का प्रस्ताव, आने वाली 39वीं एजीएम में शेयरधारकों की मंज़ूरी के लिए रखा जा रहा है। बोर्ड उनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है।

श्री पदम लाल नेगी, श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम और श्री मनोनीत दलाल का संक्षिप्त बायोडेटा और अन्य विवरण एजीएम की सूचना के साथ संलग्न हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

26. निदेशकों की नियुक्ति/पारिश्रमिक तथा कार्य-निष्पादन मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के खंड के अनुसार, योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, निदेशक की स्वतंत्रता और अधिनियम की धारा 178 (3) के अधीन प्रदान किये गये अन्य मामलों के निर्धारण के लिए निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक मानदंडों पर नीति के प्रकटीकरण की आवश्यकता से निगमित मामले के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के मार्फ़त सरकारी कंपनियों को छूट दी गयी है। अच्छे अभिशासन के रूप में और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन करने के लिए, आपकी कंपनी ने बोर्ड में विविधता; वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक (एसएमपी) की नियुक्ति के लिए

मानदंड; निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा निदेशक के मूल्यांकन के लिए मानदंड से संबंधित नीति लागू की है। उक्त नीति आपकी कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/policy/board-diversity पर उपलब्ध है।

आपकी कंपनी के बोर्ड में सुयोग्य निदेशक शामिल हैं, जो आपकी कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक कौशल, दक्षता और विशेषज्ञता रखते हैं तथा बोर्ड और इसकी समितियों में प्रभावी योगदान देते हैं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों के चयन, नियुक्ति और प्रवेशन की प्रक्रिया भारत के माननीय राष्ट्रपति के पास निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी आपकी कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक सहित एक निदेशक के रूप में नामित या नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की ईमानदारी, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करता है और उनका मूल्यांकन भी करता है।

सीएमडी के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन में शामिल है समझौता ज्ञापन रेटिंग और व्यक्तिगत विशेषताओं तथा कार्यात्मक दक्षताओं के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्व-मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन। प्रकार्य निदेशकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन में संबंधित कार्यात्मक निदेशकों द्वारा स्व-मूल्यांकन और उसके बाद सीएमडी द्वारा मूल्यांकन (एमओयू लक्ष्यों की प्राप्ति और एमओयू रेटिंग, केपीआई और व्यक्तिगत विशेषताओं और कार्यात्मक दक्षताओं के आधार पर) शामिल है, जिसमें प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सरकारी कंपनियों को दी गयी छूट के अनुपालन में, आपकी कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में यह बताने से छूट दी गयी है कि बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य-निष्पादन का औपचारिक मूल्यांकन कैसे किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन करने के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन किया गया। उक्त मानदंड उपस्थिति, व्यवसाय से परिचय, बोर्ड के सदस्यों के बीच परस्पर संचार, प्रभावी भागीदारी, आचार संहिता का अनुपालन, प्रशिक्षण आदि जैसे कुछ मानदंड प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी अलग बैठक में गैर-स्वतंत्र निदेशकों और पूरे बोर्ड के कार्य-निष्पादन का भी मूल्यांकन किया है।

स्वतंत्र निदेशक अधिनियम के तहत निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदन के अनुसार बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठने शुल्क के पात्र हैं। सरकार नामित निदेशकों को आपकी कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है। निगमित अभिशासन रिपोर्ट में कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों की बैठक शुल्क का खुलासा किया गया है।

27. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणाएँ

वित्त वर्ष 26 के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 16(1)(ख) के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को 'स्वतंत्र निदेशक' के पद पर बनाये रखने के लिए पूरा करते हैं और उनमें से प्रत्येक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, कोई भी स्वतंत्र निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपना नाम इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा अनुरक्षित स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक के पास पंजीकृत करवा लिया है। नियुक्ति प्राधिकारी नामित/नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की ईमानदारी, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करता है। बोर्ड की राय में, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक ईमानदार व्यक्ति हैं और कंपनी में प्रभावी रूप से योगदान देने के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता, दक्षता और अनुभव रखते हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार, मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव ने वित्त वर्ष 26 के दौरान निदेशक मंडल को निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र जारी किया है, और इसे वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न किया गया है।

28. सांविधिक प्रकटीकरण

क) वित्त वर्ष 26 के दौरान आपकी कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है।

ख) आरक्षित निधियों में अंतरित राशि का उल्लेख "प्रदर्शन सारांश" शीर्षक के अंतर्गत किया गया है।

ग) आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है और वित्त वर्ष 27 के दौरान भी कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करेगी। कंपनी के निदेशक मण्डल ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में अपेक्षित प्रस्ताव पारित कर दिया है।

घ) विनियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किये गये थे, जिससे भविष्य में आपकी कंपनी और उसके प्रचालन की स्थिति पर प्रभाव पड़े।

ङ) आपकी कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। विस्तृत विवरण के लिए, कृपया 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186(11) के अनुसार, कंपनियों को वित्तपोषित करने या अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के काम में लगी आपकी कंपनी द्वारा दिये गये ऋण, दी गयी गारंटी या प्रदान की गयी प्रतिभूतियां आपकी कंपनी पर लागू नहीं होती हैं, इसलिए किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

छ) वित्त वर्ष 26 के दौरान,आपकी कंपनी ने निदेशकों या किसी भी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीँ किया है ।

ज) आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा-परीक्षा) नियम, 2014 के अधीन यथा विनिर्धारित लागत लेखा और अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है।

झ) वित्त वर्ष 26 के दौरान, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत आपकी कंपनी के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने हेतु कोई आवेदन लंबित/दायर नहीं किया गया है। तथापि, आपकी कंपनी ने, वित्तीय लेनदार के रूप में, अपने ऋणकर्ताओं, जो निगमित देनदार और निगमित गारंटीकर्ता हैं, से बकाया ऋण की वसूली के लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष 3 (तीन) आवेदन दायर किया है। आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

निगमित देनदार	समेकित ऋण राशि
मैसर्स जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड	510.00
मैसर्स जेनसोल ईवी लीज़ लिमिटेड	218.95
मैसर्स नोवस ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड	34.68
कुल	**763.63**

ञ) आपकी कंपनी में एमएसएमई से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की नोट संख्या -18 के अधीन उल्लेखित हैं।

ट) वित्त वर्ष 26 के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एक-कालिक निपटान का कोई मामला नहीं था।

ठ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, आपकी कंपनी का वार्षिक विवरणी आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://www.ireda.in/IredaWebPortal/investors/annual-reports पर देखा जा सकता है।

ड) आपकी कंपनी पुष्टि करती है कि एक सतर्कता तंत्र/पर्दाफाश करने की नीति लागू है और किसी भी व्यक्ति को सक्षम अधिकारी तक पहुँचने से नहीं रोका गया है।

ढ) निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के ज़रिए सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के तहत जानकारी देने की ज़रूरत से छूट दी है। इसलिए, कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है।

ण) ज़रूरी जानकारी समय पर एक्सचेंजों को सौंप दी गई है और आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

त) आपकी कंपनी इस रिपोर्ट में बताई गई बातों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015, निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों और आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानकों के तहत सभी लागू प्रावधानों का पालन करती है।

थ) समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, न तो वैधानिक लेखा-परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा-परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत धोखाधड़ी की किसी घटना की सूचना दी है।

द) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के पालन में, समय-समय पर जारी किए गए बॉण्ड्स/डिबेंचर्स के लिए आपकी कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टीज़ की जानकारी निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है।

ध) आपकी कंपनी ने किसी भी राजनीतिक दल को नकद या वस्तु के रूप में कोई योगदान नहीं दिया है।

न) पिछले 3 (तीन) वर्षों के दौरान, आपकी कंपनी को राष्ट्रपति का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

प) वित्त वर्ष 26 के लिए मुख्य वित्तीय अनुपात 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' में दिए गए हैं।

29. आरबीआई विनियम

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसे एनबीएफसी-आईएफसी मिडिल लेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/विनियमों के अधीन है।

30. नीति

निगमित अभिशासन को मजबूत करने के लिए, आपकी कंपनी ने अपने कर्तव्यों को नैतिक तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से अपनी कुछ नीतियों को प्रस्तुत/संशोधित किया है। ये नीतियाँ आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ नीतियाँ इस प्रकार हैं:

लाभांश वितरण नीति	https://www.ireda.in/policy/dividend
सतर्कता तंत्र/पर्दाफाश करने वाली नीति	https://www.ireda.in/policy/whistle-blower
संबंधित पार्टी लेन-देन की महत्ता और संबंधित पार्टी लेन-देन से निपटने की नीति	https://www.ireda.in/policy/rpt
भौतिक सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति	https://www.ireda.in/policy/material-subsidiaries
अंदरूनी व्यावसायिक नीति	https://www.ireda.in/policy/insider-trading
अभिलेखीय नीति	https://www.ireda.in/policy/archival
दस्तावेज़ संरक्षण नीति	https://www.ireda.in/policy/preservation
निगमित अभिशासन पर आंतरिक दिशानिर्देश	https://www.ireda.in/policy/corp-governance
विविधता, इक्विटी और समावेशन (डीईएंडआई) नीति	https://www.ireda.in/policy/dei
मानव अधिकार नीति	https://www.ireda.in/policy/human-rights
रिश्वत-विरोधी और भ्रष्टाचार-विरोधी (एबीएसी) नीति	https://www.ireda.in/policy/abac

31. लेखा-परीक्षा व खातों का निरीक्षण

➢ सांविधिक लेखा-परीक्षा

मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 009989N) और मैसर्स राव एंड एम्मार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 0030845) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्त वर्ष 26 हेतु आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने वित्त वर्ष 26 के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है और इसमें कोई योग्यता, प्रतिकूल नोट या अस्वीकरण नहीं है। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा लेखा-परीक्षा

आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 26 के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक (सी एंड एजी) से 'शून्य' (कोई नोट नहीं) टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं। सीएंडएजी की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

➢ जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा

आपकी कंपनी के पास अपने परिचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली है, ताकि विभिन्न लेन-देन की सटीक और समय पर रिपोर्टिंग, परिचालन की दक्षता और लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा कंपनी के विभिन्न विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक अनुभवी फर्म द्वारा की जाती है।

आंतरिक लेखा-परीक्षा कम्पनी के आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। लेखा-परीक्षा समिति समय-समय पर लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और लागू आरबीआई दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

आगे, कंपनी ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) नीति को लागू किया है।

➢ **सचिवीय लेखा-परीक्षा**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुपालन में, वित्त वर्ष 26 के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़ की पीयर-रिव्यू वाली फर्म मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिवों द्वारा किया गया था। वित्त वर्ष 26 हेतु सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-V। में संलग्न है। सचिवीय लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन के जवाब इस प्रकार हैं:

सचिवीय लेखा-परीक्षक के मंतव्य:

1. कंपनी ने इन मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे प्रावधान, धारा 149(4), सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क), (ख) और (ग) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के क्लॉज़ 3.1.4 का पालन नहीं किया था :
   - दिनांक 06.03.2026 से स्वतंत्र महिला निदेशक का न होना और 28.03.2026 से बोर्ड के 50% सदस्यों का गैर-कार्यपालक निदेशक होना।
   - दिनांक 06.03.2026 से निदेशक मंडल में कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक न होना और बोर्ड में कम से कम 6 (छह) निदेशक न होना।
2. दिनांक 27.03.2026 से सभी स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल पूरा होने के कारण, 30.03.2026 को हुई बोर्ड की बैठक के लिए कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(2क) के अधीन निर्धारित कोरम की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाई।
3. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(क), (ख) और (घ), 19(1) और (2), 20(2) और (2ए) और 21(2); कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2), 178 (1) और (5) और 135(1); और डीपीई दिशा-निर्देशों के खंड 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 का पालन न करना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 28.03.2026 से लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक सम्बन्ध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निगमित सामाजिक दायित्व समिति के गठन में ज़रूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक (सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं) निर्देश, 2023 के खंड 6(ख) का अनुपालन, क्योंकि 06.03.2026 से आईटी रणनीति समिति के गठन में ज़रूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।

सचिवीय लेखा-परीक्षक के मंतव्यों पर प्रबंधन का जवाब:

दिनांक 05.03.2026 को 2 (दो) स्वतंत्र निदेशक, श्रीमती रोहिणी रावत और श्री राम निहाल निषाद का कार्यकाल पूरा होने के कारण, बोर्ड में निदेशकों की संख्या घटकर 05 (पांच) रह गई थी और 06.03.2026 से कंपनी में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं हैं। परिणामस्वरूप, कंपनी बोर्ड में कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाई।

इसके अतिरिक्त, 02 (दो) और स्वतंत्र निदेशक, यानी श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट और डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर का कार्यकाल 27.03.2026 को पूरा हो गया। परिणामस्वरूप, 28.03.2026 से बोर्ड का गठन इस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाया कि बोर्ड में कम से कम 50% गैर-कार्यपालक निदेशक हों; साथ ही, कंपनी 30.03.2026 को आयोजित बोर्ड की बैठक में कम से कम 01 (एक) स्वतंत्र निदेशक की मौजूदगी (कोरम) की ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पाई।

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के न होने के कारण, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक सम्बन्ध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निगमित सामाजिक दायित्व समिति और आईटी रणनीति समिति का गठन नियमों के अनुसार नहीं था।

इरेडा एक सरकारी कंपनी है। इसके 'संस्था के अंतर्नियम' के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। यह अधिकार प्रशासनिक मंत्रालय, यानी भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती है और कंपनी के लिए स्वयं से बोर्ड में निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करना उसके नियंत्रण से बाहर है। कंपनी ने एमएनआरई से कंपनी के बोर्ड में ज़रूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक (जिनमें महिला निदेशक भी शामिल हैं) की नियुक्ति का अनुरोध पहले ही कर दिया है और कंपनी इस मामले में नियमित रूप से अनुसरण कर रही है।

➢ **लागत लेखा-परीक्षा**

आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा-परीक्षा) नियम, 2014 के अधीन निर्धारित अनुसार लागत लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है। आपकी कंपनी ने केरल राज्य के कासरगोड में स्थित 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लागत अभिलेखों की लेखा-परीक्षा के संबंध में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी को लागत लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

32. निगमित अभिशासन

आपकी कंपनी निगमित अभिशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश, 2010 और इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों के तहत इसके दायरे में आने वाली सभी लागू आवश्यकताओं को पूरा करती है। आपकी कंपनी नैतिक व्यावसायिक निर्णयों के लिए प्रतिबद्ध है तथा मूल्य सृजन और अपने हितधारकों की अपेक्षाओं के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ व्यवसाय का संचालन करती है।

आपकी कंपनी अपने प्रचालन एवं प्रदर्शन, नेतृत्व और अभिशासन के संबंध में समय पर और सटीक जानकारी प्रकट करना अपनी अंतर्निहित उत्तरदायी मानती है। निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा ई के अनुसार अभ्यास करने वाले कंपनी सचिवों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र और निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट क्रम से इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-VII, VIII एवं IX** के रूप में संलग्न हैं।

33. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अधीन एक अलग अनुभाग के रूप में निर्धारित की गयी है।

34. व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार, पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन प्रकटीकरण पर 'व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट' वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है और आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसे https://www.ireda.in/IredaWebPortal/investors/annual-reports. पर भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने कंपनी के वैधानिक लेखा-परीक्षक, मेसर्स शिव एंड एसोसिएट्स से बीआरएसआर कोर पर आश्वासन रिपोर्ट प्राप्त की है।

35. सम्बद्ध पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्त वर्ष 26 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में यथा परिभाषित अनुसार संबंधित पक्षों के साथ कोई भी अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन नहीं किया है, इसलिए फॉर्म एओसी-2 में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इंड एएस-24 की आवश्यकता के अनुसार संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 38(10) में प्रदर्शित हैं।

36. आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन व प्रतिबद्धताएँ (यदि कोई हों) जो उस वित्त वर्ष जिससे वित्तीय विवरण संबंधित है, के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच घटित हुई हों।

आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो वित्त वर्ष 26 जिससे वित्तीय विवरण संबंधित है के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हों।

37. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी प्रत्येक वर्ष नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है, जिसमें आपकी कंपनी का मूल्यांकन विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय मानदंडों पर किया जाता है। वित्त वर्ष 26 के लिए कुछ प्रमुख समझौता ज्ञापन मानदंडों के तहत आपकी कंपनी की उपलब्धियाँ (समेकित आधार पर) निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	मानदंड का नाम	31.03.2026 को उपलब्धि
1.	परिचालन से राजस्व (₹ करोड़ में)	8,310.41
2.	कुल उपलब्ध निधि में से संवितरित ऋण [1]	99.82%
3.	कुल ऋणों में अतिदेय ऋण [2]	0.07%
4.	कुल ऋण में एनपीए	1.29%
5.	ईबीटीडीए (कुल आय के प्रतिशत के रूप में)	28.56%
6.	निवल मूल्य पर रिटर्न	15.07%
7.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	7.90%
8.	परिसंपत्ति कारोबार प्रतिशत	8.89%
9.	जीईएम के जरिये खरीद (कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में)	151 %
10.	समरूप रेटिंग वाले सीपीएसई की तुलना में बॉण्ड के माध्यम से धन उगाहने की लागत (आधार अंक)	-19 बीपीएस

नोट: [1] वित्त वर्ष 26 के दौरान, ऋण संवितरण बाबत कुल उपलब्ध निधि ₹35,010.13 करोड़ थी।

[2] 31 मार्च, 2026 तक, बकाया अतिदेय ऋण पोर्टफोलियो ₹66.27 करोड़ था।

आपकी कंपनी ने पिछले 5 (पाँच) वित्त वर्षों से निरंतर समझौता मूल्यांकन के अनुसार "उत्कृष्ट" श्रेणी निर्धारण प्राप्त की है। वित्त वर्ष 26 के लिए समझौता ज्ञापन श्रेणी निर्धारण अभी भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

38. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और धारा 134(5) के अधीन आवश्यकता के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि:

क) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और उनमें से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाये हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्त वर्ष 26 के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और वित्त वर्ष 26 के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के अनुरक्षण हेतु उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

घ) निदेशकों ने वित्त वर्ष 26 हेतु वार्षिक लेखे तैयार किये हैं, जो चालू व्यवसाय के आधार पर हैं;

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किये जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किये हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

39. आभार

भारत सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा आपकी कंपनी को दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए बोर्ड अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बैंकों/वित्तीय संस्थानों, क्रेडिट रेटिंग पार्टनर एस एंड पी ग्लोबल, आईसीआरए, सीएआरई रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च और ब्रिकवर्क रेटिंग्स से मिले निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए भी बोर्ड अपनी सराहना व्यक्त करता है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक (सीएंडएजी), सांविधिक लेखा-परीक्षक, सचिवीय लेखा-परीक्षक, लागत लेखा-परीक्षक और आंतरिक लेखा-परीक्षक के बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए निदेशक मंडल उनके आभारी हैं।

बोर्ड, कंपनी के प्रबंधन में विश्वास और सहयोग दिखाने के लिए कंपनी के सम्मानित हितधारकों का आभार व्यक्त करता है और आने वाले वर्षों में भी उनके निरंतर सहयोग की उम्मीद रखता है।

निदेशक मंडल कंपनी की विकास और सफलता के लिए कर्मचारियों की लगन, समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता की भी सराहना करता है।

निदेशक मंडल हेतु तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार),
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.
डीआईएन : 08816532

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01 सितम्बर, 2026

पुरस्कार एवं सम्मान



आपकी कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास को 23 जून, 2025 को 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया' द्वारा 'CMA ICON 2025' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।



आपकी कंपनी के निदेशक (वित्त), डॉ. बिजय कुमार महान्ती को 23 जून, 2025 को इस पेशे में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए आईसीएमएआई द्वारा 'सर्टिफिकेट ऑफ़ एप्रिसिएशन' से सम्मानित किया गया।



इरेडा को 'इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स' द्वारा आयोजित छठे 'ग्रीन ऊर्जा एंड एनर्जी एफिशिएंसी अवॉर्ड्स' में "ग्रीन एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी में महिलाओं के लिए एक्सीलेंस अवॉर्ड" श्रेणी में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

सचिव, एमएनआरई के प्रेरणादायक मार्गदर्शन में नव वर्ष 2026 का उत्सव









इरेडा ने नव वर्ष 2026 की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ की। इसमें एमएनआरई के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी, इरेडा के तत्कालीन सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास और इरेडा के निदेशक (वित्त) डॉ. बिजय कुमार महान्ती के प्रेरणादायक विज़न का मार्गदर्शन मिला। साथ ही, संगठन ने विकास, अभिशासन और उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।

कार्यस्थल पर सेहत एवं तंदुरुस्ती





इरेडा ने 21 जून, 2025 को नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। एमएनआरई, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा अन्य सीपीएसई और विभागों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम को इस वर्ष की वैश्विक थीम "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य हेतु योग" के साथ मनाया गया। इसमें व्यक्तिगत कल्याण और धरती की हरियाली को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया गया।





नोएडा के फॉर्च्यून वर्ल्ड स्कूल में वार्षिक खेल-कूद उत्सव के हिस्से के तौर पर, 17 जनवरी 2026 को कर्मचारियों के लिए बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किए गए।

इरेडा द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं



इरेडा ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में 2.3 मेगावाट सौर पीएम-कुसुम परियोजना का वित्तपोषण किया



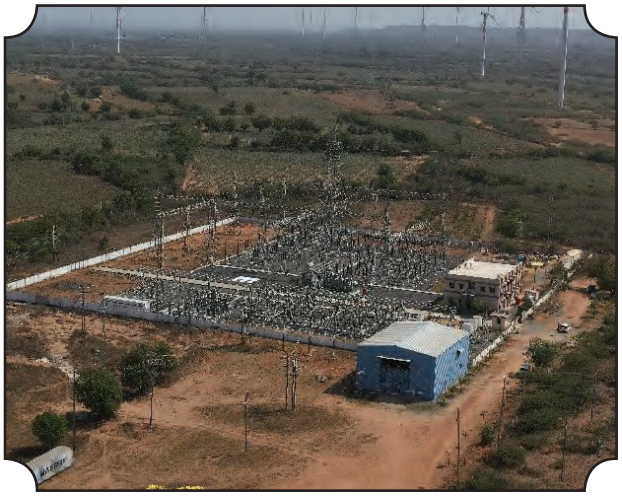
श्रीमती रोहिणी रावत, तत्कालीन स्वतंत्र निदेशक दिनांक 8 फरवरी, 2026 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर जलाशय में इरेडा द्वारा वित्तपोषित 100 मेगावाट एसी फ्लोटिंग सौर परियोजना का दौरा करती हुईं।





इरेडा ने कर्नाटक में एममवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित 4,000 एमडब्ल्यूपी सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माण सुविधा का वित्तपोषण किया।





इरेडा ने गुजरात में मोरजार विंडफार्म डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित 148.5 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का वित्तपोषण किया।

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार मंजूरी

अनुलग्नक-I

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		1987 से संचयी	
		परियोजनाओं की सं.	ऋण की राशि	परियोजनाओं की सं.	ऋण की राशि	परियोजनाओं की सं.	ऋण की राशि	परियोजनाओं की सं.	ऋण की राशि	परियोजनाओं की सं.	ऋण की राशि	परियोजनाओं की सं.	ऋण की राशि
1	आंध्र प्रदेश	6	1491.12	14	4593.56	15	7830.53	13	2,666.79	14	2,276.14	384	31,555.29
2	अरुणाचल प्रदेश	2	85.00	2	82.00	2	353.41	2	138.15	0	0.00	18	1,907.79
3	असम	2	403.62	0	0.00	0	0.00	1	130.00	0	0.00	12	898.17
4	बिहार	1	31.00	1	7.71	0	0.00	1	122.75	0	0.00	15	209.54
5	छत्तीसगढ़	3	173.67	2	225.20	5	309.00	4	500.00	2	192.00	29	2,027.83
6	गुजरात	12	1513.27	10	4120.62	7	1478.30	12	3,883.17	15	4,520.48	234	22,555.88
7	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	113.62	10	414.24
8	हरियाणा	1	1.95	4	456.49	7	1991.07	5	970.30	2	316.14	57	4,416.84
9	हिमाचल प्रदेश	8	252.30	8	2193.19	6	300.62	5	174.95	3	26.31	138	6,065.40
10	झारखण्ड	1	13.00	1	9.53	2	467.00	0	0.00	3	48.50	16	679.45
11	कर्नाटक	12	3882.11	13	3137.15	23	3037.08	22	8,891.12	15	6,574.83	488	37,819.21
12	केरल	5	839.99	1	500.00	2	1020.00	1	20.52	0	0.00	42	2,636.62
13	मध्य प्रदेश	2	924.11	4	1760.43	15	1167.58	8	1,618.71	6	4,524.10	132	13,592.17
14	महाराष्ट्र	8	2566.70	17	1196.66	15	2012.11	21	3,382.95	17	11,088.03	493	32,127.81
15	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	10.37
16	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	15.55	1	15.55
17	मिज़ोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.16
18	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	200.82
19	ओडिशा	9	669.66	4	313.00	5	987.43	4	1,319.01	2	1,552.00	54	5,931.09
20	पंजाब	6	927.61	0	0.00	4	369.55	1	191.60	6	2,126.61	81	6,177.22
21	राजस्थान	12	3636.76	8	8571.59	9	4081.00	19	6,150.78	8	5,732.60	191	37,161.20
22	सिक्किम	1	796.73	0	0.00	1	200.00	4	1,110.47	0	0.00	11	2,612.84
23	तमिलनाडु	8	1045.98	7	1987.43	8	3134.10	18	6,481.40	8	5,360.17	533	28,258.47
24	तेलंगाना	11	3291.12	5	294.97	10	4688.50	8	4,414.63	5	4,405.80	104	22,612.91
25	उत्तर प्रदेश	5	467.51	4	333.54	10	631.59	7	2,512.34	10	2,126.09	151	9,332.98
26	उत्तराखंड	7	79.38	5	1479.60	2	64.97	0	0.00	0	0.00	62	3,494.12
27	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0	0.00	3	434.18	0	0.00	0	0.00	61	712.85
28	एनसीईएफ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	156.56
29	ब्रिज ऋण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	47	170.99
30	बहु राज्य परियोजना	2	473.59	4	898.27	7	2152.79	3	2,035.80	3	840.79	43	10,076.77
31	बिल रियायत	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	79.63
32	अंडमान निकोबार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.11
33	दमन	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.13
34	पांडिचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	45.27
35	लद्दाख	1	14.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.00
36	जम्मू एवं कश्मीर	1	60.00	1	252.00	1	44.68	3	389.00	0	0.00	12	1,086.03
37	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	3	280.88	4	173.68	3	598.19	3	348.67	1	43.60	105	4,734.69
	कुल	**129**	**23,921.06**	**119**	**32586.60**	**162**	**37,353.68**	**165**	**47,453.11**	**122**	**51,883.36**	**3565**	**2,89,799.00**

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार मंजूरी

अनुलग्नक-II

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	1987 से संचयी
1	पवन ऊर्जा	2,538.90	5,395.92	2,096.83	1,587.48	1,486.49	39,767.56
2	जल विद्युत	2,169.04	4,310.17	1,419.89	5,115.37	94.88	22,361.66
3	बायोमास पावर व सह-उत्पादन	42.79	6.84	103.00	0.00	682.50	6,322.88
4	ऊर्जा दक्षता और संरक्षण	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.71
5	सौर ऊर्जा	4,880.24	11,236.04	5,565.30	10,611.70	15,938.97	76,015.35
6	अपशिष्ट से ऊर्जा	0.00	80.94	102.70	0.00	0.00	1,144.93
7	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.57
8	अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण	894.26	1,220.18	1,884.50	1,651.52	500.00	14,630.35
9	विद्युत वाहन (ईवी)	267.79	156.09	862.44	425.37	0.00	1,858.17
10	बायोमास (औद्योगिक अपशिष्टों से ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और मीथेनेशन)	0.00	117.82	412.24	427.75	131.90	1,194.08
11	गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)	260.10	98.45	0.00	0.00	0.00	565.10
12	राज्य उपयोगिताओं को ऋण सुविधा	10860.00	3,750.00	7,200.00	10,950.00	12,450.00	56,812.00
13	हाइब्रिड पवन व सौर	0.00	1,651.47	1,634.02	1,943.09	4,681.47	9,910.05
14	इथेनॉल	307.06	2,571.34	3,901.60	3,252.50	401.19	10,829.74
15	स्मार्ट मीटर	0.00	0.00	1,070.00	2,346.46	0.00	3,416.46
16	ग्रीन हाइड्रोजन व व्युत्पन्नी	0.00	0.00	1,200.00	1,024.61	0.00	2,224.61
17	विनिर्माण*	1024.99	1,692.86	6,754.48	6,044.39	12,857.33	29,685.69
18	बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.49	2,064.49
19	विविध (पारेषण लाइन, उभरती तकनीक, गारंटीकृत सहायता, एनबीएफसी को ऋण, पुल ऋण और बिल रियायत)	580.19	298.47	3,146.68	2,072.87	594.14	9,457.60
	कुल	**23,921.06**	**32,586.60**	**37,353.68**	**47,453.11**	**51,883.36**	**2,89,799.00**

*विनिर्माण में ईवी बैटरी निर्माण शामिल है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार संवितरण

अनुलग्नक-III

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	1987 से संचयी (2025-26 सहित)
1	आंध्र प्रदेश	469.00	4,586.87	4,023.83	3,187.43	2,539.12	25,186.40
2	अरुणाचल प्रदेश	35.71	37.50	28.66	61.55	90.61	467.24
3	असम	360.00	3.22	0.00	0.00	0.00	672.67
4	बिहार	29.45	7.32	0.00	68.28	36.00	177.91
5	छत्तीसगढ़	159.60	5.56	57.26	476.59	83.84	1,187.95
6	गुजरात	947.97	1,914.51	2,155.07	1,532.72	3,126.72	12,694.17
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
8	हरियाणा	44.31	236.68	490.03	695.67	364.17	1,965.73
9	हिमाचल प्रदेश	130.38	77.63	1,835.77	440.66	71.58	5,035.18
10	झारखण्ड	9.00	9.05	150.00	216.35	98.81	552.99
11	कर्नाटक	2,507.27	2,505.67	3,074.92	3,309.93	2,998.69	22,479.94
12	केरल	824.27	508.00	20.45	0.00	0.00	1,527.46
13	मध्य प्रदेश	604.67	820.59	1,322.12	1,134.67	2,623.86	8,352.15
14	महाराष्ट्र	1,361.51	1,869.69	1,338.55	1,803.13	3,244.28	18,273.73
15	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
16	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
17	ओडिशा	384.47	380.21	188.19	759.24	323.54	2,719.81
18	पंजाब	814.23	12.71	52.00	305.34	317.47	3,485.10
19	राजस्थान	2,027.52	5,033.77	3,003.91	6,855.53	5,314.65	28,303.40
20	सिक्किम	688.85	0.00	200.00	1,018.00	28.76	2,416.25
21	तमिलनाडु	1,147.91	1,910.81	2,949.06	3,898.13	3,946.10	21,319.85
22	तेलंगाना	2,409.73	413.63	1,711.66	1,987.63	7,330.85	17,992.61
23	उत्तर प्रदेश	467.16	115.65	80.01	628.85	910.87	3,843.23
24	उत्तराखंड	61.30	885.11	167.00	84.16	35.16	2,292.59
25	पश्चिम बंगाल	2.15	0.00	227.32	79.50	88.50	457.53
26	बहु राज्य परियोजना	472.59	0.80	1,414.89	1,113.89	1,238.62	4,910.20
27	दमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
28	पांडिचेरी	2.23	0.19	0.00	0.00	0.00	45.00
29	लद्दाख	7.10	6.49	0.00	0.00	0.00	13.59
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
31	जम्मू एवं कश्मीर	61.54	0.00	296.68	335.75	40.25	759.91
32	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	40.91	297.52	301.66	174.87	93.22	3,833.19
33	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.47
	कुल	**16,070.82**	**21,639.21**	**25,089.04**	**30,167.87**	**34,945.67**	**1,91,030.21**

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार संवितरण

अनुलग्नक-IV

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	1987 से संचयी
1	पवन ऊर्जा	2,114.38	3,501.61	3,020.59	1,273.17	800.84	28,924.25
2	जल विद्युत	1,195.09	1,731.23	2,660.78	2,047.69	283.46	13,563.06
3	बायोमास पावर और सह-उत्पादन	9.24	23.97	98.41	0.00	687.50	4,279.15
4	ऊर्जा दक्षता और संरक्षण	77.85	6.49	0.00	0.00	0.00	441.54
5	सौर ऊर्जा	3,406.15	7,074.71	5,379.35	6,378.16	8,425.57	46,000.29
6	अपशिष्ट से ऊर्जा	107.20	58.81	85.63	33.09	0.00	718.10
7	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.14
8	अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण	198.15	654.54	918.73	795.64	1,241.55	9,116.62
9	राज्य उपयोगिताओं के लिए ऋण की सुविधा	8,125.00	4,950.00	6,200.00	10,950.00	10,800.00	53,645.00
10	हाइब्रिड पवन व सौर	25.53	1006.75	140.00	1836.00	1876.30	4,947.08
11	बायोमास (औद्योगिक अपशिष्टों से ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और मीथेनेशन)	7.33	59.95	112.64	402.96	201.80	871.74
12	गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)	290.36	104.31	0.00	0.00	0.00	539.84
13	विद्युत वाहन (ईवी)	35.71	292.02	291.73	285.79	51.80	957.05
14	विनिर्माण	269.84	1004.30	2404.49	1937.48	7153.53	13,048.73
15	इथेनॉल	205.20	1130.52	2017.86	3109.73	2023.24	8,692.59
16	स्मार्ट मीटर	0.00	0.00	679.23	393.00	741.50	1,813.73
17	ग्रीन हाइड्रोजन व व्युत्पन्नी	0.00	0.00	0.00	712.71	48.00	760.71
18	बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस)	0.00	0.00	0.00	0.00	610.58	610.58
19	विविध (पारेषण लाइन, उभरती तकनीक, गारंटीकृत सहायता, एनबीएफसी को ऋण, ब्रिज ऋण और बिल रियायत)	3.80	40.00	1079.60	12.45	0.00	1,973.02
	कुल	**16,070.82**	**21,639.20**	**25,089.04**	**30,167.87**	**34,945.67**	**1,91,030.21**

अनुलग्नक-V

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

आपकी कंपनी की सीएसआर नीति, समय-समय पर संशोधन के अनुसार कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 तथा भारत सरकार के सार्वजानिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अंतर्गत तैयार की गई है।

आपकी कंपनी सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय पद्धति से संचालन और विकास के लिए प्रतिबद्ध है; इसका उद्देश्य है अपनी सीएसआर नीति और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर क्रियान्वित सामुदायिक रूप से उत्तरदायी नियामक व्यवस्था के अंतर्गत, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय परियोजनाओं में धन के निवेश के माध्यम से, व्यापक जनता के समग्र लाभ में इष्टतम योगदान देना।

आपकी कंपनी देश के पर्यावरणीय और सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में संधारणीय सामुदायिक और पर्यावरणीय परियोजनाओं में योगदान के माध्यम से समाज में अपने मूल्य सृजन को बढ़ावा देती है और इसे आगे भी सुविधाजनक बनाती रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, पिछले 03 (तीन) वित्त वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च किया जाएगा। आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सीएसआर परियोजनाएँ उक्त अधिनियम की अनुसूची VII के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप संचालित की जाएँ।

शुरू की गयी या शुरू करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का अवलोकन :

आपकी कंपनी ने सीएसआर के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएँ शुरू की हैं या करने का प्रस्ताव रखा है:

क. संगठन के सभी स्तरों पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए वर्धित प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।

ख. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रम शुरू करना जिनसे समुदायों को लाभ हो और समय के साथ ऊर्जा दक्षता/संरक्षण में सुधार हो और स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो।

ग. अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, इरेडा के लिए सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करना और एक निगमित इकाई के रूप में इरेडा की सकारात्मक और सामाजिक रूप से उत्तरदायी छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।

घ. लैंगिक संवेदनशीलता, कौशल संवर्धन, उद्यमिता विकास आदि से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण को प्रोत्साहित करना।

ङ. आपदा प्रतिरोधक क्षमता के लिए समुदायों की तैयारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी प्रोत्साहित करना।

2. सीएसआर समिति की संरचना :

वित्त वर्ष 26 के दौरान, निदेशकों की सीएसआर कमिटी का गठन और बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम. सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	समिति के अध्यक्ष/सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	भाग लिया
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	13	13
2	डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.	सदस्य	13	13
3.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर* स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	12	12
4.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट* स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	12	12

क्रम. सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	समिति के अध्यक्ष/सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	भाग लिया
5.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (21 अप्रैल, 2025 तक)	शून्य	शून्य
6.	श्री पदम लाल नेगी # निदेशक (सरकार नामित)	सदस्य	1	1

नोट:

*28 मार्च, 2026 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

28 मार्च, 2026 से सीएसआर समिति के सदस्य के तौर पर नियुक्त।

3 वेब-लिंक(कों) प्रावधानित करना जहाँ सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर प्रकटीकरण किया जाता है।

सीएसआर नीति	:	https://www.ireda.in/policy/csr
सीएसआर समिति की संरचना	:	https://www.ireda.in/policy/csr-committee-composition
सीएसआर परियोजनाएं	:	https://www.ireda.in/policy/csr-projects

4 नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किये गये सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंक(कों) के साथ कार्यपालक सारांश प्रदान करना, यदि प्रयोज्य हो।

शून्य। आपकी कंपनी, सूचीबद्ध एजेंसियों के ज़रिए लागू एमसीए दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹**1,630.22 करोड़**

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹**32.60 करोड़**

(ग) पिछले वित्त वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: **शून्य**

(घ) वित्त वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली वांछित राशि, यदि कोई हो: **शून्य**

(ङ) वित्त वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [ख + ग - घ]: ₹**32.60 करोड़**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गयी राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अतिरिक्त दोनों): ₹**6.48 करोड़**

(ख) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गयी राशि: ₹**0.03 करोड़**

(ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गयी राशि, यदि लागू हो: **शून्य**

(घ) वित्त वर्ष हेतु खर्च की गयी कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]: ₹**6.51 करोड़**

(ङ) वित्त वर्ष 2025-26 हेतु खर्च की गयी या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्त वर्ष हेतु कुल व्यय राशि (₹ करोड़ में)	अव्ययित राशि (₹ करोड़ में)				
	धारा 135 की उप-धारा (1) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि (₹ करोड़ में)	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
6.51	26.09	29.04.2026	-	-	-

(च) समंजन हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 02% (दो प्रतिशत)	**32.60**
(ii)	वित्त वर्ष हेतु कुल व्ययित राशि*	**32.60**

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(iii)	वित्त वर्ष के लिए व्ययित अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
(iv)	पिछले वित्त वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
(v)	आगामी वित्त वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

*इसमें ₹6.51 करोड़ वास्तव में व्यय किए गए तथा ₹26.09 करोड़ चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित खाते में स्थानांतरित किए गए। इसके अतिरिक्त, पूरी हो चुकी परियोजनाओं की अव्ययित ₹0.01 करोड़ की रकम 30 अप्रैल, 2026 को पीएम केयर्स फंड में हस्तांतरित कर दी गई।

7. पिछले तीन वित्त वर्षों हेतु अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

(₹ करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	पिछले वित्त वर्ष (र्षों)	धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि*	अव्ययित खाते से वित्त वर्ष में व्यय की गयी राशि	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो।		आगामी वित्त वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि	कमी, यदि कोई हो
					राशि	हस्तांतरण की तिथि		
1.	2022-23	2.76	1.22	0.90	लागू नहीं	लागू नहीं	0.32**	-
2.	2023-24	11.13	6.14	3.76	लागू नहीं	लागू नहीं	2.38**	-
3.	2024-25	22.03***	-	6.13	लागू नहीं	लागू नहीं	15.90**	-

* 01.04.2025 को प्रारंभिक शेष

**वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹0.32 करोड़, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹0.02 करोड़ और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹0.16 करोड़ की अव्ययित राशि को 30 अप्रैल, 2026 को अनुसूची VII के अधीन बताए गए पीएम केयर्स फंड में हस्तांतरित कर दिया गया है।

*** वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹22.03 करोड़ की अव्ययित राशि को 29 अप्रैल, 2025 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है।

8. क्या वित्त वर्ष में व्यय की गयी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनायी गयी है या अधिग्रहित की गयी है: नहीं

यदि हाँ, तो निर्मित/अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें- लागू नहीं

वित्त वर्ष में व्यय की गयी सीएसआर राशि के माध्यम से निर्मित या अधिग्रहित उक्त परिसंपत्ति(यों) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: लागू नही

9. धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं:

लागू नहीं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि का 100% खर्च कर दिया है।

हस्ता. /-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार);
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ. तथा
अध्यक्ष सीएसआर समिति
(डीआईएन : 08816532)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01 सितम्बर, 2026

सीएसआर के माध्यम लोगों का जीवन स्पर्श और समुदायों में बदलाव लाना





हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 'थेरेपी ऑन व्हील्स', जो समुदाय स्वास्थ्य के प्रति इरेडा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है





मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार के होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को दी गई सीटी स्कैन मशीन (बाईं ओर) और बैटरी से चलने वाली गाड़ियां



ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के सरकारी स्कूलों में आरओ प्यूरीफ़ायर वाले सोलर वॉटर कूलर



उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ज़िले चंदौली में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आरओ वॉटर वेंडिंग मशीनें



नॉर्थ गोवा में वॉटर पंपिंग स्टेशन पर 45 किलो वाट का ऑन-ग्रिड सोलर पावर सिस्टम

सीएसआर के माध्यम लोगों का जीवन स्पर्श और समुदायों में बदलाव लाना



इरेडा के तत्कालीन स्वतंत्र निदेशक डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर, कुल्लू में इरेडा द्वारा वित्तपोषित सीएसआर पहल 'थेरेपी ऑन व्हील्स' के उनके दौरे के दौरान



आंध्र प्रदेश के विनुकोंडा पलनाडु जिले के गांवों में आर.ओ. वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना



राजस्थान के बूंदी और कोटा जिलों में आईसीयू-सुसज्जित दो एम्बुलेंस प्रदान



खेड़ा, गुजरात में सरकारी अस्पतालों के लिए अल्ट्रासाउंड और मल्टीपैरा मॉनिटर मशीनें प्रदान



पुरी, ओडिशा में दान किए गए बैटरी-संचालित वाहनों के लिए तीन वर्ष के परिचालन और रख-रखाव खर्च की व्यवस्था



सिलवासा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में सैनिक स्कूल में विकास कार्य

वित्त वर्ष 2025-26 हेतु इरेडा के सीएसआर कोष के अधीन संस्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक परियोजना की स्थिति	कार्यान्वयन समिति	स्थान	जिला-आकांक्षी/ गैर-आकांक्षी	अधिनियम की अनुसूची-VII के अधीन विषय	सीएसआर पंजीकरण संख्या	संस्वीकृत राशि (₹)
1.	दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए "थेरेपी ऑन व्हील्स" प्रोग्राम चलाने हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 02 (दो) मोबाइल मेडिकल वैन (टीओडब्ल्यू 1 और टीओडब्ल्यू 2) के परिचालनगत खर्च के लिए वित्तीय सहायता।	सम्पूर्ण हुई	सैम्फिया फाउंडेशन	हिमाचल प्रदेश का कुल्लू	गैर-आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00004095	54,29,760
2.	बीएसएफ लोंगेवाला, जैसलमेर, राजस्थान में 100 केडब्ल्यूपी ऑफ-ग्रिड एसपीवी पावर प्लांट (कार पोर्ट स्ट्रक्चर टाइप) की आपूर्ति/स्थापना/शुरुआत और रख-रखाव के लिए मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) के ज़रिए वित्तीय सहायता।	चल रही	इरेडा-सेल्फ मोड	बीएसएफ लोंगेवाला, जैसलमेर, राजस्थान	आकांक्षी	पर्यावरण स्थिरता और इकोलॉजिकल (पारिस्थितिक) संतुलन सुनिश्चित करना	लागू नहीं	1,37,40,000
3.	राजस्थान के जयपुर में दूर-दराज़ और झुग्गी-बस्ती वाले इलाकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए 25 (पचीस) अदद 'सिंगल टीचर स्कूलों' (एक शिक्षक वाले स्कूलों) के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	मैसर्स भगवान महावीर चाइल्ड वेलफेयर ट्रस्ट	राजस्थान का जयपुर	गैर-आकांक्षी	शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षण और रोज़गार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल शामिल हैं	सीएसआर00012386	22,50,000
4.	एक कम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) कार की खरीद, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, जांच तथा देश और विदेश से आने वाले आगंतुकों को उसे दिखाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, दिल्ली को योगदान।	चल रही	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, दिल्ली	नई दिल्ली, दिल्ली	गैर-आकांक्षी	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) को योगदान; जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और दवा के क्षेत्र में अनुसंधान करते हैं, जिसका उद्देश्य है संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) को बढ़ावा देना	सीएसआर00017313	20,00,000
5.	उत्तर प्रदेश के उन्नाव और लखनऊ ज़िलों के ग्रामीण इलाकों में 04 (चार) स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता।	सम्पूर्ण हुई	दिव्य प्रगति सेवा संस्थान	उन्नाव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	गैर-आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00078262	10,34,000
6.	ओडिशा के मयूरभंज ज़िले में स्थित गवर्नमेंट वुमन्स कॉलेज, रायरंगपुर, गवर्नमेंट (एसएसडी) गर्ल्स हाई स्कूल, रायरंगपुर, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, रायरंगपुर और स्किल ट्रेनिंग हब, पहाड़पुर में सोलर पावर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	एसएलएस ट्रस्ट	ओडिशा का मयूरभंज ज़िला	गैर-आकांक्षी	पर्यावरण स्थिरता और इकोलॉजिकल (पारिस्थितिक) संतुलन सुनिश्चित करना	सीएसआर00041308	1,67,34,914

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक परियोजना की स्थिति	कार्यान्वयन समिति	स्थान	जिला-आकांक्षी/ गैर-आकांक्षी	अधिनियम की अनुसूची-VII के अधीन विषय	सीएसआर पंजीकरण संख्या	संस्वीकृत राशि (₹)
7.	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ज़िले सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के लिए ज़रूरी चिकिता उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	ज़िला सिविल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएशन (जेसीएसआरए)	सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश	आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00009393	3,05,75,000
8.	ओल्ड गोवा में पोदार इंटरनेशनल स्कूल के पास वॉटर पंपिंग स्टेशन पर 45 किलो वाट का ऑन-ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।	सम्पूर्ण हुई	सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (केंद्रीय भंडार)	ओल्ड गोवा	गैर-आकांक्षी	पर्यावरण स्थिरता और इकोलॉजिकल (पारिस्थितिक) संतुलन सुनिश्चित करना	सीएसआर00061548	28,85,037
9.	उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती स्थित विपासना मेडिटेशन सेंटर में 50 किलो वाट के ऑफ-ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।	सम्पूर्ण हुई	जेटवन विपासना मेडिटेशन सेंटर	श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश	आकांक्षी	पर्यावरण स्थिरता और इकोलॉजिकल (पारिस्थितिक) संतुलन सुनिश्चित करना	सीएसआर00009872	39,75,000
10.	ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के 11 (ग्यारह) अदद सरकारी स्कूलों में आरओ वॉटर प्यूरीफ़ायर के साथ सोलर वॉटर कूलर की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (केंद्रीय भंडार)	मयूरभंज जिला, ओडिशा	गैर-आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00061548	95,99,981
11.	नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) को ₹50,00,000 का योगदान, जिसका उद्देश्य है कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों तथा परंपराओं को बढ़ावा देना और उनका विकास करना, जिसमें युवा और उभरते कलाकारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।	चल रही	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी), नई दिल्ली	नई दिल्ली	गैर-आकांक्षी	राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें ऐतिहासिक महत्व की इमारतों और स्थलों तथा कलाकृतियों का जीर्णोद्धार; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और उनका विकास करना शामिल है।	सीएसआर00010602	50,00,000
12.	हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन (रेडियो कुल्लू 90.4 एफएम) को स्थापित करने और चालू करने के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	सैम्फिया फाउंडेशन	कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	गैर-आकांक्षी	शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षण और रोज़गार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल शामिल हैं	सीएसआर00004095	35,40,385

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक परियोजना की स्थिति	कार्यान्वयन समिति	स्थान	जिला-आकांक्षी/ गैर-आकांक्षी	अधिनियम की अनुसूची-VII के अधीन विषय	सीएसआर पंजीकरण संख्या	संस्वीकृत राशि (₹)
13.	हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में 11 (ग्यारह) आइस-लाइन्ड रेफ्रिजरेटर (आईएलआर) की खरीद और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (केंद्रीय भंडार)	सोलन, हिमाचल प्रदेश	गैर-आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00061548	97,71,344
14.	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ज़िले चंदौली के 21 (इक्कीस) स्कूलों में स्मार्ट क्लास की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (केंद्रीय भंडार)	चंदौली, उत्तर प्रदेश	आकांक्षी	शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षण और रोज़गार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल शामिल हैं	सीएसआर00061548	98,09,163
15.	बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर के होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में प्रयोग किये जाने वाले विद्युतीय वाहनों की आपूर्ति और डिलीवरी के लिए वित्तीय सहायता।	सम्पूर्ण हुई	मैसर्स डॉक्टर्स फॉर यू (डीएफवाई)	मज़फ़्फ़रपुर, बिहार	आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00000608	1,18,45,000
16.	मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल राजगढ़ और सिविल अस्पताल, ब्यावरा में हीमोडायलिसिस मशीनों और अन्य चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (केंद्रीय भंडार)	राजगढ़, मध्य प्रदेश	आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00061548	1,33,14,097
17.	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ज़िले बलरामपुर के 20 (बीस) स्कूलों में स्मार्ट क्लास की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (केंद्रीय भंडार)	बलरामपुर, उत्तर प्रदेश	आकांक्षी	शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षण और रोज़गार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल शामिल हैं	सीएसआर00061548	93,42,060
18.	सिक्किम के अस्पतालों में 05 (पांच) डायलिसिस मशीनों की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता (दो इकाई जोरथांग सीएचसी, सिक्किम में और तीन इकाई जिला अस्पताल, सोरेंग, सिक्किम में)	सम्पूर्ण हुई	विनायक इंस्टिट्यूट ऑफ़ इमरजेंसी मेडिकल साइंसेज	सिक्किम के नाम्ची और सोरेंग जिले	आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00099983	86,62,500

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक परियोजना की स्थिति	कार्यान्वयन समिति	स्थान	जिला-आकांक्षी/ गैर-आकांक्षी	अधिनियम की अनुसूची-VII के अधीन विषय	सीएसआर पंजीकरण संख्या	संस्वीकृत राशि (₹)
19.	जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कुपवाड़ा आकांक्षी ज़िले के 21 (इक्कीस) स्कूलों में स्मार्ट क्लास की आपूर्ति, स्थापना और उन्हें चालू करने के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	नवसृष्टि फाउंडेशन	जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का कुपवाड़ा	आकांक्षी	शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षण और रोज़गार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल शामिल हैं	सीएसआर00059892	96,55,611
20.	महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर (एमपीएमएमसीसी), वाराणसी, उत्तर प्रदेश में प्रयोग किये जाने वाले 4 (चार) अदद बैटरी से चलने वाले (विद्युतीय) वाहनों की आपूर्ति और उनका परिचालन और एचबीसीएच एंड आरसी मुजफ्फरपुर के लिए डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के तौर पर 03 (तीन) अदद बीआई हेडर माइक्रोस्कोप और 02 (दो) अदद मैनुअल रोटरी माइक्रोटोम की आपूर्ति और उनके परिचालन के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	मैसर्स डॉक्टर्स फॉर यू (डीएफवाई)	मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार एवं वाराणसी, उत्तर प्रदेश	आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00000608	93,66,774
21.	गुजरात के खेड़ा ज़िले के सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनों और मल्टीपैरा मॉनिटर मशीनों की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	नव अभुदय शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक समिति	गुजरात का खेड़ा ज़िला	गैर-आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00098811	99,10,900
22.	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले चंदौली में 21 (इक्कीस) अदद माध्यमिक विद्यालयों में ऑफ ग्रिड रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	यूपीएसआईसी (बाँदा)	चंदौली, उत्तर प्रदेश	आकांक्षी	पर्यावरण स्थिरता और इकोलॉजिकल (पारिस्थितिक) संतुलन सुनिश्चित करना	सीएसआर00023463	98,33,670
23.	बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अधीन प्रत्येक 5 (पांच) अदद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों प्रत्येक में 20 किलोवाट ऑफग्रिड रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	यूपीएसआईसी (बाँदा)	बिहार के मधुबनी जिले का झंझारपुर	गैर-आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00023463	83,85,300
24.	महाराष्ट्र के अहिल्यानगर ज़िले में 05 (पाँच) अदद जगहों पर ओपन-एयर जिम की आपूर्ति और स्थापना के लिए आर्थिक सहायता।	चल रही	खेल, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और मनोरंजन कौशल परिषद (एसपीईएफएल-एससी)	महाराष्ट्र का अहिल्यानगर ज़िला	गैर-आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00018834	51,03,395

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक परियोजना की स्थिति	कार्यान्वयन समिति	स्थान	जिला- आकांक्षी/ गैर-आकांक्षी	अधिनियम की अनुसूची-VII के अधीन विषय	सीएसआर पंजीकरण संख्या	संस्वीकृत राशि (₹)
25.	लुधियाना के बाबा जसवंत सिंह ट्रस्ट डेंटल चैरिटेबल हॉस्पिटल के डेंटिस्ट्री विभाग में 10 (दस) अदद डेंटल चेयर की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	द बाबा जसवंत सिंह ट्रस्ट	लुधियाना, पंजाब	गैर-आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00058329	36,70,000
26.	निम्नलिखित की आपूर्ति, स्थापना और शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता: (i) गोवा मेडिकल कॉलेज, बाम्बोलिम, तिसवाड़ी, गोवा के नज़दीक डीडीडब्ल्यू वॉटर पंपिंग स्टेशन पर 90 किलो वाट का ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम और (ii) पुलिस स्टेशन, अगासैम, तिसवाड़ी, गोवा के पीछे डीडीडब्ल्यू वॉटर पंपिंग स्टेशन पर 80 किलो वाट का ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम।	चल रही	सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (केंद्रीय भंडार)	पणजी, गोवा	गैर-आकांक्षी	पर्यावरण स्थिरता और इकोलॉजिकल (पारिस्थितिक) संतुलन सुनिश्चित करना	सीएसआर00061548	1,06,37,461
27.	जम्मू एवं कश्मीर के आकांक्षी ज़िले कुपवाड़ा में मोबाइल ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) डायग्नोस्टिक और जागरूकता वाहन (जिसमें ट्रूनट मशीन, एक्स-रे स्कैनर की आपूर्ति एवं शुरुआत और संचालन के खर्च के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	टीवाईसीआईए फाउंडेशन (टर्न योर कंसर्न इनटू एक्शन)	कुपवाड़ा, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00002995	65,41,390
28.	हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में 'अर्ली इंटरवेंशन सेंटर' के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सामग्री की खरीद एवं आपूर्ति और कार्यालय व थेरेपी सेंटर के लिए उपकरणों की आपूर्ति और खरीद हेतु वित्तीय सहायता।	चल रही	संफिया फाउंडेशन	कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	गैर-आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00004095	17,92,469
29.	एसवीएनआईआरटीएआर, ओलातपुर, ओडिशा में 60 अदद सोलर स्ट्रीटलाइट और 4 (चार) अदद हाई मास्ट लाइट की आपूर्ति, स्थापना और शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च (एसवीएनआईआरटीएआर)	ओलातपुर, ओडिशा	गैर-आकांक्षी	पर्यावरण स्थिरता और इकोलॉजिकल (पारिस्थितिक) संतुलन सुनिश्चित करना	सीएसआर00043952	23,41,460

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक परियोजना की स्थिति	कार्यान्वयन समिति	स्थान	जिला-आकांक्षी/ गैर-आकांक्षी	अधिनियम की अनुसूची-VII के अधीन विषय	सीएसआर पंजीकरण संख्या	संस्वीकृत राशि (₹)
30.	शारदा विलास स्कूल, मत्तूरू गाँव (माथुर), कर्नाटक में कंप्यूटर लैब के लिए 40 (चालीस) अदद कंप्यूटरों की आपूर्ति, स्थापना और उसे चालू करने तथा नेट मीटरिंग सुविधा वाले पावर सिस्टम के तहत 50 किलो वाट के ऑन-ग्रिड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की आपूर्ति, स्थापना और शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	द माथुर होसहल्ली शारदा स्कूल बेटरमेंट समिति	मत्तूरू गाँव (माथुर), कर्नाटक	गैर-आकांक्षी	शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षण और रोज़गार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल शामिल हैं	सीएसआर00049505	43,46,175
31.	कर्नाटक के हावेरी ज़िले में सरकारी प्राथमिक/ हाई स्कूलों में 27 (सत्ताइस) अदद क्लासरूम के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	ज़िला पंचायत हावेरी	हावेरी, कर्नाटक	गैर-आकांक्षी	शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षण और रोज़गार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल शामिल हैं	सीएसआर00066097	4,12,70,000
32.	सीएचसी, बुचिरेड्डीपलेम, कोवूर, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में ज़रूरी उपकरण की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	वीपीआर फाउंडेशन	नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	गैर-आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है	सीएसआर00000855	38,86,710
33.	कर्नाटक के धारवाड़ एक्वेटिक और मल्टी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिम्नेजियम उपकरणों और खेल के उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना सहित अवसंरचना डेवलपमेंट के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	उपायुक्त का कार्यालय, धारवाड़ ज़िला	धारवाड़, कर्नाटक	गैर-आकांक्षी	ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।	सीएसआर00108711	3,00,00,000
34.	कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले में लगभग 633 (छह सौ तैंतीस) सरकारी स्कूलों के शौचालयों के रख-रखाव के लिए जेटिंग मशीनें प्रदान कराने हेतु वित्तीय सहायता।	चल रही	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ज़िला पंचायत धारवाड़	धारवाड़, कर्नाटक	गैर-आकांक्षी	शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षण और रोज़गार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल शामिल हैं	सीएसआर00046159	94,93,059

अनुलग्नक-VI

प्रपत्र संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
भारत पर्यावास केंद्र, प्रथम तल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रिय सदस्यगण,

हमने **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड,** जिसका **सीआईएन : L65100DL1987GOI027265 है (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा)** द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित व्यवहारों के पालन की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस तरह से की गयी थी कि जिससे हमें निगमित आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तक, प्रपत्र और रिटर्न फाइल तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन तथा सचिवीय लेखा-परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गयी जानकारी के आधार पर, हम एतदद्वारा प्रतिवेदित करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने **31 मार्च, 2026** को समाप्त वित्त वर्ष के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद किए गए रिपोर्टाधीन हैं :

हमने **31 मार्च, 2026** को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तक, प्रपत्र और रिटर्न फाइल तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 **(अधिनियम)** और उसके तहत बनाये गये नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 **('एससीआरए')** और उसके तहत बनाये गये नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाये गये विनियम और उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋणी की सीमा तक बनाये गये नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 **('सेबी अधिनियम')** के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश:-

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015:

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यावसायिक का निषेध) विनियम, 2015;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करने और प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागारों और प्रतिभागी) विनियम, 2018; और

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अर्जन) विनियम, 2011;

प्रबंधन द्वारा किये गये अभ्यावेदन और हमारे द्वारा भरोसा किये गये अनुसार, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 **(सेबी अधिनियम')** के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे:-

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021;

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी शेयर) विनियम, 2021

घ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ लेन-देन के संबंध में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम,1993 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 2025।

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-अवसंरचना वित्त कंपनी (मध्य परत) के लिए जारी किए गए नियम, विनियम, दिशानिर्देश और निर्देश।

(vii) अन्य कानून जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं, अर्थात् :

- कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ईएसआई अधिनियम)
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- प्रशिक्षु अधिनियम, 1961
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
- उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- कर्मचारी विनिमय (रिक्त पदों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) सचिवीय मानकों, जैसा कि इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी, समय-समय पर संशोधित किया गया।

(ii) सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 **(सेबी एलओडीआर विनियम, 2015)** के साथ पठित बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कंपनी द्वारा किये गये सूचीकरण समझौते।

(iii) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, 2010 के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश **('डीपीई दिशानिर्देश')**।

(iv) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिनांक 18 नवम्बर, 2024 की एफ. संख्या 5/2/2016-पॉलिसी में निर्धारित अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए पूँजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर बताए गए अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है, **जो निम्नलिखित अवलोकनों के अधीन है:**

(i) कंपनी ने इन मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे प्रावधान, धारा 149(4), सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क), (ख) और (ग) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के क्लॉज़ 3.1.4 का पालन नहीं किया था :

- ***दिनांक 06.03.2026 से स्वतंत्र महिला निदेशक का न होना और 28.03.2026 से बोर्ड के 50% सदस्यों का गैर-कार्यपालक निदेशक होना।***
- ***दिनांक 06.03.2026 से निदेशक मंडल में कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक न होना और बोर्ड में कम से कम 6 (छह) निदेशक न होना।***

(ii) सभी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.03.2026 से समाप्त होने के कारण, कंपनी 30.03.2026 को हुई बोर्ड की बैठक के लिए सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17(2ए) के अधीन ज़रूरी कोरम की शर्तों को पूरा नहीं कर पाई।

(iii) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(क), (ख) और (घ), 19(1) और (2), 20(2) और (2ए) और 21(2); कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (2), 178 (1) और (5) और 135(1) और डीपीई दिशानिर्देशों के क्लॉज़ 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 का पालन न करना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 28.03.2026 से लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक सम्बन्ध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निगमित सामाजिक दायित्व समिति में ज़रूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं) निर्देश, 2023 के क्लॉज़ 6 (ख) का पालन न करना, क्योंकि 06.03.2026 से आईटी रणनीति समिति में ज़रूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन अधिनियम, सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 और डीपीई दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है (ऊपर दिए गए अनुच्छेद में बताई गई बातों को छोड़कर)। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में जो बदलाव किए गए, वे अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए किए गए थे।

बोर्ड/समिति की बैठक निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है। आम तौर पर कार्यसूची और उससे जुड़े विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, सिवाय कुछ मामलों के, जहाँ निदेशक मंडल की सहमति से कम समय की सूचना पर बोर्ड की बैठक की सूचना और कार्यसूची भेजी गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची के विषयों पर और जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए एक व्यवस्था मौजूद है।

बोर्ड और समिति की बैठकों में लिए गए सभी फ़ैसले, बैठक में मौजूद ज़रूरी निदेशकों/सदस्यों की सहमति से लिए गए। साथ ही, अगर किसी ने असहमति जताई या वोटिंग से अलग रहा, तो उसे निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया।

कंपनी आम तौर पर कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन नियामक प्राधिकरणों से ई-फॉर्म/दस्तावेज दाखिल करने में नियमित रही है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि अनुप्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित और प्रबोधित करने के लिए कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं की गयी जिसका उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा प्रभाव हो, **सिवाय इसके कि-**

i) कंपनी ने सेबी (पूंजी जारी करने और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार, 11 जून, 2025 को पात्र योग्य संस्थागत खरीदार को प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य वाले 12,14,66,562 इक्विटी शेयर ₹165.14 प्रति इक्विटी शेयर (जिसमें ₹155.14 प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है) के इश्यू प्राइस पर आवंटित किए हैं, जिनकी कुल कीमत ₹2005.90 करोड़ है।

ii) कंपनी ने 6 मई, 2025 को निजी नियोजन के आधार पर 1,50,000 बॉण्ड्स [7.00% इरेडा, करयोग्य भुनाने योग्य,गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय, असुरक्षित बॉण्ड्स सीरीज़-XVII-A ("बॉण्ड्स")] आवंटित किए हैं। ये बॉण्ड्स डिबेंचर की प्रकृति के हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹1 लाख प्रति बॉण्ड है और कुल मूल्य ₹1500 करोड़ है।

iii) कंपनी ने 15 सितंबर, 2025 को निजी नियोजन के आधार पर 453 बॉण्ड [7.70% इरेडा, करयोग्य, चिर, गैर-परिवर्तनीय,असुरक्षित, रेटेड और सूचीबद्ध बॉण्ड्स सीरीज़-पीडीआई-II (द बॉण्ड्स)] आवंटित किए हैं। ये बॉण्ड्स डिबेंचर की प्रकृति के हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹1 करोड़ प्रति बॉण्ड है और कुल मूल्य ₹453 करोड़ है।

iv) कंपनी ने 14 अक्टूबर, 2022 को क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र),निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के कार्यालय के समक्ष अपील दायर की थी। यह कार्यालय अपीलीय प्राधिकारी है। कंपनी ने आदेश संख्या ROC/D/Adj/2022/Section 149(1)/5781 के अधीन लगाए गए ₹2,62,000 के जुर्माने को माफ़ करने की अपील की थी। यह जुर्माना कंपनी अधिनियम,

2013 धारा 149(1) के उल्लंघन के लिए लगाया गया था। निगमित मामलों के मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के कार्यालय द्वारा 11 दिसंबर, 2025 को अपील स्वीकार कर ली गयी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त जुर्माना माफ कर दिया गया।

v) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने 31.03.2026 को समाप्त हुई तिमाही के लिए सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17(1) (क), (ख) और (ग), 17(2क), 18(1), (क), (ख) और (घ), 19(1) और (2), 20(2) और 20(2क) और 21(2) का पालन न करने पर जुर्माना लगाया है। इसके लिए 27 मई, 2026 को पत्र/ईमेल प्रेषित किया था। हालांकि, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को जवाब भेजकर जुर्माना माफ करने और कंपनी के खिलाफ कोई और कार्रवाई न करने का अनुरोध किया है। यह मामला अभी बीएसई और एनएसई के पास विचाराधीन है।

कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव
(एफआरएन: P2016HR051300)

हस्ता./-
पी. सी. जैन
प्रबंध भागीदार
एम. संख्या: F4103
सीओपी संख्या: 3349

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक: 10 जून, 2026
यूडीआईएन: F004103H000606199
आईसीएसआई सहकर्मी समीक्षा संख्या: 6960/2025

'अनुलग्नक-क'

सेवा में,
सदस्य
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड,
भारत पर्यावास केंद्र, प्रथम तल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

महोदय,

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु हमारे सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है

1. सचिवीय अभिलेखों के रख-रखाव की उत्तरदायी कंपनी के प्रबंधन की है। लेखा-परीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना हमारी उत्तरदायी है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा-परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षण के आधार पर किया गया था जैसे कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा पहले से बताये गये अवलोकनों/टिप्पणियों/कमजोरियों को शामिल नहीं किया गया है।
4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की उत्तरदायी है। हमारी जांच एक परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी और क्या कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र सही तरह से मौजूद हैं या नहीं, पर अपनी राय देनी थी।
6. सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी मामलों का संचालन किया है।

कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव
(एफआरएन: P2016HR051300)

हस्ता./-
पी. सी. जैन
प्रबंध भागीदार
एम. संख्या: F4103
सीओपी संख्या: 3349

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक: 10 जून, 2026
यूडीआईएन: F004103H000606199
आईसीएसआई सहकर्मी समीक्षा संख्या: 6960/2025

अनुलग्नक-VII

निगमित अभिशासन पर अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
(सीआईएन : L65100DL1987GOI027265)
भारत पर्यावास केंद्र, प्रथम तल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रिय महोदय/महोदया,

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सीपीएसई के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (**डीपीई**), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित अभिशासन दिशा-निर्देशों (**"दिशा-निर्देशों"**) की अनुपालन शर्तों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सभी प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की उत्तरदायी है। हमारी जांच, प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह प्रमाण-पत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही यह इस बात का आश्वासन है कि प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन कितनी कुशलता या प्रभावशीलता के साथ किया है।

हमारी राय में और हमें दिए गए अभिलेखों और जानकारी की जांच के आधार पर, कंपनी ने आम तौर पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों में बताई गई निगमित अभिशासन की शर्तों का पालन किया है। ***हालांकि, कुछ मामलों में पालन नहीं किया गया: बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की संख्या पूरी न होने के कारण 06.03.2026 से बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के गठन से जुड़े खंड 3.1.4 का पालन नहीं हुआ; और 28.03.2026 से लेखा-परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से जुड़े खंड 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 का पालन नहीं हुआ।***

कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव
(एफआरएन : P2016HR051300)

हस्ता./-
पी. सी. जैन
प्रबंध भागीदार
एम. संख्या : F4103
सीओपी संख्या: 3349

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: 10 जून, 2026
यूडीआईएन: F004103G000247852
आईसीएसआई सहकर्मी समीक्षा संख्या: 831/2020

अनुलग्नक-VIII

वित्त वर्ष 2025-26 हेतु सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
(सीआईएन : L65100DL1987GOI027265)
भारत पर्यावास केन्द्र, प्रथम तल, ईस्ट कोर्ट
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रिय सदस्य,

हम, पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, जिनका सीआईएन: L65100DL1987GOI027265 ("कंपनी")** है, के सचिवीय लेखा-परीक्षक, ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में यथा निर्धारित, यथा संशोधित (सामूहिक रूप से "सेबी सूचीकरण विनियम/सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015") और कंपनी पर प्रयोज्य 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

प्रबंधन की उत्तरदायी

सेबी सूचीकरण विनियमों में यथा निर्धारित और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन भी कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल की उत्तरदायी है।

निगमित अभिशासन रिपोर्ट तैयार करने और सभी प्रासंगिक सहायक अभिलेख और दस्तावेज के रख-रखाव की ज़िम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। इस उत्तरदायी में निगमित अभिशासन रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुति हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव भी शामिल है।

लेखा-परीक्षक की उत्तरदायी

हमारी उत्तरदायी निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है।

हमने इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी निगमित अभिशासन प्रमाण-पत्र पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की है। हमने गुणवत्ता पर मानक की प्रासंगिक प्रयोज्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

राय

प्रक्रियाओं में परीक्षण के आधार पर निगमित अभिशासन रिपोर्ट में विवरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस रिपोर्ट के अधीन हमारे कार्य के दायरे में समग्र रूप से कंपनी की किसी भी वित्तीय जानकारी या वित्तीय विवरणों की निष्पक्षता या सटीकता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से लेखा-परीक्षा जांच करना शामिल नहीं था।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और कंपनी द्वारा किये गये अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने तालिकाबद्ध विनियम 17 से 27 और विनियमन 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) और सेबी सूचीकरण विनियमों की अनुसूची V के अनुच्छेद ग और घ में निर्धारित अनुसार निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

(i) कंपनी ने इन मामलों में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क), (ख) और (ग) का पालन नहीं किया था :

- ***दिनांक 06.03.2026 से स्वतंत्र महिला निदेशक का न होना और 28.03.2026 से बोर्ड के 50% सदस्यों का गैर-कार्यपालक निदेशक होना।***
- ***दिनांक 06.03.2026 से निदेशक मंडल में कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक न होना और बोर्ड में कम से कम 6 (छह) निदेशक न होना।***

(ii) सभी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.03.2026 से समाप्त होने के कारण, कंपनी 30.03.2026 को हुई बोर्ड की बैठक हेतु सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(2क) के अधीन निर्धारित ज़रूरी कोरम की शर्तों को पूरा नहीं कर पाई।

(iii) सेबी 9 (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(क), (ख) और (घ), 19(1) और (2), 20(2) और (2क) और 21(2) का पालन न करना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 28.03.2026 से लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक सम्बन्ध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति में ज़रूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में हमारा आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव
(एफआरएन: P2016HR051300)

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक : 10 जून, 2026
यूडीआईएन : F004103H000606991
आईसीएसआई सहकर्मी समीक्षा पंजीकरण संख्या : 6960/2025

हस्ता./-
पी. सी. जैन
प्रबंध भागीदार
एम. संख्या : F4103
सीओपी संख्या: 3349

अनुलग्नक-IX

निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट

निगमित अभिशासन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं का एक साधन है जिसके द्वारा किसी कंपनी को कानून का अक्षरशः पालन करने और प्रभावी प्रबंधन के लिए नैतिक मानकों का पालन करने के लिए निदेशित और नियंत्रित किया जाता है। निगमित अभिशासन सभी हितधारकों के हितों को सुनिश्चित करता है।

उपर्युक्त के प्रति, आपकी कंपनी अपने निगमीकरण के बाद से ही निगमित अभिशासन मानदंडों के उच्च मानकों को लागू करने और बनाए रखने का प्रयास करती रही है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ में यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है। यह रिपोर्ट समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 (इसमें इसके बाद **सेबी एलओडीआर विनियम** के रूप में संदर्भित है), कंपनी अधिनियम 2013, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित अभिशासन पर दिशा-निर्देशों **(निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों)** की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गयी है।

1. निगमित अभिशासन पर कंपनी का दर्शन

हमारा निगमित अभिशासन दर्शन निम्नानुसार अनुसार तैयार किया गया है :

कंपनी दृढ़ता से अच्छे निगमित अभिशासन में विश्वास करती है और निरंतर इसका पालन करती है। कंपनी की नीति पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्यों से परिलक्षित होती है। कंपनी इन पहलुओं की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास करती है और इस तरह अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, हितधारकों और पूरे समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य उत्पन्न करती है।

आपकी कंपनी एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक-अनुकूल और विकासोन्मुख संगठन बनने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है और बढ़ावा देती है। कंपनी की निगमित संरचना, व्यवसाय का संचालन और प्रकटीकरण प्रथाओं को इसके निगमित अभिशासन दर्शन के अनुरूप बनाया गया है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल **('बोर्ड')** के पास समग्र रूप से व्यवसाय के प्रबंधन, सामान्य मामलों, दिशा, कार्य-निष्पादन और दीर्घकालिक सफलता हेतु अंततोगत्वा एक उत्तरदायी है। बोर्ड रणनीति और नीतियां तैयार करता है, उनके कार्यान्वयन की देख-रेख करता है और समय-समय पर कंपनी के कार्य-निष्पादन की समीक्षा भी करता है।

बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013; कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम; सेबी एलओडीआर विनियम; आरबीआई के निर्देशों; निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों और कंपनी के आंतरिक कोड/प्रक्रियाओं आदि के दायरे में रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और कंपनी के मामलों का प्रबंधन करता है।

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम **(एओए)** में यह प्रावधान है कि बोर्ड निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय **(एमएनआरई)** के माध्यम से कार्यपालक भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। एओए के अनुसार, बोर्ड की शक्ति 3 निदेशकों से कम नहीं और 15 निदेशकों से अधिक नहीं की होगी।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, आपकी कंपनी के बोर्ड की संरचना 05 मार्च, 2026 तक कंपनी अधिनियम 2013, सेबी एलओडीआर विनियमों और निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप थी। महिला स्वतंत्र निदेशक सहित सभी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण, 6 मार्च 2026 से बोर्ड की संरचना लागू विनियामक ज़रूरतों के अनुरूप नहीं रही। कंपनी ने 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' से ज़रूरी संख्या में निदेशकों (जिनमें स्वतंत्र निदेशक और स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल हैं) की नियुक्ति का अनुरोध किया है, ताकि बोर्ड की संरचना को सुदृढ़ किया जा सके और लागू विनियामक ज़रूरतों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

31 मार्च, 2026 को, बोर्ड 3 (तीन) निदेशकों से मिलकर गठित है, जिनमें अध्यक्ष एवं निदेशक, निदेशक (वित्त) और 01(एक) अंशकालिक सरकार नामित निदेशक हैं।

❖ निदेशक मंडल की संरचना

31 मार्च, 2026 तक बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम और डीआईएन	पदनाम
पूर्णकालिक निदेशक (प्रकार्यात्मक निदेशक)		
1.	श्री प्रदीप कुमार दास डीआईएन: 07448576	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती डीआईएन: 08816532	निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.
पदेन अंशकालिक निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)		
3.	श्री पदम लाल नेगी डीआईएन: 10041387	निदेशक (सरकार नामित)*

*** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व**

❖ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

क. वित्त वर्ष 26 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

1. एमएनआरई के 14 मई, 2025 के आदेश के अनुसार, श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) (डीआईएन: 07448576) का कार्यकाल 6 मई, 2025 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात 30 जून, 2026 या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया था।

2. डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर (डीआईएन: 09556253) और श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट (डीआईएन: 09483059), इरेडा के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नहीं रहे, क्योंकि एमएनआरई के आदेश दिनांक 28 मार्च 2025 के अनुसार उनका कार्यकाल 28 मार्च 2026 को पूरा हो गया है।

3. एमएनआरई के 06 मार्च, 2023 के आदेश के अनुसार, श्री राम निहाल निषाद (डीआईएन: 10064841) और श्रीमती रोहिणी रावत (डीआईएन: 10064820) का कार्यकाल पूरा होने के कारण, वे 06 मार्च, 2026 से इरेडा के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नहीं रहे।

ख. वित्त वर्ष 26 के समाप्त होने के बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक, निदेशक मंडल में ये बदलाव हुए:

1. श्री प्रदीप कुमार दास 30 जून, 2026 को सेवा-निवृत्ति की उम्र पूरी होने के बाद, 01 जुलाई, 2026 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे।

2. एमएनआरई के दिनांक 18 अगस्त, 2026 के आदेश के अनुसार, श्री मनोनीत दलाल (डीआईएन: 10059661) को 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री मनोनीत दलाल को 18 अगस्त, 2026 से गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया है।

3. एमएनआरई के 23 जुलाई, 2026 के आदेश के अनुसार, एमएनआरई के संयुक्त सचिव श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम (डीआईएन : 07935156) को तुरंत प्रभाव से सरकार नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 03 (तीन) कार्यात्मक निदेशक के पदों के भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। इसके अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम को 24 जुलाई, 2026 से सरकार नामित निदेशक नियुक्त किया है।

4. एमएनआरई के 30 जून, 2026 के आदेश के अनुसार, डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (डीआईएन: 08816532) को 1 जुलाई, 2026 से 03 (तीन) महीने की अवधि के लिए या सीएमडी के पद के लिए नियमित अभ्यर्थी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

01 सितंबर, 2026 को बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम और डीआईएन	पदनाम
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यात्मक निदेशक)		
1.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती डीआईएन: 08816532	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक(अतिरिक्त प्रभार) और निदेशक (वित्त) और मु.वि.अ.
पदेन अंशकालिक निदेशक (गैर-सरकारी निदेशक)*		
2	श्री पदम लाल नेगी डीआईएन: 10041387	निदेशक (सरकार नामित)
3.	श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम डीआईएन: 07935156	निदेशक (सरकार नामित)
गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)		
4.	श्री मनोनित दलाल डीआईएन: 10059661	स्वतंत्र निदेशक

***नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व**

वार्षिक रिपोर्ट में सभी निदेशकों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

❖ **वित्त वर्ष 26 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या**

निदेशक मंडल की बैठकें उचित अग्रिम सूचना देकर बुलायी जाती हैं। बैठक की तिथियाँ आमतौर पर सभी निदेशकों के परामर्श से पहले ही निर्धारित कर ली जाती हैं, ताकि उनकी पूर्ण उपस्थिति और सभी संबंधित पक्षों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। किसी भी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कभी-कभी वैधानिक प्रावधानों के अवलोकन के अधीन, बोर्ड की बैठकें कम समय की सूचना पर भी बुलाई जाती हैं। अत्यावश्यक स्थिति में, संविधि के अनुसार, प्रस्ताव को वितरण के माध्यम से भी पारित किया जाता है। बोर्ड के कार्यसूची पत्रों को एक सुरक्षित वेब-आधारित ऑनलाइन एप्लिकेशन पर प्रासंगिक पत्रों को अपलोड करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किया जाता है, जिससे मुद्रित कार्यसूची पत्रों के प्रसार की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बदलते हुए व्यापारिक माहौल के साथ तालमेल बिठाने के लिए, आपकी कंपनी प्रक्रियाओं के डिजिटाइज़ेशन की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 और इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड/समिति की बैठकों को आयोजित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों का उपयोग कर रही है। बोर्ड और समितियों की बैठकें आमतौर पर पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। बैठकों के दौरान, यदि आवश्यक हो, तो सम्बंधित अधिकारियों को भी प्रस्तुतिकरण देने या किसी कार्यसूची मद पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है। बैठक के बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की एक अनुवर्ती प्रणाली है, जहां बोर्ड या उसकी समितियों के पूर्व निर्णयों/विचार-विमर्शों पर की गई कार्रवाई को आगामी बैठकों में समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, 26 (छब्बीस) बोर्ड बैठकें, अर्थात 15.04.2025, 28.04.2025, 20.05.2025, 05.06.2025, 10.06.2025, 11.06.2025, 28.06.2025, 10.07.2025, 28.07.2025, 06.08.2025, 07.08.2025, 26.08.2025, 16.09.2025, 25.09.2025, 14.10.2025, 10.11.2025, 09.12.2025, 20.12.2025, 30.12.2025, 09.01.2026, 16.01.2026, 06.02.2026, 02.03.2026, 19.03.2026, 25.03.2026 और 30.03.2026 को आयोजित की गईं।

किसी भी दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रम से 1 (एक) दिन और 29 (उन्तीस) दिन था।

❖ **बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड और अन्य निदेशक / समिति सदस्य / अध्यक्ष पदों की संख्या।**

वित्त वर्ष 26 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों (07 अगस्त, 2025 को आयोजित अंतिम 38वीं वार्षिक आम बैठक सहित) में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति (भौतिक रूप से/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) और प्रत्येक निदेशक के अन्य निदेशक पद/ समिति सदस्यता/अध्यक्ष पद की संख्या नीचे दी गयी है:

निदेशक का नाम और पदनाम	वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकें (कार्यकाल के अनुसार)		31.03.2026 तक अन्य कंपनियों में निदेशक पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं (नाम सहित) में धारित निदेशक पद, निदेशकों की श्रेणी	31.03.2026* तक अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या@		एनबीएफसी में धारित शेयरों और परिवर्तनीय उपकरणों की संख्या (कंपनी सहित)	पिछले एजीएम (07.08.2025) में उपस्थिति
	आयोजित	उपस्थित रहे			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में		
श्री प्रदीप कुमार दास& अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	26	26	01	शून्य	शून्य	शून्य	15,180	उपस्थित रहे
डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.	26	26	01	शून्य	शून्य	शून्य	15,180	उपस्थित रहे

निदेशक का नाम और पदनाम	वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकें (कार्यकाल के अनुसार)		31.03.2026 तक अन्य कंपनियों में निदेशक पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं (नाम सहित) में धारित निदेशक पद, निदेशकों की श्रेणी	31.03.2026* तक अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या@		एनबीएफसी में धारित शेयरों और परिवर्तनीय उपकरणों की संख्या (कंपनी सहित)	पिछले एजीएम (07.08.2025) में उपस्थिति
	आयोजित	उपस्थित रहे			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में		
श्री पदम लाल नेगी निदेशक (सरकार नामित)	26	26	06	शून्य	01	03	शून्य	उपस्थित रहे
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट* स्वतंत्र निदेशक	25	25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित रहे
डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर* स्वतंत्र निदेशक	25	25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित रहे
श्री राम निहाल निषाद# स्वतंत्र निदेशक	23	23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित रहे
श्रीमती रोहिणी रावत# स्वतंत्र निदेशक	23	23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित रहे

नोट:-

- @इसमें लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों से जुड़ी समिति के अतिरिक्त, बोर्ड समितियों के अध्यक्ष/सदस्य शामिल नहीं हैं।
- कंपनी के किसी भी निदेशक का एक-दूसरे से कोई संबंध नहीं है।
- सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 26 के अधीन, बोर्ड का कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध कंपनियों में, जिनमें वह निदेशक है, 10 से ज़्यादा समितियों का सदस्य या 5 से ज़्यादा समितियों का अध्यक्ष नहीं है।
- *28.03.2026 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।
- #06.03.2026 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।
- &30.06.2026 को सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी होने पर, 01.07.2026 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे।

❖ निदेशक मंडल को उपलब्ध जानकारी:

समय-समय पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं में कंपनी अधिनियम,2013, सेबी एलओडीआर विनियमों, आरबीआई निर्देशों, सरकारी दिशानिर्देशों में निर्धारित मदें और कंपनी से संबंधित विषयों पर सार्थक और केंद्रित विचार-विमर्श को सुगम बनाने तथा सूचित एवं कुशल तरीके से निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक और उपयोगी मानी जाने वाली अन्य जानकारी शामिल होती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के निदेशकगण आवश्यकता पड़ने पर कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी जानकारी मांगने और प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। तात्कालिकता की स्थिति में, प्रस्ताव प्रसारित करके पारित किए जाते हैं, जिन्हें बोर्ड अपनी अगली बैठक में नोट किया है। बोर्ड स्तरीय समिति(यों) की बैठकों के कार्यवृत्त भी बोर्ड के समक्ष उनकी सूचना और नोटिंग के लिए रखे जाते हैं।

❖ निदेशकों के बीच आपसी संबंध

कंपनी के निदेशकों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं है।

❖ गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयर और परिवर्तनीय उपकरण

31 मार्च, 2026 तक तथा इस रिपोर्ट की तारीख तक, किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास कंपनी में कोई शेयर या परिवर्तनीय उपकरण नहीं हैं।

❖ बोर्ड के सदस्यों के लिए परिचय/प्रशिक्षण कार्यक्रम

कंपनी समय-समय पर अपने निदेशकों को व्यावसायिक और परिचालन की प्रकृति, कंपनी की रणनीति और कार्य-निष्पादन, निदेशक के तौर पर उनकी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों, कानूनी नियमों के पालन और दूसरे ज़रूरी विषयों के बारे में जानकारी देती रहती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के सदस्यों को ज़रूरी दस्तावेज़, प्रस्तुतीकरण और आंतरिक नीतियां उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वे कंपनी की प्रक्रियाओं और कार्य-तरीकों से परिचित हो सकें।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, निदेशकों को परिचित कराने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। "बोर्ड सदस्यों के लिए इंडक्शन, परिचय और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नीति" नामक एक नीति कंपनी के पास है, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://www.ireda.in/policy/induction-familiarisation पर देखा जा सकता है।

स्वतंत्र निदेशक के लिए आयोजित परिचयकरण कार्यक्रम की जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर दी गई है और इसे https://www.ireda.in/policy/fam-programs पर देखा जा सकता है।

❖ स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित जानकारी

वित्त वर्ष 26 के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तारीख तक, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपेक्षित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये हैं, कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रशासनिक मंत्रालय यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और तदनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की ईमानदारी, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करते हैं। प्रबंधन से

स्वतंत्र होते हैं स्वतंत्र निदेशक। वित्त वर्ष 26 के दौरान, कंपनी के सभी 4 (चार) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27 मार्च, 2026 तक पूरा हो गया और वे कंपनी के निदेशक नहीं रहे। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 26 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

❖ **स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक**

वित्त वर्ष 26 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 11 नवम्बर, 2025 और 02 मार्च, 2026 को आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशक शामिल हुए।

❖ **बोर्ड के पहचाने गए कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं को निर्धारित करने वाला एक चार्ट या मैट्रिक्स और ऐसे कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं वाले निदेशकों के नाम, जैसा कि उनके व्यवसाय(यों) और क्षेत्र(त्रों) के संदर्भ में और कुशल कामकाज के लिए अपेक्षित है।**

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के बोर्ड में नियुक्त निदेशकों के पास कंपनी के मामलों का संचालन करने के लिए आवश्यक क्षेत्रों में अपेक्षित कौशल और विशेषज्ञता हो, जिसका ज़िक्र कंपनी की उस नीति में ठीक से वर्णित किया गया है जिसका नाम है - "बोर्ड में विविधता की नीति; वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक (एसएमपी) की नियुक्ति के लिए मानदंड; निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक और निदेशक के मूल्यांकन के मानदंड"। साथ ही, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध करते समय इसे प्रशासनिक मंत्रालय को भी ठीक से उपलब्ध कराया गया है।

वित्त वर्ष 26 के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी के निदेशकों की कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएँ निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम और पदनाम	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं के क्षेत्र
श्री प्रदीप कुमार दास^ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	वित्तीय प्रबंधन, बिजली क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता, परियोजना मूल्यांकन, निगमित योजना व रणनीति, जोखिम प्रबंधन, सामाजिक सरोकार, नेतृत्व, पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार, बोर्ड पद्धति व अभिशासन तथा व्यवसाय विकास
डॉ. बिजय कुमार महान्ती$ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)	वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता, परियोजना मूल्यांकन, निगमित योजना व रणनीति, जोखिम प्रबंधन, सामाजिक सरोकार, नेतृत्व, पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार, बोर्ड पद्धति व अभिशासन, व्यवसाय विकास और कानूनी सलाहकार
श्री पदम लाल नेगी सरकार नामित निदेशक	वित्तीय प्रबंधन, बिजली क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता, परियोजना मूल्यांकन, सामाजिक सरोकार और नेतृत्व
श्री राम निहाल निषाद* स्वतंत्र निदेशक	जोखिम प्रबंधन, सामाजिक सरोकार, नेतृत्व, पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार और बोर्ड पद्धति व अभिशासन
श्रीमती रोहिणी रावत* स्वतंत्र निदेशक	जोखिम प्रबंधन, सामाजिक सरोकार, नेतृत्व, पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार और बोर्ड पद्धति व अभिशासन
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट# स्वतंत्र निदेशक	सामाजिक सरोकार, नेतृत्व, पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार और बोर्ड पद्धति व अभिशासन
डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर# स्वतंत्र निदेशक	जोखिम प्रबंधन, सामाजिक सरोकार, नेतृत्व, पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार और बोर्ड पद्धति व अभिशासन
श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम@ सरकार नामित निदेशक	लेखांकन में पेशेवर प्रमाणन/अनुभव, वित्तीय प्रबंधन, बिजली क्षेत्र डोमेन, परियोजना मूल्यांकन, कानूनी सलाहकार, निगमित योजना और रणनीति, सामाजिक सरोकार और नेतृत्व
श्री मनोनीत दलाल& स्वतंत्र निदेशक	लेखांकन में पेशेवर प्रमाणन/अनुभव, वित्तीय प्रबंधन, बिजली क्षेत्र डोमेन, परियोजना मूल्यांकन, कानूनी सलाहकार, निगमित योजना और रणनीति,जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व, पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार, सामाजिक सरोकार, बोर्ड पद्धति व अभिशासन और व्यावसायिक विकास

नोट:-

* श्री राम निहाल निषाद और श्रीमती रोहिणी रावत, दिनांक 06.03.2026 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट और डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर, दिनांक 28.03.2026 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

^30.06.2026 को सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी होने पर, 01.07.2026 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे।

$ एमएनआरई के 30.06.2026 के आदेश के तहत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

@ श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम को 24.07.2026 से कंपनी का सरकार नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

& श्री मनोनीत दलाल को 18.08.2026 से कंपनी का गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया गया है।

आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के ध्येय और उद्देश्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है और इसका उद्देश्य है कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट यानी https://www.ireda.in/policy/code-of-conduct पर उपलब्ध है।

निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अधीन आवश्यक घोषणा

इरेडा के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के 'बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों बाबत व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता./-
(प्रदीप कुमार दास)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07448576

❖ **भेदिया द्वारा व्यावसायिक को नियंत्रित, प्रबोधित व रिपोर्टिंग करने के लिए आचार संहिता और अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए कार्य-प्रणाली और प्रक्रिया से संबंधित संहिता।**

समय-समय पर संशोधित के अनुपालन में सेबी (भेदिया व्यावसायिक निषेध) विनियम की आवश्यकताओं के अनुपालन में , कंपनी के पास अंदरूनी लोगों द्वारा व्यावसायिक को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए एक 'आचार संहिता' है। साथ ही, अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने और सभी हितधारकों के साथ लेन-देन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी जानकारी के निष्पक्ष खुलासे की प्रक्रिया और नियमों से संबंधित एक 'कोड' भी है। कंपनी सचिव को कंपनी का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है और वे उक्त कोड का पालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कोड कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in/policy/insider-trading पर उपलब्ध है।

संहिता में कंपनी के शेयरों/प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, किये जाने वाले खुलासों और गैर-अनुपालन के परिणामों को निर्धारित किया गया है। उक्त संहिता की आवश्यकता के अनुरूप, ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया जाता है और नामित व्यक्तियों और अन्य संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है ताकि उन्हें और उनके निकटतम रिश्तेदारों को कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने से रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, शेयर बाज़ारों को भी उचित घोषणाएँ की जाती हैं और कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन की जाती हैं। कंपनी के पास भेदिया व्यावसायिक गतिविधियों की प्रभावी ढंग से निगरानी और विनियमन करने के लिए एक व्यवस्थित डिजिटल डेटाबेस प्रणाली मौजूद है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण सत्र और आंतरिक परिपत्र वगैरह के ज़रिए कर्मचारियों में निरंतर जागरूकता बढ़ाई जाती है, ताकि वे भेदिया व्यावसायिक कानूनों के तहत प्रावधानों, उत्तरदायीयिों और नतीजों को लेकर सतर्क रहें।

3. निदेशक मंडल की समितियाँ

लागू कानूनी और विनियामक प्रावधानों के अधीन आवश्यकता अनुसार, कंपनी के पास अलग-अलग भूमिका, जवाबदेही और अधिकार वाली निम्नलिखित बोर्ड स्तरीय समिति(याँ) हैं। उक्त समितियों का विवरण नीचे दिया गया है:

3.1 निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति;
3.2 निदेशकों की ऋण समिति;
3.3 निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति;
3.4 निदेशकों की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति;
3.5 निदेशकों की हितधारक संबंध समिति;
3.6 आईटी रणनीति समिति
3.7 जोखिम प्रबंधन समिति
3.8 एनपीए और तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति
3.9 गैर-सहकारी ऋणकर्ता और जानबूझकर चूककर्ताओं के लिए समीक्षा बैठक समिति

जानकारी हेतु समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

3.1 निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियमों और निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित लेखा-परीक्षा समिति है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, बोर्ड में उपलब्ध निदेशक के साथ समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया। निदेशक (वित्त)/मु.वि.अ. बैठक में विशेष आमंत्रित

सदस्य होते हैं। श्रीमती एकता मदान, कंपनी सचिव, समिति की सचिव के रूप में कार्य करती हैं। वित्तीय विवरणों/ वित्तीय परिणामों, आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करते समय क्रम से कंपनी के वैधानिक लेखा-परीक्षक,आंतरिक लेखा-परीक्षक और लागत लेखा-परीक्षक को भी लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

वैधानिक ज़रूरतों के अनुसार, लेखा-परीक्षा समिति को एक वित्त वर्ष में कम से कम 4 (चार) बार बैठक करनी होती है और निरंतर दो बैठकों के बीच 120 (एक सौ बीस) दिनों से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। वित्त वर्ष 26 के दौरान, लेखा-परीक्षा समिति की कुल 11 (ग्यारह) बैठकों का आयोजन निम्नलिखित तारीखों को हुआ, अर्थात 15.04.2025, 20.05.2025, 10.07.2025, 28.07.2025, 26.08.2025, 25.09.2025, 14.10.2025, 10.11.2025, 30.12.2025, 09.01.2026 और 02.03.2026 को। वित्त वर्ष 26 के दौरान आयोजित लेखा-परीक्षा की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:

क्र.सं.	सदस्य का नाम व पदनाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
1.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (07.04.2025 से 27.03.2026 तक)	11	11
2.	श्रीमती. रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (06.04.2025 तक) / सदस्य (07.04.2025 से 05.03.2026 तक)	11	11
3.	श्री पदम लाल नेगी सरकार नामित निदेशक	सदस्य	11	11
4.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (28.07.2025 तक)	4	4
5.	डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (06.03.2026 से 27.03.2026 तक)	शून्य	शून्य

नोट: 31 मार्च 2026 के अनुसार, 28.03.2026 से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण लेखा-परीक्षा समिति मौजूद नहीं थी।

बोर्ड में मौजूद निदेशकों के साथ 22 अगस्त, 2026 को लेखा-परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री मनोनीत दलाल, स्वतंत्र निदेशक, श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम, निदेशक (सरकार नामित) और श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (सरकार नामित) समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं।

❖ **लेखा-परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें (टीओआर) :**

1. वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण।
2. कंपनी के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।
3. नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के आदेश/निर्देशों के आधार पर लेखा-परीक्षा शुल्क के निर्धारण पर बोर्ड को सिफारिश करना।
4. सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
5. बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, जिसमें विशेष तौर पर इन बातों पर ध्यान दिया जाए:
   (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 के खंड (ग) के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले, जिन्हें बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है;
   (ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;
   (ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग पर आधारित अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;
   (घ) लेखा-परीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
   (ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
   (च) किसी भी संबंधित पक्ष लेन-देन का प्रकटीकरण; और
   (छ) मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय(यों)।

6. अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
7. वैधानिक और आंतरिक लेखा-परीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
8. आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखा-परीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना।
9. आंतरिक लेखा-परीक्षकों और/या लेखा-परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
10. आंतरिक लेखा-परीक्षकों/लेखा-परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहाँ धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की किसी महत्वपूर्ण प्रकृति की विफलता का संदेह हो, और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।
11. लेखा-परीक्षा शुरू होने से पहले, लेखा-परीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ चर्चा करना, साथ ही साथ लेखा-परीक्षा के बाद किसी भी चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा करना।
12. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में भारी चूक के कारणों की जाँच करना।
13. पर्दाफाश करनेवाले तंत्र के कार्य की समीक्षा और निगरानी करना।
14. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी देना; बशर्ते कि जहाँ निदेशक (वित्त) की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है, वह मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;
15. सीएजी लेखा-परीक्षा की लेखा-परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
16. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
17. स्वतंत्र लेखा-परीक्षक, आंतरिक लेखा-परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला माध्यम प्रदान करना।
18. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन।
19. कंपनी द्वारा प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान करना, जो उक्त शर्तों, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, के अधीन होगा।
20. अनावश्यक प्रयासों की व्याप्ति कटौती की पूर्णता और सभी लेखा-परीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लेखा-परीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के साथ समीक्षा करना।
21. स्वतंत्र लेखा-परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना :
    - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
    - प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ, संबंधित निष्कर्षों और सिफारिशें व स्वतंत्र लेखा-परीक्षक और आंतरिक लेखा-परीक्षक।
22. प्रबंधन, आंतरिक लेखा-परीक्षक और स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना:
    - वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली लेखा-परीक्षा सिफारिशों की स्थिति शामिल करते हुए; और
    - लेखा-परीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई जिसमें गतिविधियों के दायरे या अपेक्षित जानकारी तक पहुँच पर कोई प्रतिबंध शामिल हो।
23. लेखा-परीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:
    I. वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों का प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण।
    II. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन (लेखा-परीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित) का विवरण।

III. सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किये गये प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियाँ पत्र।

IV. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट।

V. मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तों को लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा।

VI. बोर्ड द्वारा नामित किये जाने वाले मुख्य कार्यपालक/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।

VII. विचलनों का विवरण:

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम ("सूचीकरण विनियम") के विनियम 32(1) के अनुसार शेयर बाज़ार(रों) को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन(नों) का त्रैमासिक विवरण (यदि लागू हो); और

(ii) सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 32(7) के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरण-पत्रिका/सूचना में बताये गये उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग किये गये धन का वार्षिक विवरण।

24. लेखा-परीक्षक की स्वतंत्रता और कार्य-निष्पादन तथा लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और प्रबोधन करना।

25. अंतर-निगमित ऋण और निवेश की जांच करना।

26. जहां भी यह आवश्यक हो, कंपनी के वचनबंध या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।

27. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।

28. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से उगाही गयी निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण-पत्रिका/सूचना में बताये गये उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग की गयी निधियों का विवरण और सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित अनुशंसा करना।

29. 1 अप्रैल, 2019 को वर्तमान ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल करते हुए धारक कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में ₹100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना।

30. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, विलगाव, समामेलन आदि को शामिल करते हुए योजना के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभावों पर विचार करना और नोट करना।

31. डीपीई दिशा-निर्देशों, कंपनी अधिनियम और सूचीकरण विनियमों के अधीन यथा निर्धारित, समय-समय पर कंपनी पर यथा प्रयोज्य और अन्य कोई कार्य एवं कंपनी और कंपनी के अन्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा उचित समझे गये या निर्धारित किसी अन्य कार्य को पूरा करना।

32. लेखा-परीक्षा समिति की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) इनकी संदर्भ शर्तों के अंदर विनिर्दिष्ट किसी भी गतिविधि के मामलों की जांच करना;
(ख) कंपनी के किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगना;
(ग) बाह्य स्रोतों से कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना, यदि आवश्यक हो तो;
(घ) प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाह्य लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक हो तो;
(ङ) पर्दाफाश करने वालों की सुरक्षा करना; और
(च) कंपनी के अभिलेखों में निहित जानकारी तक पूरी पहुँच रखना।

उपर्युक्त संदर्भ शर्तों के प्रयोजन हेतु:

(क) निदेशक (वित्त) या वित्त प्रकार्य के प्रमुख और सांविधिक लेखा-परीक्षक के प्रतिनिधि और कंपनी के किसी अन्य ऐसे अधिकारियों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए समिति आमंत्रित कर सकती है। बशर्ते कि कभी-कभी लेखा-परीक्षा समिति कंपनी के किसी भी अधिकारी की उपस्थिति के बिना बैठक कर सकती है।

(ख) बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों की समीक्षा और लेखा-परीक्षकों के मंतव्यों सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखा-परीक्षा के दायरे के बारे में लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियों के लिए समिति बुला सकती है तथा कंपनी के आंतरिक व सांविधिक लेखा-परीक्षकों और प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित विषय पर चर्चा भी कर सकती है।

(ग) लेखा-परीक्षक रिपोर्ट पर विचार करते समय कंपनी के लेखा-परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में सुनने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अधीन बोर्ड की रिपोर्ट में लेखा-परीक्षा समिति की संरचना का प्रकटीकरण किया जाएगा और जहां बोर्ड ने लेखा-परीक्षा समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, तो उसे उक्त रिपोर्ट में इसके कारणों का खुलासा किया जाएगा।

जब तक अन्यथा परिभाषित न किया जाए, उपर्युक्त लेखा-परीक्षक की परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, इसमें सांविधिक लेखा-परीक्षक, लागत लेखा-परीक्षक और आंतरिक लेखा-परीक्षक शामिल होंगे।

नोट: एक सरकारी कंपनी होने के नाते, वैधानिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक ("सीएजी") द्वारा की जाती है।

3.2. निदेशकों की ऋण समिति

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने प्रतिनिधिमंडल की संरचना और कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निदेशकों की एक ऋण समिति (एलसीओडी) का विधिवत गठन किया है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, बोर्ड में उपलब्ध निदेशकों के साथ समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च, 2026 तक, निदेशक की ऋण समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष के तौर पर और निदेशक (वित्त) डॉ. बिजय कुमार महान्ती तथा निदेशक (सरकार नामित) श्री पदम लाल नेगी समिति के सदस्य के तौर पर शामिल थे।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, निदेशकों की ऋण समिति की कुल 3 (तीन) बैठकें हुईं, यानी 28.07.2025, 09.12.2025 और 20.12.2025 को। वित्त वर्ष 26 के दौरान आयोजित निदेशकों की ऋण समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	3	3
2	डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.	सदस्य	3	3
3	श्री पदम लाल नेगी सरकार नामित निदेशक	सदस्य	3	3
4	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (28.07.2025 तक)	1	1
5.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (29.07.2025 से 27.03.2026 तक)	2	2

बोर्ड में मौजूद निदेशकों के साथ 22 अगस्त, 2026 को निदेशकों की ऋण समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति में अध्यक्ष के रूप में डॉ. बिजय कुमार महान्ती, सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त); समिति के सदस्य के रूप में श्री मनोनीत दलाल, स्वतंत्र निदेशक और श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (सरकार नामित) शामिल हैं।

❖ निदेशकों की ऋण समिति की संदर्भ शर्तें:

1. प्रतिनिधि मंडल के अनुसार परियोजनाओं के लिए ऋण की मंजूरी पर विचार करना। (वर्तमान में ₹20 करोड़ से अधिक और ₹125 करोड़ तक व्यक्तिगत ऋण/परियोजना के लिए, जिसमें ऋण की अतिरिक्त/वृद्धि शामिल है)।
2. प्रतिनिधि मंडल के अनुसार ऋण लेने वाली परियोजनाओं के लिए पुनर्निर्धारण प्रस्तावों और उससे संबंधित अन्य विषयों पर विचार करना। (वर्तमान में व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए ₹20 करोड़ से अधिक और ₹125 करोड़ तक)।
3. प्रतिनिधि मंडल के अनुसार ऋण लेने वाली परियोजनाओं के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रस्तावों और उससे संबंधित अन्य विषयों पर विचार करना (वर्तमान में व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए ₹20 करोड़ से अधिक और ₹125 करोड़ तक)।
4. एलसीओडी के दायरे में आने वाली परियोजनाओं के संबंध में वित्त के साधनों, साइट, गारंटी, वैधता और ऋण के अन्य नियम व शर्तों में बदलाव पर विचार करना।

3.3 निदेशकों की नामांकन व पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियमों और निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामांकन व पारिश्रमिक समिति का विधिवत गठन किया गया है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, बोर्ड में उपलब्ध निदेशकों के साथ समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया था।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, एनआरसी की कुल 9 (नौ) बैठकें, अर्थात 28.04.2025, 20.05.2025, 10.07.2025, 07.08.2025, 26.08.2025, 10.11.2025, 09.12.2025, 02.03.2026 व 25.03.2026 को आयोजित की गईं। वित्त वर्ष 26 के दौरान आयोजित एनआरसी की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निमानुसार है:

क्र.सं.	सदस्य का नाम एवं पदनाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
1.	श्री शब्दशरण एन ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (21.04.2025 से 27.03.2026 तक)	9	9
2.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (20.04.2025 तक)/सदस्य (21.04.2025 से 05.03.2026 तक)	8	8
3.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (05.03.2026 तक)	8	8
4.	श्री पदम लाल नेगी निदेशक (सरकार नामित)	सदस्य (20.04.2025 तक और 06.03.2026 को पुनःनियुक्त)	1	1
5.	डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (06.03.2026 से 27.03.2026 तक)	1	1

नोट: 31 मार्च, 2026 तक, दिनांक 28.03.2026 से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण नामांकन और पारिश्रमिक समिति अस्तित्व में नहीं थी।

बोर्ड में मौजूद निदेशकों के साथ 22 अगस्त, 2026 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया था। समिति में अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री मनोनीत दलाल; समिति के सदस्य के रूप में श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम, निदेशक (सरकार नामित) और श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (सरकार नामित) शामिल हैं।

❖ **नामांकन व पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें (टीओआर):**

1. निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;
2. निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;
3. स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति हेतु, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक के लिए आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति में उक्त विवरण में पहचानी गई क्षमताएँ होनी चाहिए। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति निम्नलिखित कार्य कर सकती है:
   - क. यदि आवश्यक हो, तो बाह्य एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करना।
   - ख. विविधता को ध्यान में रखते हुए, विविध पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर विचार करना; और
   - ग. उम्मीदवारों की समयबद्धता पर विचार करना ।
4. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हों और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सके, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करना।
5. स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि बढ़ाना या जारी रखा जाना।
6. वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे किसी भी रूप में, बोर्ड को अनुशंसित करना।

7. यह सुनिश्चित करना कि नए निदेशकों को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए कंपनी के पास कार्यक्रम मौजूद हों;
8. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशकों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति/मानदंड सुनिश्चित करना।
9. सेबी सूचीकरण विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों, आरबीआई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित किसी भी अन्य कार्य को समय-समय पर संशोधित करने हेतु निष्पादित करना;
10. निदेशकों, निदेशक मंडल/समितियों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु मानदंड तैयार करना।
11. निर्धारित सीमा के भीतर और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के बीच वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल/कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन और इसके वितरण हेतु नीति का निर्धारण करना।

नोट: एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की पहचान, नियुक्ति, पारिश्रमिक, कौशल/योग्यता और मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

❖ **निदेशकों हेतु कार्य-निष्पादन मूल्यांकन मानदंड**

निगमित मामलों के मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों को अपने स्वयं के तथा अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य-निष्पादन का बोर्ड द्वारा औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन कराने की आवश्यकता से छूट दे दी है, बशर्ते निदेशकों का मूल्यांकन केन्द्र सरकार के उस मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी होता है, तथा इसकी अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निगमित मामलों के मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से यह भी निर्धारित किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनी निजी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। सरकार नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय/सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार, बोर्ड और स्वतंत्र निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। उक्त मानदंड में कुछ मानदंड जैसे कि उपस्थिति, व्यवसाय से परिचय, बोर्ड के सदस्यों के बीच आपसी संवाद, प्रभावी भागीदारी, आचार संहिता का अनुपालन, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी अलग बैठक में गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य-निष्पादन का भी मूल्यांकन किया है।

3.4 निदेशकों की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बोर्ड द्वारा निदेशकों की 'निगमित सामजिक उत्तरदायित्व समिति' का गठन किया गया है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, बोर्ड में मौजूद निदेशकों के साथ समय-समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च, 2026 तक, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना में अध्यक्ष के रूप में श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; समिति के सदस्य के रूप में डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ. और श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (सरकार नामित) शामिल हैं।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, सीएसआर समिति की कुल 13 बैठकें, अर्थात 28.04.2025, 28.06.2025, 28.07.2025, 06.08.2025, 26.08.2025, 11.09.2025, 14.10.2025, 10.11.2025, 09.12.2025, 02.03.2026, 19.03.2026, 25.03.2026 और 30.03.2026 को आयोजित की गईं। वित्त वर्ष 26 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	13	13
2	डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.	सदस्य	13	13
3.	डॉ. जगनाथ सी. एम.जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27.03.2026 तक)	12	12

क्र. सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
4.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (22.04.2025 से 27.03.2026 तक)	12	12
5.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (21.04.2025 तक)	शून्य	शून्य
6.	श्री पदम लाल नेगी निदेशक (सरकार नामित)	सदस्य (28.03.2026 से)	1	1

नोट: 31 मार्च 2026 तक, 28.03.2026 से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति अस्तित्व में नहीं थी।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का पुनर्गठन 22 अगस्त, 2026 को बोर्ड में मौजूद निदेशकों के साथ किया गया। समिति में अध्यक्ष के रूप में डॉ. बिजय कुमार महान्ती, सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त), समिति के सदस्य के रूप में श्री मनोनीत दलाल, स्वतंत्र निदेशक और श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (सरकार नामित) शामिल हैं।

❖ **निदेशकों की सीएसआर समिति की संदर्भ शर्तें:**

1. कंपनी के सीएसआर और संधारणीयता कार्य-सूची को वांछित दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की सहायता करना;
2. परियोजनाओं के चयन, योजना, निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करना;
3. नीतिगत ढांचे और दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं का चयन;
4. लक्ष्यों के साथ प्रत्येक परियोजना हेतु वार्षिक बजटीय आवश्यकता प्रस्तुत करना;
5. परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के लिए रणनीतियों का निर्माण।

3.5 निदेशकों की हितधारक सम्बन्ध समिति

हितधारक सम्बन्ध समिति का गठन बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर विनियम के प्रावधानों के अधीन किया गया है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, बोर्ड में उपलब्ध निदेशकों के साथ समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया था। श्रीमती एकता मदान, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव के तौर पर काम करती हैं। वह सेबी एलओडीआर विनियम के तहत कंपनी की अनुपालन अधिकारी भी हैं।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, हितधारक सम्बन्ध समिति की कुल 3 (तीन) बैठकें, अर्थात 15.04.2025, 27.06.2025 और 09.12.2025 को आयोजित की गयी थीं। वित्त वर्ष 26 के दौरान आयोजित हितधारक सम्बन्ध समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
1.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (27.07.2025 तक और 06.03.2026 से 27.03.2026 तक पुनः नियुक्त)	2	2
2.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27.07.2025 तक) / अध्यक्ष (28.07.2025 से 05.03.2026 तक)	3	3
3.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (05.03.2026 तक)	3	3
4.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.	सदस्य	3	3

नोट:-

31 मार्च, 2026 तक, 28.03.2026 से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण 'हितधारक सम्बन्ध समिति' अस्तित्व में नहीं थी।

हितधारक सम्बन्ध समिति का पुनर्गठन 22 अगस्त, 2026 को बोर्ड में मौजूद निदेशक के साथ किया गया था। समिति में अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री मनोनीत दलाल; डॉ. बिजय कुमार महान्ती, सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त) और श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (सरकार नामित) समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं।

❖ **निदेशकों की हितधारक संबंध समिति की संदर्भ शर्तें:**

1. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण के लिए अपनाये गये तंत्र की समीक्षा करना।
2. सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नये/अनुलिपि प्रमाण-पत्र जारी करना, आम बैठक आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
3. शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किये गये उपायों की समीक्षा।
4. रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाये गये सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
5. कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दावा न किए गये लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/वैधानिक सूचना की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किये गये विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।
6. निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार और/या समय-समय पर संशोधित निगमित अभिशासन से संबंधित सेबी एलओडीआर विनियमों के साथ-साथ किसी भी अन्य लागू वैधानिक नियमों और विनियमों के तहत अपेक्षित अन्य मामलों की समीक्षा करना और उन्हें कार्यान्वित करना।

❖ **निवेशकों की शिकायत स्थिति**

कंपनी निवेशकों की सभी शिकायतों का निपटारा कानून के तहत निर्धारित समय के भीतर तेजी से और तत्परता के साथ कर रही है। निवेशकों की शिकायतों को कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के समन्वय में तुरंत निवारण किया गया है। वित्त वर्ष 26 के लिए इक्विटी धारकों और डिबेंचर धारकों आदि से प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	डिबेंचरधारक	इक्विटी शेयरधारक
वित्त वर्ष की शुरुआत में (1 अप्रैल, 2025)	शून्य	*शून्य*
वित्त वर्ष 26 के दौरान प्राप्त	6	2
वित्त वर्ष 26 के दौरान निपटाए गए	6	2
31 मार्च, 2026 तक अनसुलझे/लंबित रह गए	शून्य	शून्य

3.6 आईटी रणनीति समिति

कंपनी के पास एनबीएफसी क्षेत्र के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश की आवश्यकता के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित आईटी रणनीति समिति है। मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) आईटी रणनीति समिति की बैठक के संयोजक होते हैं और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) आईटी रणनीति समिति की बैठक में स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य होते हैं।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, आईटी रणनीति समिति की कुल 4 (चार) बैठकें, अर्थात 25.06.2025, 29.09.2025, 26.12.2025 और 02.03.2026 को आयोजित की गई थीं। वित्त वर्ष 26 के दौरान आयोजित आईटी रणनीति समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
1.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (05.03.2026 तक)	4	4
2.	डॉ. जगनाथ सी. एम.जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27.03.2026 तक)	4	4
3.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.	सदस्य	4	4

नोट: 31 मार्च 2026 तक, आईटी रणनीति समिति मौजूद नहीं थी क्योंकि 6 मार्च 2026 से स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थे।

आईटी रणनीति समिति का पुनर्गठन 22 अगस्त, 2026 को बोर्ड में मौजूद निदेशकों के साथ किया गया। समिति में अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री मनोनीत दलाल; समिति के सदस्य के रूप में डॉ. बिजय कुमार महान्ती, सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त) और श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (सरकार नामित) शामिल हैं।

आईटी रणनीति समिति की संदर्भ शर्तें*:

1. सुनिश्चित करना कि एनबीएफसी ने एक प्रभावी आईटी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है;
2. आईटी रणनीति तैयार करने में मार्ग-दर्शन प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि आईटी रणनीति, अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एनबीएफसी की समग्र रणनीति के अनुरूप हो।
3. यह सुनिश्चित करना कि आईटी अभिशासन और सूचना सुरक्षा अभिशासन संरचना जवाबदेही को बढ़ावा देती है, प्रभावी और कुशल है, इसमें पर्याप्त कुशल संसाधन, सुपरिभाषित उद्देश्य और संगठन के प्रत्येक स्तर हेतु स्पष्ट उत्तरदायीयिँ हैं।
4. यह सुनिश्चित करना कि एमबीएफसी ने आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित की है।
5. यह सुनिश्चित करना कि आईटी कार्य (आईटी सुरक्षा सहित), साइबर सुरक्षा के लिए बजटीय आवंटन एमबीएफसी की आईटी परिपक्वता, डिजिटल गहराई, खतरे के वातावरण और उद्योग मानकों के अनुरूप हों और उनका उपयोग घोषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाए;
6. एमबीएफसी की व्यावसायिक निरंतरता योजना और डीआर प्रबंधन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की कम से कम वार्षिक आधार पर समीक्षा करना।
7. आईटी क्षमता की ज़रूरतों के आकलन और समस्याओं को हल करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करना; और
8. सूचना प्रणाली तक ज़रूरत-आधारित एक्सेस देने के लिए लिखित मानकों और प्रक्रियाओं को अनुमोदन।

***नोट:**-* बोर्ड ने 22 अगस्त, 2026 को हुई अपनी 467वीं बैठक में इसमें संशोधन किया।*

3.7 जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर डायरेक्शन और सेबी एलओडीआर विनियम की ज़रूरतों के अनुसार, बोर्ड द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, बोर्ड में उपलब्ध निदेशकों के साथ समय-समय पर कमिटी का पुनर्गठन किया गया था। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) जोखिम प्रबंधन समिति के संयोजक के तौर पर काम करते हैं।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की कुल 6 (छह) बैठकें, अर्थात 20.05.2025, 28.07.2025, 29.09.2025, 10.11.2025, 30.12.2025 और 02.03.2026 को आयोजित की गई थीं। वित्त वर्ष 26 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
1.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (27.07.2025 तक) / सदस्य (28.07.2025 से 05.03.2026 तक)	6	6
2.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27.07.2025 तक) / अध्यक्ष (28.07.2025 से 27.03.2026 तक)	6	6
3.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (27.07.2025 तक)	2	2
4.	श्री पदम लाल नेगी निदेशक (सरकार नामित)	सदस्य (27.07.2025 तक और 06.03.2026 को पुनःनियुक्त)	2	2
5.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.	सदस्य	6	6

नोट: 31 मार्च, 2026 तक, दिनांक 28.03.2026 से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण जोखिम प्रबंधन समिति अस्तित्व में नहीं थी।

बोर्ड में मौजूद निदेशकों के साथ 22 अगस्त, 2026 को जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया था। समिति में अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री मनोनीत दलाल; समिति के सदस्य के रूप में श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम, निदेशक (सरकार नामित) और श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (सरकार नामित) शामिल हैं।

❖ **निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति की संदर्भ शर्तें (टीओआर):**

क. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- कंपनी द्वारा विशेष रूप से सम्मुखित आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए रूपरेखा, विशेष रूप से वित्तीय, प्रचालन, क्षेत्रीय, संधारणीयता [विशेष रूप से, पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) से संबंधित जोखिम], सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम;
- पहचाने गये जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण हेतु प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय; और
- व्यवसाय निरंतरता योजना।

ख. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्य-प्रणाली, प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ मौजूद हैं।

ग. जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन का प्रबोधन और देख-रेख करना, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना शामिल है।

घ. जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना, दो वर्ष में कम से कम एक बार, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है।

ङ. बोर्ड को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषय-वस्तु के बारे में सूचित रखना।

च. मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

छ. कंपनी द्वारा सम्मुखित विभिन्न जोखिमों का पता लगाने के लिए उद्यम-व्यापी एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए नीतियों और रणनीतियों का अनुमोदन।

ज. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी जिसे परिसंपत्ति देनदारी प्रबंधन समिति - एएलसीओ के रूप में भी जाना जाता है), प्रचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी) के कार्यों की देख-रेख करना।

झ. ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और प्रचालनगत जोखिम के मापन, प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना।

ञ. सभी तीनों जोखिमों के संबंध में जोखिम शमन और हानि रोध मानदंड निर्धारित करना।

ट. जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए प्रबंधन प्रक्रियाओं (लोगों, प्रणालियों, प्रचालन, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) को सुनिश्चित करना।

ठ. कंपनी द्वारा सम्मुखित विभिन्न जोखिमों का आकलन करने के लिए वित्तीय/रेटिंग निर्धारण प्रतिमान और उनकी मूल्यांकन प्रणालियों की मजबूती और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।

ड. नियामक आवश्यकताओं से कहीं अधिक पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा और अनुमोदन करना।

ढ. आंतरिक/बाह्य रेटिंग निर्धारण, ऋणकर्ता श्रेणी/समूहों आदि के आधार पर साख निर्धारण प्रक्रिया की स्वीकृति/समीक्षा, विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए जोखिम सीमा का निर्धारण आदि।

ण. कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग में योग्य और सक्षम अधिकारियों और जोखिम प्रबंधकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

त. जोखिम प्रबंधन हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी/उपयुक्त और पर्याप्त एमआईएस प्रणाली को अपनाने का निर्णय/अनुमोदन।

थ. पूरे संगठन में जोखिम प्रबंधन की संस्कृति और जागरूकता को पुनर्प्रवर्तित करना, जिससे प्रभावी जोखिम प्रबंधन और सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण के पालन को उच्च प्राथमिकता दिया जा सकेगा।

द. नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को संतुष्ट करने के लिए आंतरिक लेखा-परीक्षा का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करना।

ध. बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता सीमाओं के संबंध में इरेडा के कार्य-निष्पादन की निगरानी करना।

न. संभावित जोखिमों का शीघ्र पता लगाना और प्रबोधन करना - आरएमसी उभरते जोखिमों की पहचान करता है और संगठन पर प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए उनकी निरंतर निगरानी करता है।

प. प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम विषयों पर प्रतिक्रिया देना - आरएमसी संगठन की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुँचाने वाले प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों का समाधान करने और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाता है।

फ. संगठनात्मक संसाधनों की पर्याप्तता का प्रबंधन करना - आरएमसी यह सुनिश्चित करता है कि संगठन के पास जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और परिचालन संसाधन दोनों उपलब्ध हों।

ब. जोखिम ढाँचे का प्रबंधन - आरएमसी संगठन के जोखिम प्रबंधन ढाँचे को विकसित करने, लागू करने और उसकी देख-रेख करने के लिए उत्तरदायी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है।

भ. वरिष्ठ प्रबंधन के कार्य-निष्पादन और क्षमता प्रबंधन का पर्यवेक्षण- आरएमसी प्रदर्शन की निगरानी करता है और जोखिम प्रबंधन रणनीति को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में वरिष्ठ प्रबंधन की क्षमता सुनिश्चित करता है।

3.8 एनपीए व दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति

कंपनी की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों व एनपीए की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बोर्ड द्वारा एनपीए व दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति का गठन किया गया है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, बोर्ड में उपलब्ध निदेशकों के साथ समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया था। वित्त वर्ष 26 के दौरान, एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति की 04 (चार) बैठकों 10.07.2025, 14.10.2025, 09.12.2025 और 25.03.2026 को आयोजित की गई थीं। वित्त वर्ष 26 के दौरान आयोजित एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
1.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (05.03.2026 तक)	3	3
2.	डॉ. जगनाथ सी. एम.जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (06.03.2026 से 27.03.2026 तक)	1	1
3.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (05.03.2026 तक)	3	3
4.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (28.07.2025 से 27.03.2026 तक)	3	3
5.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.	सदस्य	4	4
6.	श्री पदम लाल नेगी निदेशक (सरकार नामित)	सदस्य (06.03.2026 से)	1	1

नोट: 31 मार्च 2026 तक, दिनांक 28.03.2026 से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति अस्तित्व में नहीं थी।

बोर्ड में मौजूद निदेशकों के साथ, निदेशकों की एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति का 22 अगस्त, 2026 को पुनर्गठन किया गया था। समिति में अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री मनोनीत दलाल; समिति के सदस्य के रूप में श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम, निदेशक (सरकार नामित) और श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (सरकार नामित) शामिल हैं।

3.9 गैर-सहकारी ऋणकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों हेतु समीक्षा समिति

आरबीआई परिपत्र के अनुसार बोर्ड द्वारा गैर-सहकारी ऋणकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया गया है। वित्त वर्ष के दौरान, गैर-सहकारी ऋणकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के लिए किसी भी समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया था। 31 मार्च 2026 तक, निदेशकों की गैर-सहकारी ऋणकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों हेतु समीक्षा समिति मौजूद नहीं थी, क्योंकि 06.03.2026 से स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थे।

❖ **गैर-सहकारी ऋणकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों हेतु समीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें**

गैर-सहकारी ऋणकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों हेतु समीक्षा समिति का मुख्य कार्य/उत्तरदायी है जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला या गैर-सहकारी ऋणकर्ता के रूप में ऋणकर्ता की समीक्षा करना और घोषित करना।

4. वरिष्ठ प्रबंधन

क. कंपनी की नीति के अनुसार, 31 मार्च, 2026 तक कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)
2.	श्री धीरज मेहता	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)
3.	श्री सुशांत कुमार डे	कार्यपालक निदेशक (परियोजना)
4.	श्री दीपक कुमार बारिक	कार्यपालक निदेशक (विधि)
5.	श्री तुषार कांत परिदा	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा); और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
6.	श्री अमित गोयल	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
7.	श्री भरत सिंह राजपूत	महाप्रबंधक (परियोजना)
8.	श्री कौशिक गोस्वामी	महाप्रबंधक (परियोजना)
9.	श्री भागीरथ सियाग	महाप्रबंधक (परियोजना)
10.	श्री सुजीत वी सुरेंद्रन	महाप्रबंधक (परियोजना)
11.	श्री जगदीप सिंह	महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा-परीक्षा)
12.	श्री प्रदीप्त कुमार रॉय	अपर महाप्रबंधक (परियोजना)
13.	श्रीमती पुन्नू ग्रोवर	मुख्य अनुपालन अधिकारी
14.	श्री कुबेर मल्होत्रा	मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी
15.	श्री पल्लव कपूर	मुख्य जोखिम अधिकारी
16.	श्री संजय कुमार	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
17.	श्रीमती एकता मदान	कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

ख. वित्त वर्ष 26 के दौरान एसएमपी में हुए बदलावों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री दीपक कुमार बारिक#	कार्यपालक निदेशक (विधि)
2.	श्री तुषार कांत परिदा#	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
3.	श्री अमित गोयल#	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
4.	सुश्री दुर्रे शाहवर#$	महाप्रबंधक (मा.सं.)
5.	श्री शैलेंद्र कुमार मालवीय#$	महाप्रबंधक (परियोजना)
6.	श्री कौशिक गोस्वामी#	महाप्रबंधक (परियोजना)
7.	श्री भागीरथ सियाग#	महाप्रबंधक (परियोजना)
8.	श्री राजीव कुमार#$	अपर महाप्रबंधक (परियोजना)
9.	श्री प्रदीप्त कुमार रॉय#	अतिरिक्त महाप्रबंधक (परियोजना)
10.	श्री सुजीत वी सुरेंद्रन#	महाप्रबंधक (परियोजना)
11.	श्री राहुल कमल#$	महाप्रबंधक (परियोजना)
12.	श्री के.पी. फिलिप*$	महाप्रबंधक (परियोजना)
13.	श्री जगदीप सिंह#	महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा-परीक्षा)
14.	श्रीमती माला घोष चौधुरी$	महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
15.	श्रीमती पुन्नू ग्रोवर#	मुख्य अनुपालन अधिकारी
16.	श्री कुबेर मल्होत्रा#	मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी
17.	श्री ए. चंद्रशेखर^	आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रमुख एवं महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा-परीक्षा)

नोट:

नियुक्त, *पदोन्नत, ^सेवानिवृत्त, $पद समाप्त

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कंपनी होने के नाते, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित प्रकार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल व पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। सरकार नामित निदेशकों को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है। निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर स्वतंत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है। वर्तमान में, बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को ₹40,000 और प्रत्येक समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ₹30,000 का बैठक शुल्क दिया जा रहा है।

वित्त वर्ष 26 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक का विवरण और बोर्ड एवं इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गयी बैठक शुल्क का विवरण क्रम से तालिका क एवं तालिका ख में दिया गया है :-

तालिका क: वित्त वर्ष 26 के दौरान आयोजित बैठकों के लिए स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण

स्वतंत्र निदेशक का नाम	राशि (₹)
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	21,10,000/-
डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर	17,80,000/-
श्री राम निहाल निषाद	16,70,000/-
श्रीमती रोहिणी रावत	18,50,000/-

नोट:-

- बैठक शुल्क के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने और आधिकारिक परियोजना दौरों के लिए किए गए भोजन/आवास/वाहन व्यय का भी भुगतान/प्रतिपूर्ति की जाती है।
- ऊपर उल्लिखित को छोड़कर, गैर-कार्यपालक निदेशकों का वित्त वर्ष 26 के दौरान कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या लेन-देन नहीं है।
- स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/policy/id-appointment-terms पर उपलब्ध हैं।

तालिका ख: वित्त वर्ष 26 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

नाम व पदनाम	वेतन व भत्ते	कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन	अन्य लाभ	नियोक्ता पीएफ अंशदान	राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)	कुल
श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	39.68	25.41	62.37	7.00	3.57	138.03
डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.	32.33	16.97	25.09	3.89	3.88	82.17

नोट:-

- कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के दौरान कोई भी स्टॉक विकल्प नहीं दिया था।
- प्रकार्यात्मक निदेशकों/निदेशकों की सेवा-शर्तें, जिसमें सूचना अवधि और पृथक्करण शुल्क, यदि कोई हो, शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा जारी नियमों और शर्तों के अनुसार शासित हैं।
- कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का भुगतान डीपीई द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
- कंपनी के लागू नियमों के अनुसार, कार्यात्मक निदेशक भी चिकित्सा सुविधा पाने के हकदार हैं।

6. आम सभा बैठकें

➢ वार्षिक आम बैठक

आयोजित पिछली (तीन) वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) की तिथि, समय और स्थान का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	दिन, तिथि और समय	स्थान	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया
2022-23	शुक्रवार 30.06.2023 को दोपहर 12:30 बजे	जुनिपर हॉल, ग्राउंड फ्लोर और हैबिटेट वर्ल्ड, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।	हां*

वित्त वर्ष	दिन, तिथि और समय	स्थान	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया
2023-24	सोमवार 24.06.2024 को अपराह्न 3.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के जरिए	नहीं
2024-25	बृहस्पतिवार 07.08.2025 को सुबह 11.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के जरिए	हाँ **

*30.06.2023 को आयोजित कंपनी की वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित 2 (दो) विशेष प्रस्ताव पारित किये गये :

1. श्री राम निहाल निषाद (डीआईएन:-10064841) की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।
2. श्रीमती रोहिणी रावत (डीआईएन:-10064820) की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

**07.08.2025 को आयोजित कंपनी की एजीएम में निम्नलिखित 4 (चार) विशेष प्रस्ताव पारित किए गए:

1. कंपनी के स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) के तौर पर श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट (डीआईएन: 09483059) की नियुक्ति।
2. कंपनी के स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक) के तौर पर डॉ. जगनाथ चन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर (डीआईएन : 09556253) की नियुक्ति।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के तहत मंज़ूर मौजूदा ऋण लेने की सीमा में बदलाव।
4. कंपनी की सभी या किसी भी चल और/या अचल संपत्ति पर बंधक और/या चार्ज बनाना।

➢ असाधारण आम बैठक

वित्त वर्ष 26 के दौरान, कंपनी की असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

➢ डाक मतपत्र

वित्त वर्ष 25 के दौरान, डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। वित्त वर्ष 26 के दौरान आयोजित डाक मतपत्र का विवरण निम्नानुसार है:

प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण और प्रस्ताव के प्रकार	पक्ष में डाले गए वोट (%)	विपक्ष में डाले गए वोट (%)	डाक मतपत्र की प्रक्रिया					डाक मतपत्र की प्रक्रिया संचालित करने वाला व्यक्ति
			डाक मतपत्र सूचना की तारीख	कट-ऑफ तारीख	वह समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन छपा था	रिमोट ई-वोटिंग की अवधि और ई-वोटिंग एजेंसी	परिणाम की तारीख	
इक्विटी शेयर जारी करके पूंजी जुटाना (एक विशेष प्रस्ताव के तौर पर)	99.992	0.008	12 फरवरी, 2026	06 फरवरी, 2026	शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को बिज़नेस स्टैंडर्ड समाचार पत्र (अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों संस्करण, जिनका दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रसार है)	शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) से शनिवार, 14 मार्च, 2026 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) तक। ई-वोटिंग एजेंसी:- एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए)	सोमवार, 16 मार्च, 2026	मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव (श्री पी.सी. जैन, प्रबंधन भागीदार, एफसीएस संख्या 4103, सीओपी संख्या 3349)

ऊपर दिया गया प्रस्ताव सदस्यों द्वारा शनिवार, 14 मार्च 2026; अर्थात रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए निर्धारित की गई आखिरी तारीख को ज़रूरी बहुमत के साथ एक विशेष प्रस्ताव के तौर पर पारित किया गया। डाक मतपत्र/रिमोट ई-वोटिंग के नतीजे के साथ ही साथ संवीक्षक की रिपोर्ट सोमवार, 16 मार्च 2026 को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (वे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं) के पास जमा किये गए। साथ ही, इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in/IredaWebPortal/और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध कराया गया।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान में वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान डाक मतपत्र के ज़रिए कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव या उम्मीद नहीं है।

7 संचार साधन

क. वित्तीय परिणाम: कंपनी के तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होते हैं। वित्त वर्ष 26 के लिए, वित्तीय परिणाम निम्नलिखित हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे:

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही	30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही	31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष
➢ हिंदुस्तान **(हिंदी)**	➢ हिंदुस्तान **(हिंदी)**	➢ हिंदुस्तान **(हिंदी)**	➢ नवभारत टाइम्स एवं हिंदुस्तान **(हिंदी)**
➢ दि इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दि हिंदू बिज़नेस लाइन, बिज़नेस स्टैंडर्ड और मिंट **(अंग्रेज़ी)**	➢ दि इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दि हिंदू बिज़नेस लाइन, बिज़नेस स्टैंडर्ड और मिंट **(अंग्रेज़ी)**	➢ दि इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दि हिंदू बिज़नेस लाइन, बिज़नेस स्टैंडर्ड और मिंट **(अंग्रेज़ी)**	➢ दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दि हिंदू बिज़नेस लाइन और बिज़नेस स्टैंडर्ड **(अंग्रेज़ी)**

ख. मीडिया विज्ञप्ति: आधिकारिक मीडिया विज्ञप्तियाँ आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी जाती हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती हैं। इसके बाद इन्हें अलग-अलग समाचार पत्रों , न्यूज़ पोर्टलों, न्यूज़ एजेंसियों और अन्य मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रकाशित किया जाता है।

ग. वेबसाइट: कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in/IredaWebPortal/ पर एक अलग समर्पित अनुभाग "इन्वेस्टर्स टैब" है जहाँ शेयरधारकों की जानकारी उपलब्ध रहती हैं।

घ. वार्षिक रिपोर्ट: वार्षिक रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज और शेयरधारकों, लेखा-परीक्षकों, डिबेंचर ट्रस्टी को भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/policy/annual-return पर भी उपलब्ध है।

ङ. एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) / एनएसई डिजिटल पोर्टल: एनईएपीएस/एनएसई डिजिटल पोर्टल निगमितों के लिए एनएसई द्वारा डिज़ाइन किया गया एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है। सभी आवधिक और अन्य अनुपालन फाइलिंग एनईएपीएस/एनएसई डिजिटल पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती हैं।

च. बीएसई लिस्टिंग सेंटर (लिस्टिंग सेंटर): बीएसई द्वारा निगमितों के लिए डिज़ाइन किया गया एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है लिस्टिंग सेंटर। सभी आवधिक और अन्य अनुपालन फाइलिंग लिस्टिंग सेंटर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती हैं।

छ. सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स): निवेशकों की शिकायतों का निपटान सेबी में एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। सभी शिकायतों का केंद्रीकृत डेटाबेस, संबंधित कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट का ऑनलाइन अपलोड और निवेशकों द्वारा शिकायत पर की गई कार्रवाई और उसकी वर्तमान स्थिति को ऑनलाइन देखना इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

ज. निर्दिष्ट अनन्य ईमेल-आईडी: शेयरधारकों की जिज्ञासाओं के समाधान के लिए, कंपनी ने एक विशिष्ट ईमेल आईडी अर्थात equityinvestor2023@ireda.in तैयार की है।

झ. संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को प्रस्तुतियाँ: निवेशकों/विश्लेषकों को प्रस्तुतियाँ सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 30 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज(जों) को प्रस्तुत की जाती हैं और कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/policy/analyst पर भी प्रकाशित की जाती हैं।

8 सामान्य शेयरधारक जानकारी

❖ वित्त वर्ष 26 के लिए वार्षिक आम बैठक

कंपनी के शेयरधारकों की आगामी 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) निम्नलिखित तिथि, समय व स्थान पर आयोजित की जाएगी :

दिनांक	29 सितम्बर, 2026
समय	दोपहर 12:30 बजे (भा.मा.स.)
स्थान	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के जरिए

कंपनी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उक्त एजीएम में शामिल होने की सुविधा देगी और उन्हें उक्त एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट डालने का अधिकार प्रयोग करने की सुविधा भी देगी। उक्त एजीएम में भाग लेने सम्बन्धी विवरण और अन्य संबंधित जानकारी कंपनी की 39वीं एजीएम की सूचना में दी गई है।

❖ **वित्त वर्ष**

कंपनी का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

❖ **लाभांश भुगतान तिथि**

'कंपनी अधिनियम, 2013' की धारा 123 के साथ पठित कंपनी के 'संस्था के अंतर्नियम' और तथा 'कंपनी (घोषणा एवं लाभांश के भुगतान) नियम, 2014' (समय-समय पर हुए संशोधनों सहित) के अनुसार, वित्त वर्ष 26 के लिए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	प्रत्येक इक्विटी शेयर पर लाभांश (₹)	लाभांश भुगतान की तारीख
अंतरिम लाभांश	0.60	15 अप्रैल, 2026
अंतिम लाभांश* (सुझाया गया)	0.75	अगर मंज़ूर हो तो, घोषणा की तारीख से 30 (तीस) दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा
वित्त वर्ष के लिए कुल लाभांश	**1.35**	-

*39वीं एजीएम में शेयरधारकों की मंज़ूरी पर निर्भर।

❖ **लाभांश वितरण नीति**

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 43ए के अनुपालन में लाभांश वितरण की नीति बनाई है। इस नीति में, दूसरी बातों के अतिरिक्त, उन बाह्य और अंदरूनी कारकों (वित्तीय मानदंड सहित) के बारे में बताया गया है जिन पर लाभांश घोषित करते समय विचार किया जाएगा। साथ ही, इसमें उन स्थितियों का भी ज़िक्र है जिसके अधीन कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं। यह नीति https://www.ireda.in/policy/dividend पर उपलब्ध है।

❖ **प्रत्येक शेयर बाज़ार(रों) का नाम और पता जिस पर सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं और ऐसे प्रत्येक शेयर बाज़ार(रों) को वार्षिक सूचीकरण शुल्क के भुगतान के बारे में पुष्टि**

कंपनी के इक्विटी शेयर और डिबेंचर (बॉण्ड्स) निम्नलिखित शेयर बाजार(रों) पर सूचीबद्ध हैं:

	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
स्क्रिप कोड	इरेडा	544026
पता	एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051	फिरोज़ जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001
ईमेल	neaps@nse.co.in	corp.relations@bseindia.com
वेबसाइट	www.nseindia.com	www.bseindia.com

कंपनी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन INE202E01016 है।

कंपनी द्वारा जारी की गई विभिन्न प्रतिभूतियों के आईएसआईएन का विवरण इस रिपोर्ट के बिंदु संख्या 11 में दिया गया है।

वित्त वर्ष 26 के लिए एनएसई और बीएसई को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। कंपनी के शेयरों का स्टॉक एक्सचेंजों पर अक्सर कारोबार होता है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इनके कारोबार को निलंबित नहीं किया गया है।

❖ **निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट**

इक्विटी हेतु	
एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	पता :- सी 101, एम्बेसी 247, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुंबई 400083। दूरभाष : +91 810 811 8484 ई-मेल- Investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com वेबसाइट:- www.in.mpms.mufg.com निःशुल्क संख्या :- 1800 1020 878 कंपनी निवेशक आईडी :- equityinvestor2023@ireda.in
बॉण्ड्स/डिबेंचर के लिए	
एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	पता:- सी-101, एम्बेसी 247, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुंबई - 400083। दूरभाष: 022 - 4918 6270 ई-मेल: bonds.helpdesk@in.mpms.mufg.com; ajit.patankar@in.mpms.mufg.com

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	पता :- सी 101, 247 पार्क, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट संख्या- 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरी लिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना - 500032, भारत दूरभाष : +91 40 6716 2222, ई-मेल आईडी:- umesh.pandey@kfintech.com
आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि.	पता :- बी-25/1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली - 110020 दूरभाष : 011-26387320; 011-35020465; 8527695125 ई-मेल आईडी:- investor.services@rcmcdelhi.com

❖ **निवेशक शिकायत निवारण**

प्रतिभूतिधारक निम्न पते पर कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं :

सुश्री एकता मदान

कंपनी सचिव

पता : प्रथम तल, कोर 4ए, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

ई-मेल: ektamadan@ireda.in; या equityinvestor2023@ireda.in

❖ **शेयर अंतरण प्रणाली**

कंपनी के सभी इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का अंतरण निक्षेपागारों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कंपनी की कोई भागीदारी नहीं होती है।

शेयरधारिता पद्धति

क. 31 मार्च, 2026 तक श्रेणीवार शेयरधारिता पद्धति

श्रेणी	शेयरों की संख्या	इक्विटी का %
भारत के राष्ट्रपति	2,01,58,23,529	71.76
केंद्र सरकार	460	0.00
राज्य सरकार/राज्यपाल	100	0.00
निवासी व्यक्ति	62,50,69,649	22.25
म्यूचुअल फंड	38,40,437	0.14
हिंदू अविभाजित परिवार	1,18,00,756	0.42
वैकल्पिक निवेश कोष	40,678	0.00
बीमा कम्पनियाँ	6,47,27,816	2.30
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	78,206	0.00
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी I	6,00,73,879	2.14
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी II	73,811	0.01
अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)	1,29,98,121	0.46
निदेशक एवं उनके रिश्तेदार	30,360	0.00
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (निदेशकों को छोड़कर)	8,420	0.00
निगमित निकाय	81,78,375	0.29
ट्रस्ट	1,07,177	0.00
बॉडी कॉर्प-लि. देयता भागीदारी	10,37,215	0.04
क्लियरिंग सदस्य	47,76,297	0.17
कर्मचारी	5,65,982	0.02
कुल	**2,80,92,31,268**	**100.00%**

ख. शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च 2026 तक धारिता के आकार और प्रतिशत के अनुसार शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है: -

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर का %
1-500	23,54,863	91.14	26,45,19,459	9.41
501-1000	1,33,937	5.183	9,95,31,960	3.54
1001- 2000	56,417	2.183	8,12,80,699	2.89
2001-3000	16,219	0.62	4,07,42,324	1.45
3001-4000	7,182	0.27	2,54,12,111	0.90
4001-5000	4,568	0.17	2,11,98,790	0.75
5001-10000	7,315	0.28	5,11,77,639	1.82
10001 व अधिक	3,238	0.12	2,22,53,68,286	79.21

❖ **शेयरों का अमूर्तिकरण और चलनिधि**

क. कंपनी के इक्विटी शेयर अमूर्तिकृत संवर्ग में हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की प्रणालियों के तहत कारोबार के लिए उपलब्ध हैं।

निक्षेपागारों के पत्राचार का विवरण निम्नानुसार हैं :

विवरण	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)
पता	तृतीय तल, नमन चैंबर, प्लॉट सी-32,जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400051	मैराथन फ्यूचरएक्स, ए-विंग, 25वाँ तल, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013.
दूरभाष	022-48867000	08069144800
ई-मेल	info@nsdl.co.in	helpdesk@cdslindia.com
वेबसाइट	www.nsdl.co.in	www.cdslindia.com

ख. 31 मार्च, 2026 तक अमूर्तीकरण और भौतिक पद्धति में शेयरधारित का विवरण निम्नानुसार है:

धारिता का प्रकार	शेयरों की संख्या	शेयर %
सीडीएसएल (डीमैट)	**46,58,86,035**	16.58%
एनएसडीएल (डीमैट)	**2,34,33,45,233**	83.42%
भौतिक	**शून्य**	शून्य
कुल	**2,80,92,31,268**	**100%**

ग. सेबी (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 2018 के विनियम 76 के अधीन,मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी (अभ्यासरत कंपनी सचिव) ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ कंपनी की कुल स्वीकृत, जारी और सूचीबद्ध शेयर पूंजी का मिलान करने के लिए लेखा-परीक्षा की और उसके बाद वित्त वर्ष 2025-26 की प्रत्येक तिमाही के लिए 'शेयर पूंजी लेखा-परीक्षा अभिलेख का मिलान'जारी किया। अभिलेखों से पुष्टि हुई कि कुल जारी/प्रदत्त शेयर पूंजी, भौतिक रूप में मौजूद शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल व सीडीएसएल के पास रखे अमूर्तिकृत शेयरों की कुल संख्या से मेल खाती है। कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को ये अभिलेख जमा कर दी थी और ये कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in/policy/sebi-dp-2018 पर भी उपलब्ध हैं।

❖ **बकाया वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर) और अमेरिकन निक्षेपागार रसीदें (एडीआर) वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव**

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर और एडीआर वारंट/परिवर्तनीय उपकरण जारी नहीं किया गया है।

❖ **वस्तु कीमत जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव व्यवस्था गतिविधियाँ**

कंपनी वस्तु में सौदा नहीं करती है, इसलिए प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने विदेशी मुद्रा

और व्यत्पन्नी जोखिम प्रबंधन के लिए एक विशेष नीति बनाई है। यह नीति विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण से जुड़े जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और उन्हें कम करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करती है। कंपनी के कारोबार का स्वरूप ऐसा नहीं है जिससे किसी वस्तु की कीमत का जोखिम पैदा हो सके।

❖ **संयंत्र स्थान**

कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) का दर्जा प्राप्त है। कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण के व्यवसाय में लगी हुई है।

कंपनी के पास अम्बालाथारा गाँव, होसदुर्ग तालुक, कासरगोड जिला, केरल - 671531 में 50 मेगावाट की एक सौर परियोजना भी है।

❖ **पत्राचार का पता**

विवरण	पंजीकृत कार्यालय	निगमित कार्यालय	व्यावसायिक केंद्र
पता	प्रथम तल, कोर-4ए, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	तृतीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	एनबीसीसी कार्यालय परिसर, कार्यालय ब्लॉक संख्या II, प्लेट बी, 7वाँ तल, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
संपर्क संख्या	011-24682206-19	011-26717400-12	011-24347729-99
ई-मेल	cmd@ireda.in	cmd@ireda.in	cmd@ireda.in

➢ **इकाई द्वारा प्राप्त सभी साख श्रेणी निर्धारण की सूची, साथ ही ऐसी इकाई के सभी ऋण साधनों या किसी सावधि जमा कार्यक्रम या सूचीबद्ध इकाई की किसी योजना या प्रस्ताव के लिए प्रासंगिक वित्त वर्ष के दौरान उसमें कोई परिशोधन, जिसमें भारत या विदेश में निधियों का संग्रहण शामिल है।**

अंतरराष्ट्रीय साख श्रेणी निर्धारण :

वित्त वर्ष 26 के दौरान, आपकी कंपनी की साख श्रेणी निर्धारण में सुधार हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

साख श्रेणी का प्रकार	स्टैण्डर्ड एंड पुअर'स (एस एंड पी) वैश्विक रेटिंग	
	पिछली	संशोधित
दीर्घावधि (जारीकर्ता)	बीबीबी-	बीबीबी
अल्पावधि	ए-3	ए-2

यह समुन्नत भारत की सॉवरेन साख श्रेणी निर्धारण में हुए बदलाव के अनुरूप है और कंपनी के साख प्रोफाइल तथा भारत सरकार की सॉवरेन स्थिति के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करता है।

घरेलू ऋण साधन

वित्त वर्ष 26 के दौरान नीचे बताए गए घरेलू ऋण साधन की साख श्रेणी निर्धारण में कोई बदलाव नहीं हुआ है:

साधन	आईसीआरए	सीएआरई	इंडिया साख श्रेणी	ब्रिकवर्क साख श्रेणी	एक्यूट साख श्रेणी
करयोग्य/कर मुक्त बॉण्ड्स/उप ऋणों पर दीर्घकालिक साख श्रेणी	आईसीआरए एएए (स्थिर)	सीएआरई एए (स्थिर)	आईएनडी एएए (स्थिर)	बीडब्ल्यूआर एएए (स्थिर)	लागू नहीं
शाश्वत ऋण पर दीर्घकालिक साख श्रेणी	आईसीआरए एए + (स्थिर)	लागू नहीं	आईएनडी एए+ (स्थिर)	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक से लिए गए ऋण पर साख श्रेणी*	आईसीआरए एएए (स्थिर)/ आईसीआरए ए1+**	लागू नहीं	आईएनडी एएए (स्थिर) / आईएनडी ए 1+**	लागू नहीं	एक्यूट एएए (स्थिर)

नोट:

*बैंक से लिए गए ऋण में अल्पकालिक ऋण शामिल हैं।

**बैंकों से अल्पावधि ऋण के लिए

9 प्रकटीकरण

- कंपनी ने किसी भी महत्त्वपूर्ण रूप से पर्याप्त संबंधित पक्ष के लेन-देन में प्रवेश नहीं किया है जिससे कंपनी के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो। भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" द्वारा आवश्यकता अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के नोट 38(9) में दिया गया है। संबंधित पक्ष लेन-देन की महत्ता और संबंधित पक्ष लेन-देन से निपटने संबंधी नीति, जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, https://www.ireda.in/policy/rpt पर देखी जा सकती है।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या किसी भी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालाँकि, निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के अपने आदेश के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के उल्लंघन के लिए महिला निदेशक की नियुक्ति न करने पर ₹2,62,000 का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में जुर्माना माफ करने की मांग करते हुए 14 अक्टूबर, 2022 को एक अपील क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), एमसीए के कार्यालय के समक्ष दायर की गई है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, एमसीए के क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के कार्यालय ने 11 दिसंबर, 2025 के अपने आदेश के ज़रिए, पहले के आदेश को रद्द कर दिया और कंपनी की अपील को मंज़ूरी दे दी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त जुर्माना माफ़ कर दिया गया है।

  इसके अतिरिक्त, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक (जिसमें एक स्वतंत्र महिला निदेशक भी शामिल हैं) के न होने के कारण, बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुई तिमाही के लिए सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 17, 18, 19, 20 और 21 का पालन न करने पर 27 मई, 2026 को कंपनी पर ₹2,02,960 का जुर्माना लगाया। इसके अनुसार, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से उस पर लगाए गए जुर्माने को माफ़ करने का अनुरोध किया है। इरेडा एक सरकारी कंपनी है और इसके 'संस्था के अंतर्नियम' के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। इस अधिकार का प्रयोग प्रशासनिक मंत्रालय, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के ज़रिए किया जाता है।
- कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम(2) के खंड (ख) से (झ) में बताई गई निगमित अभिशासन की ज़रूरतों का पालन किया है। इसमें उन बातों को छोड़कर जिनका विशेष तौर पर इस रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक VI के तौर पर जुड़ी सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, और बोर्ड की रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक VIII** के तौर पर जुड़े प्रयासरत कंपनी सचिव द्वारा जारी निगमित अभिशासन परअनुपालन प्रमाणपत्र में ज़िक्र किया गया है।
- कंपनी ने निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की ज़रूरतों का पालन किया है, सिवाय उन मामलों के जिनका विशेष तौर पर इस रिपोर्ट में और बोर्ड की रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक VII** के तौर पर जुड़े निगमित अभिशासन पर डीपीई अनुपालन प्रमाणपत्र में ज़िक्र किया गया है।
- कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ के पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियम और निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार एक पर्दाफाश करने वाली नीति है। पर्दाफाश करने वाली नीति के तहत, शिकायत सक्षम प्राधिकारी को की जा सकती है। नीति के तहत कार्रवाई के संदर्भ में कंपनी के किसी भी कार्मिक को लेखा-परीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है। इरेडा की पर्दाफाश करने वाली नीति https://www.ireda.in/policy/whistle-blower पर उपलब्ध है।
- कंपनी की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है। महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निर्धारण हेतु नीति कंपनी की वेबसाइट: https://www.ireda.in/policy/material-subsidiaries पर उपलब्ध है।
- वित्त वर्ष 26 के दौरान, कंपनी ने 11 जून 2025 को क्यूआईपी के श्रृंखला I के तहत योग्य पात्र खरीदारों को प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य वाले 12,14,66,562 इक्विटी शेयर नकद के बदले आवंटित किए। यह कार्रवाई भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी जारी करने एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार की गई। इन शेयरों को ₹155.14 प्रति शेयर के प्रीमियम पर जारी किया गया, जिससे कुल इक्विटी कोष जुटाने की राशि ₹2,005.90 करोड़ रही। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी की जारी और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी में ₹121.46 करोड़ की और शेयर प्रीमियम खाते में ₹1,869.57 करोड़ (शेयर निर्गम खर्च घटाकर) की बढ़ोतरी हुई है। ऊपर बताए गए क्यूआईपी के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार की शेयरधारिता 71.76% है।

  क्यूआईपी के ज़रिए उगाहे गए कोष का प्रयोग निर्गम के उद्देश्यों के अनुसार किया गया, यानी भविष्य की पूँजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी का पूँजी आधार बढ़ाने; आगे ऋण देने और साधारण निगमित कामों के लिए, जिनकी जानकारी एक्सचेंजों को दी गई है।

- कार्यरत कंपनी सचिव से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी, एमसीए या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। प्रमाण-पत्र **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है।

- वित्त वर्ष 26 के दौरान, बोर्ड द्वारा निर्णय लेते समय समितियों की सिफारिशों पर, जहाँ भी लागू हों, विचार किया गया था।

- वित्त वर्ष 26 के दौरान कंपनी द्वारा सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण 'नोट 38 (39) - लेखा हेतु नोट्स' में उप-शीर्षक 'सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान' के अंतर्गत दर्शाया गया है। इरेडा की सहायक कंपनी ने इरेडा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों (नेटवर्क फर्म की संस्थाओं सहित) से कोई सेवाएँ नहीं ली हैं और तदनुसार, इरेडा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को कोई शुल्क नहीं दिया गया है।

- आपकी कंपनी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त, सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना की सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई करती है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। विवरण निम्नलिखित अनुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	वित्त वर्ष 26 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
2	वित्त वर्ष 26 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
3	वित्त वर्ष 26 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

- कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को दी गई सेवा-शर्तों के अंश के अतिरिक्त निदेशकों को कोई ऋण और अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 26 के दौरान, ऐसी फर्मों/कंपनियों को ऋण और ऋण के रूप में अग्रिम राशि दिए जाने का कोई मामला नहीं था जिनमें निदेशकों की रुचि थी।

- निदेशकों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए, कंपनी ने निदेशकों, केएमपी, महाप्रबंधक और कंपनी के उच्च स्तर के अधिकारियों हेतु निदेशक और अधिकारी देयता बीमा पॉलिसी प्राप्त की है।

- पिछले 3 (तीन) वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को कोई राष्ट्रपति निदेश जारी नहीं किया गया।

- आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) बाबत 01 अक्टूबर 2022 से प्रभावी स्केल आधारित विनियामक ढांचा (एसबीआर) और उसके बाद मास्टर निर्देश के रूप में लागू किया है, अर्थात मास्टर निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को समय-समय पर अद्यतन किया गया।

  इसके बाद, 28 नवंबर, 2025 की आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरबीआई ने विनियामक अनुदेशों को एक साथ लाने और उन्हें फिर से व्यवस्थित करने का काम किया। साथ ही, एनबीएफसी सहित, विनियमित संस्थाओं के प्रकार के आधार पर अलग-अलग समेकित मुख्य निदेश जारी किए। ये एकीकृत मुख्य निदेश अब एनबीएफसी के लिए मुख्य विनियामक रूपरेखा का काम करते हैं, और वह भी, पैमाने पर आधारित लागू विनियामक आवश्यकताओं को "जैसी हैं वैसी ही" स्थिति में शामिल करना जारी रखते हुए है।

  सरकारी स्वामित्व वाली संस्था होने के कारण, कंपनी को नई मास्टर निदेशावली के अंतर्गत एनबीएफसी–मिडिल लेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी है। तदनुसार, कंपनी पर एनबीएफसी के लिए जारी समेकित मास्टर निदेशों के प्रयोज्य प्रावधान लागू होते हैं। विशेष रूप से, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ–पंजीकरण, छूट और स्केल-आधारित विनियमन की रूपरेखा) निदेश, 2025, दिनांक 28 नवंबर 2025, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य लागू कानूनों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अधीन है।

- उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सेबी एलओडीआर विनियमनों की अनुसूची III के भाग क के अनुच्छेद क के खंड 5क

के अंतर्गत संदर्भित पक्षों द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया है।

- **डीमैट उचंत खाते/अदावी उचंत खाते के संबंध में प्रकटीकरण**

विवरण	मामलों और शेयरों की संख्या
1 अप्रैल 2025 को उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया उचंत शेयर	शून्य
वित्त वर्ष के दौरान उचंत खाते से उचंत शेयरों के हस्तांतरण हेतु कंपनी से पहल करने वाले शेयरधारकों की संख्या	
वित्त वर्ष के दौरान उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को अदावावित शेयर हस्तांतरित किए गए थे, उनकी संख्या	
31 मार्च 2026 को उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया अदावावित शेयर	

- **विवेकाधीन आवश्यकताएँ:** पिछले पृष्ठों में यथा उल्लिखित के अनुसार अनिवार्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त, सेबी एलओडीआर के विनियम 27(1) के तहत विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

  1. **बोर्ड :** कंपनी का नेतृत्व एक कार्यपालक अध्यक्ष करता है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 26 के दौरान, बोर्ड में 5 मार्च, 2026 तक एक महिला स्वतंत्र निदेशक और 27 मार्च, 2026 तक स्वतंत्र निदेशक थे।

  2. **शेयरधारक अधिकार :** कंपनी के वित्तीय परिणाम (तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक) वेबसाइट https://www.ireda.in पर अपलोड किए जाते हैं।

  3. **लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय :** सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय जारी की है।

  4. **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पृथक पद:** अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कोई पृथक पद नहीं है। एक सरकारी कंपनी होने के कारण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भूमिका अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निभाई जाती है।

  5. **आंतरिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्टिंग :** आंतरिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तिमाही आधार पर लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

- कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनके रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया गया था जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो। गैर-कार्यपालक निदेशक का अपने कार्यकाल में वर्ष के दौरान कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या लेन-देन नहीं था।

- कंपनी के प्रमुख ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या अन्य शेयरधारकों के साथ कोई व्यवस्था या समझौता नहीं है, सिवाय भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (कंपनी में 71.76% शेयर धारक) के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति के, जिनके अधीन किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में चुना/ नियुक्त किया गया था।

- कंपनी ने निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों और सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले सभी सुझाए गए मदों को अपनाया है और रिपोर्ट में अपेक्षित प्रकटीकरण किया है। डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसरण में, तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर एमएनआरई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। साथ ही, वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) सम्मिलित रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर एमएनआरई को प्रस्तुत की गई थी।

- कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर, वित्त वर्ष 26 की सभी तिमाहियों के लिए, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 27(2)(क) के अंतर्गत निगमित अभिशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की है।

- तुलन पत्र, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लाभ-हानि का विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रभाग III के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जो उन एनबीएफसी के लिए है जिन्हें भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का अनुपालन करना आवश्यक है। नकद प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7 - नकद प्रवाह का विवरण की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

- कंपनी ने ऐसा कोई व्यय नहीं किया है जो व्यवसाय उद्देश्य के लिए न हो।
- वित्त वर्ष 26 हेतु कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 1.55% (पिछले वर्ष 1.86%) और वित्त वर्ष 26 हेतु वित्तीय लागत के प्रतिशत के रूप में 1.89% (पिछले वर्ष 2.09%) है।
- सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(8) के अंतर्गत अपेक्षित, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और **अनुलग्नक-ख** के रूप में संलग्न किया गया।
- आपकी कंपनी की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर एक सुदृढ़ नीति है। यह नीति किसी भी धोखाधड़ी का पता लगाने, उसकी रोकथाम करने और उसकी रिपोर्टिंग करने का प्रावधान करती है। यह नीति न केवल धोखाधड़ी को नियंत्रित करती है, बल्कि इरेडा के साथ काम करने वाले कर्मचारियों और अन्य लोगों को स्पष्ट रूप से उत्तरदायीयिाँ सौंपकर और उनका मार्ग-दर्शन करके, उन्हें किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल होने से रोककर और किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि के संदेह की स्थिति में उचित कार्रवाई करके नैतिक व्यवहार को भी बढ़ावा देती है। यह धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए शासन संरचना और समय-सीमा को अनिवार्य बनाती है। इरेडा कंपनी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के प्रति शून्य सहनशीलता रखता है।

10 सचिवीय लेखा-परीक्षा

वित्त वर्ष 26 हेतु सचिवीय लेखा-परीक्षा मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव [सहकर्मी समीक्षित कंपनी सचिव (एफआरएन: पी2016एचआर051300)] द्वारा की गई है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंपनी को प्रस्तुत की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

11 लेखा-परीक्षा अर्हता

वित्त वर्ष 26 से संबंधित कोई सांविधिक लेखा-परीक्षक अर्हता नहीं है।

12 डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण

कंपनी ने समय-समय पर डिबेंचर/बॉण्ड्स जारी किए हैं। डिबेंचर ट्रस्टियों की वर्तमान श्रृंखला का विवरण नीचे दिया गया है:

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	आईएसआईएन	सीरीज	प्रतिभूति का विवरण	स्टॉक एक्सचेंज जहां बंधपत्र सूचीबद्ध है	रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट
विस्ट्रा (आईटीसीएल) इंडिया लि., प्लॉट सं.-सी-22, जी ब्लॉक, बांद्रा, मुंबई- 400051	INE202E08011	I	जीओआई पूर्णतः सर्विस्ड बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	केफ़िन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सी 101, 247 पार्क, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर- 31 और 32, वित्तीय जिला नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद, तेलंगाना - 500032, भारत दूरभाष : +91 40 6716 2222, ई-मेल आईडी: umesh.pandey@kfintech.com
	INE202E08029	IA	जीओआई पूर्णतः सर्विस्ड बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08037	IB	जीओआई पूर्णतः सर्विस्ड बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07195	XIV-2A	इरेडा कर मुक्त बंधपत्र	बीएसई	
	INE202E07203	XIV-3A	इरेडा कर मुक्त बंधपत्र	बीएसई	
	INE202E07229	XIV-2B	इरेडा कर मुक्त बंधपत्र	बीएसई	
	INE202E07237	XIV-3B	इरेडा कर मुक्त बंधपत्र	बीएसई	
	INE202E07245	VIA	इरेडा कर योग्य ग्रीन बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07252	VIB	इरेडा कर योग्य ग्रीन बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07260	VIIA	इरेडा कर योग्य ग्रीन बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07278	VIIB	इरेडा कर योग्य ग्रीन बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08045	VIII	इरेडा कर योग्य असुरक्षित अधीनस्थ टियर-II बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07286	IX-A	इरेडा कर योग्य बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07294	IX-B	इरेडा कर योग्य बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08060	X	इरेडा कर योग्य असुरक्षित अधीनस्थ श्रृंखला-II बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07096	VB	इरेडा कर योग्य बंधपत्र	एनएसई	

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	आईएसआईएन	सीरीज	प्रतिभूति का विवरण	स्टॉक एक्सचेंज जहां बंधपत्र सूचीबद्ध है	रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट
एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, मिस्त्री भवन, चौथी तल, 122 दिनशॉ वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई – 400 020	INE202E07120	XIII-2A	इरेडा कर मुक्त बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी-101, एम्बेसी 247, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुंबई - 400 083 दूरभाष: 022 - 4918 6270 ई-मेल: bonds.helpdesk@in.mpms.mufg.com ajit.patankar@in.mpms.mufg.com
	INE202E07146	XIII-3A	इरेडा कर मुक्त बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07138	XIII-2B	इरेडा कर मुक्त बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07153	XIII-3B	इरेडा कर मुक्त बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07161	XIIIC	इरेडा कर मुक्त बंधपत्र	एनएसई	
	INE202E08094	XII-B	इरेडा कर योग्य असुरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08102	XII-C	इरेडा कर योग्य असुरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08110	XII-D	इरेडा कर योग्य असुरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
बेकन ट्रस्टी, 4 सी एंड डी सिद्धिविनायक चेम्बर्स, गांधी नगर,एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	INE202E08128	XV-A	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बी-25/1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020 दूरभाष : 011-26387320; 011-35020465, मोबाइल: 8527695125 ई-मेल: investor.services@rcmcdelhi.com
	INE202E08136	XV-B	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08144	XV-C	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08151	XV-D	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08169	XV-E	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08177	XV-F	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08185	XV-G	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08193	XV-H	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08201	XVI-A	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08219	XVI-B	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08227	XVI-C	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08235	XVI-D	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08243	XVI-E	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08250	XVI-F	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08268	XVI-G	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08276	XVI-H	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08284	PDI-I	इरेडा स्थायी कर योग्य अरक्षित बंधपत्र-कॉल सहित	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08292	SD-III	इरेडा कर योग्य अरक्षित अधीनस्थ श्रृंखला-II बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08300	XVII-A	इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08318	PDI-II	इरेडा स्थायी कर योग्य अरक्षित बंधपत्र-कॉल सहित	एनएसई व बीएसई	

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
हस्ता./-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार);
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.
(डीआईएन : 08816532)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 01 सितंबर, 2026

'अनुलग्नक-क'

निदेशकों की अनर्हता प्रमाण पत्र

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा ग खंड (10) (i) के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
भारत पर्यावास केंद्र, प्रथम तल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

महोदय,

हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड **(सीआईएन:L65100DL1987GOI027265)** तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय भारत पर्यावास केंद्र, प्रथम तल, ईस्ट कोर्ट, कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 की अनुसूची V पैरा-ग उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गये सत्यापनों [पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित] और कंपनी और उसके निदेशक/अधिकारियों द्वारा हमें दिये गये स्पष्टीकरण/अभ्यावेदनों के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए नीचे बताये गये के अनुसार कंपनी बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निगमित मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	पदनाम	निदेशक की नियुक्ति तिथि	समाप्ति तिथि
1	श्री प्रदीप कुमार दास	07448576	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	06/05/2020	लागू नहीं
2	श्री बिजय कुमार महान्ती	08816532	पूर्णकालिक निदेशक	12/10/2023	लागू नहीं
3	श्री पदम लाल नेगी	10041387	सरकार नामित निदेशक	07/02/2023	लागू नहीं
4	श्रीमती रोहिणी रावत	10064820	स्वतंत्र निदेशक	09/03/2023	06/03/2026
5	श्री राम निहाल निषाद	10064841	स्वतंत्र निदेशक	09/03/2023	06/03/2026
6	श्री शब्दशरण एन.ब्रह्मभट्ट	09483059	स्वतंत्र निदेशक	28/03/2025	28/03/2026
7	श्री जगनाथ सी.एम.जोड़ीधर	09556253	स्वतंत्र निदेशक	28/03/2025	28/03/2026

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति की या उनके पद पर बने रहने की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की उत्तरदायी है। हमारी उत्तरदायी है कि हम अपनी जांच के आधार पर इन पर अपनी राय देना हैं। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी के भविष्य में चलने की क्षमता के बारे में कोई भरोसा दिलाता है और न ही उस कुशलता या प्रभावशीलता के बारे में, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कामकाज का संचालन किया है।

कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव
(एफआरएन: P2016HR051300)

हस्ता./-
पी. सी. जैन
प्रबंध भागीदार
एम. संख्या : F4103
सीओपी संख्या: 3349

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 10 जून, 2026
यूडीआईएन: F004103H000607244
आईसीएसआई सहकर्मी समीक्षा पंजीकरण संख्या: 6960/2025

अनुलग्नक ख

निदेशक मंडल

इरेडा लिमिटेड

अनुपालन प्रमाण-पत्र

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार]

निम्न अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है

अ. 31.03.2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की गयी है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :

क. इन कथनों में कोई भी भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या कोई भी भौतिक तथ्य नहीं छोड़ा गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।

ख. ये कथन एक साथ कंपनी के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का पालन करते हैं।

ब. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, 31.03.2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है, जो धोखाधड़ी, अवैध या आचार संहिता का उल्लंघन करता है।

स. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाये रखने की उत्तरदायी स्वीकार करते हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा-परीक्षकों तथा लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, का खुलासा किया है, जिनके बारे में हमें जानकारी है, और इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का प्रकटीकरण किया है।

द. हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को संकेत दिया है :

क. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

ख. 31.03.2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों के नोट्स में उनका प्रकटीकरण किया गया है; और

ग. महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है और उनमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

हस्ता. /-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.

हस्ता. /-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 29 मई, 2026

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट

खंड क : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	सूचीबद्ध इकाई की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	L65100DL1987GOI027265
2.	सूचीबद्ध इकाई का नाम	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
3.	निगमन वर्ष	1987
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	कोर 4ए, प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003
5.	निगमित पता	तृतीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066
6.	ई-मेल	cmd@ireda.in
7.	दूरभाष	011-26717400
8.	वेबसाइट	www.ireda.in
9.	वित्त वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2025-26
10.	शेयर बाज़ार(रों) का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध	• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड • बीएसई लिमिटेड
11.	चुकता पूंजी	₹28,09,23,12,680

12. बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी जिज्ञासा के मामले में संपर्क किये जा सकने वाले व्यक्ति का विवरण।

क्र. सं.	नाम	दूरभाष	ई-मेल
01	श्री भरत सिंह राजपूत महाप्रबंधक (परियोजना)-ईसीजी	011-24347729	bsrajput@ireda.in

13.	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण एकल आधार पर किये गये हैं (यानी सिर्फ़ इकाई हेतु) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ)।	इस रिपोर्ट के तहत खुलासे समेकित आधार पर किए गए हैं और इनमें इरेडा के सभी कामकाज शामिल हैं।
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स
15.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	कंपनी ने बीआरएसआर कोर इंडिकेटर्स के लिए उचित आश्वासन प्राप्त कर लिया है। विस्तृत आश्वासन रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

II. उत्पाद/सेवाएँ

16. व्यावसायिक क्रिया-कलाप का विवरण (कारोबार के 90% हेतु लेखांकन):

क्र. सं.	मुख्य क्रिया-कलाप का विवरण	व्यावसायिक क्रिया-कलाप का विवरण	इकाई के कारोबार का %
1.	वित्तीय और बीमा क्रिया-कलाप	बीमा और पेंशन वित्तपोषण गतिविधियों को छोड़कर, अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियां	99.68%

17. इकाई द्वारा बेचे गये उत्पाद/सेवाएँ (इकाई के कारोबार के 90% हेतु लेखांकन):

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार में योगदान का %
1	बीमा और पेंशन वित्तपोषण गतिविधियों को छोड़कर, अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियां	649999*	99.68%

**एनआईसी-2025 वर्गीकरण के आधार पर कोड की पहचान की गई है और उसे सूचीबद्ध किया गया है।*

III. प्रचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहाँ इकाई के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	1	8	9
अंतरराष्ट्रीय	-	1*	1

**विदेशों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए इरेडा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड (आईजीजीईएफआईएल) का कार्यालय भारत के गुजरात राज्य के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी, एसईज़ेड में स्थित है।*

19. इकाई द्वारा सेवित बाज़ार :

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	23 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1 (ज़ाम्बिया)

नोट: *कंपनी की सेवाएँ पूरे भारत में उपलब्ध हैं और ये भौगोलिक रूप से सीमित नहीं हैं। इसके अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी का ऋण प्रोफाइल 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदगी के साथ अच्छी तरह से विविधतापूर्ण है, जो वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों के अनुरूप इसके समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है।*

ख. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यातों का योगदान क्या है?	शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी
कंपनी मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं की ज़रूरतों को पूरा करती है। इसके ग्राहकों में निजी क्षेत्र की कंपनियाँ, फ़र्म, एलएलपी, संयुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ और सरकारी संस्थाएँ शामिल हैं, जो सौर, पवन,जल विद्युत, बायोमास, अपशिष्ट-से-ऊर्जा, इथेनॉल और हाइब्रिड जैसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को लगाने, उनकी स्वामित्व रखने और उन्हें चलाने का काम करती हैं। कंपनी परियोजना जीवनचक्र के अलग-अलग चरणों में और वह भी विकास और निर्माण से लेकर शुरुआत के बाद के परिचालन तक इन ग्राहकों की मदद करती है। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र और राज्य समर्थित संस्थाओं को भी आर्थिक मदद देती है, जिनमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू), राज्य की उपयोगिता कंपनियाँ, बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम), पारेषण कंपनियाँ (ट्रांसको), उत्पादन कंपनियाँ (जेनको) और राज्य के निगम शामिल हैं। इन ग्राहकों को नवीकरणीय विद्युत उत्पादन, पारेषण और निकास अवसंरचना, स्मार्ट मीटरिंग और ग्रिड से जुड़ी दूसरी पहलों जैसी गतिविधियों में मदद दी जाती है, जिससे देश के स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करने में योगदान मिलता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य कड़ी के उभरते और उससे जुड़े क्षेत्रों में ग्राहकों को सेवाएँ देती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियाँ, ऊर्जा दक्षता समाधान देने वाली कंपनियाँ और बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, ई-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और पंप-स्टोरेज परियोजनाओं जैसे नए क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियाँ शामिल हैं। कंपनी इन ग्राहकों की अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दीर्घ, मध्यम और कम समय के कई तरह के वित्तीय उत्पाद देती है, जिससे पारंपरिक और नए ज़माने के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में संतुलित विकास हो सके।

IV. कर्मचारी

20. वित्त वर्ष के अंत तक विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगों सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	% (ख/क)	सं.(ग)	% (ग/क)
कर्मचारी (कार्यपालक)						
1.	स्थायी (घ)	208	157	75.48%	51	24.52%
2.	स्थायी के अतिरिक्त अन्य (ङ)	0				
3.	कुल कर्मचारी (घ + ङ)	208	157	75.48%	51	24.52%
कामगार (गैर-कार्यपालक)						

4.	स्थायी(च)	16	15	94%	1	6%
5.	स्थायी के अतिरिक्त अन्य (छ)	0				
6.	कुल कामगार (च + छ)	16	15	94%	1	6%

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार :

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	% (ख/क)	सं.(ग)	% (ग/क)
दिव्यांग कर्मचारी (कार्यपालक)						
1.	स्थायी (घ)	6	6	100%	0	0%
2.	स्थायी के अतिरिक्त अन्य (ङ)	0				
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ङ)	6	6	100%	0	0%
दिव्यांग कामगार (गैर-कार्यपालक)						
4.	स्थायी (च)	1	1	100%	0	0%
5.	स्थायी के अतिरिक्त अन्य (छ)	0				
6.	कुल दिव्यांग कामगार (च + छ)	1	1	100%	0	0%

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	3*	0	-
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	4**	1	25%

*निदेशक मंडल के दो सदस्य, यानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी के 'मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक' (केएमपी) के तौर पर भी पद संभालते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इरेडा के बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व था। श्रीमती रोहिणी रावत, गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक, 09 मार्च 2023 से 05 मार्च 2026 तक बोर्ड की सदस्य के तौर पर काम कर रही थीं।

**वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) में नियुक्ति और पद छोड़ने के कारण बदलाव हुए। इन बदलावों की जानकारी बोर्ड की रिपोर्ट में, इस वार्षिक रिपोर्ट के "निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)" खंड के अधीन दी गई है।

यह प्रकटीकरण उन सभी व्यक्तियों को दर्शाता है जिन्होंने वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय केएमपी के रूप में कार्य किया। हालांकि, वित्त वर्ष के आखिर में रिपोर्टिंग के उद्देश्य से, सिर्फ़ उन्हीं लोगों को कंपनी का केएमपी माना जाता है जो 31 मार्च 2026 को पद पर थे।

इसके अनुसार, 31 मार्च 2026 तक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्नानुसार हैं:

- श्री प्रदीप कुमार दास – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- डॉ. बिजय कुमार महान्ती – निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
- श्रीमती एकता मदान – कंपनी सचिव
- श्री तुषार कांत परिदा – कार्यपालक निदेशक (वित्त और लेखा)

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों हेतु कारोबार दर (पिछले 3 वर्ष हेतु रुझान प्रकटीकरण)

	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष में कारोबार दर)			वित्त वर्ष 2025 (वर्तमान वित्त वर्ष में कारोबार दर)			वित्त वर्ष 2024 (वर्तमान वित्त वर्ष में कारोबार दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	2.30	0	1.68	2.36	0.59	2.95	1.18	2.37	3.55
स्थायी कामगार	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियाँ (संयुक्त उद्यम सहित)

23. (क) धारक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	धारक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	क्या धारक/ सहायक/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम हैं, उल्लेख करें	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शायी गयी इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
1.	इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हाँ

VI. सीएसआर विवरण

24. (i). क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: हाँ

(ii). कारोबार (₹ में) : 83,37,48,30,028.20

(iii). निवल संपत्ति (₹ में): 1,37,81,35,05,150.02

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/ परेशानी :

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	नोट	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	नोट
समुदाय	हाँ	9	0	सीपीजीआरएएम और शिकायत ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ	6	0	-
	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/documents/rti/citizens-charter/citizens-charter-ireda.pdf						
निवेशक		0	0		2	0	-
	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/investors/investor-service-cell;jsessionid=D8D5FD266528A07ECF89A5C41CF70CAD						
शेयरधारक		2	0	-	19	0	-
	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/investors/investor-service-cell						
कर्मचारी		0	0	-	0	0	-
	https://ireda.operations.dynamics.com/?cmp=irn&mi=HcmEmployeeSelfServiceWorkspace						
ग्राहक		0	0		0	0	-
	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/documents/rti/citizens-charter/citizens-charter-ireda.pdf						
मूल्य कड़ी भागीदार	कोई नहीं	0	0		-	-	-

26. इकाई के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यवसाय आचरण विषयों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक उत्तरदायी व्यवसाय आचरण और स्थिरता के विषयों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर, उन्हें पहचानने का औचित्य, जोखिम को अनुकूलित या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करते हैं:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
1.	**उत्सर्जन प्रबंधन और ऊर्जा परिवर्तन**	**अवसर**	भौतिक, परिवर्तन और विनियामक प्रभावों के कारण, उत्सर्जन प्रबंधन और ऊर्जा परिवर्तन को आम तौर पर व्यवसायों के लिए एक प्रमुख जोखिम माना जाता है। हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित वित्तपोषण केंद्र के लिए,जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाला ऊर्जा परिवर्तन एक संरचनात्मक अवसर है। कार्बन मुक्तिकरण के लिए नीति के तहत किए गए वादे, साफ़-सुथरी ऊर्जा की बढ़ती मांग और संस्थानों में टिकाऊ कामकाज पर बढ़ता ज़ोर, नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए लंबे समय के मौके सृजन करते हैं।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। कंपनी कम कार्बन वाली परियोजनाओं को फंड देकर और नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे कि अपने कार्यालय और परिचालनगत सुविधाओं में) को अपनाकर इस मौक़े का फ़ायदा उठाती है। इससे राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के साथ तालमेल सुदृढ़ होता है, क्षेत्र की विश्वसनीयता बढ़ती है और एक सुदृढ़, कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिलती है।	**सकारात्मक :** ग्रीन फाइनेंसिंग के मौकों का विस्तार; जलवायु-केंद्रित नीतियों के अनुसार दीर्घावधि प्रोफाइल की वृद्धि; नवीनीकरण ऊर्जा वित्तपोषण क्षेत्र की विश्वसनीयता में बढ़ोतरी; बेहतर ऊर्जा के स्रोत और परिचालनगत स्थायित्व से लागत में बचत और स्थिरता की संभावना।
2.	**परिचालन संबंधी पर्यावरण-दक्षता**	**अवसर**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास पारिस्थितिकी तंत्र में काम करने वाली संस्थाओं के लिए, ऊर्जा, पानी और सामग्रियों जैसे संसाधनों का सही प्रयोग और उत्तरदायी से कचरे का प्रबंधन करना, पर्यावरण से जुड़े उन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और कम कार्बन वाले समाधानों को बढ़ावा देने वाले संस्थानों के लिए, पर्यावरण के अनुकूल आंतरिक कामकाज अपनाना स्थिरता के सिद्धांतों के साथ तालमेल को मजबूत करता है, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करता है और टिकाऊ व उत्तरदायी व्यावसायिक तौर-तरीकों के प्रति बढ़ती अपेक्षाओं के बीच संस्थान की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। कंपनी ने परिचालन संबंधी पर्यावरण दक्षता में सुधार के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें शून्य कागज खपत वाला कार्यालय चलाना, कचरे को जैव अपघटनीय और गैर-जैव अपघटनीय श्रेणियों में अलग करना शामिल है। ये उपाय सभी परिचालनों में संसाधनों की खपत और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। **सकारात्मक** : संसाधनों के कुशल प्रयोग से परिचालन लागत में कमी; कचरे को संभालने और उसके निपटान की कम लागत; बेहतर पर्यावरणीय प्रदर्शन, जो दीर्घावधि चलने वाली स्थिरता और हितधारकों के भरोसे को बढ़ावा देता है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
3.	**प्रतिभा प्रबंधन**	**अवसर**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए प्रतिभा प्रबंधन एक प्रमुख विषय है। इसके लिए परियोजना वित्तपोषण, जोखिम आकलन, नई स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और नीति-आधारित ऋणी जैसे क्षेत्रों में विशेष कौशल की ज़रूरत होती है। जैसे-जैसे ऊर्जा परिवर्तन की प्राथमिकताओं के कारण यह क्षेत्र तेज़ी से बदल रहा है, कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने, उन्हें तैयार करने और उन्हें बनाए रखने की क्षमता संस्थागत कार्य-निष्पादन का एक मुख्य कारक बन गई है। कर्मचारियों की क्षमता, करियर के विकास और समावेशी कार्य-माहौल में निवेश करने से उत्पादकता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और सेवा व भरोसे पर आधारित क्षेत्र में लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद मिलती है।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। कंपनी ने प्रतिभा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेतृत्व विकास की पहल, साफ़ तौर पर निर्धारित नीतियां, कार्य-निष्पादन समीक्षा और कौशल विकास का ढांचा, विविधता, इक्विटी और समावेशी (डीईआई) नीतियां और कर्मचारियों की भलाई और जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए शिकायतों के समाधान की एक सुरक्षित प्रणाली शामिल है।	**सकारात्मक:** कर्मचारियों की बेहतर भागीदारी और उत्पादकता; बेहतर संगठनात्मक प्रदर्शन; और प्रतिभा को बनाए रखने की सुदृढ़ क्षमता, जिससे निरंतरता, संस्थागत ज्ञान और लंबे समय तक व्यावसायिक की प्रभावशीलता बनी रहती है।
4.	**व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस)**	**अवसर**	आमतौर पर, संभावित स्वास्थ्य घटनाओं, कार्यस्थल के खतरों और उनसे जुड़ी परिचालनगत रुकावटों के कारण, संगठनों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए - जो मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित और ऑफिस-आधारित प्रकृति का है, ओएचएस को अब किसी बड़े जोखिम के बजाय एक रणनीतिक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। इस क्षेत्र का प्रदर्शन मुख्य रूप से कर्मचारियों की निरंतर उपलब्धता, उनकी सोचने-समझने की क्षमता और दीर्घकालिक जुड़ाव पर निर्भर करता है, न कि ज़्यादा जोखिम वाले औद्योगिक कामों के संपर्क में आने पर।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। कंपनी ने कर्मचारियों की सेहत, सुरक्षा और देखभाल को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें व्यापक स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा लाभ, मातृत्व और पितृत्व लाभ, रोज़ाना ध्यान सत्र और कई तरह की कल्याण पहल शामिल हैं।	**सकारात्मक:** इससे कर्मचारियों की सेहत और काम करने की क्षमता बेहतर होती है; काम से गैर-हाज़िरी और सेहत से जुड़ी रुकावटें कम होती हैं; कर्मचारियों की संतुष्टि और कंपनी में बने रहने की दर बढ़ती है, जिससे संगठन का कामकाज स्थिर और कुशल बना रहता है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
				इनमें डॉक्टर की सुविधा के साथ घरेलू चिकित्सा सुविधाएँ, नियमित स्वास्थ्य जांच, मुफ़्त चिकित्सा शिविर, आयुर्वेद थेरेपी, मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूकता सत्र, पर्याप्त अग्नि-शमन उपकरण लगाना और अंदरूनी हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए पूरे परिसर में एयर प्यूरीफ़ायर लगाना शामिल है।	
5.	**मानव संसाधन**	**अवसर**	मानवाधिकार से जुड़े विषयों को अक्सर नियमों के पालन और प्रतिष्ठा से जुड़े जोखिम वाले क्षेत्रों के तौर पर देखा जाता है। हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए, ये भरोसे और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने का एक प्रमुख मौका भी हैं। यह क्षेत्र सार्वजनिक नीति के लक्ष्यों और अलग-अलग हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है, इसलिए विश्वसनीयता, दीर्घावधि स्थिरता और समावेशी विकास के लिए सुदृढ़ मानवाधिकार और नैतिकता का ढांचा बहुत ज़रूरी है।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। हालांकि, कंपनी ने मानवाधिकारों और नैतिक आचरण को बनाए रखने के लिए सुदृढ़ व्यवस्थाएँ स्थापित की हैं, जिसमें एक मानवाधिकार नीति भी शामिल है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस पॉलिसी में समान अवसर, भेदभाव न करना, विविधता और समावेश, उत्पीड़न की रोकथाम, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वेतन और काम के घंटों से जुड़े श्रमिक मानक, सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल के तौर-तरीके, बाल श्रम और जबरन मज़दूरी पर रोक, निजता का अधिकार और भ्रष्टाचार-रोधी उपाय शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कामकाज और मूल्य कड़ी, दोनों में ही मानवाधिकारों का ध्यान रखा गया है।	**सकारात्मक:** हितधारक का बढ़ा हुआ भरोसा और संस्था की विश्वसनीयता; प्रतिष्ठा और नियमों के पालन से जुड़े जोखिमों में कमी; सुदृढ़ संगठनात्मक संस्कृति जो लंबे समय तक टिकाऊ कार्य-निष्पादन में मदद करती है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
6.	**ग्राहक सम्बन्ध प्रबंधन**	**अवसर**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए ग्राहक सम्बन्ध प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसमें लंबे समय के रिश्ते, भरोसा और सेवा की गुणवत्त सीधे तौर पर दोबारा मिलने वाले व्यापार, पोर्टफोलियो के कार्य-निष्पादन और हरित वित्तीय समाधान को अपनाने पर प्रभाव डालती है। बेहतर ग्राहक जुड़ाव और सेवा मॉडल परियोजना को आसानी से पूरा करने में मदद करते हैं, हितधारकों की संतुष्टि बढ़ाते हैं और टिकाऊ ऊर्जा बदलाव को संभव बनाने में इस क्षेत्र की भूमिका को सुदृढ़ करते हैं।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। हालांकि, कंपनी ने शिकायतों और प्रतिक्रिया को समय पर और उत्तरदायी से प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए, अपने 'सिटिज़न चार्टर' के अनुरूप एक व्यापक, पारदर्शी और व्यवस्थित ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता और सोच-समझकर फ़ैसला लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए वित्तपोषण योजनाओं, पात्रता के नियम, प्रक्रिया प्रवाह, ब्याज दर की जानकारी, आवेदन के प्रारूप, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और निर्धारित अधिकारियों के संपर्क विवरण जैसी विस्तृत जानकारी डिजिटल माध्यमों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है।	**सकारात्मक:** ग्राहकों का भरोसा और संतुष्टि बढ़ी; बार-बार जुड़ाव और हरित वित्तपोषित उत्पादों को प्रभावी ढंग से अपनाया गया; डिजिटलीकृत और पारदर्शी सेवा डिलीवरी मॉडल से परिचालनगत क्षमता में सुधार हुआ, जिससे लंबे समय तक व्यावसायिक के विकास को बढ़ावा मिला।
7.	**समुदाय जुड़ाव और विकास**	**अवसर**	समुदाय का जुड़ाव और विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परियोजना की व्यवहार्यता और दीर्घावधि निरंतरता का स्थानीय लोगों की मंज़ूरी और समाज की अच्छी साख से गहरा संबंध है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनायें अक्सर सीधे स्थानीय समुदायों से जुड़ी होती हैं, इसलिए काम करने के लिए 'सामाजिक लाइसेंस' (स्थानीय लोगों की मंज़ूरी) मिलना सफलता के लिए एक प्रमुख बात होती है। समुदाय के विकास की सक्रिय पहल समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं, हितधारकों के साथ संबंधों को मजबूत करती हैं और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्य प्रदान करने में इस क्षेत्र की भूमिका को और मजबूत बनाती हैं।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। हालाँकि, कंपनी मुख्य रूप से अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक विकास पहल करती है, जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा जागरूकता को बढ़ावा देने, आजीविका विकास और कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समर्थन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। इन पहलों का उद्देश्य समुदायों में सकारात्मक योगदान देना और समावेशी व टिकाऊ विकास के नतीजों को बढ़ावा देना है।	**सकारात्मक :** समुदाय के साथ सुदृढ़ रिश्ते और सामाजिक सद्भावना; लंबे समय तक परियोजना के टिके रहने की क्षमता में सुधार; संस्था की बेहतर प्रतिष्ठा, जिससे स्थिर और उत्तरदायी व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिला।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
8.	**स्थायी आपूर्ति कड़ी प्रबंधन**	**अवसर**	परियोजना मूल्य कड़ी में उत्तरदायी स्रोत, नैतिक बिज़नेस तौर-तरीकों और पर्यावरण व सामाजिक अभिशासन पर बढ़ते ध्यान को देखते हुए, स्थाई आपूर्ति कड़ी प्रबंधन नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए एक बढ़ती हुई प्राथमिकता बन गया है। इस क्षेत्र में, निरंतर आपूर्ति कड़ी प्रबंधन मुख्य रूप से उत्तरदायी खरीद और अभिशासन के नज़रिए से महत्वपूर्ण है, न कि कच्चे वस्तु पर निर्भरता के लिहाज़ से; क्योंकि संस्थान सीधे तौर पर विनिर्माण या निर्माण गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। हालांकि आपूर्ति कड़ी से जुड़ी बातों को अक्सर जोखिम के नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए ये परियोजना विकासक, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच पारदर्शिता, नियमों का पालन और निरंतरता को बढ़ावा देने का एक मौका है। इस क्षेत्र के संस्थान प्रशासनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, सुविधा प्रबंधन, सलाहकार और दूसरी परिचालनगत सेवाओं के लिए बाह्य विक्रेताओं पर निर्भर रहते हैं। इसलिए, उत्तरदायी कामकाज को बनाए रखने और हितधारकों का विश्वास मजबूत किया है।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। कंपनी खरीद की व्यवस्थित प्रक्रियाओं का पालन करती है और लागू नियमों के अनुसार अपने विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की भागीदारी को बढ़ावा देती है। खरीद की प्रक्रियाएँ पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के साथ-साथ परिचालनगत सहयोगी सेवाओं की निरंतरता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं।	**सकारात्मक:** एक स्थिर और नियमों का पालन करने वाले विक्रेता आधार के ज़रिए परिचालनगत सहयोगी सेवाओं की विश्वसनीयता और निरंतरता सुदृढ़ हुई; लंबे समय में लागत दक्षता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार; एमएसई की भागीदारी को समर्थन जिससे समावेशी विकास में योगदान मिला, साथ ही परिचालन खर्चों में भी स्थिरता बनी रही।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
9.	**निगमित अभिशासन और नैतिकता**	**अवसर**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए सुदृढ़ निगमित अभिशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र में संस्थागत विश्वसनीयता के लिए लंबे समय तक पूँजी लगाना, विनियामक निगरानी और जनता का भरोसा बहुत प्रमुख होता है। इस क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा और जनता का विश्वास नैतिक आचरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था पर निर्भर करता है। बेहतर अभिशासन ढांचा उत्तरदायी से फ़ैसले लेने में मदद करता है, निवेशकों और हितधारकों का भरोसा बढ़ाते हैं, और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा प्राथमिकताओं के लिए वित्तपोषण करने वाले संस्थानों की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करते हैं।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। कंपनी ने स्पष्ट रूप से परिभाषित नीतियों, आचार-संहिताओं और प्रक्रियाओं के आधार पर सुदृढ़ निगमित अभिशासन व्यवस्थाएँ स्थापित और लागू की हैं। इनमें व्यावसायिक आचार और नैतिकता की संहिता, अंदरूनी व्यापार, पर्दाफाश से सुरक्षा, रिश्वत-विरोधी और भ्रष्टाचार-विरोधी उपाय, संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन, बोर्ड की आज़ादी, बोर्ड में विविधता, महत्वपूर्णता का निर्धारण और जानकारी देने के तरीके जैसी नीतियां शामिल हैं। नियमित आंतरिक लेखा-परीक्षा और समय-समय पर होने वाली बाह्य लेखा-परीक्षा के ज़रिए अभिशासन के अमल को और सुदृढ़ किया जाता है, जिससे नियमों के पालन, कंट्रोल और अभिशासन प्रक्रियाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित होता है। विनियामक ज़रूरतों,आंतरिक नीति और मंज़ूरी ढांचाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कामों में सख्त प्रक्रिया निगरानी और पर्यवेक्षण की प्रणाली लागू है।	**सकारात्मक:** निवेशकों का बढ़ा हुआ भरोसा और पूंजी तक पहुंच; जनता का सुदृढ़ भरोसा; अभिशासन से जुड़ी अनिश्चितता में कमी, जिससे दीर्घावधि स्थिर वित्तीय प्रदर्शन और संस्थागत स्थिरता को बढ़ावा मिला।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
10.	**जोखिम प्रबंधन**	**जोखिम**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए जोखिम प्रबंधन एक प्रमुख विषय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें लंबे समय तक पूँजी का निवेश होता है, परियोजना के आधार पर ऋण दिया जाता है, विनियामक ज़रूरतें बदलती रहती हैं, और यह बाज़ार, तरलता और ऋण की स्थितियों पर निर्भर करता है। यह क्षेत्र कई तरह के जोखिमों के संपर्क में है, जिनमें ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, तरलता जोखिम, परिचालनगत जोखिम और साइबर व सूचना जोखिम जैसे उभरते जोखिम शामिल हैं। वित्तीय स्थिरता, पूंजी पर्याप्तता और ऊर्जा बदलाव में सहयोग देने की निरंतर क्षमता को सुरक्षित रखने के लिए इन जोखिमों की सही पहचान और प्रबंधन ज़रूरी है।	कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है, जिसमें ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, तरलता जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन और सूचना एवं साइबर सुरक्षा जोखिम शामिल हैं। बोर्ड-स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन के अधीन तैयार की गई जोखिम प्रबंधन नीति को, बदलते व्यावसायिक और बाज़ार के हालात के आधार पर समय-समय पर बेहतर बनाया जाता है। जोखिम की निगरानी का काम निदेशक मंडल करता है, जिसे एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग का सहयोग मिलता है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) इस विभाग के प्रमुख होते हैं, जो सीधे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। कंपनी एक व्यवस्थित 'आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया' (आईसीएएपी) का पालन करती है, ताकि उन जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन किया जा सके जो व्यावसायिक के प्रदर्शन, वित्तीय स्थिति या पूंजी की पर्याप्तता पर प्रभाव डाल सकते हैं।	**नकारात्मक अगर ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया:** कमज़ोर जोखिम प्रबंधन के कारण, ऋण लेने वाले के स्तर पर परियोजना में देरी, लागत बढ़ने या नकद प्रवाह में अंतर की वजह से परिसंपत्ति की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि, प्रावधान आवश्यकताओं में वृद्धि, लाभप्रदता पर दबाव, तरलता संकट और पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। अगर बाज़ार, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा, परिचालनगत या साइबर जोखिमों को ठीक से कंट्रोल न किया जाए, तो इनसे वित्तीय नुकसान हो सकता है, विनियामक जुर्माना लग सकता है और निवेशकों का भरोसा भी कम हो सकता है।
11.	**उत्तरदायीपूर्ण ऋणी**	**जोखिम**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए उत्तरदायी ऋणी एक प्रमुख विषय है, क्योंकि लंबे समय की परियोजना के वित्तपोषण का पर्यावरण और समाज पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है।	कंपनी ने अपनी उत्तरदायी ऋणी की प्रक्रिया के तहत एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) लागू की है।	नकारात्मक अगर ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया : परियोजना में देरी, नियमों का पालन न करने, समुदाय के विरोध या प्रतिष्ठा से जुड़ी चिंताओं के कारण संभावित वित्तीय प्रभाव, जिससे परिसंपत्ति के प्रदर्शन और उगाही पर प्रभाव पड़ सकता है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
			ऋण देने के चरण में पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों पर ठीक से विचार न करने से परियोजना की व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है, विनियामक, प्रतिष्ठा या समुदाय से जुड़ी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं और अंततः वित्तीय प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि इस क्षेत्र की संस्थाएं लंबे समय तक चलने वाले अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करती हैं, इसलिए ऋण के मूल्यांकन और निगरानी में पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि टिकाऊ नतीजे मिल सकें और हितधारकों के हितों की रक्षा हो सके।	ईएसएमएस ढांचा, लागू कानूनों, नियमों और आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना के मूल्यांकन, मंज़ूरी और निगरानी की प्रक्रियाओं में पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव के आकलन को शामिल करता है। यह वित्तपोषित की गई परियोजनाओं से जुड़े संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन में मदद करता है, जिससे सोच-समझकर ऋण देने के फ़ैसले लेने और परियोजना के पूरे जीवनचक्र के दौरान निरंतर निगरानी करने में सहायता मिलती है।	
12.	**सतत वित्त पोषण**	**अवसर**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र का एक मुख्य आधार है निरंतर वित्त पोषण। इस क्षेत्र की मुख्य भूमिका है ऐसी परियोजनाओं के लिए लंबे समय की पूंजी जुटाना, जिनसे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन वाला अवसंरचना तैयार हो सके। इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएँ सीधे तौर पर जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ विकास से जुड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करती हैं। वे सौर, पवन, जल विद्युत, बायो-ऊर्जा, पारेषण अवसंरचना और उभरते हुए स्वच्छ ऊर्जा समाधानों जैसी तकनीकों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासक, सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिता कंपनियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराती हैं।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। हालांकि, कंपनी अपने मुख्य ऋणी परिचालन के ज़रिए सतत वित्त पोषण को बढ़ावा देती है। इसके लिए वह पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता से जुड़े कई तरह की परियोजनाओं को वित्तीय रूप से मदद देती है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, ग्रिड एकीकरण और उभरती हुई टेक्नोलॉजी में शामिल विकासक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य की उपयोगी कंपनियों और निजी संस्थाओं को कंपनी के वित्तपोषण से मदद मिलती है।	**सकारात्मक:** नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते प्रयोग से सुदृढ़ और निरंतर विकास के मौके; नीति ढांचा से समर्थित परियोजनाओं से स्थिर और लंबे समय तक प्रवाह; देश के जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों के साथ बेहतर पोर्टफोलियो तालमेल; भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए सुदृढ़ संस्थागत भूमिका, जो लंबे समय की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
			जैसे-जैसे हरित ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, सतत वित्त पोषण एक लंबे समय का संरचनात्मक अवसर बन गया है। यह इस क्षेत्र को भारत के ऊर्जा परिवर्तन और समावेशी आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला बनाता है।	ऋण देने और मूल्यांकन की प्रक्रियाएं पर्यावरणीय परिणामों और वित्तीय विवेक के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो उन परियोजनाओं का समर्थन करती हैं जो परिसंपत्ति की गुणवत्ता और पोर्टफोलियो के लचीलेपन को बनाए रखते हुए दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान करती हैं।	
13.	**डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा**	**जोखिम**	ऋण देने, ग्राहकों से जुड़ने, शिकायतों के निपटारे और विनियामक रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण को देखते हुए, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जोखिम के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस सेक्टर की संस्थाएं ऋण लेने वालों, कर्मचारियों, निवेशकों और अन्य हितधारकों से जुड़े संवेदनशील वित्तीय, परिचालनगत और व्यक्तिगत डेटा को प्रबंधित करती हैं। डेटा की गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता से जुड़ी किसी भी तरह की चूक कामकाज में बाधा डाल सकती है, नियमों के पालन पर प्रभाव डाल सकती है और हितधारकों का भरोसा कम कर सकती है। जैसे-जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और आईटी प्रणाली पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, कारोबार को निरंतर चालू रखने और जानकारी से जुड़ी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए साइबर जोखिम का प्रभावदार प्रबंधन ज़रूरी हो गया है।	कंपनी ने पूरे संगठन में साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए एक व्यापक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) स्थापित किया है। आईएसएमएस ढांचा सभी हितधारकों पर लागू होता है, जिनमें ग्राहक, कर्मचारी, शेयरधारक, व्यावसायिक भागीदार और बाह्य इंटरफ़ेस शामिल हैं। इसे जानकारी से जुड़ी परिसंपत्तियों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। सूचना सुरक्षा नीति सूचना सुरक्षा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें पहुंच प्रबंधन, डेटा सुरक्षा, घटना प्रतिक्रिया, सिस्टम लचीलापन और लागू डेटा सुरक्षा कानूनों का अनुपालन शामिल है।	**नकारात्मक:** डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा पर अपर्याप्त कंट्रोल के कारण सिस्टम के बंद होने, ऋण लेने वालों, निवेशकों या कर्मचारियों के संवेदनशील डेटा तक अनधिकृत पहुंच और महत्वपूर्ण ऋणी और सेवा परिचालन में रुकावट से वित्तीय नुकसान हो सकता है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण विषय प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
14.	**डिजिटल रूपांतरण और नवाचार**	**अवसर**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए डिजिटल रूपांतरण एक प्रमुख ज़रिया है। इस क्षेत्र में संस्थाएं परियोजना-आधारित ऋणी, लंबी अवधि की परिसंपत्ति और अलग-अलग जगहों पर फैले ऋणकर्ताओं से जुड़े बड़े पैमाने के कामकाज को प्रबंधित करती हैं। डिजिटल ऋणी, निगरानी और रिपोर्टिंग प्लेटफ़ॉर्म को अपनाने से ऋण जीवनचक्र के दौरान दक्षता, पारदर्शिता और प्रतिक्रियाशीलता में सुधार होता है। जैसे-जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए यह क्षेत्र बड़ा हो रहा है, डिजिटल टूल्स से परियोजना की प्रक्रिया की बेहतर ढंग से निगरानी, तेज़ी से सेवा देना और डेटा के आधार पर बेहतर फ़ैसले लेना मुमकिन हो रहा है। इससे सतत प्रगति को सहयोग करने की इस क्षेत्र की क्षमता सुदृढ़ हो रही है।	यह लागू नहीं होता, क्योंकि इसे एक अवसर के रूप में पहचाना गया है। हालांकि, कंपनी ऋणी, निगरानी और ग्राहक जुड़ाव की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल मंच का प्रयोग करती है। इसमें अनुप्रयोग की डिजिटल प्रक्रिया, वित्तपोषण दी गई परियोजनाओं की निगरानी और बेहतर सेवा डिलीवरी प्रणाली शामिल हैं।	**सकारात्मक:** कामकाज की बेहतर क्षमता और प्रसंस्करण में लगने वाले समय में कमी; ऋण पोर्टफोलियो और परियोजना की प्रगति की बेहतर निगरानी; लंबे समय में कामकाज की कम लागत; बेहतर ग्राहक अनुभव, जिससे हरित वित्त समाधानों को निरंतर अपनाने और व्यावसायिक को बड़े स्तर पर बढ़ाने में मदद मिली।
15.	**विनियामक और कानूनी अनुपालन**	**जोखिम**	नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और विकास क्षेत्र के लिए विनियामक और कानूनी नियमों का पालन करना एक महत्वपूर्ण विषय है। यह क्षेत्र कई तरह के विनियामक ढांचा के तहत काम करता है, जो ऋणी देने, सावधानी बरतने के नियमों, जानकारी देने, सार्वजनिक क्षेत्र अभिशासन अभिशासन और ऊर्जा व जलवायु से जुड़ी बदलती नीतियों को नियंत्रित रखते हैं। इस क्षेत्र की सार्वजनिक नीति के लक्ष्यों और लंबे समय के लिए पूँजी लगाने से गहरा संबंध है, इसलिए नियमों का पालन न करने से कामकाज, वित्तीय स्थिरता और हितधारकों के भरोसे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।	कंपनी एक व्यवस्थित अनुपालन और कानूनी अभिशासन ढांचे का पालन करती है, जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नीतियों, मानक संचालन प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों का समर्थन प्राप्त है। विनियामक बदलावों पर निरंतर नज़र रखी जाती है और उन्हें उचित रूप से आंतरिक प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। कानूनी और अनुपालन कार्य अनुबंध, ऋण से जुड़े दस्तावेज़ों और विनियामक फाइलिंग की समीक्षा करते हैं। इसमें समय-समय पर होने वाले आंतरिक लेखा-परीक्षा और बोर्ड व उसकी समितियों की निगरानी से मदद मिलती है, ताकि अनुपालन में कमियों की समय पर पहचान और उन्हें दूर किया जा सके।	**नकारात्मक, अगर ठीक से नहीं संभाला गया:** जुर्माने, कानूनी खर्च, कामकाज पर पाबंदियां और प्रतिष्ठा को नुकसान का जोखिम, जिससे निवेशकों का भरोसा प्रभावित हो सकता है।

खंड ख : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

क्र. सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ										
1.	क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं। (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	तालिका क देखें								
2.	क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य कड़ी भागीदारों पर भी लागू होती हैं? (हां/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
4.	राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोड/प्रमाण-पत्र/लेबल/ मानकों का नाम (जैसे कि, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे कि, एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) को आपकी इकाई द्वारा अपनाया गया और प्रत्येक सिद्धांत को मैप किया गया।	-	आईएसओ 9001: 2015	-	-	-	-	-	-	आईएसओ 27001: 2022 आईएसओ 9001: 2015
5.	इकाई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के साथ, यदि कोई हो, विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना।	• सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर, भेदभाव न करने और सम्मान को सुनिश्चित करके विविधता, समानता और समावेश (डीईआई) की संस्कृति को सुदृढ़ करना। • निरंतरता और ईएसजी पर व्यवस्थित प्रशिक्षण, कल्याण और जुड़ाव पहलों के ज़रिए निरंतर सीखने और क्षमता विकास को बढ़ावा देना। • इरेडा कम से कम 70% कर्मचारियों की शारीरिक स्वास्थ्य जांच करेगा।								
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति इकाई का कार्य-निष्पादन, साथ ही उन्हें पूरा न किए जाने की स्थिति में कारण भी।	• इरेडा में डीईआई नीति लागू है। वित्त वर्ष 2026 में कार्यस्थल पर भेदभाव के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली। • वित्त वर्ष 2026 में 100% कर्मचारी ईएसजी प्रशिक्षण के दायरे में। • इरेडा ने वित्त वर्ष 2026 में 70% से ज़्यादा कर्मचारियों (लगभग 73%) का शारीरिक स्वास्थ्य जांच करवाया है।								

क्र. सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण										
7	व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक द्वारा वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण प्रस्तुत करने के संबंध में लचीला रूख है)	इरेडा भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के बदलाव में एक प्रमुख भूमिका निभाने, समुदायों को सशक्त बनाने, जलवायु कार्रवाई में सहयोग करने और सभी हितधारकों के लिए एक टिकाऊ और सुदृढ़ भविष्य बनाने में योगदान देने की कोशिश करता है। हम निरंतर विकास के लिए नए-नए स्रोत से ऊर्जा बनाने, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण से जुड़ी प्रौद्योगिकी में स्वयं से चलने वाले निवेश को वित्तपोषित करने और बढ़ावा देने में सबसे आगे हैं। जैसे-जैसे भारत जलवायु और ऊर्जा परिवर्तन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, इरेडा एक ऐसे बदलते माहौल में काम कर रहा है जिसमें तेज़ी से तकनीकी बदलाव, विनियामक घटनाक्रम और हितधारकों की बढ़ती उम्मीदें शामिल हैं। ईसीजी से जुड़ी मुख्य चुनौतियों में अलग-अलग तरह के ऋण लेने वालों के बीच उत्तरदायी से ऋण देने के तरीके अपनाना और तेज़ी से बदलते माहौल में सुदृढ़ अभिशासन मानक बनाए रखना शामिल है। इरेडा ने नवीकरणीय और निम्न-कार्बन वित्तपोषण को आगे बढ़ाने, ईएसजी मामलों की बोर्ड-स्तरीय निगरानी को मजबूत करने और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्थिरता-संबंधी प्रकटीकरण में सुधार करने में निरंतर प्रगति की है। क्षमता-निर्माण की पहलों और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श ने पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में और सहायता की। आगे बढ़ते हुए, हम ईएसजी एकीकरण को और गहरा करने, जोखिम प्रबंधन ढांचा को सुदृढ़ करने और भारत के जलवायु और निरंतर लक्ष्यों का समर्थन करने के साथ-साथ हितधारकों के लिए लंबे समय तक चलने वाली मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध हैं।								
8	व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	निदेशक मंडल								
9	क्या इकाई के पास स्थिरता से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी निदेशक/बोर्ड की एक निर्दिष्ट समिति है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	हाँ निदेशक (वित्त) संपर्क: 011-24347729 ई-मेल: df@ireda.in								

तालिका क

सिद्धांत 1	व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता	https://www.ireda.in/policy/code-of-conduct
	रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार विरोधी (एबीएसी) नीति	https://www.ireda.in/policy/abac
	निगमित अभिशासन पर आंतरिक दिशनिर्देश	https://www.ireda.in/policy/corp-governance
सिद्धांत 2	वित्तपोषण मानदंड और योजनाएँ	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/loan-products/schemes
सिद्धांत 3	ईएसएमएस नीति	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/esms
	ईएसजी नीति	https://www.ireda.in/policy/esg
सिद्धांत 4	ईएसएमएस नीति	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/esms
	व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता	https://www.ireda.in/policy/code-of-conduct

सिद्धांत 5	मानव अधिकार नीति	https://www.ireda.in/policy/human-rights
	सतर्कता तंत्र पर नीति/ पर्दाफाश करने वाली नीति	https://www.ireda.in/policy/whistle-blower
	विविधता, इक्विटी व समावेशन (डीईएंडआई) नीति	https://www.ireda.in/policy/dei
सिद्धांत 6	ईएसजी नीति	https://www.ireda.in/policy/esg
सिद्धांत 7	निगमित अभिशासन पर आंतरिक दिशा-निर्देश	https://www.ireda.in/policy/corp-governance
सिद्धांत 8	सीएसआर नीति	https://www.ireda.in/policy/csr
	इरेडा का नागरिक चार्टर	https://www.ireda.in/IredaWebPortal/documents/rti/citizens-charter/citizens-charter-ireda.pdf
सिद्धांत 9	यूपीएसआई नीति	https://www.ireda.in/policy/insider-code-fair-disclosure

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा हेतु विषय	**कृपया बताएँ कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी**									**बारंबारता (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)**								
	पी1	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**	**पी1**	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**
उपर्युक्त नीतियों के तहत कार्य-निष्पादन तथा अनुवर्ती कार्रवाई	बोर्ड की समिति/बीओडी									आवश्यकतानुसार, आवधिक आधार पर								
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन तथा किसी भी गैर-अनुपालनों का सुधार	बोर्ड की समिति/बीओडी									आवश्यकतानुसार, आवधिक आधार पर								

11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के क्रियान्वयन का किसी बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं)। अगर हाँ, तो एजेंसी का नाम प्रदान करें।

    नहीं

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत एक नीति द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:

प्रश्न	**पी1**	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**
संस्था इन सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)	लागू नहीं								
संस्था अभी उस स्थिति में नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हाँ/नहीं)									
संस्था के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या/मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)									
इसे अगले वित्त वर्ष में पूरा करने की योजना है (हाँ/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

खंड ग : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना परिचालन और उनका संचालन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर प्रतिशत:

क्षेत्र	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा कवर संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का %
निदेशक मंडल (बीओडी)	5	• सूचना एवं साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला • जोखिम संबंधित पहलुओं पर मास्टरक्लास/बोर्ड सुग्राहीकरण • नवीकरणीय ऊर्जा सौर क्षेत्र पर सत्र • धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पर सत्र • ईएसजी के बारे में और मुख्य विकासों पर सत्र	100%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	7	• सूचना और साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम • एनबीएफसी के लिए केवाईसी/एएमएल प्रक्रियाओं और विनियामक अपेक्षाओं पर एक-दिवसीय कार्यशाला • स्वच्छता ही सेवा अभियान के भाग के रूप में स्वच्छोत्सव पर व्याख्यान शृंखला • धोखाधड़ी जागरूकता पर प्रशिक्षण • आईआरएम की 'रिस्क इन बोर्डरूम' मास्टरक्लास • 21वीं सदी की लीडरशिप के लिए महाभारत और भगवद गीता से प्रबंधन के सबक • ईएसजी से जुड़ी जानकारियों और मुख्य विकास पर सत्र	100%
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी	32	• "खरीद और सतर्कता: अनुपालन व उत्कृष्टता संस्कृति का निर्माण" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम • "हाइड्रोकाइनेटिक ऊर्जा शक्ति को अनलॉक करना: जल-धारा का लाभ उठाना" शीर्षक पर कार्यशाला • 'ईएसजी, बीआरएसआर और निरंतर रिपोर्टिंग' पर नेशनल सर्टिफ़िकेट कोर्स प्रोग्राम 2025 • "उज्ज्वलतर भविष्य की ओर सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, सतर्कता और नैतिकता" पर सम्मेलन • "योग से तनाव प्रबंधन" पर कार्यशाला • बैटरी विनिर्माण पर मास्टरक्लास • कम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) पर मास्टरक्लास • बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) पर मास्टरक्लास	100%

क्षेत्र	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा कवर संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का %
		• सूचना और साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम • "विद्यांजलि में सीएसआर की भूमिका" पर कार्यशाला • आईआरएम की 'रिस्क इन बोर्डरूम' मास्टरक्लास • "भारत की बायोफ्यूल यात्रा" पर सेमिनार • संधारणीय शिक्षा पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन(आईसीएसई) • स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंग स्वरूप स्वच्छोत्सव पर व्याख्यान श्रृंखला • बायो-एनर्जी अनुसंधान में हालिया प्रगति पर 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीआरएबीआर 2025) • "कल के लिए योग विज्ञान - प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम"पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन • 'ग्रीन हाइड्रोजन और इसकी व्युत्पंनी'पर मास्टरक्लास • ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीजीएच-2025) • "सतर्कता प्रशासन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम • पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) पर कार्यक्रम - अवधारणाएँ और नीतिगत ढाँचा • कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम पर कार्यशाला • कार्य-नीति पर पाठ्यक्रम: इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट (आईआरआईटीएम) द्वारा • कार्यवाई नैतिक सोच: मूल्यों और नैतिकता का परिचय पर पाठ्यक्रम: आईआईटी कानपुर द्वारा • आचरण नियमों पर पाठ्यक्रम: सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान इंस्टीट्यूट द्वारा	

क्षेत्र	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा कवर संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का %
		• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नियमों और प्रक्रियाओं पर पाठ्यक्रम: नेशनल एकेडमी ऑफ़ डिफेंस प्रोडक्शन (एनएडीपी), नागपुर द्वारा • साइबर सतर्कता पर पाठ्यक्रम: प्रत्येक डिजिटल नागरिक को क्या ज़रूर पता होना चाहिए - नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न (एनईजीडी), एमईआईटीवाई, भारत सरकार द्वारा • सोलर सेल विनिर्माण पर मास्टरक्लास • पीओएसएच नियमों के अनुपालन और जागरूकता पर प्रशिक्षण (बैच I और II) • धोखाधड़ी जागरूकता पर प्रशिक्षण • पीओएसएच अनुपालन और जागरूकता पर प्रशिक्षण (बैच III) • 21वीं सदी की नेतृत्वता के लिए महाभारत और भगवद गीता से प्रबंधन के सबक • परियोजना प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और मैदानी दौरा (घरेलू)	
कामगार	5	• पीओएसएच अनुपालन और जागरूकता पर प्रशिक्षण • धोखाधड़ी जागरूकता पर प्रशिक्षण • टीबी जागरूकता • 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत 'स्वच्छोत्सव' पर व्याख्यान शृंखला • 21वीं सदी की नेतृत्वता के लिए महाभारत और भगवद गीता से प्रबंधन के सबक	100%

2. वित्त वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किये गये जुर्माने/दंड/सजा/ पुरस्कार/यौगिक शुल्क/निपटान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में [नोट: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार महत्वपूर्णता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी]:

मौद्रिक													
	एनजीआरबीसी सिद्धांत									विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (भारतीय रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गयी है? (हां/ नहीं)
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9				
यौगिक शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	नहीं
निपटान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	नहीं
दंड/जुर्माना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	नहीं

गैर-मौद्रिक													
	एनजीआरबीसी सिद्धांत									नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (भारतीय रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गयी है? (हां/ नहीं)
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9				
कारावास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं
दंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में बताये गये मामलों में, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गयी है।

क्र.सं.	मामले का विवरण	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम
लागू नहीं		

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

नीति उपलब्ध (हाँ/नहीं) : हाँ

वेब लिंक: https://www.ireda.in/policy/abac

विवरण: इरेडा ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय गड़बड़ी को रोकने के लिए एक सुदृढ़ अभिशासन ढांचा बनाया है, जो औपचारिक रूप से मंज़ूर की गई **'भ्रष्टाचार-रोधी और रिश्वत-रोधी नीति'** पर आधारित है। यह नीति भारत में मौजूदा कानूनी और विनियामक ज़रूरतों के अनुरूप है, जिसमें **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002** शामिल हैं।

इस ढाँचे के अधीन, संगठन सरकारी और निजी, दोनों तरह के कामकाज में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और धन शोधन के प्रति शून्य सहनशीलता दृष्टिकोण अपनाता है। नीति की व्यापक प्रयोज्यता है, जिसमें बोर्ड के सदस्यों, कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं के साथ-साथ विक्रेताओं, सलाहकारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य तीसरे पक्ष के भागीदारों जैसे बाह्य हितधारकों को शामिल किया गया है। यह उपहार और आतिथ्य सत्कार, सुविधा शुल्क, भर्ती संबंधी विवाद, प्रायोजन और राजनीतिक या धर्मार्थ योगदान सहित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के प्रबंधन पर स्पष्ट मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

भारत सरकार द्वारा एक **मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)** की नियुक्ति के माध्यम से अभिशासन और निगरानी को सुदृढ़ किया जाता है; ये अधिकारी नोडल और अनुपालन अधिकारी के तौर पर काम करते हैं। नियमों के पालन की निगरानी को सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण, समय-समय पर होने वाली लेखा-परीक्षा और निरंतर निगरानी के तरीकों से सहारा मिलता है; इन्हें संभावित उल्लंघनों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए बनाया गया है। नीति का पालन न करने पर, लागू कानूनों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक, प्रशासनिक, दीवानी या आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी:

पदनाम	वित्त वर्ष 2026 वर्तमान वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 2025 पिछला वित्त वर्ष
निदेशक	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0	0
कर्मचारी	0	0
कामगार	0	0

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2025-26		वित्त वर्ष 2024-25	
	संख्या	अभ्युक्ति	संख्या	अभ्युक्ति
निदेशकों के हितों के टकराव के विषयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं
केएमपी के हितों के टकराव के विषयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा लगाए गए जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित विषयों पर की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।
लागू नहीं

8. देय खातों के दिनों की संख्या [(देय खाते *365) / खरीदे गये माल/सेवाओं की लागत] निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्त वर्ष 2026 वर्तमान वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 2025 पिछला वित्त वर्ष
देय खातों के दिनों की संख्या	20	45

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

9. व्यवसाय पारदर्शिता व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद एवं बिक्री के संकेंद्रण तथा संबंधित पक्षों के साथ ऋण एवं अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

मानदंड	मैट्रिक्स	वर्तमान वित्त वर्ष 2026	पिछला वित्त वर्ष 2025
खरीदारी का संकेन्द्रण	क. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	0	0
	ख. उन व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीद की गयी	0	0
	ग. व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीद	0	0
विक्रय का संकेन्द्रण	क. कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरक को बिक्री	0	0
	ख. डीलरों/वितरक की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है	0	0
	ग. डीलरों/वितरक को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को बिक्री	0	0
इनमें आरपीटी का हिस्सा	क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)	3.54%	3.09%
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)	0	0
	ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिये गये ऋण और अग्रिम/कुल ऋण और अग्रिम)	3.82%	2.31%
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/ किया गया कुल निवेश)	0.00	4.15%

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मेसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

नेतृत्व संकेतक

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य कड़ी भागीदारों हेतु आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल मूल्य कड़ी भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
1	बीआरएसआर/ईएसजी का हितधारक जागरूकता सत्र	100%*

**जागरूकता सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया, जो सभी के लिए विस्तारित और सुलभ था।*

2. क्या इकाई के पास बोर्ड के सदस्यों को शामिल करने वाले हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने हेतु प्रक्रियाएं हैं? यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

हाँ

इरेडा ने बोर्ड स्तर पर हितों के संभावित या वास्तविक टकराव की पहचान करने, उनका खुलासा करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित अभिशासन प्रणाली लागू की है। ये प्रक्रियाएँ संगठन के 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' का हिस्सा हैं, जो नैतिक व्यवहार और पारदर्शिता के लिए स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करती हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप, सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ज़रूरी है कि वे निर्धारित तरीके से बोर्ड को संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन और हितों के टकराव की किसी भी संभावित स्थिति के बारे में औपचारिक रूप से जानकारी दें। इसके अतिरिक्त, उनके लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के पालन का वार्षिक घोषणा-पत्र जमा करना ज़रूरी है।

नियमों का पालन न करने या संभावित टकराव से जुड़े मामलों की समीक्षा बोर्ड स्तर पर की जाती है, और इरेडा के आंतरिक अभिशासन और अनुशासनात्मक ढांचे के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है। ये उपाय मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हितों के टकराव का समाधान पारदर्शी, व्यवस्थित और समय पर किया जाए, जिससे पूरे संगठन में सुदृढ़ नैतिक मानकों और बेहतर निगमित अभिशासन प्रथाओं को बढ़ावा मिले।

व्यावसायिक आचार संहिता एवं नैतिकता https://www.ireda.in/policy/code-of-conduct यहाँ उपलब्ध है।

सिद्धांत 2: व्यवसायों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

1. उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों में सुधार करने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में किए गए अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का, संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजीगत व्यय निवेश, क्रमशः, के प्रतिशत के रूप में विवरण।

	वर्तमान वित्त वर्ष	पिछला वित्त वर्ष	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आरएंडडी	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कैपेक्स	शून्य	शून्य	लागू नहीं

2. क्या इकाई के पास संधारणीय सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत निविष्टि स्थायी रूप से प्राप्त किये गये?

नहीं, कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए, इस प्रश्न की प्रासंगिकता सीमित है। एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी का संसाधन उपयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी आवश्यकताओं, जैसे कि कार्यालय सामग्री, संचार उपकरण और आईटी उपकरणों तक ही सीमित है। ऐसी सभी खरीदारी सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से की जाती है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीदारी पर ज़ोर दिया जाता है और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 'मेक इन इंडिया' उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है। वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कंपनी के खरीद दिशा-निर्देशों में उल्लिखित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करती है।

3. अपने उत्पादों की उपयोग-अवधि समाप्त होने पर उन्हें पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण तथा निपटान हेतु सुरक्षित रूप से वापस लेने हेतु लागू प्रक्रियाओं का विवरण दें।

	प्रक्रिया का विवरण
(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	यह लागू नहीं होता, क्योंकि एनबीएफसी होने के नाते, इरेडा ऐसी पैकेजिंग सामग्री का निर्माण, उपयोग या बाजार में बिक्री नहीं करती है जिसके लिए उपयोग-अवधि समाप्त पर पुनः प्राप्ति प्रक्रिया की आवश्यकता हो।
(ख) ई-कचरा	
(ग) जोखिम भरा कचरा	
(घ) अन्य अपशिष्ट	

4 क्या इकाई की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं।

लागू नहीं है, एक एनबीएफसी के तौर पर, इरेडा ऐसी किसी भी विनिर्माण या उत्पादन गतिविधि में शामिल नहीं है, जिससे लागू नियमों के तहत ईपीआर की उत्तरदायीयिँ बनती हों।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग हेतु) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग हेतु) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल कारोबार में योगदान का %	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन संचालित किया गया था	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किये गये (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें।
लागू नहीं ।					

2. **यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई भी महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय शंकाएँ और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसे कम करने के लिए की गयी कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।**

उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम/शंका का विवरण	की गयी कार्रवाई
लागू नहीं		

3. **उत्पादन (विनिर्माण उद्योग हेतु) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग हेतु) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गयी इनपुट सामग्री का प्रतिशत।**

निविष्टि सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री में पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गयी निविष्टि सामग्री	
	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)
लागू नहीं। एक एनबीएफसी के तौर पर, इरेडा ऐसी किसी भी विनिर्माण या उत्पादन गतिविधि में शामिल नहीं है, जिसके कारण लागू नियमों के तहत ईपीआर की उत्तरदायीयिँ बनती हों।		

4. **उत्पादों की उपयोगिता अवधि के अंत में पुनर्प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग सामग्री की मात्रा (मीट्रिक टन में), जिनका पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण तथा सुरक्षित निपटान किया गया है, निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत है:**

लागू नहीं। एक एनबीएफसी के तौर पर, इरेडा न तो कोई भौतिक उत्पाद बनाती या बेचती है और न ही ऐसी पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग करती है जिन्हें प्रयोग के बाद वापस पाने, दोबारा प्रयोग करने, रीसाइकिल करने या निपटाने की ज़रूरत होती है।

	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)		
	पुनः व्यवहृत	पुनर्चक्रित	सुरक्षित रूप से निपटाया गया	पुनः व्यवहृत	पुनर्चक्रित	सुरक्षित रूप से निपटाया गया
प्लास्टिक(पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं			लागू नहीं		
ई-कचरा						
जोखिम भरा						
कचरा						
अन्य कचरा						

5. **प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनर्प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गये उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।**

उत्पाद श्रेणी दर्शाएँ	संबंधित श्रेणी में बेचे गये कुल उत्पादों के % के रूप में पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
लागू नहीं, एक एनबीएफसी के तौर पर, इरेडा न तो कोई भौतिक उत्पाद बनाती या बेचती है और न ही ऐसी पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग करती है जिन्हें प्रयोग के बाद वापस इकट्ठा करने की ज़रूरत हो।	

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य कड़ी में शामिल सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए तथा उसे बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **क. कर्मचारियों की भलाई हेतु उपायों का विवरण:**

संवर्ग	निम्नलिखित में कवर कर्मचारियों का %										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	157	157	100%	157	100%	0	0%	157	100%	0	0%
महिला	51	51	100%	51	100%	51	100%	0	0%	0	0%
कुल	208	208	100%	208	100%	51	24.52%	157	75.48%	0	0%
स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

ख. कामगारों की भलाई हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	कुल (क)	निम्नलिखित में आवृत कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कामगार (गैर-कार्यपालक)											
पुरुष	15	15	100%	15	100%	0	0	15	100%	0	0
महिला	1	1	100%	1	100%	1	100%	0	0	0	0
कुल	16	16	100%	16	100%	1	6.25%	15	93.75%	0	0
स्थायी कामगार											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

ग. कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और स्थायी के अतिरिक्त अन्य सहित) की भलाई के उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में खर्च:

	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण उपायों पर होने वाली खर्च	0.06	0.06

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

2. वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष के लिए सेवा-निवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में कवर कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/ नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में कवर कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/ नहीं/लागू नहीं)
भविष्य निधि	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उपदान	100%	100%	नहीं	100%	100%	नहीं
एनपीएस	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ
अन्य - परोपकारी निधि, ईएल/ एचपीएल, पीआरएमएस, आदि	100%	100%	हाँ	100%	100%	नहीं

**उपदान न तो काटी जाती है और न ही किसी प्राधिकारी के पास जमा की जाती है, बल्कि इसे लागू नियमों के आधार पर भुगतान किया जाता है।*

कार्यस्थलों की पहुँच-सुलभता

3. क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए पहुँच-सुलभ हैं? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाये जा रहे हैं।

क्या दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए संस्था पहुँच-सुलभ है? (हाँ / नहीं)	हाँ
क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं?	इरेडा ने दिव्यांग लोगों के लिए शारीरिक और डिजिटल सुलभता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए हैं। कंपनी के कार्यालय को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि दिव्यांग आगंतुक आसानी से आ-जा सकें। यहाँ रैंप, लिफ़्ट और व्हीलचेयर के अनुकूल टॉयलेट जैसी ज़रूरी सुविधाएँ मौजूद हैं, जिससे सुरक्षित और सबके लिए आसान पहुँच सुनिश्चित होती है। शारीरिक सुलभता के अतिरिक्त, इरेडा ने डिजिटल समावेश को भी प्राथमिकता दी है।

	निगमित वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्ल्यू3सी) वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (डब्ल्यूसीएजी) 2.0 लेवल एए का अनुपालन करती है। इससे दृष्टिबाधित लोग भी आसानी से यहाँ तक पहुँच सकेंगे। यह वेबसाइट स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों के प्रयोग से समर्थित है और जेएडब्ल्युएस,एनवीडीए, एसएएफए, सुपरनोवा और विंडो-आईज़ जैसे आम तौर पर प्रयोग होने वाले सॉफ़्टवेयर के साथ काम करती है।

4. क्या संस्था के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

संस्था के पास समान अवसर नीति है:	हाँ, इरेडा ने 'विविधता, समानता और समावेशन' (डीईआई) नीति अपनाकर कार्यस्थल पर समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप दिया है। यह नीति संगठन के उस उद्देश्य को दर्शाती है जिसके तहत एक ऐसा सम्मानजनक, समावेशी और निष्पक्ष कार्य का माहौल बनाया जाए, जहाँ सभी लोगों को सीखने, विकास करने और टिकाऊ तरक्की के समान अवसर मिलें। कंपनी किसी भी तरह के भेदभाव या उत्पीड़न के प्रति भेदभाव-रहित और शून्य सहनशीलता दृष्टिकोण अपनाती है। नस्ल, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, मूल, भाषा, धर्म, उम्र, विकलांगता, यौन रुझान, लिंग पहचान और अभिव्यक्ति (ट्रांसजेंडर पहचान सहित), वैवाहिक स्थिति, राजनीतिक राय या एचआईवी सहित चिकित्सीय स्थितियों के बावजूद समान अवसर सुनिश्चित किया जाता है। ये सिद्धांत इरेडा की लोगों के प्रबंधन से जुड़ी कार्यप्रणालियों में शामिल किए गए हैं, ताकि कार्यस्थल पर निष्पक्षता, सम्मान और आपसी आदर को बढ़ावा दिया जा सके। इस नीति ढाँचे के ज़रिए, इरेडा एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति को सुदृढ़ करना चाहता है जो विविधता को महत्व दे, सबको साथ लेकर चलने (इनक्लूज़न) को बढ़ावा दे और कर्मचारियों की लंबे समय तक भलाई और भागीदारी का समर्थन करे।
वेब-लिंक	https://www.ireda.in/policy/dei

5. माता-पिता बनने की छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगार की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

	स्थायी कर्मचारी (कार्यपालक)		स्थायी कामगार (गैर- कार्यपालक)	
लिंग	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**100%**	**100%**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

**इस और पिछले वित्त वर्ष में किसी भी कर्मचारी ने पितृत्व सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया; इसलिए उनके काम पर लौटने और बने रहने की दर को 'लागू नहीं' के तौर पर दर्ज किया गया है।*

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों हेतु शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें:

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)
स्थायी कामगार (गैर-कार्यपालक)	हाँ, कंपनी के पास शिकायतों के समाधान के लिए एक व्यापक ऑनलाइन व्यवस्था मौजूद है। यह प्रणाली कंपनी के इंट्रानेट प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जिससे इसे प्रयोग करना आसान होता है और पारदर्शिता बनी रहती है। कर्मचारियों की शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक निर्धारित शिकायत निवारण समिति समय-समय पर बैठक करती है। सभी शिकायतों की जाँच और समाधान स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रक्रियाओं के ज़रिए समय पर किया जाता है, ताकि निष्पक्ष, व्यवस्थित और कुशल समाधान सुनिश्चित हो सके।

स्थायी कामगारों के अतिरिक्त	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी (कार्यपालक)	हाँ, कंपनी के पास शिकायतों के समाधान के लिए एक व्यापक ऑनलाइन व्यवस्था मौजूद है। यह प्रणाली कंपनी के इंट्रानेट प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जिससे इसे प्रयोग करना आसान होता है और पारदर्शिता बनी रहती है। कर्मचारियों की शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक निर्धारित शिकायत निवारण समिति समय-समय पर बैठक करती है। सभी शिकायतों की जाँच और समाधान स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रक्रियाओं के ज़रिए समय पर किया जाता है, ताकि निष्पक्ष, व्यवस्थित और कुशल समाधान सुनिश्चित हो सके।
स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त	लागू नहीं

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघ(घों) या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

संवर्ग	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)		
	संबंधित संवर्ग में कुल कर्मचारी/ कामगार (क)	संबंधित संवर्ग में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ(घों) या यूनियन का हिस्सा हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित संवर्ग में कुल कर्मचारी/ कामगार (ग)	संबंधित संवर्ग में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ(घों) या यूनियन का हिस्सा हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी (कार्यपालक)	208	0	0	150	0	0
पुरुष	157	0	0	104	0	0
महिला	51	0	0	46	0	0
कुल स्थायी कामगार (गैर-कार्यपालक)	16	0	0	16	0	0
पुरुष	15	0	0	15	0	0
महिला	1	0	0	1	0	0

8. कर्मचारियों और कामगारों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:

संवर्ग	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)					वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कर्मचारी (कार्यपालक)										
पुरुष	157	150	96%	154	98.09%	104	21	20.19%	80	76.92%
महिला	51	45	88%	48	94.12%	46	11	23.19%	26	56.52%
कुल	208	195	93.75%	202	97.12%	150	32	21.33%	106	70.66%
कामगार (गैर-कार्यपालक)										
पुरुष	15	15	100%	15	100%	15	0	0	0	0
महिला	1	1	100%	1	100%	1	0	0	0	0
कुल	16	16	100%	16	100%	16	0	0	0	0

कंपनी ने स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर अपना ध्यान और सुदृढ़ किया है, जो सीखने के प्रति एक ज़्यादा व्यवस्थित और समावेशी नज़रिए को दर्शाता है।

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्य-निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2026 (वर्तमान वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)		
	कुल (क)	सं. (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	सं. (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी (कार्यपालक)						
पुरुष	157	157	100.00%	104	104	100.00%
महिला	51	51	100.00%	46	46	100.00%
कुल	208	208	100.00%	150	150	100.00%
कामगार (ग़ैर-कार्यपालक)						
पुरुष	15	15	100%	15	15	100%
महिला	1	1	100%	1	1	100%
कुल	16	16	100%	16	16	100%

10 क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गयी है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का लाभ क्या है?

नहीं, अपने कामकाज के तरीके को देखते हुए, इरेडा ने अपने आंतरिक कार्यबल के लिए कोई अलग और औपचारिक 'व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली' (ओएचएसएमएस) नहीं बनायी है, क्योंकि कंपनी का मुख्य काम ज़्यादातर कार्यालय से जुड़ा है और इसमें कोई औद्योगिक या विनिर्माण का काम शामिल नहीं है। इसके बावजूद, कर्मचारियों की सेहत, सुरक्षा और भलाई इरेडा के संस्थागत मूल्यों का प्रमुख हिस्सा बनी हुई है, जैसा कि इसकी ईएसजी नीति में बताया गया है; यह नीति सुरक्षित और जोखिम-मुक्त कार्यस्थल का माहौल देने पर ज़ोर देती है।

परिसंपत्ति स्वामित्व की बात करें तो, इरेडा के पास 50 मेगावाट का सौर विद्युत संयंत्र है, जिसके परिचालन और रख-रखाव का काम पूरी तरह से एक बाह्य ठेकेदार को सौंपा गया है। संयंत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को लागू करने और बनाए रखने की उत्तरदायी ठेकेदारों की है, जो लागू कानूनी ज़रूरतों और मान्यता प्राप्त मानकों के अनुसार होगी। सौर विद्युत संयंत्र का संचालन आईएसओ 45001:2018 (व्यासायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) की ज़रूरतों के अनुसार किया जाता है।

इरेडा नियमित देख-रेख, निगरानी के तरीकों और ठेकेदारों के काम के समय-समय पर मूल्यांकन के ज़रिए इन सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करता है।

यह तरीका कंपनी को आउटसोर्स किए गए कामों में भी सुदृढ़ स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही यह कर्मचारियों की सुरक्षा, काम से जुड़ी सेहत और उनकी कुल भलाई से जुड़ी ईएसजी नीति में किए गए वादों के अनुरूप भी रहता है।

10 ख. इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन-सी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है?

कंपनी का मुख्य कामकाज ज़्यादातर कार्यालय से जुड़ा है, इसलिए काम से जुड़ी सेहत और सुरक्षा के खतरों के लिहाज़ से इसे कम जोखिम वाला माना जाता है। इसके अनुसार, काम से जुड़े खतरे आम तौर पर रोज़मर्रा के काम-काज के जोखिमों तक ही सीमित होते हैं, जैसे कि श्रमप्रभाविकी, बिजली से जुड़ी सुरक्षा, गृह प्रबंधन और आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारी।

इन जोखिमों की नियमित रूप से पहचान और मूल्यांकन करने के लिए, कंपनी कार्यस्थल पर सुरक्षा के मानक तरीकों का पालन करती है, जिनमें शामिल हैं:

- संभावित सुरक्षा खतरों की पहचान करने के लिए कार्यालय परिसर का समय-समय पर निरीक्षण
- कार्यक्षेत्रों और कॉमन एरिया का श्रमप्रभाव की आकलन
- कार्यालय जगह के मालिकाना हक के ढांचे (चाहे उसका प्रबंधन कंपनी करती हो या कोई बाह्य संस्था) के अनुसार, लागू कार्यस्थल सुरक्षा मानकों और भवन नियमों का पालन करना।
- संबंधित भवन मालिक (कंपनी द्वारा संचालित या बाह्य सेवा प्रदाता) के साथ मिलकर अग्नि सुरक्षा प्रणाली, आपातकालीन निकासी और खाली करने की प्रक्रियाओं की समीक्षा करना।

संबंधित भवन मालिक (कंपनी द्वारा संचालित या बाह्य सेवा प्रदाता) के साथ मिलकर अग्नि सुरक्षा प्रणाली, आपातकालीन निकासी और खाली करने की प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा करना।

सामान्य कामकाज से हटकर होने वाली परिस्थितियों—जैसे कि कार्यालय का जीर्णोद्धार, रख-रखाव का काम या आपातकालीन हालात—के लिए कंपनी पहले से ही संभावित जोखिमों का आकलन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि बचाव और जोखिम कम करने के उचित उपाय लागू किए जाएं। ये गतिविधियाँ आम तौर पर सुविधा प्रबंधन टीमों और सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करके और लागू सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करते हुए संचालित की जाती हैं।

कुल मिलाकर, यह तरीका कंपनी को एक सुरक्षित और खतरों से मुक्त कार्यालय का माहौल बनाए रखने में मदद करता है। यह माहौल कंपनी के परिचालन के कम जोखिम वाले स्वरूप और कर्मचारियों की सेहत, सुरक्षा और भलाई के प्रति उसकी व्यापक प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

10.ग. क्या आपके के पास कामगारों के लिए कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से स्वयं को दूर करने की प्रक्रियाएँ हैं।(हाँ/नहीं)

हाँ, कर्मचारियों को सुरक्षा से जुड़ी किसी भी चिंता, खतरे, घटना, बाल-बाल बची दुर्घटना, या असुरक्षित काम/हालात की जानकारी अपने रिपोर्टिंग अधिकारी, विभागीय प्रमुख, मानव संसाधान विभाग, प्रशासनिक विभाग या शिकायत निवारण प्रणाली के ज़रिए देने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि काम का माहौल सुरक्षित और उत्तरदायी बना रहे।

10. घ. क्या इकाई के कर्मचारियों/कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच प्राप्त है? (हाँ/नहीं)

कंपनी अपने कर्मचारियों की समग्र सेहत और भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई तरह की व्यापक गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है। कार्यस्थल पर मौजूद स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के तहत, रोज़ाना एक घरेलू डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। साथ ही, समय-समय पर स्वास्थ्य जांच, मुफ़्त चिकित्सा शिविर और बीमारियों से बचाव व सेहत से जुड़ी पहल भी की जाती है।

समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी आयुर्वेद थेरेपी, योग और ध्यान सत्र, और पूरी सुविधाओं वाले फिटनेस केंद्र की सुविधा भी देती है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद/नेचुरोपैथी और योग जैसे कई क्षेत्रों के अंशकालिक आगंतुक परामर्शदाता को शामिल करके चिकित्सा सहयोग को और सुदृढ़ किया गया है, ताकि कर्मचारियों को स्वास्थ्य देखभाल के अलग-अलग विकल्प मिल सकें।

अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में, कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य सूचीबद्ध अस्पतालों में नकदविहीन इलाज के हकदार हैं, जबकि गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में हुए खर्चों का भुगतान कंपनी के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। कंपनी सक्रिय रोजगार से परे अपनी प्रतिबद्धता का विस्तार करते हुए, सेवा-निवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना भी संचालित करती है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करा सकते हैं और सूचीबद्ध न किए गए अस्पतालों में प्राप्त उपचार के लिए प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।

ये पहलें समवेत रूप में कर्मचारियों की सेहत, बचाव वाली देखभाल और लंबे समय तक उनकी भलाई पर कंपनी के निरंतर ध्यान को दर्शाती हैं।

11. निम्नलिखित प्रारूप में, सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	संवर्ग	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)
समय-हानि चोट बारंबारता दर (एलटीआईएफ़आर) (प्रति दस लाख-व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
मृतकों की संख्या (सुरक्षा घटना)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
गंभीर परिणाम वाली कार्य -संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किये गये उपायों का वर्णन करें।

कंपनी प्रतिरोधक स्वास्थ्य देखभाल, देखभाल पहल और सुरक्षा उपायों के ज़रिए सुरक्षित, स्वस्थ और काम के अनुकूल माहौल बनाने पर बहुत ज़ोर देती है। कर्मचारियों की भलाई के लिए एक व्यापक व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें घरेलू चिकित्सा सुविधाएं (जैसे रोज़ाना डॉक्टर की उपलब्धता, समय-समय पर स्वास्थ्य की जांच, मुफ्त चिकित्सा शिविर और आयुर्वेद-आधारित इलाज की सुविधा) शामिल हैं।

एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद/प्राकृतिक चिकित्सा और योग सहित कई स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों के अंशकालिक आगन्तुक परामर्शदाता को शामिल करके चिकित्सा सहयोग को और सुदृढ़ किया गया है। कर्मचारियों की शारीरिक और मानसिक सेहत को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें पूरी सुविधाओं वाले फ़िटनेस सेंटर के साथ-साथ रोज़ाना योग और ध्यान सत्रों की सुविधा मिलती है।

कार्यस्थल पर सुरक्षा के नज़रिए से, यहाँ आग से सुरक्षा के लिए ज़रूरी प्रणाली (जैसे अग्नि शामक यंत्र) लगे हुए हैं और अंदर की हवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एयर प्यूरीफायर भी लगाए गए हैं। अस्पताल में भर्ती आवश्यकताओं के लिए, कंपनी ने सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ व्यवस्था की है, जिससे कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को नकदविहीन उपचार का लाभ उठाने में मदद मिलती है, जबकि गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

कंपनी सक्रिय सेवा के बाद भी स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग करती है और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना चलाती है। इस योजना के तहत, सेवानिवृत्त कर्मचारी पैनल में शामिल अस्पतालों में भर्ती होकर अपना इलाज करवा सकते हैं, और पैनल में शामिल न होने वाले अस्पतालों में इलाज कराने पर खर्च की भरपाई की सुविधा भी मिलती है।

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गयी शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2025 (वर्तमान वित्त वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियाँ	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियाँ
कार्य स्थितियाँ	0	0	0	0	0	0
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	0	0	0	0

14. वर्ष हेतु मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या सांविधिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	100% (इकाई द्वारा)
कार्य स्थितियाँ	100% (इकाई द्वारा)

15. सुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का और स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं पर विवरण प्रदान करें।

संगठन ने सभी संयंत्र और कार्यालय में 100% निर्धारण कवरेज प्राप्त कर लिया है, जिसमें आंतरिक (संस्था-संचालित) मूल्यांकन के ज़रिए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथा और काम करने की स्थितियों की पूरी तरह से समीक्षा की गई है। इस सुदृढ़ अनुपालन को कुछ सक्रिय उपायों से और भी बढ़ावा मिलता है, जैसे कि घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में एयर प्यूरीफ़ायर लगाना, और आग से जुड़ी किसी भी संभावित घटना से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निगमित कार्यालय और व्यावसायिक केंद्र में रणनीतिक जगहों पर अग्निशामक यंत्र लगाना।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) कामगारों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।

(क) कर्मचारी	हाँ
(ख) कामगार	हाँ

2. संस्था द्वारा अपनाए गये उपायों का संज्ञान दें जिससे यह सुनिश्चित हो कि सांविधिक देयों को मूल्य कड़ी भागीदारों द्वारा काट ली गयी है और जमा कर दी गयी है।

कंपनी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं कि मूल्य कड़ी भागीदारों (जैसे ठेकेदार, सेवा प्रदाता आदि) पर लागू होने वाले वैधानिक बकाये की उचित रूप से कटौती की जाए और उन्हें संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों के पास जमा किया जाए। इन उपायों में समझौतों या कार्य आदेश में कानूनी अनुपालन की शर्तें शामिल करना, कानूनी बकाया राशि जमा करने से जुड़े समय-समय पर घोषणा-पत्र और दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त करना, और भुगतान जारी करने से पहले इनवॉइस की जांच-पड़ताल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, मूल्य कड़ी भागीदारों को भुगतान लागू कानूनी ज़रूरतों का पालन करने पर ही आगे बढ़ाया जाता है और जहाँ भी कानून के तहत ज़रूरी हो, कंपनी ज़रूरी कटौतियाँ करती है।

3. उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या प्रदान करें जिन्हें उच्च नतीजतन कार्य-संबंधित चोट/बीमार स्वास्थ्य/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है:

	प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या		पुनर्वासित और उपयुक्त रोजगार में रखे गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:	
	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)
कर्मचारी	0	0	0	0
कामगार	0	0	0	0

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार सुविधा और सेवा-निवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए परिवर्तन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

यह कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के तौर पर काम करती है और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित किए गए रोज़गार, सेवानिवृत्ति और पृथक्करण मानदंड का पालन करती है। इसके अनुसार, सेवानिवृत्ति या नौकरी समाप्त करने से जुड़े मामले निर्धारित सरकारी दिशानिर्देशों के तहत आते हैं, जिससे नौकरी से जुड़े तौर-तरीकों में एकरूपता, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहती है।

अपनी सक्रिय सेवा के बाद भी कर्मचारियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, कंपनी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और कल्याणकारी उपाय प्रदान करती है। ये प्रावधान कंपनी के उस फोकस को दर्शाते हैं जो वह सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने कर्मचारियों की दीर्घकालिक भलाई और सामाजिक सुरक्षा पर रखती है।

5. मूल्य कड़ी भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य कड़ी भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं	0
कार्य स्थितियाँ	0

6. मूल्य कड़ी भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं को दूर करने के लिए की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

कंपनी ने एक संरचित हितधारक मापन प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रमुख हितधारकों की पहचान की है, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रबंधन से प्राप्त निविष्टियाँ शामिल हैं।

आंतरिक हितधारकों:

- कर्मचारी
- प्रबंधन

बाह्य हितधारक

- इक्विटी शेयरधारक
- बंधपत्रधारक
- ऋणदाता
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के ग्राहक
- सरकारी प्राधिकारी
- भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), निगमित मामलों के मंत्रालय, स्टॉक एक्सचेंज और राज्य सरकारों जैसी विनियामक संस्थाएँ।

कंपनी अपने हितधारकों के साथ नियमित रूप से प्रत्यक्ष एवं आभासी माध्यमों से संवाद करती है तथा वरिष्ठ नेतृत्व के साथ सीधे संवाद का अवसर प्रदान करती है, ताकि हितधारकों की चिंताओं का पारदर्शी, समयबद्ध एवं सक्रिय रूप से समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

2. अपनी संस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ कार्य-सहभागिता अंतराल भी बताएं।

हितधारक समूह	क्या कमजोर व हाशिए पर पड़े समूह के रूप में प्रतिचिह्नित किया गया है (हां/नहीं)	संचार चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार-पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना-पट्ट, वेबसाइट), अन्य	कार्य-सहभागिता अंतराल (वार्षिक/ अर्ध-वार्षिक/ त्रै-मासिक/अन्य - कृपया विनिर्दिष्ट करें)	उक्त कार्य-सहभागिता के दौरान उत्पन्न प्रमुख विषय और शंका सहित कार्य-सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
कर्मचारी	नहीं	ईमेल, इंटरनेट, बैठकें, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सत्र, सुझाव पेटी	रूटीन	व्यावसायिक अद्यतन, ईएसजी पहलू, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिकायत निवारण, कर्मचारी विकास।

हितधारक समूह	क्या कमजोर व हाशिए पर पड़े समूह के रूप में प्रतिचिह्नित किया गया है (हां/नहीं)	संचार चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार-पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना-पट्ट, वेबसाइट), अन्य	कार्य-सहभागिता अंतराल (वार्षिक/ अर्ध-वार्षिक/ त्रै-मासिक/अन्य - कृपया विनिर्दिष्ट करें)	उक्त कार्य-सहभागिता के दौरान उत्पन्न प्रमुख विषय और शंका सहित कार्य-सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
सरकारी निकाय (एमएनआरई आदि)	नहीं	ईमेल, फोन कॉल, बैठकें, ऑनलाइन पोर्टल, समझौता ज्ञापन, फाइलिंग	ज़रूरत-आधारित	अनुपालन, पॉलिसी संरेखण , समझौता ज्ञापन, विनियामक स्पष्टीकरण
विनियामक प्राधिकरण (सेबी, आरबीआई, आदि)	नहीं	विनियामक फाइलिंग, रिपोर्ट्स, ईमेल, फोन कॉल, बैठकें, ऑनलाइन पोर्टल	वार्षिक, त्रै-मासिक, ज़रूरत-आधारित	विनियमों, निरीक्षणों, पूछताछ, नियामक अद्यतनों का अनुपालन
निवेशक एवं शेयरधारक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट, वार्षिक रिपोर्ट, प्रस्तुतीकरण, पत्र, समाचार-पत्र	ज़रूरत-आधारित	वित्तीय अद्यतन, रणनीतिक चर्चा, शिकायत निवारण, प्रतिक्रिया और सुझाव
ग्राहक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट, पत्र, टेलीफ़ोन, ग्राहकों से मुलाक़ात, फ़ीडबैक चैनल	तिमाही, ज़रूरत के अनुसार	वित्तपोषण सेवा की गुणवत्ता, शिकायतों का समाधान, निधि के बारे में स्पष्टता को समझना
विक्रेता	नहीं	ईमेल, एसएमएस, जीईएम पोर्टल, सीपीपी पोर्टल, पत्र, टेलीफ़ोन	ज़रूरत के अनुसार	खरीद, नीति का अनुपालन, विवादों का समाधान
स्थानीय समुदाय	हाँ	सीएसआर पहल, सर्वेक्षण, मैदानी दौरा, व्यक्तिगत बातचीत, सामुदायिक बैठकें	ज़रूरत के अनुसार	सामाजिक-आर्थिक विकास, समुदाय की प्रतिक्रिया, सीएसआर परियोजना की निगरानी
उद्योग संघ (सीआईआई, आईबीए, आदि)	नहीं	संगोष्ठी, सम्मलेन, बैठकें	ज़रूरत आधारित	बेहतरीन तौर-तरीके साझा करना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देना

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श हेतु प्रक्रियाएँ प्रदान करें या यदि परामर्श का कार्य सौंपा गया है, तो ऐसे परामर्शों से बोर्ड को किस प्रकार प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है।**

   आमतौर पर प्रत्येक तिमाही में कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ ग्राहक बैठक आयोजित की जाती है। इसमें कार्यात्मक निदेशक भी शामिल होते हैं, जो बोर्ड के सदस्य भी होते हैं। इन बैठकों के दौरान, ग्राहक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों पर अपने सुझाव साझा करते हैं। इन निविष्टियों की समीक्षा की जाती है और जहाँ उचित समझा जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है और मंज़ूरी के लिए बोर्ड के पास भेजा जाता है।

   इसके अतिरिक्त, वार्षिक आम बैठक के दौरान, शेयरधारक कंपनी के कामकाज के अलग-अलग पहलुओं पर अपने सुझाव और प्रतिक्रिया देते हैं। इन निविष्टियों का मूल्यांकन किया जाता है, और जो प्रासंगिक माने जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है और जहाँ ज़रूरी हो, उन्हें बोर्ड के सामने उचित तरीके से पेश किया जाता है।

2. **क्या हितधारकों के परामर्श को पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए**

उपयोग किया जाता है (हाँ/ नहीं। यदि हाँ, तो इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया था, इनके उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

हाँ, हितधारक परामर्श पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) नीति को विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) से मिले सुझावों को शामिल करके अंतिम रूप दिया गया है।इसके अतिरिक्त, ऋण लेने वालों को ईएसएमएस नीति के ढांचे, प्रक्रियाओं और उसे लागू करने के तरीक़ों से परिचित कराने के लिए एक व्यापक कार्यशाला आयोजित की गई।

3. **कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गयी कार्रवाई और उनसे जुड़े मामलों का विवरण दें।**

निर्धारित स्थानों पर परियोजना सहित हमारी सीएसआर परियोजनाओं की जांच और मंज़ूरी 'ज़रूरत के आकलन' या संबंधित ज़िला प्रशासन/सरकारी अधिकारियों की सिफ़ारिशों के आधार पर की जाती है और इसलिए, स्थानीय समुदायों की शिकायतों का समाधान संबंधित ज़िला अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **कर्मचारी और कामगार, जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार विषयों और इकाई की नीति(यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:**

	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)		
	कुल (क)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी (कार्यपालक)						
स्थायी	208	200	96.15%	150	13	8.67%
स्थायी के अतिरिक्त	0	0	0	0	0	0
कुल कर्मचारी	**208**	**200**	**96.15%**	**150**	**13**	**8.67%**
कामगार (गैर-कार्यपालक)						
स्थायी						
(गैर-कार्यकारी)	16	16	100%	16	0	0
स्थायी के अतिरिक्त	0	0	0	0	0	0
कुल कामगार	**16**	**16**	**100%**	**16**	**0**	**0**

कंपनी ने अपने कर्मचारियों और कामगारों के लिए प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाकर, अपने कामकाज में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को शामिल करने के अपने नज़रिए को काफ़ी सुदृढ़ किया है। यह रोज़मर्रा के कामकाज में मानवाधिकारों से जुड़े पहलुओं को शामिल करने और पूरे कार्यबल में जवाबदेही को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अधिक सक्रिय कोशिश को दर्शाता है।

2. **कर्मचारियों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मज़दूरी का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:**

संवर्ग	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)					वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)				
	कुल (क)	न्यूनतम मज़दूरी के समतुल्य		न्यूनतम मज़दूरी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मज़दूरी के समतुल्य		न्यूनतम मज़दूरी से अधिक	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. ग	% (ग/क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. च	% (च/घ)
कर्मचारी (कार्यपालक)										
स्थायी	208	0	0%	208	100%	150	0	0%	150	100%
पुरुष	157	0	0%	157	100%	104	0	0%	104	100%
महिला	51	0	0%	51	100%	46	0	0%	46	100%
स्थायी को छोड़कर	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

संवर्ग	वित्त वर्ष 2026 (चालू वित्त वर्ष)					वित्त वर्ष 2025 (पिछला वित्त वर्ष)				
	कुल (क)	न्यूनतम मज़दूरी के समतुल्य		न्यूनतम मज़दूरी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मज़दूरी के समतुल्य		न्यूनतम मज़दूरी से अधिक	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. ग	% (ग/क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. च	% (च/घ)
पुरुष	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कामगार (गैर-कार्यपालक)										
स्थायी	16	0	0%	16	100%	16	0	0%	16	100%
पुरुष	15	0	0%	15	100%	15	0	0%	15	100%
महिला	1	0	0%	1	100%	1	0	0%	1	100%
स्थायी को छोड़कर	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पुरुष	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

क. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	2*	24,35,760	0	-
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1	18,00,000	1	9,60,000
बीओडी और केएमपी के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी	156	8,65,200	50	8,65,200
कामगार	15	7,12,320	1	5,16,480

***कुल 3 निदेशक मंडल में से, दो निदेशकों को लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी से पारिश्रमिक मिलता है। सरकार नामित निदेशक को कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, क्योंकि मुआवज़ा उक्त नियुक्ति पर लागू सम्बंधित सरकारी प्रावधानों के तहत निर्धारित होता है।**

पारिश्रमिक, वेतन और मज़दूरी की जानकारी वार्षिक मिलने वाले मूल वेतन के आधार पर दी जाती है। हालाँकि, इन आंकड़ों में वे भुगतान शामिल नहीं हैं जो कर्तव्यों के पालन के लिए नियमित पारिश्रमिक का हिस्सा नहीं हैं। वार्षिक वेतन-भत्ते का ढांचा, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया।

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

ख. निम्नलिखित प्रारूप में, संस्था द्वारा भुगतान की गयी कुल मज़दूरी के % के रूप में महिलाओं को दी गयी सकल मज़दूरी:

	वित्त वर्ष 26 चालू वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 25 पिछला वित्त वर्ष
कुल मज़दूरी के % के रूप में महिलाओं को दी गयी सकल मज़दूरी	25%	27.01%

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

4. क्या आपके पास मानवाधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किये गये विषयों के समाधान के लिए एक उत्तरदायी केंद्र बिंदु (व्यक्तिश:/समिति) है?

हाँ, कंपनी ने एक केंद्र बिंदु निर्धारित किया है जो अपने व्यावसायिक परिचालन की वजह से होने वाले मानवाधिकारों पर प्रभाव या उनसे जुड़े विषयों को सुलझाने के लिए ज़िम्मेदार है।

कंपनी की मानवाधिकार नीति के अनुसार, मानव संसाधन विभाग के प्रमुख या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि इस काम के लिए नोडल अधिकारी के तौर पर कार्य करते हैं। नोडल अधिकारी इन कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं:

- मानवाधिकारों से जुड़ी शिकायतों या चिंताओं को प्राप्त करना और उनका समाधान करना, और
- हितधारक को सुझाव या शिकायतें रखने के लिए एक माध्यम उपलब्ध कराना

5. मानवाधिकार विषयों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें:

मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताओं का समाधान कंपनी के स्थापित शिकायत निवारण ढांचे के माध्यम से किया जाता है, जो सभी प्रकार की शिकायतों पर लागू होता है। यह एकीकृत तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी, कामगार, समुदाय के सदस्य, निवेशक और ग्राहक सम्मिलित सभी हितधारक को अपनी चिंताएँ बताने के लिए एक समान, पारदर्शी और प्रभावदार प्रक्रिया उपलब्ध हो।

शिकायतें निर्धारित किए गए माध्यमों से दर्ज की जा सकती हैं और कंपनी की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार उनकी समीक्षा और समाधान किया जाता है। यह तरीका समय पर समाधान सुनिश्चित करता है और साथ ही मानवाधिकारों का सम्मान करने तथा अपने कामकाज और हितधारकों के साथ बातचीत में निष्पक्ष और उत्तरदायी व्यावसायिक तौर-तरीकों को बढ़ावा देने की कंपनी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गयी शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)		
	वर्ष के दौरान फाईल की गई	वर्ष के अंत में समाधान लंबित	अभ्युक्तियाँ	वर्ष के दौरान फाईल की गई	वर्ष के अंत में समाधान लंबित	अभ्युक्तियाँ
यौन उत्पीड़न	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
बाल श्रम	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
मजदूरी	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
मानवाधिकारों से संबंधित अन्य विषय	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज शिकायतें:

	वित्त वर्ष 26 चालू वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 25 पिछला वित्त वर्ष
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज की गयी कुल शिकायतें	0	0
महिला कर्मचारियों/कामगारों के % के रूप में पीओएसएच पर शिकायतें	0	0
पीओएसएच पर शिकायतों को सही ठहराया गया	0	0

संस्था के पास कार्यात्मक पीओएसएच समिति है और तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं।

***नोट:** ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

कंपनी ने भेदभाव, उत्पीड़न या अन्य अनैतिक व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों के लिए किसी भी तरह के बुरे नतीजों को रोकने के लिए सुदृढ़ सुरक्षा उपाय किए हैं। ये सुरक्षा उपाय कंपनी के 'सतर्कता तंत्र' और **'पर्दाफाश करने वाली नीति'** में शामिल हैं, जिन्हें पारदर्शिता, भरोसा और नैतिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

इस व्यवस्था के तहत, कर्मचारी और निदेशक सम्मिलित सभी संबंधित पक्षों को नेक नीयत से अपनी चिंताएँ ज़ाहिर करने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय माध्यम उपलब्ध कराया जाता है। यह नीति साफ़ तौर पर शिकायत करने वालों के ख़िलाफ़ बदला लेने, उन्हें परेशान करने या किसी भी तरह की नुकसानदेह कार्रवाई करने पर रोक लगाती है। चिंता जताने वाले व्यक्ति की पहचान सुरक्षित रखी जाती है और जहाँ तक संभव हो, उसे गोपनीय रखा जाता है।

खास परिस्थिति में, शिकायत करने वालों के पास लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क करने का विकल्प भी होता है, जिससे सुरक्षा और आज़ादी का एक अतिरिक्त स्तर सुनिश्चित होता है। जांच-पड़ताल निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा निष्पक्ष, तटस्थ और वस्तुनिष्ठ तरीके से की जाती है, और पूरी प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता के हितों और भलाई की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है।

ये उपाय समवेतरूप में मामलों की रिपोर्टिंग हेतु एक सुरक्षित, सहयोगी और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माहौल सुनिश्चित करते हैं, और सम्मान, निष्पक्षता तथा भेदभाव और उत्पीड़न के प्रति 'शून्य सहनशीलता' की कंपनी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

हाँ, मानवाधिकारों से जुड़ी ज़रूरतों को कंपनी के व्यावसायिक समझौतों और अनुबंध संबंधी ढाँचों में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। कंपनी अपने अनुबंधों में मानवाधिकारों से जुड़ी अपेक्षाओं को शामिल करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यावसायिक संबंध उत्तरदायी, नैतिक और कानूनी नियमों के पालन के साथ निभाए जाएं।

ये ज़रूरतें बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने के कंपनी के संकल्प के अनुरूप हैं और विक्रेता, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यावसायिक भागीदार के साथ होने वाले सभी लेन-देन पर लागू होती हैं। अनुबंध की शर्तों में आम तौर पर लागू कानूनों का पालन, नैतिक आचरण, भेदभाव न करना, लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और उत्तरदायी श्रम प्रथाओं पर ज़ोर दिया जाता है।

कंपनी अपने ठेकागत समझौतों में मानवाधिकारों से जुड़ी बातों को शामिल कर, अपने आंतरिक कामकाज से परे मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का दायरा बढ़ाना चाहती है और अपनी पूरी मूल्य कड़ी में उत्तरदायी व्यवहार को बढ़ावा देना चाहती है। यह तरीका जोखिम कम करने, जवाबदेही और राष्ट्रीय नियामक ज़रूरतों व मान्यता प्राप्त ईएसजी सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है।

10. वर्ष हेतु मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या सांविधिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100%
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	100%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
मजदूरी	100%
अन्य	100%

11. उपर्युक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं को दूर करने के लिए उठाये गये या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कंपनी ने व्यापक इकाई-आधारित मूल्यांकन के माध्यम से बाल श्रम, जबरन/अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल भेदभाव, मजदूरी और अन्य प्रासंगिक पहलुओं सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में 100% कवर सुनिश्चित किया है। इन मूल्यांकनों के निष्कर्षों से पता चलता है कि इन मानदंड के तहत कोई विशेष जोखिम या चिंता की बात सामने नहीं आई।

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार शिकायतों/शिकायतों का समाधान करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण:

शून्य

2. आयोजित किसी भी मानवाधिकार उचित परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण:

लागू नहीं।

3. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुरूप संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुलभ है?

हाँ, 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' की ज़रूरतों के अनुसार, कंपनी का कार्यालय दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ है। दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी सुलभ सुविधाएँ और बुनियादी ढाँचा शामिल किया गया है।

4. मूल्य कड़ी भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य कड़ी भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	
मजदूरी	
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं को दूर करने के लिए की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें:

लागू नहीं

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (गीगाजूल में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण, निम्न प्रारूप में:

मानदंड	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछले वित्त वर्ष)
नवीकरणीय स्रोतों से (गीगाजूल में)		
कुल बिजली खपत (क)	1,448.28	1,526.04
कुल ईंधन खपत (ख)	-	-
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (ग)	-	-
नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग)	1,448.28	1,526.04
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से (गीगाजूल में)		
कुल बिजली खपत (घ)	3,305.50	2,679.84
कुल ईंधन खपत (ङ)	225.93	313.41
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (च)		-
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (घ+ङ+च)	3,531.43	2,993.25
कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग+घ+ङ+च)	4979.71	4,519.29
कुल कारोबार के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/प्रचालन से राजस्व) (जीजे/मिलियन भारतीय रुपये)	0.059	0.066
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कुल कारोबार के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व) (जीजे/मिलियन अमेरिकी डॉलर)	1.214	1.382
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	लागू नहीं	लागू नहीं
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक)- संबंधित मेट्रिक का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं

पीपीपी मूल्य आईएमएफ की वेबसाइट से ली गई है; वित्त वर्ष 26 के लिए पीपीपी 20.34 है।

***नोट:** बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। नहीं, स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया।*

हाँ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन का कार्य मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया है।

2. संस्था के पास भारत सरकार की कार्य-निष्पादन, उपलब्धि और व्यावसायिक (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचाने गये कोई स्थल/सुविधाएँ हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये हैं, तो की गयी उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें:

नहीं।

3. पानी से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	-	-
(ii) भू-जल	-	-
(iii) तृतीय पक्ष जल	10,984.12	14,102.07
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	10,984.12	14,102.07
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	3,322.19*	2820.41
कुल कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता (कुल जल खपत/ परिचालन से राजस्व) (किलोलीटर/मिलियन भारतीय रु.)	0.04	0.042
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल जल खपत / परिचालन से राजस्व) (किलोलीटर/ मिलियन अमेरिकी डॉलर)	0.81	0.863
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल तीव्रता	लागू नहीं	लागू नहीं
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था द्वारा संबंधित मीट्रिक चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं

पानी की खपत की गणना इस फ़ॉर्मूले का प्रयोग करके की जाती है (जल खपत = जल निकासी – जल निकास)

***नोट:** बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। नहीं, स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया।*

हाँ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन का कार्य मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया है।

4. **जल निकास से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

मानदंड	उपचार	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
गंतव्य और उपचार स्तर के अनुसार जल निकास (किलोलीटर में)			
(i) सतही जल में		-	-
(ii) भू-जल में		-	5726.76
(iii) समुद्री जल में		-	-
(iv) तीसरे पक्ष को प्रेषित किया		1,999.53*	5554.90
(v) अन्य		5,662.40**	-
कुल जल निकास (किलोलीटर में)		**7,661.93**	**11281.66**

***नोट:** *पिछले वर्ष की तुलना में डिस्चार्ज वैल्यू में अंतर है, क्योंकि मौजूदा रिपोर्टिंग वर्ष में केरल में 50 मेगावाट का सोलर पीवी पावर प्लांट और आईबीसी ऑफिस जेडएलडी है।*

*** "अन्य" के तहत बताई गई निर्वहन मात्रा केरल में 50 मेगावाट के सोलर पीवी पावर प्लांट से संबंधित है, जहाँ पानी को प्लांट परिसर के बाहर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि वह प्राकृतिक रूप से ज़मीन में रिस जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है।*

***नोट:** बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। नहीं, स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया।*

हाँ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन का कार्य मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया है।

5. क्या इकाई ने शून्य तरल उत्सर्जन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो उसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

हाँ, कंपनी के मालिकाना हक वाले 50 मेगावाट सोलर पीवी पावर प्लांट का संचालन और रख-रखाव एक तृतीय पक्ष के ठेकेदार द्वारा किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान प्लांट से पानी छोड़े जाने की कोई सूचना नहीं मिली है, क्योंकि सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) पैनलों की सफाई में प्रयोग होने वाले पानी को सुविधा केंद्र से बाहर नहीं छोड़ा जाता है। इसके बजाय, यह स्वाभाविक रूप से जमीन में समा जाता है या वाष्पित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र से कोई अपशिष्ट जल नहीं निकलता है।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली में आईबीसी ऑफिस एक जेडएलडी सुविधा के तौर पर काम करता है। यहाँ ऑफिस से निकलने वाले गंदे पानी को कार्यस्थल पर मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में उपचारित किया जाता है और उपचार किए गए पानी का प्रयोग बागवानी, फ़र्श की सफ़ाई और कॉम्प्लेक्स के अंदर दूसरे कामों के लिए दोबारा किया जाता है।

6. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अतिरिक्त) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
एनओएक्स		लागू नहीं	लागू नहीं
एसओएक्स			
कणिका तत्व (पीएम)			
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)			
जोखिम भरा वायु प्रदूषक (एचएपी)		लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें			

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	इकाई	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो)	CO2 समतुल्य मीट्रिक टन	14.86	21.74
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो)	CO2 समतुल्य मीट्रिक टन	651.92	541.18
कारोबार के प्रति रुपये पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व)	मीट्रिक टन/ मिलियन भारतीय रु.	0.0079	0.0083
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)	मीट्रिक टन/ मिलियन अमेरिकी डॉलर	0.162	0.172
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता		लागू नहीं	लागू नहीं
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक संस्था द्वारा चुना जा सकता है	मीट्रिक टन/ भारतीय रु.	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: *बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।*

हाँ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन का कार्य मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया है।

8. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

कंपनी के पास 50 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) प्लांट है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में योगदान देता है और जीवाश्म ईंधन पर आधारित बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद करता है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, इस सौर संयंत्र से पैदा हुई बिजली की वजह से लगभग 51,005 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सका। यह पहल जलवायु परिवर्तन को कम करने, कार्बन मुक्तिकरण और टिकाऊ ऊर्जा बदलाव के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों में भी योगदान देती है।

9. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	-	-

मानदंड	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
ई-कचरा (ख)	-	-
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	-	-
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (घ)	-	-
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	-	-
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	-	-
अन्य जोखिम भरा अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (छ)	-	-
उत्पन्न अन्य गैर-जोखिम भरा अपशिष्ट (ज)। कृपया बताएं, यदि कोई हो। (संरचना के अनुसार विवरण, यानी उस क्षेत्र से संबंधित सामग्री के आधार पर) (एमटी)	10.51*	-
कुल (क+ख+ग+घ+ ङ+च+छ+ज)	**10.51**	**-**
कारोबार के प्रति रुपये अपशिष्ट तीव्रता (कुल अपशिष्ट उत्पन्न / प्रचालन से राजस्व) (एमटी/मिलियन भारतीय रुपये)	0.000126	-
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये अपशिष्ट तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल अपशिष्ट उत्पन्न / परिचालन से राजस्व) (एमटी/मिलियन अमेरिकी डॉलर)	0.002563	-
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	-	-
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक संस्था द्वारा चुना जा सकता है	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक संवर्ग हेतु, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
(i) पुनर्चक्रित	-	-
(ii) पुनः उपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन	-	-
कुल	**-**	**-**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) भू-भरण	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	-	-
कुल	**-**	**-**

***नोट:** कार्यालय में प्रति कर्मचारी, प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे की गणना अनुमान के आधार पर की जाती है। कचरे को सूखे और गीले कचरे में अलग-अलग किया जाता है।*

***नोट:** बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।*

हाँ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन का कार्य मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया है।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनायी गयी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में जोखिम भरा और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनायी गयी रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनायी गयी प्रथाओं का वर्णन करें।

इरेडा के कामकाज से मुख्य रूप से कार्यालय से जुड़ा कचरा पैदा होता है, जिसमें कागज़, प्लास्टिक और अन्य गैर-जोखिम भरा सामग्री शामिल हैं। रिपोर्टिंग वित्त वर्ष के दौरान, कोई इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न नहीं हुआ। इकट्ठा किए गए सभी कचरे को लागू नियमों के अनुसार सही ढंग से निपटाने के लिए नगर निगम को उत्तरदायीपूर्वक सौंप दिया गया।

पर्यावरण की स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए, इरेडा ने इस वर्ष कचरे को सूखे और गीले कचरे में अलग-अलग करने की प्रक्रिया शुरू की। इस पहल का उद्देश्य कचरा प्रबंधन की क्षमता को बेहतर बनाना और कार्यालय के कामकाज से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है।

11. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जंगल, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास परिचालन/कार्यालय हैं, जहाँ पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्र. सं.	परिचालन/कार्यालयों का स्थान	परिचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो उसका कारण और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गयी है, तो उसका विवरण दें।
कंपनी का कोई भी कामकाज या कार्यालय पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में या उनके आस-पास नहीं है।			

12. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किये गये परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किये गये (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

13. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इसके तहत नियम (हां/नहीं)।

क्र. सं.	उस कानून/विनियमन/दिशा-निर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालयों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो
लागू नहीं				

एक एनबीएफसी के तौर पर, इरेडा का मुख्य कामकाज कार्यालय से होता है और इसमें प्रदूषण फैलाने वाली या पर्यावरण के लिए जोखिम भरा कोई भी प्रक्रिया शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास 50 मेगावाट का सौर विद्युत संयंत्र है, जो मूल रूप से साफ़ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है।

सौर विद्युत संयंत्र का संचालन और रख-रखाव एक तृतीय पक्ष ठेकेदार द्वारा किया जाता है; हालाँकि, परिसंपत्ति के मालिक के तौर पर कंपनी यह पक्का करती है कि सभी कामकाज लागू पर्यावरण कानूनों, नियमों और कानूनी ज़रूरतों के अनुसार हों। रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान, पर्यावरण संबंधी नियमों के पालन के मामले में कंपनी पर कोई जुर्माना, दंड या नियामक कार्रवाई नहीं की गई।

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

(i) क्षेत्र का नाम

(ii) परिचालन की प्रकृति

मानदंड	उपचार	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		लागू नहीं	लागू नहीं
(i) सतही जल			
(ii) भू-जल			
(iii) तृतीय पक्ष जल			
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल			
(v) अन्य			
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)			
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)			
कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता (जल की खपत/कारोबार)			
जल तीव्रता (वैकल्पिक)- ओआरई का प्रति मीट्रिक टन			

मानदंड	उपचार	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)			
(i) सतही जल में			
- कोई उपचार नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
(ii) भू-जल में			
- कोई उपचार नहीं			
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
(iii) समुद्री जल में			
- कोई उपचार नहीं			
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
(iv) तीसरे पक्ष को प्रेषित किया			
- कोई उपचार नहीं			
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
(v) अन्य			
- कोई उपचार नहीं			
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
कुल जल निर्वहन (किलोलीटर में)			

नोट: *बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।*

2. कृपया कुल 'स्कोप 3' उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में दें:

मानदंड	इकाई	वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त 25 (पिछला वित्त वर्ष)
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (अगर उपलब्ध हो, तो जीएचजी का CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विवरण)	CO_2 के बराबर मीट्रिक टन	1607.33*	-
कारोबार के प्रति रुपये पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन	CO_2 के बराबर मीट्रिक टन/मिलियन भारतीय रुपये	0.0193	-

**स्कोप 3 उत्सर्जन का आकलन श्रेणी 1, 2, 3, 6 और 7 के अंतर्गत किया गया है।*

नोट: *बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।* ***नहीं***

3. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताये गये पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने या उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/ उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उक्त के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम का विवरण प्रदान करें:

क्र. सं.	की गयी पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, तो सारांश के साथ प्रदान किया जा सकता है)	पहल का परिणाम
1.	अपशिष्ट पृथक्करण	वर्ष के दौरान, इरेडा ने कचरे को सूखे और गीले वर्गों में बांटकर कचरा अलग-अलग करने की प्रक्रिया शुरू की। इस पहल का उद्देश्य कचरा प्रबंधन की क्षमता को बेहतर बनाना है।	कचरे को अलग-अलग करने के तरीकों को लागू करने से कचरा प्रबंधन ज़्यादा बेहतर हुआ है। इससे कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने और कचरे के उत्तरदायी निपटान के व्यवहार को बढ़ावा देने में भी मदद मिली है।

5. क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।

हाँ, इरेडा के पास एक व्यावसायिक निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है, जो उसकी व्यावसायिक निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) नीति द्वारा संचालित होती है। यह नीति एक व्यवस्थित रणनीतिक और परिचालनगत तरीका निर्धारित करती है, ताकि अंदरूनी और बाह्य जोखिमों की पहले से पहचान करके उन पर कार्रवाई की जा सके, संभावित रुकावटों को कम किया जा सके और ज़रूरी व्यावसायिक परिचालन को निरंतर जारी रखा जा सके। यह इरेडा की सूचना सुरक्षा ज़रूरतों के अनुसार सूचना सुरक्षा और निरंतरता के उपायों को शामिल करता है, जिससे मुख्य सिस्टम और डेटा की सुदृढ़ी बढ़ती है। बीसीएम फ्रेमवर्क का उद्देश्य अचानक आने वाली रुकावटों या आपातकालीन स्थितियों का समय रहते पता लगाकर, उन्हें रोककर और उनका प्रभावदार ढंग से प्रबंधन करके संगठन की स्थिरता बनाए रखना और हितधारकों के हितों की रक्षा करना है।

बीसीएम नीति इरेडा के इंट्रानेट https://www.ireda.in/policy/code-of-conduct पर उपलब्ध है।

6. इकाई की मूल्य कड़ी से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

शून्य।

7. मूल्य कड़ी भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।

सभी परियोजना ऋण का मूल्यांकन हमारे पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) फ्रेमवर्क के अनुसार, पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) प्रभावों के आधार पर किया जाता है।

8 क. संस्था द्वारा ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न किये गए या खरीदे गए हैं:

शून्य।

8 ख. शीर्ष दस मूल्य कड़ी भागीदार (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के आधार पर) द्वारा बनाए गए या प्राप्त किए गए ग्रीन क्रेडिट

शून्य।

सिद्धांत 7: व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो ऐसे में उन्हें उत्तरदायी और पारदर्शिता के साथ करना चाहिए।

आवश्यक संकेत

1. क. व्यावसायिक और उद्योग चेम्बरों/एसोसिएशनों से संबद्धता की संख्या:

पांच (5)

1. ख. शीर्ष 10 व्यावसायिक और उद्योग चेंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है

क्र. सं.	व्यावसायिक और उद्योग चेंबरों/एसोसिएशनों का नाम	व्यावसायिक और उद्योग चेंबरों/एसोसिएशनों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई)	राष्ट्रीय
2	वर्ल्ड एनर्जी काउन्सिल इंडिया	राष्ट्रीय
3	केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड	राष्ट्रीय
4	भारतीय उद्योग परिसंघ	राष्ट्रीय
5	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर	राष्ट्रीय

2. विनियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी विषय पर की गयी या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें:

क्र. सं.	सार्वजनिक नीति की वकालत	ऐसे वक्तव्य के लिए अपनायी गयी पद्धति	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्ध-वार्षिक/त्रै-मासिक/ अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
कोई नहीं					

सिद्धांत 8: **व्यवसायों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।**

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किये गये परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण:**

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किया गया (हाँ/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं					

2. **निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजना(ओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) किया जा रहा है:**

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आरएंडआर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आरएंडआर द्वारा शामिल किये गये पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गयी राशि (भारतीय रु. में)
लागू नहीं						

3. **समुदाय की शिकायतें ग्रहण करने और उनके निवारण तंत्र का वर्णन करें।**
सीएसआर परियोजनाओं की जांच और मंज़ूरी 'ज़रूरत के आकलन' या संबंधित ज़िला प्रशासन/सरकारी अधिकारियों की सिफ़ारिशों (जिसमें निर्धारित जगहों पर परियोजना भी शामिल हैं) के आधार पर की जाती है। साथ ही, स्थानीय समुदायों की शिकायतों का समाधान भी संबंधित ज़िला अधिकारी ही करते हैं।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निविष्टि सामग्री (मूल्य के अनुसार कुल निविष्टि में निविष्टि) का प्रतिशत**

	वित्त वर्ष 26 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त	26.41%	12.25%
सीधे भारत के भीतर से	100%	100%

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या कामगारों सहित) को भुगतान किये गये वेतन का प्रकटीकरण कुल मज़दूरी लागत के % के रूप में करें।**

स्थान	वित्त वर्ष 26 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)
ग्रामीण	शून्य	शून्य
अर्ध-शहरी	शून्य	शून्य
शहरी	शून्य	शून्य
महानगर	100%	100%*

****नोट:*** *हमने इस वर्ष बीआरएसआर पर उद्योग मानक नोट के अनुसार जॉब सृजन केपीआई की गणना करने के अपने तरीके में बदलाव किया है। पिछले वर्ष की गणना को संशोधित कार्य-प्रणाली के आधार पर अद्यतन किया गया है।*

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में प्रतिचिह्नित किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गयी कार्रवाई का विवरण प्रदान करें:**

नकारात्मक सामाजिक प्रभाव	सुधारात्मक कार्रवाई
इरेडा, स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं हेतु लागू एमसीए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सूचीबद्ध एजेंसियों के ज़रिए प्रभाव का आकलन शुरू करने की प्रक्रिया में है।	

2. **सरकारी निकायों द्वारा प्रतिचिह्नित नामित आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा की गयी सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गयी राशि लाख में (भारतीय रुपये में)
1	राजस्थान	जैसलमेर	10,600,000
2	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	3,975,000
3	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	8,782,906
4	उत्तर प्रदेश	चंदौली	16,885,377
5	बिहार	मुज़फ़्फ़रपुर	11,845,000
6	सिक्किम	सिक्किम पश्चिम	8,662,500
7	मध्य प्रदेश	राजगढ़	26,62,819

निर्धारित किए गए आकांक्षी जिले के लिए सीएसआर आवंटन/मंजूरी के अतिरिक्त (जिला प्रशासन के अनुरोध पर), कंपनी ने बिहार के मुजफ्फरपुर आकांक्षी जिले में ₹10,25,00,398 और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर आकांक्षी जिले में ₹31,36,767 की वित्तीय सहायता भी आवंटित/मंजूर की है।

3. (क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है, जिसके तहत आप हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)

कंपनी सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति का पालन करती है, जिसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें एमएसई से कम से कम 25% खरीद करना अनिवार्य है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% खरीद के उप-लक्ष्य शामिल हैं। कंपनी अपनी खरीद गतिविधियों में इन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करती है।

खरीद से जुड़े फैसले मिली हुई बोलियों के आधार पर लिए जाते हैं, जिनमें विक्रेता बोली जमा करते समय अपनी एमएसई श्रेणी के बारे में स्वयं जानकारी देते हैं। इसलिए, श्रेणी के हिसाब से लक्ष्य पूरे करने की कंपनी की क्षमता, मिलने वाली योग्य बोलियों की उपलब्धता और प्रतिनिधित्व पर निर्भर करती है, जिस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

ख) आप किस हाशिए पर पड़े/कमजोर समूह से खरीद करते हैं?

कंपनी सरकारी नीति के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदारी करती है। खरीदारी का वर्गीकरण विक्रेता की घोषणाओं पर आधारित होता है।

ग) यह कुल खरीद (मूल्य के हिसाब से) का कितना प्रतिशत है?

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, खरीदे गए सामान और सेवाओं के कुल मूल्य में एमएसई से खरीद 26.41%, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई से 0.64% और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से 5.93% रही। ये आंकड़े विक्रेता के दावों पर आधारित हैं, जिन पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्त वर्ष में) के स्वामित्व वाली या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किये गये लाभों का विवरण:

बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहित	साझा लाभ	लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार
लागू नहीं			

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गयी या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

प्राधिकारी का नाम	संक्षिप्त मामला	सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का %
1.	विकलांग बच्चों की सेवा के लिए "थेरेपी ऑन व्हील्स" कार्यक्रम चलाना	160	100%
2.	बीएसएफ लोंगेवाला, जैसलमेर, राजस्थान में 100 केडब्ल्यूपी ऑफ-ग्रिड एसपीवी पावर प्लांट (कार पोर्ट स्ट्रक्चर टाइप) की आपूर्ति / स्थापना / शुरुआत और रख-रखाव	500000	25%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का %
3.	राजस्थान के जयपुर में दूर-दराज़ और झुग्गी-बस्ती वाले इलाकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए मैसर्स भगवान महावीर चाइल्ड वेलफेयर ट्रस्ट को 25 सिंगल-टीचर स्कूलों के ज़रिए मदद।	500	100%
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, दिल्ली को कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) कार की खरीद, कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन, जांच और देश-विदेश से आने वाले लोगों को इसे दिखाने के लिए योगदान।	1100	32%
5.	जिला-उन्नाव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चार (4) स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन।	400	100%
6.	ओडिशा के मयूरभंज ज़िले में गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज (रायरंगपुर), गवर्नमेंट (एसएसडी) गर्ल्स हाई स्कूल (रायरंगपुर), गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल (रायरंगपुर) और स्किल ट्रेनिंग हब, पहाड़पुर में सोलर पावर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना।	3000	90%
7.	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ज़िले सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के लिए ज़रूरी चिकित्सा उपकरणों की खरीद।	1200000	100%
8.	ओल्ड गोवा में पोदार इंटरनेशनल स्कूल के पास वाटर पंपिंग स्टेशन पर 45 केडब्ल्यू ऑन-ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना।	1000	100%
9.	उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती स्थित विपासना मेडिटेशन सेंटर में 50 केडब्ल्यू ऑफ-ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना।	3000	50%
10.	ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के 11 अदद सरकारी स्कूलों में आरओ वॉटर प्यूरीफ़ायर के साथ सोलर वॉटर कूलर की आपूर्ति और स्थापना।	4087	100%
11.	इरेडा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने सीएसआर कोष से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी), नई दिल्ली को ₹50,00,000 का योगदान दिया है। यह योगदान कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों व परंपराओं को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए है, जिसमें युवा और उभरते कलाकारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।	10000	15%
12.	हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन (रेडियो कुल्लू 90.4 FM) की स्थापना और उसे चालू करना।	100000	100%
13.	हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में 11 आइस-लाइन्ड रेफ्रिजरेटर (आईएलआर) की खरीद और स्थापना।	45000	100%
14.	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ज़िले चंदौली के 21 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की आपूर्ति और स्थापना।	4046	100%
15.	मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार स्थित होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में प्रयोग के लिए विद्युतीय वाहनों की आपूर्ति और डिलीवरी।	100000	100%
16.	मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल राजगढ़ और सिविल अस्पताल ब्यावरा में हीमोडायलिसिस मशीनों और अन्य चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना।	540	100%
17.	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ज़िले बलरामपुर के 20 स्कूलों में स्मार्ट क्लास कीआपूर्ति और स्थापना।	35000	100%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का %
18.	सिक्किम के अस्पतालों में पाँच (05) डायलिसिस मशीनों की आपूर्ति और स्थापना (दो इकाई जोरथांग सीएचसी, सिक्किम में और तीन इकाई ज़िला अस्पताल, सोरेंग, सिक्किम में)	7500	100%
19.	जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कुपवाड़ा आकांक्षी ज़िले के 21 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की आपूर्ति, स्थापना और उन्हें चालू करने के लिए नवसृष्टि फ़ाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	2575	100%
20	महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर (एमपीएमएमसीसी), वाराणसी, उत्तर प्रदेश में प्रयोग के लिए 4 अदद बैटरी-संचालित (विद्युतीय) वाहनों की आपूर्ति और उन्हें चालू करने और एचबीसीएच एंड आरसी, मुजफ्फरपुर के लिए डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के तौर पर तीन अदद बीआई हेडर माइक्रोस्कोप और दो अदद मैनुअल रोटरी माइक्रोटोम की आपूर्ति और उन्हें चालू करने के लिए मैसर्स डॉक्टर्स फॉर यू (डीएफयू) को वित्तीय सहायता।	126000	100%
21	गुजरात के खेड़ा ज़िले के सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें और मल्टीपैरा मॉनिटर मशीनें उपलब्ध कराने और लगाने के लिए, इरेडा के सीएसआर कोष से 'नव अभ्युदय शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समिति' को वित्तीय सहायता।	438000	100%
22	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ज़िले चंदौली में 21 अदद सेकेंडरी स्कूलों में ऑफ़-ग्रिड रूफ़टॉप सोलर पीवी सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और चालू करने के लिए मैसर्स यूपीएसआईसी (बांदा) को वित्तीय सहायता।	148579	100%
23	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इरेडा के सीएसआर कोष से, बिहार के मधुबनी जिले में झंझारपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत 5 अदद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में से प्रत्येक पर 20 केडब्ल्यू ऑफ-ग्रिड रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए मैसर्स यूपीएसआईसी (बांदा) को वित्तीय सहायता।	875992	100%
24	महाराष्ट्र के अहिल्यानगर ज़िले में 05 अदद जगहों पर ओपन-एयर जिम की आपूर्ति और स्थापना के लिए मैसर्स स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लीज़र स्किल्स काउंसिल (एसपीईएफएल-एससी) को वित्तीय सहायता।	5000	100%
25	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इरेडा के सीएसआर फंड से 'द बाबा जसवंत सिंह ट्रस्ट डेंटल चैरिटेबल हॉस्पिटल', लुधियाना के डेंटिस्ट्री विभाग में 10 अदद डेंटल चेयर की आपूर्ति और स्थापना के लिए 'द बाबा जसवंत सिंह ट्रस्ट', लुधियाना, पंजाब को वित्तीय सहायता।	100000	100%
26	केंद्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (केंद्रीय भंडार) को निम्नलिखित की आपूर्ति, स्थापना और चालू करने के लिए वित्तीय सहायता : i. गोवा मेडिकल कॉलेज, बम्बोलिम, तिसवाडी, गोवा के पास डीडीडब्ल्यू वॉटर पंपिंग स्टेशन पर 90 केडब्ल्यू ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम; और ii. गोवा के तिसवाडी में अगस्साइम पुलिस स्टेशन के पीछे डीडीडब्ल्यू वॉटर पंपिंग स्टेशन पर 80 केडब्ल्यू ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम।	2600	100%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का %
27	जम्मू एवं कश्मीर के आकांक्षी ज़िले कुपवाड़ा में ट्रूनट मशीन, एक्स-रे स्कैनर और संचालन से जुड़े खर्च सहित मोबाइल ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) डायग्नोस्टिक और जागरूकता वाहन की आपूर्ति और उसे चालू करने के लिए'टीवाईसीआईए फ़ाउंडेशन' (टर्न योर कंसर्न इन्टु एक्शन) को वित्तीय सहायता।	200000	100%
28	हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में 'अर्ली इंटरवेंशन सेंटर' के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सामग्री की आपूर्ति और खरीद तथा ऑफिस व थेरेपी सेंटर के लिए उपकरणों की आपूर्ति और खरीद के लिए सैम्फिया फ़ाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	300	100%
29	ओलातपुर, ओडिशा स्थित एसवीएनआईआरटीएआर में 60 अदद सोलर स्ट्रीटलाइट और 4 अदद हाई मास्ट लाइट की आपूर्ति, स्थापना और शुरुआत के लिए स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च (एसवीएनआईआरटीएआर) को वित्तीय सहायता।	3775	100%
30	कर्नाटक के मत्तूरु गाँव (मथुर) में शारदा विलास स्कूल में नेट मीटरिंग सुविधा वाली विद्युत प्रणाली के अधीन 50 केडब्ल्यू ऑन-ग्रिड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की आपूर्ति, स्थापना और चालू करने तथा कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर (40 अदद) की आपूर्ति, स्थापना और संचालन के लिए मथुर होसाहल्ली शारदा स्कूल बेटरमेंट कमिटी को वित्तीय सहायता।	470	100%
31	कर्नाटक के हावेरी ज़िले में सरकारी प्राइमरी/हाई स्कूलों में 27 अदद क्लासरूम के निर्माण हेतु, वित्त वर्ष 2025-26 में इरेडा के सीएसआर कोष से ज़िला पंचायत हावेरी को वित्तीय सहायता।	2670	100%
32	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बुचिरेड्डीपालेम, कोवूर, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में ज़रूरी उपकरण की आपूर्ति और स्थापना के लिए मैसर्स वीपीआर फ़ाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	200000	100%
33	वित्त वर्ष 2025-26 में इरेडा के सीएसआर कोष के तहत, धारवाड़ एक्वेटिक और मल्टी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिमनेजियम उपकरणों और खेल उपकरण की आपूर्ति और स्थापना सहित अवसंरचना विकास के लिए धारवाड़ जिले के उपायुक्त के कार्यालय को वित्तीय सहायता।	500000	50%
34	कर्नाटक के धारवाड़ जिले में लगभग 633 (छह सौ तैंतीस) सरकारी स्कूलों के शौचालयों के रख-रखाव के लिए जेटिंग मशीनें प्रदान कराने हेतु धारवाड़ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को वित्तीय सहायता।	138000	100%

सिद्धांत 9 : व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ उत्तरदायीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका उत्तर देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।

इरेडा ने अपने ग्राहकों, हितधारकों और नागरिकों से मिलने वाली शिकायतों और प्रतिक्रिया को समय पर और उत्तरदायी से सुनने, उन पर कार्रवाई करने और उनका समाधान करने के लिए एक व्यापक, पारदर्शी और व्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। यह व्यवस्था कंपनी के 'नागरिक चार्टर' में बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप सुलभता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।

शिकायतें और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कई माध्यम

उपभोक्ता/ग्राहक इन माध्यमों से अपनी शिकायत या प्रतिक्रिया दे सकते हैं :

- इरेडा की वेबसाइट पर ऑनलाइन पूछताछ/प्रतिक्रिया पोर्टल डाल दी गई है, जो ग्राहकों को सेवा से जुड़े सवाल और प्रतिक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने की सुविधा देना।
- सतर्कता या नैतिक चिंताओं से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने के लिए समर्पित सतर्कता शिकायत पोर्टल।
- संबंधित शिकायत अधिकारी को सम्बोधित लिखित और भौतिक शिकायत जमा करना, जैसा कि नागरिक चार्टर के अधीन निर्धारित है।

एक वरिष्ठ अधिकारी, जिन्हें 'निदेशक शिकायत - महाप्रबंधक मानव संसाधन' का पद दिया गया है, ग्राहकों की शिकायतों और प्रतिक्रिया को लेने, उन्हें रिकॉर्ड करने और उनका समाधान करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्राप्त सभी शिकायतों को ठीक से रिकॉर्ड और दर्ज किया जाता है, और मिलने की तारीख से तुरंत या 3 कामकाजी दिनों के भीतर उनकी पावती दी जाती है।शिकायतकर्ता को ट्रैकिंग के लिए तारीख के साथ शिकायत का सन्दर्भ या पंजीकरण संख्या दिया जाता है। निदेशक शिकायत करने वाले पक्ष को 15 कामकाजी दिनों के भीतर शिकायत पर हुई प्रगति की जानकारी देते हैं। जिन मामलों में शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखना चाहता है, वहाँ निदेशक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हैं और शिकायत मिलने की तारीख से 30 कामकाजी दिनों के भीतर उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर शिकायत दर्ज कराने के 15 दिनों के भीतर पीड़ित पक्ष को कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को लिखकर मामले को आगे बढ़ा सकते हैं।

इरेडा अपनी शिकायत निवारण प्रणाली और डिजिटल फ़ीडबैक तंत्र के ज़रिए यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शिकायतों को तुरंत स्वीकार किया जाए और उनका समाधान हो; इसके लिए स्पष्ट आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और वरिष्ठ स्तर की निगरानी की व्यवस्था है।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं से सकल कारोबार के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/या सेवाओं का सकल कारोबार जो निम्नलिखित के बारे में जानकारी रखते हैं:-

सेवाएं	सकल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	100%
सुरक्षित और उत्तरदायीपूर्ण उपयोग	100%
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों की संख्या :

	वित्त वर्ष 26 (वर्तमान वित्त वर्ष)		अभ्युक्तियाँ	वित्त वर्ष 25 (पिछला वित्त वर्ष)		अभ्युक्तियाँ
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
विज्ञापन	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
साइबर-सुरक्षा	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यावसायिक प्रथाएं	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अनुचित व्यावसायिक प्रथाएं	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अन्य	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

4. सुरक्षा विषयों के कारण उत्पाद वापसी के उदाहरणों का विवरण:

	संख्या	वापसी के कारण
स्वैच्छिक वापसी	0	लागू नहीं
जबरन वापसी	0	लागू नहीं

इरेडा पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और बढ़ोतरी में मदद करने के लिए कई तरह की वित्तपोषण सेवा देता है। ये पेशकशें विशेष तौर पर सौर, पवन, बायोमास और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने, उनके लिए वित्तपोषण करने और उन्हें लागू करने में मदद करने के लिए बनाई गई हैं।

कंपनी किसी भी तरह के भौतिक उत्पादों के निर्माण, बिक्री या वितरण के काम में शामिल नहीं है। इसलिए, सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण उत्पाद वापस मंगाने का सवाल ही नहीं उठता।

5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

उपलब्ध नीति (हाँ/नहीं)	हाँ
वेब लिंक:	सूचना सुरक्षा नीति एक आंतरिक दस्तावेज है और यह कंपनी के इंट्रानेट के ज़रिए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

इरेडा के पास पूरे संगठन में साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए एक सूचना सुरक्षा नीति और एक स्थापित सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) मौजूद है। यह ढांचा सभी हितधारकों पर लागू होता है, जिनमें ग्राहक, कर्मचारी, शेयरधारक, व्यावसायिक भागीदार और अन्य बाह्य पक्ष शामिल हैं। इसे सूचना परिसम्पत्तियों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सूचना सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की पहचान करने, उनका मूल्यांकन करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सूचना सुरक्षा नीति एक व्यवस्थित तरीका बताती है। इसमें मूल्यांकन प्रबंधन, डेटा सुरक्षा, घटना के समय प्रतिक्रिया, सिस्टम की सुदृढ़ी (सिस्टम रेज़िलिएंस) और लागू डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस नीति को अलग-अलग कार्यात्मक स्तर पर निर्धारित प्रक्रियाओं, भूमिकाओं और उत्तरदायीयिों का समर्थन प्राप्त है।

साइबर रेज़िलिएंस और जोखिम से निपटने की तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए, इरेडा ये कदम उठाता है :

- प्रमुख प्रणाली और अनुप्रयोगों में कमज़ोरियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए, प्रत्येक छह महीने में कमजोरी मूल्यांकन और प्रवेश जांच (वीएपीटी) की जाती है।
- सुरक्षा नियंत्रण की प्रभावशीलता, आंतरिक नीति के पालन और लागू विनियामक ज़रूरतों को पूरा करने का आकलन करने के लिए समय-समय पर सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा की जाती हैं।
- संभावित साइबर खतरों का समय रहते पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए ज़रूरी आईटी अवसंरचना, नेटवर्क और सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं की निरंतर निगरानी करना।
- सुरक्षा से जुड़ी रोकथाम, पहचान और प्रतिक्रिया की क्षमताओं को बेहतर बनाने और सुरक्षित डिजिटल बदलाव की पहलों को सहारा देने के लिए आईटी और साइबर-सुरक्षा अवसंरचना में निरंतर निवेश करना।

साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा का अभिशासन और निगरानी, बोर्ड-स्तर की आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी) के ज़रिए की जाती है। विनियामक ज़रूरतों के अनुसार, आईटीएससी की देख-रेख में एक सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी) काम करती है और यह पूरे संगठन में सूचना और साइबर-सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए उत्तरदायी है। आईएससी में जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना सुरक्षा और व्यापारिक कार्य के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसे सूचना सुरक्षा नीति को लागू करने, साइबर घटनाओं की समीक्षा करने, सुरक्षा से जुड़े कामों की निगरानी करने और पूरे संगठन में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

समय-समय पर सूचना सुरक्षा अभिशासन ढांचा, साइबर सुरक्षा की स्थिति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, व्यापारिक निरंतरता और आपदा पुनर्प्राप्ति की व्यवस्थाओं और सूचना सुरक्षा से जुड़े बड़े कामों की पर्याप्तता और प्रभावदार होने की आईटीएससी समीक्षा करता है। इस अभिशासन संरचना के ज़रिए, इरेडा यह सुनिश्चित करता है कि लागू विनियामक और कानूनी ज़रूरतों का पालन करते हुए, सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा उसके कुल जोखिम प्रबंधन ढांचा और रणनीतिक लक्ष्यों का प्रमुख हिस्सा बनी रहे।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित विषयों पर की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के मामलों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक अधिकारियों द्वारा दंड/की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं है, क्योंकि कोई भी समस्या रिपोर्ट नहीं की गयी है।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें :

क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या : 0

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत :

वित्त वर्ष 2025-26 में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आने के कारण यह लागू नहीं है।

ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो: लागू नहीं है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया।

नोट: *ऊपर बताए गए बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का उचित आश्वासन मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था।*

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहाँ इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

उपलब्ध चैनल/प्लेटफ़ॉर्म (हाँ / नहीं)	हाँ
वेब लिंक :	इरेडा | वित्तपोषण योजनाएँ – वित्तपोषण संबंधी मानदंड

इरेडा के उत्पाद और सेवाओं की जानकारी अच्छी तरह से निर्धारित डिजिटल चैनलों, मुख्य रूप से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है। ये चैनल संभावित ऋणकर्ताओं, मौजूदा ग्राहकों/क्लाइंट्स और अन्य हितधारकों के लिए पारदर्शिता, आसानी से पहुँच और जानकारी के आधार पर फ़ैसले लेने की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

इरेडा की वित्तपोषण योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट के "वित्तपोषण योजनाएं" खंड में दी गई है। यह खंड इरेडा द्वारा वित्तपोषित किए गए सभी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए जानकारी का मुख्य स्रोत है।

यह वेबसाइट ये सुविधाएँ देती है :

- सौर, पवन, जल विद्युत, जैविक-ऊर्जा, पारेषण और अन्य योग्य तकनीकों सहित वित्तपोषण विकल्पों का क्षेत्र-वार व्याप्ति।
- निधि आधारित और गैर-निधि आधारित वित्तपोषण योजना की जानकारी
- वित्तपोषण के नियमों, पात्रता के मानदंडों और संभावित प्रक्रिया प्रवाह के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन
- ब्याज दर मैट्रिक्स, योजना निर्धारित प्रोत्साहन और लागू शर्तें
- मानक आवेदन प्रपत्र, जांच-सूची और कानूनी दस्तावेज़ों की ज़रूरतें
- वित्तपोषित की गई परियोजनाओं से जुड़ी खरीद संबंधी ज़रूरतें
- आवेदकों और ऋणकर्ताओं की सहायता के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उपभोक्ता जागरूकता सामग्री
- विभिन्न योजनाओं और क्षेत्रों के लिए नियुक्त अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण

इन व्यवस्थित डिजिटल चैनलों के ज़रिए, इरेडा यह सुनिश्चित करता है कि हितधारकों को उसके उत्पाद, सेवाएं और वित्तपोषण प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी साफ़, भरोसेमंद और अद्यतित तरीके से मिल सके।

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाये गये कदम।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक विशेष विकसित वित्तीय संस्थान के तौर पर इरेडा की भूमिका को देखते हुए, उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और उत्तरदायी प्रयोग की अवधारणा, कंपनी द्वारा वित्तपोषित की गई परियोजनाओं के उत्तरदायी तरीके से लागू करने और उनके संचालन के ज़रिए पूरा किया जाता है। इसीलिए, इरेडा अपने ऋण लेने वालों और परियोजना विकासकों को शिक्षित और निर्देशित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना का क्रियान्वयन पर्यावरण की दृष्टि से सही, सामाजिक रूप से उत्तरदायी और नियमों के अनुरूप हो।

इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने वाला एक मुख्य तरीका इरेडा का 'पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली' (ईएसएमएस) है। वित्तपोषित की गई परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरण और सामाजिक (ईएंडएस) जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने, उनका आकलन करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए ईएसएमएस एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है।

ऋण के मूल्यांकन की प्रक्रिया के तहत, योग्य परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक स्तर पर जांच की जाती है और संभावित प्रभावों की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। ऋण लेने वालों को उनकी परियोजना से जुड़ी लागू ई एंड एस ज़रूरतों और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे उत्तरदायी से योजना बनाना और काम पूरा करना संभव हो पाता है।

पहली संवितरण से लेकर परिचालन के चरण तक, ऋण लेने वालों को ऋण की शर्तों के अनुसार ई एंड एस के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी और रिपोर्टिंग करनी होती है। इरेडा के अधिकारी वित्तपोषण अनुबंध के अनुसार समय-समय पर परियोजना की प्रगति और उसके कार्य-निष्पादन की समीक्षा करते हैं। कंपनी, पर्यावरण और सामाजिक विषयों और ज़रूरतों पर ऋण लेने वालों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयास करती है। इसके लिए वह उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के साथ-साथ समूह-आधारित क्षमता निर्माण और जानकारी फैलाने वाले कार्यक्रम भी आयोजित करती है।

ये पहलें ऋण लेने वालों में जागरूकता को बढ़ावा देती हैं और इरेडा के ईएसएमएस के अनुपालन को आसान बनाती हैं।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र।

इरेडा ने ऐसे जोखिमों की पहचान करने, उन्हें प्रबंधित करने और उनके बारे में जानकारी देने के लिए आंतरिक प्रणाली बनाए हैं, जिनसे ज़रूरी सेवाओं में रुकावट आ सकती है या वे बंद हो सकती हैं। कंपनी अपनी 'व्यावसायिक निरंतरता प्रबंधन' (बीसीएम) नीति के अनुसार काम करती है। यह नीति एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है, जिससे उन अंदरूनी और बाह्य खतरों का सामना किया जा सके जो कंपनी के कामकाज, लक्ष्यों या प्रमुख बुनियादी ढांचे पर प्रभाव डाल सकते हैं।

जोखिम मूल्यांकन और व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित है बीसीएम जोखिम, जिससे कंपनी संभावित जोखिमों की पहले से पहचान कर सकती है और सेवा की निरंतरता पर उनके प्रभाव का आकलन कर सकती है। नीति के अनुसार, सूचना प्रणाली और डेटा सुरक्षा को बनाए रखने का काम स्थापित सूचना सुरक्षा और आईटी अभिशासन व्यवस्थाओं के ज़रिए किया जाता है।

इस नीति का उद्देश्य कंपनी और उसके हितधारकों, दोनों के हितों की रक्षा करना है। इसके लिए ऐसी क्षमता सुनिश्चित की जाती है जिससे रुकावट पैदा करने वाली घटनाओं या संभावित जोखिमों का पता लगाया जा सके, उन्हें रोका जा सके, उनके प्रभाव को कम किया जा सके और उन्हें प्रबंधित किया जा सके। इससे सेवा में रुकावट की संभावना कम हो जाती है।

4. क्या संस्था स्थानीय कानून के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण सम्पादित किया है? (हां/नहीं)

उत्पाद की जानकारी का खुलासा

हाँ। इरेडा लागू कानूनों के तहत ज़रूरी जानकारी के अतिरिक्त, अपने उत्पादों और सेवाओं से जुड़ी जानकारी भी देता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना, सोच-समझकर फ़ैसला लेने में मदद करना और ऋण लेने वालों व अन्य हितधारकों के साथ उत्तरदायी से जुड़ना है। एक विकसित वित्तीय संस्थान के तौर पर इरेडा की भूमिका को देखते हुए, इस जानकारी का उद्देश्य संभावित और मौजूदा ऋण लेने वालों को इसकी वित्तीय उत्पादों की प्रकृति, शर्तों, पात्रता की शर्तों और प्रक्रिया से जुड़ी ज़रूरतों को साफ़ तौर पर समझने में मदद करना है।

कानूनी प्रकटीकरण के अतिरिक्त, कंपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराती है। इसमें क्षेत्र-वार वित्तपोषण योजना, पात्रता के नियम, वित्तपोषण के नियम, ब्याज दरों का अनुमानित चार्ट, प्रक्रिया का तरीका, आवेदन के मानक प्रारूप, ज़रूरी दस्तावेज, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और निर्धारित अधिकारियों के संपर्क विवरण शामिल हैं। ऋण लेने वालों को ऋण लेने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मदद करने के लिए ग्राहकों की जागरूकता से जुड़ी सामग्री और मार्गदर्शक नोट भी जारी की जाती है।

उपभोक्ता प्रतिपुष्टि तंत्र

खुलासों के अतिरिक्त, इरेडा अपने मुख्य कामकाज में शामिल व्यवस्थित बातचीत के तरीकों के ज़रिए ऋण लेने वालों और हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है। ऋण लेने वालों से प्रतिक्रया और सेवा से जुड़ी जानकारी शिकायत निवारण प्रणालियों, ऑनलाइन प्रतिपुष्टि सुविधाओं, परियोजना के मूल्यांकन और निगरानी के दौरान सीधे बातचीत, और रोज़मर्रा के कामकाज से जुड़ी बातचीत के ज़रिए मिलती है। ये चैनल कंपनी को सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और ऋण लेने वालों की ज़रूरतों के प्रति तेज़ी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता को सुदृढ़ बनाने में मदद करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार);
निदेशक (वित्त) और मु.वि.अ.
(डीआईएन : 08816532)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 07 अगस्त, 2026

शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार
103 व 105, अजंता मार्केट, प्लॉट संख्या 1,
वर्धमान इंद्रप्रस्थ प्लाज़ा
आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड की वित्त वर्ष 2025-26 हेतु व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारिता रिपोर्ट में बीआरएसआर (9) मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरणों पर स्वतंत्र उचित आश्वासन रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
भारत पर्यावास केंद्र,
ईस्ट कोर्ट, कोर-4ए, प्रथम तल, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110 003

परिचय

हमें, मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा रिपोर्टिंग अवधि 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक ("वित्त वर्ष 2025-26") के लिए सेबी मास्टर परिपत्र संख्या : सेबी/एचओ/49/14/14(7)2025-सीएफडी-पीओडी2/I/3762/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 ("सेबी बीआरएसआर कोर सर्कुलर") के अधीन प्रदान की गई मूल्य कड़ी हेतु आश्वासन और ईएसजी प्रकटीकरण के लिए बीआरएसआर मुख्य - ढाँचे के अनुसार व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट ("बीआरएसआर") में बीआरएसआर मुख्य विशेषताओं के अधीन कंपनी के प्रकटीकरणों का एक स्वतंत्र उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है।

प्रबंधन और हमारी उत्तरदायी

कंपनी का प्रबंधन बीआरएसआर में डेटा और अन्य आवश्यक जानकारी को एकत्रित करने, उसका विश्लेषण करने, उसे प्रमाणित करने और प्रकट करने तथा प्रकटीकरण की सत्यनिष्ठा और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है ताकि वे किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण ग़लतफ़हमी या चूक से मुक्त हों। प्रबंधन उस डेटा और अन्य जानकारी तक पूर्ण पहुँच प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है जिस पर उसने बीआरएसआर तैयार करते समय भरोसा किया है।

हमारी उत्तरदायी है कि हम आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बीआरएसआर में सेबी बीआरएसआर मूल परिपत्र में दिए गए बीआरएसआर मुख्य विशेषताओं के संबंध में किए गए खुलासों पर उचित आश्वासन व्यक्त करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य प्राप्त करना है।

कार्य-क्षेत्र और सीमा

कार्य-क्षेत्र

हमारे कार्य-क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 हेतु सेबी बीआरएसआर मूल परिपत्र में दिए गए निम्नलिखित बीआरएसआर मुख्य विशेषताओं के आश्वासन का एक स्वतंत्र उचित स्तर शामिल है। यह आश्वासन जुड़ाव कंपनी के बीआरएसआर मुख्य खुलासों तक ही सीमित है और इसमें बीआरएसआर में शामिल मूल्य कड़ी से जुड़े ईएसजी खुलासों (यदि कोई हों) शामिल नहीं हैं।

शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार

103 व 105, अजंता मार्केट, प्लॉट संख्या 1,
वर्धमान इंद्रप्रस्थ प्लाज़ा
आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092

क्र.सं.	विशेषता	सिद्धांत	मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक
1	ग्रीनहाउस गैस फुटप्रिंट	सिद्धांत 6, प्रश्न 7	• कुल कार्य-क्षेत्र 1 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) • कुल कार्य-क्षेत्र 2 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों (CO2e) का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (दायरा 1+2)
2	जल फुटप्रिंट	सिद्धांत 6, प्रश्न 3	• कुल जल खपत (मिलियन लीटर या किलोलीटर में) • जल खपत तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित मिलियन लीटर या किलोलीटर/रुपये में) • जल खपत तीव्रता (मिलियन लीटर/उत्पाद या सेवा में)
		सिद्धांत 6, प्रश्न 4	• गंतव्य के अनुसार जल निर्वहन और मिलियन या किलोलीटर में उपचार के स्तर
3	ऊर्जा की फुटप्रिंट	सिद्धांत 6, प्रश्न 1	• जूल या गुणकों में कुल ऊर्जा खपत • नवीकरणीय स्रोतों से खपत ऊर्जा का % • प्रतिशत के सन्दर्भ में ऊर्जा तीव्रता • पीपीपी के लिए समायोजित जूल या गुणकों में ऊर्जा तीव्रता/रुपया • जूल या गुणकों में ऊर्जा तीव्रता/उत्पाद या सेवा
4	अपशिष्ट प्रबंधन	सिद्धांत 6, प्रश्न 9	• संस्था द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट से संबंधित विवरण (संवर्गवार) • अपशिष्ट तीव्रता • उत्पन्न अपशिष्ट का प्रत्येक संवर्ग, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालनों के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट • उत्पन्न अपशिष्ट के प्रत्येक संवर्ग के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट
5	कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा में वृद्धि	सिद्धांत 3, प्रश्न 1(ग)	• कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और स्थायी के अतिरिक्त अन्य सहित) के कल्याण के उपायों पर खर्च की गई लागत

शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार

103 व 105, अजंता मार्केट, प्लॉट संख्या 1,
वर्धमान इंद्रप्रस्थ प्लाज़ा
आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092

क्र.सं.	विशेषता	सिद्धांत	मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक
		सिद्धांत 3, प्रश्न 11	• सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण
6	व्यवसाय में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना	सिद्धांत 5, प्रश्न 3(ख)	• संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मज़दूरी
		सिद्धांत 5, प्रश्न 7	• पीओएसएच पर शिकायतें
7	समावेशी विकास को सक्षम बनाना	सिद्धांत 8, प्रश्न 4	• कुल खरीद के % के रूप में एमएसएमई/छोटे उत्पादकों और भारत में कहीं से प्राप्त निविष्ट सामग्री
		सिद्धांत 8, प्रश्न 5	• छोटे शहरों में रोज़गार सृजन - छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या अस्थायी/अनुबंध पर) को कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में भुगतान की गई मजदूरी
8	ग्राहकों और आपूर्तिकारों के साथ जुड़ाव में निष्पक्षता	सिद्धांत 9, प्रश्न 7	• कुल डेटा उल्लंघनों या साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिशत के रूप में ग्राहकों के डेटा की हानि/उल्लंघन से संबंधित मामले
		सिद्धांत 1, प्रश्न 8	• देय खातों के दिनों की संख्या
9	व्यवसाय का खुलापन	सिद्धांत 1, प्रश्न 9	• व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद और बिक्री का संकेंद्रण • संबंधित पक्षों के साथ ऋण एवं अग्रिम और निवेश

आश्वासन पद्धति

आश्वासन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, हमने निम्नलिखित पर निर्भर किया है:

ढांचे-:

- सेबी बीआरएसआर मूल आश्वासन परिपत्र
- सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर /2024/177 दिनांक 20 दिसंबर, 2024 के मार्फ़त बीआरएसआर कोर की रिपोर्टिंग पर उद्योग मानक
- ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल पद्धति
- केंद्रीय भू जल बोर्ड (केंद्रीय) दिशा-निर्देश

शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार

103 व 105, अजंता मार्केट, प्लॉट संख्या 1,
वर्धमान इंद्रप्रस्थ प्लाज़ा
आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092

- आश्वासन जुड़ाव पर अंतरराष्ट्रीय मानक ("आईएसएई") 3000 (संशोधित)- ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखा-परीक्षा या समीक्षा के अतिरिक्त अन्य आश्वासन जुड़ाव

पद्धति :-

आश्वासन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, हमने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- बीआरएसआर (9) मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत प्रकटीकरणों की समीक्षा की, जिसमें (9) ईएसजी विशेषताओं के अंतर्गत प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के एक समूह सम्मिलित आश्वासन के ढांचे को शामिल किया गया है।
- गणना और रिपोर्टिंग के आधार पर डेटा, दस्तावेज़ों और अन्य सूचनाओं की समीक्षा की गई।
- हमने डेटा एकत्र करने, मिलान करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को समझने के लिए स्थिरता, पर्यावरण सामाजिक अभिशासन (ईएसजी) के लिए उत्तरदायी प्रबंधन के संबंधित कार्मिकों और सलाहकार और उनकी टीम का साक्षात्कार लिया।
- रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यालयों के लिए समेकन की जाँच की।
- रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में एकरूपता का आकलन करने के लिए डेटा परीक्षण आयोजित की गई। इसमें रिकॉर्ड का मूल्यांकन और नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित परीक्षण करना शामिल था।
- कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न मान्यताओं, अनुमानों और भौतिकता सीमाओं की उपयुक्तता का आकलन किया।
- जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने डेटा और सूचना की नमूना-आधारित समीक्षा की है।

हमारी राय

हमें प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेज़ों, हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बीआरएसआर में प्रकट की गई बीआरएसआर मुख्य विशेषताएँ, सेबी बीआरएसआर मूल आश्वासन परिपत्र में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्ट की गई हैं।

स्वतंत्रत कथन

हम कंपनी के वैधानिक लेखा-परीक्षक के तौर पर भी काम कर रहे हैं। हम पुष्टि करते हैं कि न तो हमने और न ही हमारे किसी सहयोगी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी या उसकी समूह इकाइयों को ऐसी कोई गैर-लेखा-परीक्षा, गैर-आश्वासन,गैर-आकलन या परामर्श सेवाएँ प्रदान की हैं, जिनसे सेबी बीआरएसआर कोर फ्रेमवर्क के तहत हमारी स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव पड़े या हितों का टकराव पैदा हो।

उपयोग या वितरण पर प्रतिबंध

यह आश्वासन कथन, जिसमें निष्कर्ष भी शामिल है, केवल कंपनी के अनुरोध पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बीआरएसआर में किए गए प्रकटीकरणों के संबंध में वैधानिक दायित्वों को पूरा करने हेतु तैयार किया गया है। हमारी रिपोर्ट का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पक्ष के प्रति, जिसे हमारी रिपोर्ट दिखाई जाती है या जिसके हाथों में यह हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना आ सकती है, कोई दायित्व स्वीकार या स्वीकार नहीं करते हैं।

सीमाएँ

इस आश्वासन अनुबंध के अंतर्गत हमारा कार्य-निष्पादन निम्नलिखित सीमाओं के अधीन है:

शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार
103 व 105, अजंता मार्केट, प्लॉट संख्या 1,
वर्धमान इंद्रप्रस्थ प्लाज़ा
आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092

- कंपनी के साथ सहमत कार्य-क्षेत्र के आधार पर, उचित आश्वासन की सीमा कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के सभी कार्यालयों में संचालन को कवर करती है। इसके अतिरिक्त, यह आश्वासन केवल वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बीआरएसआर मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरणों के लिए दिया जा रहा है।
- आश्वासन अनुबंध के दौरान, हमने कंपनी द्वारा प्रदान किए गए डेटा और जानकारी पर भरोसा किया है। हमने यह मान लिया है कि कंपनी ने हमें आश्वासन के निष्पादन के लिए आवश्यक पूर्ण और प्रामाणिक डेटा तथा अन्य जानकारी प्रदान की है। कुछ मामलों में, कंपनी ने तृतीय-पक्ष डेटा स्रोतों पर भरोसा किया है। हमने उस डेटा स्रोत की प्रामाणिकता का सत्यापन नहीं किया है।
- गैर-वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन और मापन करने के लिए स्थापित मानकों के एक महत्वपूर्ण निकाय का अभाव, विभिन्न लेकिन स्वीकार्य माप तकनीकों की अनुमति देता है, जो संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकता है।
- बीआरएसआर तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की उत्तरदायी है। बीआरएसआर में बताई गई वित्तीय डेटा, 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण से ली गई है, जिस पर हमने 29 मई, 2026 को एक अलग वैधानिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। अन्य सभी डेटा और खुलासों के लिए, इस जुड़ाव के तहत अपनी आश्वासन प्रक्रियाओं को पूरा करने के आधार के तौर पर हमने प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्रोत रिकॉर्ड, जानकारी और प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है।
- यह आश्वासन जीएचजी प्रोटोकॉल के अनुसार आकलन/माप त्रुटियों और चूकों के लिए भौतिकता सीमा के आधार पर अनिश्चितता पर विचार करता है।
- यह आश्वासन कंपनी के उन कथनों को कवर नहीं करता है जो किसी भी प्रकार की राय, दावे, विश्वास, आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ, लक्ष्य या भावी इरादे, यदि कोई हों, व्यक्त करते हैं।
- यह आश्वासन बीआरएसआर मुख्य विशेषता के संबंध में किए गए प्रकटीकरणों के संबंध में कानूनी अनुपालन की समीक्षा शामिल नहीं करता है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009989N

हस्ता./-
सीए मनीष गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या : 095518
यूडीआईएन : 26095518JTBLX12515

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2026

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन को वित्त वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) हेतु कंपनी के कार्य-निष्पादन की समीक्षा सहित उद्योग परिदृश्य पर अवलोकन प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

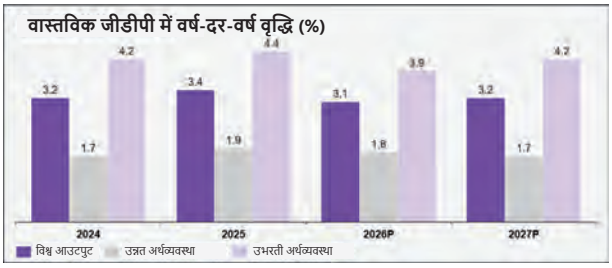
1. वैश्विक व्यावसायिक दृष्टिकोण और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) बाजार

वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 2026 में वैश्विक आर्थिक गतिविधि सुदृढ़ रही, लेकिन इसमें असमानता बनी रही। कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आसान मौद्रिक स्थितियों और उभरते बाजारों में निरंतर तेज़ी से विकास को सहारा मिला, भले ही व्यावसायिक में बंटवारा, भू-राजनितिक तनाव और वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव मुख्य जोखिम बने रहे।

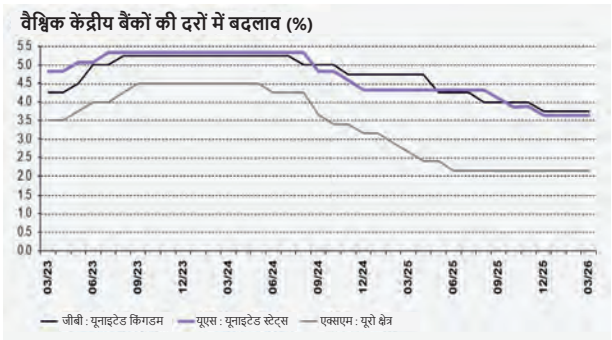
आईएमएफ के ताज़ा अनुमान के अनुरूप, वर्ष 2026 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि 3.1% और वर्ष 2027 में 3.2% रहने की उम्मीद है। यह वर्ष 2025 के लिए अनुमानित 3.4% की वृद्धि से कम है, जो मध्य पूर्व में चल रहे टकराव और व्यावसायिक नीति को लेकर अनिश्चितता के प्रभाव को दिखाता है।

भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से, वैश्विक हेडलाइन महंगाई दर के वर्ष 2025 में 4.1% से बढ़कर वर्ष 2026 में अस्थायी रूप से 4.4% होने और फिर वर्ष 2027 में घटकर 3.7% पर आने का अनुमान है।



चित्र 1 वास्तविक जीडीपी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)
[स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष]

वर्ष 2022-23 के तीव्र सख्ती चक्र के बाद, मुद्रास्फीति कम होने के कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत दरें आम तौर पर कम हो गई हैं या कम स्तर पर बनी हुई हैं। इससे ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत वाले अवसंरचना के लिए वित्तपोषण की स्थिति बेहतर हो रही है, हालांकि कई बाज़ारों में दरें अभी भी महामारी से पहले के स्तर से ऊपर बनी हुई हैं।



चित्र 2 वैश्विक केंद्रीय बैंकों की दरों में उतार-चढ़ाव (%)
[स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस)]

वैश्विक आरई बाजार की रूपरेखा

आरई और कम-कार्बन वाली ऊर्जा प्रणाली में बदलाव के लिए निवेश बढ़ाना

वर्ष 2025 में, कम-कार्बन वाली ऊर्जा व्यवस्था में बदलाव के लिए वैश्विक निवेश रिकॉर्ड 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 8% ज़्यादा है। इस निवेश का ज़्यादातर हिस्सा विद्युतीकृत परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा और पावर ग्रिड में लगाया गया। जलवायु-प्रौद्योगिकी इक्विटी वित्तपोषण में 53% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, जिससे निरंतर तीन वर्ष की गिरावट का सिलसिला थम गया; वहीं, ऊर्जा परिवर्तन परियोजनाओं के लिए डेब्ट-इश्यूएंस (कर्ज़ जारी करने) का आंकड़ा 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुँच गया। व्यावसायिक में रुकावटों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, इन संकेतकों में एक साथ सुधार वैश्विक ऊर्जा बदलाव की संरचनात्मक सुदृढ़ी की पुष्टि करता है।

सौर ऊर्जा के नेतृत्व में अकेले नवीकरणीय ऊर्जा निवेश वर्ष 2025 में लगभग 690 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया। दुनिया के कुछ हिस्सों में अभी भी मुश्किल वित्तपोषण स्थितियों के बावजूद, बड़े पैमाने पर सौर, पवन, भण्डारण और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजी का प्रवाह जारी रहा, जो साफ़-सुथरी ऊर्जा में निवेश की ओर हो रहे संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है।

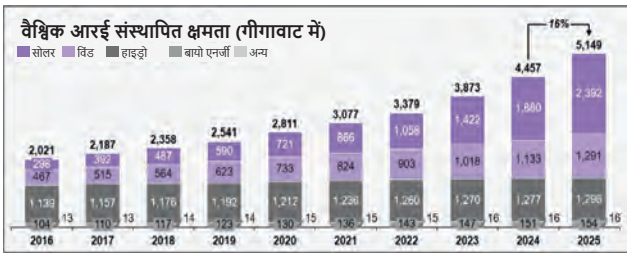
नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक क्षमता वृद्धि

वर्ष 2025 में नवीकरणीय विद्युत क्षमता 692 गीगावाट (+15.5%) बढ़ी। क्षमता विस्तार का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा सौर ऊर्जा के रूप में था, जिसमें 511 गीगावाट (+27.2%) की वृद्धि हुई; इसके बाद पवन ऊर्जा का स्थान रहा, जिसमें 159 गीगावाट (+14.0%) की बढ़ोतरी हुई। नवीकरणीय जल विद्युत क्षमता 18.4 गीगावाट (+1.4%) बढ़ी; जैविक ऊर्जा 3.4 गीगावाट (+2.3%) और भू-तापीय ऊर्जा 0.3 गीगावाट (+1.7%) बढ़ी।

वर्ष 2025 में भी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में सौर और पवन ऊर्जा का दबदबा बना रहा; कुल निवल नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ोतरी में इन दोनों की हिस्सेदारी 96.8% रही। वर्ष 2025 में अब तक की सबसे ज़्यादा वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता की बढ़ोतरी और प्रतिशत के हिसाब से रिकॉर्ड स्तर पर सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है।

भले ही वर्ष 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और विकास में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी, फिर भी देशों और क्षेत्रों के बीच काफी अंतर मौजूद है। वर्ष 2025 में नई क्षमता का ज़्यादातर हिस्सा (74.2%) एशिया का था, जिसने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 513.3 गीगावाट की बढ़ोतरी करके इसे 2,891 गीगावाट (दुनिया भर की कुल क्षमता का 56.1%) तक पहुँचाया। इस बढ़ोतरी का ज़्यादातर हिस्सा चीन (+440.1 गीगावाट) में हुआ। वर्ष 2025 में यूरोप की क्षमता 76.8 गीगावाट (+9.0%) बढ़ी, जिसमें जर्मनी का प्रमुख योगदान रहा और उसने 20.5 गीगावाट से ज़्यादा क्षमता जोड़ी। यूक्रेन में वर्ष 2024 में क्षमता में 7.5 गीगावाट से ज़्यादा की उल्लेखनीय कमी आई, और वर्ष 2025 में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया।

इस बीच, अमेरिका में स्थापना की वजह से उत्तरी अमेरिका में क्षमता 42.1 गीगावाट (+7.4%) बढ़ गई। अफ्रीका में अब तक की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र की वजह से 11.3 गीगावाट (+15.9%) की वृद्धि हुई। ओशिनिया की स्थापित क्षमता में 6.1 गीगावाट (+8.6%) की बढ़ोतरी हुई, जिसका मुख्य कारण ऑस्ट्रेलिया में हुई बढ़ोतरी थी; वहीं सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन में क्षमता 9.1% (+1.8 गीगावाट) बढ़ी, जो वर्ष 2016 के बाद से सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है। वर्ष 2025 में मध्य पूर्व ने 28.9% (+12.7 गीगावाट) की अपनी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दर्ज की, जिसमें सऊदी अरब का हिस्सा सबसे ज़्यादा रहा।



चित्र 3 टेरावाट में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता [स्रोत: आईआरईएनए]

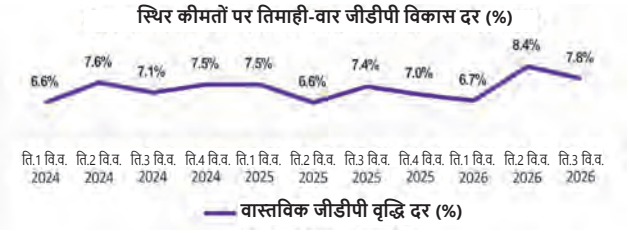
वर्ष 2025 में कुल क्षमता विस्तार में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 85.6% थी, जो वर्ष 2024 में 92.0% थी। हालांकि, कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा वर्ष 2024 में 46.3% से बढ़कर वर्ष 2025 में 49.4% हो गया, जो यह साबित करता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार गैर- नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि से ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज़ी को देखते हुए, वर्ष 2030 तक वैश्विक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट से ज़्यादा करने के सीओपी28 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस दशक के बचे हुए समय में इसके प्रयोग को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाना होगा और बड़े पैमाने पर वित्तपोषण की ज़रूरत होगी। इससे नवीकरणीय ऊर्जा में वित्तपोषण करने वालों के लिए लंबे समय के मौके और सुदृढ़ होंगे।

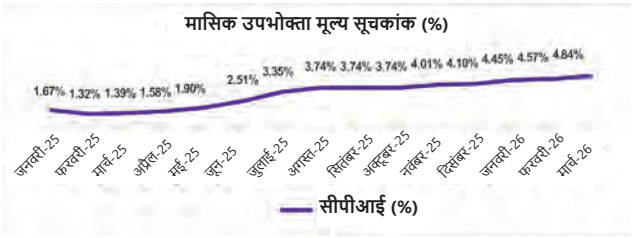
2. भारत का व्यावसायिक दृष्टिकोण और नवीकरणीय ऊर्जा बाजार

भारत का आर्थिक दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 2025-26 तक भारत का मैक्रो-इकोनॉमिक दृष्टिकोण सुदृढ़ बना रहा। एमओएसपीआई के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (एनएसओ) द्वारा जारी पहले अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 25-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का शुरुआती अनुमान 7.4% लगाया गया था। इसमें स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी के 201.90 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 24-25 के लिए यह अनुमानित आंकड़ा 187.97 लाख करोड़ रुपये था। इसके बाद, आधार वर्ष को 2022-23 में बदलने के बाद, एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमानों में पूरे वर्ष की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को बढ़ाकर 7.6% (वित्त वर्ष 24-25 में दर्ज 7.1% की तुलना में) कर दिया गया, जबकि नाममात्र जीडीपी के 8.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह समुन्नत बेहतर डेटा पकड़ और सुदृढ़ वृद्धि की राह, दोनों को दर्शाता है। वित्त वर्ष 25-26 में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में 9.0% से ज़्यादा की वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि विनिर्माण क्षेत्र ने दोहरे अंक की वृद्धि प्राप्त की और अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ कार्यनिष्पादन में प्रमुख योगदान दिया।



चित्र 4 वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर (%) - आधार वर्ष 2022-23 के साथ
[स्रोत: एमओएसपीआई]



चित्र 5 आधार वर्ष 2024 के साथ मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक %
[स्रोत : एमओएसपीआई]

आगे की बात करें तो, आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 26-27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे पता चलता है कि बाह्य माहौल में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा।

स्वच्छ ऊर्जा में पारंपरिक और स्थिर क्षेत्र	हरित वित्तपोषण के उभरते क्षेत्रों को गति मिल रही है	स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य में नया और विकसित होता हुआ क्षेत्र
– ज़मीन पर लगे सौर और अवसंरचना – छत पर लगे सौर – तैरते हुए सौर – तटवर्ती पवन – हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा	– नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण (सोलर पीवी विनिर्माण, डब्ल्यूटीजी विनिर्माण, इलेक्ट्रोलाइज़र)	– बैटरी भण्डारण परियोजनाएं – पंप्ड-हाइड्रो स्टोरेज
– लघु जलविद्युत – वृहद जलविद्युत	– विद्युतीय वाहन बेड़ा (4-पहिया वाहन, ई-रिक्शा, 2-पहिया वाहन आदि)	– विद्युतीय वाहन और बैटरी भण्डारण मूल्य-कड़ी (चार्जिंग अवसंरचना सहित) – बैटरी और ईवी रीसाइक्लिंग
– जैव ईंधन (बायोगैस, बायोएथेनॉल) – बायोमास और सह-उत्पादन – अपशिष्ट से ऊर्जा	– हरित पारेषण गलियारा – माइक्रोग्रिड	– ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न
– ऊर्जा दक्षता	– स्मार्ट मीटरिंग	– अपतटीय पवन

चित्र 6 भारत में रेपो रेट की प्रवृत्ति [स्रोत : आरबीआई]

वित्त वर्ष 25-26 में महंगाई का घटनाक्रम उल्लेखनीय रहा। हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति निरंतर नौ महीनों तक घटी और जुलाई 2025 में 1.6% के आठ वर्ष के निचले स्तर पर पहुँच गई, जिसके बाद अगस्त में यह मामूली रूप से बढ़कर 2.1% हो गई, जो आरबीआई की निर्धारित सीमा के भीतर ही रही। खाने-पीने की चीज़ों की कीमतों में नौ महीने तक निरंतर 10.5% की भारी गिरावट - जो सीपीआई सीरीज़ में सबसे लंबी गिरावट थी - इस नरमी की मुख्य वजह थी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए पूरे वर्ष की सीपीआई महंगाई दर का अनुमान काफी घटाकर 2.6% कर दिया है। यह बदलाव खाने-पीने की चीज़ों की कीमतों में आम मौसमी प्रवृत्ति के उलट, उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से आई गिरावट को दिखाता है।

महंगाई के काबू में रहने की इस स्थिति को देखते हुए, आरबीआई ने नरमी लाने की एक नपी-तुली लेकिन निर्णायक प्रक्रिया अपनाई। वित्त वर्ष 25-26 के दौरान, आरबीआई ने रेपो रेट में चार बार कटौती की : फरवरी 2025 में (6.50% से घटाकर 6.25%), अप्रैल 2025 में (6.00% तक), जून 2025 में (50 बीपीएस की बड़ी कटौती के साथ 5.50% तक) और दिसंबर 2025 में (5.25% तक)। इस तरह, पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई। नए कैलेंडर वर्ष की पहली एमपीसी बैठक में, जो फरवरी 2026 में हुई, आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखा। इससे पता चलता है कि आरबीआई को विकास और महंगाई के बेहतर होते हालात पर

भरोसा है, साथ ही वह पहले की गई कटौती के प्रभाव का आकलन करने के लिए थोड़ा रुकना चाहता है।

वर्ष भर आरबीआई की नीति के रुख में बदलाव - तटस्थ से समायोजनात्मक और फिर से तटस्थ – विकास को बढ़ावा देने और साथ ही 4% सीपीआई के मध्यावधि लक्ष्य पर बने रहने के उसके संतुलित नज़रिए को दिखाता है। फरवरी 2026 तक, आरबीआई ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया और वर्ष के लिए महंगाई का अनुमान 2.1% लगाया; साथ ही, वित्त वर्ष 26-27 की पहली छमाही में शीर्ष और मुख्य मुद्रास्फीति, दोनों के ही 4% के लक्ष्य के बराबर या उससे कम रहने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 25-26 में राजकोषीय नीति, विकास को बढ़ावा देने वाले निवेश और समझदारी भरे कंसोलिडेशन (वित्तीय मजबूती) के दोहरे लक्ष्यों पर केंद्रित रही। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में 11.21 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है, जो जीडीपी का 3.1% है; साथ ही, राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी का 4.4% लगाया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% तक लाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है; वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान 4.4% रहा है, जिससे ज़्यादा सरकारी पूंजीगत व्यय और राजकोषीय समझदारी के बीच संतुलन बना है।

वित्त वर्ष 2026-27 हेतु, वित्त मंत्री ने सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है - जो वित्त वर्ष 2025-26 के मुकाबले 11.5% ज़्यादा है - साथ ही राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3% तक और कम करने का लक्ष्य भी रखा है। सरकार ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य वाले ढांचे से हटकर 'डेब्ट-टू-जीडीपी' (ऋण-से-जीडीपी) ढांचे को अपनाया है, जिसका उद्देश्य मार्च 2031 तक केंद्र सरकार के कर्ज-से-जीडीपी अनुपात को 50% (±1%) तक लाना है। भारत के राजकोषीय आधार में आया यह संरचनात्मक बदलाव, व्यापक आर्थिक स्थिरता और निवेशकों के भरोसे के प्रति लंबी अवधि की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा बाजार व विकास का अवलोकन

31 मार्च 2026 तक, भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, बडी जल विद्युत परियोजना समेत -275 गीगावाट तक पहुँच गई है, जो वर्ष-दर-वर्ष -25% की शानदार वृद्धि को दर्शाता है।

हालांकि ये उपलब्धियां प्रभावशाली हैं, लेकिन विस्तार की गति और तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस स्तर के विस्तार को प्राप्त करने के लिए निवेश की ज़रूरत होगी, जिसके लिए सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के वित्त को उगाहना ज़रूरी होगा।

उत्पादन स्रोत	सभी मान गीगावाट में हैं						
	31.03.2022 को	31.03.2023 को	31.03.2024 को	31.03.2025 को	31.03.2026 को	31.03.2027 को ई*	31.03.2032 को ई
सौर ऊर्जा	53.9	66.7	81.8	105.6	150.3	185	364
पवन ऊर्जा	40.3	42.6	45.8	50	56.1	73	122
लघु जल विद्युत	4.8	4.9	5	5.1	5.2	5.2	5.5
बृहद जल विद्युत	46.7	46.8	46.9	47.7	51.4	52.4	62.2
बायोमास (डब्ल्यूटीई सहित)	10.68	10.80	10.93	11.5	11.8	13	15.5
कुल	**156**	**172**	**190**	**220**	**275**	**329**	**569**

तालिका 1 भारत में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता – वास्तविक और अनुमानित [स्रोत: सीईए]

*'ई' का मतलब अनुमान है। इसके अतिरिक्त, 2022-32 की अवधि के लिए सीईए की नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान (एनईपी) के अनुसार, एनईपी में नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित क्षमता के तहत 7.4 गीगावाट (वित्त वर्ष 27) और 26.7 गीगावाट (वित्त वर्ष 32) की अतिरिक्त पीएसपी का अनुमान लगाया गया है।

सौर ऊर्जा – नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संवर्धन में मुख्य चालक

पिछले दशक में, सौर विद्युत भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास का मुख्य चालक रही है और अब यह कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 55% हिस्सा है। इसी प्रवृत्ति को देखते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 44.6 गीगावाट सोलर पीवी क्षमता जोड़ी गई, जो कुल क्षमता वृद्धि का 80% थी।

नीति और विनियामक विकास

वित्त वर्ष 25-26 में भारत की नीति और विनियामक परिवेश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए बहुत मददगार बना रहा।

वर्ष के दौरान, एमएनआरई ने स्वच्छ ऊर्जा मांग को प्रोत्साहित करने के लिए नया बाजार लिखत पेश किया - 500 मेगावाट आरई परियोजनाओं के लिए अंतर अनुबंध (सीएफडी) हेतु पायलट योजना, एक विश्व स्तर पर सिद्ध तंत्र जो प्रतिस्पर्धी मूल्य खोज को संरक्षित करते हुए विकासक को स्थिर राजस्व की गारंटी देता है।

इसके अतिरिक्त, एमएनआरई ने सितंबर 2025 में भू-तापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति जारी की। इसका उद्देश्य देश में भू-तापीय ऊर्जा की खोज, विकास और वाणिज्यिक प्रयोग को बढ़ावा देना, देश के नवीकरणीय ऊर्जा मिक्स का दायरा बढ़ाना और भारत के 'नेट ज़ीरो 2070' के संकल्प को पूरा करने में मदद करना है।

इसके साथ ही, एमएनआरई की सिफारिश पर, एमपी ने 'ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001' के तहत 'नवीकरणीय खपत दायित्व' (आरसीओ) ढांचे में संशोधन किया। इसके तहत, राज्य-स्तरीय आरपीओ लक्ष्यों को आरसीओ ढांचे में शामिल कर लिया गया, जिससे 'विद्युत अधिनियम, 2003' के अंतर्गत दोहरे दायित्वों की स्थिति समाप्त हो गई।

इसके अतिरिक्त, सीईआरसी ने विनियामक संस्थाओं द्वारा नवीकरणीय खपत दायित्व (आरसीओ) के नियमों का पालन आसान बनाने के लिए, आभासी विद्युत खरीद अनुबंध को अहस्तान्तरित निर्धारित डिलीवरी (एनटीएसडी) ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ठेकों के तौर पर लागू करने के लिए मार्गदर्शन जारी कीं। इसके अतिरिक्त, सीईआरसी ने पावर एक्सचेंज पर 'ऑब्लिगेटेड' बाध्य और गैर-बाध्य संस्थाओं के बीच कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट (सीसीसी) की ट्रेडिंग के लिए नियम और शर्तें जारी कीं। इससे भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के एक प्रमुख हिस्से को लागू किया गया। यह ढांचा स्वच्छ ऊर्जा के लिए बाजार के ढांचे को और सुदृढ़ बनाता है और कार्बन-क्रेडिट मॉनेटाइज़ेशन के ज़रिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों के लिए कमाई का एक और ज़रिया बनाता है।

वित्तपोषण नज़रिए से देखें तो, भारत के ऊर्जा परिवर्तन हेतु पूँजी की उपलब्धता निरंतर बढ़ रही है। इसमें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, सार्वजनिक -क्षेत्र से ऋण की प्रतिबद्धता, बहुपक्षीय समर्थन और अवसंरचना निधि, पेंशन पूँजी और रणनीतिक निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी प्रमुख भूमिका निभा रही है।

फिर भी, पारेषण की तैयारी और शुल्क व छूट से जुड़ी नीति की निश्चितता इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख जोखिम बनी हुई है। अंतर-राज्यीय नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार, ग्रीन हाइड्रोजन और भण्डारण से जुड़े उत्पादों का अर्थशास्त्र समय पर ग्रिड के विस्तार और एक स्थिर विनियामक व्यवस्था पर निर्भर बना रहेगा।

3. भारत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य पर क्षेत्रवार दृष्टिकोण

स्वच्छ ऊर्जा में पारंपरिक और स्थिर क्षेत्र	हरित वित्तपोषण के उभरते क्षेत्रों को गति मिल रही है	स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य में नया और विकसित होता हुआ क्षेत्र
– ज़मीन पर लगे सौर और अवसंरचना – छत पर लगे सौर – तैरते हुए सौर – तटवर्ती पवन – हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा	– नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण (सोलर पीवी विनिर्माण, डब्ल्यूटीजी विनिर्माण, इलेक्ट्रोलाइज़र)	– बैटरी भण्डारण परियोजनाएं – पंप्ड-हाइड्रो स्टोरेज
– लघु जलविद्युत – वृहद जलविद्युत	– विद्युतीय वाहन बेड़ा (4-पहिया वाहन, ई-रिक्शा, 2-पहिया वाहन आदि)	– विद्युतीय वाहन और बैटरी भण्डारण मूल्य-कड़ी (चार्जिंग अवसंरचना सहित) – बैटरी और ईवी रीसाइक्लिंग
– जैव ईंधन (बायोगैस, बायोएथेनॉल) – बायोमास और सह-उत्पादन – अपशिष्ट से ऊर्जा	– हरित पारेषण गलियारा – माइक्रोग्रिड	– ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न
– ऊर्जा दक्षता	– स्मार्ट मीटरिंग	– अपतटीय पवन

तालिका 2 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों का संवर्गीकरण

भारत में कुल मिलाकर आरई क्षेत्र हेतु मुख्य घोषणाएं :

- केंद्रीय बजट 2026–27 में एमएनआरई के लिए आवंटन राशि को पिछले बजट के 26,549 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 32,915 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा आवंटन पीएम सूर्य घर, पीएम-कुसुम, सौर, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रिड-सक्षम बुनियादी ढांचा के लिए किया गया है।
- सरकार ने 1 जून 2026 से अनिवार्य कर दिया है कि, सभी सौर पीवी परियोजनाओं को एएलएमएम लिस्ट-II से अवश्य सेल लेने होंगे। इससे घरेलू सोर्सिंग की ज़रूरतें सिर्फ़ मॉड्यूल तक ही सीमित न रहकर सेल तक भी बढ़ जाएंगी और 'मेक इन इंडिया' पहल को और सुदृढ़ी मिलेगी।
- धारा-विरुद्ध और विस्तार करते हुए, सोलर इंगॉट्स और वेफर्स के लिए एएलएमएम लिस्ट-III 1 जून 2028 से लागू होगी। यह एक पूरी तरह से एकीकृत घरेलू सौर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए चरणबद्ध और शुरू से आखिर तक स्थानीयकरण की रणनीति का संकेत है।

स्वच्छ ऊर्जा सौर ऊर्जा में पारंपरिक और स्थिर क्षेत्र

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में असाधारण रूप से ज़बरदस्त विस्तार हुआ। 31 मार्च 2026 तक, देश की कुल स्थापित सौर क्षमता लगभग 150.26 गीगावाट तक पहुँच गई थी। मार्च 2026 के अंत तक के वर्ष के दौरान, भारत ने लगभग 44.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में हुई कुल वृद्धि में सौर ऊर्जा का योगदान अब भी सबसे अधिक रहा।

पीएम सूर्य घर : मुफ़्त बिजली योजना, राज्य-स्तरीय नेट-मीटरिंग फ़्रेमवर्क और स्वयं बिजली बनाने के लिए बेहतर होती कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के समर्थन से, वित्त वर्ष 26 के दौरान रूफटॉप और संवितरित सौर क्षेत्र में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। फरवरी 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत, अप्रैल 2026 तक लगभग 30 लाख रूफटॉप सिस्टम लगाए जा चुके थे, जिनसे करीब 36.5 लाख परिवारों को फ़ायदा हुआ और इनकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 10.77 गीगावाट थी।

अकेले वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 8.7 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता जोड़ी गई, जो उस वर्ष जोड़ी गई कुल सौर क्षमता का लगभग 20% थी।

आगे चलकर, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में सौर विद्युत मुख्य आधार बनी रहेगी। इसे बड़े पैमाने पर उपयोगिता-पैमाने की पाइपलाइन, घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के बढ़ते चलन और घरेलू विनिर्माण व ग्रिड एकीकरण के लिए निरंतर मिल रहे नीति समर्थन से मदद मिलेगी।

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ :

- नीलामी प्रक्रियाधीन– एमएनआरई ने वित्त वर्ष 2027-28 तक आरईआईए द्वारा प्रत्येक वर्ष 50 गीगावाट बिजली खरीदने की बोलियों के लिए बोली लगाने का क्रम जारी किया है।
- वित्त वर्ष 2029-30 तक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा खपत दायित्व (आरसीओ) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की एक निश्चित मात्रा भी शामिल है।
- पीएम-कुसुम योजना – पीएम कुसुम सोलर पंप, फीडर सोलराइजेशन और छोटे ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं के ज़रिए खेती में विकेंद्रीकृत सौर-ऊर्जाकरण को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। वित्त वर्ष 2026 के अंत तक, इस योजना के तहत संचयी स्थापनाएं 13 गीगावाट से ज़्यादा हो गए थे, जबकि कई राज्यों में सोलर पंप लगाने और फीडर-स्तर पर काम करने का सिलसिला जारी रहा। अकेले वित्त वर्ष 2026 में, पीएम कुसुम के तहत 7.6 गीगावाट सौर क्षमता (कुल क्षमता का लगभग 58%) जोड़ी गई।
- पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना – 75,021 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के तौर पर सामने आई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान घरों में इसे अपनाने की रफ़्तार ने संवितरित सोलर और उपभोक्ताओं की अगुवाई वाले ऊर्जा बदलाव के नज़रिए को काफ़ी सुदृढ़ किया। सिर्फ़ वित्त वर्ष 2026 में 8.7 गीगावाट रूफटॉप सोलर जोड़ा गया, जो उस वर्ष जोड़ी गई कुल सोलर क्षमता का 20% था।

तटवर्ती पवन-ऊर्जा

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के तटवर्ती पवन ऊर्जा क्षेत्र में और तेज़ी आई। देश ने मार्च 2026 के आखिर तक लगभग 6 गीगावाट की नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिससे 31 मार्च 2026 तक कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 56.09 गीगावाट हो गई।

पवन ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं मुख्य रूप से गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में संस्थापित रहे। वहीं, हाइब्रिड परियोजनाएं, भरोसेमंद और ज़रूरत के हिसाब से बिजली देने वाले नवीकरणीय ऊर्जा निविदा और वाणिज्यिक-एवं-औद्योगिक खरीद से नई पवन ऊर्जा क्षमता की मांग को बढ़ावा मिलता रहा।

हाल के सुधार के बावजूद, अगर भारत को साफ़-सुथरी ऊर्जा से जुड़े अपने लंबे समय के लक्ष्यों को पूरा करना है, तो वार्षिक पवन ऊर्जा क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी करनी होगी। इससे नीति का फ़ोकस पुराने कार्यस्थल को पुनर्विद्युतीकृत करने, पारेषण की तैयारी, बेहतर नीलामी डिज़ाइन और द्रुत ज़मीन व निकासी मंज़ूरी मिलने पर बना हुआ है।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- पवन-ऊर्जा आरपीओ प्रक्षेप-पथ - पवन ऊर्जा निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व नयी पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मध्यम अवधि की मांग की स्पष्टता बनाए हुए है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके तहत संबंधित संस्थाओं को मार्च 2022 के बाद शुरू हुई योग्य पवन ऊर्जा क्षमता से बिजली का एक बढ़ता हुआ हिस्सा प्राप्त करना ज़रूरी है।
- पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु राष्ट्रीय पुनर्शक्तिकरण एवं जीवनकाल विस्तार नीति – यह नीति पुराने हो रहे विंड फार्म्स, विशेष रूप से कम क्षमता वाली पुरानी स्थापनाओं, को आधुनिक और ज़्यादा क्षमता वाले टर्बाइनों से बदलकर और तेज़ हवा वाले इलाकों का बेहतर प्रयोग करके उन्हें पुनर्शक्तिकरण हेतु एक ढांचा प्रदान करती है।

जल विद्युत

जल विद्युत भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। यह ऐसे सिस्टम में पीकिंग पावर, इनर्शिया और ग्रिड-बैलेंसिंग में मदद करता है, जहाँ सोलर और पवन ऊर्जा का प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। 31 मार्च 2026 तक, भारत की स्थापित जल विद्युत क्षमता लगभग 56.6 गीगावाट थी, जिसमें 51.41 गीगावाट बड़ी जल विद्युत और 5.17 गीगावाट छोटी जल विद्युत क्षमता शामिल थी। सिर्फ़ वित्त वर्ष 2026 में, लगभग 3.7 गीगावाट की नई बड़ी जल विद्युत क्षमता चालू की गई – जो एक दशक से भी ज़्यादा समय में वार्षिक आधार पर सबसे बड़ी बढ़ोतरी है।

डेवलपमेंट पाइपलाइन काफी बड़ी बनी हुई है। सीईए के 31 मार्च 2026 तक के बेसिन-वार आकलन के अनुसार, अभी लगभग 13.1 गीगावाट की बड़ी जल विद्युत क्षमता का निर्माण चल रहा है, सीईए ने 20.4 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता को मंज़ूरी दे दी है और यह निर्माण शुरू होने का इंतज़ार कर रही है, और लगभग 17.7 गीगावाट क्षमता का सर्वेक्षण और जांच चल रही है। भविष्य का विकास मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र बेसिन में केंद्रित है, जहाँ पहचान की गई बाकी क्षमता का बड़ा हिस्सा मौजूद है; इसके बाद जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सिंधु बेसिन की परियोजनाएँ आती हैं।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- बजटीय सहायता परिव्यय – जलविद्युत परियोजनाओं के लिए आधारभूत संरचना के विकास हेतु वित्त वर्ष 2031-32 तक 12,461 करोड़ रुपये के संशोधित बजटीय सहायता परिव्यय से 31 गीगावाट जलविद्युत क्षमता को समर्थन प्राप्त होगा। इससे दूरस्थ एवं पहाड़ी क्षेत्रों की अंतर्निहित चुनौतियों तथा संपर्क एवं पहुँच संबंधी आधारभूत संरचना की सीमित उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलेगी।
- जलविद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) – जलविद्युत से जुड़ी यह बाध्यता वर्ष 2019 के बाद शुरू हुई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद को बढ़ावा देती है और भारत के स्वच्छ ऊर्जा अनुपालन ढांचे में जलविद्युत को शामिल करने में मदद करती है।

- बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का वर्गीकरण – बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा का वर्गीकरण मिलना जारी है, इससे वे नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान दे सकते हैं और टैरिफ को तर्कसंगत बनाने और ज़रूरी अवसंरचना के लिए बजट सहायता जैसे सहायक उपायों का लाभ उठा सकते हैं।

जैव ऊर्जा

31 मार्च 2026 तक, भारत की जैव-ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 11.75 गीगावाट थी। यह क्षेत्र अब भी गन्ने की खोई से सह-उत्पादन, बायोमास-आधारित बिजली उत्पादन और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं पर टिका हुआ है, साथ ही इसे खेती, शहरी कचरा प्रबंधन और साफ़ ईंधन से जुड़ी नीतियों के तालमेल का भी फ़ायदा मिल रहा है।

बिजली उत्पादन के अतिरिक्त, जैव ऊर्जा का दायरा जैव-एथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) जैसे साफ़ ईंधन के प्रयोग तक भी बढ़ रहा है। ईएसवाई 2024–25 (1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025) के आखिर तक भारत की जैव-इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1,810 करोड़ लीटर तक पहुँच गई, जिसमें वर्ष के दौरान 195 करोड़ लीटर की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई। इसके साथ ही, वर्ष 2026 की शुरुआत तक भारत में 132 सीबीजी प्लांट चालू हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 920 टीपीडी है; यह 'अपशिष्ट-से-ईंधन' और वृताकार अर्थव्यवस्था से जुड़ी पहलों में बढ़ती तेज़ी को दिखाता है। जैव ऊर्जा का रणनीतिक महत्व बना हुआ है क्योंकि यह ज़रूरत के हिसाब से बिजली उपलब्ध कराती है और कृषि तथा शहरी कचरे का उत्पादक उपयोग संभव बनाती है। इस क्षेत्र को इथेनॉल मिश्रण, कंप्रेस्ड बायोगैस, एसएटीएटी और ताप संयंत्र में बायोमास को-फायरिंग से जुड़ी समानांतर नीतिगत कोशिशों का भी समर्थन मिल रहा है।

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ :

- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम - कार्यक्रम ने एक समेकित नीति और प्रोत्साहन ढांचे के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बायोमास, बायोगैस और अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए चौतरफा समर्थन प्रदान करना जारी रखा।
    - शहरी, औद्योगिक और कृषि कचरे/अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्यक्रम।
    - उद्योगों में ब्रिकेट, पेलेट और बायोमास (गैर-खोई) पर आधारित सह-उत्पादन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना; और
    - बायोगैस कार्यक्रम।
- इथेनॉल मिश्रण व जैव ईंधन नीति – ज़्यादा इथेनॉल मिश्रण और बायोफ्यूल के बड़े पैमाने पर प्रयोग की दिशा में भारत की कोशिशें बायोमास अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही हैं, किसानों की कमाई बढ़ा रही हैं और परिवहन ईंधन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर रही हैं।
- एसएटीएटी और बायोगैस पहल – एसएटीएटी कार्यक्रम और इससे जुड़ी कंप्रेस्ड-बायोगैस पहल, पक्की खरीद की व्यवस्था और कृषि व जैविक कचरे को परिवहन ईंधन और जैविक खाद में बदलने में मदद के ज़रिए सीबीजी क्षमता को बढ़ा रही हैं।
- कोयला संयंत्रों में बायोमास को-फायरिंग – बायोमास को-फायरिंग पराली जलाने की समस्या को कम करने, कृषि-अवशेषों से बने छर्रों की मांग पैदा करने और कोयले से बिजली उत्पादन के दौरान होने वाले उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। सूचित किये गए प्रक्षेप-पथ के तहत अब वित्त वर्ष 2024-25 से 5% और वित्त वर्ष 2025-26 से 7% को-फायरिंग की व्यवस्था है।

  जैसे-जैसे ज़्यादा ताप विद्युत संयंत्र को-फायरिंग अपना रहे हैं और पेलेट्स की आपूर्ति कड़ी धीरे-धीरे बेहतर हो रही है, उम्मीद है कि बायोमास का प्रयोग जैव ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कमाई का एक ज़्यादा प्रमुख और सहायक ज़रिया बन जाएगा।

हरित वित्तपोषण में गति प्राप्त कर रहे उभरते क्षेत्र

सौर पीवी मॉड्यूल और सेल निर्माण क्षमता

एमएनआरई, उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रहा है, जिसके लिए दो किश्तों में ₹24,000 करोड़ का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत, अब तक लगभग 30 गीगावाट सोलर मॉड्यूल, लगभग 10.5 गीगावाट सोलर सेल और लगभग 2 गीगावाट इनगॉट-वेफर बनाने की क्षमता स्थापित की गई है, जिससे व्यापक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ा है।

पीएलआई, एएलएमएम सूचीबद्धता आवश्यकताओं और सीमा शुल्क के मिले-जुले प्रभाव से,एएलएमएम-सूचीबद्ध सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता इस फ्रेमवर्क के आने के बाद से 20 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है; यह वर्ष 2021 में 8.2 गीगावाट से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक लगभग 172 गीगावाट वार्षिक हो गई है। अकेले वित्त वर्ष 2025-26 में इसमें 98 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक विस्तार है। एएलएमएम के तहत सोलर सेल बनाने की क्षमता 27 गीगावाट तक पहुँच गई है, जो पूरी मूल्य कड़ी में घरेलू स्तर पर मूल्य संयोजन के बढ़ने का संकेत है।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम - कई चरणों में, उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल हेतु पीएलआई योजना, एकीकृत घरेलू विनिर्माण क्षमता बनाने के लिए मुख्य नीति बनी हुई है।
- सीमा शुल्क और आयात प्रतिस्थापन उपाय – बुनियादी सीमा शुल्क और चरणबद्ध तरीके से स्थानीयकरण के उपाय, आयात की तुलना में घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बना रहे हैं और धारा-प्रतिकूल निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं।
- मॉडल व निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) - एएलएमएम की आवश्यकताओं का दायरा बढ़ने से – जिसमें सोलर पीवी सेल्स के लिए घरेलू सूचीबद्ध आवश्यकताओं का विस्तार भी शामिल हैं – घरेलू स्तर पर मूल्य संयोजन बढ़ने और 'मेक इन इंडिया' कार्यसूची को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

विद्युतीय वाहन (ईवी)

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के ईवी बाजार ने सुदृढ़ रफ़्तार बनाए रखी। इसकी मुख्य वजह टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन और घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर मिल रहा नीतिगत सहयोग था।

31 दिसंबर 2025 तक पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत कुल ईवी बिक्री 21.36 लाख यूनिट के पार पहुँच गई, जो सभी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने की निरंतर बढ़ती रफ़्तार को दर्शाता है। इस योजना के तहत 10.42 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को प्रोत्साहन मिले, जिससे वे सबसे बड़ा योगदानकर्ता बने रहे; वहीं, वित्त वर्ष 2024–25 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री 11.49 लाख यूनिट तक पहुँच गई, जो वित्त वर्ष 2023–24 में 9.48 लाख यूनिट थी। इस मांग में बढ़ोतरी के साथ-साथ, ऑटोमोबाइल और ऑटो अवयव के लिए पीएलए योजना— जिसका बजट 25,938 करोड़ रुपये है — ईवी और हाइड्रोजन ईंधन सेल अवयव पर 13% से 18% तक का प्रोत्साहन देकर भारत के ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ कर रही है। दिसंबर 2025 तक, इस योजना ने 13.61 लाख ईवी यूनिट्स का समर्थन किया, 35,657 करोड़ रुपये का कुल निवेश आकर्षित किया, 48,974 नौकरियां पैदा कीं और ईवी आपूर्ति कड़ी में घरेलू मूल्य संयोजन को बढ़ाया।

आगे की बात करें तो, नीति समर्थन अब धीरे-धीरे अल्पकालिक मांग साब्सिडी से हटकर दीर्घकालिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने, स्थानीयकरण, सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण और चार्जिंग नेटवर्क के विकास की ओर बढ़ रहा है।

एफएएमई-II के समाप्त होने के बाद, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का ई-मोबिलिटी फ्रेमवर्क पीएम ई-ड्राइव जैसे नए प्रोग्राम और उससे जुड़े ट्रांज़िशनल सहायता उपायों से निर्धारित हुआ है। इन उपायों में गाड़ियों की मांग के लिए प्रोत्साहन, चार्जिंग अवसंरचना और रणनीतिक विनिर्माण शामिल हैं।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- पीएम ई-ड्राइव पहल -31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंज़ूर किए गए इस कार्यक्रम के तहत विद्युतीय टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, ई-बस, एम्बुलेंस और ई-ट्रक को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, इसमें चार्जिंग अवसंरचना के लिए भी वित्तपोषण किया जा रहा है, जिसमें ई-फोर-व्हीलर के लिए 22,000 से ज़्यादा और ई-बस के लिए 1,800 चार्जर शामिल हैं।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन प्रोग्राम / संबंधित ट्रांज़िशनल सहायता – एफएएमई-II के बाद अंतरिम और उसके बाद की योजनाओं ने बाज़ार की रफ़्तार बनाए रखने में मदद की है, जबकि राज्यों की ईवी नीतियां, जीएसटी से मिली मदद और स्थानीयकरण से जुड़े प्रोत्साहन इसे अपनाने को बढ़ावा दे रहे हैं।

हरित पारेषण

भारत का पारेषण नेटवर्क बढ़ाना नवीकरणीय ऊर्जा कार्यसूची का प्रमुख हिस्सा बन गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण) में वर्ष 2022-23 से 2031-32 के दौरान गैर-जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन में तेज़ी से हो रही बढ़ोतरी को सहयोग करने के लिए लगभग 1,91,474 सर्किट-किमी ट्रांसमिशन लाइनें और 1,274 जीवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जोड़ने की रूपरेखा दी गई है।

कुछ विशेष ज़रूरी परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ रहा है। इनमें लद्दाख से लगभग 13 गीगावाट नवीकरणीय विद्युत को बाहर भेजने और ग्रिड से जोड़ने के लिए पारेषण प्रणाली शामिल हैं। साथ ही, नवीकरणीय-ऊर्जा-क्षेत्र से बिजली बाहर भेजने की प्रणाली, भण्डारण से जुड़े पारेषण और उभरते हुए ग्रीन-हाइड्रोजन समूहों के लिए नेटवर्क को सुदृढ़ करने का काम भी हो रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में समृद्ध राज्यों में 'हरित ऊर्जा गलियारा' नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि अतिरिक्त सौर और पवन क्षमता को समायोजित किया जा सके। इससे पारेषण में निवेश, भारत के ऊर्जा बदलाव के अगले चरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक बन गया है।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी) कार्यक्रम - जीईसी चरण-I लगभग पूरा होने वाला है और जीईसी चरण-II के तहत नवीकरणीय ऊर्जा वाले मुख्य राज्यों में राज्य के भीतर बिजली पहुंचाने वाली प्रणाली बनायी जा रही है। चरण-II को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें लगभग 10,750 सर्किट-किमी पारेषण लाइनें और 27,500 एमवीए सबस्टेशन क्षमता जोड़ी जाएगी, जिससे लगभग 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ने में मदद मिलेगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा हेतु पारेषण प्रोत्साहन – योग्य नवीकरणीय और अपतटीय-पवन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में छूट परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता को सहारा देती है, जबकि भण्डारण और हाइड्रोजन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पारेषण नीति भविष्य के निवेश के लिए एक प्रमुख कारक बनी हुई है।
- ग्रिड संचालन में सुधार – ग्रीन ओपन-एक्सेस नियम, अनुसूची में सुधार, डिजिटल सम्प्रेषण क्षमताएं और नवीकरणीय, भण्डारण व हाइड्रोजन के लिए एकीकृत योजना, एक ज़्यादा लचीला और सुदृढ़ ग्रीन ग्रिड बनाने में मदद कर रहा है।

नए और विकसित होते क्षेत्र

ऊर्जा भंडारण

जैसे-जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग बढ़ रहा है, ऊर्जा भण्डारण भारत के स्वच्छ-ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस) और पंप-स्टोरेज परियोजना, चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति, सर्वोच्च मांग को संतुलित करने और सहायक सेवाओं के लिए तेज़ी से प्रमुख होते जा रहे हैं।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (बीईएसएस)

वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा उपयोगिता स्तर बीईएसएस की खरीद में निरंतर प्रगति देखी गई। हालांकि परिचालनगत क्षमता अभी भी कम है, लेकिन प्रोजेक्ट पाइपलाइन तेज़ी से बढ़ रही है, और बैटरी की घटती लागत भंडारण से जुड़ी नवीकरणीय परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को निरंतर बेहतर बना रही है।

इस तेज़ी को देखते हुए, सरकार ने बीईएसएस व्यवहार्यता-अंतर-वित्तपोषण ढांचा के तहत मदद को 4 जीडब्ल्यूएच से बढ़ाकर लगभग 13.2 जीडब्ल्यूएच कर दिया है, जबकि मंज़ूर किया गया 3,760 करोड़ रुपये का अनुमोदित बजट परिव्यय वैसा ही रखा है। अधिसूचित की गई 'एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन' (ऊर्जा भंडारण दायित्व) की रूपरेखा से भण्डारण लगाने की दीर्घकालिक संरचनात्मक मांग पैदा होने की भी उम्मीद है।

पंप स्टोरेज परियोजनाएँ (पीएसपी)

भारत के परिचालनगत पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट का आधार अभी भी सीमित है, लेकिन विकास की गतिविधियां तेज़ी से बढ़ी हैं क्योंकि राज्य और विकासक पम्प्ड हाइड्रो को लंबे समय तक ऊर्जा भंडार समाधान के तौर पर देख रहे हैं।

इसी के अनुसार, नीति और निवेश का ध्यान तेज़ी से पंप-स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (पीएसपी) की ओर मुड़ गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में, सीईए ने कुल लगभग 7.5 गीगावाट क्षमता वाली छह (6) पीएसपी डीपीआर और वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 5 गीगावाट क्षमता वाली तीन (3) पीएसपी डीपीआर को मंज़ूरी दी।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- बीईएसएस के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना - यह योजना भण्डारण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता कमियों को दूर करने में मदद करके, शुरुआती चरण में बड़े पैमाने पर बैटरी नियोजन की दिशा में एक प्रमुख आधार बन गई है।
- ऊर्जा भण्डारण दायित्व (ईएसओ) – दायित्वशील संस्थाओं के लिए भंडारण से जुड़ी दायित्वों में की गई बढ़ोतरी से बैटरी और पंप-स्टोरेज, दोनों के लिए लंबे समय की संरचनात्मक मांग पैदा हो रही है।
- पीएसपी हेतु नीतिगत प्रोत्साहन – आसान मंज़ूरी की प्रक्रिया, पारेषण से जुड़ी सुविधाओं और लंबे समय तक ऊर्जा भंडार करने की बढ़ती ज़रूरत की वजह से पंप-भंडारण विकास की संभावनाएं बेहतर हो रही हैं।

बैटरी निर्माण

भारत घरेलू स्टोरेज-सेल और बैटरी-विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आधार तैयार कर रहा है, जो ईवी और स्टेशनरी भंडारण, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि अधिकांश सेल अभी भी आयात किए जाते हैं, घरेलू बैटरी मूल्य शृंखला में परियोजना विकास में तेजी आ रही है।

सरकार इस बदलाव में मदद कर रही है। इसके लिए उत्पादन प्रोत्साहन, सीमा शुल्क नियमों को तर्कसंगत बनाने, अनुसन्धान एवं विकास में मदद और राज्य-स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन जैसे कई उपाय किए जा रहे हैं, ताकि समय के साथ सेल विनिर्माण को स्थानीय स्तर पर किया जा सके।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम - इस प्रमुख पीएलआई योजना का परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है और इसका लक्ष्य 50 जीडब्ल्यूएच की घरेलू सेल क्षमता प्राप्त करना है। दो राउंड में, लाभार्थी कंपनियों को 40 जीडब्ल्यूएच का आवंटन किया गया है, जिससे भारत की घरेलू सेल-विनिर्माण पाइपलाइन को काफी बढ़ावा मिला है।
- पीएलआई योजना का लाभ उठाने वाली कंपनियों के अतिरिक्त, कम से कम 10 निर्माताओं ने अगले पाँच सालों में 178 जीडब्ल्यूएच की एक संचयी क्षमता बनाने की घोषणा की है। ये कंपनियाँ मोबिलिटी और स्टेशनरी-भंडारण, दोनों ही बाजार में अपना कामकाज बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं और सेल, पैक, बैटरी प्रबंधन प्रणाली और पुनर्चक्रण जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं।
- चयनित निविष्टियों पर सीमा शुल्क में राहत, अगली पीढ़ी केमिस्ट्री हेतु अनुसंधान एवं विकास तथा गीगाफैक्टरी में निवेश हेतु राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन जैसे सहायक उपाय घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं।

हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण

नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ने, वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त किए। 19 कंपनियों को कुल मिलाकर वार्षिक 8.62 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता आवंटित की गई थी और 15 फर्मों को वार्षिक 3,000 मेगावाट की इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण क्षमता दी गई थी। इसके अतिरिक्त, रिफाइनरियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की खरीद की प्रोत्साहन योजना के तहत, 2 कंपनियों को वार्षिक कुल 20,000 टन की क्षमता आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, एसईसीआई ने पूरे भारत में 13 उर्वरक इकाइयों को प्रत्येक वर्ष 7,24,000 टन ग्रीन अमोनिया के उत्पादन और आपूर्ति के लिए कीमतें निर्धारित कीं। इस मिशन का दायरा भी बढ़ाया गया; एमएनआरई ने तीन बड़े बंदरगाहों — दीनदयाल (गुजरात), वी.ओ. चिदंबरनार (तमिलनाडु) और पारादीप (ओडिशा) — को औपचारिक रूप से 'ग्रीन हाइड्रोजन हब' के तौर पर मान्यता दी, जिससे उत्पादन, खपत और भविष्य में निर्यात के लिए एकीकृत तटीय केंद्र तैयार हो सकें।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) एक व्यापक नीति चालक है, जिसका कुल परिव्यय ₹19,744 करोड़ है और इसका उद्देश्य है भारत को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना।
- हरित हाइड्रोजन परिवर्तन हेतु रणनीतिक अंतःक्षेप (एसआईजीएचटी) - घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक द्वि-आयामी उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन योजना।
- हाइड्रोजन के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए इस्पात, लंबी दूरी के परिवहन, नौवहन और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण।
- हरित हाइड्रोजन केंद्रों का विकास अर्थात समूहीकृत उत्पादन और अंतिम उपयोग वाले क्षेत्र।
- हाइड्रोजन उत्पादन हेतु ज़रूरी बुनियादी ढाँचे और नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुँच की व्यवस्थाओं हेतु सहायता।
- अनुसंधान व विकास और कौशल निर्माण कार्यक्रम।

इसके अतिरिक्त, रिफाइनिंग और उर्वरक जैसे क्षेत्र में प्रायोगिक परियोजना, हब,नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संपर्क और बाजार विकास से जुड़े उपाय ग्रीन-हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की नींव रख रहे हैं।

अपतटीय पवन ऊर्जा

भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा विकास अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन नीति के मामले में तेज़ी काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि अभी तक कोई अपतटीय पवन फ़ार्म शुरू नहीं हुआ है, फिर भी गुजरात और तमिलनाडु इस तरह की परियोजनाओं के विकास के पहले चरण में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इसमें इन तटों पर लगभग 70 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता और 2030 तक 37 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखने वाली लंबी अवधि की नीलामी प्रक्रिया का भी सहयोग मिल रहा है।

इस क्षेत्र को उत्प्रेरित करने के लिए, सरकार ने पहले 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए 7,453 करोड़ रुपये के 'व्यवहार्यता-अंतर-वित्तपोषण पैकेज और बंदरगाह बुनियाद ढाँचे के लिए मदद को मंज़ूरी दी। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शुरुआती निविदा पूरे करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दो बड़े अपतटीय पवन ऊर्जा निविदा - तमिलनाडु में 4 गीगावाट की सीबेड पट्टा निविदा और गुजरात में 500 मेगावाट का आईएसटीएस-सम्बद्ध निविदा - जारी होने के एक वर्ष से ज़्यादा समय बाद भी रद्द कर दिए गए, क्योंकि उनमें विकासक की काफ़ी दिलचस्पी नहीं दिखी। इससे ज़्यादा पूंजीगत लागत, तकनीकी जटिलता और शुरुआती दौर के बाजार ढाँचे को लेकर चिंताएँ प्रदर्शित होती हैं।

इसके जवाब में, एनआईडब्ल्यूई की ओर से हवा के संसाधनों का आकलन करने के लिए नए अध्ययन किए जा रहे हैं। फिर भी, अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए ज़रूरी ढांचा बना हुआ है और उम्मीद है कि इससे पारेषण, बंदरगाह, आपूर्ति-कड़ी और परियोजना को पूरा करने की क्षमताएं विकसित होंगी, जो मध्यम अवधि में अपतटीय पवन ऊर्जा को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होंगी।

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम (2023) - इस नियम केअधीन, डेवलपर्स को 35 वर्षों तक के लिए समुद्र तल पट्टे प्राप्त करने की अनुमति है, जिससे दीर्घकालिक निश्चितता और निवेश विश्वास प्राप्त होता है।
- ट्रांसमिशन छूट और खुली पहुँच प्रोत्साहन - परियोजना अर्थशास्त्र में सुधार के लिए, दिसंबर 2032 तक चालू होने वाली पात्र अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में 25 वर्ष की छूट दी गई थी, जबकि ओपन एक्सेस ट्रीटमेंट बाजार विकास को सहयोग देना जारी रखता है
- व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना - पहले अपतटीय-पवन परियोजना के लिए मंज़ूर किए गए वीजीएफ पैकेज से परियोजना की बैंकयोग्यता बेहतर होने और अपतटीय परियोजनाएं लगाने के लिए शुरुआती पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- वैश्विक सहयोग - भारत तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने, प्रारंभिक चरण के विकास के जोखिम को कम करने और आपूर्ति कड़ी और बंदरगाह क्षमताओं का सह-विकास करने के लिए डेनमार्क और जर्मनी जैसे अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र के अग्रणी देशों के साथ साझेदारी कर रहा है।

स्मार्ट मीटरिंग

भारत सरकार बिजली वितरण में बड़े सुधारों और डिजिटलाइज़ेशन के तहत अत्याधुनिक मीटरिंग संरचना (एएमआई) और स्मार्ट मीटर को अपनाने की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है।

आरडीएसएस और उससे जुड़े प्रोग्राम के तहत, टीओटीईएक्स/ डीबीएफओओटी जैसे मॉडल के ज़रिए बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटरिंग लागू की जा रही है। इसमें निजी भागीदार अनुबंध की अवधि के दौरान आपूर्ति, स्थापना, परिचालन और रख-रखाव की उत्तरदायी संभालते हैं। पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) ने ग्रिड आधुनिकीकरण के मामले में मापने योग्य नतीजों के साथ वित्त वर्ष 25-26 में अपना पांच वर्ष का चक्र पूरा किया। अप्रैल 2026 के आखिर तक, इस योजना के तहत लगभग 6.50 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके थे। कुल मिलाकर, एटी एंड सी नुकसान वित्त वर्ष 2021 के 21.91% से सुधरकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गया और एसीएस-एआरआर का अंतर घटकर लगभग ₹ 0.06/यूनिट रह गया, जो वितरण की क्षमता पर इस योजना के प्रभाव को दिखाता है।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) - आरडीएसएस स्मार्ट मीटरिंग और वितरण सुधार के लिए प्रमुख कार्यक्रम बना हुआ है। इस योजना के तहत, एएमआई को टीओटीईएक्स पद्धति में लागू किया जा रहा है। इसमें अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान मीटर से जुड़ा डेटा और सेवा देने के साथ-साथ डिस्कॉम में सुधार के लिए एक सुदृढ़ डिजिटल आधार तैयार करने के लिए एएमआईएसपी उत्तरदायी है।

4. वित्तीय और प्रचालनगत कार्य-निष्पादन

❖ प्रमुख कार्य-निष्पादन विशेषताएँ

- o आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 26 में अपनी निवल मूल्य को बढ़ाकर ₹13,781.35 करोड़ कर लिया है और अब तक का सबसे ज़्यादा कर पश्चात लाभ ₹1,873.34 करोड़ दर्ज किया है। आपकी कंपनी की पूँजी पर्याप्तता आरबीआई के नियमों के अनुरूप है; इसका सीआरएआर 20.59% है, जबकि कम से कम ज़रूरी सीमा 15% है। इसके अतिरिक्त, निवल मूल्य में बढ़ोतरी से आपकी कंपनी अपनी जोखिम सीमा भी बढ़ा सकेगी, जिससे कारोबार को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- o वित्त वर्ष 26 में आंतरिक स्रोतों से निधियों के संचय तथा योग्य संस्थागत नियोजन के माध्यम से धनराशि उगाहने के कारण ऋण-इक्विटी अनुपात घटकर 5.65 रह गया, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 6.31 था।
- o वित्त वर्ष 25 में निवल मूल्य पर प्रतिलाभ 17.44% था, जो वित्त वर्ष 26 में घटकर 15.07% हो गया है। इसका मुख्य कारण क्यूआईपी के ज़रिए ₹2,005.90 करोड़ उगाहन ने के बाद कंपनी के इक्विटी आधार में भारी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ में बढ़ोतरी हुई, लेकिन निवल मूल्य में बढ़ोतरी का अनुपात उससे ज़्यादा था, जिसके कारण आरओएनडब्ल्यू में कमी आई।

- ऋण परिसम्पत्तियों से मिलने वाली आय में मामूली गिरावट (वित्त वर्ष 25 में 10.03% के मुकाबले वित्त वर्ष 26 में 9.54%) के बावजूद, कम लागत पर ऋण लेने (वित्त वर्ष 25 में 7.61% के मुकाबले वित्त वर्ष 26 में 7.05%) की वजह से कंपनी के आय प्रसार में 7 बेसिस पॉइंट्स का सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त, निधि का सही प्रयोग और परिसंपत्ति का बेहतर मिश्रण होने से निवल ब्याज मार्जिन वित्त वर्ष 25 में 3.27% से बढ़कर वित्त वर्ष 26 में 3.65% हो गया।

वित्तीय कार्य-निष्पादन (एकल)

कुल आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	8,179	6,575
शुल्क और कमीशन आय	59	96
व्युत्पन्नों पर उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध लाभ/(हानि)	31	13
अन्य परिचालन आय	40	58
परिचालन से कुल राजस्व (I)	**8,309**	**6,742**
अन्य आय (II)	29	12
कुल आय (I+II)	**8,338**	**6,754**

वित्त वर्ष 25 की तुलना में वित्त वर्ष 26 में कुल आय में 23% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका मुख्य कारण ऋण से मिलने वाली ब्याज आय में भारी वृद्धि है। यह बढ़ोतरी कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 26 के दौरान अब तक के सबसे ज़्यादा ₹34,946 करोड़ के ऋण संवितरण की वजह से हुई है, जिससे ऋण पुस्तिका 31.03.2025 को ₹76,282 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 26 के आखिर तक ₹93,069 करोड़ हो गई।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 25 में अन्य आय में 142% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका मुख्य कारण आय कर वापसी पर मिलने वाला ज़्यादा ब्याज है। पिछले पांच वर्षों में, प्रचालन से होने वाले राजस्व में 26% की सीएजीआर दर्ज की गई है।

व्युत्पन्नी पर उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अतिरिक्त लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)	31	13

वित्त वर्ष 26 के दौरान कंपनी में 138% का बदलाव देखा गया, जो मुख्यतः विदेशी मुद्रा ऋणों के बचाव हेतु लिए गए व्युत्पन्न लिखतों के दैनिक बाज़ार मूल्य के (एमटीएम) मूल्यांकन के कारण हुआ है।

वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वित्तीय लागत	4,905	4,141

वित्त वर्ष 26 के दौरान, वित्तीय लागत वित्त वर्ष 25 की तुलना में 18% बढ़ गई, जो मुख्य रूप से ऋण संचालन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए की गई उच्च ऋणी से प्रेरित थी। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ऋण प्रतिभूति पर मिलने वाले ब्याज में हुई, जो 25% बढ़ा, और अधीनस्थ देनदारियों पर ब्याज में हुई, जिसमें वर्ष के दौरान 336% की वृद्धि हुई। अधीनस्थ देनदारियों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से मार्च 2025 में जारी ₹1,247 करोड़ के बेमियादी ऋणलिखत(पीडीआई) पर पूरे वर्ष के ब्याज को शामिल करने और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में ₹453 करोड़ के अतिरिक्त पीडीआई जारी करने से हुए आंशिक-वर्ष के ब्याज के प्रभाव के कारण हुई। ये साधन कंपनी की पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने और उसके वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता लाने के लिए जारी किए गए थे।

निवल बदली/लेन-देन विनिमय हानि (लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
निवल बदली/लेन-देन विनिमय हानि	43	42

वित्त वर्ष 26 में, बदली/लेन-देन विनिमय से होने वाले नुकसान में बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से एफसीएमआईटीआर के ज़्यादा परिशोधन के कारण हुई। हालांकि वित्त वर्ष 26 के दौरान विदेशी मुद्रा लेन-देन और बदली से होने वाले विनिमय नुकसान में 22% की कमी आई, लेकिन एफसीएमआईटीआर परिशोधन में बढ़ोतरी के कारण कुल विनिमय नुकसान में मामूली वृद्धि हुई।

वित्तीय साधनों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ऋण	774	237
अन्य		
- व्यावसायिक प्राप्तियां	3	-

वर्ष के दौरान वित्तीय साधन पर नुकसान 227% बढ़ गया है। ईसीएल की गणना ऋण पोर्टफोलियो पर, भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार ईसीएल पद्धति का प्रयोग करते हुए किसी बाह्य एजेंसी द्वारा ऋण परिसम्पत्तियों की मौजूदा स्थिति के आधार पर की जाती है। ₹506 करोड़ की बढ़ोतरी ऋण लेने वाले एक ग्रुप – मैसर्स जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईएल) की वजह से हुई है, जिसे 25-26 में एनपीए के तौर पर अवनति कर दिया गया है।

कर्मचारी लाभ व्यय (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी लाभ व्यय	105	81

कर्मचारियों से जुड़े खर्चों में 30% की बढ़ोतरी हुई। इसका मुख्य कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, साथ ही सामान्य महंगाई भत्ते (डीए) में संशोधन, कर्मचारियों की पदोन्नति और नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि थी।

मूल्यह्रास, परिशोधन व हानि (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	44	39

वित्त वर्ष 26 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित मूर्त परिसंपत्तियों के संयोजन के कारण मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय में नाममात्र की वृद्धि हुई है।

अन्य व्यय (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
अन्य व्यय	93	86

अन्य खर्चों में मामूली वृद्धि हुई है और इसमें किराया, कर और बिजली खर्च, मरम्मत और अनुरक्षण, संचार व्यय, व्यवसाय संवर्धन और कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क आदि शामिल हैं।

वित्तीय स्थिति (एकल)

❖ परिसंपत्तियाँ

नकद और नकद समकक्ष (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
नकद और नकद समकक्ष	15	30

नकद और नकद समतुल्य मुख्य रूप से बैंकों के पास जमा खातों में शेष राशि से मिलकर बने हैं। कंपनी ने अपने पास उपलब्ध धन का प्रभावी उपयोग किया है।

ऋण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
ऋण (निवल)	90,197	74,272

वित्त वर्ष 26 के दौरान, कंपनी के ऋण पोर्टफोलियो में 21% की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से संवितरण में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ। वित्त वर्ष 26 में कुल संवितरण ₹34,946 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 25 में यह ₹30,168 करोड़ था, जो कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक संवितरण है। यह वृद्धि कंपनी की सुदृढ़ बाज़ार उपस्थिति और देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता हेतु अपने ऋण परिचालन के विस्तार पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है।

निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
निवेश	910	626

वित्त वर्ष 26 के दौरान निवेश में 45% की सुदृढ़ वृद्धि जारी रही, जिसका मुख्य कारण सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक निवेश था। यह बढ़ोतरी कंपनी के समझदारी भरे तरलता प्रबंधन और लागू विनियामक ज़रूरतों के अनुसार उच्च गुणवत्ता संपन्न चल परिसम्पत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने पर निरंतर दिए जा रहे ज़ोर को दिखाती है।

❖ **देयताएँ**

ऋण प्रतिभूतियाँ (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
ऋण प्रतिभूतियाँ	28,422	28,446

वित्त वर्ष 26 में ऋण प्रतिभूतियों में थोड़ी कमी आई। इसका मुख्य कारण यह था कि वित्त वर्ष 26 के दौरान ₹1,500 करोड़ के नए बॉण्ड जारी करने की तुलना में ₹1,525 करोड़ के बॉण्ड विनिमय (भुगतान) ज़्यादा थे।

ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	46,167	33,490

वित्त वर्ष 26 में ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) में 38% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्यतः बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वर्तमान ऋणों की निर्धारित चुकौती के बाद ली गई सावधि ऋणों के कारण हुई।

अधीनस्थ देयताएँ (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
अधीनस्थ देयताएँ	3,257	2,805

वित्त वर्ष 26 के दौरान, अधीनस्थ देयताओं में 16% की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ₹453 करोड़ के स्थायी ऋण लिखत जारी करने की वजह से हुई, जिसका उद्देश्य कंपनी के पूँजी आधार को सुदृढ़ करना और उसकी लंबी अवधि के वित्तपोषण की ज़रूरतों को पूरा करना था।

इक्विटी (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
इक्विटी शेयर पूँजी	2,809	2,688
अन्य इक्विटी	10,972	7,578
कुल	**13,781**	**10,266**

वित्त वर्ष 26 के दौरान, कंपनी की कुल इक्विटी में 34% की बढ़ोतरी हुई। इसकी मुख्य वजह 11.06.2025 को योग्य संस्थगत नियोजन (क्यूआईपी) के ज़रिए ₹2,005.90 करोड़ की सफल धन-वृद्धि थी, जिसने कंपनी के पूँजी आधार को सुदृढ़ किया और भविष्य की विकास योजनाओं में मदद की। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वित्त वर्ष 26 में ₹1,873 करोड़ का अब तक का सबसे ज़्यादा कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 25 में यह ₹1,699 करोड़ था। यह कंपनी के सुदृढ़ वित्तीय कार्य-निष्पादन, निरंतर व्यावसायिक वृद्धि और प्रचालनगत क्षमता पर निरंतर ध्यान देने को दर्शाता है।

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में परिवर्तन

विवरण	इकाई	31.03.2026 को समाप्त वर्ष अनुसार/हेतु	31.03.2025 को समाप्त वर्ष अनुसार/हेतु	परिवर्तन
ऋण इक्विटी अनुपात	गुना	5.65	6.31	-10.46%
प्रचालन मार्जिन प्रतिशत	%	27.78	31.02	-10.44%
शुद्ध लाभ मार्जिन प्रतिशत	%	22.47	25.15	-10.66%

देनदार कारोबार अनुपात, वस्तुसूची कारोबार अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात और चालू अनुपात कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

निवल मूल्य पर प्रतिफल में परिवर्तन

विवरण	इकाई	31.03.2026 को	31.03.2025 को	परिवर्तन
निवल मूल्य पर प्रतिफल	%	15.07	17.44	-13.59%

वित्त वर्ष 25 में 17.44% के मुकाबले वित्त वर्ष 26 में 'निवल मूल्य पर प्रतिफल' घटकर 15.07% हो गया। इसका मुख्य कारण वर्ष के दौरान ₹ 2,005.90 करोड़ के क्यूआईपी के बाद कंपनी के इक्विटी आधार में हुई बढ़ोतरी थी। हालांकि वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन निवल मूल्य में बढ़ोतरी का अनुपात ज़्यादा रहा, जिसके कारण 'निवल मूल्य पर प्रतिफल' में कमी आई।

वित्तीय कार्य-निष्पादन (समेकित) (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
प्रचालन से राजस्व	8,310	6,743
कर पूर्व लाभ	2,338	2,104
कर पश्चात लाभ	1,874	1,698
कुल परिसंपत्तियां	93,808	76,867
कुल देयताएँ	80,022	66,601
कुल इक्विटी	13,785	10,266

कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो गुजरात के गिफ्ट सिटी में आईएफएससी में काम कर रही है। भारतीय लेखा मानक 110 – समेकित वित्तीय विवरण की ज़रूरतों के अनुसार, साथ में दिए गए समेकित वित्तीय विवरण में धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिन्हें एक ही आर्थिक इकाई के तौर पर पेश किया गया है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन (सहायक कंपनी) (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
कुल आय	1.41	0.91
कर पूर्व लाभ	0.67	(0.28)
कर पश्चात लाभ	0.67	(0.28)
निवल मूल्य	30.06	26.36

वित्त वर्ष 26 के दौरान, सहायक कंपनी तैयारी के चरण में रही और उसने कोई बड़ी प्रचालन गतिविधि नहीं की। वर्ष के दौरान राजस्व में मुख्य रूप से 0.14 करोड़ रुपये का आवेदन शुल्क और अल्पकालिक जमा पर मिली 1.26 करोड़ रुपये की ब्याज आय शामिल थी। सहायक कंपनी का कुल खर्च वित्त वर्ष 26 में ₹0.74 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 25 में यह ₹1.19 करोड़ था।

5. ताकत, कमज़ोरी, अवसर और खतरे (एसडब्ल्यूओटी)

ताकत

- **ग्रीन वित्तपोषण के अधिकार के साथ 'नवरत्न सीपीएसई' का दर्जा** मिलने से कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्योर-प्ले ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग एनबीएफसी बन गई है। इससे उसे ज़्यादा प्रचालन और वित्तीय आज़ादी के साथ-साथ रणनीतिक रूप से तेज़ी से काम करने की क्षमता भी मिली है।
- **पूंजी उगाहने की क्षमता प्रदर्शित,** ₹2,005.90 करोड़ के क्यूआईपी (जून 2025) के माध्यम, जिससे जाने-माने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशक आकर्षित हुए।
- **अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम साख स्थिति,** जिसमें कई एजेंसियों से घरेलू "एएए/स्थिर" श्रेणी-निर्धारण और एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स लिमिटेड से सॉवरेन-इक्विवेलेंट "बीबीबी/स्थिर" अंतरराष्ट्रीय श्रेणी-निर्धारण शामिल है।
- **ऋण बही में पैमाना और गति,** ₹93,069 करोड़ की बकाया ऋण बही (31.03.2026 तक वार्षिक आधार पर +22%), ₹51,883 करोड़ की रिकॉर्ड मंज़ूरी और ₹34,946 करोड़ के संवितरण (अनंतिम) के साथ।
- **अखिल भारतीय विविध परिसंपत्ति आधार,** यह 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है और इसमें सौर, पवन,जल विद्युत, बायोमास, सह-उत्पादन, अपशिष्ट-से-ऊर्जा, इथेनॉल, पारेषण, भण्डारण, विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, स्मार्ट मीटर, ऊर्जा दक्षता जैसी कई नवीकरणीय ऊर्जा और उभरती हुई टेक्नोलॉजी शामिल हैं, जिससे भौगोलिक और तकनीकी जनित सांद्रता जोखिम कम होता है।

- **बेजोड़ बहुपक्षीय वित्तपोषण संबंध,** वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एआईडी, केएफडब्ल्यू, जेआईसीए और ईआईबी से लंबी अवधि की क्रेडिट लाइन के रूप में सुदृढ़ और स्थापित साझेदारियों के साथ।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के वित्तपोषण में दशकों के अनुभव के साथ क्षेत्र-विशिष्ट गहन विशेषज्ञता और सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, दिनांक 31.12.2025 को जीएनपीए और एनएनपीए का स्तर क्रम से 3.75% और 1.68% रहा।
- **पूर्ण-स्पेक्ट्रम उत्पाद सुइट,** लंबे समय के लिए परियोजना वित्तपोषण, पुनर्वित्तपोषण, कर्ज/ऋण संघटन की हामीदारी, परियोजना-विशिष्ट वित्तपोषण, नकद प्रवाह के प्रतिभूतिकरण के बदले ऋण, टॉप-अप लोन, सरकारी संस्थाओं को कम समय के लिए लोन की मदद, और गिफ्ट सिटी के ज़रिए विदेशी मुद्रा में वित्तपोषण के रूप में।

कमज़ोरियाँ

- **सीमित ऋण आधार,** एनडी-एसआई एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी को स्वयंरा जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है, जिससे कम लागत वाले कोष तक पहुँच सीमित हो जाती है।
- **आवर्ती पूंजी उगाही पर निर्भरता,** नवीकरणीय ऊर्जा और नई ऊर्जा परियोजनाओं की लंबे समय तक चलने वाली परिसंपत्ति, विकास और पूँजी पर्याप्तता को बनाए रखने के लिए निरंतर बाजार से ऋण लेने और समय-समय पर पूँजी डालने की ज़रूरत होती है।

अवसर

- **भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव हेतु बड़ी वित्तपोषण आवश्यकता,** वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य और वर्ष 2035 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्थापित क्षमता के 60% के लक्ष्य को देखते हुए - जिसका मतलब है कि अगले दशक में लगभग 33 ट्रिलियन रुपये का निवेश होगा - कौन सी कंपनी इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में उसके साथ है ।
- **निरंतर 50 गीगावाट वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा बोलियाँ,** इससे चालू हो चुकी परिसम्पत्तियों के लिए कई सालों तक मंज़ूरी और भुगतान की जानकारी मिल सकेगी और पुनर्वित्तपोषण के मौके भी बनेंगे।
- **आईएफएससी गिफ्ट सिटी सहायक कंपनी के माध्यम से वित्तपोषण के अवसरों का विस्तार,** अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्तपोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, विदेशी मुद्रा में निधि जुटाने और उसी मुद्रा में ऋण देने की सुविधा देना।
- **उभरते क्षेत्रों में मजबूत मांग,** जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, पंपेड स्टोरेज, अपतटीय पवन ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग, पारेषण और संवितरित सोलर, जिन्हें विशेष नीति का समर्थन मिलता है।

खतरे, जोखिम और चिंताएँ

- **ऋण पुस्तिका वृद्धि नीति और निविदा पाइपलाइन के प्रति संवेदनशील,** क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि सहायक नीतियों, नीलामी पाइपलाइन और विनियामक प्रोत्साहन से जुड़ी हुई है।
- **शुरू की गई परिसंपत्तियों के पुनर्वित्तपोषण के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा,** क्योंकि कम लागत पर धन जुटाने वाले या बड़े तुलन पत्र वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और वैश्विक अवसंरचना वित्तपोषक, चालू ऋण पुस्तिका के एनआईएम पर दबाव डाल सकते हैं।
- **पीपीए प्रतिपक्ष तनाव,** भूमि अनुमोदन और पारेषण हेतु तैयार होने में आने वाली रुकावटों के कारण ऋण के पैसे निकालने में देरी हो सकती है, सीओडी की समय-सीमा बढ़ सकती है और निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋण पर दबाव बढ़ सकता है।

6. जोखिम प्रबंधन रूपरेखा

आपकी कंपनी ने बोर्ड से अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा बनायी है। मध्यम स्तरीय एनबीएफसी पर लागू होने वाली बदलती विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार इसे निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। इसमें ऋण, बाजार, तरलता, प्रचालन और उभरते हुए जोखिमों जैसे मुख्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जोखिम क्षेत्र शामिल हैं। बोर्ड कंपनी के जोखिम अभिशासन रूपरेखा की निगरानी करता है, जबकि प्रबंधन 'थ्री लाइन्स ऑफ़ डिफ़ेंस' मॉडल के ज़रिए इसे लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

जोखिम प्रबंधन समिति समय-समय पर जोखिम उठाने की क्षमता का ढांचा (आरएएफ), आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) और तनाव परीक्षण ढांचा की समीक्षा करती है, और जोखिम प्रबंधन से जुड़ी पहलों के लागू होने पर नज़र रखती है। वर्ष के दौरान, समिति ने पूरे संगठन में जोखिम अभिशासन को सुदृढ़ करने, जोखिम ढांचा के लागू होने की निगरानी करने और जोखिम आधारित फ़ैसले लेने में मदद करने वाली व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान देना जारी रखा।

जोखिम प्रबंधन विभाग की देख-रेख में संबंधित कार्यात्मक विभागों के मिले-जुले प्रयासों से जोखिम प्रबंधन की क्षमताओं—जिनमें आईसीएएपी, तनाव परीक्षण, जोखिम एनालिटिक्स और अभिशासन ढांचा शामिल हैं—को निरंतर मजबूत किया जा रहा है।

लागू विनियामक ज़रूरतों के अनुसार अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के बारे में आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग स्वतंत्र आश्वासन देता है।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी के पास अपने परिचालनों के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं ताकि विभिन्न लेन-देन की सटीक और समय पर रिपोर्टिंग, परिचालन की

दक्षता और लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा, कंपनी के विभिन्न विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय में, सनदी लेखाकार की एक अनुभवी फर्म द्वारा की जाती है।

आंतरिक लेखा-परीक्षा, कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा की गई है। लेखा-परीक्षा समिति, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और लागू आरबीआई दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित अनुसार, लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समय-समय पर समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) नीति लागू की है।

8. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी प्रतिभा को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर ऐसा सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लंबे समय तक विकास और कामकाज में बेहतर कार्यनिष्पादन में मदद करें। वर्ष भर मानव संसाधन से जुड़ी गतिविधियां योग्यता-आधारित भर्ती, निरंतर सीखने और विकास, कार्य-निष्पादन प्रबंधन और जवाबदेही व नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहीं। कर्मचारियों का मनोबल, उत्पादकता और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए कई तरह की कर्मचारी जुड़ाव और कल्याणकारी पहल की गईं।

31 मार्च, 2026 तक आपकी कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या 224 थी, जबकि 31 मार्च, 2025 तक यह संख्या166 थी, जिसमें बोर्ड स्तर के अधिकारी शामिल नहीं हैं। महिला कर्मचारियों की संख्या कार्यबल विविधता और लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू है और 31.03.2026 तक महिला कर्मचारियों की संख्या 52 थी, जो कुल कर्मचारियों की संख्या का 23.21% है। आपकी कंपनी को छोड़ने की दर 1.54% थी, जिसमें सेवानिवृत्ति और मृत्यु के मामले शामिल नहीं हैं। 31.03.2026 तक कर्मचारियों की औसत आयु 41.25 वर्ष है।

9. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण और विदेशी मुद्रा संरक्षण

भारत के ऊर्जा परिवर्तन में मदद करने वाली एक प्रमुख वित्तपोषण संस्था के तौर पर, आपकी कंपनी ने अपनी वित्तपोषण की पूरी प्रक्रिया में पर्यावरण और समाज से जुड़े पहलुओं को शामिल किया है। इसने अपने द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की पहचान करने, उनका आकलन करने और जहाँ भी लागू हो, उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) अपनाई है। एक सूचीबद्ध कंपनी के तौर पर, आपकी कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के तौर पर 'व्यावसायिक उत्तरदायी एवं स्थिरता रिपोर्टिंग' प्रारूप में अपने पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन से जुड़े खुलासे का रिपोर्ट करती है। इसने एक व्यापक ईएसजी नीति भी अपनाई है, जो इसकी वेबसाइट https://www.ireda.in/policy/esg पर उपलब्ध है।

वित्तपोषित की गई परियोजनाओं में पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों की देख-रेख पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा इकाई (ईएसएसयू) करती है और ईएसएमएस के लागू होने को सुनिश्चित करती है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, अलग-अलग टेक्नोलॉजी वाले लगभग 84 परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और सामाजिक जांच और वर्गीकरण का काम किया गया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ नियमित बातचीत से कंपनी के कामकाज को सुरक्षा संबंधी बदलती ज़रूरतों के अनुरूप बनाने में मदद मिलती है और यह ऋण लेने वालों को परियोजना से जुड़े पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों को संभालने में सहायता करता है।

आपकी कंपनी के संदर्भ में, प्रौद्योगिकी के संरक्षण को निरंतर डिजिटाइज़ेशन, प्रक्रिया स्वचालन और टेक्नोलॉजी-आधारित मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम के ज़्यादा प्रयोग से बढ़ावा मिलता है। ये पहलें प्रचालन क्षमता को बेहतर बनाने, कागज़-आधारित प्रक्रियाओं को कम करने और संगठन के संसाधनों के प्रयोग को बेहतर बनाने में मदद करती हैं।

आपकी कंपनी के व्यावसायिक के संदर्भ में, टेक्नोलॉजी को अपनाना उभरते हुए और वाणिज्यिक तौर पर बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकने वाले स्वच्छ-ऊर्जा समाधानों के मूल्यांकन और वित्तपोषण के ज़रिए आगे बढ़ाया जाता है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने ऊर्जा भण्डारण, ग्रीन हाइड्रोजन और उससे बनने वाले उत्पादों, और कम कार्बन वाले दूसरे समाधानों जैसे क्षेत्रों में उभरती टेक्नोलॉजी और बिज़नेस मॉडल के बारे में अपनी संस्थागत समझ को और सुदृढ़ करना जारी रखा। मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत, पूंजी के ज़िम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी की परिपक्वता, लागू करने का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रायोजक की क्षमता, आपूर्ति-कड़ी पर निर्भरता, कामकाज का प्रदर्शन और उठाव की संभावना जैसे कारकों का आकलन किया जाता है, जहाँ भी ज़रूरी हो। ऋण लेने वालों, टेक्नोलॉजी देने वालों, क्षेत्र के संस्थानों और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ निरंतर बातचीत से जानकारी बढ़ाने और सही तकनीकी, पर्यावरणीय व जोखिम कम करने वाले तरीकों को अपनाने में भी मदद मिलती है। केरल के कासरगोड में आपकी कंपनी द्वारा स्थापित 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना, नवीकरणीय ऊर्जा टेक्नोलॉजी को अपनाने और भारत के 'शुद्ध शून्य' उत्सर्जन लक्ष्य के प्रति आपकी कंपनी की संस्थागत प्रतिबद्धता को और भी स्पष्ट करता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विदेशी मुद्रा से कोई कमाई नहीं हुई, जबकि विदेशी मुद्रा में खर्च 226.46 करोड़ रुपये रहा, जो मुख्य रूप से ब्याज और प्रतिबद्धता से जुड़े खर्चों के लिए था। आपकी कंपनी विदेशी मुद्रा में लिए गए कर्ज़ की अनुशासित योजना और प्रयोग, मुद्रा और ब्याज दर के जोखिमों की समय-समय पर निगरानी और अपने मंज़ूर किए गए ट्रेज़री और जोखिम-प्रबंधन ढांचे के अनुसार जोखिम कम करने के उचित उपायों के ज़रिए विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और संरक्षण करना चाहती है।

विदेशी मुद्रा में वित्तपोषण के प्रस्तावों का मूल्यांकन 'ऑल-इन-कॉस्ट' (कुल लागत) के आधार पर किया जाता है, जिसमें ब्याज, प्रतिबद्धता शुल्क और प्रतिरक्षा से जुड़ी लागतें शामिल होती हैं। इसका उद्देश्य अलग-अलग तरह के वित्तपोषण स्रोतों तक पहुँच और बाज़ार में उतार-चढ़ाव से बचाव के बीच संतुलन बनाना होता है।

10. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी एक सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार संस्था बनने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है जो जीवन स्तर में सुधार के लिए समाज और राष्ट्र में सक्रिय रूप से योगदान देती है। कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायी (सीएसआर) पहल सकारात्मक प्रभाव डालने और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और सतत विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के मूल सिद्धांत पर आधारित है। इन पहलों के माध्यम से, आपकी कंपनी का लक्ष्य देश के पर्यावरणीय और सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक और पर्यावरणीय परियोजनाओं में योगदान के माध्यम से समाज में मूल्य सृजन को बढ़ावा देना और उसे सुविधाजनक बनाना जारी रखना है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और वंचित क्षेत्रों के विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए सीएसआर निधि के अंतर्गत कुल 34 परियोजनाओं के लिए ₹32.57 करोड़ (₹0.03 करोड़ की राशि के प्रशासनिक व्यय को छोड़कर) की कुल राशि स्वीकृत की तथा वित्त वर्ष 2026 में ₹17.30 करोड़ की कुल राशि संवितरित की, जिसमें पिछले वर्षों के अव्ययित खातों से संवितरण और वित्त वर्ष 2025 के लिए प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।

आपकी कंपनी ने विभिन्न संगठनों और संस्थानों से सीएसआर अनुरोधों की प्राप्ति और निपटान में पारदर्शिता बढ़ाने और सीएसआर प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता की समय पर जाँच, स्वीकृति और संवितरण सुनिश्चित करने के लिए एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पोर्टल शुरू किया। एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी निगमित के रूप में, आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में अपने सीएसआर प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्र के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाने का लक्ष्य रखती है।

11. खंड वार – या उत्पाद वार कार्य-निष्पादन

कंपनी भारत में कार्यरत है, इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में ही संचालित माना जाता है। कंपनी के सभी प्रचालनों को एक ही व्यावसायिक खंड माना जाता है, इसलिए कंपनी का कोई अलग रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है।

चेतावनी विवरण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अपेक्षाओं और अनुमानों का वर्णन करने वाले कथन वर्तमान व्यावसायिक परिवेश पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम भारत और विदेश दोनों में भविष्य के आर्थिक और अन्य विकासों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता./-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार);
निदेशक (वित्त) और मु.वि.अ.
(डीआईएन : 08816532)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 01 सितंबर, 2026

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक का रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("कंपनी") के साथ दिये गये एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 तक का एकल तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि का एकल विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण और समाप्त उस वर्ष के लिए नकद प्रवाह का एकल विवरण, और एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पण शामिल हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 (यथा संशोधित) ("अधिनियम") की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गयी सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "एकल वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी प्रदान करते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("इंड एएस") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2026 तक कंपनी की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा इसके नकद प्रवाह सहित लाभ का एक सही तथा निष्पक्ष विवरण देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानकों ("एसएएस") के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी उत्तरदायीयिों का विवरण हमारी रिपोर्ट के 'एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की उत्तरदायीयिां' अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के अधीन एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायीयिों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

मामले पर जोर

हम एकल वित्तीय विवरणों की नोट में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान दिलाते हैं :

i. लेखा-परीक्षा समिति के गठन और एकल वित्तीय विवरणों को अपनाने के संबंध में नोट संख्या 38(2)।

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – आय की पहचान, परिसंपत्ति का वर्गीकरण और प्रावधान) निर्देश, 2025 के अनुपालन में नोट संख्या 38(48(डब्ल्यू), कंपनी ने आईआरएसीपी मानदंडों के तहत ज़रूरी प्रावधानों (जिसमें मानक परिसंपत्तियां प्रावधान भी शामिल हैं) का हिसाब लगाया है और भारतीय लेखा मानक 109 के तहत क्षति-पूर्ति भत्ता और आईआरएसीपी नियमों के तहत ज़रूरी प्रावधानों (जिसमें मानक परिसंपत्तियां प्रावधान भी शामिल हैं) के बीच के अंतर को "हानि आरक्षित" में डाला है।

iii. पूँजी जोखिम पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) के बारे में प्रकटीकरण से संबंधित नोट संख्या 38(48)(डी)(ए)। आरबीआई ने 1 जनवरी, 2026 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2025-26/168 के ज़रिए एनबीएफसी को जारी किया - ''उच्च-गुणवत्ता वाली अवसंरचना परियोजना' के लिए ऋण पर लागू जोखिम भारित ढाँचे में बदलाव करने वाले 'पूँजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड संशोधन निर्देश, 2026'। ये निर्देश 1 अप्रैल, 2026 से या उससे पहले लागू होंगे, अगर कोई एनबीएफसी इन्हें अपनाता है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2026 से इन निर्देशों को अपनाया है, जिसके परिणामस्वरूप जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ (आरडब्ल्यूए) में ₹7,787.77 करोड़ की कमी आई है और सीआरएआर में 1.83% की बढ़ोतरी हुई है। इन बदलावों के साथ, 31 मार्च, 2026 को सीआरएआर 20.59% पर है।

iv. कंपनी के कुछ खातों के वर्गीकरण के संबंध में नोट संख्या 38(40); इन खातों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के अंतरिम आदेशों के अनुसार स्टेज III/गैर-कार्य-निष्पादन करने वाली परिसम्पत्तियों (एनपीए) के बजाय स्टेज II/स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे खातों की कुल राशि 394.00 करोड़ रुपये है। हालांकि, सावधानी बरतते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के अनुसार एनपीए माने जाने वाले इन खातों से होने वाली ब्याज की आय को 'संग्रह के आधार' पर माना गया है और उसी के अनुसार नुकसान (इम्पेयरमेंट लॉस) के लिए प्रावधान किए गए हैं।

v. नए श्रमिक विधि ढाँचे पर प्रकटीकरण से संबंधित नोट संख्या 38(6)। दिनांक 21 नवंबर 2025 को, भारत सरकार ने चार लेबर कोड (श्रम संहिता) अधिसूचित किए, जिनमें 29 श्रम कानूनों को एक साथ मिलाया गया और अन्य बदलावों के साथ-साथ वेतन की एक समान परिभाषा भी लागू की गई। कंपनी की वेतन संरचना पहले से ही बदली हुई परिभाषा के अनुरूप थी; इसलिए, किसी भी बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ी और कोई प्रभाव भी नहीं देखा गया। कंपनी नियमों को अंतिम रूप दिए जाने पर नज़र रखेगी और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी प्रभाव को ध्यान में रखेगी।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपने रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रमुख लेखा-परीक्षा मामलों के रूप में माना है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षक का प्रत्युत्तर
1.	**ऋण परिसंपत्तियों की क्षति - अपेक्षित ऋण हानि** वित्तपोषण कंपनी का प्रमुख व्यवसाय है और क्षति के कारण होने वाली हानि के प्रावधान पर विचार करने के बाद उचित मूल्य पर ऋण परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंपनी एक बोर्ड अनुमोदित पद्धति का अनुसरण करती है, जिसमें ऋण जोखिम और क्षति के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करते हुए, एक बाह्य एजेंसी द्वारा क्षति के लिए अनुमति का आकलन कुछ मानदंडों/ढांचे के आधार पर किया जाता है। परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि अनुमति (ईसीएल) के मापन के लिए, चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के कारण हानि (एलजीडी) और चूक पर जोखिम (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए जटिल मॉडलों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार (जैसे- ग्राहकों द्वारा चूक करने और परिणामी हानि की संभावना) के बारे में महत्वपूर्ण मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ये मॉडल और मान्यताएँ क्षति हानि को मापने के लिए प्रमुख चालक हैं। ईसीएल का आकलन करते समय कंपनी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और ईसीएल में अंतर्निहित मान्यताओं की समय-समय पर निगरानी और समीक्षा की जाती है। ऐसी मान्यताओं का उचित अनुप्रयोग ऋण परिसंपत्तियों के विवरण के लिए आवश्यक है। एकल वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि की महत्ता को देखते हुए, ऋण परिसंपत्तियों की क्षति के कारण होने वाली हानि को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा-परीक्षा विषय माना गया है। [एकल वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 38(19)(अ)(ii)(क) देखें, जिसे मुख्य लेखा नीति संख्या 3(xx) - 'वित्तीय लिखत' के साथ पठित।	**हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएँ जिनके आधार पर हम प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता और ऋण परिसंपत्तियों की क्षति - अपेक्षित ऋण हानि के लेखांकन के संबंध में निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमने भारतीय लेखा मानक 109 "वित्तीय साधन" में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों, विभिन्न नियामक अद्यतनों, आईसीएआई के मार्गदर्शन और ईसीएल के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त कर ली है और निम्नलिखित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है: ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण क्षति का आकलन, और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का मूल्यांकन और परीक्षण। ऋण परिसंपत्तियों में वसूली का सत्यापन किया जाता है ताकि उन पर दबाव के स्तर और एकल वित्तीय विवरणों में क्षति भत्ते पर प्रभाव का पता लगाया जा सके। दस्तावेज़ीकरण, प्रचालन/कार्य-निष्पादन, उपलब्ध प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और ऋण परिसंपत्तियों, विशेष रूप से बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी का सत्यापन/समीक्षा, ताकि किसी भी ऋण परिसंपत्ति खाते में किसी भी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके। कंपनी ईसीएल घटकों के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ की सेवाएँ लेती है। उक्त बाह्य विशेषज्ञ द्वारा किए गए हानि भत्ते के अध्ययन में की गई गणनाओं पर हम भरोसा करते हैं और उसके लिए परीक्षण जाँच करते हैं। इस संबंध में हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया सीमित है, क्योंकि हम ऐसे डेटा के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर एक्सेस को उक्त बाह्य विशेषज्ञ द्वारा गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए साझा नहीं किया जाता है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षक का प्रत्युत्तर
		हमने भारतीय लेखा मानक 109 के तहत हिसाब लगाए गए 'हानि भत्ते' की तुलना आरबीआई के आईआरएसीपी नियमों के अनुसार 'प्रावधान की ज़रूरत' से की। चूंकि आईआरएसीपी नियमों के तहत प्रावधान की ज़रूरत 'अपेक्षित ऋण हानि ' (ईसीएल) भत्ते से ज़्यादा थी, इसलिए हमने पुष्टि की कि कंपनी ने एक ' हानि आरक्षित' बनाया है और यह सुनिश्चित किया है कि 'इक्विटी में बदलाव का विवरण' में इक्विटी के तहत इसे एक अलग हिस्से के रूप में प्रकट किया गया है। वित्तीय विवरण में दिखाए गए हानि भत्ते और आईआरएसीपी नियमों के अनुसार किए गए प्रावधान को स्वीकार्य और संतोषजनक माना गया है।
2	**व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन** विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर के प्रति कंपनी के जोखिम को कम करने के लिए, गैर-रुपया नकद प्रवाह की निगरानी की जाती है और बचाव उद्देश्य के लिए व्युत्पन्नी अनुबंध दर्ज किये जाते हैं। व्युत्पन्नों को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। बचाव लेखांकन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, बचाव संबंध को भारतीय लेखा मानक के अनुसार कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करना चाहिए। बचाव लेखांकन के परिणामस्वरूप एकल वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, साथ ही इसके लेखांकन/ धारणाओं की जटिलता और बचाव संबंध स्थापित करने के लिए उसमें कई मानदंड होते हैं। इन व्युत्पन्नों पर लाभ/हानि को भारतीय लेखा मानक द्वारा प्रदान की गयी अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। कंपनी के संचालन के अनुसार ऐसे लेन-देन का परिमाण महत्वपूर्ण है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे एक प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले के रूप में पहचाना है। [महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 3(xx) के साथ पठित एकल वित्तीय विवरण हेतु नोट संख्या 38(28) देखें]।	**हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं जिनके आधार पर हम प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता और व्युत्पन्नों के लिए लेखांकन के संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** - भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार व्युत्पन्नी के उचित मूल्य का सत्यापन, व्युत्पन्नी लेन-देन की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण करना। - व्युत्पन्नी लिखतों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और मूल्यांकन मॉडल पर प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन। - 31 मार्च, 2026 तक निपटान के लिए बकाया/लंबित के रूप में विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्नी अनुबंधों का विवरण प्राप्त किया। - प्रबंधन की धारणा पर चर्चा करना और समझना तथा जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी की नीति का अध्ययन करना। -31 मार्च 2026 तक बकाया व्युत्पन्न सौदे के लिए कंपनी द्वारा बाह्य मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त मार्क टू मार्केट मूल्यांकन रिपोर्ट का सत्यापन। - उन वित्तीय व्युत्पन्नी अनुबंधों के लिए प्राप्त उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। - व्युत्पन्नी लिखतों हेतु लागू मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता और नमूना आधार पर उनका परीक्षण करना। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि खाते में व्युत्पन्नी पर लाभ/हानि के लेखांकन का सत्यापन किया। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।

एकल वित्तीय विवरण और उस पर लेखा-परीक्षक के रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक का रिपोर्ट, प्रबंधन-चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक रिपोर्ट में निहित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा-परीक्षकों के रिपोर्ट शामिल नहीं है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्य जानकारी इस लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराये जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के अंतर्गत अन्य जानकारी नहीं आती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में, हमारी उत्तरदायी है कि जब ऊपर पहचानी गयी अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान प्राप्त की गयी हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऊपर बतायी गयी अन्य जानकारी को पढ़कर यह पाते है, कि उसमें कोई गंभीर विसंगति है, तो हमें मामले को अभिशासन के प्रति उत्तरदायी लोगों को बताना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख करना होगा।

प्रबंधन और एकल वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन बाबत प्रभारी लोगों की उत्तरदायीयिँ

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताये गये मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन), कंपनी की इक्विटी और नकद प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

इस ज़िम्मेदारी के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी का एक चालू समुद्यम के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू समुद्यम से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने, यथाप्रयोज्य, और लेखांकन के चालू समुद्यम आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी के परिसमापन या प्रचालन बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अतिरिक्त कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की अनुरक्षण हेतु भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षक की उत्तरदायीयिँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक ग़लतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा-परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखा-परीक्षा के अनुसार आयोजित एक लेखा-परीक्षा हमेशा एक भौतिक ग़लतबयानी का पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलतबयानी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा कर सकती हो।

एसए के अनुसार एक लेखा-परीक्षा के अंग स्वरूप, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाये रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को अभिकल्पित और निष्पादित करना, तथा लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को अभिकल्पित करने के लिए लेखा-परीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों के अनुकूल हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता है;
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सूची का मूल्यांकन करना, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की मात्रा है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावित बनाती है कि एकल वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा-परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचाने गये किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम कंपनी के अभिशासन के लिए उत्तरदायी लोगों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखा-परीक्षा के नियोजित दायरे व समय और महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है उसे हम अपनी लेखा-परीक्षा के दौरान प्रतिचिह्नित करते हैं।

हम अभिशासन के लिए प्रभारी लोगों को यह भी विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी करते हैं।

अभिशासन के लिए उत्तरदायी लोगों के साथ संवाद किये गये मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं, जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे तथा इस प्रकार वे प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन में तब तक करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारे रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना हो।

अन्य मामले

i. विगत प्रथाओं के अनुसार, ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में, कंपनी ने कंपनी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रस्तुत ईसीएल प्रतिवेदन के आधार पर भारतीय लेखा मानक 109 के अंतर्गत आवश्यक अनुसार अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) प्रदान की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी मानदंडों/कुछ पहलुओं पर आधारित धारणाएँ भी शामिल हैं। ऐसी रिपोर्ट का प्रयोग करने से ईसीएल का अनुमान लगाने की प्रबंधन की उत्तरदायी कम नहीं होती, और न ही प्रयोग की गई मान्यताओं, तरीक़ों और डेटा का मूल्यांकन करने की हमारी उत्तरदायी कम होती है।

ii. 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा कंपनी के मौजूदा संयुक्त लेखा-परीक्षकों में से एक, मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था। मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार ने उन वित्तीय विवरणों पर बिना किसी बदलाव के अपनी राय व्यक्त की।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार, हम "अनुलग्नक-क" में आदेश की कंडिका 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जो लागू होने की सीमा तक है और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार, हम कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में "अनुलग्नक-ख" में जानकारी देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

   क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा अभी तक कानून के अनुसार उचित लेखा पुस्तिकाएँ रखी गयी हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है ;

ग) इस रिपोर्ट से संबंधित एकल तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का एकल विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण और नकद प्रवाह का एकल विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं;

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015, यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

ङ) निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक-5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;

च) निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उक्त नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक-ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 ('लेखा-परीक्षा नियम') के नियम 11 के अनुसार लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है - एकल वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 38 (16) देखें।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्नी अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक पूर्वानुमानित हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत आवश्यकता अनुसार उचित प्रावधान किया है: - एकल वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 38 (19) (स) (II) (ग) देखें ।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv.

(क) प्रबंधन ने अभिवेदित किया है [देखें नोट 38 (26)] कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("बिचौलिये") शामिल है, को कोई भी धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गयी है (चाहे ऋण ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी भी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने यह अभिवेदित किया है [देखें नोट 38(26)] कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("निधिकरण पक्ष") शामिल है, से कोई निधि प्राप्त नहीं की गयी है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गयी हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगी; और

(ग) लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, जिसे परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप खंड (क) और (ख) के अधीन अभिवेदनों में कोई भौतिक गलत कथन है।

v. अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई अंतरिम लाभांश की घोषणा नहीं की गई है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु अपने खातों की पुस्तकों को अनुरक्षित रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन

के लिए पूरे वर्ष संचालित है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला और प्रबंधन ने कहा है कि ऑडिट ट्रेल सुविधा को अक्षम नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने अभिलेखों के रख-रखाव हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित रखा है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417
यूडीआईएन: 26098417HGHMMD5201

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या : 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607
यूडीआईएन: 26098607MFJVFD9906

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की सम तिथि के रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 1 में संदर्भित कंपनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अधीन अनुलग्नक "क" रिपोर्ट

(i) (i) (क) (अ) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित रख रही है;

(ब) कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित रख रही है;

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रबंधन द्वारा वार्षिक भौतिक रूप से सत्यापित किये गये हैं, जो हमारी राय में उचित है। कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन और परिणामी समायोजन पर देखी गयी विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में सम्पादित किया जाता है। प्रबंधन द्वारा दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, यह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है तथा लेखा पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया है;

(ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गये अभिलेखों तथा हमें प्रदान किये गये शीर्षक विलेखों के आधार पर, हम प्रतिवेदित करते हैं कि, एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट की गयी सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर, जहां कंपनी पट्टेदार है तथा पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किये गये हैं) नीचे बताये गये अपवादों को छोड़कर कंपनी के नाम पर रखे गये हैं: -

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण (प्रकृति)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम धारित	क्या प्रवर्तक, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि- जहां उचित हो, सीमा बताएं	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
1	कार्यालय परिसर - भारत पर्यावास केंद्र परिसर (आईएचसी) {परिसम्पत्तियों के प्रयोग का अधिकार}	1.72	आईएचसी द्वारा आवंटन-पत्र के आधार पर अधिकृत किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993	भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) द्वारा त्रिपक्षीय हस्तांतरण विलेख/समझौते का निष्पादन [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आईएचसी और आवंटी संस्थानों के बीच] लंबित है। आईएचसी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए एल एंड डीओ के साथ संपर्क में है। पट्टा विलेख के मसौदे को एल एंड डीओ द्वारा मंजूरी दे दी गयी है। आईएचसी ने 24.03.2023 को सूचित किया है कि मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और न्यायालय ने इसी प्रभाव से आदेश पारित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, आईएचसी और एसडीएमसी दोनों पक्षों द्वारा 11.04.23 के आदेश द्वारा दो अन्य याचिकाएँ भी वापस ले ली गईं थीं।

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण (प्रकृति)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम धारित	क्या प्रवर्तक, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि- जहां उचित हो, सीमा बताएं	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
						कंपनी त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु आईएचसी के साथ नियमित रूप से संपर्क में है। आईएचसी ने 31.12.2024 के ईमेल द्वारा सूचित किया है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस मामले में आखिरी संचार 30/03/2026 को प्रेषित किया था।
2	अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में कार्यालय परिसर {परिसम्पत्तियों के प्रयोग का अधिकार}	21.10	हडको द्वारा स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर प्रेषित किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006	संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण की प्रक्रिया हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) के साथ चल रही है। आखिरी संचार 24/03/2026 को प्रेषित किया था।
3.	जंगपुरा, दिल्ली में आवासीय फ्लैट (निवेश संपत्ति के रूप में धारित)	0.09	एचपीएल द्वारा विक्रय समझौते के आधार पर प्रेषित किया गया	नहीं	23.06.1994	संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एलएंडडीओ के साथ मिलकर की जा रही है। इसके बाद, विलेख का निष्पादन किया जाएगा। आखिरी संचार 24/03/2026 को प्रेषित किया था।
4.	कार्यालय परिसर- एनबीसीसी किदवई नगर (संपत्ति प्रयोग का अधिकार)	132.92	पट्टे का निष्पादन प्रक्रियाधीन	नहीं	आवंटन-पत्र दिनांक 04.09.2015	उप एलएंडडीओ-IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय (एमओएचयूए) के माध्यम कार्यपालक भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए कंपनी द्वारा अंतिम मसौदा पट्टा विलेख को एनबीसीसी के पास प्रेषित किया था। उक्त संपत्ति हेतु अधिग्रहण की तारीख और पट्टे की आरंभ तिथि के संबंध में मामले को निष्पादन से पहले एनबीसीसी के पास प्रेषित किया है। आखिरी संचार 25/03/2026 को प्रेषित किया था।

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण (प्रकृति)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम धारित	क्या प्रवर्तक, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि- जहां उचित हो, सीमा बताएं	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
5.	आवासीय फ्लैट - एनबीसीसी किदवई नगर (संपत्ति प्रयोग का अधिकार)	6.61	पट्टे का निष्पादन प्रक्रियाधीन	नहीं	आवंटन-पत्र दिनांक 14.11.2018	उप एलएंडडीओ-IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, एमओएचयूए के माध्यम कार्यपालक भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु कंपनी द्वारा अंतिम मसौदा पट्टा विलेख को एनबीसीसी के पास प्रेषित किया था। उक्त संपत्ति हेतु अधिग्रहण की तारीख और पट्टे की आरम्भ तिथि के सम्बन्ध में मामले को निष्पादन से पहले एनबीसीसी के पास प्रेषित किया है। यह फ्लैट एमओएचयूए के पास इंटर-पूल एक्सचेंज ऑफ़ हाउसेस में है तथा इसे कंपनी में वापस लेने की कार्रवाई चल रही है। अद्यतन सूचना 25/03/2026 को भेजी गयी थी।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसम्पत्तियों के उपयोग के अधिकार सहित) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है;

(ङ) बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत कंपनी के प्रति कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गयी है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) कंपनी के पास कोई वस्तु-सूची नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी को कुछ चालू परिसंपत्तियों की जमानत के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा संस्वीकृत की गयी है तथा कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों में दाखिल तिमाही रिटर्न या विवरण कंपनी की लेखा बही के अनुरूप हैं।

(iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान अपने लेन-देन के संबंध में, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, लेकिन एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते गारंटी और सुरक्षा प्रदान की, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी और अन्य पक्षों को आरक्षित/अरक्षित ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान किए। इस संबंध में, हम निम्नानुसार प्रतिवेदित करते हैं -

(क) कंपनी एक एनबीएफसी है जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, ऋण या ऋण की प्रकृति में किसी भी अग्रिम पर रिपोर्टिंग, या गारंटर के रूप में खड़े होने, या सुरक्षा के प्रावधान के लिए यह खंड लागू नहीं है। इस दृष्टि से आदेश के खंड 3 (iii) (क) (अ) और (ब) के अधीन अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं है;

(ख) हमारी राय में और हमारे द्वारा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, प्रदान की गयी गारंटी, दी गयी सुरक्षा और ऋण तथा गारंटी की प्रकृति में सभी ऋण और अग्रिम के अनुदान के नियम और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं;

(ग) हमारे द्वारा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, ऋण और ऋण की प्रकृति में अग्रिम के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गयी है और ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मामले को छोड़कर, और कुछ मामलों को चरण 1 के रूप में प्रकट किया गया है और अदालत के आदेशों के मद्देनजर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में प्रकट नहीं किया गया है, को छोड़कर पुनर्भुगतान आमतौर पर शर्तों के अनुसार नियमित हैं [देखें एकल वित्तीय विवरणों की क्रमशः नोट 38(48)(डब्ल्यू) व 38(40)];

(घ) हमारे द्वारा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं और एकल वित्तीय विवरणों की नोट 38 (48) (डब्ल्यू) में यथा प्रकटीकृत के अनुसार, नब्बे (90) दिनों से अधिक के लिए कुल बकाया राशि ₹3,245.46 करोड़ है। हमारी राय में, मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कंपनी द्वारा एक एनबीएफसी होने के नाते उठाये गये कदम आम तौर पर इसके द्वारा तैयार की गयी नीतियों के अनुसार हैं और उचित हैं;

(ङ) कंपनी एक एनबीएफसी है जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, वर्ष के दौरान देय होने वाले ऋणों आदि पर रिपोर्टिंग के लिए यह खंड 3(iii)(ङ) और दिये गये मौजूदा ऋणों के बकाया को निपटाने के लिए नवीनीकृत या विस्तारित या नये ऋण दिये गये हैं, कंपनी पर लागू नहीं हैं;

(च) हमारे द्वारा की गयी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान, मांग पर या तो चुकाने योग्य या फिर बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किये ऋण या ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसे देखते हुए, इस खंड 3(iii(च) के अनुसार संबंधित पक्षों को ऋण के संबंध में अन्य रिपोर्टिंग आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं;

(iv) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 (जो कंपनी पर लागू होती है) का उल्लंघन करते हुए कोई ऋण नहीं दिया है, न ही कोई गारंटी या प्रतिभूति दी है।

(ख) इसके अतिरिक्त, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चूंकि कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, इसलिए इसे ऋण और गारंटी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 और संबंधित नियमों से छूट प्राप्त है। निवेश के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(1) के प्रावधानों का पालन किया है।

(v) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम और उसके तहत नियमों के कोई भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसे देखते हुए, आदेश के खंड (v) के अनुसार ऐसे प्रावधानों या प्राधिकारियों/न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश के उल्लंघन के संबंध में अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vi) हमने कंपनी के व्यवसाय के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों की व्यापक समीक्षा की है, जिस पर उक्त नियम लागू होते हैं और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित लेखों और अभिलेख बनाये गये हैं और अनुरक्षित हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए उक्त अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

(vii) (क) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी आम तौर पर वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया को उचित अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। वर्ष के अंत तक किसी भी वैधानिक बकाया के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि बकाया नहीं थी, जो उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी;

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर उल्लिखित वैधानिक बकाया का विवरण जो किसी विवाद के कारण वर्ष के अंत तक जमा नहीं किया गया है, निम्नानुसार है:

संविधि का नाम	कर की प्रकृति	राशि विवाद में (₹ करोड़ में)	वित्त वर्ष हेतु	जमा की गयी राशि+ (₹ करोड़ में)	फोरम जहाँ मामला लंबित है
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	15.47	2013-14	15.47	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	4.27	2019-20	4.27	आईटीएटी
वित्त अधिनियम (एफए)1994, एफए 2004, एफए 2015	सेवा कर व जुर्माना	117.09	2012-13 to 2015 -16	7.86	सीईएसटीएटी,नई दिल्ली
वित्त अधिनियम (एफए) 1994, एफए 2004, एफए 2015	सेवा कर व जुर्माना	41.46	2016-17 & 2017-18	3.88	सीईएसटीएटी,मुंबई

संविधि का नाम	कर की प्रकृति	राशि विवाद में (₹ करोड़ में)	वित्त वर्ष हेतु	जमा की गयी राशि+ (₹ करोड़ में)	फोरम जहाँ मामला लंबित है
सीजीएसटी अधिनियम 2017 व दिल्ली वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017	जीएसटी व जुर्माना	30.51	2017-18 & 2018-19	15.25	#

+ विरोध / पूर्वप्रदत्त कर के अधीन जमा

जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में दूसरी अपील दायर की जानी है।

(viii) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान, ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो। इसके मद्देनजर, आदेश के खंड 3 (viii) के अनुसार पहले से अलिखित आय का कोई लेन-देन नहीं है।

(ix) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी ऋणदाता को किसी ऋण या अन्य ऋण के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। इसके मद्देनजर, आदेश के खंड 3 (ix) (क) के अंतर्गत अपेक्षित अन्य रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किये गये थे, उसी उद्देश्य के लिए सावधि ऋण लागू किये गये थे। इसे देखते हुए आदेश के खंड 3(ix)(ग) के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(घ) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण, हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं तथा कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा अल्पावधि आधार पर उगाही गयी किसी भी निधि का उपयोग दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है। इसे देखते हुए आदेश के खंड 3(ix)(घ) के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी संस्था या व्यक्ति से सहायक कंपनी के दायित्वों को पूरा करने के लिए या खाते पर कोई धनराशि नहीं ली है और कंपनी के पास कोई संयुक्त उद्यम या सहयोगी संस्था नहीं है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने सहायक कंपनी में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है और कंपनी के पास कोई संयुक्त उद्यम या सहयोगी संस्था नहीं है।

(x) (क) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से कोई धनराशि की उगाही नहीं की है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऋण साधनों (सार्वजनिक प्रस्ताव या अन्यथा) के माध्यम से उगाही गयी धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया, जिनके लिए उन्हें उगाहा गया था।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान 'योग्य संस्थागत नियोजन' (क्यूआईपी) के ज़रिए जुटाई गई रकम का प्रयोग उन्हीं कामों के लिए किया है, जिनके लिए यह रकम जुटाई गई थी।

(xi) (क) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान हमें कंपनी द्वारा या कंपनी के साथ किसी बड़े धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला है, सिवाय उन मामलों के जिनकी जानकारी प्रबंधन ने कंपनी पर लागू विनियामक नियमों के तहत दी है; ये 2 मामले हैं और इनकी कुल रकम ₹14.80 करोड़ है। [एकल वित्तीय विवरण की नोट संख्या 38(51) देखें]।

इसके अतिरिक्त, ऋण लेने वाले समूह में से किसी एक पर कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने का शक है, जिसकी जांच चल रही है। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक के अनुसार ऋणकर्ता के ऋण खाते को अवनित किया है और बकाया ऋण राशि के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। [एकल वित्तीय विवरण की नोट संख्या 38(52) देखें]।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित अनुसार फॉर्म एडीटी-4 में लेखा-परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई पर्दाफाश करने वाली शिकायत नहीं मिली है।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xiii) (क),(ख)या(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो तथा लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक अनुसार एकल वित्तीय विवरणों में आवश्यक प्रकटीकरण किये गये हैं;

(xiv) (क) हमारी राय में तथा हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए लेखा परीक्षित अवधि के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा आज तक जारी रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। इसे देखते हुए आदेश के खंड 3(xv) के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xvi) (क) कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों के संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-IA के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक है।

(ख) कंपनी द्वारा की जाने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियाँ पंजीकरण के वैध प्रमाणपत्र के अधीन हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये विनियमों में परिभाषित अनुसार एक मूल निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (ग)और (घ) के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;

(xvii) कंपनी ने न तो इस वित्त वर्ष में और न ही तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में नकद घाटा उठाया है;

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा-परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार इस खंड के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;

(xix) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, एकल वित्तीय विवरणों के साथ दी गयी अन्य सूचना, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी और प्रबंधन योजनाओं के आधार पर, हमारा यह मत है कि लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता विद्यमान नहीं है कि कंपनी अपने तुलन-पत्र की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों को तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाने में सक्षम है। हम आगे बताते हैं कि हमारा रिपोर्ट हमारे लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा उनके देय होने पर भुगतान कर दिया जाएगा;

(xx) (क) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य के संबंध में, कंपनी को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्त वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष की किसी भी अव्यतित राशि को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। [एकल वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 38(38) देखें]

(ख) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी चालू परियोजना के अंतर्गत ₹26.09 करोड़ की राशि का व्यय न किया जाना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित किया गया है। [एकल वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 38(38) देखें]

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417
यूडीआईएन: 26098417HGHMMD5201

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या : 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607
यूडीआईएन: 26098607MFJVFD9906

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा जारी किये गये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेश

विवरण	जवाब
कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों के लिए, कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्ट के ज़रिए किए गए सभी निवेशों (चाहे वे उद्धृत हों या अउद्धृत) के उचित मूल्य का आकलन। इसमें मूल्यांकन के तरीकों की पुष्टि करना, भारतीय लेखा मानक के साथ एकरूपता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा-परीक्षक मूल्यांकन के तरीके, उसके उचित होने और लागू नियमों के पालन के बारे में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करेगा, और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत जानकारी की रिपोर्ट करेगा।	हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया और जांचे गए रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी के निवेश (जिनमें सेवा-निवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ योजना से जुड़े निवेश भी शामिल हैं) का मूल्यांकन लागू भारतीय लेखा मानक एएस की ज़रूरतों के अनुसार किया गया है। उद्धृत निवेश (सरकारी प्रतिभूतियों) के लिए, मूल्यांकन में मदद बाजार-आधारित डेटा (फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) द्वारा प्रकाशित किये गए बाजार मूल्य) से मिलती है; वित्तपोषित कर्मचारी लाभ योजना के लिए, वहन राशि को एलआईसी द्वारा दिए गए जीवनांकिक मूल्यांकन और प्लान एसेट स्टेटमेंट पर आधारित है; और अउद्धृत सहायक कंपनी निवेश के लिए, लेखा-परीक्षा के दौरान ऐसा कोई क्षति का संकेत सामने नहीं आया जिसके लिए समायोजन की ज़रूरत हो। ये सभी भारतीय लेखा मानक में बताए गए मूल्यांकन तरीके के अनुसार हैं, लागू नियमों का पालन करते हैं और वित्तीय विवरण में सही ढंग से बताए गए हैं। उपर्युक्त निवेशों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विचलन या गलत बयान हमारे ध्यान में नहीं आया।
क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के ज़रिए सभी लेखांकन लेन-देन की प्रक्रिया के लिए प्रणाली है? अगर हाँ, तो क्या कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और साइबर सुरक्षा के लिए प्रमुख इस प्रणाली और नियंत्रण की समीक्षा, 'सीईआरटी-इन' द्वारा सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा संगठनों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार की गई है और क्या कोई प्रमुख खामी,यदि कोई हो, मिलने पर उसकी उचित रिपोर्टिंग की गई है? सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन की प्रक्रिया का खातों की सत्यता और वित्तीय पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी भी रिपोर्ट दी जा सकती है।	लेखा-परीक्षा की प्रक्रियाओं और रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी -आधारित लेखांकन और नियंत्रण का माहौल है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन की प्रक्रिया के कारण खातों की सत्यता पर कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव हमारी जानकारी में नहीं आया। वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण (जिनमें साइबर सुरक्षा भी शामिल है) की प्रत्येक वर्ष 'सीईआरटी-इन के साथ पंजीकृत सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा संगठन द्वारा समीक्षा की जाती है। इस तरह की समीक्षाओं के दौरान कोई भी बड़ी गड़बड़ी नहीं पाई गई और इसलिए, किसी भी बात की रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए मिली या मिलने वाली रकम का हिसाब-किताब सही ढंग से रखा गया है और उसकी शर्तों के अनुसार प्रयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	जांचे गए लेखांकन रिकॉर्ड और नोट घोषणा के आधार पर, केंद्रीय एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए मिले या मिलने वाले कोष का हिसाब-किताब अलग से रखा गया है; बिना प्रयोग की गई रकम को अलग बैंक खाते में रखा गया है और उनसे जुड़ी देनदारियों को वित्तीय विवरणों की नोट में बताया गया है; साथ ही, कंपनी ने एमएनआरई द्वारा निर्धारित किए गए उपयोग प्रमाणपत्र प्रणाली का पालन करने की बात कही है। वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के दौरान लेखांकन ट्रीटमेंट में कोई भी अंतर हमारे ध्यान में नहीं आया।
क्या कंपनी ने मुख्य जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? अगर हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? अगर हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने जोखिम वाले मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है और उसके पास बोर्ड से मंज़ूर जोखिम प्रबंधन नीति/ढांचा है। इसमें ऋण, बाज़ार, चलनिधि, विदेशी मुद्रा और परिचालनगत जोखिम शामिल हैं। इसकी देख-रेख बोर्ड/जोखिम प्रबंधन समिति करती है और इसे एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग का सहयोग मिलता है।

विवरण	जवाब
क्या कंपनी, जहाँ भी लागू हो, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और अन्य लागू नियमों तथा सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, निगमित मामलों के मंत्रालय, सार्वजानिक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-इन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन कर रही है? अगर ऐसा नहीं है, तो विचलन के मामले को उजागर किया जा सकता है।	निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं, जांचे गए रिकॉर्ड और रिपोर्ट और हमारे द्वारा समीक्षा की गई नोट/वार्षिक रिपोर्ट प्रकटीकरण के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, डीपीई मार्गदर्शन, डीआईपीएएम की मंज़ूरी और आरबीआई के निर्देशों के लागू प्रावधानों का कोई उल्लंघन हमें देखने को नहीं मिला, इसके लिए वित्तीय विवरणों में जानकारी देना ज़रूरी होगा, सिवाय इन मामलों के: 6 मार्च 2026 से स्वतंत्र निदेशकों (जिनमें एक महिला निदेशक भी शामिल हैं) की अपर्याप्त संख्या के कारण निदेशक मंडल की संरचना से जुड़े मामले; 6 मार्च 2026 से बोर्ड स्तरीय समिति यानी आईटी रणनीति समिति के नियमों का पालन न करना; और सभी स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल पूरा होने के कारण 28 मार्च 2026 से लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति,सीएसआर समिति, हितशरक सम्बन्ध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के नियमों का पालन न करना। सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के ' संस्था के अंतर्नियम' के अनुसार, सभी निदेशकों (जिनमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं) की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के माध्यम से की जाती है। हमें मिली जानकारी के अनुसार, कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय (यानी एमएनआरई) के साथ यह मामला उठाया गया है ताकि कंपनी के बोर्ड में ज़रूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक (जिनमें महिला निदेशक भी शामिल हैं) की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके। नवीकरणीय-ऊर्जा वित्तपोषण एनबीएफसी के तौर पर अपने सामान्य कामकाज के दौरान, कंपनी पर टीआरएआई और एनपीसीआई की ज़रूरतें लागू नहीं होती हैं।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417
यूडीआईएन: 26098417HGHMMD5201

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या : 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607
यूडीआईएन: 26098607MFJVFD9906

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च, 2026 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के साथ संयुक्त है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की उत्तरदायी

कंपनी का प्रबंधन इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकॉउन्टेंट्स ऑफ़ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा' पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायीयिों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा-परीक्षक की उत्तरदायी

हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना हमारी उत्तरदायी है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा 'वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्ग-दर्शन नोट') और 'लेखा-परीक्षण पर मानक' के अनुसार की, दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किये गये और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने गये, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा के लिए लागू और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किये गये। उन मानकों और मार्ग-दर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाये रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किये गये जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गयी प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के सम्बन्ध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

1. उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किये जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय सिर्फ़ कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरणों और निदेशकों के अनुसार किये जा रहे हैं; और
3. कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है, साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं,या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय प्रतिवेदन पर एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय प्रतिवेदन पर ऐसी वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रूप से काम कर रही थी, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर मार्ग-दर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करती है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417
यूडीआईएन: 26098417HGHMMD5201

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या : 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607
यूडीआईएन: 26098607MFJVFD9906

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षक का रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल,
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 तक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं, जो 'कंपनी अधिनियम 2013 (यथा संशोधित) ("अधिनियम") (जिसे आगे "एकल वित्तीय विवरण" कहा जाएगा) की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गयी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षक रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार, कंपनी पर लागू सीमा तक उसमें निर्दिष्ट मामलों पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र (सीओआर) संख्या 14.000012 दिनांक 13 मार्च, 2023 है, जिसे निवेश ऋण कंपनी (आईसीसी) के रूप में पहले के पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 14.000012 दिनांक 23 जनवरी, 2008 के बदले में जारी किया गया था और पहले भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iए के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण के लिए कंपनी के आवेदन के अनुसरण में प्रमाण-पत्र संख्या 14.000012 दिनांक 10 फरवरी 1998 के माध्यम से पंजीकृत किया गया था। कंपनी 31 मार्च, 2026 तक अपने प्रधान व्यवसाय मानदंड (परिसंपत्ति/आय स्वरूप) के अनुसार उक्त सीओआर को जारी रखने की हकदार है।
2. यह कंपनी एक एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ("एनबीएफसी-आईएफसी") और एनबीएफसी–मिडिल लेयर (एमएल) है। यह कंपनी, 28 नवंबर 2025 के 'मास्टर डायरेक्शन – रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (नॉन-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी – रजिस्ट्रेशन, छूट और स्केल-आधारित विनियमन हेतु ढांचा) निर्देश, 2025' में निर्धारित ऐसी कंपनियों पर लागू शुद्ध स्वामित्व वाली निधि की ज़रूरतों को पूरा कर रही है।
3. निदेशक मंडल ने 15 अप्रैल, 2025 को संकल्प लिया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करेगी।
4. कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।
5. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरण आरबीआई द्वारा जारी किये गये प्रासंगिक नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किये गये हैं। तदनुसार, कंपनी अपनी ऋण परिसंपत्तियों के प्रावधान और उसके वर्गीकरण के लिए हानि भत्ते की गणना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति का अनुसरण कर रही है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए एक तंत्र को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के विनियामक अनुपालन को देखते हुए, कंपनी को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार क्षति हानि का प्रावधान करना आवश्यक है और एनबीएफसी-आईआरएसीपी निर्देश, 2025 के तहत, खराब और संदिग्ध कर्ज़ों के लिए आय की पहचान, परिसंपत्ति के वर्गीकरण और प्रावधान से जुड़े विवेकपूर्ण नियमों (आईआरएसीपी नियम) का पालन करना ज़रूरी नहीं है।

   हालांकि, इस संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के ('गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आय की पहचान, परिसंपत्ति का वर्गीकरण और प्रावधान' निर्देश, 2025 का पालन करते हुए, कंपनी ने आईआरएसीपी नियमों (मानक परिसंपत्ति प्रावधानों सहित) के तहत ज़रूरी प्रावधान की गणना की है। आईआरएसीपी मानदंडों के तहत प्रावधान की राशि ज़्यादा होने के कारण, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 109 के तहत हानि भत्ता और आईआरएसीपी नियमों (मानक परिसंपत्ति प्रावधानों सहित) के तहत ज़रूरी प्रावधान के बीच के अंतर को "हानि आरक्षित" में डाल दिया है।
6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

   i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को जमा की गई तिमाही रिटर्न डीएनबीएस-3 में बताई गई 'कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो' (पूंजी पर्याप्तता अनुपात) की गणना सही ढंग से की गई है और यह अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम सीआरएआर के अनुरूप है।

   ii) कंपनी ने 31 मार्च, 2026 तक की पूँजी निधि, जोखिम परिसंपत्ति/जोखिम और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (डीएनबीएस-03 रिटर्न) का वार्षिक विवरण, प्रावधानित वित्तीय नतीजों के आधार पर 21 अप्रैल, 2026 को फ़ाइल किया गया है।
7. कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) के तौर पर पंजीकृत है और भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – माइक्रोफाइनेंस संस्थान) निर्देश, 2025 के तहत एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू होने वाले विशेष निर्देशों के दायरे में नहीं आती है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417
यूडीआईएन: 26098417YRKGKR3920

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या : 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607
यूडीआईएन: 26098607STLRXV6275

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के मन्तव्य।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की उत्तरदायी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा-परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा कहा गया है कि यह कार्य उनके द्वारा **29.05.2026** की उनकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा वैधानिक लेखा-परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा-परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन वैधानिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई नोट या अनुपूरक करने की आवश्यकता हो।

कृते तथा उनकी ओर से

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक

हस्ता./-
(डॉ. कविता प्रसाद)
निदेशक लेखा-परीक्षा, केन्द्रीय व्यय
(पर्यावरण व वैज्ञानिक विभाग)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.07.2026

एकल तुलन-पत्र

31 मार्च, 2026 को

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2026 को	31.03.2025 को
I	**परिसम्पत्तियां**			
अ	**वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समतुल्य	2	14.64	29.84
	(ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त बैंक शेष	3	702.51	461.02
	(ग) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	4	997.49	487.89
	(घ) प्राप्य			
	(I) व्यावसायिक प्राप्य	5	3.15	5.93
	(ङ) ऋण	6	90,196.59	74,271.54
	(च) निवेश	7	909.82	626.14
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	25.53	29.20
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (अ)		**92,849.73**	**75,911.56**
ब	**गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) चालू कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	9	112.79	219.81
	(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	10	476.31	360.56
	(ग) निवेश संपत्ति	11	0.02	0.02
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)	12	177.37	199.68
	(ङ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	13	-	-
	(च) परिसम्पत्तियां उपयोग का अधिकार	14	138.49	143.40
	(छ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	15	-	-
	(ज) अमूर्त परिसम्पत्तियां	16	4.34	5.49
	(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	17	43.17	26.28
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (ब)		**952.49**	**955.24**
	कुल परिसंपत्तियाँ (अ+ब)		**93,802.22**	**76,866.80**
II	**देयताएँ और इक्विटी**			
	देयताएँ			
अ	**वित्तीय देयताएँ**			
	(क) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	4	47.40	23.20
	(ख) देय			
	(I) व्यावसायिक देय राशि	18		
	(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		1.12	1.06
	(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		3.39	8.05
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ	19	28,421.60	28,446.24
	(घ) ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	20	46,166.69	33,489.50
	(ङ) अधीनस्थ देयताएँ	21	3,257.34	2,804.57
	(च) अन्य वित्तीय देयताएँ	22	1,730.15	1,471.84
	कुल वित्तीय देयताएँ (अ)		**79,627.69**	**66,244.46**
ब	**गैर-वित्तीय देयताएँ**			
	(क) प्रावधान	23	196.76	169.05
	(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	24	196.42	187.13
	कुल गैर-वित्तीय देयताएँ (ब)		**393.18**	**356.18**
स	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	2,809.23	2,687.76
	(ख) अन्य इक्विटी	26	10,972.12	7,578.40
	कुल-इक्विटी (स)		**13,781.35**	**10,266.16**
	कुल देयताएँ और इक्विटी (अ+ब+स)		**93,802.22**	**76,866.80**

कंपनी अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की 1
साथ में दी गई नोट 1 से 38 एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि के हमारे लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989N

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 003084S

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607

हस्ता./-
डॉ.बी के महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या: 08816532

हस्ता./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या: 07448576

हस्ता./-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

लाभ और हानि का एकल विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	नोट सं	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
I	**प्रचालन से राजस्व**			
i)	ब्याज आय	27	8,179.20	6,575.39
ii)	शुल्क और कमीशन आय	28	58.68	95.71
iii)	उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि)	29	31.21	13.13
iv)	अन्य प्रचालन आय	30	39.91	58.18
	प्रचालन से कुल राजस्व (I)		**8,309.00**	**6,742.41**
II	अन्य आय	31	28.48	12.37
III	**कुल आय (I+II)**		**8,337.48**	**6,754.78**
IV	**व्यय**			
i)	वित्त लागत	32	4,904.66	4,141.03
ii)	शुद्ध परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)	33	43.41	41.61
iii)	वित्तीय लिखतों पर हानि	34	777.08	237.23
iv)	कर्मचारी लाभ व्यय	35	105.24	81.05
v)	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	36	43.81	38.80
vi)	अन्य व्यय	37	92.86	86.48
vii)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	38(38)	33.50	24.78
	कुल व्यय (IV)		**6,000.56**	**4,650.98**
V	अपवादीय मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		2,336.92	2,103.80
VI	अपवादीय मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**2,336.92**	**2,103.80**
VIII	**कर व्यय**	38(3)		
	(i) चालू कर		565.12	471.31
	-वर्तमान वर्ष		580.45	477.02
	-पूर्ववर्ती वर्ष		(15.33)	(5.71)
	(ii) आस्थगित कर		(101.54)	(66.11)
IX	**निरंतर प्रचालन से लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**1,873.34**	**1,698.60**
	बंद प्रचालन से लाभ/(हानि)		-	-
X	**वर्ष हेतु लाभ/(हानि)**		**1,873.34**	**1,698.60**
XI	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**			
(अ)	(i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन:-		(41.51)	(20.78)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		10.45	5.23
	उप-योग (अ)		**(31.06)**	**(15.55)**
ब	**(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा :-**			
	- नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		202.03	111.96
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(50.85)	(28.18)
	उप-योग (ब)		**151.18**	**83.78**
	अन्य व्यापक आय (अ+ब)		**120.12**	**68.23**
XII	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (X+XI) [लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सम्मिलित]**		**1,993.46**	**1,766.83**
XIII	**आय प्रति इक्विटी शेयर (चालू प्रचालन हेतु)**			
	मूल (₹)	38(14)	6.73	6.32
	डाइल्यूटेड (₹)		6.73	6.32
XIV	**आय प्रति इक्विटी शेयर (बंद प्रचालन हेतु)**			
	मूल (₹)		-	-
	डाइल्यूटेड (₹)		-	-
XV	**आय प्रति इक्विटी शेयर (चालू और बंद प्रचालन हेतु)**			
	मूल (₹)		6.73	6.32
	डाइल्यूटेड (₹)		6.73	6.32

कंपनी अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी 1

साथ में दी गई नोट 1 से 38 एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि के हमारे लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989N

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 003084S

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607

हस्ता./-
डॉ.बी के महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या: 08816532

हस्ता./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या: 07448576

हस्ता./-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

नकद प्रवाह का एकल विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
अ	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :**					
	कर पूर्व लाभ		2,336.92		2,103.80	
	निम्न हेतु समायोजन:					
	1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करने पर हानि/(लाभ) (शुद्ध)	1.08		0.54	
	2	वित्तीय साधनों पर हानि	777.08		237.23	
	3	मूल्यह्रास और परिशोधन	43.81		38.80	
	4	डब्ल्यूबी अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन	0.37		0.37	
	5	पट्टा देयता पर ब्याज	0.38		0.34	
	6	शुद्ध परिवर्तन/ लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)	43.41		41.61	
	7	वापस लिखा गया प्रावधान	-		(0.01)	
	8	बट्टे खाते डाली गई राशि / खराब ऋण	14.55		17.02	
	9	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	3.51		4.09	
	10	ऋण प्रतिभूतियों पर प्रभावी ब्याज दर	0.51		(7.36)	
	11	अधीनस्थ देयताओं पर प्रभावी ब्याज दर	(0.24)		(2.21)	
	12	ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	62.05		43.03	
	13	कर्मचारियों के लिए ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	0.19		-	
	14	अप्रत्यक्ष कर (गारंटी कमीशन पर सहित) और अन्य के लिए प्रावधान	6.26		23.22	
	15	निवेश की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(0.22)		-	
	16	उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध हानि/(लाभ)	31.21		13.13	
	परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**3,320.87**		**2,513.60**	
	परिचालन परिसंपत्तियों/देनदारियों में वृद्धि/कमी					
	1	ऋण परिसंपत्तियां	(16,797.34)		(16,623.35)	
	2	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों	(516.61)		(202.05)	
	3	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	(34.29)		(54.73)	
	4	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	(18.54)		3.64	
	5	व्यावसायिक प्राप्य	2.77		0.09	
	6	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	25.48		33.70	
	7	अन्य वित्तीय देयताएं	290.25		409.44	
	8	व्यावसायिक देय	(4.60)		1.81	
	9	नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक शेष	(241.50)		20.35	
			(17,294.38)		**(16,411.10)**	
	असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से नकद प्रवाह		**(13,973.51)**		**(13,897.50)**	
	असाधारण मद		-		-	
	कर पूर्व परिचालन से शुद्ध नकद अन्तर्वाह/(बहिर्वाह)		**(13,973.51)**		**(13,897.50)**	
	आयकर		(508.95)		(563.90)	
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह			**(14,482.46)**		**(14,461.40)**
ब	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**					
	1	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की खरीद(आरओयू सहित)	(15.00)		(25.38)	
	2	अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद	(0.39)		(1.93)	
	3	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री (आरओयू सहित)	0.16		0.32	
	4	सरकारी प्रतिभूतियों (शुद्ध) एवं सहायक कंपनी में निवेश	(265.36)		(516.39)	
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह			**(280.59)**		**(543.38)**
स	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**					
	1	इक्विटी शेयरों के निर्गम से आय	121.47		-	
	2	प्रतिभूति प्रीमियम से आय	1,884.43		-	
	3	शेयर निर्गम व्यय	(14.87)		-	
	4	ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम (मोचन का शुद्ध)	(25.16)		10,740.00	
	5	पीडीआई सहित अधीनस्थ देनदारियों को जुटाना (मोचन का निवल)	453.01		2,157.37	
	6	ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अन्य ऋण उगाही (पुनर्भुगतान का निवल)	12,329.28		2,063.33	

नकद प्रवाह का एकल विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
	7	पट्टा देयता हेतु भुगतान	(0.31)		(0.29)	
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह		**14,747.85**		**14,960.41**	
	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/कमी		**(15.20)**		**(44.37)**	
	शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		29.84		74.21	
	अंत में नकद और नकद समकक्ष		14.64		29.84	
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष के घटक निम्नानुसार हैं:					
	बैंकों की भारतीय शाखा के चालू खातों में		3.02		19.74	
	बैंकों की विदेशी शाखा के चालू खातों में		0.00		-	
	विदेशी शाखाओं में अल्पावधि जमा		-		0.32	
	बैंकों के साथ ओवरड्राफ्ट खातों में		3.91		1.90	
	बैंकों के साथ जमा खातों में		1.15		-	
	बैंकों के साथ बचत बैंक खातों में		6.56		7.88	
	संग्रह के अधीन चेक/डीडी हाथ में और डाक अग्रदाय		0.00		0.00	
	वर्ष के अंत में कुल नकद और नकद समकक्ष		**14.64**		**29.84**	

कंपनी अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी 1
साथ में दी गई नोट 1 से 38 एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

1 नकद प्रवाह का उपर्युक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 7'नकद प्रवाह का विवरण'में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अधीन तैयार किया गया है।
2 परिसंपत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण तथा सीएसआर गतिविधियों से संबंधित अन्य उद्देश्यों पर व्यय की गयी राशि के लिए नोट 38(38) देखें।
3 ऊपर प्रस्तुत रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में नकद तथा नकद समकक्षों तथा बैंक में शेष राशि के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।
4 जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित तथा पुनर्समूहित किया गया है।

सम तिथि के हमारे लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
डॉ.बी के महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या: 08816532

हस्ता./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या: 07448576

हस्ता./-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

इक्विटी में परिवर्तनों का एकल विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

अ इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या (अदद)	राशि (₹ करोड़ में)
जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त :		
01.04.2024 को आरंभिक शेष राशि	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**
वर्ष के दौरान परिवर्तन		
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी		
(i) इक्विटी शेयरों का नया निर्गम	-	-
(ii) अदत्त पूंजी की मांग	-	-
31.03.2025 को अंतिम शेष राशि	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**
01.04.2025 को प्रारंभिक शेष राशि	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**
वर्ष के दौरान परिवर्तन		
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी		
(i) इक्विटी शेयरों का नया निर्गम	12,14,66,562	121.47
(ii) अप्रदत्त पूंजी की मांग	-	-
31.03.2026 को अंतिम शेष राशि	**2,80,92,31,268**	**2,809.23**

ब अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष								नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	कुल
	सामान्य आरक्षित	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित	डिबेंचर मोचन आरक्षित	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ICसी के तहत एनबीएफसी आरक्षित	प्रतिधारित आय	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित	हानि आरक्षित		
01.04.2024 तक प्रारंभिक शेष राशि	**2,610.48**	**1,581.10**	**397.75**	**712.83**	**38.26**	**863.63**	**(318.37)**	**-**	**(14.02)**	**5,871.66**
शेयर जारी करने का खर्च (कर लाभों का निवल)	-	-	-	-	-	0.63	-	-	-	**0.63**
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	1,698.60	-	-	-	-	**1,698.60**
ओसीआई के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	-	-	-	-	(15.55)	-	-	-	**83.78**	**68.23**
31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,683.04**	**-**	**-**	**-**	**83.78**	**1,766.82**
वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय से/में शुद्ध अंतरण	950.00	362.00	41.26	340.00	(1,693.26)	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर में संयोजन	-	-	-	-	-	-	(65.26)	-	-	(65.26)
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर का परिशोधन	-	-	-	-	-	-	4.55	-	-	**4.55**
31.03.2025 को अंतिम शेष राशि	**3,560.48**	**1,943.10**	**439.01**	**1,052.83**	**28.04**	**864.26**	**(379.08)**	**-**	**69.76**	**7,578.40**
01.04.2025 को प्रारंभिक शेष राशि	**3,560.48**	**1,943.10**	**439.01**	**1,052.83**	**28.04**	**864.26**	**(379.08)**	**-**	**69.76**	**7,578.41**
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम	-	-	-	-	-	1,884.43	-	-	-	1,884.43
शेयर जारी करने का खर्च (कर लाभों का निवल)	-	-	-	-	-	(11.13)	-	-	-	(11.13)
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	1,873.34	-	-	-	-	1,873.34
ओसीआई के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	-	-	-	-	(31.06)	-	-	-	151.19	120.12
31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,842.28**	**-**	**-**	**-**	**151.19**	**1,993.46**
वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में/से निवल अंतरण	250.00	466.00	-	375.00	(1,391.46)	-	-	300.46	-	-
साधारण आरक्षित को अंतरण	439.01		(439.01)		-	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष									
	सामान्य आरक्षित	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित	डिबेंचर मोचन आरक्षित	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iसी के तहत एनबीएफसी आरक्षित	प्रतिधारित आय	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित	हानि आरक्षित	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	कुल
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	(168.55)	-	-	-	-	**(168.55)**
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर में संयोजन	-	-	-	-	-	-	(319.29)	-	-	(319.29)
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर का परिशोधन	-	-	-	-	-	-	14.79	-	-	**14.79**
31.03.2026 को अंतिम शेष राशि	**4,249.49**	**2,409.10**	**-**	**1,427.83**	**310.31**	**2,737.56**	**(683.58)**	**300.46**	**220.95**	**10,972.12**

कंपनी अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी 1

साथ में दिये गये नोट 1 से 38 एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि के हमारे लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
डॉ.बी के महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या: 08816532

हस्ता./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या: 07448576

हस्ता./-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 1: एकल वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1) निगमित जानकारी

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("इरेडा" या "कंपनी") **(सीआईएन : L65100DL1987GOI027265)** भारत में वर्ष 1987 में निगमित हुई थी। यह कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका मुख्यालय भारत में है और यह शेयरों द्वारा सीमित है। इसका पंजीकृत कार्यालय और व्यवसाय का मुख्य स्थान प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, ईस्ट कोर्ट, कोर-4ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अतिरिक्त, कंपनी के शाखा कार्यालय भी हैं और केरल राज्य के कासरगोड में स्थित एक 50 मेगावाट की सौर परियोजना भी इसके स्वामित्व में है।

कंपनी की आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र)-गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में "इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी आईएफएससी लिमिटेड" नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भी है।

कंपनी भारत सरकार का एक [नवरत्न] उद्यम है जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण में है और "शाश्वत ऊर्जा" के ध्येय के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और प्रदान करने में लगी हुई है।

कंपनी एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडीएसआई)/एनबीएफसी मिडिल लेयर (एमएल) है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है।

कंपनी के इक्विटी शेयर और ऋण प्रतिभूतियाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध हैं।

2) तैयारी का आधार

(i) भारतीय लेखा मानक के अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) के अनुपालन में तथा आगे संशोधित रूप में तैयार किये गये हैं।

वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तथा लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार किये जाते हैं। कंपनी ने ऐतिहासिक लागत परंपरा को अपनाया है, सिवाय कुछ मदों के जिन्हें भिन्न आधार पर मापा गया है तथा ऐसे आधार को प्रासंगिक लेखांकन नीति में प्रकट किया गया है।

लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहां नये जारी किये गये लेखांकन मानक को आरंभ में अपनाया गया है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है।

(ii) अनुमानों का उपयोग

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की गयी राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों तथा देनदारियों की राशियों तथा संबंधित प्रकटीकरणों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण की तैयारी में उपयोग किये गये अनुमान विवेकपूर्ण तथा उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमान में किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य की अवधि में भावी दृष्टि से मान्यता दी जाती है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने और अनिश्चितता का आकलन करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय।

(अ) महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता की मान्यता - जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत अनुरक्षित और सृजित विशेष आरक्षित से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, अनुरक्षित और सृजित विशेष आरक्षित को उलटा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, कंपनी उक्त आरक्षित पर कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाती है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

परिसंपत्तियों की हानि के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाह्य और आंतरिक कारकों का आकलन करने की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है।

क्रेडिट-क्षतिग्रस्त ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - क्रेडिट-ह्रासित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को विवेकपूर्ण तरीके से मान्यता नहीं दी जा रही है, क्योंकि दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के परिणाम लंबित हैं।

पूर्व अवधि मद का महत्व

पूर्व अवधि मद जिनका महत्व नहीं हैं, उन्हें तुलनात्मक राशियों के पुनर्कथन के माध्यम से पूर्वव्यापी रूप से ठीक नहीं किया जाता है और उन्हें चालू वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

मदों की चूक या गलत बयानी महत्वपूर्ण है यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। महत्वपूर्णता आस-पास की परिस्थितियों में आंकी गयी चूक या गलत बयानी के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। मदों के आकार और प्रकृति का संयोजन निर्धारण कारक है।

(ब) महत्वपूर्ण अनुमान

मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन - प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएँ तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित हैं जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती हैं।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ का प्रबंधन अनुमान कई अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित है जैसे कि मुद्रास्फीति की मानक दरें, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा। इन मान्यताओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य माप - प्रबंधन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं)। इसमें बाजार सहभागियों द्वारा साधन की कीमत निर्धारित करने के तरीके के अनुरूप अनुमान और मान्यताएँ विकसित करना शामिल है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी बाजार अवलोकनीय डेटा का उपयोग करती है, जहाँ तक यह उपलब्ध है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की जाने वाली अपेक्षित राशि और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता के संबंध में आयकर के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) - परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ते के मापन के लिए जटिल मॉडलों और भावी आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार (जैसे, ग्राहकों द्वारा चूक करने और उसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान की संभावना) के बारे में महत्वपूर्ण मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ईसीएल का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करते समय कंपनी निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है:

- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मानदंड निर्धारित करना;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबंधित ईसीएल के लिए अग्रगामी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार स्थापित करना;
- ईसीएल को मापने के लिए समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह स्थापित करना; और
- चूक की संभावना और चूक के कारण नुकसान का अनुमान लगाना (चूक के मामले में वसूली योग्य राशियों का अनुमान)।

प्रावधान : देयता (मुकदमों सहित) की पहचान और परिमाणीकरण के समय के लिए मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। प्रावधानों और देनदारियों की वहन राशि की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बदलते तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(iii) प्रकार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ('आईएनआर') में प्रस्तुत किये जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

3) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मूर्त परिसंपत्तियां (पीपीई)

पीपीई (मूर्त परिसंपत्तियां) को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत में आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य करों सहित इसकी खरीद मूल्य, व्यावसायिक छूट और रियायत में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर ऋण लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में सीधे तौर पर उत्तरदायी कोई भी लागत शामिल है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाले स्टोर और स्पेयर को पूंजीकृत किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ा जाता है।

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मापने के लिए अनुवर्ती मान्यता के लागत मॉडल को अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप, सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उसकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है।

अ-मान्यता

पीपीई की किसी मद को निपटान पर या जब उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है। पीपीई की मान्यता समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, जिसे परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजी कार्य-प्रगति पर

रिपोर्टिंग तिथि पर निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजी कार्य-प्रगति पर' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य कर, व्यावसायिक छूट और रियायत घटाने के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर ऋण लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में सीधे तौर पर उत्तरदायी कोई भी लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए भुगतान किये गये अग्रिम जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं, उन्हें 'पूंजीगत अग्रिम' के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां और परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है। लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य कर, व्यावसायिक छूट और रियायत में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर ऋण लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थिति में लाने में सीधे तौर पर उत्तरदायी कोई भी लागत शामिल है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

परिमित उपयोगी जीवन वाली सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को बाद में लागत मॉडल पर मान्यता दी जाती है। इन अमूर्त परिसंपत्तियों को बाद में उनकी लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि (यदि कोई हो) को घटाकर रखा जाता है।

<u>विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां</u>

अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण हेतु पात्र व्यय को तब तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में रखा जाता है, जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।

<u>अ-मान्यता</u>

अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या जब उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब इसे अमान्य कर दिया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि, जिसे निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

दी जाती है।

(iii) मूल्यह्रास और परिशोधन

मूर्त पीपीई पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट तरीके और उपयोगी जीवन के अनुसार अवलिखित आधार (डब्ल्यूडीवी) पर प्रदान किया जाता है, सिवाय नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों के:

- पुस्तकालय पुस्तकों पर मूल्यह्रास खरीद वर्ष में 100% की दर से प्रदान किया जाता है।
- सौर ऊर्जा परियोजना के पीपीई पर मूल्यह्रास, प्रासंगिक केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और प्रासंगिक राज्य आयोग प्रशुल्क आदेशों के अधीन निर्धारित दरों/पद्धति पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।
- ₹5,000 या उससे कम की परिसंपत्तियों के संबंध में खरीद के वित्त वर्ष में 100% की दर से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।
- अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जा रहा है।
- कर्मचारी संबंधी योजना के तहत खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, संबंधित योजना में बताई गई परिसंपत्ति की उपयोगी जीवन के अनुसार अवलिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) के आधार पर प्रदान किया जाता है।
- सभी पीपीई व अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है। यदि कोई परिवर्तन होता है, तो उसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में दर्ज किया जाता है।
- **अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन:**

परिसंपत्ति विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	60 वर्ष	5%
कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ		
-लैपटॉप/कंप्यूटर	3 वर्ष	5%
-सर्वर	6 वर्ष	5%
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	5%
फर्नीचर और फिक्सचरस्	10 वर्ष	5%
वाहन	8 वर्ष	5%
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5 वर्ष	0%

- **सीईआरसी के आदेशानुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन**

परिसंपत्ति विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य
सौर संयंत्र	25 वर्ष	10%

(iv) सरकारी और अन्य अनुदान/सहायता

कंपनी सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकती है जिसके लिए कंपनी की प्रचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है या कंपनी को कुछ अर्हता मानदंडों के आधार पर वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

सरकारी अनुदान तब मान्यता प्राप्त होते हैं जब यह उचित आश्वासन होता है कि अनुदान प्राप्त होगा, और कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करने में सक्षम होगी। इन अनुदानों को अनुदान की प्रकृति के आधार पर परिसंपत्तियों और राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को खरीदने, निर्माण करने या अन्यथा प्राप्त करने की शर्त वाले सरकारी अनुदानों को शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है। आस्थगित आय के रूप में एक बार मान्यता प्राप्त होने पर, ऐसे अनुदानों को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अनुमानों में परिवर्तन को परिसंपत्ति के बचे जीवनकाल में भावी रूप से मान्यता दी जाती है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

सब्सिडी से संबंधित अनुदान को आस्थगित किया जाता है और संबंधित लागतों, जिसके लिए क्षतिपूर्ति करने का आशय है, को व्यय किये जाने की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (एनआरएसई) के निर्दिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सहायता अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसका लेखा-जोखा रखा जाता है।

तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के अंतर्गत किये गये व्यय को वसूली योग्य माना जाता है और इसे 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से प्रतिपूर्ति की गयी सहायता उक्त खाते में जमा की जाती है।

(v) पट्टे

❖ **पट्टेदार के रूप में**

कंपनी अनुबंध के आरंभ में ही यह आकलन कर लेती है कि कोई अनुबंध पट्टा, या समाविष्ट, है या नहीं। कोई अनुबंध, या समाविष्ट, पट्टा तभी होता है जब अनुबंध किसी निश्चित अवधि के लिए किसी निर्धारित परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध पहचानी गयी परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तब कंपनी यह आकलन करती है कि क्या:

i. अनुबंध में पहचानी गयी परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है;

ii. कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हैं, और

iii. कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निदेशित करने का अधिकार है।

कंपनी सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है, सिवाय अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों के। कंपनी पट्टा भुगतान करने के लिए पट्टा देयताओं को मान्यता देती है तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देती है, जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है।

i) परिसंपत्ति उपयोग अधिकार

कंपनी पट्टे की आरंभ तिथि (यानी, वह तिथि जब अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें से संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान घटायी जाती है और पट्टा देनदारियों के किसी भी पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें और आरंभ तिथि पर या उससे पहले किये गये पट्टा भुगतान में से प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

ii) पट्टा देयताएँ

पट्टे की आरंभ तिथि पर, कंपनी पट्टे की अवधि में किये जाने वाले पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गयी पट्टा देयताओं को मान्यता देती है। पट्टा भुगतानों में निश्चित भुगतान (मूल रूप से निश्चित भुगतानों सहित) कम कोई भी पट्टा प्रोत्साहन प्राप्तियाँ, परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर हैं, और अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशियाँ शामिल हैं। कंपनी पट्टा आरंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है। वृद्धिशील ऋण दर ऋण की अवधि के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर है यदि ऋण 3 वर्ष तक का है। 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, 3 वर्ष के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर ली जा सकती है।

iii) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य परिसंपत्तिय पट्टे

अल्पावधि पट्टों (जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने तक होती है) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों (₹10,00,000 तक की परिसंपत्ति मूल्य) के पट्टों पर पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। पट्टे की अवधि पट्टे की गैर-रद्द करने योग्य अवधि को लेकर निर्धारित की जाती है, साथ ही दोनों को मिलाकर:

क) पट्टे को विस्तारित करने के विकल्प द्वारा कवर अवधि यदि पट्टेदार यथोचित रूप से उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए निश्चित है; और

ख) पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गयी अवधि यदि पट्टेदार यथोचित रूप से निश्चित है कि वह उस विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ **पट्टाकर्ता के रूप में**

जब कंपनी पट्टाकर्ता के रूप में कार्य करती है, तो वह पट्टे की शुरुआत में यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या प्रचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिम और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। यदि ऐसा है, तो पट्टा वित्त पट्टा है, यदि नहीं, तो यह प्रचालन पट्टा है। मूल्यांकन के भाग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग के लिए है या नहीं। यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर-पट्टा घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में विचार आवंटित करने के लिए भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करती है। कंपनी परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त पट्टे के भुगतान को "प्रचालन से राजस्व" के भाग के रूप में पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में पहचानती है।

(vi) सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश

- कंपनी लागत पर सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगियों में निवेश का विचार करती है। कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है। भारत के बाहर सहायक कंपनी में निवेश अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- ऐसे निवेश जहां कंपनी का उल्लेखनीय प्रभाव है, उन्हें सहयोगी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उल्लेखनीय प्रभाव निवेशिती के वित्तीय और प्रचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।
- एक संयुक्त व्यवस्था जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, उसे संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

❖ **सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश पर क्षति हानि**

यदि सहयोगी या संयुक्त उद्यम में संस्था के निवेश के संबंध में हानि का संकेत है, तो निवेश के वहन मूल्य की वसूली योग्य राशि की तुलना उसके वहन मूल्य से करके हानि के लिए जाँच की जाती है और परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि को सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के वहन मूल्य के प्रति आरोपित किया जाता है।

(vii) गैर-वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या इस बात का कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति या नकद-उत्पादक इकाइयों (सीजीयू) के उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उसके उपयोग में मूल्य में से जो अधिक है, वह है। वसूली योग्य राशि किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति ऐसा नकद प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र हो। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उसे उसकी वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकद प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

(viii) नकद और नकद समतुल्य

नकदी में नकद उपलब्ध, बैंक में नकद, बैंक ओवरड्राफ्ट में नामे शेष, यदि कोई हो, बैंकों के साथ मांग जमा, वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक जमा (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात राशि में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(ix) ऋण लेने की लागत

योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित सामान्य और विशिष्ट ऋण लेने की लागत को उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति ऐसी निधि के अस्थायी निवेश पर अर्जित किसी भी आय को समाप्त करने के बाद अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

जहां तक कंपनी सामान्य रूप से निधि ऋण लेती है और योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उसका उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र ऋण लेने की लागत की राशि उस परिसंपत्ति पर व्यय के लिए पूंजीकरण दर लागू करके निर्धारित की जाती है।

अन्य ऋण लेने की लागत उस अवधि में व्यय की जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

(x) विदेशी मुद्रा लेन-देन

कार्यात्मक मुद्रा के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं में लेन-देन, ऐसे लेन-देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर किये जाते हैं।

प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक मदों को उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः परिवर्तित किया जाता है। ऐसे लेन-देन के निपटान से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि तथा अवधि के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित मौद्रिक मदों के पुनः मापन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित खाता (एफसीएमआईटीआर), दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋणों पर अपरिशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को दर्शाता है, जिसका परिशोधन संबंधित ऋणों की अवधि के दौरान किया जाता है। इरेडा ने भारतीय लेखा मानक 101 के अनुच्छेद डी13एए की छूट को अपनाया था, जिसके अनुसार वह पिछले जीएएपी के अनुसार, प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि हेतु वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों के लेखांकन हेतु अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन-देन लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 तक बकाया दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न विनिमय अंतर, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर, उस दर से भिन्न जिस पर उन्हें उस अवधि के दौरान प्रारंभिक रूप से दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, एफसीएमआईटीआर खाते में जमा किए जाते हैं और ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में, ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता देकर, परिशोधित किए जाते हैं। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें वे हैं जिनकी उत्पत्ति की तिथि पर अवधि बारह महीने या उससे अधिक होती है।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें (जिनकी उत्पत्ति की तिथि पर अवधि बारह महीने से कम होती है) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर परिवर्तित की जाती हैं। परिणामी विनिमय उतार-चढ़ाव को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 27 के अनुसार, मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर जो नकद प्रवाह बचाव में बचाव लिखत के रूप में योग्य हैं, उन्हें अन्य व्यापक आय में बचाव के प्रभावी होने की सीमा तक मान्यता दी जाती है। तदनुसार, कंपनी नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में प्रतिवेदित तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा ऋणों के परिवर्तन के कारण विनिमय अंतर की पहचान करती है।

(xi) आय प्रति शेयर

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और मिश्रित कमजोर इक्विटी शेयरों के योग से कर पश्चात समायोजित शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से कमजोर इक्विटी शेयरों की संख्या को शेयर विभाजन/प्रतिवर्ती शेयर विभाजन और बोनस शेयरों के लिए, जैसा उचित हो, समायोजित किया जाता है।

(xii) प्रावधान

प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है,जब कंपनी के पास अतीत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(xiii) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है जब कंपनी के पास अतीत की घटनाओं के कारण संभावित दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व भावी घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं और वर्तमान दायित्व अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होते हैं जहां यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देनदारियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है या नहीं। यदि बहिर्वाह संभावित हो जाता है, तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

(xiv) आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन टिप्पणियों में उनका प्रकटीकरण किया जाता है, जो आमतौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जो आर्थिक लाभ के अन्तर्वाह की संभावना को जन्म देती हैं।

आकस्मिक परिसंपत्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आर्थिक लाभ का अन्तर्वाह लगभग निश्चित होता है या नहीं, फिर ऐसी परिसंपत्तियों और सापेक्ष आय को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

(xv) खंड रिपोर्टिंग

प्रचालन खंडों की रिपोर्ट मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता को प्रदान की गयी आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से की जाती है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के रूप में पहचाना गया है।

(xvi) महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियाँ

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत की गयी पिछली अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः बताकर पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गयी सबसे प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो प्रस्तुत की गयी सबसे प्रारंभिक अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को फिर से बताया जाता है, जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, फिर से बताया जाता है कि, इस स्थिति में, लेखांकन नीति को जल्द से जल्द लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को व्यावहारिक रूप से सबसे प्रारंभिक तिथि के अनुसार समायोजित किया जाता है।

(xvii) कराधान

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष हेतु कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय के विवरण में रिपोर्ट किये गये 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है, क्योंकि आय या व्यय की ऐसी मदें जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य होती हैं और ऐसी मदें जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होती हैं। कंपनी के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

वर्तमान कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस मामले में, वर्तमान कर को क्रम से अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों और कराधान उद्देश्य हेतु उपयोग की जाने वाली संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रम से अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

(xviii) निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी वृद्धि (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) के लिए रखी जाती हैं। निवेश संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य कर, व्यावसायिक छूट और रियायत में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर ऋण लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में सीधे तौर पर उत्तरदायी कोई भी लागत शामिल है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी लागत मॉडल का उपयोग करके निवेश संपत्ति को मापती है।

एक निवेश संपत्ति को निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से हटा दिया जाता है और निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे मान्यता से हटा दिया जाता है। संपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल की जाती है जिसमें संपत्ति को मान्यता से हटा दिया जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार किया जाता है जिससे वह संबंधित है और परिसंपत्ति का जीवन कंपनी में परिसंपत्ति के उसी वर्ग के लिए कल्पित होगा।

हालांकि निवेश संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, निवेश संपत्ति का उचित मूल्य टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

(xix) कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति (जैसे कि भुगतान की गयी वार्षिक छुट्टी) सहित अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, जहां अनुपस्थिति उस अवधि की समाप्ति के बाद बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, लाभ साझाकरण और बोनस उस अवधि के समाप्त होने के बाद बारह महीनों के भीतर देय होते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं और वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-मौद्रिक लाभों का अनुमान लगाया जाता है और बिना छूट के आधार पर मापा जाता है।

ख) पश्च रोजगार लाभ योजनाओं को परिभाषित लाभ योजनाओं और परिभाषित योगदान योजनाओं में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

(i) परिभाषित योगदान योजना

एक परिभाषित योगदान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत कंपनी कर्मचारियों के संबंध में एक अलग कोष में निश्चित योगदान का अंशदान करती है। कंपनी के पास निश्चित अंशदान के भुगतान के बाद आगे कोई अंशदान देने का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। परिभाषित योगदान योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा किये गये योगदानों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है, जिससे योगदान संबंधित है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना

कंपनी का उपदान, सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व है, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को कवर करने वाली परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जा रहा है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत, सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को मिलने वाली राशि कर्मचारी की सेवा की अवधि, अंतिम वेतन और अन्य परिभाषित मानदंड के संदर्भ में परिभाषित की जाती है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी के पास रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना को वित्तपोषित करने के लिए योजना परिसंपत्तियाँ अलग रखी गयी हों।

परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति कंपनी का दायित्व अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदित अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त देयता रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) के वर्तमान मूल्य से योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से वार्षिक डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनर्मापन से होने वाले बीमांकिक लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

भविष्य निधि, परोपकारी निधि, सेवानिवृत्ति निधि और उपदान के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता को अलग-अलग ट्रस्टों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति निधि में कंपनी का अंशदान पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित अलग-अलग ट्रस्टों को भेजा जाता है और लाभ और हानि के विवरण के नामें डाला जाता है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

तुलन-पत्र की तिथि के एक वर्ष से अधिक समय बाद देय या अपेक्षित होने वाली क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के संबंध में देयता का अनुमान, अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें ऐसे लाभ या हानि का निर्धारण किया जाता है।

घ) कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

कर्मचारियों को रियायती दर पर दिए गए ऋण को शुरू में उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है और बाद में उन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋण का शुरुआती उचित मूल्य और लेन-देन मूल्य के बीच के अंतर को 'आस्थगित कर्मचारी लाभ' के तौर पर माना जाता है, जिसे ऋण की अनुमानित बची हुई अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। अगर ऋण की अनुमानित बची हुई अवधि में कोई बदलाव होता है, तो बदलाव की तारीख पर बिना परिशोधन किए गए आस्थगित कर्मचारी लाभ को ऋण की नई अनुमानित बची हुई अवधि के दौरान आगे के समय के लिए परिशोधित किया जाता है।

(xx) वित्तीय लिखतें

<u>प्रारंभिक मान्यता और माप</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किये गये को छोड़कर लेन-देन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के बाद के माप का वर्णन नीचे किया गया है।

<u>वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन</u>

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल या एफवीओसीआई पर इक्विटी लिखतों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ कम से कम प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई ठोस प्रमाण है कि कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह क्षतिग्रस्त है। वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी पर हानि निर्धारित करने के लिए अलग-अलग मानदंड लागू होते हैं, जिनका विवरण नीचे किया गया है।

❖ **परिशोधित लागत पर ऋण**

ऋण (वित्तीय परिसंपत्ति) को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना है; और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकद प्रवाह को जन्म देती हैं जो सिर्फ़ मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता मान्यता प्राप्त किया जाता है।

❖ **लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियों में बचाव लिखत के रूप में नामित और प्रभावी वित्तीय साधन को छोड़कर सभी व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत शामिल हैं, जिनके लिए बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू किया जा रहा है। इस श्रेणी की परिसंपत्तियों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजार लेन-देन के संदर्भ में या मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

❖ **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी गयी इक्विटी लिखत से मिलकर बनी होती हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को शुरू में उचित मूल्य और लेन-देन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और लाभांश आय को छोड़कर, जिसे लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई आरक्षित के अंदर में रिपोर्ट किया जाता है। निवेश की मान्यता रद्द होने पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण में ऐसे लाभ और हानि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी इसे इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अ-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहाँ लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) की मान्यता तब रद्द कर दी जाती हैं (यानी कंपनी के तुलन पत्र से हटा दी जाती हैं) जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और लगभग सभी जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित हो जाते हैं। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर देती है यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित कर दिया है और तब हस्तांतरण मान्यता रद्द करने के लिए योग्य हो जाता है।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और तदुपरान्त मापन

वित्तीय देनदारियों को तदुपरान्त प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है, सिवाय उन व्युत्पन्नी वित्तीय देनदारियों के जो एफवीटीपीएल पर रखे जाते हैं, जिन्हें बाद में लाभ या हानि को उचित मूल्य पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है (एफवीटीपीएल)। सभी होस्ट अनुबंध जो वित्तीय देनदारियों के रूप में होते हैं और अंतर्निहित व्युत्पन्नी से अलग होते हैं, उन्हें प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देनदारियों की अ-मान्यता

वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब दायित्व के अंतर्गत दायित्व मुक्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता समाप्त करने और नये दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत

कंपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों पर विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के संपर्क में है। कंपनी व्युत्पन्नी उपयोग सहित स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का पालन करके विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करती है।

कंपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों का बचाव करने के लिए व्युत्पन्नी लिखत का उपयोग करती है जिसमें प्रिंसिपल स्वैप, क्रॉस करेंसी और ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा और क्रॉस करेंसी विकल्प, संरचित उत्पाद आदि शामिल हैं।

व्युत्पन्नी को पहचाना और उचित मूल्य पर मापा (एमटीएम) जाता है। उत्तरदायी लेन-देन लागत को लाभ और हानि के विवरण में लागत के रूप में पहचाना जाता है।

वित्तीय परिसंपत्ति की अ-मान्यता:

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकद प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार स्थानांतरित हो जाते हैं।

बचाव लेखांकन

व्युत्पन्नी वित्तीय साधनों को लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर लेखाबद्ध किया जाता है, सिवाय नकद प्रवाह बचाव संबंधों में बचाव लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्नी के, जिसके लिए एक विशिष्ट लेखांकन उपचार की आवश्यकता होती है। बचाव लेखांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, बचाव संबंध को निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

- बचाव किये गये मदों और बचाव लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है
- ऋण जोखिम का प्रभाव उस आर्थिक संबंध से होने वाले मूल्य परिवर्तनों पर हावी नहीं होता है
- बचाव संबंध का बचाव अनुपात बचाव किये गये मद की मात्रा से उत्पन्न होने वाले अनुपात के समान है जिसका संस्था वास्तव में बचाव करती है और बचाव लिखत की मात्रा जिसे संस्था वास्तव में बचाव किये गये मद की मात्रा को बचाव करने के लिए उपयोग करती है।

कंपनी ने नकद प्रवाह बचाव संबंधों में बचाव लिखत के रूप में ज्यादातर व्युत्पन्नी अनुबंधों को नामित किया है। ये व्यवस्थाएं विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए की गयी हैं, जो विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित ऋण लिखत के प्रति उत्पन्न होते हैं।

- नकद प्रवाह बचाव कंपनी की नकद प्रवाह स्थिति को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव में परिवर्तन से बचाने और नकद प्रवाह में परिवर्तनशीलता को निश्चित करने के लिए की जाती है।
- कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार बचाव लिखत में प्रवेश करती है; और लिखित सिद्धांत प्रदान करती है जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति/नीतियों के अनुरूप हैं।
- बचाव लेखांकन हेतु उपयोग किये जाने वाले सभी व्युत्पन्नी वित्तीय साधनों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में तुलन-पत्र में उचित मूल्य पर प्रतिवेदित किया जाता है।

बचाव लिखत को अनुबंध की शुरुआत में बचाव के रूप में नामित और प्रलेखित किया जाता है। बचाव लिखत की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और मापन शुरुआत में और निरंतर आधार पर किया जाता है। नामित बचाव लिखत के मूल्यांकन को संबंधित बैंकों/तृतीय पक्ष द्वारा प्रावधानित एमटीएम मूल्यांकन पर आधारित यथा निर्धारित उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा "अन्य व्यापक आय" में "नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि" के रूप में मान्यता दी जाती है। अप्रभावी अंश को लाभ और हानि विवरण में, और जब कभी घटित हो, तत्काल प्रतिचिह्नित किया जाता है।

जिस समय बचाव किया गया मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है, उस समय अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और अन्य व्यापक आय के भीतर पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि बचाव संबंध अब बचाव लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो बचाव लेखांकन को भावी रूप से बंद कर दिया जाता है। यदि बचाव लिखत की समय-सीमा समाप्त हो जाती है या उसे बेच दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है, तो नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत पर संचयी लाभ या हानि, बचाव के प्रभावी होने की अवधि तक नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बनी रहती है। नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को अंतर्निहित लेन-देन की घटना पर लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

हानि

<u>वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि</u>

❖ **ऋण परिसंपत्तियाँ**

कंपनी प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर परिशोधित लागत पर वहन की जाने वाली ऋण परिसंपत्ति की हानि के लिए 'तीन-चरण' मॉडल का पालन करती है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- चरण 1 में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनमें प्रतिवेदित तिथि पर कम ऋण जोखिम है।
- चरण 2 में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन जिनमें हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं हैं।
- चरण 3 में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के स्पष्ट प्रमाण हैं।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) को चरण 1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह की ईसीएल और चरण 2 एवं चरण 3 ऋण परिसंपत्तियों हेतु आजीवन ईसीएल पर मापा जाता है। ईसीएल चूक की संभावना, चूक पर जाखिम और हानि प्रदत्त चूक का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

चूक की संभावना (पीडी) - पीडी, ऋणकर्ता द्वारा अपने वित्तीय दायित्व पर चूक करने की संभावना को दर्शाता है, या तो अगले 12 महीनों में (12 महीने पीडी), या दायित्व के शेष जीवनकाल (लाइफटाइम पीडी) में।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

चूक पर हानि (एलजीडी) - एलजीडी चूक जोखिम पर हानि की सीमा के बारे में कंपनी की अपेक्षा को दर्शाता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, दावे के प्रकार और वरीयता तथा संपार्श्विक या अन्य ऋण सहायता की उपलब्धता के अनुसार भिन्न होता है।

चूक पर ऋण जोखिम (ईएडी) - ईएडी उस मूल्यांकन तिथि पर बकाया जोखिम की राशि पर आधारित है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है।

12 महीने और आजीवन पीडी, ईएडी और एलजीडी निर्धारित करने में अग्रगामी आर्थिक जानकारी शामिल की जाती है। अपेक्षित ऋण हानि के अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर निगरानी और समीक्षा की जाती है।

❖ **ऋण के अतिरिक्त अन्य वित्तीय लिखतों में शामिल हैं:-**

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकद समतुल्य, व्यावसायिक प्राप्य, बिल रहित राजस्व, वित्त पट्टा प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम शामिल हैं।
- वित्तीय देनदारियों में ऋण, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यावसायिक देय शामिल हैं।

ऋणों के अतिरिक्त अन्य गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कोई भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी लेन-देन लागत शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों को तब मान्यता से हटा दिया जाता है, जब उस वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिम एवं लाभ न तो हस्तांतरित की गई है और न ही बनाये रखी गई है, वित्तीय परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता से हटा दिया जाता है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरक़रार नहीं रखा हो।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, उन्हें नीचे निर्धारित तरीके से मापा जाता है:

क) <u>नकद और नकद समतुल्य</u>

नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजनों हेतु, नकद और नकद समतुल्यों में नकद उपलब्ध, बैंकों में, बैंकों के पास मांग जमा, नकद ऋण, सावधि जमा और विदेशी मुद्रा जमा, निवल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं जो मांग पर चुकाये जाने योग्य हैं और कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट को ऋण के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

ख) <u>व्यावसायिक प्राप्य</u>

कंपनी व्यावसायिक प्राप्य पर हानि क्षति भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही यह प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि नुकसान भत्ते को मान्यता दी जाती है। कंपनी प्राप्य के व्यक्तिगत मूल्यांकन, व्यावसायिक प्राप्य के अपेक्षित जीवनकाल में ऐतिहासिक रूप से देखी गयी चूक दरों के आधार पर हानि नुकसान भत्ते का निर्धारण करती है और इसे भविष्य-उन्मुख अनुमानों के लिए समायोजित करती है।

ग) <u>अन्य देय</u>

अन्य देय को शुरू में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। इन वित्तीय लिखतों हेतु, इन लिखतों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण वहन राशि अनुमानित उचित मूल्य के करीब होती है।

(xxi) लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है जिसमें उसे क्रम से निदेशक मंडल और शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाता है।

(xxii) उचित मूल्य माप व प्रकटीकरण

कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर उचित मूल्य पर व्युत्पन्नी जैसे वित्तीय लिखतों को मापती है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाए। उचित मूल्य माप इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने का लेन-देन इस प्रकार होता है,जैसे या तो:

- परिसंपत्ति या देयता हेतु मुख्य बाजार में, या

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में

मुख्य या सबसे अधिक लाभप्रद बाजार कंपनी द्वारा अवश्य सुलभ होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है, जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय करेंगे, जिसमें जोखिम के बारे में मान्यताएँ शामिल हैं, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। किसी गैर-वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य का आकलन करते समय, बाज़ार में शामिल किसी व्यक्ति की उस क्षमता को ध्यान में रखा जाता है जिससे वह परिसंपत्ति का सबसे अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद तरीके से प्रयोग करके आर्थिक लाभ कमा सके, या उसे किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति को बेच सके जो उस परिसंपत्ति का सबसे अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद तरीके से प्रयोग करेगा।

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकनीय निविष्टियों के उपयोग को अधिकतम करना और अवलोकनीय निविष्टियों के उपयोग को कम करना।

सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन न्यूनतम स्तर निविष्टियों के आधार पर किया जाता है जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर निविष्टि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर निविष्टि अवलोकनीय नहीं है।

नियमित रूप से वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में वर्गीकरण (न्यूनतम स्तर निविष्टि पर आधारित जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं का निर्धारण करती है।

(xxiii) राजस्व मान्यता

❖ **ब्याज आय**

ब्याज आय सभी वित्तीय परिसंपत्तियों (कंपनी द्वारा क्रेडिट क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को मान्यता नहीं दिये जाने को छोड़कर) पर परिशोधित लागत पर मापी जाती है। ब्याज आय को भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय साधनों के अनुरूप प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर छूट देती है। ईआईआर की गणना लेन-देन लागत और शुल्क को ध्यान में रखकर की जाती है जो भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है।

ऋणकर्ताओं द्वारा ब्याज का समय पर भुगतान करने पर मिलने वाली छूट, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, समय पर देय संपूर्ण ब्याज राशि प्राप्त होने पर मान्यता प्राप्त होती है तथा उसे संबंधित ब्याज आय के प्रति घटा दिया जाता है।

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, ऋणकर्ताओं से वसूली (i) आकस्मिक शुल्क (ii) दंडात्मक ब्याज (iii) अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन की चुकौती के क्रम में विनियोजित की जाती है; सबसे पुराने को पहले समायोजित किया जाता है। एकमुश्त निपटान(ओटीएस)/दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली पहले बकाया मूलधन के लिए विनियोजित की जाती है और उसके बाद, यदि कोई हो, शेष वसूली, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए लिया जाता है।

❖ **अन्य राजस्व**

- राजस्व (उन मदों के अतिरिक्त जिन पर भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखत लागू होते हैं) को भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व अनुसार मान्यता दी जाती है, जो ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न राजस्व के लिए लेखांकन के एकल व्यापक मॉडल को रेखांकित करता है। कंपनी भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व में निर्धारित सिद्धांत के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है।
- ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि आर्थिक लाभ

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

कंपनी को मिलेगा और यदि लागू हो तो राजस्व और लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अनुबंध के तहत सहमत लेन-देन मूल्य पर राजस्व मापा जाता है। लेन-देन मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गयी राशियाँ शामिल नहीं होती हैं (उदाहरण के लिए, सरकार की ओर से एकत्र किये गये कर) और इसमें रियायत, छूट जैसे परिवर्तनीय विचार शामिल/समायोजित किये जाते हैं, केवल इस सीमा तक कि यह अत्यधिक संभावित है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण उलटफेर तब तक नहीं होगा जब तक परिवर्तनीय विचार से जुड़ी अनिश्चितता बाद में हल नहीं हो जाती है।

❖ **सौर संयंत्र से राजस्व**

सौर संयंत्र से आय को तब मान्यता दी जाती है जब समय के साथ कार्य-निष्पादन दायित्व संतुष्ट हो जाते हैं। दी गयी रियायत को सकल राजस्व की राशि से कटौती के रूप में प्रकट किया जाता है।

❖ **शुल्क और कमीशन से राजस्व**

- शुल्क और कमीशन से राजस्व

शुल्क और कमीशन को समय आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसे शुल्क संग्रह करने की संभावना स्थापित हो जाती है।

- सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं के कार्यान्वयन से राजस्व

कंपनी अपनी निजी गतिविधियों के अतिरिक्त, कंपनी और ऐसे संगठन के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। ऐसी गतिविधियों का विवरण वित्तीय विवरणों के लिए नोट के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

जब भी ऐसे समझौता ज्ञापन में शामिल होने के आधार पर ट्रस्ट के तहत कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो उसे नकद और नकद समतुल्यों में शामिल नहीं किया जाता है और ऐसे संगठनों से संबंधित ऐसी निधि से उत्पन्न ब्याज आय सहित किसी भी आय को कंपनी के राजस्व के रूप में नहीं गिना जाता है।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित ऐसी योजनाओं से अर्जित सेवा-शुल्क को उस समय आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसे सेवा-शुल्क संचित करने की निश्चितता स्थापित हो जाती है।

(xxiv) व्यय

व्यय का लेखा-जोखा उपार्जन आधार पर किया जाता है। प्रति मद ₹5,00,000 तक के पूर्व-प्रदत्त व्यय को लाभ और हानि विवरण में तब प्रभारित किया जाता है जब वह व्यय/समायोजित/प्राप्त हो।

(xxv) शेयर जारी करने पर व्यय

शेयर जारी करने पर व्यय, यदि कोई हो, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

****

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 2: नकद और नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
I. नकद और नकद समतुल्य		
(अ) नकद उपलब्ध	-	-
(ब) बैंकों में शेष राशि:-		
(क) बैंकों में चालू खाता		
- भारतीय शाखाओं में	3.02	19.74
- विदेशी शाखाओं में	0.00	0.00
(ख) जमा खाता		
भारतीय शाखाओं में अल्पावधि जमा	1.15	-
विदेशी शाखाओं में अल्पावधि जमा	-	0.32
(ग) बचत बैंक खाता		
- भारतीय शाखाओं में	6.56	7.88
(स) चेक/डीडी हाथ में और डाक अग्रदाय	0.00	0.00
(द) ओवरड्राफ्ट खातों में	3.91	1.90
कुल (अ+ब+स+द)	**14.64**	**29.84**

ऊपर प्रस्तुत प्रतिवेदित वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्यों तथा बैंक में शेष राशि के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) के बारे में प्रकटीकरण के लिए नोट 38(48वी) भी देखें।

नोट 3 : नकद और नकद समतुल्यों के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
क. बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि		
अ) चालू खाते में		
- इरेडा बॉण्ड्स खाते पर ब्याज	2.67	1.64
- इरेडा लाभांश खाता	168.55	-
-इरेडा सीएसआर अव्ययित खाता [देखें नोट 38(38]	18.61	7.37
- अन्य	0.02	0.02
उप योग (अ)	**189.85**	**9.03**
ब) बचत खाते में		
- इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	7.40	7.67
-अन्य	-	0.07
उप योग (ब)	**7.40**	**7.74**
स) जमा खाते में (आईएनआर)		
- इरेडा 1	0.51	0.48
- इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	487.60	431.88
- ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच के लिए चूक जोखिम में कमी (केएफडब्ल्यू VI)2	10.59	10.12
- अन्य	0.91	0.17
उप-योग (स)	**499.62**	**442.66**
उप-योग (द)	**-**	**-**
उप-योग (क) (अ+ब+स+द)	**696.87**	**459.43**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
ख. जमा खाता (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक)		
- आईएनआर सावधि जमा	5.64	1.59
उप-योग (ख)	**5.64**	**1.59**
कुल (क+ख)	**702.51**	**461.02**

[1]माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28928 ऑफ़ 2009 में पारित दिनांक 03.07.2009 के आदेश के अनुसार दो बॉण्ड धारकों अर्थात मैसर्स द बंगाल क्लब लिमिटेड और सुश्री माया एम. चुलानी के भुगतान के विरुद्ध बैंक ऑफ बड़ौदा, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली में ब्याज सहित एफडीआर के रूप में ₹0.51 करोड़ (31.03.2025 तक : ₹0.48 करोड़) की राशि रखी गयी है। उक्त सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28928 ऑफ़ 2009 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2018 के आदेश द्वारा चूक के कारण खारिज कर दिया गया था। उक्त बर्खास्तगी के अनुसरण में, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद ने 30.03.2019 को बहाली आवेदन दायर किया है। इसके अतिरिक्त, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद द्वारा 23.03.2024 को शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन भी दायर किया गया है। उक्त मामले को अभी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है।

[2] पोर्टफोलियो जोखिम आरक्षित खाता (पीआरआरए) की स्थापना करके केएफडब्ल्यू VI ऋण सीमा के तहत कंपनी के समग्र 'ऊर्जा तक पहुंच' पोर्टफोलियो के 70% तक चूक जोखिमों को कवर करने के लिए केएफडब्ल्यू द्वारा प्रदान किया गया। उक्त राशि का उपयोग एनपीए घोषित होने पर ऋण सेवा आरक्षित खाता (डीएसआरए) समाप्त होने के बाद ऋणकर्ता के बकाया ऋण सेवा दायित्व के 70% तक की वसूली के लिए किया जाएगा।

चालू खाते में ₹1.44 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹101.25 करोड़), बचत खाते में ₹12.35 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹17.37 करोड़) और जमा खाते में ₹50.68 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹61.71 करोड़) की बैंक में शेष राशि को ऊपर दी गई नोट में उनकी संबंधित श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये एमएनआरई/कंपनी द्वारा संभाली जा रही अन्य योजना से संबंधित हैं।

नोट 38(42) और 38(43) भी देखें।

नोट 4: व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत

कंपनी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को बचाने के लिए व्युत्पन्नी अनुबंध में शामिल होती है। व्युत्पन्न लेन-देन में देनदारियों के बचाव के लिए फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप आदि शामिल हैं। ये व्युत्पन्न लेन-देन बचाव के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, न कि व्यावसायिक या सट्टा उद्देश्य के लिए।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को			31.03.2025 को		
भाग I	**कल्पित राशियाँ**	**उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य – देयताएँ**	**कल्पित राशियाँ**	**उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य – देयताएँ**
(i) मुद्रा व्युत्पन्नी:-						
प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस)	6,267.72	892.76	40.46	4,728.54	386.73	21.29
विकल्प अनुबंध	1,600.26	21.93	6.94	1,576.39	42.51	1.91
उप-योग (i)	**7,867.97**	**914.69**	**47.40**	**6,304.93**	**429.24**	**23.20**
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्नी :-						
पारंपरिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस)	271.27	78.28	-	285.20	58.65	-
ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)	474.00	4.53	-	-	-	-
उप-योग (ii)	**745.27**	**82.80**	**-**	**285.20**	**58.65**	**-**
कुल व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत (i+ii)	**8,613.24**	**997.49**	**47.40**	**6,590.12**	**487.89**	**23.20**

ऊपर (भाग I) में बचाव और जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए रखे गए व्युत्पन्नी शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं:-

भाग II	31.03.2026 को			31.03.2025 को		
	कल्पित राशियाँ	**उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य – देयताएँ**	**कल्पित राशियाँ**	**उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य – देयताएँ**
(i) नकद प्रवाह बचाव:-						
मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	5,807.97	805.79	11.61	4,305.32	339.41	0.98
विकल्प अनुबंध	1,600.26	21.93	6.94	1,576.39	42.51	1.91

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

भाग II	31.03.2026 को			31.03.2025 को		
	कल्पित राशियाँ	उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य – देयताएँ	कल्पित राशियाँ	उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य – देयताएँ
ब्याज दर व्युत्पन्नी (सीसीआईआरएस)	271.27	78.28	-	285.20	58.65	-
ब्याज दर व्युत्पन्नी (आईआरएस)	474.00	4.53	-	-	-	-
उप-योग (i)	**8,153.50**	**910.52**	**18.55**	**6,166.91**	**440.57**	**2.89**
(ii) अनिर्दिष्ट व्युत्पन्नी :-						
मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	459.75	86.97	28.86	423.22	47.31	20.31
उप-योग (ii)	**459.75**	**86.97**	**28.86**	**423.22**	**47.31**	**20.31**
कुल व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत (i) + (ii)	**8,613.24**	**997.49**	**47.40**	**6,590.12**	**487.89**	**23.20**

जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटीकरण के लिए देखें नोट 38(19) व 38(28)।

नोट 5 : प्राप्य

व्यावसायिक प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
अ व्यावसायिक प्राप्य		
(क) प्राप्य अच्छे माने गये - सुरक्षित	-	-
(ख) प्राप्य अच्छे माने गये - अरक्षित	3.15	5.93
(ग) प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
(घ) प्राप्य क्रेडिट क्षतिग्रस्त	2.76	-
उप योग (अ)	**5.91**	**5.93**
क्षतिग्रस्त हानि के लिए भत्ता (ब)	**2.76**	**-**
कुल (अ-ब)	**3.15**	**5.93**

व्यावसायिक प्राप्य एजिंग अनुसूची

31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया					
			6 महीनों से कम	6 महीनों से 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यावसायिक प्राप्य – अच्छा माना गया	3.15	-	-	-	-	-	-	3.15
(ii) निर्विवाद व्यावसायिक प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यावसायिक प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	2.76	-	2.76

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया					
			6 महीनों से कम	6 महीनों से 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(iv) विवादित व्यावसायिक प्राप्य – अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यावसायिक प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यावसायिक प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**3.15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.76**	**-**	**5.91**

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया					
			6 महीनों से कम	6 महीनों से 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यावसायिक प्राप्य – अच्छा माना गया	3.17	-	-	-	2.76	-	0.00	5.93
(ii) निर्विवाद व्यावसायिक प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यावसायिक प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यावसायिक प्राप्य – अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यावसायिक प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यावसायिक प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**3.17**	**-**	**-**	**-**	**2.76**	**-**	**0.00**	**5.93**

एजिंग भुगतान की नियत तिथि पर आधारित है और जहाँ भुगतान की निर्धारित तिथि विनिर्दिष्ट नहीं है, एजिंग लेन-देन की तिथि पर आधारित है।

बिना बिल वाली बकाया राशि के विवरण के लिए देखें नोट 38(29)

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 6 : ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
अ) ऋण		
(i) सावधि ऋण		
सावधि ऋण	93,068.71	76,281.65
ऋणों पर उपचित और देय ब्याज, परिसमाप्त क्षतिपूर्ति सहित	44.25	35.79
ऋणों पर उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज	23.44	28.87
प्रारम्भिक शुल्क समायोजन	(278.93)	(216.88)
परिशोधित लागत पर सकल सावधि ऋण	**92,857.47**	**76,129.43**
(ii) अन्य		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	6.65	6.65
एमएनआरई ऋणों पर उपचित और देय ब्याज	2.55	2.55
कर्मचारियों को ऋण	21.21	32.75
केएमपी को ऋण	1.18	1.16
कर्मचारियों के ऋणों पर उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज	6.91	5.23
केएमपी के ऋणों पर उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज	0.36	0.08
कुल (अ) - निवल ऋण	**92,896.33**	**76,177.85**
घटाएँ: ह्रसित हानि भत्ता*	2,699.74	1,906.31
कुल (अ) - शुद्ध ऋण	**90,196.59**	**74,271.54**
(ब) उपर्युक्त का उप-वर्गीकरण:		
सुरक्षा-वार वर्गीकरण		
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित		
सावधि ऋण	74,086.91	58,493.11
कर्मचारियों को ऋण	20.80	32.23
केएमपी को ऋण	1.18	1.16
ऋणों पर अर्जित और देय ब्याज सहित परिसमाप्त क्षतिपूर्ति	44.25	35.79
ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	30.27	34.06
केएमपी के ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	0.36	0.08
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	6.65	6.65
एमएनआरई ऋणों पर अर्जित एवं देय ब्याज	2.55	2.55
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित		
कर्मचारियों को ऋण	0.42	0.53
ऋण पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	0.08	0.04
(iii) सरकारी गारंटी द्वारा आवृत्त		
सावधि ऋण	6,977.85	4,685.80

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(iv) अरक्षित		
सावधि ऋण	11,725.01	12,885.86
कुल (ब) - सकल ऋण	**92,896.32**	**76,177.85**
घटाएँ : क्षति हानि भत्ता*	2,699.74	1,906.31
कुल (ब) -निवल ऋण	**90,196.59**	**74,271.54**
(स) (I) भारत में ऋण		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	25,159.07	20,872.00
(ii) अन्य	67,737.25	55,305.85
कुल (स) (I) सकल ऋण	92,896.32	76,177.85
घटाएँ: क्षति हानि भत्ता*	2,699.74	1,906.31
कुल (स) (I) - निवल ऋण	**90,196.59**	**74,271.54**
(स) (II) भारत के बाहर ऋण	**-**	**-**
कुल स (I) और स (II) - निवल ऋण	**90,196.59**	**74,271.54**

31.03.2026 तक ₹11,725.01 करोड़ (31.03.2025 को : ₹ 12,885.86 करोड़) के कुल अरक्षित ऋणों में से, 31.03.2026 तक ₹11,725 करोड़ (31.03.2025 तक : ₹12,885 करोड़) की राशि के ऋण कंपनी ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अप्रतिबंधित विशिष्ट राजस्व धारा निर्धारित कर डिफ़ॉल्ट एस्क्रो खाते पर विशेष प्रभार के माध्यम से अमूर्त प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऋणकर्ताओं को पत्र भेजे हैं, सिवाय उन मामलों के जहां ऋण वापस लिये गये हैं या न्यायालय/एनसीएलटी के समक्ष लंबित हैं, ऋणकर्ताओं को 31.03.2026 तक शेष राशि की पुष्टि की मांग की है। उक्त शेष राशि के 29.51% की पुष्टि प्राप्त हुई है (पिछले वर्ष: 22.42%)। शेष ऋण परिसंपत्तियों में से ₹65,601 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹59,165.69 करोड़) की राशि, जिसके लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, 75.37% ऋण (पिछले वर्ष: 79.59%) मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित हैं,10.61% (पिछले वर्ष :7.91 %) सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में और शेष अरक्षित ऋण हैं।

ऋण लेने वाली संस्थाओं की परिसंपत्तियों आदि के माध्यम से रखी गयी सुरक्षा के अतिरिक्त, कंपनी ने बैंकों द्वारा जारी एफडीआर और गारंटियाँ दिनांक 31.03.2026 को क्रम से ₹1,162.81 करोड़ एवं ₹519.91 करोड़ (31.03.2025 को : क्रम से ₹ 730.50 करोड़ और ₹307.61 करोड़) रखीं, जो दिये गये ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियों के रूप में थीं।

क्रेडिट जोखिम पर प्रकटीकरण के लिए, देखें नोट 38(19) ।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित समाधान योजनाओं पर प्रकटीकरण के लिए,देखें नोट 38 (48बी)।

*इसमें ₹17.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12.28 करोड़) के आकस्मिक खातों के लिए प्रावधान शामिल है।

नोट 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(अ) निवेश		
परिशोधित लागत पर		
(i) सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (उद्धृत)	883.82	600.14
इकाई की संख्या : 8.42 करोड़ [31.03.2025 : 5.91 करोड़]		
लागत पर#		
(ii) इक्विटी उपकरणों में निवेश (अनउद्धृत)		
- आईएफएससी गिफ्ट सिटी, गुजरात में सहायिका कंपनी	26.00	26.00
कुल	**909.82**	**626.14**
कुल - सकल (अ)	**909.82**	**626.14**
(ब) उपर्युक्त का उप-वर्गीकरण:		
(i) भारत के बाहर निवेश	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(ii) भारत में निवेश*	909.82	626.14
कुल (ब)	**909.82**	**626.14**
घटाएँ: क्षति हानि के लिए भत्ता (स)	-	-
कुल - शुद्ध (द) = (अ) - (स)	**909.82**	**626.14**

नोट 38 (48च) भी देखें

भारतीय लेखा मानक 27 'अलग वित्तीय विवरण' के प्रावधानों के अनुसार, सहायक कंपनी में निवेश को लागत पर दर्ज किया गया है।

*भारत में किए गए निवेशों मेंआईएफएससी, गिफ्ट सिटी, गुजरात में बनी एक सहायक कंपनी के इक्विटी साधनें शामिल हैं। यह सहायक कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के ढांचे के तहत काम करती है और इसे अनिवासी इकाई माना जाता है।

नोट 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
सुरक्षा जमा	0.94	3.71
कर्मचारियों को अग्रिम	7.59	6.55
केएमपी को अग्रिम	0.23	0.11
अन्य प्राप्य :		
एफडीआर - ऋणकर्ता	9.18	11.95
वाणिज्यिक पत्र	68.99	68.99
घटाएँ: वाणिज्यिक पत्रों पर क्षति हानि भत्ता	(68.99)	(68.99)
सहायक कंपनी - आईजीजीईएफआईएल से उगाही योग्य	2.11	1.17
अन्य	5.48	5.71
कुल	**25.53**	**29.20**

नोट 9 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
अग्रिम आयकर और टीडीएस (क)	2,326.60	2,442.50
घटाएँ: आयकर हेतु प्रावधान (ख)	2,213.81	2,222.69
कुल (क-ख)	**112.79**	**219.81**

नोट 10: आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
लाभ और हानि अनुभाग, ओसीआई व अन्य इक्विटी		
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर और अन्य हेतु प्रावधान	29.83	28.07
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	4.88	4.08
क्षति हेतु प्रावधान	553.16	391.50
शुल्क आय - बहियों में आस्थगित	94.69	72.85
शेयर जारी करने का व्यय	6.03	4.55
उप योग	**688.59**	**501.05**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
स्थगित कर देयताएँ		
मूल्यह्रास	35.96	40.72
विदेशी मुद्रा हानि परिवर्तन अंतर	172.04	95.41
बॉण्ड की लेन-देन लागत	4.28	4.35
उप योग	212.28	140.49
कुल	**476.31**	**360.56**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)	**476.31**	**360.56**

आस्थगित करों के हलचल पर प्रकटीकरण हेतु देखें नोट 38(3)

नोट 11 : निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि*
सकल ब्लॉक	
01.04.2024 को शेष	**0.09**
जोड़ें	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण -	-
31.03.2025 को शेष	**0.09**
01.04.2025 को शेष	**0.09**
जोड़ें	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण -	-
31.03.2026 को शेष	**0.09**
संचित मूल्यह्रास	
01.04.2024 को शेष	**0.06**
मूल्यह्रास व्यय	0.00
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2025 को शेष	**0.07**
01.04.2025 को शेष	**0.07**
मूल्यह्रास व्यय**	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2026 को शेष	**0.07**
वहन राशि	
31.03.2025 को	0.02
31.03.2026 को	0.02

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य	राशि*
31.03.2025 को	3.66
31.03.2026 को	3.75

*निवेश संपत्ति (भवन - आवासीय) से संबंधित है। देखें नोट 38(18)।

** परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है क्योंकि यह अपने अवशिष्ट मूल्य पर है, यानी मूल लागत का 5%।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 12 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	भवन		संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर व फिक्सचरस्	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
सकल ब्लॉक									
01.04.2024 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**7.13**	**1.59**	**7.45**	**13.01**	**0.00**	**346.79**
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-	-	5.25	-	6.62	13.51	0.00	25.38
समायोजन/ पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान निपटान/बिक्री/ हस्तांतरण	-	-	-	0.46	0.19	0.20	0.87	-	1.72
31.03.2025 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**11.92**	**1.40**	**13.87**	**25.66**	**0.00**	**370.45**
01.04.2025 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**11.92**	**1.40**	**13.87**	**25.66**	**0.00**	**370.45**
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-	-	5.49	-	2.65	6.85	-	14.99
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान निपटान/बिक्री/ हस्तांतरण	-	-	-	2.41	0.13	0.37	0.80	-	3.70
31.03.2026 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**15.00**	**1.27**	**16.16**	**31.71**	**0.00**	**381.75**
संचित मूल्यह्रास									
01.04.2024 को शेष	**0.65**	**9.25**	**120.42**	**3.83**	**0.51**	**1.62**	**4.12**	**0.00**	**140.40**
समायोजन/ पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	0.06	1.33	17.29	2.90	0.34	2.45	7.10	0.00	31.47
पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	भवन		संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर व फिक्सचरस्	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
घटाएँ: निपटान/ बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-	-	-	0.38	0.18	0.09	0.44	-	1.09
31.03.2025 को शेष	**0.71**	**10.58**	**137.71**	**6.35**	**0.67**	**3.98**	**10.78**	**0.00**	**170.78**
01.04.2025 को शेष	**0.71**	**10.58**	**137.71**	**6.35**	**0.67**	**3.98**	**10.78**	**0.00**	**170.78**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	0.06	1.33	17.29	4.84	0.23	3.87	8.62	-	36.24
पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: निपटान/ बिक्रय/हस्तांतरण पर समाप्त	-	-	-	1.99	0.12	0.13	0.38	-	2.63
31.03.2026 को शेष	**0.77**	**11.90**	**155.00**	**9.20**	**0.77**	**7.71**	**19.02**	**0.00**	**204.38**
वहन राशि									
31.03.2025 को	**0.59**	**11.82**	**156.21**	**5.56**	**0.73**	**9.89**	**14.88**	**0.00**	**199.68**
31.03.2026 को	**0.53**	**10.49**	**138.91**	**5.80**	**0.50**	**8.45**	**12.69**	**0.00**	**177.37**

कंपनी के नाम पर नहीं रखी गयी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेखों की जानकारी के लिए, नोट 38(32) देखें।

नोट 13: पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर - भवन	
01.04.2024 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संयोजन	-
ऋण लागत पूंजीकृत	-
घटाएँ: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / निवेश संपत्ति / परिसंपत्तियां के उपयोग का अधिकार में स्थानांतरण	-
31.03.2025 को शेष	**-**
01.04.2025 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संयोजन	-
ऋण लागत पूंजीकृत	-
घटाएँ : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / निवेश संपत्ति /परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार में स्थानांतरण	-
31.03.2026 को शेष राशि	**-**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर की एजिंग एजिंग अनुसूची (जिसमें वह परियोजना शामिल है जिसका पूरा होना अतिदेय है)।

(क) पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर (निर्धारित पूरा होने के भीतर)

(₹ करोड़ में)

31.03.2026 को	जिस अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-

31.03.2025 को	जिस अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-

(ख) पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर (मूल योजना की तुलना में पूरा होने में देरी/लागत अधिक होना)

31.03.2026 को	जिस अवधि में पूरा करना			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1	-	-	-	-
परियोजना 2	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	जिस अवधि में पूरा करना			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1	-	-	-	-
परियोजना 2	-	-	-	-

नोट 14 : परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि		
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	**भवन***	**भूमि**	**कुल**
01.04.2024 को शेष	**163.44**	**4.33**	**167.78**
वर्ष के दौरान संयोजन	-		-
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-
31.03.2025 को शेष	**163.44**	**4.33**	**167.78**
01.04.2025 को शेष	**163.44**	**4.33**	**167.78**
वर्ष के दौरान संयोजन	1.48		1.48
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-
31.03.2026 को शेष	**164.92**	**4.33**	**169.26**
संचित परिशोधन			
01.04.2024 को शेष	**17.25**	**0.64**	**17.89**
परिशोधन व्यय	6.30	0.18	6.48

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	राशि		
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	**भवन***	**भूमि**	**कुल**
समायोजन/पुनर्वर्गीकरण	-	-	-
31.03.2025 को शेष	**23.55**	**0.82**	**24.37**
01.04.2025 को शेष	**23.55**	**0.82**	**24.37**
परिशोधन व्यय	6.21	0.18	6.40
समायोजन/पुनर्वर्गीकरण	-		-
31.03.2026 को शेष	**29.76**	**1.01**	**30.77**
वहन राशि			
31.03.2025 को	**139.90**	**3.51**	**143.40**
31.03.2026 को	**135.16**	**3.32**	**138.49**

परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार पर विवरण के लिए देखें नोट 38(31)

*एनबीसीसी से ली गई लीज होल्ड संपत्ति पर कर प्रभाव का लेखा-जोखा तब लिया जाएगा जब यह स्पष्ट हो जाएगा।

नोट 15 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि*
01.04.2024 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संयोजन	-
घटाएँ: अमूर्त संपत्तियों में स्थानांतरण	-
31.03.2025 को शेष	**-**
01.04.2025 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संयोजन	-
घटाएँ: अमूर्त परिसंपत्तियों में स्थानांतरण	-
31.03.2026 को शेष	**-**

(i) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की अवधि निर्धारण अनुसूची (जिसमें वह परियोजना शामिल है जिसका पूरा होना अतिदेय है)

(क) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (निर्धारित पूरा होने के भीतर)

(₹ करोड़ में)

31.03.2026 को	**के वर्ष हेतु विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में राशि**				
	1 वर्ष से कम	**1 - 2 वर्ष**	**2 - 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजनाएँ प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	**के वर्ष हेतु विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में राशि**				
	1 वर्ष से कम	**1 - 2 वर्ष**	**2 - 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजनाएँ प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(ख) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (मूल योजना की तुलना में पूरा होने में देरी/लागत अधिक होना)

(₹ करोड़ में)

31.03.2026 को	में पूरा किया जाना			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	में पूरा किया जाना			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	-	-	-	-

टिप्पण 16 : अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि*
सकल ब्लॉक	
01.04.2024 को शेष	**9.82**
वर्ष के दौरान संयोजन	1.93
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण -	-
31.03.2025 को शेष	**11.75**
01.04.2025 को शेष	**11.75**
वर्ष के दौरान संयोजन	0.39
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण	-
31.03.2026 को शेष	**12.14**
संचित मूल्यह्रास	
01.04.2024 को शेष	**5.04**
परिशोधन व्यय	0.85
विश्व बैंक अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन	0.37
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2025 को शेष	**6.26**
01.04.2025 को शेष	**6.26**
परिशोधन व्यय	1.17
विश्व बैंक अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन [नोट 38(7क) व 38(17) देखें]	0.37
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2026 को शेष	**7.80**
वहन राशि	
31.03.2025 को	**5.49**
31.03.2026 को	**4.34**

*कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 17 : अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31. 03.2025 को
अन्य प्राप्य	23.67	24.85
अन्य अग्रिम	4.11	1.43
आस्थगित कर्मचारी लाभ	15.39	-
कुल	**43.17**	**26.28**

ऊपर दी गई नोट में ₹1,640.00 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹1,638.79 करोड़) की राशि शामिल नहीं है, क्योंकि यह शेष राशि एमएनआरई से संबंधित है।
[नोट 38(43) भी देखें]

नोट 18 : देय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31. 03.2025 को
व्यावसायिक देय		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	1.12	1.06
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	3.39	8.05
कुल	**4.51**	**9.11**

व्यावसायिक देय अवधि एजिंग अनुसूची
31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया*				
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	0.45	0.67	-	-	-	-	**1.12**
(ii) अन्य	1.08	0.80	1.51	-	-	-	**3.39**
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	**-**

*अवधि निर्धारण भुगतान की देय तिथि पर आधारित है और जहां भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है, वहां अवधि निर्धारण लेन-देन की तिथि पर आधारित है।

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया*				
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	0.70	0.31	0.05	-	-	-	**1.06**
(ii) अन्य	4.37	2.60	1.07	-	-	-	**8.05**
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	**-**

*अवधि निर्धारण भुगतान की देय तिथि पर आधारित है और जहां भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है, वहां अवधि निर्धारण लेन-देन की तिथि पर आधारित है।
[देखें नोट 38 (37)]

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 19 : ऋण प्रतिभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
बंधपत्र		
(I) कर मुक्त बंधपत्र - गैर परिवर्तनीय मोचन योग्य डिबेंचर (सुरक्षित)		
[कंपनी के ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित]		
7.17% कर मुक्त बंधपत्र	-	284.00
(शृंखला XIV प्राइवेट ।ग-2015-16) (01.10.2025 को परिपक्व)		
7.28% कर मुक्त बंधपत्र	-	108.89
(शृंखला XIV किश्त-I-।क- 2015-16) (21.01.2026 को परिपक्व)		
7.53% कर मुक्त बंधपत्र	-	127.88
(शृंखला XIV किश्त-I-।ख- 2015-16) (21.01.2026 को परिपक्व)		
8.55% कर मुक्त बंधपत्र	123.08	123.08
(शृंखला XIII किश्त-I-IIक - 2013-14) (13.03.2029 को चुकाने योग्य)		
8.80% कर मुक्त बंधपत्र	234.55	234.55
(शृंखला XIII किश्त-I-IIख - 2013-14) (13.03.2029 को चुकाने योग्य)		
8.56% कर मुक्त बंधपत्र	36.00	36.00
(शृंखला XIII किश्त-I-।ग- 2013-14) (27.03.2029 को चुकाने योग्य)		
7.49% कर मुक्त बंधपत्र	884.27	884.27
(शृंखला XIV किश्त-I-IIक - 2015-16) (21.01.2031 को चुकाने योग्य)		
7.74% कर मुक्त बंधपत्र	483.52	483.52
(शृंखला XIV किश्त-I-IIख- 2015-16) (21.01.2031 को चुकाने योग्य)		
8.55% कर मुक्त बॉण्ड्स	38.81	38.81
(शृंखला XIII किश्त-I-IIIक- 2013-14) (13.03.2034 को चुकाने योग्य)		
8.80% कर मुक्त बंधपत्र	144.16	144.16
(शृंखला XIII किश्त-I-IIIख- 2013-14) (13.03.2034 को चुकाने योग्य)		
7.43% कर मुक्त बंधपत्र	36.44	36.44
(शृंखला XIV किश्त-I-IIIक- 2015-16) (21.01.2036 को चुकाने योग्य)		
7.68% कर मुक्त बंधपत्र	75.00	75.00
(शृंखला XIV किश्त-I-IIIख- 2015-16) (21.01.2036 को चुकाने योग्य)		
उप-योग (अ)	**2,055.83**	**2,576.60**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(II) कर योग्य बंधपत्र - अपरिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (सुरक्षित)		
[कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (बही ऋण) पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित]।		
9.02% कर योग्य बंधपत्र	-	250.00
(शृंखला III- 2010-11 - किश्त II) (24.09.2025 को परिपक्व)		
8.49% कर योग्य बंधपत्र	200.00	200.00
(शृंखला Vख- 2013-14) (10.05.2028 को चुकाने योग्य)		
8.12% कर योग्य ग्रीन बंधपत्र	200.00	200.00
(शृंखला VI क- 2016-17) (24.03.2027 को चुकाने योग्य)		
8.05% कर योग्य ग्रीन बंधपत्र	500.00	500.00
(शृंखला VI ख - 2016-17) (29.03.2027 को चुकाने योग्य)		
8.51% कर योग्य बंधपत्र	275.00	275.00
(शृंखला VIIक- 2018-19) (03.01.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.09	0.12
	274.91	**274.88**
8.47% कर योग्य बंधपत्र	590.00	590.00
(शृंखला VIIख- 2018-19) (17.01.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.09	0.12
	589.91	**589.88**
8% कर योग्य बंधपत्र	1,000.00	1,000.00
(शृंखला IX क- 2019-20) (24.09.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.11	0.14
	999.89	**999.86**
7.40% कर योग्य बंधपत्र	803.00	803.00
(शृंखला IX ख- 2019-20) (03.03.2030 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.22	0.27
	802.78	**802.73**
उप-योग (ब)	**3,567.49**	**3,817.35**
(III) कर योग्य बंधपत्र - अपरिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (अरक्षित)		
5.98% कर योग्य बंधपत्र	-	106.00
(शृंखला XI क - 2021-22) (16.04.2025 को परिपक्व)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	-	0.00
	-	**106.00**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
7.46% कर योग्य बंधपत्र	-	648.40
(शृंखला XII क- 2022-23) (12.08.2025 को परिपक्व)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	-	0.02
	-	**648.38**
7.85% कर योग्य बंधपत्र	1,200.00	1,200.00
(शृंखला XII ख- 2022-23) (12.10.2032 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.13	0.15
	1,199.87	**1,199.85**
7.79% कर योग्य बंधपत्र	515.00	515.00
(शृंखला XII ग- 2022-23) (07.12.2032 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.06	0.07
	514.94	**514.93**
7.94% कर योग्य बंधपत्र	1,500.00	1,500.00
(शृंखला XII घ- 2022-23) (27.01.2033 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.42	0.46
	1,499.58	**1,499.54**
7.63% कर योग्य बंधपत्र	1,000.00	1,000.00
(शृंखला XV-क 2023-24) (11.08.2033 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.56	0.61
	999.44	**999.39**
7.75% कर योग्य बंधपत्र	683.00	683.00
(शृंखला XV-ख 2023-24) (12.10.2033 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.38	0.42
	682.62	**682.58**
7.68% कर योग्य बंधपत्र	1,000.00	1,000.00
(शृंखला XV-ग 2023-24) (22.12.2033 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.61	0.66
	999.39	**999.34**
7.77% कर योग्य बंधपत्र	809.74	809.74
(शृंखला XV-घ 2023-24) (10.05.2027 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.14	0.25
	809.60	**809.49**
7.59% कर योग्य बंधपत्र	1,130.00	1,130.00
(शृंखला XV-ङ 2023-24) (23.02.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.10	1.20
	1,128.90	**1,128.80**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
7.53% कर योग्य बॉण्ड्स	1,222.00	1,222.00
(शृंखला XV-च 2023-24) (10.05.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.80	0.87
	1,221.20	1,221.13
7.57% कर योग्य बॉण्ड्स	447.00	447.00
(शृंखला XV-छ 2023-24) (18.05.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.19	0.24
	446.81	**446.76**
7.59% कर योग्य बॉण्ड्स	1,065.00	1,065.00
(शृंखला XV-ज 2023-24) (26.07.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.75	0.81
	1,064.25	**1,064.19**
7.50% कर योग्य बॉण्ड्स	1,000.00	1,000.00
(शृंखला XVI-क 2024-25) (05.06.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.91	0.99
	999.09	**999.01**
7.44% कर योग्य बॉण्ड्स	1,500.00	1,500.00
(शृंखला XVI-ख 2024-25) (25.08.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.75	0.82
	1,499.25	**1,499.18**
7.39% कर योग्य बॉण्ड्स	1,090.00	1,090.00
(शृंखला XVI-ग 2024-25) (22.07.2039 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.97	1.01
	1,089.03	**1,088.99**
7.36% कर योग्य बॉण्ड्स	1,500.00	1,500.00
(शृंखला XVI-घ 2024-25) (09.09.2039 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.26	1.32
	1,498.74	1,498.68
7.32% कर योग्य बॉण्ड्स	1,500.00	1,500.00
(शृंखला XVI-ङ 2024-25) (04.11.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.48	0.59
	1,499.52	**1,499.41**
7.37% कर योग्य बॉण्ड्स	2,000.00	2,000.00
(शृंखला XVI-च 2024-25) (27.11.2031 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.12	1.28
	1,998.88	**1,998.72**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
7.28% कर योग्य बॉण्ड्स	1,330.00	1,330.00
(शृंखला XVI-छ 2024-25) (21.01.2035 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.12	1.20
	1,328.88	**1,328.80**
7.40% कर योग्य बॉण्ड्स	820.00	820.00
(शृंखला XVI-ज 2024-25) (27.02.2036 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.82	0.88
	819.18	**819.12**
7.00% कर योग्य बॉण्ड्स	1,500.00	-
(शृंखला XVII-क 2025-26) (31.05.2030 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.90	-
	1,499.10	**-**
उप-योग (स)	**22,798.28**	**22,052.29**
कुल बॉण्ड्स (अ+ब+स)	**28,421.60**	**28,446.24**
भौगोलिकवार ऋण प्रतिभूतियाँ		
भारत में ऋण प्रतिभूतियाँ	28,421.60	28,446.24
भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
कुल	**28,421.60**	**28,446.24**

टिप्पणियाँ :

i) कंपनी द्वारा जारी किए गए कर योग्य बॉण्ड्स के पास सम्बंधित बॉण्ड्स के सूचना ज्ञापन में बॉण्ड्स के पुनर्निर्गम हेतु खंड है।

ii) 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने शृंखला XVII-क के अंतर्गत ₹ 1,500.00 करोड़ के कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड्स जारी किए हैं (31.03.2025 को समाप्त वर्ष : शृंखला XVI-क से XVI-ज के अंतर्गत ₹ 10,740.00 करोड़ के कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड्स)।

iii) 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने शृंखला XI-क, XII-क, III-ख, XIVग, XIV-1क और XIV-1ख के तहत ₹1,525.18 करोड़ के कर योग्य बॉण्ड्स का मोचन किया है (31.03.2025 को समाप्त वर्ष में : शून्य करोड़ रुपये के कर योग्य बॉण्ड का मोचन किया है)।

iv) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 54 के अनुसार, कंपनी द्वारा जारी और 31.03.2026 तक बकाया सभी सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए, कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

v) कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों के अनुबंधों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं था।

vi) वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज़/सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं के लिए किया गया है।

नोट 20 : ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(क) सावधि ऋण -		
(I) बैंकों से		
अ. सावधि ऋण - सुरक्षित		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-V [ऋण और अग्रिम (पुस्तिका ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित]	229.51	291.57

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(दिनांक 30.12.2018 से शुरू करके 30.12.2027 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 5,263,000 यूरो की 16 किस्तों में और प्रत्येक 5,264,000 यूरो की 3 किस्तों में पुनर्भुगतान)		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से - ऋण-III	-	62.50
(कंपनी के पुस्तिका ऋण और प्राप्य पर 100% कवर के साथ एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		
(30.03.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹20.83 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना था , ऋण दिनांक 30.12.2025 को समाप्त हो गया)।		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से - ऋण-IV	-	83.33
(कंपनी के पुस्तिका ऋणों और प्राप्य पर 100% कवर के साथ एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		
(23.04.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 20.83 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना था, ऋण दिनांक 23.01.2026 को समाप्त हो गया)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-IV	-	1,041.62
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(ट्रैंच क के लिए ₹125 करोड़ और ट्रैंच ख के लिए ₹83.34 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, दोनों 22.07.2023 से शुरू हो चुके हैं।हालांकि, ट्रैंच ख को 30-06-2025 को पूरी तरह से पहले ही बंद कर दिया गया है और ट्रैंच क को 30-09-2025 को पूरी तरह से पहले ही बंद कर दिया गया है)।		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण II	-	333.31
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(इसे 27.06.2023 से 27.12.2025 तक प्रत्येक ₹ 83.33 करोड़ की 11 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना था और आखिरी किस्त ₹ 83.30 करोड़ की 27.03.2026 को चुकाई गई, जिसके बाद ऋण पूरी तरह से चुका दिया गया।)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - ऋण IV- बीओआई	420.97	631.50
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.09.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 52.63 करोड़ की 19 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
एचएसबीसी बैंक से - ऋण I - एचएसबीसी - शृंखला I	50.00	72.22
[100% कवर के साथ कंपनी के ऋण और अग्रिम (पुस्तिका ऋण) तथा प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित]		
(09.03.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 5.56 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
इंडियन ओवरसीज बैंक से - ऋण I- आईओबी	-	333.33

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(100% के न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्तियों पर बहु बैंकिंग व्यवस्था के अधीन अन्य ऋणदाताओं के साथ एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.03.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹333.33 करोड़ के 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना था, हालांकि ऋण दिनांक 19.01.2026 को पहले ही पूरी तरह से चुकता कर दिया गया है)		
आईडीबीआई बैंक से - सावधि ऋण सुविधा I	222.20	333.32
(बकाया ऋण राशि के 100% की सीमा तक पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.12.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹27.78 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से - ऋण -II (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	1,135.85	1,141.09
[ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित]		
(15.04.2020 से शुरू करके 15.10.2034 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 6,666,666.67 अमेरिकी डॉलर के 29 समान किस्तों में तथा 30वीं किस्त में 6,666,666.57 अमेरिकी डॉलर में चुकौती-योग्य)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - ऋण-I	273.10	409.86
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(22.02.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹34.19 करोड़ की 21 समान तिमाही किस्तों में चुकौती-योग्य)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - II शृंखला-क	105.13	210.39
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.09.2022 से शुरू करके प्रत्येक ₹26.32 करोड़ की 19 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से - ऋण-II	112.46	262.47
(बकाया ऋण राशि के 1 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(16 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है। ₹37.51 करोड़ की पहली किस्त 21.03.2023 को देय थी और प्रत्येक ₹37.50 करोड़ की बाकी बची किस्तें, 21.06.2023 से शुरू हैं।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-III शृंखला-क	378.40	883.80
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(29.12.2022 से शुरू करके 29.09.2026 तक प्रत्येक ₹126.35 करोड़ की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, दूसरी अंतिम क़िस्त 29.12.2026 को और ₹ 62.85 करोड़ की अंतिम क़िस्त 29.03.2027 को देय है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-III शृंखला -ख	-	266.50
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(29.12.2022 से शुरू करके 29.12.2026 तक प्रत्येक ₹33.35 करोड़ की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है और ₹33.05 करोड़ की अंतिम किस्त 29.03.2027 को देय है; हालाँकि ऋण का भुगतान 27.10.2025 को पूरी तरह से कर दिया गया है)।		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-VI	77.89	92.35
[ऋण और अग्रिम (पुस्तिका ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित]		
(30.12.2021 से शुरू करके 30.06.2028 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 1,428,000 यूरो की 6 समान किस्तों और प्रत्येक 1,429,000 यूरो की 8 समान किस्तों में चुकाया जाना है।)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से	366.55	611.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.06.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 61.11 करोड़ की 18 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है)		
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से	468.62	843.63
(बकाया ऋण राशि के 1 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		
(27.09.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 93.75 करोड़ की 16 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है)।		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - II शृंखला -ख	52.73	105.48
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		
(19 तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है। 30.09.2022 को ₹ 52.63 करोड़ की पहली किस्त और प्रत्येक ₹13.18 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तें 31.12.2022 से शुरू हो चुकी हैं)।		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से - I	-	249.96
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(29.03.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 83.33 करोड़ की 12 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है और ऋण 29.12.2025 को चुकता हो गया)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V शृंखला -क	-	533.33

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(28.06.2024 से शुरू होकर, प्रत्येक ₹ 66.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 27.10.2025 को कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V शृंखला -ख	-	450.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(07.07.2024 से शुरू करके, प्रत्येक ₹ 50.00 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 17.11.2025 को कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V शृंखला-ग	-	240.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.07.2024 से शुरू करके, प्रत्येक ₹ 26.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 29.12.2025 को कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V शृंखला-घ	-	232.50
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(प्रत्येक ₹25.83 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, जो 04.08.2024 से शुरू हुआ; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 29.12.2025 को कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-ङ	-	465.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(19.08.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹51.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 29.11.2025 को कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V शृंखला -च	-	1,387.50
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.08.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹154.17 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 29.12.2025 को कर दिया गया है)।		
एचएसबीसी से - ऋण-I शृंखला -II	200.00	266.67

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
[100% कवर के साथ कंपनी के ऋण और अग्रिम (पुस्तिका ऋण) और प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा आरक्षित।]		
(01.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹16.67 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कर्नाटक बैंक से - ऋण-II	333.49	444.49
(किसी भी समय बकाया राशि के 100% की सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के मानक प्राप्य/ पुस्तिका ऋणों पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(15.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹27.75 करोड़ की 17 समान तिमाही किस्तों और ₹28.25 करोड़ की 18वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
आईडीबीआई बैंक से - ऋण-II	333.33	444.44
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(01.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹27.78 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI-क	-	375.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(27.09.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹41.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 27.10.2025 को कर दिया गया है)।		
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) बैंक से - ऋण-I	-	499.88
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्य राशि पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 62.50 करोड़ की 8 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 30.04.2025 को पहले ही कर दिया गया है)।		
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) से	-	785.00
(ये एसटीएल/डब्ल्यूसीडीएल कई हिस्सों में ₹ 2000 करोड़ की कुल सीमा के अंदर निकाले गए हैं, जिनकी समय-सीमा 90 दिनों तक है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI शृंखला ख	-	358.33
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(02.10.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 35.83 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 27.10.2025 को पहले ही कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI शृंखला ग	-	83.33

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(14.10.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 8.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 30.09.2025 को पहले ही कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI शृंखला घ	-	533.33
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(08.11.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 53.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 30.09.2025 को पहले ही कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI किस्त ङ	-	275.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(14.11.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 27.50 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है। हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 30.09.2025 को पहले ही कर दिया गया है)		
केनरा बैंक से शृंखला क	75.83	99.17
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.01.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹5.83 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
केनरा बैंक से शृंखला ख	252.78	330.56
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(28.02.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹19.44 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
केनरा बैंक से शृंखला ग	36.11	47.22
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(28.02.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 2.78 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
केनरा बैंक से शृंखला घ	278.06	363.61
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(28.02.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 21.39 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
साउथ इंडियन बैंक से	250.00	250.00
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्तियों पर बहु-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अन्य ऋणदाताओं के साथ एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा आरक्षित, सहित 21.09.2027 को बुलेट पुनर्भुगतान।)		
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) बैंक से - ऋण-I श्रृंखला II	-	350.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 43.75 करोड़ की 8 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है। हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 31.05.2025 को पहले ही कर दिया गया है)		
आईडीबीआई बैंक से - ऋण III	288.88	377.77
(बकाया ऋण राशि के 100% की सीमा तक पुस्तिका ऋण पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(01.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹22.22 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
साउथ इंडियन बैंक से - ऋण II	120.00	200.00
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्य पर बहु-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अन्य ऋणदाताओं के साथ एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(27.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹20.00 करोड़ की 10 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
केनरा बैंक से श्रृंखला ङ	322.78	415.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹23.06 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
भारतीय स्टेट बैंक से VII श्रृंखला क	-	800.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बही ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(21.05.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹42.11 करोड़ की 19 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 10.11.2025 को कर दिया गया है)		
पंजाब नेशनल बैंक से - ऋण V	1,874.99	1,999.99
(ऋण बकाया राशि के 100% के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(31.03.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹125.00 करोड़ की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला क	204.16	320.83
(100% की प्रतिभूति कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.03.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 29.17 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला ख	133.32	200.00
(100% की प्रतिभूति कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 16.67 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला ग	166.65	250.00
(100% की प्रतिभूति कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(30.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹20.83 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला घ	110.00	165.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(30.05.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹13.75 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला ङ	266.66	400.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(30.05.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹33.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला च	99.99	150.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(10.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹12.50 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण VIII शृंखला क	-	2,000.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूति)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(05.09.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹166.67 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 08-08-2025 को कर दिया गया है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण VIII श्रृंखला ख	-	1,000.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूति)		
(06.09.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 83.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, लोन का पूरा भुगतान 30-06-2025 को कर दिया गया है)		
बैंक ऑफ महाराष्ट्र से	2,666.62	750.00
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की मानक प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूति)		
(30.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹166.67 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में और ₹166.61 करोड़ के अंतिम किस्त में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV श्रृंखला छ	363.73	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(10.07.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 40.42 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
जम्मू एवं कश्मीर बैंक से	670.55	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(06.01.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 44.44 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
बैंक ऑफ इंडिया से - ऋण V श्रृंखला क	800.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(31.12.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 100.00 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कर्नाटक बैंक से - ऋण III	283.33	-
(यह किसी भी समय बकाया राशि के 100% की सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के मानक प्राप्तियों/ बैंक ऋणों (वर्तमान एवं भावी) पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.03.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 16.66 करोड़ की 17 समान तिमाही किस्तों में और 30.06.2030 को ₹16.78 करोड़ की 18वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
बैंक ऑफ इंडिया से - ऋण V श्रृंखला ख	400.00	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(31.12.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 50.00 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कैनरा बैंक से - ऋण II शृंखला क	600.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(30.04.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 60 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कैनरा बैंक से - ऋण II शृंखला ख	150.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(30.04.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹15 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कैनरा बैंक से - ऋण II शृंखला ग	300.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(30.04.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 30 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कैनरा बैंक से - ऋण II शृंखला घ	300.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(31.05.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 30 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कैनरा बैंक से - ऋण II शृंखला ङ	610.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(31.05.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 61 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कैनरा बैंक से - ऋण II शृंखला च	1,640.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(31.05.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹164 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र से - ऋण II	2,499.98	-
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की मानक प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(30.06.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 138.89 करोड़ की 17 समान तिमाही किस्तों में और 14.09.2030 को ₹138.87 करोड़ की 18वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
बैंक ऑफ़ बड़ौदा से - ऋण II	2,010.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(30.06.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹201 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
पंजाब नेशनल बैंक से - ऋण VI शृंखला क	1,000.00	-
(बकाया ऋण राशि के 1.00 गुना की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(बुलेट पुनर्भुगतान 30-09-2028 को)		
पंजाब नेशनल बैंक से - ऋण VI शृंखला ख	300.00	-
(बकाया ऋण राशि के 1.00 गुना की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(बुलेट पुनर्भुगतान 30-09-2028 को)		
पंजाब नेशनल बैंक से - ऋण VI शृंखला ग	700.00	-
(बकाया ऋण राशि के 1.00 गुना की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(बुलेट पुनर्भुगतान 27-10-2028 को)		
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से - ऋण V शृंखला क	155.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(बुलेट पुनर्भुगतान 30-12-2026 को)		
बैंक ऑफ़ बड़ौदा से - ऋण II शृंखला ख	490.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(30.06.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹49 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
बैंक ऑफ़ इण्डिया से - ऋण V शृंखला ग	500.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
(31.12.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 50 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
उप-योग (अ)	**25,679.63**	**26,102.18**
ब. सावधि ऋण - अरक्षित		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरौफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-I	179.15	162.57
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(30.12.2009 से शुरू करके 30.12.2039 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 586,451.79 यूरो की 28 समान किस्तों में, प्रत्येक 586,963.08 यूरो की 32 सामान किस्तों में और 586,963 यूरो की 61वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरौफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-III	174.24	153.72
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(30.06.2020 से शुरू करके 30.12.2049 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 332,000 यूरो की 9 समान किस्तों में और प्रत्येक 333,000 यूरो की 51 समान किस्तों में चुकाया जाना है।)		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-VII	253.26	253.09
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(15.05.2023 से शुरू करके 15.05.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर 8,912,000 अमेरिकी डॉलर की 1 किस्त और प्रत्येक 1,408,248.09 अमेरिकी डॉलर की 24 समान किस्तों में चुकाया जाना है।)		
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से - ऋण-III	320.50	318.77
(भारत सरकार द्वारा जोखिम के 80% की सीमा तक गारंटीकृत)		
(15.04.2022 से शुरू करके 15.10.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 556,508.17 अमेरिकी डॉलर की 3 समान किस्तों में, प्रत्येक 779,500.64 अमेरिकी डॉलर की 2 समान किस्तों में, प्रत्येक 1,693,241.41 अमेरिकी डॉलर की 22 समान किस्तों तथा 1,688,973.99 अमेरिकी डॉलर की 28वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) - ऋण-III	132.37	119.69
(भारत सरकार द्वारा जोखिम के 80% की सीमा तक गारंटीकृत)		
(15.04.2027 से शुरू करके 15.10.2056 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 139,849.43 अमेरिकी डॉलर की 20 समान किस्तों में तथा प्रत्येक 279,698.86 अमेरिकी डॉलर की 40 समान किस्तों में चुकाया जाना है)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
कर्नाटक बैंक से ऋण-I	-	136.37
(इसे 29-05-2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹45.45 करोड़ की 10 किस्तों में चुकाया जाना था और आखिरी क़िस्त ₹ 45.50 करोड़ की 29-11-2025 को चुकाई गई, जिसके बाद ऋण पूरी तरह से समाप्त हो गया।)		
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से - ऋण-I	1,306.43	1,295.32
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(किस्त I - 26.09.2019 से शुरू करके 26.03.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 662,000 अमेरिकी डॉलर की 32 समान किस्तों में चुकाया जाना है)।		
(क़िस्त II - 15.07.2020 से शुरू करके 15.07.2036 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 1,999,636.36 अमेरिकी डॉलर की 32 समान किस्तों में और 1,999,636.48 अमेरिकी डॉलर की 33वीं क़िस्त में चुकाया जाना है)।		
(किस्त III - 16.02.2021 से शुरू करके 15.08.2036 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 4,005,375 अमेरिकी डॉलर की 32 समान किस्तों में चुकाया जाना है)।		
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से - ऋण-II	1,281.86	1,269.64
(किस्त I - 27.02.2023 से शुरू करके 27.08.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 2,263,653.85 अमेरिकी डॉलर की 25 समान किस्तों में और 2,263,653.75 की 26वीं किस्त में चुकाया जाना है)।		
(किस्त II - 09.03.2024 से शुरू करके 09.03.2037 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 4,200,740.74 अमेरिकी डॉलर की 26 समान किस्तों में तथा 4,200,740.76 अमेरिकी डॉलर की 27वीं किस्त में चुकाया जाना है)।		
पंजाब नेशनल बैंक से- ऋण VII शृंखला क	1,050.00	-
(बुलेट पुनर्भुगतान 17.10.2028 को)		
पंजाब नेशनल बैंक से- ऋण VII शृंखला ख	145.00	-
(बुलेट पुनर्भुगतान 21.12.2028 को)		
पंजाब नेशनल बैंक से- ऋण VII शृंखला ग	380.00	-
(बुलेट पुनर्भुगतान 22.12.2028 को)		
पंजाब नेशनल बैंक से- ऋण VII शृंखला घ	265.00	-
(बुलेट पुनर्भुगतान 25.12.2028 को)		
पंजाब नेशनल बैंक से- ऋण VII शृंखला ङ	2,160.00	-
(बुलेट पुनर्भुगतान 28.12.2028 को)		
बैंक ऑफ बड़ौदा से - ऋण III	790.00	-
(30.09.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹79 करोड़ के 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया से - ऋण I	4,000.00	-
(21.11.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹400 करोड़ के 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
बैंक ऑफ बड़ौदा से - ऋण III शृंखला ख	1,710.00	-
(30.09.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹171 करोड़ के 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
उप योग (ब)	**14,147.81**	**3,709.17**
बैंकों से कुल ऋण (स=अ+ब)	**39,827.44**	**29,811.35**
(II) अन्य से		
द. सावधि ऋण - सुरक्षित	**-**	**-**
उप योग (द)	**-**	**-**
य. सावधि ऋण - अरक्षित		
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से	13.68	25.42
(41 संरचित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
एजेंसे फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) से - ऋण-I	254.35	258.51
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(31.07.2016 से शुरू करके 31.01.2031 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 2,333,333.33 यूरो की 29 किस्तों तथा 2,333,333.43 यूरो की 30वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से - ऋण-I	1,343.96	1,370.30
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(20.06.2021 से शुरू करके 20.06.2041 तक अर्धवार्षिक आधार पर 731,720,000 जापानी येन की 1 किस्त और प्रत्येक 731,707,000 जापानी येन की 40 समान किस्तों में चुकाया जाना है।)		
जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से - ऋण-II	1,559.17	1,576.35
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(20.03.2024 से शुरू करके 20.03.2044 तक अर्धवार्षिक आधार पर 731,000,000 जापानी येन की 1 किस्त और प्रत्येक 730,975,000 जापानी येन की 40 समान किस्तों में चुकाया जाना है।)		
भारत सरकार से	224.80	224.65
(अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (आईडीए) के तहत - दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना (आईएनआर ऋण)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(15.10.2010 से शुरू करके 15.04.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 625,000.00 अमेरिकी डॉलर की 20 समान किस्तों में तथा प्रत्येक 1,250,000.00 अमेरिकी डॉलर की 30 समान किस्तों में भारतीय रुपये में देय चुकाया जाना है।)		
उप-योग (य)	**3,395.96**	**3,455.23**
अन्य से कुल ऋण (र=द+य)	**3,395.96**	**3,455.23**
कुल अवधि ऋण (क=स+र)	**43,223.40**	**33,266.58**
(ख) मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण:-		
(i) सुरक्षित		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से	-	222.92
(ऋण राशि की 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋण पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
उप योग (i)	**-**	**222.92**
(ii) अरक्षित		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - नकद ऋण	222.79	-
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - डब्ल्यूसीडीएल	1,180.00	-
उप योग (ii)	**1,402.79**	**-**
उप योग (ख=i+ii)	**1,402.79**	**222.92**
(ग) एफसीएनआर (ब) मांग ऋण:-		
उप योग (ग)	**-**	**-**
(घ) बाह्य वाणिज्यिक ऋण:-		
अरक्षित		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - टोक्यो	1,540.50	-
(बुलेट पुनर्भुगतान सहित अरक्षित सुविधा)		
(2 भागों ने चुकाया जाना है अर्थात 25.04.2030 को 16 बिलियन जापानी येन तथा 25.06.2030 को 10 बिलियन जापानी येन)		
उप योग (घ)	**1,540.50**	**-**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
कुल योग (क+ख+ग+घ)	**46,166.69**	**33,489.50**
भौगोलिक वार ऋण		
भारत में ऋण	36,152.83	24,961.89
भारत के बाहर ऋण	10,013.86	8,527.61
कुल	**46,166.69**	**33,489.50**

i) विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों जैसे एडीबी, विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू, एएफडी, जेआईसीए और ईआईबी से विदेशी मुद्रा ऋण को रुपये में परिवर्तित किया गया है और उसी का बचाव विभिन्न बैंकों के साथ प्लेन वेनिला स्वैप लेन-देन/मुद्रा ब्याज दर स्वैप/प्रिंसिपल ओनली स्वैप/फॉरवर्ड अनुबंध आदि करके की जाती है, जिनके साथ कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्वैप और व्युत्पन्न संघ (आईएसडीए) मास्टर समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। ये व्युत्पन्नी लेन-देन भागीदार बैंक के साथ परिपक्वता की अवधि के लिए किये गये हैं, जो ऋण की परिपक्वता अवधि से कम हो सकती है। विदेशी मुद्रा ऋण का बचाव विभिन्न अंतरालों पर किया गया है और क्रेडिट लाइनों के तहत निकासी और रोलओवर के आधार पर कई किस्तों में की गयी है। ब्याज लागत और अन्य वित्तीय शुल्कों के अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा ऋणों के बचाव के कारण, इन ऋणों में बचाव /व्युत्पन्नी लागत होती है, जो क्रेडिट लाइन के तहत निकासी के अनुसार किस्तों के अनुसार होती है, इसलिए इन क्रेडिट लाइनों पर लागू ब्याज दर का खुलासा ऊपर नहीं किया गया है।

ii) नोट संख्या 20 में उल्लिखित 31-03-2026 तक रुपया ऋण संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों की बेंचमार्क दर और 0 बीपीएस से 210 बीपीएस तक के प्रसार पर उगाहा गया था।

iii) बॉण्ड सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से कंपनी धन उगाहती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने किसी भी ऋण सेवा-दायित्व की सेवा में चूक नहीं की है, फिर चाहे वह मूलधन हो या ब्याज।

iv) वर्ष के दौरान उगाही गयी धनराशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन/सुविधा समझौते में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है।

v) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

vi) कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास दायर किये गये पुस्तिका ऋणों के विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

vii) किसी भी ऋण की गारंटी कम्पनी के निदेशकों द्वारा नहीं दी गई है।

viii) कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों के नियमों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं था।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 21 : अधीनस्थ देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
क) अरक्षित		
9.23% इरेडा कर योग्य अरक्षित	150.00	150.00
(अधीनस्थ स्तरीयर-II बंधपत्र -शृंखला VIII- 22.02.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.12	0.16
	149.88	149.84
7.74% इरेडा कर योग्य अरक्षित	500.00	500.00
(अधीनस्थ स्तरीयर -II बंधपत्र - शृंखला-X-08.05.2030 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.28	0.34
	499.72	499.66
7.74% इरेडा कर योग्य अरक्षित	910.37	910.37
(अधीनस्थ स्तरीयर -II बंधपत्र -एसडी -III-27.03.2035 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.71	0.77
	909.66	909.60
8.40% इरेडा सतत कर योग्य बंधपत्र	1,239.00	1,239.00
(सतत स्तरीयर -I बंधपत्र -शृंखला-पीडीआई-I - 21.03.2035 को कॉल विकल्प के साथ और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर)		
घटाएं : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.42	1.52
	1,237.58	1,237.48
8.40% इरेडा सतत कर योग्य बंधपत्र	8.00	8.00
(सतत स्तरीयर -I बंधपत्र -शृंखला-पीडीआई-I - 21.03.2035 को कॉल विकल्प के साथ और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर)- आरबीआई मानदंड के अनुसार स्तरीयर II पूँजी के तौर पर वर्गीकृत		
घटाएं : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.01	0.01
	7.99	7.99
7.70% इरेडा सतत कर योग्य बंधपत्र	430.86	-
(सतत स्तरीयर -I बंधपत्र -शृंखला-पीडीआई-II - 15.09.2035 को कॉल विकल्प के साथ और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर)		
घटाएं : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.47	-
	430.39	-
7.70% इरेडा सतत कर योग्य बंधपत्र	22.14	-
(सतत स्तरीयर -I बंधपत्र -शृंखला-पीडीआई-II - 15.09.2035 को कॉल विकल्प के साथ और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर)- आरबीआई मानदंड के अनुसार स्तरीयर II पूँजी के तौर पर वर्गीकृत		
घटाएं : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.02	-
	22.12	-
कुल (अ)	**3,257.34**	**2,804.57**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(ख) भौगोलिक वार वर्गीकरण		
भारत में अधीनस्थ देयताएँ	3,257.34	2,804.57
भारत के बाहर अधीनस्थ देयताएँ	-	-
कुल (ख)	**3,257.34**	**2,804.57**

नोट:

i) 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 453 करोड़ के सतत ऋण साधन (31.03.2025 को समाप्त वर्ष : ₹ 1,247 करोड़) और शून्य करोड़ के अधीनस्थ स्तरीयर II बॉण्ड्स (31.03.2025 को समाप्त वर्ष: ₹ 910.37 करोड़) जारी किए हैं। नोट 38(48डी(ख) भी देखें।

नोट : 22 - अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	495.37	440.74
(ख) ऋण पर अर्जित ब्याज और अन्य शुल्क लेकिन देय नहीं	966.78	959.28
(ग) लाभांश देय [नोट 38(48घ)(घ)] देखें	168.55	-
(घ) अन्य देय:		
एफडीआर - ऋणकर्ता	9.18	11.95
दावाहीन बॉण्ड मूलधन *	0.20	0.20
दावाहीन बॉण्ड ब्याज *	2.99	1.93
पट्टा देयता	4.85	3.69
अन्य	82.23	54.05
कुल	**1,730.15**	**1,471.84**

*इसमें से कोई भी राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के योग्य नहीं है।

₹64.43 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹165.99 करोड़) की राशि को ऊपर दी गई नोट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह शेष एमएनआरई से संबंधित है। [नोट 38(42) और 38(42ख) देखें]

नोट 23 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान [नोट संख्या 38(6) देखें]		
-छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	13.31	10.58
-सेवा-निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) हेतु प्रावधान	20.79	-
-अस्वस्थता छुट्टी हेतु प्रावधान	6.12	5.27
-बैगेज भत्ते हेतु प्रावधान	0.29	0.27
-विदाई उपहार हेतु प्रावधान	0.21	0.23
अन्य		
-अप्रत्यक्ष कर (गारंटी कमीशन पर सहित) हेतु प्रावधान	104.58	98.32
- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) हेतु प्रावधान	44.37	28.17
-वित्तीय साधनों (ऋण) पर आकस्मिक प्रावधान*	7.09	26.21
कुल	**196.76**	**169.05**

*गैर-निधि जोखिम पर क्षति हानि भत्ता।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 24 : अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
अग्रिम में प्राप्त प्रारम्भिक शुल्क	97.31	72.58
भविष्य निधि देय	0.84	0.04
वैधानिक बकाया	16.03	19.09
विविध देनदारियां - ब्याज का पूंजीकरण (वित्तपोषित ब्याज अवधि ऋण)	69.69	82.79
विश्व बैंक से पूंजी अनुदान [नोट 38(7क) देखें]	0.78	1.15
ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच के लिए चूक जोखिम न्यूनीकरण कोष (केएफडब्ल्यू VI)#	10.59	10.12
अन्य	1.18	1.36
कुल	**196.42**	**187.13**

केएफडब्ल्यू द्वारा केएफडब्ल्यू VI ऋण व्यवस्था के तहत कंपनी के ऊर्जा पोर्टफोलियो तक समग्र पहुंच के 70% तक चूक जोखिमों को कवर करने के लिए पोर्टफोलियो जोखिम आरक्षित खाता (पीआरआरए) की स्थापना करके प्रदान किया गया। उक्त राशि का उपयोग डीएसआरए समाप्त होने के बाद, एनपीए घोषित होने पर ऋणकर्ता के बकाया ऋण सेवा दायित्व के 70% तक की वसूली के लिए किया जाएगा।

"अन्य गैर-वित्तीय देनदारियों" से ₹1,640.04 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1,653.12 करोड़) की राशि को हटा दिया गया है, क्योंकि उक्त शेष एमएनआरई से संबंधित हैं। नोट 38(43) देखें।

नोट 25 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क) अधिकृत शेयर पूंजी		
6,00,00,00,000 (पिछले वर्ष 6,00,00,00,000) इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक	6,000.00	6,000.00
	6,000.00	6,000.00
(ख) जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान		
प्रत्येक 10 रुपये के 2,80,92,31,268 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर, (पिछले वर्ष: प्रत्येक 10 रुपये के 2,68,77,64,706 इक्विटी शेयर)।	2,809.23	2,687.76
कुल	**2,809.23**	**2,687.76**

बकाया शेयरों की संख्या का समाधान:-

विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 का)	2,68,77,64,706	2,687.76	2,68,77,64,706	2,687.76
जोड़ें:- वर्ष के दौरान शेयर जारी और आवंटित	12,14,66,562	121.47	-	-
वर्ष के दौरान वापस मंगाए गये	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 का)	**2,80,92,31,268**	**2,809.23**	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**

5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:-

विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
	शेयरों की संख्या	% धारित	शेयरों की संख्या	% धारित
भारत सरकार	2,01,58,23,529	71.76	2,01,58,23,529	75.00

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

वर्ष की समाप्ति पर प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण:-

विवरण	31.03.2026 को			31.03.2025 को		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
भारत सरकार	2,01,58,23,529	71.76	(3.24)	2,01,58,23,529	75.00	-

1 कंपनी ने केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर जारी किये हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर है।
2 इक्विटी शेयरधारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं, जो अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन है।
3 इक्विटी शेयरधारक शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं।
4 कंपनी ने तुलन पत्र की तारीख से ठीक पहले के 5 वर्षों में निम्न कार्य नहीं किये हैं:
   क) नकद भुगतान प्राप्त किये बिना इक्विटी शेयर जारी किया।
   ख) बोनस शेयर के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी किया।
   ग) अपने किसी भी शेयर को वापस नहीं खरीदा।
5 कंपनी के पास शेयरों की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प/अनुबंध/प्रतिबद्धता के तहत जारी करने के लिए कोई इक्विटी शेयर आरक्षित नहीं है। [नोट 38(24) देखें]
6 अदत्त माँग (निदेशकों और अधिकारियों द्वारा अदत्त माँग का कुल मूल्य दिखाते हुए): शून्य
7 जब्त शेयर (मूल रूप से भुगतान की गयी राशि): शून्य
8 पूंजी प्रबंधन के लिए: नोट 38(23) देखें।

नोट 26 : अन्य इक्विटी*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क) आरक्षित निधि और अधिशेष		
(i) विशेष आरक्षित निधि	2,409.10	1,943.10
(ii) डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	-	439.01
(iii) सामान्य आरक्षित निधि	4,249.49	3,560.48
(iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)	(683.58)	(379.08)
(v) एनबीएफसी आरक्षित निधि	1,427.83	1,052.83
(vi) प्रतिभूति प्रीमियम	2,737.56	864.26
(vii) क्षति आरक्षित निधि	300.46	-
(ख) प्रतिधारित आय	**310.31**	**28.04**
(ग) नकद प्रवाह बचाव का प्रभावी हिस्सा		
(i) नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	220.95	69.76
कुल अन्य इक्विटी (क+ख +ग)	**10,972.12**	**7,578.40**

*वर्ष के दौरान परिवर्तनों के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण देखें।

अन्य इक्विटी का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
विशेष आरक्षित निधि [आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन]		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	1,943.10	1,581.10
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	466.00	362.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस लिखा गया	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**2,409.10**	**1,943.10**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	439.01	397.75
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	-	41.26
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	439.01	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**-**	**439.01**
सामान्य आरक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	3,560.48	2,610.48
जोड़ें: प्रतिधारित आय से वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	250.00	950.00
जोड़ें : डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि से स्थानांतरित	439.01	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**4,249.49**	**3,560.48**
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(379.08)	(318.37)
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन /स्थानांतरण	(319.29)	(65.26)
घटाएँ: वर्ष के दौरान परिशोधन	(14.79)	(4.55)
वर्ष के अंत में शेष राशि	**(683.58)**	**(379.08)**
एनबीएफसी आरक्षित निधि(आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-IG)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	1,052.83	712.83
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	375.00	340.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1,427.83**	**1,052.83**
प्रतिभूति प्रीमियम		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	864.26	863.63
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयरों पर प्रीमियम	1,884.43	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया शेयर जारी करने का खर्च (कर लाभ का निवल)	11.13	-
जोड़ें : शेयर जारी करने के व्यय के लिए समायोजन (कर लाभ का निवल)	-	0.63
वर्ष के अंत में शेष राशि	**2,737.56**	**864.26**
क्षति आरक्षित निधि (आरबीआई)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	300.46	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**300.46**	**-**
प्रतिधारित आय		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	28.04	38.26
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	1,873.34	1,698.60
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	(31.06)	(15.55)
घटाएँ: विशेष आरक्षित निधि में स्थानांतरण	466.00	362.00
जोड़ें/(घटाएँ): डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि में/(से) शुद्ध स्थानांतरण	-	41.26
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	250.00	950.00

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
घटाएँ: एनबीएफसी आरक्षित निधि में स्थानांतरण	375.00	340.00
घटाएँ: क्षति आरक्षित निधि में स्थानांतरण	300.46	-
घटाएँ: अंतरिम लाभांश	168.55	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**310.31**	**28.04**
नकद प्रवाह बचाव का प्रभावी हिस्सा		
नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	69.76	(14.02)
जोड़ें: अन्य व्यापक आय/(व्यय) (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	151.19	83.78
वर्ष के अंत में शेष राशि (करों का निवल)	**220.95**	**69.76**
कुल	**10,972.12**	**7,578.40**

1 आरक्षित निधि की प्रकृति और उद्देश्य

1.1 विशेष आरक्षित निधि:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत आयकर कटौती का लाभ उठाने हेतु दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त कर-पूर्व लाभ के 20% की दर से विशेष आरक्षित निधि बनायी गयी है। तदनुसार, 31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु ₹466.00 करोड़ की राशि प्रदान की गयी है (पिछले वर्ष: ₹362.00 करोड़)।

1.2 डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि:

कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014, जिसे कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) संशोधित नियम , 2019 द्वारा संशोधित किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लिए डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) बनाना ज़रूरी नहीं है। इसके अनुसार, 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए कोई डीआरआर नहीं बनाया गया है (पिछले वर्ष: ₹41.26 करोड़)। इसके अतिरिक्त, इस ज़रूरत के लागू न होने के कारण, डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) में मौजूद ₹439.01 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹439.01 करोड़) की पूरी शेष राशि को 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

1.3 सामान्य आरक्षित निधि:

सामान्य आरक्षित निधि का उपयोग समय-समय पर विनियोग उद्देश्यों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे में स्थानांतरित करके बनाया जाता है।

1.4 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षित निधि:

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋण पर असंशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को दर्शाता है जो संबंधित ऋण की अवधि के दौरान परिशोधित होते हैं। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 101 के अनुच्छेद डी13एए की छूट को अपनाया है, जिसके अनुसार पहली बार अपनाने वाला व्यक्ति पिछले जीएएपी के अनुसार पहले भारतीय लेखा मानक वित्त वर्ष की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर के लिए लेखांकन के लिए अपनायी गयी नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन-देन, लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 तक बकाया दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रचलित दर पर, जिस पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, उससे अलग, एक "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित खाता" में जमा किये जाते हैं और ऐसे प्रत्येक वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता देकर ऐसे दीर्घकालिक मौद्रिक मद के शेष वर्ष में परिशोधित किये जाते हैं। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें वे हैं जिनकी उत्पत्ति की तारीख पर बारह महीने या उससे अधिक की अवधि होती है। एफसीएमआईटीआर की चाल ऊपर दी गयी तालिका में दिखायी गयी है।

1.5 एनबीएफसी आरक्षित निधि:

आरबीआई परिपत्र संख्या डीएनबीआर (पीडी)सीसी.सं. 092/03.10.001/2017-18 दिनांक 31 मई, 2018 के अनुसार, कंपनी को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-ाग के तहत कर-पश्चात लाभ के 20% की दर से एनबीएफसी आरक्षित निधि बनाना आवश्यक है। तदनुसार, 31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु, एनबीएफसी आरक्षित निधि के लिए ₹375 करोड़ की राशि विनियोजित की गयी है (पिछले वर्ष : ₹340 करोड़)।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

1.6 प्रतिभूति प्रीमियम:

शेयरों के निर्गम पर प्रीमियम रिकॉर्ड करने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित निधि का उपयोग केवल सीमित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। शेयरों के निर्गम पर व्यय प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

1.7 प्रतिधारित आय:

प्रतिधारित आय, कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त लाभ और अन्य व्यापक आय की मदों को दर्शाती है, जिसमें से लाभांश वितरण और अन्य आरक्षित निधियों को तथा से अंतरण घटाया जाता है।

1.8 नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि:

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और ऋण से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्नी उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम के बचाव के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। बचाव लेखांकन के तहत नामित व्युत्पन्नी अनुबंध प्रभावी बचाव हैं, बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकद प्रवाह बचाव के प्रभावी हिस्से' में मान्यता दी जाती है। ऐसे आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि के एकल विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जब बचाव की गयी मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है। नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि संचलन को ऊपर दी गयी तालिका में दिखाया गया है।

1.9 हानि आरक्षित निधि:

आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, अगर भारतीय लेखा मानक 109 के तहत 'हानि भत्ता' की रकम 'प्रूडेंशियल फ्लोर' से कम है, तो एनबीएफसी को उस अंतर की रकम को कर पश्चात अपने निवल लाभ या हानि में से निकालकर एक अलग 'हानि आरक्षित निधि' में डालना होगा। 'हानि आरक्षित निधि' की राशि को विनियामक पूँजी के लिए नहीं गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग की पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित निधि से कोई भी निकासी नहीं की जाएगी। आईआरएसीपी नियमों के तहत क्षति हानि भत्ता और प्रावधान के बीच तुलना के बारे में जानकारी के लिए नोट 38(48डब्ल्यू) देखें।

नोट 27 : ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
(i) ऋण पर ब्याज	8,109.41	6,539.89
घटाएँ: छूट	69.53	44.54
ऋण पर ब्याज (शुद्ध)	8,039.88	6,495.35
(ii) निवेश पर ब्याज आय		
-भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज	51.99	40.03
(iii) बैंकों के पास जमा पर ब्याज		
-अल्पकालिक जमा-भारतीय रुपये	17.41	17.37
-अल्पकालिक जमा-विदेशी मुद्रा	0.00	1.75
(iv) अंतर ब्याज	69.92	20.89
कुल	**8,179.20**	**6,575.39**

वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज, परिशोधित लागत पर मापा गया।

नोट 28 : शुल्क और कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
व्यावसायिक सेवा शुल्क		
(i) शुल्क आधारित आय	23.91	17.17
(ii) गारंटी कमीशन	28.56	68.37
कुल व्यावसायिक सेवा शुल्क (क)	**52.47**	**85.54**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
सेवा शुल्क		
(i) सरकारी योजना कार्यान्वयन	6.21	10.17
कुल सेवा शुल्क - सरकारी योजना कार्यान्वयन (ख)	**6.21**	**10.17**
कुल (क+ख)	**58.68**	**95.71**

नोट 29 : उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध लाभ/(हानि)*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
व्यापारिक पोर्टफोलियो के अतिरिक्त लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)		
(i) व्युत्पन्नी		
- विदेशी मुद्रा ऋण हेतु लिये गये व्युत्पन्नी कवर पर उचित मूल्य परिवर्तन	31.11	13.13
(ii) म्युचुअल फंड्स		
-अल्पकालिक म्युचुअल फंड्स पर उचित मूल्य परिवर्तन	0.10	-
उचित मूल्य परिवर्तन:		
- प्राप्त	0.10	-
- अप्राप्त	31.11	13.13
उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल शुद्ध लाभ/(हानि)	**31.21**	**13.13**

*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उपार्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अतिरिक्त हैं।

नोट 30 : अन्य परिचालन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
i) सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व		
बिजली की बिक्री (क)	27.36	27.02
घटाएँ: ग्राहक को छूट (ख)	0.55	0.54
सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व (शुद्ध) (ग=क-ख)	26.81	26.48
ii) अशोध्य ऋण की वसूली	13.10	31.70
कुल (i+ii)	**39.91**	**58.18**

[नोट संख्या 38(29) और 38(30) देखें]

नोट 31 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
अतिरिक्त प्रावधान बट्टे खाते में डाला गया	-	0.01
कर्मचारी ऋण पर ब्याज	3.53	1.93
आय कर वापसी पर ब्याज	24.65	9.68
किराये से आय [नोट संख्या 38(18) देखें)]	0.07	0.07
अन्य	0.23	0.68
कुल	**28.48**	**12.37**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 32 : वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ऋण पर ब्याज	2,358.01	2,243.56
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	2,203.32	1,759.15
अधीनस्थ देनदारियों पर ब्याज	246.68	56.62
अन्य ऋण लागत	94.43	80.25
ऋण पर लेन-देन लागत	1.84	1.11
पट्टा देयता पर ब्याज	0.38	0.34
कुल	**4,904.66**	**4,141.03**

वित्तीय देनदारियों पर वित्त लागत को परिशोधन लागत के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

नोट 33 : निवल परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
निवल परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि	28.62	37.06
एफसीएमआईटीआर का परिशोधन	14.79	4.55
कुल	**43.41**	**41.61**

नोट 38(19) देखें

नोट 34 : वित्तीय साधनों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ऋण	774.32	237.23
अन्य		
-व्यावसायिक प्राप्तियां	2.76	-
कुल	**777.08**	**237.23**

वित्तीय उपकरणों पर हानि को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

नोट संख्या 38(19क) देखें।

नोट 35 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	82.84	63.05
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	7.71	5.85
कर्मचारी कल्याण व्यय	14.69	12.15
कुल	**105.24**	**81.05**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 36 : मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास [नोट 38(5) देखें]	36.24	31.47
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन [नोट 38(17) देखें]	1.17	0.85
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास [नोट 38(18) देखें]	-	0.00
परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का परिशोधन [नोट 38(31) देखें]	6.40	6.48
कुल	**43.81**	**38.80**

नोट 37 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
किराया, कर और बिजली लागत	20.40	14.13
मरम्मत और अनुरक्षण	8.43	7.10
संचार लागत	2.76	2.23
मुद्रण और लेखन-सामग्री	0.51	0.41
विज्ञापन और प्रचार	8.12	8.16
निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय	2.02	2.34
लेखा परीक्षक की फीस और व्यय [नोट संख्या 38(39) देखें]	0.77	0.49
कानूनी और पेशेवर शुल्क	20.67	19.39
यात्रा और परिवहन	6.96	6.64
बीमा	0.63	0.40
अशोध्य ऋण	13.44	14.74
साख श्रेणी निर्धारण व्यय	1.52	1.58
पीपीई की बिक्री पर हानि	1.08	0.54
अन्य व्यय	5.55	8.33
कुल	**92.86**	**86.48**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 38 : एकल वित्तीय विवरण हेतु नोट

1. कंपनी अवलोकन

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत भारत सरकार का एक नवरत्न प्रतिष्ठान है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, ईस्ट कोर्ट, कोर- 4A, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में स्थित है।

आरबीआई या अन्य विनियामक द्वारा जारी किसी भी निर्देश को लागू होने पर अमल में लाया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ –पंजीकरण, छूट और स्केल-आधारित विनियम के लिए ढांचा) निर्देश, 2025 के तहत, कंपनी को एनबीएफसी–मिडिल लेयर (एमएल) के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) का दर्जा मिलने के कारण, इसे एनबीएफसी-आईएफसी के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी के इक्विटी शेयर और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और/या बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (एसओसीआईई) एनबीएफसी हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III के अधीन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करना आवश्यक है। भारतीय लेखा मानक 7 - "नकद प्रवाह का विवरण" की आवश्यकता के अनुसार नकद प्रवाह का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-10 "प्रतिवेदित अवधि के बाद की घटनाएँ" के संबंध में प्रकटीकरण

वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

कंपनी अधिनियम और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के तहत ज़रूरी स्वतंत्र निदेशक के उपलब्ध न होने के कारण, 28 मार्च 2026 से कंपनी की लेखा परीक्षा समिति अस्तित्व में नहीं है। इसे देखते हुए, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरण की समीक्षा और उसे मंज़ूरी निदेशक मंडल ने दी है और 29 मई 2026 को हुई बैठक में इसे जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

कंपनी के 'संस्था के अंतर्नियम' के अनुसार, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान (सीपीएसई) होने के नाते, स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। कंपनी ने ज़रूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पहले ही संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध कर दिया है।

अंतिम लाभांश

निदेशक मंडल ने 29 मई 2026 को हुई अपनी बैठक में, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी पर 7.50% की दर से यानी ₹10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.75 के अंतिम लाभांश की सिफ़ारिश की है। यह सिफ़ारिश आने वाली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंज़ूरी मिलने के अधीन होगी।

3. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-12 "आयकर" के संबंध में प्रकटीकरण

क. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
निम्नलिखित से संबंधित वर्तमान कर व्यय :		
वर्तमान वर्ष	580.45	477.02
पूर्ववर्ती वर्ष*	(15.33)	(5.71)
उप योग (क)	**565.12**	**471.31**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिवर्तन	(101.54)	(66.11)
उप योग (ख)	**(101.54)**	**(66.11)**
कुल (ग=क+ख)	**463.58**	**405.20**

*चालू वर्ष में निर्धारित।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

ख. अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर कर	(10.45)	(5.23)
नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर प्रभावी हिस्से पर कर	50.85	28.18
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल कर	**40.40**	**22.95**

ग. अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
शेयर जारी करने के व्यय पर कर	3.74	(0.21)
अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त कुल कर	**3.74**	**(0.21)**

घ. कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ व ओसीआई	**2,497.44**	**2,194.97**
लागू आयकर दर (%)	25.17 %	25.17 %
अपेक्षित आयकर	**628.56**	**552.43**
आयकर समायोजन का कर प्रभाव		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की बिक्री पर मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	(0.06)	0.16
आस्थगित मद, ओसीआई समायोजन एवं एफसीएमआईटीआर	0.01	(34.00)
वित्तीय लिखतों पर क्षति	33.22	26.54
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृति	(0.52)	0.05
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) के तहत कटौती	(150.40)	(117.66)
सीएसआर खर्च	8.43	6.24
पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कर व्यय	(15.33)	(5.71)
अन्य	0.07	0.10
लाभ और हानि विवरण में कुल कर व्यय	**503.98**	**428.15**
पुस्तिका आय पर वास्तविक प्रभावी आय कर दर (%)	**20.18 %**	**19.51 %**

ङ. आस्थगित कर संचलन

31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2025 को निवल शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त	31.03.2026 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ					
गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर एवं अन्य के लिए प्रावधान	28.07	1.76	-	-	29.83

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	01.04.2025 को निवल शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त	31.03.2026 को निवल शेष
कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान	4.08	(9.65)	10.45	-	4.88
वित्तीय साधनों पर क्षति हेतु प्रावधान	391.50	161.66	-	-	553.16
अग्रांत शुल्क - बहियों में आस्थगित	72.85	21.84	-	-	94.69
शेयर जारी करने का खर्च	4.55	(2.26)	-	3.74	6.03
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**501.05**	**173.35**	**10.45**	**3.74**	**688.59**
आस्थगित कर देयताएँ					
मूल्यह्रास और परिशोधन	40.72	(4.77)	-	-	35.95
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)	95.41	76.64	-	-	172.05
बॉण्ड्स पर लेन-देन लागत	4.35	(0.07)	-	-	4.28
कुल आस्थगित कर देयताएं	**140.48**	**71.80**	**-**	**-**	**212.28**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	**360.57**	**101.55**	**10.45**	**3.74**	**476.31**

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2025 को निवल शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त	31.03.2026 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ					
गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर एवं अन्य के लिए प्रावधान	26.31	1.76	-	-	28.07
कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान	3.92	(5.07)	5.23	-	4.08
वित्तीय साधनों पर क्षति हेतु प्रावधान	358.84	32.66	-	-	391.50
अग्रांत शुल्क - बहियों में आस्थगित	54.62	18.23	-	-	72.85
शेयर जारी करने का खर्च	6.28	(1.52)	-	(0.21)	4.55
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**449.97**	**46.07**	**5.23**	**(0.21)**	**501.05**
आस्थगित कर देयताएँ					
मूल्यह्रास और परिशोधन	43.86	(3.14)	-	-	40.72
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)	114.72	(19.31)	-	-	95.41
बॉण्ड्स पर लेन-देन लागत	1.94	2.41	-	-	4.35
कुल आस्थगित कर देयताएं	**160.52**	**(20.04)**	**-**	**-**	**140.48**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	**289.44**	**66.11**	**5.23**	**(0.21)**	**360.57**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

च. कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानि/अप्रयुक्त कर क्रेडिट अग्रेनीत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	समाप्ति की तारीख	31.03.2025 को	समाप्ति की तारीख
कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानि/ अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिसके लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं है	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं

छ. कुल वर्तमान कर और आस्थगित कर जो सीधे अन्य इक्विटी/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभहित योजनाओं के पुनः मापन पर कर	(10.45)	(5.23)
नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखतों पर लाभ/(हानि) के प्रभावी हिस्से पर कर	50.85	28.18
शेयर जारी करने के व्यय पर कर	3.74	(0.21)
कुल	**44.14**	**22.74**

4. अप्रकटित आय

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में चालू एवं पिछले वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन-देन नहीं था जो लेखा बहियों में दर्ज न किया गया हो, जिसे आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो। इस प्रकार, लेखा बहियों में आगे कोई लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता नहीं है।

5. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-16 "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में शामिल डीकमीशनिंग देयताएँ

इंड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, परिशिष्ट ए "मौजूदा डीकमीशनिंग, पुनर्बहाली और समान देयताओं में परिवर्तन" के अनुसार, डीकमीशनिंग, पुनर्बहाली या समान देयता में निर्दिष्ट परिवर्तनों को उस परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाना चाहिए जिससे यह संबंधित है; फिर परिसंपत्ति की समायोजित मूल्यह्रास राशि को उसके शेष उपयोगी जीवन पर भावी रूप से मूल्यह्रास किया जाता है।

इंड एएस 16 के पैरा 55 के अनुसार, किसी परिसंपत्ति की मूल्यह्रास राशि उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद निर्धारित की जाती है। सौर संयंत्र से संबंधित डीकमीशनिंग देयता और अवशिष्ट मूल्य की राशि विश्वसनीय रूप से पता लगाने योग्य नहीं है। इसलिए, सौर संयंत्र से संबंधित डीकमीशनिंग देयता और अवशिष्ट मूल्य पर विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन की राय है कि डीकमीशनिंग लागत (सौर संयंत्र के अवशिष्ट मूल्य का निवल), महत्वपूर्ण नहीं होगी।

6. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-19 "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:-

- **भविष्य निधि :** 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर भविष्य निधि में अंशदान के संबंध में ₹ 3.79 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 3.15 करोड़) व्यय की पहचान की है एवं लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित किया है।
- **राष्ट्रीय पेंशन योजना / सेवा-निवृत्ति हितलाभ निधि (परिभाषित अंशदान निधि):** 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में अंशदान के संबंध में ₹ 2.85 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹2.29 करोड़) के व्यय की पहचान की है तथा लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया है।

अन्य लाभ :

- **अर्जित अवकाश (ईएल) लाभ:** प्रति वर्ष 30 दिन उपचय। सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार नकदीकरण। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण अधिकतम 300 दिन, जिसमें आधा वेतन अवकाश (एचपीएल) शामिल है।

  31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अर्जित अवकाश के लिए ₹ 2.39 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 2.38 करोड़) प्रतिचिह्नित की है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

- **अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) लाभ:** प्रति वर्ष 10 पूर्ण दिन अर्जित। सेवा में रहते हुए कोई नकदीकरण नहीं। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण अधिकतम 300 दिन, जिसमें ईएल शामिल है।

  31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अर्ध वेतन अवकाश के लिए ₹0.56 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 0.19 करोड़) प्रतिचिह्नित की है।

- **उपदान:** सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन अर्जित किया जाएगा।

  निहित अवधि 5 वर्ष का है और 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाली डीए की दर में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी के बाद भुगतान 25 लाख रुपये तक सीमित है।

  31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ऑन रोल कर्मचारी के लिए तुलन-पत्र में उपदान के लिए मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति ₹4.48 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 0.42 करोड़) है, जबकि ₹14.06 करोड़ की देयता के प्रति ₹18.54 करोड़ की परिसंपत्ति धारित है (पिछले वर्ष: ₹12.59 करोड़ की देयता के प्रति ₹13.01 करोड़)।

- **सेवा-निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):** कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए परिभाषित लाभ योजनायें प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र भूतपूर्व कर्मचारियों और पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इरेडा सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) ट्रस्ट चालू हो गया है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ 01 अक्टूबर 2024 से इरेडा पीआरएमएस ट्रस्ट एवं नियमों के तहत शासित होंगे। लाभार्थियों में लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित शामिल हैं।

  दिनांक 24 मार्च 2026 को ट्रस्ट को ₹ 20 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है, जो 31 दिसंबर 2025 तक के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्ट की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के सुचारू संचालन को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त योगदान के रूप में थी । यह धनराशि मौजूदा नीति के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश की गई है।

  इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 1 अप्रैल 2026 से अपनी पीआरएमबी दिशानिर्देशों/नीतियों में बदलाव किया है, जिसके कारण कंपनी पर पीआरएमएस देयता ₹31.70 करोड़ बढ़ गई है। इसे मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों में शामिल कर लिया गया है।

  31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, तुलन पत्र में पीआरएमबी के लिए मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता ₹20.79 करोड़ है (पिछले वर्ष: शुद्ध परिसंपत्तियां ₹4.55 करोड़), जबकि ₹88.32 करोड़ की देयता के मुकाबले ₹67.53 करोड़ की परिसंपत्तियां हैं (पिछले वर्ष: ₹ 39.71 करोड़ की देयता के मुकाबले ₹44.27 करोड़ की परिसम्पत्तियां)।

- **सामान भत्ता:** सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर बसने के हकदार होते हैं, और वे सामान भत्ते के लिए पात्र होते हैं।

  31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, सामान भत्ते के लिए कंपनी ने ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.04 करोड़) प्रदान किये हैं।

- **विदाई उपहार:** कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय, कंपनी इस उद्देश्य के लिए बनायी गई नीति के अनुसार कर्मचारी को विदाई उपहार प्रदान करती है। उपहार का मूल्य सेवानिवृत्त कर्मचारी के पदनाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

  31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने विदाई उपहार के लिए ₹0.04 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹0.03 करोड़) प्रदान किये हैं।

  लाभ और हानि, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और तुलन-पत्र तथा अन्य प्रकटीकरणों के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है: -

❖ **दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	01.04.2025	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	0.23
	01.04.2024	12.18	16.88	5.62	8.85	0.24	0.20
ब्याज लागत	31.03.2026	0.88	2.70	0.36	0.72	0.02	0.02
	31.03.2025	0.88	1.22	0.41	0.65	0.02	0.01

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
वर्तमान सेवा लागत	31.03.2026	1.08	4.84	1.42	3.17	0.02	0.02
	31.03.2025	0.70	1.79	0.88	1.58	0.02	0.02
नया अधिग्रहण	31.03.2026	0.97	-	0.65	1.32	-	-
	31.03.2025	-	-	-	-	-	-
पिछली सेवा लागत	31.03.2026	0.00	-	-	-	-	-
	31.03.2025	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	31.03.2026	(0.88)	(1.13)	(0.35)	(0.98)	(0.00)	(0.03)
	31.03.2025	(1.25)	(1.07)	(0.27)	(1.01)	-	(0.02)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	31.03.2026	(0.58)	42.20	(1.22)	(1.50)	(0.02)	(0.03)
	31.03.2025	0.07	20.89	1.47	0.14	(0.01)	0.02
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	31.03.2026	14.06	88.32	6.12	13.31	0.29	0.21
	31.03.2025	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	0.23

❖ **नियोजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	01.04.2025	13.01	44.27	-	-	-	-
	01.04.2024	12.40	-	-	-	-	-
प्रारंभिक निधि में अंतर	31.03.2026	0.00	-	-	-	-	-
	31.03.2025	-	-	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	31.03.2026	0.93	3.10	-	-	-	-
	31.03.2025	0.87	1.28	-	-	-	-
मृत्यु प्रभार	31.03.2026	(0.05)	-	-	-	-	-
	31.03.2025	(0.02)	-	-	-	-	-
नियोक्ता योगदान	31.03.2026	4.56	21.29	-	-	-	-
	31.03.2025	0.81	44.05	-	-	-	-
अन्य संगठन से प्राप्त निधि	31.03.2026	0.97	-	-	-	-	-
	31.03.2025	0.20	-	-	-	-	-
भुगतान किये गये लाभ	31.03.2026	(0.88)	(1.13)	-	-	-	-
	31.03.2025	(1.25)	(1.07)	-	-	-	-
अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2026	18.54	67.53	-	-	-	-
	31.03.2025	13.01	44.27	-	-	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	31.03.2026	14.06	88.32	6.12	13.31	0.29	0.21
	31.03.2025	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	0.23
अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2026	18.54	67.53	-	-	-	-
	31.03.2025	13.01	44.27	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति	31.03.2026	4.48	(20.79)	(6.12)	(13.31)	(0.29)	(0.21)
	31.03.2025	0.42	4.55	(5.27)	(10.58)	(0.27)	(0.23)

❖ लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
वर्तमान सेवा लागत	31.03.2026	1.08	4.84	1.42	3.17	0.02	0.02
	31.03.2025	0.70	1.79	0.88	1.58	0.02	0.02
ब्याज लागत	31.03.2026	0.88	2.70	0.36	0.72	0.02	0.02
	31.03.2025	0.88	1.22	0.41	0.65	0.02	0.01
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	31.03.2026	0.91	3.01	-	-	-	-
	31.03.2025	0.90	1.28	-	-	-	-
मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	31.03.2026	(0.58)	3.10	(1.22)	(1.50)	-	-
	31.03.2025	-	-	(1.47)	0.14	-	-
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31.03.2026	1.05	4.53	0.56	2.38	0.04	0.04
	31.03.2025	0.68	1.73	(0.19)	2.38	0.04	0.03
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि (लाभ)	31.03.2026	(0.55)	42.11	-	-	0.02	0.03
	31.03.2025	0.12	20.89	-	-	(0.01)	0.02

❖ बीमांकिक धारणा

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
छूट की दर	31.03.2026	7.32%	7.32%	7.32%	7.32%	7.32%	7.32%
	31.03.2025	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%
वेतन वृद्धि की दर	31.03.2026	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	-
	31.03.2025	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	-
प्रयुक्त पद्धति	31.03.2026	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी
	31.03.2025						

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ **परिभाषित हितलाभ दायित्व का संवेदनशील विश्लेषण**

(₹ करोड़ में)

क) छूट की दर में परिवर्तन का प्रभाव	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
	(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.05	88.32	6.12	13.31	0.29	0.21
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.53)	(3.04)	(0.21)	(0.62)	(0.01)	(0.01)
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	0.57	3.20	0.23	0.67	0.01	0.01
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	**उपदान**	**पीआरएमबी**	**अस्वस्थता अवकाश**	**अर्जित अवकाश**	**सामान**	**विदाई उपहार**
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.05	88.32	6.12	13.31	0.29	-
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	0.29	3.24	0.23	0.67	0.01	-
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(0.32)	(3.12)	(0.22)	(0.63)	(0.01)	-

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है। भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएँ लागू नहीं होती हैं।

- **नए श्रम कानून ढांचे के बारे में जानकारी**

  भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से नया श्रम क़ानून ढांचा लागू किया है। इसमें 'मजदूरी संहिता, 2019', 'औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020', 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' और 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020' के साथ-साथ इनसे जुड़े अधिसूचित नियम भी शामिल हैं।

  कंपनी ने अपने कामकाज, कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ से जुड़ी उत्तरदायीयिों और कानूनी नियमों के पालन पर उक्त संहिताओं के संभावित प्रभाव का आकलन किया है। इस मूल्यांकन में कई प्रमुख प्रावधान शामिल थे, जैसे कि 'मजदूरी संहिता, 2019' की धारा 2(वाई) के तहत वेतन की संशोधित परिभाषा, 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज और योगदान और 'ओएसएच संहिता, 2020' के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा से जुड़ी ज़रूरतें।

  इरेडा के वेतन पहले से ही "मजदूरी" की परिभाषा के अनुरूप थी। इसलिए, वेतन संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चूंकि कोई बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए कोई प्रभाव नहीं देखा गया और न ही कोई जानकारी दी गई। कंपनी विनियामक घटनाक्रमों पर निरंतर नज़र रख रही है, जिसमें तत्पश्चात नियम, स्पष्टीकरण और संशोधन जारी करना शामिल है। ऐसे बदलावों से होने वाले किसी भी प्रभाव को उसी अवधि के वित्तीय विवरण में दर्ज किया जाएगा, जिसमें वे बदलाव लागू होते हैं।

- **कार्य-निष्पादन से संबंधित वेतन**

  31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कार्य-निष्पादन से जुड़े वेतन के लिए ₹14.13 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹9.43 करोड़) का प्रावधान (निवल प्रतिवर्तन) किया है। वर्ष के दौरान पात्र कर्मचारियों को संबंधित योजना के तहत कुल ₹8.45 करोड़ का भुगतान किया गया। इसमें वित्त वर्ष 2023–24 के लिएअंतिम पीआरपी के तौर पर ₹2.19 करोड़ और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए तदर्थ पीआरपी के तौर पर ₹6.26 करोड़ शामिल हैं (पिछले वर्ष यह राशि ₹6.00 करोड़ थी, जिसमें पूरी तरह से वित्त वर्ष 2023–24 के लिए तदर्थ पीआरपी का भुगतान शामिल था)।

7. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-20 "सरकारी अनुदान के लिए लेखा और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

क) पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु अनुदान

विश्व बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) अनुदान: -

अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित प्राप्त विश्व बैंक सीटीएफ अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर परिशोधन व्यय में कटौती के रूप में व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38(17) देखें।

कंपनी ने 31 मार्च, 2026 तक अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद के लिए शेष अनुदान के रूप में ₹ 0.78 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹1.15 करोड़) का प्रकटीकरण किया है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में "अन्य गैर-वित्तीय देनदारियों" (नोट 24 देखें) के अधीन "विश्व बैंक-स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) से पूंजी अनुदान" के रूप में उक्त अनुदान का प्रकटीकरण किया है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अनुदान की गतिविधि निम्नलिखित अनुसार है:

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	1.15	1.52
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	-
लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त अनुदान	0.37	0.37
अंतिम शेष	**0.78**	**1.15**

ख) राजस्व अनुदान

विश्व बैंक ऋण सहायता के अंतर्गत ऋण आवेदनों का आकलन करने हेतु बाह्य परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए कंपनी को विश्व बैंक से राजस्व अनुदान "तकनीकी सहायता" (टीए) प्राप्त हुआ है, जिसकी राशि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु शून्य है (पिछले वर्ष : ₹6.92 करोड़)। कंपनी भारतीय लेखा मानक 20 "सरकारी अनुदान और सहायता" का अनुपालन करती है और उसे संबंधित व्यय में कटौती के रूप में अपने राजस्व अनुदान को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपनायी है।

निम्न तालिका लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि का प्रकटीकरण करती है:-

(₹ करोड़ में)

समाप्त वर्ष	प्राप्त टीए घटक	टीए के तहत किये गये व्यय	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त निवल राशि
31.03.2026	-	-	-
31.03.2025	6.92	6.92	-

8. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-23 "ऋण लागत" के संबंध में प्रकटीकरण

₹ शून्य करोड़ [पिछले वर्ष : ₹शून्य करोड़)

9. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

क. सरकार और सरकार संबंधित संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रकटीकरण

संबंधित पक्ष की सूची

31.03.2026 को

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026 तक
डॉ. बिजय कुमार महान्ती	निदेशक- वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2025 से 31.03.2026 तक
श्री पदम लाल नेगी	निदेशक - सरकार नामित	01.04.2025 से 31.03.2026 तक
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[1]	01.04.2025 से 27.03.2026 तक
डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[2]	01.04.2025 से 27.03.2026 तक
श्री राम निहाल निषाद	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[3]	01.04.2025 से 05.03.2026 तक
श्रीमती रोहिणी रावत	निदेशक -स्वतंत्र निदेशक[3]	01.04.2025 से 05.03.2026 तक
श्रीमती एकता मदान	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी	01.04.2025 से 31.03.2026 तक
श्री अमित गोयल	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)[4]	10.07.2025 से 02.03.2026 तक
श्री तुषार कांत परिदा	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)[4]	02.03.2026 से 31.03.2026 तक

सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	सहायक कंपनी*	01.04.2025 से 31.03.2026 तक

*वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38(11) भी देखें।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2025 को

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
डॉ. बिजय कुमार महान्ती	निदेशक- वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार[5]	01.04.2024 से 31.03.2025 तक 01.04.2024 से 04.03.2025 तक
श्री पदम लाल नेगी	निदेशक - सरकार नामित	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्री अजय यादव	निदेशक - सरकार नामित[6]	01.04.2024 से 11.12.2024 तक
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[1]	01.04.2024 से 20.01.2025 तक 28.03.2025 से 31.03.2025 तक
डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्री राम निहाल निषाद	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्रीमती रोहिणी रावत	निदेशक -स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्रीमती एकता मदान	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	सहायक कंपनी*	07.05.2024 से 31.03.2025 तक

*वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38(11) भी देखें

[1] एमएनआरई ने अपने 21 जनवरी, 2022 की आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा के तहत, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के तौर पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। इसके अनुसार, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट का कार्यकाल 20.01.2025 को पूरा हुआ। इसके बाद, एमएनआरई के 28 मार्च, 2025 की आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा-पार्ट(1) के तहत, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को 28 मार्च, 2025 से इरेडा का गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति एमएनआरई आदेश जारी होने की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। इसके अनुसार, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट का कार्यकाल 27.03.2026 को पूरा हो गया और वे 28.03.2026 से इरेडा के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

[2] एमएनआरई ने अपने 28 मार्च, 2022 की आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा के तहत डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के तौर पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। इसके अनुसार, डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर का कार्यकाल 27.03.2025 को पूरा हो गया और वे 28.03.2025 से इरेडा के निदेशक नहीं रहे। हालांकि, एमएनआरई के 28 मार्च, 2025 की आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा -पार्ट(1) के तहत, डॉ. जगनाथ चन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर को 28 मार्च, 2025 से इरेडा का गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) फिर से नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति एमएनआरई के आदेश जारी होने की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। इसके अनुसार, डॉ. जगनाथ चन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर का कार्यकाल 27.03.2026 को पूरा हो गया और वे 28.03.2026 से इरेडा के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

[3] एमएनआरई ने अपने 06 मार्च, 2023 की आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा के तहत श्री राम निहाल निषाद और श्रीमती रोहिणी रावत को कंपनी के बोर्ड मेंअंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के तौर पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी । इसके अनुसार, श्री राम निहाल निषाद और श्रीमती रोहिणी रावत का कार्यकाल 05.03.2026 को पूरा हो गया और वे 06.03.2026 से इरेडा के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

[4] श्री तुषार कांत परिदा, कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) को 02.03.2026 से श्री अमित गोयल, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) की जगह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार कंपनी के 'मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक' के रूप में नियुक्त किया गया है।

[5] एमएनआरई ने कार्यालय आदेश संख्या 1/13/2017-इरेडा दिनांक 27 मार्च 2024 के ज़रिए, श्री बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) को निदेशक (तकनीकी) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह प्रभार 05 मार्च 2024 से 6 (छह) महीने की अवधि के लिए, या नियमित उम्मीदवार की नियुक्ति होने तक, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए दिया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

डीपीई की मंज़ूरी के बाद, कंपनी में निदेशक (तकनीकी) के पद का नाम बदलकर 27 जून 2024 से निदेशक (परियोजना) कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एमएनआरई ने 12.09.2024 के अपने पत्र के ज़रिए, 07.09.2024 के कार्यालय ज्ञापन के तहत कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंज़ूरी की जानकारी दी है। इसके अनुसार, इरेडा के निदेशक (वित्त) डॉ. बिजय कुमार महान्ती को निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार 05.09.2024 से अगले 6 महीने की अवधि के लिए, या किसी नियमित उम्मीदवार की नियुक्ति होने तक, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है। इसके अनुसार, डॉ. बिजय कुमार महान्ती के लिए इरेडा के निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार 04.03.2025 तक बढ़ा दिया गया था।

[6] एमएनआरई ने दिनांक 12.12.2024 की अपनी पत्र संख्या 340/85/2017-इरेडा के ज़रिए जानकारी दी है कि श्री अजय यादव, आईएएस (भूतपूर्व जेएस,एमएनआरई) का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल दिनांक 11.12.2024 को (दोपहर बाद) पूरा हो गया है। इसके अनुसार, श्री अजय यादव, निदेशक (सरकार नामित) 12.12.2024 से इरेडा के निदेशक नहीं रहे।

कंपनी की नियंत्रणाधीन ट्रस्ट/निधियाँ

- इरेडा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
- इरेडा कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट
- इरेडा सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट
- इरेडा कर्मचारी हितैषी निधि

i. केएमपी को मुआवजा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक हितलाभ		
- बैठक शुल्क (स्वतंत्र निदेशकों को)	0.74	0.63
- अन्य (वेतन)	2.74	1.98
रोजगार के बाद के लाभ	0.26	0.27
कुल	**3.74**	**2.88**

नोट:-

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) को सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार मासिक शुल्क के भुगतान पर प्रति माह 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार की अनुमति भी दी गयी है।
- कार्यात्मक निदेशकों के लिए उपदान निधि में योगदान अलग से निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एलआईसी में योगदान कर्मचारी वार नहीं किया जाता है।
- कार्यात्मक निदेशक के लिए अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, विदाई उपहार आदि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और यह उपर्युक्त दिये गये मुआवजे के अतिरिक्त है।

ii. केएमपी को और से ऋण व अग्रिम :

केएमपी को दिये गये ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	1.35	0.32
वर्ष के दौरान दिये गये ऋण व अग्रिम	0.58	1.22
वर्ष के दौरान प्राप्त पुनर्भुगतान	0.18	0.15
वर्ष के दौरान प्रभारित ब्याज	0.07	0.05
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.05	0.09
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1.77**	**1.35**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

केएमपी से ऋण व अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान दिये गये ऋण व अग्रिम	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**-**	**-**

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के प्रमुख नियम और शर्तें

1. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन आरक्षित और सुविधाजनक लेन-देन की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार होता है।
2. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और ऋण एवं अग्रिम कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।
3. संबंधित पक्षों के लिए कोई लंबित प्रतिबद्धता नहीं है।

ख. सरकार और सरकारी संस्थाओं के साथ किये गये लेन-देन का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

सरकार/ सरकारी संस्था का नाम	कंपनी के साथ सम्बन्ध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2026 को शेष राशि	31.03.2026 को शेष राशि
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	प्रशासनिक मंत्रालय	ऋण पुनर्भुगतान- एमएनआरई के जरिये आईडीए	21.87	20.93	224.80	224.65
		ब्याज भुगतान	1.68	1.77	-	-
		गारंटी शुल्क भुगतान*	74.99	77.33	-	-

*यह क्रमशः वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2024-25 की राशि को दर्शाता है।

लाभांश में भारत सरकार के हिस्से की जानकारी के लिए वित्तीय विवरणों की नोट 38(48 (डी) घ1) भी देखें।

एमएनआरई की ओर से करयोग्य बॉण्ड्स (भारत सरकार पूर्णतः सेवित बंधपत्र) जारी करने के बारे में जानकारी के लिए वित्तीय विवरणों की नोट 38(43) भी देखें।

कंपनी भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान (सीपीएसयू) है। सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य सीपीएसयू के साथ टेलीफोन व्यय, हवाई यात्रा और जमा आदि जैसे अन्य लेन-देन भी किये हैं। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए उनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है। सभी लेन-देन निष्पक्ष आधार पर किए जाते हैं।

एक ही सरकार के नियंत्रण/संयुक्त नियंत्रण के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2026 को शेष	31.03.2025 को शेष
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का पुनर्भुगतान	30.22	30.22	351.21	381.43
भारतीय स्टेट बैंक	ऋण का पुनर्भुगतान	0.85	0.68	-	0.85

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

कंपनी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2026 को शेष	31.03.2025 को शेष
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड*	ऋण का पुनर्भगतान	-	4.06	51.11	51.11
एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	ऋण का संवितरण	1,335.49	696.00	3,561.40	2,225.91
भारतीय जीवन बीमा निगम	किराया एवं अन्य शुल्क -शाखा कार्यालय	0.10	0.07	-	(0.00)
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	अनुरक्षण शुल्क	1.88	1.73	0.44	0.25
पावरग्रिड टेलीसर्विस लिमिटेड	इंटरनेट कनेक्टिविटी शुल्क	0.19	0.11	-	(0.05)
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.30	-	0.09	0.09
केंद्रीय भंडारण निगम	कार्यालय स्वच्छता	0.23	0.22	-	-
राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	किराया आय	0.09	0.07	-	-

*यह मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) के एनपीए खाते से संबंधित है, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है और 31 मार्च, 2026 को ₹51.11 करोड़ का ऋण बकाया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी को सरकारी संस्थाओं को दिए गए ऋणों पर ₹251.93 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹175.47 करोड़) का ब्याज और ₹31.07 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹34.96 करोड़) के मूलधन का पुनर्भुगतान भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार (जीओआई) के आदेशानुसार कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए ₹6.21 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹10.17 करोड़) की राशि को सेवा शुल्क के रूप में लेखांकित किया गया है। वित्तीय विवरणों की नोट 28 भी देखें)।

ग. कंपनी के नियंत्रणाधीन कर्मचारी लाभ ट्रस्ट और सहायक कंपनी के साथ लेन-देन:-

(₹ करोड़ में)

सम्बंधित पक्ष का नाम	सम्बन्ध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2026 को शेष	31.03.2025 को शेष
इरेडा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	नियंत्रणाधीन ट्रस्ट	कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान	8.85	7.39	(0.82)	(0.02)
इरेडा कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट	नियंत्रणाधीन ट्रस्ट	एलआईसी प्रीमियम के लिए अंशदान	5.13	0.47	-	-
इरेडा सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट	नियंत्रणाधीन ट्रस्ट	कर्मचारियों और नियोक्ता के लिए मासिक अंशदान	21.32	43.39	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

सम्बंधित पक्ष का नाम	सम्बन्ध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2026 को शेष	31.03.2025 को शेष
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	सहायक कंपनी	इक्विटी निवेश	-	26.00	26.00	26.00
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	सहायक कंपनी	सहायक कंपनी की ओर से व्यय	0.94	1.17	2.11	1.17

नोट 38(6) भी देखें

10. प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को दिये गये ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम, या तो अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में हैं, जो कि:

(क) मांग पर चुकौती-योग्य हैं या

(ख) कोई भी शर्त या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट किये बिना

(₹ करोड़ में)

ऋण का प्रकार	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि	कुल ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम राशि का %	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि	कुल ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम राशि का %
प्रवर्तक	शून्य		शून्य	
निदेशक				
केएमपी				
अन्य सम्बंधित पक्ष				

11. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-27 "पृथक वित्तीय विवरण" के संबंध में प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
सहायक कंपनी में निवेश[A]	26.00	26.00
सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम में निवेश	शून्य	शून्य

क. कंपनी आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) - गिफ्ट सिटी (गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी) में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के निगमन की है, जिसका प्रस्तावित नाम "इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड" है, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्राओं में ऋण उपलब्ध कराएगी। कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी में 3.11 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी ₹26.00 करोड़ के बराबर का निवेश किया है। सहायक कंपनी को एक वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करने हेतु आईएफएससीए से 18 फरवरी, 2025 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

ख. नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण पर केंद्रित एक स्वयंरा सहायक कंपनी के निगमन हेतु निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से 10 अक्टूबर 2024 को अनुमोदन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात, आरबीआई से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन मांगा गया है और निर्णय का परिणाम प्रतीक्षित है।

ग. 09 सितंबर 2024 को एसजेवीएन, जीएमआर और इरेडा के बीच एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें जीएमआर अपर करनाली हाइड्रो पावर लिमिटेड (जीयूकेएचएल), नेपाल और करनाली ट्रांसमिशन कंपनी

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

प्राइवेट लिमिटेड (केटीसीपीएल), नेपाल प्रत्येक में इरेडा के लिए 5% का इक्विटी निवेश निर्धारित किया गया। जीयूकेएचएल और केटीसीपीएल प्रत्येक में इरेडा द्वारा 5% इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को क्रमशः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, आरबीआई ने 14 मई 2025 के पत्र के ज़रिए इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने भी 12 सितंबर 2025 को परियोजना की लागत को मंज़ूरी दे दी है।आगे चलकर, जीएमआर, एसजेवीएन, इरेडा और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (एनईए) के बीच एक संशोधित और पुनः निर्धारित संयुक्त उद्यम समझौता करने की योजना है। इसके अनुसार, अभी मंज़ूर की गई परियोजना की लागत और शेयरधारिता की संरचना के आधार पर, जीयूकेएचएल और केटीसीपीएल में इरेडा का अनुमानित निवेश ₹181.72 करोड़ है, जिसमें एनईए की मुफ़्त इक्विटी में योगदान भी शामिल है।

12. कंपनियों स्तरों की संख्या का अनुपालन

कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी (स्तरों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 में यथा निर्दिष्ट नियमों का अनुपालन किया है।

13. व्यवस्था की स्वीकृत योजना (ओं) का अनुपालन

चालू और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था योजना नहीं बनाई गई जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता हो।

14. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-33 "प्रति शेयर आय (ईपीएस)" के संबंध में प्रकटीकरण

क. मूल ईपीएस

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। मूल ईपीएस की गणना निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष हेतु लाभ/(हानि), कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर अधिरोप्य (₹करोड़)	1,873.34	1,698.60
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय (क) (₹करोड़)	1,873.34	1,698.60
मूल आय प्रति शेयर के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	2,78,56,03,526	2,68,77,64,706
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10	10
मूल ईपीएस (क/ख) (₹ में)	**6.73**	**6.32**

*इसकी गणना [(2,68,77,64,706*365/365) + (12,14,66,562*294/365)] के तौर पर की गई है, जिसमें कंपनी द्वारा योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के ज़रिए 11.06.2025 को नए इक्विटी शेयर आवंटित किए जाने को ध्यान में रखा गया है। वित्तीय विवरणों की नोट 38(24) को भी देखें।

ख. डाइल्यूटेड ईपीएस

प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को दी गई अवधि के शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। डाइल्यूटेड ईपीएस की गणना निम्नानुसार है: -

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (₹करोड़)	1,873.34	1,698.60
डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर की गणना में उपयोग की गयी आय (क) (₹करोड़)	1,873.34	1,698.60
डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	2,78,56,03,526	2,68,77,64,706
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10	10
डाइल्यूटेड ईपीएस (क/ख) (₹ में)	**6.73**	**6.32**

*इसकी गणना [(2,68,77,64,706*365/365) + (12,14,66,562*294/365)] के तौर पर की गई है, जिसमें कंपनी द्वारा योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के ज़रिए 11.06.2025 को नए इक्विटी शेयर आवंटित किए जाने को ध्यान में रखा गया है। वित्तीय विवरणों की नोट 38(24) को भी देखें।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

15. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-36 "परिसंपत्तियों की हानि" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर यह आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति और/या नकद उत्पादक इकाई की हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो प्रत्येक परिसंपत्ति और/या नकद उत्पादक इकाई की वहन राशि की तुलना शुद्ध बिक्री मूल्य या उपयोग में मूल्य में से अधिक होने वाली वसूली योग्य राशि से करके परिसंपत्तियों की हानि की जाती है। उपयोग में मूल्य का निर्धारण परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से अनुमानित भावी नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य से किया जाता है। कंपनी को चालू और पिछले वर्ष के दौरान कोई क्षति हानि नहीं हुई है।

16. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के संबंध में प्रकटीकरण

क) आकस्मिक देयताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
क) कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में प्रतिचिह्नित नहीं किया गया है		
i. कराधान मांगें:		
आयकर मामले [1]	15.47	18.30
सेवा कर तथा वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) मामले [2]	295.91	280.92
ii. अन्य[3]	4.57	5.00
ख) वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटी		
i. गारंटी	910.70	1,569.81
ii. चुकौती आश्वासन पत्र/भुगतान आदेश लिखत जारी किया गया और बकाया	1,539.93	930.58

[1]आयकर

यह निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आय कर मामले से जुड़ा है जो सीआईटी (अपीलीय) के समक्ष लंबित है [पिछले वर्ष : यह निर्धारण वर्ष 2014-15 (₹14.03 करोड़) और निर्धारण वर्ष 2020-21 (₹ 4.27 करोड़) के आय कर मामलों से जुड़ा है जो सीआईटी (अपीलीय) के समक्ष लंबित हैं, जबकि निर्धारण वर्ष 2022-23 के मामले को आय कर अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधार के लिए प्रेषित किया है]।

कंपनी को आईटीएटी से 31.12.25 का एक अनुकूल फ़ैसला मिला है, जिसमें अन्य सालों (निर्धारण वर्ष 2010-11 से निर्धारण वर्ष 2018-19 तक, सिवाय निर्धारण वर्ष 2014-15 के, क्योंकि उसका मामला अभी लंबित है) में सभी आधारों पर अपील मंज़ूर कर ली गई हैं।ज़रूरी समायोजन किए गए हैं और निर्धारण वर्ष 2014-15 से जुड़ी ₹1.44 करोड़ की राशि को 'आकस्मिक देयता' के तौर पर फिर से दिखाया गया है। कंपनी को अपीलों में शामिल विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद है, इसलिए किसी भी प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।

कंपनी को निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए सीआईटी (ए) दिनांक 17.10.25 से एक अनुकूल निर्णय प्राप्त हुआ है, जिसमें सभी आधारों पर अपील की अनुमति दी गई है। हालांकि आय कर विभाग ने इस आदेश के खिलाफ अपील की है और मामला आईटीएटी में है, फिर भी कंपनी को अपील में शामिल अलग-अलग विषयों पर अपने पक्ष में नतीजे की उम्मीद है, इसलिए किसी भी तरह का प्रावधान ज़रूरी नहीं समझा गया है।

पूर्ववर्ती वर्षों (निर्धारण वर्ष 1998-99 - निर्धारण वर्ष 2009-10) के आयकर मामलों के लिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 08 दिसंबर, 2023 के आदेश के मार्फ़त कंपनी के पक्ष में रिट याचिका का फैसला किया और कहा कि न्यायाधिकरण के दिनांक 21 नवम्बर, 2014 और 29 मई, 2015 के आदेशों के अनुसार, निर्धारण वर्ष 1998-99 से निर्धारण वर्ष 2009-10 तक की कर निर्धारण कार्यवाही समय-बाधित हो गयी है और इस प्रकार ए.ओ. को लौटायी गयी आय को स्वीकार करने और परिणामी आदेश पारित करने का निर्देश दिया। ऐसे परिणामी आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है और किसी भी समायोजन का हिसाब संबंधित आदेशों की प्राप्ति पर लगाया जाएगा।

[2]सेवा कर और वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) मामले

कंपनी को आयुक्त, न्यायनिर्णयन, केंद्रीय कर, जीएसटी दिल्ली पूर्व से दिनांक 15 मार्च, 2022 को मांग/आदेश का नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें कंपनी पर वित्त वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए ₹117.09 करोड़ (लागू ब्याज को छोड़कर) की मांग की गयी थी। हालांकि कंपनी का तर्क है कि पूरी मांग सीमा बाधित है, लेकिन इसने परिमित आधार पर ब्याज सहित ₹13.95 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹13.22 करोड़) प्रदान किया है। मामले में कानून और तथ्यों के आधार पर, ₹259.92 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹244.94 करोड़) की सेवा कर मांग (ब्याज सहित) को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि कंपनी एक सरकारी उद्यम है, इसलिए इसके पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा अधिरोपित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, ऐसे मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों के आधार पर सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए दंड को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण के लिए नहीं माना गया है। कंपनी ने इस मामले में 15 जून, 2022 को सीईएसटीएटी, नई दिल्ली में अपील दायर की है और यह लंबित है।

कंपनी को अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन) के कार्यालय से 25 मार्च 2022 का एक आदेश मिला था। यह आदेश अप्रैल 2016 से जून 2017 तक की अवधि के लिए प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर सरकार को चुकाई गई गारंटी फीस पर सेवा कर की वसूली से संबंधित था। इसमें कर के तौर पर ₹20.73 करोड़, दंड के तौर पर ₹20.73 करोड़ और उस पर लागू ब्याज की मांग की गई थी। हालांकि कंपनी ने 24 जून 2022 को माननीय

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

सीईएसटीएटी, मुंबई के समक्ष इसके खिलाफ़ एक अपील दायर की थी, लेकिन उसने कर और उस पर लगने वाले ब्याज के लिए ₹75.62 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹69.36 करोड़) का ज़रूरी प्रावधान किया है और ₹20.73 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹20.73 करोड़) के जुर्माने की रकम को 'आकस्मिक देयता' के तौर पर दिखाया है।

कंपनी को केंद्रीय कर अपील आयुक्त-1, दिल्ली के कार्यालय से दिनांक 31 जनवरी, 2024 का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार 01 जुलाई, 2017 से 26 जुलाई, 2018 की अवधि के लिए प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर सरकार को भुगतान की गयी गारंटी शुल्क पर जीएसटी की वसूली के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है। जबकि कंपनी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, वित्त वर्ष 2023-24 में इसने विरोध के तहत ₹13.28 करोड़ की कर राशि का भुगतान किया है और कर तथा उस पर ब्याज के लिए ₹28.96 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹28.96 करोड़) की अपेक्षित राशि का प्रावधान किया है। ₹15.26 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹15.26 करोड़) की जुर्माना राशि को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

[3]अन्य

इसमें महिला निदेशक की नियुक्ति न करने के मामले में निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा लगाया गया ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष : ₹0.03 करोड़) का जुर्माना शामिल है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी के पास निदेशकों की नियुक्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। कंपनी ने क्षेत्रीय निदेशक (एनआर) एमसीए के समक्ष अपील दायर की है। एमसीए के क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) ने 11 दिसंबर 2025 के आदेश के ज़रिए, दिल्ली और हरियाणा के निर्णायक प्राधिकरण/कंपनियों के रजिस्ट्रार , एनसीटी द्वारा 30 सितंबर 2022 को दिए गए निर्णायक आदेश को रद्द कर दिया है। इसके अनुसार, इरेडा द्वारा दायर अपील को मंज़ूरी दे दी गई है और उसका निपटारा कर दिया गया है। इसमें कंपनी की सेवा से कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ रिट याचिका के रूप में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों से संबंधित ₹2.96 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 4.62 करोड़) की राशि भी शामिल है। इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं है। इसमें कंपनी के पूर्व-कार्यात्मक निदेशकों के रोके गये पीआरपी से संबंधित ₹0.35 करोड़ (पिछली अवधि : ₹ 0.35 करोड़) भी शामिल हैं, जो स्पष्टीकरण के लिए लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें ₹1.26 करोड़ की वह राशि भी शामिल है जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक भाग शुल्क की वापसी के लिए दायर याचिका से संबंधित है।

उपर्युक्त में 15 अगस्त 2024 को इरेडा और अन्य के खिलाफ मैसर्स जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित राशि शामिल नहीं है, जो आपूर्ति, निर्माण कार्य, सिविल और संबद्ध कार्यों के लिए अनुबंध समझौतों के तहत इरेडा द्वारा ₹13.46 करोड़ की राशि के परिसमाप्त हर्जाने की कटौती और साथ ही कासरगोड सोलर पार्क, जिला - कासरगोड, केरल में 50 मेगावाट (एसी) सोलर पीवी प्लांट नामक परियोजना के चालू होने में देरी के के मामले से संबंधित भी है। दावेदार (जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड) ने लगभग ₹156.55 करोड़ का दावा दायर किया है और इरेडा ने 30 अक्टूबर 2024 को ₹47.34 करोड़ के प्रतिदावे के साथ बचाव का बयान दायर किया है। यह संभावना नहीं है कि इरेडा को कोई प्रतिकूल आदेश मिल सकता है क्योंकि दावाकर्ता को एसईसीआई द्वारा नियुक्त किया गया था ना कि इरेडा द्वारा। हालांकि, यदि न्यायाधिकरण द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है। इसे देखते हुए, संभावित बहिर्वाह दूरस्थ है, इसलिए इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रदान या प्रकट नहीं किया गया है।

ख) आकस्मिक परिसंपत्तियां : शून्य (पिछले वर्ष : शून्य)

ग) प्रतिबद्धताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ:		
पूंजी खाते पर निष्पादित किये जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	0.04	0.54
कुल प्रतिबद्धताएँ	**0.04**	**0.54**

17. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) - 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति (ईआरपी) के जीवनकाल में लाभ और हानि के विवरण में ईआरपी से संबंधित प्राप्त विश्व बैंक सीटीएफ अनुदान [वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 38 (7ए) देखें] को मान्यता दी है और इसे ₹ 0.37 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 0.37 करोड़) की राशि के कम परिशोधन व्यय के रूप में प्रस्तुत किया है।

18. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) -40 "निवेश संपत्ति" के संबंध में प्रकटीकरण

निवेश संपत्ति में जंगपुरा, नई दिल्ली में एक आवासीय फ्लैट शामिल है जिसे पट्टे पर दिया गया है। वित्तीय विवरणों की नोट 11 देखें।

(i) आय और व्यय का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
किराये से आय	0.07	0.07
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण)	0.00	0.00

(ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य :

निवेश संपत्ति का बाजार मूल्य [कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अधीन परिभाषित

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

अनुसार एक पंजीकृत आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार] 31 मार्च, 2026 को ₹3.75 करोड़ आंका गया है, जो 09 अप्रैल, 2026 की मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है (पिछले वर्ष: ₹3.66 करोड़)।

19. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 107- "वित्तीय लिखत प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी ने क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और प्रचालनगत जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक नीति ढांचा स्थापित किया है। जोखिम प्रबंधन नीति को जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन के अधीन विकसित किया गया है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति एक बोर्ड स्तर की समिति है तथा जोखिम प्रबंधन समिति की समग्र उत्तरदायी बोर्ड के पास है, जिसे प्रबंधन स्तर और निगमित स्तर की समितियों, जैसे परिसंपत्ति देयता समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति और प्रचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा पूरक किया जाता है। जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में स्वतंत्र जोखिम निरीक्षण और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। आरबीआई दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, जो कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शासी ढांचा बनाते हैं, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसमर्थन किया जाता है। इसमें स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) की भूमिकाएं और उत्तरदायीयिां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV, धारा 177(4)(vi), डीपीई दिशानिर्देश 2011 के विनियम 6.12 और सेबी एलओडीआर विनियम 4 में उल्लिखित है। ये भूमिकाएं और उत्तरदायीयिां उप-बोर्ड समिति के सदस्यों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। कंपनी में सलाहकार की भूमिका में एक मुख्य जाखिम अधिकारी (सीआरओ) भी है, जो प्रबंधन के कामों से मिली जानकारी और निविष्टियों के आधार पर जोखिम की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है।

कंपनी में एक विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति, तथा एक विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति (एफएमसी) मौजूद है और विदेशी मुद्रा ऋण पर मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को न्यूनतम करने/कम करने के लिए वायदा संविदा, विनिमय आदि जैसे बचाव लिखित का उपयोग किया जाता है। बचाव लिखित का उपयोग केवल बचाव उद्देश्य के लिए किया जाता है, न कि व्यावसायिक या काल्पनिक लिखत के रूप में किया जाता है।

अपने व्यावसायिक परिचालन के दौरान कंपनी जिन प्रमुख जोखिमों का सामना करती है, वे हैं क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालनगत जोखिम। इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक पहचान की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और कार्यान्वित जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से उनका प्रबंधन किया जाता है। यह नोट उन जोखिमों के स्रोतों को स्पष्ट करता है जिनका सामना संस्था को करना पड़ता है, साथ ही यह बताता है कि संस्था इन जोखिमों का प्रबंधन कैसे करती है और वित्तीय विवरणों पर बचत लेखांकन का क्या प्रभाव पड़ता है।

जोखिम	निम्न से उत्पन्न जोखिम	मापन	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	ऋण, प्राप्य, नकद और नकद समकक्ष और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	आवधिक विश्लेषण और साख श्रेणी निर्धारण, संभावित ऋण हानि विश्लेषण	ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया, ऋण सांद्रता सीमा, संपार्श्विक, अतिरिक्त गारंटी व परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण।
तरलता जोखिम	ऋण प्रतिभूतियाँ, ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) और अधीनस्थ देयताएँ तथा अन्य वित्तीय देयताएँ	नकद प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों, ऋण सुविधाओं और अल्पकालिक ऋणों/डब्ल्यूसी सीमाओं और ओडी सीमाओं की उपलब्धता।
बाजार जोखिम- विदेशी मुद्रा	विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय परिसंपत्तियाँ व देयताएँ	नकद प्रवाह पूर्वानुमान व संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, विनिमय आदि जैसे बचाव लिखत
बाजार जोखिम- ब्याज दर	परिवर्तनीय दरों पर ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	संवेदनशीलता विश्लेषण	ब्याज दर स्वैप
बाजार जोखिम- सुरक्षा कीमत	निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम ऋण प्रचालन में निहित जोखिम है और यह ऋणकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में कमी और ऋणकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान में चूक के जोखिम से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है। इस प्रक्रिया में परियोजनाओं का मूल्यांकन, बाह्य एजेंसियों द्वारा रेटिंग और ऋण जोखिम का आकलन, जोखिम को कम करने के लिए उचित संरचना के साथ-साथ अन्य ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। कंपनी अपने जोखिमों को साझा ऋण जोखिम विशेषता के आधार पर छोटे समरूप पोर्टफोलियो में विभाजित करती है, जैसा कि निम्नलिखित क्रम में वर्णित है : -

- आरक्षित/अरक्षित यानी, इस आधार पर कि ऋण आरक्षित हैं या नहीं।
- सुरक्षा की प्रकृति यानी, यदि ऋण आरक्षित होने का निर्धारण किया जाता है तो सुरक्षा की प्रकृति।
- ऋण की प्रकृति यानी, आरई क्षेत्र जिसके लिए ऋण बढ़ाया गया है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं, इसके लिए वित्तीय लिखत के शेष जीवन में होने वाले चूक के जोखिम में परिवर्तन पर विचार किया जाता है। यह निर्धारित करने में कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से चूक का जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है या नहीं, कंपनी 30 दिनों से अधिक की देरी को एक पैरामीटर के रूप में मानती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देने वाले किसी अन्य अवलोकनीय निविष्टि पर भी विचार करती है।

कंपनी वित्तीय लिखत को चूक में तब परिभाषित करती है जब रिपोर्टिंग तिथि पर उसके पास हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हों। इसने चरण III के तहत इन ऋणों का मूल्यांकन चूक के समय, परियोजना के प्रदर्शन/संचालन पर आधारित मामला-दर-मामला के आधार पर किया है। कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईसीएल मॉडल के आधार पर वित्तीय लिखतों पर हानि की पहचान की है।

ईसीएल कार्यप्रणाली/नीति की समीक्षा और उसे अद्यतन किया जाता है ताकि वह बाज़ार की स्थितियों और विभिन्न नियामक दिशानिर्देशों/अवलोकनों के अनुरूप विकसित हो सके। 12-महीने और लाइफ़टाइम पीडी, ईएडी और एलजीडी निर्धारित करने में भविष्य की आर्थिक जानकारी को शामिल किया जाता है। अपेक्षित ऋण नुकसान के आधारभूत अनुमानों की निरंतर निगरानी और समीक्षा की जाती है।

संपार्श्विक और अन्य ऋण संवर्द्धन

आवश्यक संपार्श्विक की राशि और प्रकार ऋण जोखिम के आकलन पर निर्भर करता है। संपार्श्विक के मुख्य प्रकार हैं-एफडीआर/बीजी, प्रमोटरों से संबंधित अचल संपत्ति पर प्रभार और मामले-दर-मामले के आधार पर निगमित गारंटी।

(क) कंपनी व्यक्तिगत प्रतिपक्षकारों और उद्योग सांद्रता हेतु स्वीकार किये जाने वाले जोखिम की मात्रा पर सीमाएँ निर्धारित करके और उक्त सीमाओं के संबंध में जोखिमों की निगरानी करके ऋण जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करती है।

i. अपेक्षित ऋण हानियों हेतु प्रावधान

चरण	संवर्ग	संवर्ग का विवरण	अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान की मान्यता का आधार
			ऋण
चरण 1	मानक परिसंपत्तियाँ	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ प्रतिपक्ष के पास दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है और जहाँ चूक का जोखिम नगण्य या शून्य/नियमित रूप से भुगतान करने वाली परिसंपत्तियाँ हैं	12 महीने ईसीएल
चरण 2	वर्धित ऋण जोखिम वाले ऋण	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	जीवन भर अपेक्षित ऋण हानियाँ
चरण 3	ऋण- क्षतिग्रस्त	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ चूक की उच्च संभावना है और बट्टे खाते में डाली गयी परिसंपत्तियाँ जहाँ वसूली की कम उम्मीद है	जीवन भर अपेक्षित ऋण हानियाँ

ii. महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

(क) ऋणों के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) तथा गैर-निधि आधारित सुविधाएं

ऋण परिसम्पत्तियों पर हानि भत्ता (ईसीएल) बोर्ड द्वारा मंज़ूर ईसीएल कार्यप्रणाली और एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की गई गणना के

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

आधार पर दिया जाता है, साथ ही जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ प्रबंधन की परिव्यय भी शामिल की जाती हैं। 31 मार्च 2026 तक संचयी हानि भत्ता (जिसमें मानक ऋण और गैर-निधि आधारित सुविधाएँ शामिल हैं) ₹2,689.14 करोड़ है (पिछली अवधि में ₹1,920.24 करोड़), जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

चरण	परिसंपत्ति समूह	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		ऋण राशि	ईसीएल	ऋण राशि	ईसीएल
चरण I	ऋण	87,656.36	340.14	71,685.96	329.66
चरण II	ऋण	2,078.36	268.76	2,633.30	718.78
चरण III	ऋण	3,245.46	2,073.15	1,866.25	845.59
उप योग		**92,980.18**	**2,682.05**	**76,185.51**	**1,894.03**
गैर-निधि आधारित सुविधाएँ		2,450.63	7.09	2,500.39	26.21
कुल ईसीएल			**2,689.14**		**1,920.24**

₹ 69.69 करोड़ (पिछली अवधि ₹ 82.79 करोड़) के वित्तपोषित ब्याज अवधि ऋण (एफआईटीएल) शेष राशि को छोड़कर, जिस पर बहियों में समतुल्य देयता स्थायी है।

31.03.2026 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, आरबीआई के कुछ अवलोकनों को ईसीएल की कार्यप्रणाली/कार्यों में भविष्य के लिए शामिल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ईसीएल मूल्यांकन में 4.13 करोड़ रुपये की कमी आई।

(ख) सरलीकृत दृष्टिकोण के अधीन व्यावसायिक प्राप्तियों हेतु अपेक्षित ऋण हानि:

31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	देय नहीं	देय से 0-30 दिन बाद	देय से 31-60 दिन बाद	देय से 61-90 दिन बाद	देय से 91-120 दिन बाद	देय से 120 से ज़्यादा दिन बाद	कुल
सकल वहन राशि	3.15	-	-	-	-	2.76	**5.91**
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-	**-**
अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	(2.76)	**(2.76)**
व्यावसायिक प्राप्य की वहन राशि (क्षति के बाद निवल)	3.15	-	-	-	-	-	**3.15**
31.03.2026 को शेष राशि	**3.15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.15**

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	देय नहीं	देय से 0-30 दिन बाद	देय से 31-60 दिन बाद	देय से 61-90 दिन बाद	देय से 91-120 दिन बाद	देय से 120 से ज़्यादा दिन बाद	कुल
सकल वहन राशि	3.17	-	-	-	-	2.76	**5.93**
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-	**-**
अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	देय नहीं	देय से 0-30 दिन बाद	देय से 31-60 दिन बाद	देय से 61-90 दिन बाद	देय से 91-120 दिन बाद	देय से 120 से ज़्यादा दिन बाद	कुल
व्यावसायिक प्राप्य की वहन राशि (क्षति के बाद निवल)	3.17	-	-	-	-	2.76	**5.93**
31.03.2025 को शेष राशि	**3.17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.76**	**5.93**

ख. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसमें कोई कंपनी पर्याप्त नकद और विपणन योग्य प्रतिभूतियों की कमी या वित्तपोषण की उपलब्धता के कारण अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन में नकद, विपणन योग्य प्रतिभूतियों और प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं का उचित स्तर बनाए रखना शामिल है ताकि दायित्वों को पूरा किया जा सके, जब भी वे बकाया हों। कंपनी का प्रबंधन चलनिधि स्थिति के पूर्वानुमान और ब्याज आय और व्यय सहित अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर नकद और नकद समकक्षों की उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करता है।

व्यापक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढांचा भी चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है। कंपनी चलनिधि कवरेज अनुपात की आवश्यकता का भी अनुपालन कर रही है और आरबीआई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च-गुणवत्ता वाली चलनिधि परिसंपत्ति बनाए रख रही है।

(i) वित्तपोषण व्यवस्था

वर्ष के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित अनाहरित ऋण सुविधाओं तक पहुँच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
नियत दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	-	-
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	**-**	**-**
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	-	-
अस्थिर दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	1,659.00	1,475.50
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	12,585.00	4,585.00
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	-	-
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	-	-

(ii) सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल सीमाएँ

अप्रत्याशित चलनिधि की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी के पास बैंकों से नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, ऋण की सीमा और कार्यशील पूंजी मांग ऋण तक पहुँच है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास एएए/ए1+ की उच्चतम घरेलू साख श्रेणी निर्धारण है, जिससे यह कम समय में घरेलू बाजार से धन उगाहने में सक्षम है। कंपनी के पास निम्नलिखित अनाहरित ऋण सुविधाओं तक पहुंच है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल सीमाएं	4,327.21	4,472.08

(iii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गयी तालिका कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में करती है, जो सभी गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर होती है, जिसके लिए नकद प्रवाह के समय को समझने के लिए संविदात्मक परिपक्वता आवश्यक है। तालिका में बतायी गयी राशियाँ संविदात्मक छूट रहित नकद प्रवाह हैं:-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन (1 महीना)	1 महीने से ऊपर-2 महीना	2 महीने से ऊपर-3 महीना	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 वर्ष तक	1 वर्ष से ऊपर-3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर-5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
रुपया ऋण	267.23	40.42	148.33	479.88	2,531.84	2,336.92	9,435.39	21,884.09	9,264.87	21,459.79	**67,848.77**
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	90.96	13.33	126.33	193.04	423.67	1,569.64	2,948.65	4,648.24	**10,013.86**

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन (1 महीना)	1 महीने से ऊपर-2 महीना	2 महीने से ऊपर-3 महीना	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 वर्ष तक	1 वर्ष से ऊपर-3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर-5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
रुपया ऋण	308.76	8.33	405.17	1,309.94	1,039.68	3,128.21	5,494.74	14,068.53	6,789.07	23,677.57	**56,230.00**
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	82.24	12.05	111.80	175.41	381.50	1,528.43	1,296.85	4,939.33	**8,527.61**

ग. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम मुख्य रूप से ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि की संभावना है। ऋण ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी के पास एक समिति है जो बाजार की स्थितियों, समकक्षों की चल रही ब्याज दरों और ऋण की बढ़ती लागत के आधार पर समय-समय पर अपनी ऋण दरों की समीक्षा करती है।

कंपनी के ऋण में अस्थायी दर और स्थिर दर दोनों तरह के ऋण शामिल हैं जो लागू अनुसार बेंचमार्क दरों से जुड़े हैं। विदेशी मुद्रा ऋण के लिए, कंपनी बचाव व्यवस्था करके और अस्थायी दर से जुड़े पोर्टफोलियो की समय-समय पर निगरानी करके अस्थायी ब्याज दर के कारण होने वाले जोखिम को कम करती है।

विदेशी ऋण एजेंसियों से विदेशी मुद्रा ऋण लेने से कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उठाना पड़ता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नी लिखत जैसे कि प्रिंसिपल ओनली स्वैप, मुद्रा और ब्याज दर स्वैप (व्युत्पन्नी विनिमय), वादा संविदा आदि को अपनाकर विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किये गये इन व्युत्पन्नी संविदाओं की परिपक्वता अवधि कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग-अलग होती है।

I. विदेशी मुद्रा जोखिम: -

कंपनी के पास अपने संसाधन जुटाने की रणनीति के तहत विदेशी ऋण एजेंसियों से ऋण के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम है। अस्थिरता के साथ-साथ बड़े सीमा पार प्रवाह कंपनी के तुलन पत्र को विनिमय दर के हलचल के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), करेंसी एंड क्रॉस करेंसी ऑप्शन्स, संरचित/लागत में कमी वाले उत्पाद आदि (व्युत्पन्नी लेन-देन) के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किये गये इन विदेशी मुद्रा अनुबंधों की परिपक्वता अवधि अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता, उत्पादों की बाज़ार में उपलब्धता और कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग-अलग होती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण:

वर्ष के अंत में कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण भारतीय रुपये में व्यक्त किया गया है, जो निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को			31.03.2025 को		
	अमेरिकी डॉलर	यूरो	जापानी येन	अमेरिकी डॉलर	यूरो	जापानी येन
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
विदेशी मुद्रा में बैंक में शेष राशि	-	-	-	0.32	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को			31.03.2025 को		
	अमेरिकी डॉलर	यूरो	जापानी येन	अमेरिकी डॉलर	यूरो	जापानी येन
व्युत्पन्नी परिसंपत्तियाँ						
विदेशी मुद्रा स्वैप अनुबंध*	869.93	101.64	25.92	425.20	25.92	36.76
वित्तीय देनदारियाँ						
विदेशी मुद्रा में ऋण	4,655.07	915.14	4,443.63	4,622.24	958.72	2,946.65
व्युत्पन्नी देनदारियाँ						
विदेशी मुद्रा स्वैप अनुबंध*	-	-	47.40	0.98	-	22.22
विदेशी मुद्रा जोखिम (परिसंपत्तियाँ)/ देनदारियों का निवल प्रकटीकरण	**3,785.14**	**813.50**	**4,465.11**	**4,197.70**	**932.80**	**2,932.11**

*विदेशी मुद्रा विनिमय अनुबंध में विकल्प अनुबंध शामिल हैं।

(ख) संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि विवरण की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होती है। नीचे दी गयी तालिका विदेशी मुद्रा जोखिम* पर 5% (भारतीय रुपये के मुकाबले) तक विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि विवरण [+लाभ /(-) हानि] पर प्रभाव प्रस्तुत करती है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
	लाभ और हानि के विवरण पर प्रभाव			
अमेरिकी डॉलर संवेदनशीलता	4.20	(4.20)	4.33	(4.33)
यूरो संवेदनशीलता	19.56	(19.56)	17.41	(17.41)
जापानी येन संवेदनशीलता	85.92	(85.92)	89.39	(89.39)

*सभी अन्य परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए।

II. नकद प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम: -

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति कंपनी का प्रकटीकरण अस्थिर ब्याज दरों वाले दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋणों और बैंकों से अस्थिर ब्याज दर अवधि ऋण से संबंधित है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पनी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपने विदेशी मुद्रा ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी के निश्चित दर वाले रुपये के ऋण परिशोधित लागत पर लिये जाते हैं। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण न तो वहन राशि और न ही भावी नकद प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

क) ब्याज दर जोखिम का प्रकटीकरण

वर्ष के अंत में ब्याज दर में परिवर्तन के लिए कंपनी के ऋणों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
परिवर्ती दर ऋण		
रुपया मूल्यवर्ग	34,357.97	12,653.30
विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग	4,443.75	2,894.95
कुल	**38,801.72**	**15,548.25**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(ख) संवेदनशीलता

ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋण से उच्च/निम्न ब्याज व्यय के प्रति लाभ या हानि संवेदनशील है*

(₹ करोड़ में)

विवरण	लाभ और हानि के विवरण पर प्रभाव	
	31.03.2026 को	31.03.2025 को
ब्याज दरें – 50 आधार अंकों की वृद्धि	(194.01)	(77.74)
ब्याज दरें – 50 आधार अंकों की कमी	194.01	77.74

*सभी अन्य चर वस्तुओं को स्थिर रखते हुए

(ग) बचाव गतिविधियों का प्रभाव

व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत और बचाव लेखांकन

कंपनी के पास अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और विदेशी मुद्रा ऋण में ब्याज दर जोखिमों को कम करने और बचाव करने के लिए प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप (आईआरएस), क्रॉस करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शन्स, संरचित/लागत में कमी उत्पाद आदि जैसे व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

बचाव अप्रभाविता का निर्धारण बचाव संबंध की शुरुआत में और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचाव किये गये मद और बचाव लिखत के बीच आर्थिक संबंध मौजूद है।

कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियों को लागू करती है:

- क्रॉस करेंसी स्वैप, विकल्प संरचनाओं और ब्याज दर स्वैप के लिए, जो बचाव मद की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हैं, आर्थिक संबंध और बचाव प्रभावशीलता, क्रिटिकल टर्म्स मैच पद्धति का उपयोग करके गुणात्मक कारकों पर आधारित होते हैं। विकल्प संरचनाओं के लिए, कंपनी प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग करके बचाव लिखत और बचाव किये गए मद के मूल्य में परिवर्तन के बीच संबंध का भी विश्लेषण करती है।
- कंपनी ने बचाव संबंधों हेतु 1:1 का बचाव अनुपात स्थापित किया है क्योंकि बचाव लिखत के अंतर्निहित जोखिम और कल्पित राशि बचाये गये मद के समान हैं।

नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि (सीएफएचआर) में संचलन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(19.41)	(137.44)
बचाव लिखतों के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	442.01	171.66
बचाव किये गये मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	(232.77)	(53.63)
वर्ष के अंत में शेष राशि (कर पूर्व)	**189.82**	**(19.41)**

बचाव आरक्षित निधि की लागत में संचलन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(6.07)	-
विदेशी मुद्रा विकल्प संरचना के आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(85.81)	(23.25)
वर्ष के लिए समय मूल्य का परिशोधन	78.61	17.18
वर्ष के अंत में शेष राशि (कर पूर्व)	**(13.27)**	**(6.07)**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

तुलन पत्र पर बचाव लेखांकन के प्रभावों पर प्रकटीकरण:

31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

बचाव और जोखिम का प्रकार	परिपक्वता तारीख	बचाव अनुपात	भारित औसत नियत भाव/दर	बचाव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) प्रिंसिपल ओनली स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-अप्रैल-2026 से 09-मार्च-2037	1:1	72.0369	388.09
- यूरो	30-जून-2026 से 31-जनवरी-2031	1:1	85.6357	75.73
- जापानी येन -	24-अप्रैल-2028 से 19-सितम्बर-2028	1:1	0.5841	(8.07)
(ii) क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-जुलाई-2026 से 15-अक्टूबर-2026	1:1	67.0711	19.63
- यूरो	-	-	-	-
- जापानी येन -	-	-	-	-
(iii) वायदा संविदा				
- अमेरिकी डॉलर	-	1:1	-	-
- यूरो	-	1:1	-	-
(iv) विकल्प अनुबंध				
- अमेरिकी डॉलर	15-मई-2026 से 16-नवंबर-2026	1:1	91.8421	(1.68)
- जापानी येन -	16-जून-2026 से 16-दिसंबर-2026	1:1	0.5899	(23.94)
(v) ब्याज दर विनिमय				
- जापानी येन -	24-अप्रैल-2028	1:1	0.9825%	4.53

व्युत्पन्नी की काल्पनिक राशि और वहन राशि से सम्बंधित विवरण के लिए, वित्तीय विवरणों का नोट 4 देखें।

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

बचाव और जोखिम के प्रकार	परिपक्वता तारीख	बचाव अनुपात	भारित औसत नियत भाव/दर	बचाव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) प्रिंसिपल ओनली स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-अप्रैल-2026 से 09-मार्च-2037	1:1	70.7387	(105.42)
- यूरो	30-दिसंबर-2025 से 31-जनवरी-2031	1:1	85.8493	(7.65)

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

बचाव और जोखिम के प्रकार	परिपक्वता तारीख	बचाव अनुपात	भारित औसत नियत भाव/दर	बचाव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन
- जापानी येन -	-	1:1	-	59.85
(ii) क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-जुलाई-2026 से 15-अक्टूबर-2026	1:1	67.0729	1.89
- यूरो	-	-	-	-
- जापानी येन	-	-	-	-
(iii) वायदा संविदा				
- अमेरिकी डॉलर	-	1:1	-	0.23
- यूरो	-	-	-	-
- जापानी येन	-	1:1	-	(39.44)
(iv) विकल्प अनुबंध				
- अमेरिकी डॉलर	15-अप्रैल-2025 से 14-नवंबर-2025	1:1	84.3796	5.75
- जापानी येन	18-जून-2025 से 18-दिसंबर-2025	1:1	0.5581	34.85

व्युत्पन्नी की काल्पनिक राशि और वहन राशि से सम्बंधित विवरण के लिए, वित्तीय विवरणों की नोट 4 देखें।

लाभ और हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण पर बचाव लेखांकन के प्रभाव: -

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम तथा विदेशी मुद्रा ऋण से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु व्युत्पन्नी लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम के बचाव के लिए कंपनी वायदा अनुबंध, क्रॉस मुद्रा स्वैप, प्रिंसिपल ओनली स्वैप तथा ब्याज दर स्वैप आदि का उपयोग करती है। बचाव लेखांकन के तहत निर्दिष्ट व्युत्पन्नी अनुबंधों के प्रभावी बचाव होने की सीमा तक, बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकद प्रवाह बचाव के प्रभावी भाग' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियाँ लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत की जाती हैं, जब बचाव की गई मद लाभ और हानि के विवरण को प्रभावित करती है।

31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

बचाव के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त बचाव अप्रभाविकता	बचाव किये गये मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन मद
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम	356.20	-	(232.77)	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

बचाव के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त बचाव अप्रभाविकता	बचाव किये गये मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन मद
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम	148.41	-	(53.63)	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश

20. कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा ऋण (बकाया राशि का 40%) पर खुला प्रकटीकरण अनुमेय है। 31 मार्च, 2026 को खुला प्रकटीकरण ₹2,334.36 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹2,360.71 करोड़) है जो कुल बकाया विदेशी मुद्रा ऋण का 23.31% (पिछले वर्ष: 27.68%) है और अनुमेय सीमा के अंदर है।

उक्त मुक्त खुलासे में से, 30.38 मिलियन यूरो (पिछले वर्ष: 30.38 मिलियन यूरो) हेतु आंशिक बचाव किया गया है, जिसके लिए 33.73 मिलियन अमरीकी डॉलर (पिछले वर्ष : 33.73 मिलियन अमरीकी डॉलर) के लिए प्रिंसिपल ओनली स्वैप (यूएसडी/आईएनआर) लिया गया है, जो ₹319.23 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹288.63 करोड़) के बराबर है।

इसके अतिरिक्त, 2,371.50 मिलियन जापानी येन (पिछले वर्ष: 2,371.50 मिलियन जापानी येन) को 17.60 मिलियनअमेरिकी डॉलर (पिछले वर्ष: 17.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के बराबर प्रिंसिपल ओनली स्वैप (यूएसडी/जेपीवाई) लेकर बचाव किया गया है, जिसकी राशि ₹140.51 करोड़ बनती है (पिछले वर्ष : ₹134.58 करोड़)।

21. परिसंपत्तियों पर सृजित प्रतिभूति

i. प्रतिभूति के रूप में बंधक परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
ऋण और अग्रिम (कंपनी के बुक ऋण) पर एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2,055.83	2,576.60
- कर मुक्त बॉण्ड	24,236.38	23,792.18
- बैंक ऋण	1443.25	1,525.01
- विदेशी मुद्रा ऋण		
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
अस्थायी प्रभार		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-

ii. पुस्तिका ऋणों पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा प्रतिभूत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
नकारात्मक ग्रहणाधिकार (कंपनी का बुक ऋण)		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
- कर योग्य बंधपत्र	3,567.49	3,817.36
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

22. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण

31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु

सभी फॉर्म समय पर दाखिल किये गये थे और कंपनी के पास सांविधिक समय-सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि का मामला नहीं है।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

सभी फॉर्म समय पर दाखिल किये गये थे और कंपनी के पास सांविधिक समय-सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि का मामला नहीं है।

23. पूंजी प्रबंधन

कंपनी की पूंजी प्रबंधन नीति का प्राथमिक उद्देश्य है विनियामक पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी प्रत्येक समय पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करती है और अपने व्यवसाय का प्रबंधन इस तरह से करती है कि पूंजी सुरक्षित रहे, संतोषजनक व्यावसायिक विकास सुनिश्चित हो, नकद प्रवाह की निगरानी हो और रेटिंग बनी रहे।

उद्योग में अपने समकक्षों के अनुरूप, कंपनी ऋण-इक्विटी अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है, जिसकी गणना ऋण (कुल ऋण) को कुल इक्विटी से विभाजित करके की जाती है, जैसा कि तुलन पत्र में दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
ऋण	77,845.63	64,740.31
इक्विटी	13,781.35	10,266.16
ऋण-इक्विटी अनुपात	**5.65**	**6.31**

24.

निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 सितंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन के मार्फ़त योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) रूट के जरिए नई इक्विटी जारी करने को मंजूरी दी, जिसमें एक या एक से अधिक चरणों में इरेडा में भारत सरकार की शेयरधारिता को पोस्ट इश्यू के आधार पर इरेडा की चुकता इक्विटी के 7% की सीमा तक कम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इरेडा के निदेशक मंडल ने 23 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी 431वीं बैठक में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार पोस्ट इश्यू के आधार पर इरेडा की चुकता इक्विटी के 7% की अधिकतम कमी के अधीन क्यूआईपी के माध्यम से एक या एक से अधिक चरणों में ₹5000 करोड़ तक की राशि के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने की मंजूरी दी। 24 फरवरी, 2025 को आयोजित 22वीं ईजीएम के दौरान कंपनी के शेयरधारकों ने भी उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इसी क्रम में, कंपनी ने क्यूआईपी के पहले चरण के तहत, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018, यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार, 11 जून 2025 को योग्य प्राप्त खरीदार को नकद के बदले 12,14,66,562 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। इन शेयरों का अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर था और इन्हें ₹155.14 प्रति शेयर के प्रीमियम पर जारी किया गया, जिससे कुल इक्विटी निधि जुटाने की राशि ₹2,005.90 करोड़ हो गई। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी की जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में ₹121.46 करोड़ की और शेयर प्रीमियम खाते में ₹1,869.57 करोड़ (शेयर जारी करने के खर्च घटाकर) की वृद्धि हुई है। ऊपर बताए गए क्यूआईपी के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार की हिस्सेदारी 71.76% है।

क्यूआईपी के ज़रिए उगाही गई निधि का उपयोग निर्गम के उद्देश्यों के अनुसार किया गया, यानी भविष्य की पूँजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी का पूँजी आधार बढ़ाने; आगे ऋण देने और सामान्य निगमित कामों के लिए है। इन उद्देश्यों की जानकारी वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में एक्सचेंजों को दी गई थी और उन्हें नीचे संक्षेप में बताया गया है:-

विवरण-पुस्तिका के अनुसार निर्गम के उद्देश्य	विवरण-पुस्तिका के अनुसार उपयोग की जाने वाली राशि – निवल प्राप्तियाँ[2]	उपयोग	उपयोग की गई राशि
भविष्य की पूंजी ज़रूरतों को पूरा करने और आगे ऋण देने के लिए हमारे पूँजी आधार को बढ़ाना	1,493.27	1,493.27	-
सामान्य निगमित उद्देश्य1	497.76	497.76	-
कुल	**1,991.03**	**1,991.03**	**-**

नोट :

[1] सिर्फ़ साधारण निगमित कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रकम सकल प्राप्ति के 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

[2] निवल प्राप्ति = ₹2,005.90 करोड़ के नए निर्गम से हुई कुल प्राप्ति में से हमारे अनुमानित प्रस्तावित व्यय ₹14.87 करोड़ घटाकर।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

इसके बाद, 6 फरवरी 2026 को हुई बैठक में, इरेडा के निदेशक मंडल ने क्यूआईपी के ज़रिए इक्विटी शेयर जारी करके एक या ज़्यादा किस्तों में कुल ₹2,994 करोड़ (दो हज़ार नौ सौ चौरानवे करोड़ रुपये) तक की कुल राशि जुटाने की मंज़ूरी दी। यह मंज़ूरी इस शर्त पर दी गई कि भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के ज़रिए भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी, कंपनी के निर्गम के बाद की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी के 3.76% से ज़्यादा कम न हो। इसके अतिरिक्त, कंपनी के शेयरधारकों ने 14 मार्च 2026 को ज़रूरी बहुमत के साथ पास किए गए एक विशेष संकल्प के ज़रिए इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

25.

i. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने एसएमबीसी गिफ्ट सिटी ब्रांच (मुख्य ऋणदाता) से 28 बिलियन जापानी येन जिसमें 12 बिलियन जापानी येन का ग्रीन शू विकल्प भी शामिल है की बाह्य वाणिज्यिक ऋणी (ईसीबी) लेने के लिए एक सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पांच वर्ष की यह असुरक्षित सुविधा, जिसमें परिपक्वता पर एकमुश्त भुगतान करना होगा, कंपनी की वैश्विक बाज़ार में मौजूदगी को सुदृढ़ करेगी। यह ऋण बाह्य बेंचमार्क अर्थात टीओएनएआर और प्रयोज्य फैलाव से जुड़ा है।

ii. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने एसबीआई टोक्यो शाखा से बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) के रूप में दो किस्तों में सावधि ऋण लिया, यानी क़िस्त 1: 16 बिलियन जापानी येन (₹ 963.04 करोड़) और क़िस्त 2: 10 बिलियन जापानी येन (₹ 589.80 करोड़)। यह ऋण बिना किसी प्रतिभूत के है और इसकी अदायगी एकमुश्त चुकौती के ज़रिए होगी; इसकी अवधि ऋण लेने की तारीख से 5 वर्ष है। क़िस्त 1 की परिपक्वता 25 अप्रैल 2030 है और क़िस्त 2 की परिपक्वता 25 जून 2030 है। यह ऋण बाह्य बेंचमार्क अर्थात टीओएनएआर और लागू फैलाव से जुड़ा है।

iii. वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान, कंपनी ने अपने ऋण पोर्टफोलियो की समीक्षा के आधार पर एएफडी के साथ एक अधिकतम ऋण सीमा बंद कर दी। इस अधिकतम ऋण सीमा की बची हुई अवधि 60 महीने थी और कंपनी ने 50 मिलियन यूरो की पूरी बकाया राशि का समय से पहले भुगतान करके इसे बंद किया है। संबंधित अधिकतम ऋण सीमा के पूरी तरह और अंतिम रूप से निपटाने के बाद, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (जिसे ऋण की अवधि के दौरान धीरे-धीरे परिशोधित किया जाना था) के कारण जमा हुई शेष राशि को 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि' [एफसीएमआईटीआर] और 'अन्य व्यापक आय' [ओसीआई] से लाभ एवं हानि खाता में हस्तांतरित कर दिया गया था। इसमें संबंधित बचाव लेन-देन (ऋण का 91.41% की सीमा तक बचाव किया गया था) को समाप्त करना शामिल था, जिससे ₹7.80 करोड़ का निवल लाभ हुआ। ऋण को समय से पहले बंद करने के कुल प्रभाव को 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹45.41 करोड़ की हानि के तौर पर माना गया है।

26. ऋण ली गयी निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग।

1. कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था(ओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यवर्ती) शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई भी निधि (या तो ऋण ली गयी निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि) अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ को यह सुनिश्चित करना होगा कि
   i. कंपनी(अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देना या निवेश करना या
   ii. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करना
2. इसके अतिरिक्त, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति (यों) या संस्था(ओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, से, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई भी निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि
   i. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से प्रतिचिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या निवेश करना या
   ii. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई सुविधा प्रदान करना।

कंपनी की राय है कि एमएनआरई जीओआई पूर्ण सेवित बॉण्ड (वित्तीय विवरणों की नोट 38(43) देखें) के संबंध में प्राप्त होने वाली राशि उपर्युक्त प्रकटीकरण के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि यह भारत सरकार के अधिदेश/समझौता ज्ञापन के समान है।

27. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) -108 "प्रचालन क्षेत्र" के संबंध में प्रकटीकरण

(i) परिचालन क्षेत्र

इंड एएस 108 में यथा परिभाषित के अनुसार "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, सीएमडी, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं और व्यवसाय खंडों द्वारा विभिन्न कार्य-निष्पादन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करते हैं। वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किये जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों को व्यक्तिगत व्यवसाय खंड में राजस्व और व्यय रिकॉर्ड करने के लिए निरंतर लागू किया जाता है और वे महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निर्धारित किये गये हैं।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

कंपनी दो खंडों में काम करती है - अक्षय ऊर्जा (आरई) व ऊर्जा दक्षता (ईई) क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियाँ और केरल के कासरगोड में सौर संयंत्र संचालन के माध्यम से बिजली का उत्पादन। कंपनी के लिए प्रमुख राजस्व आरई एवं ईई क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियों के खंड से आता है। अन्य परिचालन खंड - सौर संयंत्र के माध्यम से बिजली का उत्पादन एक रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है। कंपनी भारत में काम करती है; इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में काम करने वाला माना जाता है। इस प्रकार खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से इसे एकल व्यवसाय/भौगोलिक खंड माना जाता है।

(ii) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कोई भी बाह्य ग्राहक हमारे राजस्व में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान नहीं देता है।

(iii) भौगोलिक जानकारी

संचालन के स्थान के अनुसार बाह्य ग्राहकों से राजस्व और परिसंपत्तियों के स्थान के अनुसार इसकी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बाह्य ग्राहकों से राजस्व*		गैर-चालू परिसंपत्तियां**	
	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
भारत	8,337.48	6,754.78	320.22	348.60
भारत से बाहर	-	-	-	-
कुल	**8,337.48**	**6,754.78**	**320.22**	**348.60**

*व्युत्पन्नी के उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/ (हानि) से संबंधित ₹ 31.21 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹13.13 करोड़) की राशि शामिल है।

**इसमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति, परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार और अमूर्त परिसंपत्तियां से जुड़ी राशि शामिल हैं।

(iv) प्रमुख उत्पादों से राजस्व

प्रत्येक उत्पाद और सेवा के लिए बाह्य ग्राहकों से राजस्व निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	8,179.20	6,575.39
शुल्क और कमीशन आय	58.68	95.71
विद्युत की बिक्री (निवल)	26.81	26.48

28. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-113 "उचित मूल्य माप" के संबंध में प्रकटीकरण

I. उचित मूल्य माप

श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

(₹ करोड़ में)

विवरण (31.03.2026 को)	परिशोधन लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के जरिए	पीएंडएल के जरिए	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकद और नकद समतुल्य	14.64	-	-	-	14.64
निर्धारित बैंक शेष	702.51	-	-	-	702.51
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	910.52	86.97	997.49
व्यावसायिक प्राप्य	3.15	-	-	-	3.15
ऋण	90,196.59	-	-	-	90,196.59

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण (31.03.2026 को)	परिशोधन लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के जरिए	पीएंडएल के जरिए	
निवेश	883.82	26.00	-	-	909.82
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	25.53	-	-	-	25.53
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**91,826.24**	**26.00**	**910.52**	**86.97**	**92,849.73**
वित्तीय देनदारियाँ					
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	18.55	28.85	47.40
व्यावसायिक देय	4.51	-	-	-	4.51
ऋण प्रतिभूतियाँ	28,421.60	-	-	-	28,421.60
ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	46,166.69	-	-	-	46,166.69
अधीनस्थ देयताएँ	3,257.34	-	-	-	3,257.34
अन्य वित्तीय देयताएँ	1,730.15	-	-	-	1,730.15
कुल वित्तीय देयताएँ	**79,580.29**	**-**	**18.55**	**28.85**	**79,627.69**

(₹ करोड़ में)

विवरण (31.03.2025 को)	परिशोधन लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के जरिए	पीएंडएल के जरिए	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकद और नकद समतुल्य	29.84	-	-	-	29.84
निर्धारित बैंक शेष	461.02	-	-	-	461.02
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	440.58	47.31	487.89
व्यावसायिक प्राप्य	5.93	-	-	-	5.93
ऋण	74,271.54	-	-	-	74,271.54
निवेश	600.14	26.00	-	-	626.14
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	29.20	-	-	-	29.20
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**75,397.67**	**26.00**	**440.58**	**47.31**	**75,911.56**
वित्तीय देनदारियाँ					
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	2.89	20.31	23.20
व्यावसायिक देय	9.11	-	-	-	9.11
ऋण प्रतिभूतियाँ	28,446.24	-	-	-	28,446.24
ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	33,489.50	-	-	-	33,489.50
अधीनस्थ देयताएँ	2,804.57	-	-	-	2,804.57
अन्य वित्तीय देयताएँ	1,471.84	-	-	-	1,471.84
कुल वित्तीय देयताएँ	**66,221.26**	**-**	**2.89**	**20.31**	**66,244.46**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

II. उचित मूल्य पदानुक्रम

यह खंड वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किये गये निर्णय और अनुमानों की व्याख्या करता है जो

क) उचित मूल्य पर पहचाने और मापे जाते हैं और

ख) परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग की गई निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय लिखतों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर पर एक स्पष्टीकरण हेतु निम्नलिखित तालिका देखें।

ग) कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार ईआईआर पद्धति का प्रयोग करते हुए, कर्मचारियों को रियायती दरों पर दिए गए ऋण और अग्रिम से जुड़े 'आस्थगित कर्मचारी लाभ'को मान्यता दी है और वित्त वर्ष 2025-26 से इनका हिसाब-किताब भविष्य के लिए किया है, हालांकि इसका वित्तीय प्रभाव बहुत कम है।

कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का निर्धारण और प्रकटीकरण करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गये वित्तीय लिखत शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी उपकरण, व्यापारित बंधपत्र और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिनकी कीमत उद्धृत की गयी है। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किये जाने वाले सभी इक्विटी लिखतों (बॉण्ड सहित) का उचित मूल्य रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार समापन मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकित किया जाता है। म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन समापन एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय लिखत जो सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करते हैं (उदाहरण के लिए, व्यापारित बंधपत्र) वे अन्य तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किये जाते हैं, जिसके लिए सभी निविष्टियाँ जो दर्ज किये गये उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य होते हैं।

स्तर 3: वह तकनीक जो ऐसे निविष्टियों का उपयोग करती है जिनका रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों जैसे अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं होते हैं।

क. उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएँ - आवर्ती उचित मूल्य माप- 31.03.2026 को *

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	805.79
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर विनिमय	-	-	78.28
ब्याज दर विनिमय	-	-	4.53
वायदा संविदा	-	-	21.92
बचाव के रूप में नामित नहीं की गयी व्युत्पन्नी	**-**	**-**	
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	86.97
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**997.49**
वित्तीय देयताएँ			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	11.60
विकल्प संविदा	-	-	6.94
बचाव के रूप में नामित नहीं की गयी व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	28.86
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**47.40**

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गयी हैं।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है

(₹ करोड़ में)

31.03.2026 को*	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:			
ऋण	-	-	90,099.24
निवेश**	870.26	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**870.26**	**-**	**90,099.24**
वित्तीय देयताएँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ:			
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	28,421.60
ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	-	-	46,166.69
अधीनस्थ देयताएँ	-	-	3,257.34
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**77,845.63**

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गयी हैं।

** इसमें जी-सेक में किया गया निवेश शामिल है, जिसका मूल्य रिपोर्टिंग की तारीख पर बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ख. उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएँ - आवर्ती उचित मूल्य माप- 31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ : -			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	339.41
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	58.65
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	42.51
बचाव के रूप में नामित नहीं की गयी व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	47.31
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**487.88**
वित्तीय देयताएँ			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	0.98
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	1.91
बचाव के रूप में नामित नहीं की गयी व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	20.31
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**23.20**

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गयी हैं।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3*
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:			
ऋण	-	-	74,167.65
निवेश**	594.96	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**594.96**	**-**	**74,167.65**
वित्तीय देयताएँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ:			
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	28,446.24
ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	-	-	33,489.50
अधीनस्थ देयताएँ	-	-	2,804.57
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**64,740.31**

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गयी हैं।

** इसमें जी-सेक में किया गया निवेश शामिल है, जिसका मूल्य रिपोर्टिंग की तारीख पर बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है।

III. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयोग मूल्यांकन तकनीक

एमटीएम गणना रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया व्युत्पन्नी लिखत हेतु कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अधीन यथा परिभाषित के अनुसार पंजीकृत स्वतंत्र आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किये गये मूल्यांकन पर आधारित है।

महत्वपूर्ण असंप्रेक्षणीय निविष्टियों (स्तर 3) का उपयोग करते हुए उचित मूल्य माप

कर-पूर्व दर जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है

31.03.2026 तथा 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न तालिका स्तर 3 मदों में परिवर्तन प्रस्तुत करती है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
व्युत्पन्नी लेखांकन में व्युत्पन्नी सौदों के तहत लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त लाभ/(हानि)	31.11	13.13
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त लाभ/(हानि)	434.81	165.59
कुल	**465.92**	**178.72**

IV. मूल्यांकन प्रक्रियाएँ

बचाव सौदों के एमटीएम मूल्यांकन हेतु, कंपनी ने कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत यथा परिभाषित के अनुसार एक पंजीकृत स्वतंत्र आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन प्राप्त किया है, जिसने बाजार की स्थिति में उतार-चढ़ाव, विनिमय दर, ब्याज दर आदि में उतार-चढ़ाव पर विचार करने के बाद ऐसा मूल्यांकन प्रदान किया है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

V. परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/वित्तीय देयताएं	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
	लेन-देन मूल्य	उचित मूल्य	लेन-देन मूल्य	उचित मूल्य
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:				
ऋण	90,378.17	90,099.24	74,384.54	74,167.65
निवेश*	883.82	870.26	600.14	594.96
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**91,261.99**	**90,969.50**	**74,984.68**	**74,762.61**
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं :				
ऋण प्रतिभूतियाँ	28,435.57	28,421.60	28,460.74	28,446.24
ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	46,166.69	46,166.69	33,489.50	33,489.50
अधीनस्थ देयताएं	3,260.37	3,257.34	2,807.37	2,804.57
कुल वित्तीय देयताएं	**77,862.63**	**77,845.63**	**64,757.61**	**64,740.31**

* इसमें जी-सेक में किया गया निवेश शामिल है, जिसका मूल्य रिपोर्टिंग की तारीख पर बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है।

व्यावसायिक प्राप्य, व्यावसायिक देय, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

ऋण, ऋण और ऋण प्रतिभूतियों के उचित मूल्य की गणना भारतीय लेखा मानक 109 के तहत दी गई पद्धति के आधार पर की जाती है। अपनी ऋण जोखिम सहित, अदृश्य निविष्टियां (जिनका सीधे तौर पर पता नहीं लगाया जा सकता) के शामिल होने के कारण, इन्हें 'उचित मूल्य पदानुक्रम' में 'स्तर 3 उचित मूल्य' के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।

गैर-वर्तमान ऋण के उचित मूल्य की गणना भारतीय लेखा मानक 109 के तहत दी गई पद्धति के आधार पर की जाती है। अपनी ऋण जोखिम सहित, अदृश्य निविष्टियां (जिनका सीधे तौर पर पता नहीं लगाया जा सकता) के उपयोग होने के कारण, इन्हें 'उचित मूल्य पदानुक्रम' में 'स्तर 3 उचित मूल्य' के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।

29. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी एक सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन कर रही है। कंपनी और केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31 मार्च 2017 को ₹4.95 प्रति यूनिट या केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किये गये हैं। तदनुसार, कंपनी ने केएसईआरसी के साथ विद्युत क्रय समझौते की मंजूरी के लिए याचिका दायर की, जिसने 14 फरवरी 2018 के अपने अंतरिम आदेश में मार्च 2018 तक ₹3.90 प्रति यूनिट के अंतरिम प्रशुल्क को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, केएसईआरसी ने एक प्रशुल्क आदेश पारित किया और ₹3.83 प्रति यूनिट का प्रशुल्क निर्धारित किया। विवरण के लिए वित्तीय विवरणों की नोट 38(30) देखें।

तदनुसार, कंपनी ने ₹3.83 प्रति यूनिट के निर्धारित प्रशुल्क पर केएसईबीएल को बिजली की आपूर्ति करने के लिए सकल राजस्व को मान्यता दी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करना जारी रखा है।

(क) विद्युत उत्पादन

31.03.2026 को समाप्त वर्ष

क्र. सं.	विवरण	उत्पादित यूनिट (एमआईएल.)	बेची गयी यूनिट (एमआईएल.)	दर प्रति यूनिट (₹)	कुल (₹ करोड़ में)
i)	विद्युत उत्पादन	71.84	71.44	3.83	27.36

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को समाप्त वर्ष

क्र. सं.	विवरण	उत्पादित यूनिट (एमआईएल.)	बेची गयी यूनिट (एमआईएल.)	दर प्रति यूनिट (₹)	कुल (₹ करोड़ में)
i)	विद्युत उत्पादन	70.96	70.54	3.83	27.02

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
बिक्री में शामिल बिल रहित राजस्व की राशि (निवल)	2.88	2.89

(ख) अनुबंधित मूल्य और पी एंड एल में मान्यता प्राप्त राजस्व का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
अनुबंध मूल्य	27.36	27.02
समायोजन :		
-व्यावसायिक छूट	0.55	0.54
-धन वापसी	-	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व	**26.81**	**26.48**

(ग) राजस्व का विभाजन

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विभाजन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
1	**राजस्व**		
	परिचालन से निवल राजस्व (छूट निवल, जहाँ प्रयोज्य हो)	26.81	26.48
	परामर्श	-	-
2	**प्राथमिक भौगोलिक बाजार**		
	घरेलू राजस्व	26.81	26.48
	अंतरराष्ट्रीय राजस्व	-	-
	कुल राजस्व	**26.81**	**26.48**
3	**राजस्व मान्यता समय**		
	किसी समय पर	-	-
	समयोपरि	26.81	26.48
	कुल राजस्व	**26.81**	**26.48**

नोट : केएसईबीएल बिजली की बिक्री के लिए एकमात्र ग्राहक है। तत्काल भुगतान शर्तों के साथ मासिक आधार पर चालान जारी किया जाता है।

(घ) व्यावसायिक प्राप्य और संविदागत शेष

निम्न तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्तियों और संविदागत देयताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
व्यावसायिक प्राप्य (निवल) (सौर संयंत्र)	2.88	2.89

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

30. सौर ऊर्जा परियोजना

कंपनी ने केरल राज्य के कासरगोड जिले के अंबालाथारा सोलर पार्क में स्थित कंपनी की 50 मेगावाट की सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2014-15 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पूरी तरह से चालू किया गया, जिसे जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड ने ईपीसी ठेकेदार के रूप में निष्पादित किया। इसे बही में पूंजीकृत किया गया है और वर्तमान पूंजीकृत लागत ₹319.36 करोड़ है, जिसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत दिखाया गया है। वित्तीय विवरणों की नोट 12 देखें।

कंपनी और केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31 मार्च 2017 को ₹4.95/केडब्ल्यूएच या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर पीपीए पर हस्ताक्षर किये गये थे। तदनुसार, कंपनी ने केएसईआरसी के साथ बिजली खरीद समझौते की मंजूरी के लिए याचिका दायर की, जिसने 14 फरवरी, 2018 के अपने अंतरिम आदेश में ₹3.90 प्रति यूनिट के अंतरिम प्रशुल्क को मंजूरी दी थी। इसके अतिरिक्त, केएसईआरसी ने 06 फरवरी, 2019 के अपने आदेश में ₹3.83 प्रति यूनिट की दर से लेवलाइज्ड प्रशुल्क को मंजूरी दी थी। इसने आगे निम्नलिखित आदेश भी दिये हैं:

- केएसईबी लिमिटेड इस आदेश में विनिर्दिष्ट इक्विटी की राशि तक सीमित, इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) पर भुगतान किये गये किसी भी कर की प्रतिपूर्ति करेगा। कर का दावा करने के लिए, डेवलपर केएसईबी लिमिटेड को ऐसे कर के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- केएसईबी लिमिटेड, कंपनी/आरपीसीकेएल द्वारा भुगतान की गयी भूमि पट्टे की राशि, उपर्युक्त के अतिरिक्त आर्थिक सब्सिडी, यदि कोई हो, के रूप में प्राप्त राशि को घटाकर प्रतिपूर्ति करेगा।

उक्त आदेश को माननीय एपीटीईएल के समक्ष 27 अगस्त, 2019 को अपील दायर करके चुनौती दी गयी थी ताकि कंपनी द्वारा किये गये व्यय के लिए कुछ लागतों की अनुमति दी जा सके और टैरिफ निर्धारित करने के लिए आरपीसीकेएल को भुगतान किया जा सके। उक्त अपील के खारिज होने पर, कंपनी ने 05 अप्रैल, 2022 को अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के साथ एक समीक्षा याचिका दायर की। उक्त समीक्षा याचिका को 10 नवम्बर 2025 को रद्द कर दिया गया।

कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष समीक्षा याचिका के लंबित रहने के दौरान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 4634 का 2022 भी दायर की, ताकि अपील को माननीय न्यायालय के समक्ष समय-सीमा द्वारा वर्जित होने से बचाया जा सके। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जुलाई, 2022 के आदेश के माध्यम से कंपनी को समीक्षा याचिका के निपटारे के समय सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी थी। समीक्षा याचिका खारिज होने के मद्देनजर, हमने दूसरी अपील संख्या 4634 का 2022 में संशोधन किया है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। इसके बावजूद, उत्पादन आय का हिसाब ₹ 3.83 प्रति यूनिट की दर से लगाया जा रहा है।

सौर परियोजना लीज़होल्ड भूमि पर स्थापित की गई है, जिसके लिए 07 अक्टूबर 2020 से 06 अक्टूबर 2043 तक (06 अक्टूबर 2020 तक छूट) रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ केरल लिमिटेड (आरपीसीकेएल) को पट्टा शुल्क देय है। केएसईआरसी के 06 फ़रवरी 2019 के टैरिफ आदेश के अनुसार, आरपीसीकेएल को भुगतान किए गए ऐसे भूमि पट्टा शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कंपनी पात्र है।

हालाँकि, ₹0.39 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित) के भूमि पट्टा शुल्क का वार्षिक भुगतान और उसकी वसूली का निपटान किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर किसी भी संगत राशि को परिसंपत्ति/देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है। इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) के लिए अन्य वसूलियाँ, अनिश्चित होने के कारण, मामले के अंतिम समाधान पर शामिल की जाएँगी।

31. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-116 "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

क) भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के रूप में पट्टा लेखा का विवरण

कंपनी के पास दिल्ली और मुंबई में कार्यालय स्थानों, दिल्ली में आवासीय जगह और केरल में सोलर पार्क भूमि के लिए विभिन्न पट्टे समझौते हैं। प्रत्येक समझौते की अवधि और किराये का भुगतान अलग-अलग है। कंपनी ने इंड एएस 116 के तहत माप सिद्धांतों को उन पट्टों के लिए लागू किया है जिन पर कंपनी की लेखा नीति के अनुरूप अल्पकालिक पट्टे के तहत छूट उपलब्ध नहीं है।

ख) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता विश्लेषण - संविदात्मक छूट रहित नकद प्रवाह	31.03.2026 को	31.03.2025 को
एक वर्ष से कम	0.73	0.53
एक वर्ष से पांच वर्ष तक	3.32	1.95
पांच वर्ष से अधिक	4.68	5.07

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

परिपक्वता विश्लेषण - संविदात्मक छूट रहित नकद प्रवाह	31.03.2026 को	31.03.2025 को
कुल छूट रहित पट्टा देयताएं	**8.73**	**7.55**
वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल पट्टा देयताएं	**4.84**	**3.69**
चालू	0.61	0.53
गैर- चालू	4.23	3.16

ग) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
पट्टा देयताओं पर ब्याज	0.38	0.34
पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किये गये परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	-	-
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के उप-पट्टे से आय	-	-
पट्टा देनदारियों की अ-मान्यता	-	-
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की अ-मान्यता	-	-
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर संचित मूल्यह्रास की अ-मान्यता	-	-
अल्पकालिक पट्टे से संबंधित व्यय	0.14	0.11
अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास शुल्क*	6.40	6.48

*पट्टा आरंभ की अवधि विवाद में है; एनबीसीसी बिल्डिंग एवं आवासीय फ्लैट पर मूल्यह्रास उपयोग में लाये जाने की तिथि अर्थात 23 जून, 2023 से लगाया गया है। किसी भी परिवर्तन को भविष्यलक्षी प्रभाव के रूप से निपटाया जाएगा।

घ) नकद प्रवाह विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
31.03.2026 को समाप्त वर्ष	0.31
31.03.2025 को समाप्त वर्ष	0.29

ङ) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	167.78	167.78
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि	1.48	-
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का विलोपन/अ-मान्यता	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**169.26**	**167.78**
अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार वर्ष के अंत में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की वहन राशि।	138.49	143.40

च) अन्य प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक पट्टे से सम्बंधित व्यय	0.14	0.11

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

32. कंपनी के नाम पर नहीं रखी गयी अचल परिसंपत्तियों के स्वत्व विलेख का विवरण निम्नानुसार है: -

31.03.2026 को

तुलन पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	कार्यालय परिसर -आईएचसी	1.72	आईएचसी द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर अधिकृत किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993	भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आईएचसी और आवंटी संस्थानों के बीच] द्वारा त्रिपक्षीय हस्तांतरण उप-पट्टा विलेख/समझौते का निष्पादन इरेडा सहित आईएचसी में सभी आवंटी संस्थानों के संबंध में लंबित है। आईएचसी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए एल एंड डीओ के साथ संपर्क में है। पट्टा विलेख के मसौदे को एल एंड डीओ द्वारा मंजूरी दे दी गयी है। आईएचसी ने 24.03.23 को सूचित किया है कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और अदालत ने उसी आशय का आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त, आईएचसी और एसडीएमसी दोनों पक्षों द्वारा 11.04.23 के आदेश के तहत दो अन्य याचिकाएं भी वापस ले ली गयीं। कंपनी त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए आईएचसी के साथ नियमित रूप से संवाद कर रही है। आईएचसी ने 31.12.2024 को ईमेल के ज़रिए सूचित किया है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंतिम संचार 30.03.2026 को प्रेषित किया।
	कार्यालय परिसर -एकेबी	21.10	हडको द्वारा सतत पट्टा विलेख के आधार पर अधिकृत किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006	संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण का काम हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचयूडीसीओ) के साथ चल रहा है। नवीनतम संचार 24.03.2026 को प्रेषित किया।
	कार्यालय परिसर -एनबीसीसी किदवई नगर	132.92	आवंटन पत्र के आधार पर अधिकृत किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गयी थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए अधिकृत की तारीख और पट्टे की शुरुआती तिथि के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। नवीनतम संचार 25.03.2026 को प्रेषित किया था।
	आवासीय फ्लैट -एनबीसीसी किदवई नगर	6.61	आवंटन पत्र के आधार पर अधिकृत किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गयी थी।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

तुलन पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
						निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए अधिकृत की तारीख और पट्टे की शुरुआत की तारीख के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। फ्लैट एमओएचयूए के साथ घरों के इंटर-पूल एक्सचेंज में पड़ा हुआ है और इसे कंपनी के कब्ज़े में वापस लेने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नवीनतम संचार 25.03.2026 को प्रेषित किया था।
निवेश संपत्ति	आवासीय फ्लैट	0.09	एचपीएल द्वारा बिक्री हेतु समझौता	नहीं	23.06.1994	संपत्ति का हस्तांतरण हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एल एंड डीओ के साथ किया जा रहा है, उसके बाद विलेख का निष्पादन होगा। नवीनतम संचार 24.03.2026 को प्रेषित किया था।

31.03.2025 को

तुलन पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	कार्यालय परिसर -आईएचसी	1.72	आईएचसी द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर अधिकृत किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993	भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आईएचसी और आवंटी संस्थानों के बीच] द्वारा त्रिपक्षीय उप-पट्टा विलेख/समझौते का निष्पादन इरेडा सहित आईएचसी में सभी आवंटी संस्थानों के संबंध में लंबित है। आईएचसी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए एल एंड डीओ के साथ संपर्क में है। पट्टा विलेख के मसौदे को एल एंड डीओ द्वारा मंजूरी दे दी गयी है। आईएचसी ने 24.03.23 को सूचित किया है कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और अदालत ने उसी आशय का आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त, आईएचसी और एसडीएमसी दोनों पक्षों द्वारा 11.04.23 के आदेश के तहत दो अन्य याचिकाएं भी वापस ले ली गयीं। कंपनी त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए आईएचसी के साथ नियमित रूप से संवाद कर रही है। आईएचसी ने 31.12.2024 को ईमेल के ज़रिए सूचित किया है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंतिम संचार 21.03.2025 को प्रेषित किया।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

तुलन पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
	कार्यालय परिसर-एकेबी	21.10	हडको द्वारा जारी स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर प्रेषित किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006	संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण का काम हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचयूडीसीओ) के साथ चल रहा है। नवीनतम संचार 21.03.2025 को प्रेषित किया।
	कार्यालय परिसर-एनबीसीसी किदवई नगर	132.92	आवंटन पत्र के आधार पर प्रेषित किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गयी थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए अधिकृत की तारीख और पट्टे की शुरुआती तिथि के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। नवीनतम संचार 21.03.2025 को प्रेषित किया था।
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	आवासीय फ्लैट -एनबीसीसी किदवई नगर	6.61	आवंटन पत्र के आधार पर प्रेषित किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गयी थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए अधिकृत की तारीख और पट्टे की शुरुआत की तारीख के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। फ्लैट एमओएचयूए के साथ घरों के इंटर-पूल एक्सचेंज में पड़ा हुआ है और इसे कंपनी के कब्ज़े में वापस लेने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नवीनतम संचार 06.03.2025 को प्रेषित किया था।
निवेश संपत्ति	आवासीय फ्लैट	0.09	एचपीएल द्वारा विक्रय हेतु समझौता	नहीं	23.06.1994	संपत्ति का हस्तांतरण हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एल एंड डीओ के साथ किया जा रहा है, उसके बाद विलेख का निष्पादन होगा। नवीनतम संचार 24.03.2025 को प्रेषित किया था।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

33. संपत्ति कर का विवरण

सभी आवासीय और कार्यालय परिसरों के संबंध में 31 मार्च, 2026 तक की संपत्ति कर मांग का भुगतान कर दिया गया है।

एनबीसीसी किदवई नगर में कार्यालय स्थल और आवासीय फ्लैटों के संबंध में संपत्ति कर की मांग नहीं की गई है। हालांकि, कंपनी के पास उपलब्ध सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर वित्तीय विवरणों में ₹5.70 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

34. बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन चालू और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

35. हाल ही में लेखांकन घोषणाएँ/मानक/संशोधन जारी की गयी, लेकिन प्रभावी नहीं हैं।

क. निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 13 अगस्त 2025 की अधिसूचना के ज़रिए 'कंपनी (भारतीय लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2025' जारी किया है। भारतीय लेखा मानक1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' (देनदारियों का चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकरण और शर्तों वाली गैर-चालू देनदारियां) और इसके परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक 10, 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' में किए गए बदलाव, 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू होंगे; इसलिए, ये 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए प्रभावी नहीं हैं। ये संशोधन देनदारियों को चालू या गैर-चालू के तौर पर वर्गीकृत करने की ज़रूरतों को स्पष्ट करते हैं, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ शर्तों का उल्लंघन, अनुग्रह अवधि और रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं का सम्बद्ध आकलन शामिल हो।

कंपनी इन संशोधनों का अपने वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। शुरुआती आकलन के आधार पर, इन संशोधनों का वित्तीय विवरणों में देनदारियों की पहचान और माप पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ –पंजीकरण, छूट और स्केल-आधारित विनियम हेतु ढांचा) निर्देश, 2025' में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें 'उच्च स्तरीय एनबीएफसी की पहचान करने के मौजूदा तरीक़े को बदलने और सरकारी एनबीएफसी को उच्च स्तरीय (एनबीएफसी-यूएल) ढांचा में शामिल करने का प्रस्ताव है।

ऊपर बताए गए बदलाव फ़िलहाल मसौदा के रूप में हैं और हितधारकों की प्रतिक्रिया और आरबीआई की अंतिम अधिसूचना के आधार पर इनमें बदलाव हो सकता है। आरबीआई द्वारा अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाने पर, यदि आवश्यक हुआ, तो ज़रूरी मूल्यांकन किया जाएगा।

36. कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों की शर्तों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया। कंपनी ने इन व्यवस्थाओं के तहत लागू सभी शर्तों का पालन किया है।कंपनी को अगले बारह महीनों में अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में किसी कठिनाई की उम्मीद नहीं है। कंपनी नियमित रूप से सभी संबंधित शर्तों पर नज़र रखती है और अपनी दीर्घकालिक देनदारियों की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय मानक बनाए रखती है।

37. कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं है, जिसके लिए कंपनी का बकाया है, जो 31.03.2026 को 45 दिनों से अधिक समय से बकाया है (पिछले वर्ष: ₹ शून्य करोड़)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली यथा अपेक्षित जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गयी है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
1	समाप्त वर्ष को भुगतान न की गयी शेष मूलधन राशि	1.12	1.06
2	समाप्त वर्ष को उस पर देय ब्याज का भुगतान अप्रदत्त है	-	-
3	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान की राशि।	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
4	भुगतान करने में देरी के वर्ष हेतु देय और भुगतान योग्य ब्याज, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
5	समाप्त वर्ष को अर्जित और शेष अप्रदत्त ब्याज	-	-
6	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, आगामी वर्ष में भी बकाया और देय ब्याज, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-

38. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन करना आवश्यक है और कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गयी कंपनी के तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% खर्च करना है। कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार 22 जनवरी 2021 से अधिसूचित, किसी भी चालू परियोजना के लिए कोई भी अव्ययित राशि वित्त वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर किसी भी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, जिसका उपयोग उक्त हस्तांतरण की तिथि से तीन वित्त वर्षों की अवधि के भीतर किया जाएगा। किसी भी चालू परियोजना के अतिरिक्त, कोई भी अव्ययित सीएसआर राशि वित्त वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी क़ानून के तहत आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, तो अतिरिक्त राशि को आगे बढ़ाया जा सकता है और व्यय की जाने वाली राशि के प्रति तीन आगामी वित्त वर्षों में कटौती की जाएगी।

क. 31.03.2026 तक, कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली सकल राशि का विवरण निम्नानुसार है:

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, सीएसआर परियोजनाओं हेतु कुल ₹33.50 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹24.78 करोड़) की राशि मंज़ूर की गई थी। मंज़ूर की गई निधि में से, ₹32.60 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹24.36 करोड़) की राशि वित्त वर्ष 2025-26 की परियोजनाओं से संबंधित है, जिसका विवरण नीचे (ग) में दिया गया है।

सीएसआर खर्चों का विवरण: -

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
1	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि	32.60	24.36
2	वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि [(ग) देखें]	32.60	24.36
3	वर्ष के अंत में कमी / (अधिक) (1-2)	-	-
4	पिछले वर्षों से अग्रेनीत (अधिक) सीएसआर खर्च	-	-
5	चालू वर्ष में पहले खर्च की गयी अतिरिक्त राशि का समायोजन	-	-
6	वर्ष के अंत में अग्रेनीत कुल कमी / (अधिक) खर्च	-	-

ख. वित्त वर्ष 2025-26 हेतु, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार औसत एकल लाभ (कर पूर्व) के 2% के आधार पर ₹32.60 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25 में ₹24.36 करोड़) का सीएसआर बजट मंज़ूर किया था। एक वर्ष में मंज़ूर की गई परियोजनाओं को बाद के सालों में पूरा किया जा सकता है; इसके लिए भुगतान परियोजना के पूरा होने के विभिन्न चरणों में निर्धारित किए गए महत्वपूर्ण पड़ावों से जुड़ा होता है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

ग. वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गयी राशि: -

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष			31.03.2025 को समाप्त वर्ष		
		भुगतान या निपटाया गया	भुगतान अभी किया जाना है	कुल	भुगतान या निपटाया गया	भुगतान अभी किया जाना है	कुल
(i)	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण; अनुसंधान और विकास से संबंधित सीएसआर गतिविधियों पर	6.48	26.09	32.57	2.31	22.03	24.34
(iii)	उपर्युक्त (ii) के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों पर - प्रशासनिक व्यय	0.03	-	0.03	0.02	-	0.02
	कुल	**6.51**	**26.09**	**32.60**	**2.33**	**22.03**	**24.36**

घ. चालू वर्ष या पिछले वर्ष में सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया गया।

ङ. व्यय की गयी और अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: -

31.03.2026 को समाप्त वर्ष

अव्ययित राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	अनुसूची- VII के निर्दिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा की गयी राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	अंतिम शेष
-	-	32.60	6.51	26.09

व्यय की गयी अतिरिक्त राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	वर्तमान वर्ष में कमी के तहत समायोजित राशि	अंतिम शेष
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

चालू परियोजनाओं हेतु:

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष से संबंधित	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि		अंतिम शेष		चालू परियोजनाओं का विवरण
	कंपनी के साथ	सीएसआर अव्ययित खाते से अलग		कंपनी के बैंक खाते से	सीएसआर अव्ययित खाते से अलग	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	
25-26	-	-	32.60	6.51	-	26.09*	-	स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल, शिक्षा, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, पीएमआईएस, पीएम-केयर्स से संबंधित परियोजनाएँ

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

वित्त वर्ष से संबंधित	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि		अंतिम शेष		चालू परियोजनाओं का विवरण
	कंपनी के साथ	सीएसआर अव्ययित खाते से अलग		कंपनी के बैंक खाते से	सीएसआर अव्ययित खाते से अलग	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	
24-25	-	22.03	-	-	6.13	-	15.90	स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल, शिक्षा एवं पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, पीएमआईएस, पीएम-केयर्स से संबंधित परियोजनाएँ
23-24	-	6.14	-	-	3.76	-	2.38	स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पीएम-केयर्स से संबंधित परियोजनाएँ
22-23	-	1.22	-	-	0.90	-	0.32#	स्वास्थ्य देखभाल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देने तथा रोज़गार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल, पीएम-केयर्स से संबंधित परियोजनाएँ
कुल	**-**	**29.39**	**32.60**	**6.51**	**10.79**	**26.09**	**18.60**	

*वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹26.09 करोड़ की खर्च न की गई राशि को 29 अप्रैल 2026 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 'अव्ययित सीएसआर खाते' में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पूरी हो चुकी परियोजनाओं की बिना खर्च हुई ₹0.01 करोड़ की राशि 30 अप्रैल 2026 को पीएम केयर्स कोष में स्थानांतरित कर दी गई है।

#30 अप्रैल 2026 को अनुसूची VII के तहत बताए गए पीएम केयर्स कोष में राशि स्थानांतरित कर दी गई है।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष

अव्ययित राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	अनुसूची- VII के निर्दिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा की गयी राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	अंतिम शेष
-	-	24.36	2.33	22.03

व्यय की गयी अतिरिक्त राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	वर्तमान वर्ष में कमी के तहत समायोजित राशि	अंतिम शेष
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

चालू परियोजनाओं हेतु:

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष से संबंधित	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि		अंतिम शेष		चालू परियोजनाओं का विवरण
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	
24-25	-	-	24.13	2.10	-	22.03*	-	स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल, शिक्षा और पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित परियोजनाएँ
23-24	-	11.13	-	-	4.99	-	6.14	स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित परियोजनाएँ
22-23	-	1.64	-	-	0.42	-	1.22	स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित परियोजनाएँ
कुल	**-**	**12.77**	**24.13**	**2.10**	**5.41**	**22.03**	**7.36**	

* वित्त वर्ष 2024-25 हेतु ₹22.03 करोड़ की अव्ययित राशि को 29 अप्रैल 2025 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'अव्ययित सीएसआर खाते' में स्थानांतरित कर दिया गया है।

39. लेखा परीक्षक को पारिश्रमिक*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष*	31.03.2025 को समाप्त वर्ष*
लेखा परीक्षक		
सीमित समीक्षा	-	0.03
सांविधिक लेखा-परीक्षा	0.24	0.16
कर लेखा परीक्षा	0.05	0.05
अंतरिम खातों के लिए लेखा-परीक्षा शुल्क	0.46	0.24
अन्य सेवाएँ		
प्रमाणन शुल्क	0.02	0.02
आईपीओ से संबंधित**	0.20	-
कुल*	**0.97**	**0.50**

*जीएसटी छोड़कर

**शेयर जारी करने के व्यय के अंग स्वरूप और प्रतिभूति प्रीमियम से समायोजित। वित्तीय विवरणों की नोट 26 देखें।

वित्तीय विवरणों की नोट 37 भी देखें।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

40. ऐसे ऋण खातों के बारे में जानकारी जिनका भुगतान 90 दिनों से ज़्यादा समय से बकाया है, लेकिन जिन्हें 'ऋण क्षति' नहीं माना गया है।

दो ऋणकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश और दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालयों से अंतरिम आदेश प्राप्त किए हैं, ताकि उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। इसके अनुसार, ऐसे ऋणकर्ताओं के बकाया ऋण को 'स्तर III परिसंपत्ति' के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही बकाया राशि 90 दिनों से ज़्यादा पुरानी हो। हालांकि, कंपनी ने परियोजनाओं के वित्तीय और परिचालनगत मानदंड को ध्यान में रखते हुए, 'अपेक्षित ऋण हानि' (ईसीएल) के अनुसार लेखा बहियों में पर्याप्त प्रावधान किया है। भले ही इन खातों को एनपीए घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इनसे होने वाली आय को नकद या प्राप्ति के आधार पर दर्ज किया जाता है (यानी, जो ब्याज बकाया है लेकिन मिला नहीं है, उसे उलट दिया जाता है और ब्याज आय के तौर पर नहीं गिना जाता है)। कंपनी ने ऋण लेने वाली कंपनी मेसर्स बैतरणी पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ लगी रोक को हटाने के लिए 2 जनवरी 2026 को पहले ही आवेदन दाखिल कर दिया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 15.09.2026 है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण लेने वाली कंपनी मैसर्स जेडआर रिन्यूवेबल्स के मामले में आगे की गतिविधियों की समीक्षा कर रही है, क्योंकि ऋण लेने वाली कंपनी ने मार्च 26 के दौरान कुछ रकम जमा की है।

इन खातों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों/स्तर की संख्या	बकाया राशि	अतिदेय राशि	ईसीएल राशि
31.03.2026 को	2/स्तर II	394.00	89.46	223.41
31.03.2025 को	8/स्तर II	1,202.21	889.72	631.13

ऋण लेने वालों के समूह में से एक, जिसे वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में एनपीए के तौर पर वर्गीकृत किया गया था, ने 2 जुलाई 2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए गए आदेश को हटाए जाने के बाद गैर-निधि आधारित सुविधा का बकाया चुका दिया है। साथ ही, उन्होंने दो खातों के लिए एक व्यापक समाधान योजना भी जमा किया है, जिनमें कुल ₹257.00 करोड़ का मूल बकाया है। इस योजना में निर्धारित शर्तों के अनुसार मूलधन और साधारण ब्याज का भुगतान करने का प्रस्ताव है, जिसे इरेडा ने स्वीकार कर लिया है। इसके एवज में, एक खाते में 6 मार्च 2026 को ₹143.10 करोड़ की राशि प्राप्त हुई और उसका हिसाब-किताब दर्ज किया गया; इसके अनुसार, 31.03.2026 को वह खाता बंद हो गया।

एक अन्य मामले में, ऋणकर्ता ने बताया कि उन्हें उम्मीद के अनुरूप निधि मिलने में देरी हुई है, जिसके कारण वे मूल ओटीएस के तहत निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं कर पाए हैं और इसलिए उन्होंने समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस पर विचार किया गया और निदेशक मंडल की 25.03.2026 को हुई बैठक में मिली मंज़ूरी के आधार पर, ओटीएस मंज़ूरी की वैधता को 30.06.2026 तक बढ़ा दिया गया है। समूह के बाकी चार खाते, जिन पर ₹519.80 करोड़ बकाया हैं, उनके पुनर्गठन योजना की जांच की जा रही है। ईसीएल पद्धति के अनुसार इन खातों के लिए प्रावधान पहले ही खातों की बही में कर दिए गए हैं।

41. एकमुश्त निपटान (ओटीएस), बट्टे खाते डाला गया (ऋण परिसंपत्तियाँ)।

31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, दो ओटीएस स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक खाता पूरी तरह से निपटाया गया है। कुल ₹143.10 करोड़ की राशि वसूल की गई है, जिसमें निर्धारित किए गए ओटीएस के तहत ₹100.00 करोड़ की बकाया मूल राशि शामिल है। इससे ₹43.10 करोड़ की आय हुई है और ₹60.50 करोड़ के हानि भत्ते का प्रतिलेखन हुआ।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, एक ओटीएस स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक खाता पूरी तरह से निपटाया गया है। उक्त निपटाये गये ओटीएस के प्रति कुल ₹176.49 करोड़ की राशि वसूल की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप ₹85.56 करोड़ की आय हुई और ₹54.13 करोड़ के हानि भत्ते का प्रतिलेखन हुआ।

42. कंपनी द्वारा प्रबंधित एमएनआरई / यूएनडीपी / यूएनआईडीओ / अन्य योजनाओं की धनराशि

कंपनी अपनी गतिविधियों के अतिरिक्त उक्त मंत्रालय के साथ किये गये समझौता ज्ञापन के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम को क्रियान्वित करती है। प्रत्येक समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, एमएनआरई ने कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कंपनी के साथ प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में एक सहमत राशि रखी है। एमएनआरई निधियों पर ब्याज जब और जैसे प्राप्त होता है उसका लेखा-जोखा किया जाता है। चूंकि एमएनआरई कार्यक्रम ऋणों द्वारा उत्पन्न आय कंपनी की आय नहीं है और ऋण परिसंपत्तियां भी एमएनआरई से सम्बंधित हैं, इसलिए उन्हें परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान उद्देश्यों के लिए नहीं माना जाता है। संबंधित कार्यक्रम के समापन पर, कंपनी को एमएनआरई के ऋण की शेष राशि (उस पर अर्जित ब्याज सहित),

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

सेवा शुल्क, अपरिवर्तनीय चूक और एमओयू में निर्धारित अन्य बकाया राशि की कटौती करने के बाद एमएनआरई को हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है।

क) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) / पूंजीगत आर्थिक सब्सिडी योजना आदि : कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की ओर से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और योजना के तहत पंजीकृत पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजीगत आर्थिक सब्सिडी के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रशासक है। इन योजनाओं के तहत, एमएनआरई द्वारा कंपनी को जीबीआई दावेदारों यानी परियोजना डेवलपर्स/डिस्कॉम को योजना के अनुसार ऊर्जा उत्पादन के लिए उसी के वितरण के उद्देश्य से निधि प्रदान की जाती है। इसलिए, अनिवार्य रूप से, गतिविधि निधियों की प्राप्ति और उपयोग है। एमएनआरई द्वारा जीबीआई निधि जारी करने के लिए, कंपनी को एमएनआरई द्वारा जारी निधि की पिछली क़िस्त के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय के लेखा परीक्षित विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त आवश्यकता का कंपनी द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है तथा एमएनआरई द्वारा अब तक इसके अतिरिक्त कुछ भी अपेक्षित नहीं किया गया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने योजना के खातों की लेखा परीक्षा नहीं की है।

वर्ष के अंत में उपर्युक्त के कारण एमएनआरई को देय राशि, बचत बैंक/अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग-अलग बैंक खातों में रखी गई अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज, जो कंपनी के वित्तीय विवरणों का हिस्सा नहीं हैं।

(ख) जीईएफ-एमएनआरई-संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) परियोजना : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और यूएनआईडीओ ने संयुक्त रूप से अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण के लिए बायोगैस/बायो-मीथेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, नवाचारों को लक्षित करने और औद्योगिक जैविक कचरे से टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन पर जीईएफ-5 वित्त पोषित परियोजना को लागू किया है। उक्त परियोजना के अधीन यूएनआईडीओ परियोजना डेवलपर्स के लिए ब्याज दर में 5% का आर्थिक सब्सिडी देने के लिए धन उपलब्ध कराएगा और कंपनी एक फंड हैंडलर है। वित्त वर्ष 2021-22 में 340000 अमेरिकी डॉलर की पहली क़िस्त हेतु कंपनी को ₹2.55 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, यूएनआईडीओ के प्रति शून्य दावा (पिछले वर्ष : शून्य) किया गया है।

इस प्रकार प्राप्त धनराशि को बचत बैंक/अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग-अलग बैंक खाते में रखा गया है, जो कंपनी के वित्तीय विवरणों का अंश नहीं है।

ग) अन्य एमएनआरई योजनाएँ जहाँ इरेडा, एमएनआरई की ओर से निधि प्रबंधन एजेंसी है: एमएनआरई की वे योजनाएँ जिनमें इरेडा, एमएनआरई की ओर से कोष संभालने वाली एजेंसी है, जैसे कि ग्रिड से जुड़े हाइड्रो पावर एमएनआरई स्कीम, ऑफ-ग्रिड हाइड्रो पावर एमएनआरई स्कीम, सूचना और जन-जागरूकता योजना, बायो पावर (ऑफ-ग्रिड) एमएनआरई स्कीम, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण (I) और (II), सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम-एमएनआरई (एसडब्ल्यूएचएस) को लागू करना, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड, एमएनआरई को-जेन स्पेसिफिक ग्रांट, डीआईआरईसी -2010, इंडो-यूएस पेससेटर फंड, यूएसआईसीईएफ आदि। इस तरह से मिले कोष को अलग-अलग बैंक खातों में बचत बैंक / अल्पकालिक जमा वगैरह के तौर पर रखा गया है, जो कंपनी के वित्तीय विवरणों का अंश नहीं है।

एमएनआरई योजनाओं से संबंधित निम्नलिखित परिसंपत्तियां और देनदारियां कंपनी के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट संख्या	31.03.2026 को	31.03.2025 को
परिसंपत्तियां			
नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक में शेष राशि (चालू, बचत और जमा खातों में रखी गई रकम)	12	64.43	61.08
कुल		**64.43**	**61.08**
देनदारियां			
अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां	11	64.43	61.01
कुल		**64.43**	**61.01**

वित्तीय विवरणों की नोट 3 को भी देखें।

43. एमएनआरई भारत सरकार पूर्ण सेवित बंधपत्र

आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 के का.ज्ञा. संख्या एफ.15 (4)-बी (सीडीएन)/2015 के अनुसार, कंपनी को ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा, ऑफ-ग्रिड/वितरित व विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा तथा

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

निगमों व स्वायत्त निकायों में निवेश से संबंधित एमएनआरई योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु आय का उपयोग करने के लिए भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स के माध्यम से ₹4,000 करोड़ की राशि की उगाही के लिए कहा गया था। एमएनआरई और कंपनी के बीच 25 जनवरी, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसमें दोनों की भूमिका और उत्तरदायीयिों को परिभाषित किया गया है। समझौता ज्ञापन की पृष्ठ संख्या 5 पर सामान्य खंडों की कंडिका संख्या। में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि एमएनआरई बॉण्ड्स के ऋण को कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय गणना के लिए परिसंपत्ति/देयता के रूप में नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि एमएनआरई बॉण्ड्स के माध्यम से जुटायी गयी राशि ऋण के साथ-साथ परिसंपत्तियों में भी दिखायी देगी, हालांकि, कंपनी के ऋण/परिसंपत्तियों या आय/व्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान एमएनआरई की ओर से ₹1,640 करोड़ के भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स जुटाए। इसके विरुद्ध विभिन्न योजनाओं/योजनाओं के लिए एमएनआरई के निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2026 तक ₹1,638.79 करोड़ की राशि संवितरित की गयी है (पिछले वर्ष: ₹1,638.79 करोड़)। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने एमएनआरई को ₹ 1.21 करोड़ की बची हुई रकम और उस पर बने ₹13.71 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया; यह रकम पहले एमआईबीओआर से जुड़े जमा खाते में रखी गई थी।

इस रकम को एमआईबीओआर से जुड़ी जमा राशि में रखा गया था, जिस पर 31 मार्च 2026 तक ₹ 0.01 करोड़ का ब्याज जमा हुआ (पिछले वर्ष : ₹ 13.12 करोड़)। 31 मार्च, 2026 तक शेष संचयी राशि (उपार्जित/अर्जित ब्याज सहित) ₹ 0.82 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹14.31 करोड़) है, जिसे एमआईबीओआर से जुड़े सावधि जमा में रखा गया है और 31 मार्च, 2026 तक चालू खाते में शेष राशि ₹0.03 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹0.03 करोड़) रखी गई है।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, ₹124.35 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹124.35 करोड़) के भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड पर ब्याज निवेशकों को भुगतान हेतु देय हो गया। इस प्रकार उगाहे गये बॉण्डों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बंधपत्र श्रृंखला	31.03.2026 को	31.03.2025 को
1	7.22% भारत सरकार पूर्ण सेवित बंधपत्र (श्रृंखला I - मोचन की तिथि - 06 फरवरी, 2027)	610.00	610.00
2	7.60% भारत सरकार पूर्ण सेवित बंधपत्र (श्रृंखला Iक़ - मोचन की तिथि - 23 फरवरी, 2027)	220.00	220.00
3	7.85% भारत सरकार पूर्ण सेवित बंधपत्र (श्रृंखला Iख - मोचन की तिथि - 06 मार्च, 2027)	810.00	810.00
	कुल	**1,640.00**	**1,640.00**

एमएनआरई भारत सरकार पूर्ण सेवित बंधपत्र से जुड़ी निम्नलिखित परिसंपत्तियां और देनदारियां समूह के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि इनकी सेवा एमएनआरई द्वारा की जाती है:

बंधपत्र श्रृंखला	नोट संख्या	31.03.2026 को	31.03.2025 को
परिसंपत्तियां			
अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां *(भारत सरकार पूर्ण सेवित बंधपत्र के संबंध में एमएनआरई से मिलने वाली राशि)*	11	1,640.00	1,638.79
नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक में शेष राशि *(चालू, बचत और जमा खाते में रखी गई राशि)*	12	0.04	14.33
कुल		**1,640.04**	**1,653.12**
देनदारियां			
अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां *(भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स के संबंध में बॉण्डधारकों को भुगतान की जाने वाली राशि)*	11	1,640.00	1,640.00
अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां *(एमआईबीओआर जमा पर ब्याज के संबंध में एमएनआरई को भुगतान की जाने वाली राशि)*	12	0.04	13.12
कुल		**1,640.04**	**1,653.12**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

44. एमएनआरई से प्राप्त आर्थिक सब्सिडी/ प्रोत्साहन तथा उनकी ओर से प्रबंधित

क. ब्याज आर्थिक सब्सिडी

सरकारी नीति के अनुसार, एमएनआरई ब्याज आर्थिक सब्सिडी प्रदान कर रहा है जो एमएनआरई कार्यक्रमों को लागू करने वाले ऋणकर्ताओं को जारी की जाती है। सह-उत्पादन, लघु जलविद्युत, ब्रिकेटिंग, बायोमास, सौर तापीय तथा अपशिष्ट से ऊर्जा के संबंध में ब्याज आर्थिक सब्सिडी एनपीवी आधार पर जारी की जाती है तथा सौर एवं एसपीवी कार्यक्रमों के लिए यह एक वास्तविक आधार पर किया जाता है।

ब्याज आर्थिक सब्सिडी ऋणकर्ताओं को अर्ध-वार्षिक आधार पर दी जाती है, बशर्ते ऋणकर्ता स्वीकृति के नियम और शर्तों का अनुपालन करें। ब्याज आर्थिक सब्सिडी के स्थायी शेष का कार्यक्रमवार विवरण निम्नानुसार है: -

(i) एनपीवी आधार पर पहले प्राप्त तथा बकाया ब्याज आर्थिक सब्सिडी: -

(₹ करोड़ में)

समाप्त वर्ष	बायो-मास सह-उत्पादन	लघु जल विद्युत	उप योग (क)
31.03.2026	2.15	0.02	**2.17**
31.03.2025	2.15	0.02	**2.17**

(ii) वास्तविक आधार पर पहले प्राप्त तथा बकाया ब्याज आर्थिक सब्सिडी: -

(₹ करोड़ में)

समाप्त वर्ष	सौर तापीय क्षेत्र	एसपीवी डब्ल्यूपी 2000-01	एसपीवी डब्ल्यूपी 2001-02	एसपीवी डब्ल्यूपी 1999-00	एसपीवी डब्ल्यूपी मैन्युफैक्चरिंग	एसपीवी डब्ल्यूपी 2002-03	अक्सेलरेटेड एसडब्ल्यूएच प्रणाली	उप योग (ख)	कुल योग (क+ख)
31.03.2026	0.00	(0.51)	(1.36)	(0.07)	(0.03)	(0.41)	0.00	**(2.38)**	**(0.21)**
31.03.2025	0.00	(0.51)	(1.36)	(0.07)	(0.03)	(0.41)	0.00	**(2.38)**	**(0.21)**

ख. पूंजी आर्थिक सब्सिडी

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, पूंजी आर्थिक सब्सिडी हेतु एमएनआरई से ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ शून्य करोड़) की राशि प्राप्त हुई थी। उपलब्ध कुल पूंजी आर्थिक सब्सिडी राशि में से ₹शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ शून्य करोड़) पूंजी आर्थिक सब्सिडी योजना की शर्तों और नियमों के अनुपालन पर ऋणकर्ताओं को दी गयी।

45. हटायी गयी कंपनियों के साथ प्रकटीकरण संबंध

हटायी गयी कंपनी का नाम	हटायी गयी कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	31.03.2026 तक बकाया शेष राशि (₹ करोड़ में)	हटायी गयी कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो	31.03.2025 तक बकाया शेष राशि (₹ करोड़ में)	हटायी गयी कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो,
एसपीवी पावर लिमिटेड	प्राप्य	0.00	ऋणकर्ता	0.00	ऋणकर्ता
ओचा पाइन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	0.00	ऋणकर्ता	0.00	ऋणकर्ता

विभिन्न कानूनी मंचों में प्रमोटरों/गारंटरों से संबंधित मामलों में वसूली कार्यवाही के मद्देनजर शेष राशि को बहियों में दर्ज किया जा रहा है।

46. अतिरिक्त जानकारी

क) विदेशी मुद्रा में व्यय:

- यात्रा पर : ₹0.23 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.22 करोड़)
- ब्याज और प्रतिबद्धता व्यय : ₹226.46 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹248.28 करोड़)

ख) विदेशी मुद्रा में आय:

- ब्याज : ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1.75 करोड़)

ग) विश्व बैंक ने आईबीआरडी III ऋण सहायता के अंतर्गत सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के वित्तपोषण में सहायता के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) अनुदान स्वीकृत किया है। वर्ष के दौरान, विश्व बैंक ने सीटीएफ अनुदान के अंतर्गत कंपनी को ₹शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹7.57 करोड़) जारी किए, जिनमें

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

राजस्व व्यय के लिए ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 6.92 करोड़) और पूंजीगत व्यय के लिए ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.65 करोड़) शामिल हैं।.

घ) क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा का विवरण : कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यावसायिक या निवेश नहीं किया है।

47. परिसंपत्ति और देयताओं के अधीन प्रत्येक व्यवसाय मद के लिए 12 महीने के अंदर और उसके बाद वसूल/निपटान की जाने वाली अपेक्षित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		
		12 महीनों के अंदर	12 महीनों से ज़्यादा	कुल
I.	**परिसंपत्तियां**			
अ	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समकक्ष	14.64	-	14.64
	(ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त बैंक शेष	691.02	11.49	702.51
	(ग) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	351.64	645.85	997.49
	(घ) प्राप्य			
	(I) व्यावसायिक प्राप्य	3.15	-	3.15
	(ङ) ऋण	16,525.47	73,671.12	90,196.59
	(च) निवेश	141.24	768.58	909.82
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14.59	10.94	25.53
	कुल (अ)	**17,741.75**	**75,107.98**	**92,849.73**
ब	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ**			
	(क) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	112.79	-	112.79
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	-	476.31	476.31
	(ग) निवेश संपत्ति	-	0.02	0.02
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	177.37	177.37
	(ङ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	-	-	-
	(च) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	-	138.49	138.49
	(छ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-
	(ज) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	4.34	4.34
	(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.98	38.19	43.17
	कुल (ब)	**117.77**	**834.72**	**952.49**
	कुल परिसंपत्तियाँ (अ+ब)	**17,859.52**	**75,942.70**	**93,802.22**
II.	**देयताएँ और इक्विटी**			
	देयताएँ			
अ	**वित्तीय देयताएँ**			
	(क) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	35.80	11.60	47.40
	(ख) देय राशि			
	(I) व्यावसायिक देय राशि	4.51	-	4.51
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ	1,509.74	26,911.86	28,421.60
	(घ) ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	14,577.60	31,589.09	46,166.69
	(ङ) अधीनस्थ देयताएँ	-	3,257.34	3,257.34

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		
		12 महीनों के अंदर	12 महीनों से ज़्यादा	कुल
	(च) अन्य वित्तीय देयताएँ	1,218.08	512.07	1,730.15
	कुल (अ)	**17,345.73**	**62,281.96**	**79,627.69**
ब	**गैर-वित्तीय देयताएँ**			
	(क) प्रावधान	178.26	18.50	196.76
	(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	125.72	70.70	196.42
	कुल (ब)	**303.98**	**89.20**	**393.18**
स	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	-	2,809.23	2,809.23
	(ख) अन्य इक्विटी	-	10,972.12	10,972.12
	कुल (स)	**-**	**13,781.35**	**13,781.35**
	कुल देयताएं और इक्विटी (अ+ब+स)	**17,649.71**	**76,152.51**	**93,802.22**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को		
		12 महीनों के अंदर	12 महीनों से ज़्यादा	कुल
I.	**परिसंपत्तियां**			
अ	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समकक्ष	29.84	-	29.84
	(ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त बैंक शेष	436.42	24.60	461.02
	(ग) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	48.30	439.59	487.89
	(घ) प्राप्य			
	(I) व्यावसायिक प्राप्य	3.17	2.76	5.93
	(ङ) ऋण	12,539.04	61,732.50	74,271.54
	(च) निवेश	434.72	191.42	626.14
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	15.30	13.90	29.20
	कुल (अ)	**13,506.79**	**62,404.77**	**75,911.56**
ब	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ**			
	(क) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	219.81	-	219.81
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	-	360.56	360.56
	(ग) निवेश संपत्ति	-	0.02	0.02
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	199.68	199.68
	(ङ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	-	-	-
	(च) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	-	143.40	143.40
	(छ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-
	(ज) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	5.49	5.49
	(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.99	23.29	26.28
	कुल (ब)	**222.80**	**732.44**	**955.24**
	कुल परिसंपत्तियाँ (अ+ब)	**13,729.59**	**63,137.21**	**76,866.80**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को		
		12 महीनों के अंदर	12 महीनों से ज़्यादा	कुल
II.	**देयताएँ और इक्विटी**			
	देयताएँ			
अ	**वित्तीय देयताएँ**			
	(क) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	1.91	21.29	23.20
	(ख) देय राशि			
	(I) व्यावसायिक देय राशि	9.11	-	9.11
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ	1,397.29	27,048.95	28,446.24
	(घ) ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	11,060.55	22,428.95	33,489.50
	(ङ) अधीनस्थ देयताएँ	-	2,804.57	2,804.57
	(च) अन्य वित्तीय देयताएँ	1,016.52	455.32	1,471.84
	कुल (अ)	**13,485.38**	**52,759.08**	**66,244.46**
ब	**गैर-वित्तीय देयताएँ**			
	(क) प्रावधान	155.50	13.55	169.05
	(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	100.75	86.38	187.13
	कुल (ब)	**256.25**	**99.93**	**356.18**
स	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	-	2,687.76	2,687.76
	(ख) अन्य इक्विटी	-	7,578.40	7,578.40
	कुल (स)	**-**	**10,266.16**	**10,266.16**
	कुल देयताएं और इक्विटी (अ+ब+स)	**13,741.63**	**63,125.17**	**76,866.80**

48. मास्टर निर्देश – भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 (1 अप्रैल, 2026 को अद्यतन) और अतिरिक्त स्वैच्छिक प्रकटीकरण के सन्दर्भ में प्रकटीकरण:

क. परियोजना वित्तपोषण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद का विवरण	तिमाही 3 (अक्टूबर-दिसंबर 2025)		तिमाही 4 (जनवरी-मार्च 2026)	
		खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि
1	तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खाते	161	20,816.82	171	21,034.95
2	तिमाही के दौरान मंज़ूर किए गए कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खाते (इसमें "तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खातों" के लिए तिमाही 4 में किया गया संवितरण भी शामिल है)	22	5,857.74	31	7,200.52

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	मद का विवरण	तिमाही 3 (अक्टूबर-दिसंबर 2025)		तिमाही 4 (जनवरी-मार्च 2026)	
		खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि
3	कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खाते, जहाँ तिमाही के दौरान डीसीसीओ प्राप्त कर लिया गया है।	12	5,639.61	24	2,746.70
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खाते। (1+2-3)	171	21,034.95	178	25,488.77
5	'4' में से – वे खाते जिनके संबंध में मूल/ बढ़ाई गई डीसीसीओ (जहाँ जैसा मामला हो) में विस्तार से जुड़ी समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।	52	6,059.78	86	9,762.50
5.1	'5' में से – वे खाते जिनके लिए समाधान योजना लागू कर दी गई है।	25	3,961.94	74	8,211.21
5.2	'5' में से – वे खाते जिनके लिए समाधान योजना लागू की जा रही है।	25	2,081.41	11	1,476.76
5.3	'5' में से – वे खाते जिनके लिए समाधान योजना फ़ेल हो गया है	2	16.44	1	74.54
6	'5' में से, वे खाते जिनके मामले में परियोजना के दायरे और आकार में बदलाव के कारण मूल/ बढ़ाई गई डीसीसीओ (जहाँ जैसा मामला हो) को आगे बढ़ाने से जुड़ी समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।	2	874.02	-	-
7	'5' में से, वह खाता जिसके तहत मूल / बढ़ाई गई डीसीसीओ (जहाँ जैसा मामला हो) में विस्तार से जुड़ी लागत वृद्धि के लिए वित्तपोषण किया गया था।	5	1,381.96	3	443.34
7.1	'7' में से, वे खाते जिनमें वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और निरंतर नवीनीकृत किया गया था	-	-	1	196.82
7.2	'7' में से, वे खाते जहाँ एसबीसीएफ को पहले से मंज़ूर या निरंतर नवीनीकृत नहीं किया गया था।	5	1,381.96	2	246.52
8	'4' में से, ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना शुरू की गई है, जिसमें मूल /बढ़ाई गई डीसीसीओ (जहाँ जैसा मामला हो) की समय-सीमा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।	1	39.00	-	-
8.1	'8' में से – वे खाते जिनके लिए समाधान योजना लागू की गई है।	1	39.00	-	-
8.2	'8' में से– वे खाते जिनके लिए समाधान योजना लागू की जा रही है।	-	-	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	मद का विवरण	तिमाही 3 (अक्टूबर-दिसंबर 2025)		तिमाही 4 (जनवरी-मार्च 2026)	
		खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि
8.3	'8' में से–वे खाते जिनके लिए समाधान योजना विफल रही है	-	-	-	-

नोट:

1. यह 1 अक्टूबर, 2025 से शुरू होने वाली तिमाही जानकारी है। एनबीएफसी को समय-समय पर संशोधित 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान) निर्देश, 2025' का पालन करना होगा।
2. क्रम संख्या 2 में, "खातों की संख्या" तिमाही के दौरान मंज़ूर किए गए मामलों को दिखाती है। हालाँकि, इन मूल्यों में पहले मंज़ूर की गई परियोजानाओं के लिए जारी की गई संवितरण राशि भी शामिल है।

ख. कंपनी द्वारा लागू की गई समाधान योजनाएँ

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान

30 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा मैसर्स लोकशाति सुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सम्बन्ध में मंज़ूर की गई समाधान योजना के निष्पादन के अनुपालन में, ₹39.18 करोड़ के बकाया मूलधन और ₹ 44.92 करोड़ के जमा हुए ब्याज के बदले ₹ 84.10 करोड़ की राशि वसूल की गई है। इसके अनुसार, ₹23.38 करोड़ का संबंधित हानि भत्ता भी वापस लिख दिया गया है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई समाधान योजना लागू नहीं की गई है।

ग. परिशोधन लागत व्यवसाय से बिक्री के लिए नीति

कंपनी सामान्य कामकाज के दौरान ऋण परिसम्पत्तियों सहित वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचने का काम नहीं करती है।

हालांकि, भारत में विनियामक ढांचा के अनुसार, कंपनी ऋण-क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में बकाया रकम वसूलने की कार्रवाई कर सकती है। नतीजतन, ऋण-क्षतिग्रस्त लोन को या तो पुनर्गठित/पुनः बातचीत किया या फिर आईबीसी कार्यवाही या किसी अन्य तरीके से निपटाया जा सकता है, और भारतीय लेखा मानक 109 – ' वित्तीय लिखतों' की ज़रूरतों के अनुसार इसे मान्यता समाप्त करने के लिए आंका जाता है।

घ. पूँजी

क. जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों के लिए पूंजी अनुपात (सीआरएआर)

कंपनी, समय-समय पर संशोधित, आरबीआई द्वारा निर्धारित मास्टर निर्देशों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, कंपनी को 15% (10% की न्यूनतम स्तरीयर। पूंजी के साथ) का पूंजी पर्याप्तता अनुपात या जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए पूँजी अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखना आवश्यक है, जिसकी गणना कंपनी की स्तरीयर-। और स्तरीयर-।। पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्तियों से विभाजित करके की जाती है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को*	31.03.2025 को*
1	सीआरएआर (%)	20.59%	17.77 %
2	सीआरएआर –स्तरीयर । पूंजी (%)	18.41%	15.15 %
3	सीआरएआर –स्तरीयर ।। पूंजी (%)	2.18%	2.62 %

शाश्वत ऋण लिखत की राशि 31 मार्च, 2025 तक स्तरीयर-। पूँजी के रूप में 14.98% है और 31 मार्च, 2026 तक स्तरीयर-। पूँजी के रूप में 11.37% है।

*आरबीआई ने 01 जनवरी 2026 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2025-26/168 डीओआर.सीआरई.आरईसी.373/21-01-002/2025-26 के माध्यम से 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) संशोधन निर्देश, 2026' जारी किए हैं। इसके तहत, 'उच्च-गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं' को दिए गए ऋणों पर लागू जोखिम भारित ढांचे में संशोधन किया गया है, जिसमें जोखिम भारित को ऋणकर्ता द्वारा किए जाने वाले पुनर्भुगतान से जोड़ा गया है। इन संशोधनों में 'उच्च-गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं' को परिभाषित करने के लिए परिचालन, परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋणकर्ता सुरक्षा से जुड़े विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये निर्देश 01 अप्रैल 2026 से, या उस तारीख से (जो भी पहले हो) लागू होंगे जब कोई एनबीएफसी इन निर्देशों को पूरी तरह से अपना लेती है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

कंपनी ने 31 मार्च 2026 से इन निर्देशों को अपना लिया है और लागू कर दिया है। इन्हें लागू करने के बाद,जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों (आरडब्ल्यूए) में ₹7,787.77 करोड़ की कमी आई है, जिससे पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में 1.83% की बढ़ोतरी हुई है।

ख. वर्ष के दौरान जुटाई गई स्तरीयर II पूंजी और सतत ऋण लिखतों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
1	अधीनस्थ ऋण	-	910.37
2	शाश्वत ऋण लिखत	453.00	1247.00

लेन-देन मूल्य पर

ग. वर्ष के अंत में बकाया स्तरीयर II पूंजी और शाश्वत ऋण लिखतों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
		परिशोधन लागत	लेन-देन मूल्य	परिशोधन लागत	लेन-देन मूल्य
1	अधीनस्थ ऋण*	1,559.25	1,560.37	1,559.10	1,560.37
2	शाश्वत ऋण लिखत**	1,698.08	1,700.00	1,245.47	1,247.00

*आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीआरएआर की गणना में स्तरीयर II पूँजी के तौर पर माने गए अधीनस्थ ऋण की राशि ₹1,370.37 करोड़ है।

पीडीआई धारकों के दावे इस प्रकार हैं:

1. कंपनी द्वारा जारी किये गए इक्विटी शेयरों के धारकों के दावों से बेहतर; और
2. कंपनी के अन्य सभी लेनदारों (लेकिन पीडीआई धारकों के लिए एक साथ रूप से) के दावों के अधीनस्थ। कंपनी कूपन का भुगतान स्थगित कर सकती है, यदि:
   i. कंपनी का पूंजी से जोखिम परिसंपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से कम है; या
   ii. कंपनी के सीआरएआर में ऐसे भुगतान का प्रभाव आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम हो जाता है या कम रहता है।
3. यदि जारीकर्ता द्वारा किसी कूपन भुगतान के परिणामस्वरूप शुद्ध हानि हो सकती है या जारीकर्ता की शुद्ध हानि बढ़ सकती है, तो जारीकर्ता द्वारा ऐसा कूपन भुगतान आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा और ऐसा अनुमोदन के प्राप्त होने पर किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा भुगतान करने के बाद सीआरएआर नियामक मानदंड से ऊपर बना रहे।
4. बॉण्ड्स पर कूपन ऊपर (2) में वर्णित मामलों को छोड़कर संचयी नहीं होगा।
5. लॉक-इन क्लॉज के आह्वान के सभी मामलों को जारीकर्ता द्वारा आरबीआई को सूचित किया जाएगा या लागू कानून के तहत अन्यथा आवश्यक होगा।

   जारीकर्ता द्वारा लॉक-इन क्लॉज़ के आह्वान को जारीकर्ता द्वारा की गई चूक नहीं माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप बॉण्ड्स के संबंध में 'चूक की घटना' (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) नहीं होगी।

घ. लाभांश

निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की निगरानी करता है और इसकी एक सुस्पष्ट वितरण नीति है जो कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/corporate-governance पर उपलब्ध है।

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ("सीपीएसई") होने के नाते, कंपनी पूंजी पुनर्गठन पर सीपीएसई दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, जिसके तहत प्रत्येक सीपीएसई को कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30% या निवल संपत्ति का 4%, जो भी अधिक हो, किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत सीमा के अधीन, यदि कोई हो, का भुगतान करना अनिवार्य है। एनबीएफसी जैसे वित्तीय क्षेत्र के सीपीएसई किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सीमा के अधीन, यदि कोई हो, कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30% के वार्षिक लाभांश का भुगतान कर सकते हैं।

कंपनी ने एमएनआरई के ज़रिए डीआईपीएएम को लाभांश के भुगतान से छूट का प्रस्ताव सौंपा। हालांकि, छूट की मांग को नहीं माना गया और कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर पश्चात लाभ के 20% की कम दर पर लाभांश घोषित करे।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

घोषित/प्रस्तावित लाभांश , लागू होने पर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार है।

घ. 1 कंपनी द्वारा प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए घोषित/प्रस्तावित लाभांश :-

(₹ करोड़ में, जब तक अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	वित्त वर्ष 2025-26				वित्त वर्ष 2024-25			
	शेयर पूँजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि	भारत सरकार को भुगतान की गई / देय राशि	शेयर पूँजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि	भारत सरकार को भुगतान की गई / देय राशि
अंतरिम लाभांश	6.00 %	0.60	168.55	120.95	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	7.50%	0.75	210.69	151.19	-	-	-	-
कुल लाभांश	**13.50%**	**1.35**	**379.25**	**272.14**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष हेतु लाभ के % के रूप में कुल लाभांश (कुल लाभांश/ कर पश्चात लाभ)	**20.24%**				-			

भारतीय लेखा मानक 10 के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक के वित्तीय विवरण में अंतिम लाभांश के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि के बाद प्रस्तावित लाभांश तुलन पत्र की तारीख पर कोई मौजूदा दायित्व नहीं बनाते हैं और इसलिए, उन्हें देयता के तौर पर नहीं माना जाता है।

ङ. गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सुविधाएँ

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		सुरक्षित अंश	अरक्षित अंश	सुरक्षित अंश	अरक्षित अंश
I.	बकाया गारंटियां				
	i) भारत में	910.70	-	1,569.81	-
	ii) भारत के बाहर	-		-	
II	स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	-	-	-	-
III	अन्य एनएफबी ऋण सुविधाएं	1,539.93	-	930.58	-

च. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण				31.03.2026 को	31.03.2025 को
(1)	निवेश मूल्य				
	(i)	निवेश का सकल मूल्य			
		(क)	भारत में		
			- सहायक कंपनी	26.00	26.00
			3 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा (ब्याज सहित	1.15	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण				31.03.2026 को	31.03.2025 को
			3 महीनों से ज़्यादा की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा (ब्याज सहित)	5.64	1.59
			भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (उद्धृत) (अर्जित ब्याज सहित)	883.82	600.14
			वाणिज्यिक कागजात (पूर्णत: ह्रासित)	68.99	68.99
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
	(ii)		हानि हेतु प्रावधान		
		(क)	भारत में	68.99	68.99
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
	(iii)		निवेश का निवल मूल्य		
		(क)	भारत में	916.61	627.73
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
(2)	निवेश पर हानि के लिए रखे गये प्रावधानों का संचलन।				
	(i)		प्रारंभिक शेष	68.99	68.99
	(ii)		जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	-	-
	(iii)		घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / वापस लिखना	-	-
	(iv)		अंतिम शेष	68.99	68.99

छ. प्रतिभूतिकरण से संबंधित खुलासे – शून्य

ज. व्युत्पन्नी

❖ **वायदा दर संविदा / ब्याज दर विनियम समझौता**

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2026 को	31.03.2025 को
i)	स्वैप समझौतों का काल्पनिक मूलधन*	8,613.24	6,590.12
ii)	यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	997.49	487.88
iii)	स्वैप में प्रवेश करने पर लागू एनबीएफसी द्वारा आवश्यक संपार्श्विक	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	विनिमय से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण **	नोट देखें*	नोट देखें*
(v)	स्वैप पुस्तिका का उचित मूल्य	950.09	464.68

*समापन तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करके भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में सभी व्युत्पंनी लेन-देन के सौदे की राशि को काल्पनिक मूलधन दर्शाता है।

**आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी उन बैंकों के साथ व्युत्पन्नी समझौता करती है जिनके साथ इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (आईएसडीए) समझौता किए गए हैं (इनमें सार्वजानिक क्षेत्र के बैंक, निजी भारतीय बैंक और विदेशी बैंक शामिल हैं)। बैंकों के साथ किए गए सभी व्युत्पंनी समझौते, बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'विदेशी मुद्रा और व्युत्पंनी जोखिम प्रबंधन नीति' में निर्धारित ऋण जोखिम सीमा के भीतर हैं।

❖ **विनिमय व्यावसायिक ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नी** - शून्य

❖ **व्युत्पन्नी में जोखिम अनावरण पर प्रकटीकरण**

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) कंपनी ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और अन्य परिसंपत्ति देयता बेमेल सहित विभिन्न बाजार जोखिमों से अवहित है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(ii) सभी व्युत्पन्नी सौदे विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति (एफएमसी) की देख-रेख में किये जाते हैं। कंपनी को विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए, कंपनी ने व्युत्पन्नी लिखत के माध्यम से ऐसे जोखिम को कम करने के लिए आईएसडीए बैंकों के साथ दीर्घकालिक समझौते किये हैं।

(iii) कंपनी मामले-दर-मामला आधार पर बचाव लिखत अपनाकर विनिमय में उतार-चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी की जोखिम क्षमता और प्रचलित बाजार परिदृश्य के आधार पर प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), फॉरवर्ड आदि जैसे विभिन्न व्युत्पंनी अनुबंध किए हैं।

(iv) कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति है, जो खुले जोखिम की अधिकतम स्वीकार्य सीमा को परिभाषित करती है और जो बकाया विदेशी मुद्रा ऋण के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। 31 मार्च, 2026 तक कंपनी का विदेशी मुद्रा ऋण खुला जोखिम कुल विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम का 23.31% (पिछले वर्ष : 27.68%) है।

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण

31.03.2026 को

क्र. सं.	विवरण	वायदा संविदा सहित मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर विनिमय सहित ब्याज दर व्युत्पन्नी
(i)	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूलधन राशि)		
	*बचाव हेतु (मिलियन में)	€ 48.07 $ 473.12 ¥ 48,366.24	$28.66 ¥ 8,000.00
	मूल्य (₹ करोड़ में)	₹ 7,867.97	₹ 745.27
(ii)	मार्क दर बाजार स्थिति		
	क) परिसंपत्ति (+) (₹ करोड़ में)	914.69	82.80
	ख) देयता (-) (₹ करोड़ में)	(47.40)	-
(iii)	ऋण प्रकटीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	बचाव-रहित प्रकटीकरण (बकाया मूलधन राशि हेतु जिसमें आंशिक बचाव शामिल है जिसे बचाव नहीं माना जाता है) (₹ करोड़ में)	2,334.36	

*काल्पनिक मूलधन, समापन तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करते हुए भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में बकाया सौदे की राशि को दर्शाता है।

31.03.2025 को

क्र. सं.	विवरण	वायदा संविदा सहित मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप सहित ब्याज दर व्युत्पन्नी
(i)	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूलधन राशि)		
	*बचाव हेतु (मिलियन में)	€ 66.12 $ 514.25 ¥ 22,791.60	$ 33.32
	मूल्य (₹ करोड़ में)	₹ 6,304.92	₹ 285.20
(ii)	मार्क दर बाजार स्थिति		
	क) परिसंपत्ति (+) (₹ करोड़ में)	429.24	58.64

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	विवरण	वायदा संविदा सहित मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप सहित ब्याज दर व्युत्पन्नी
	ख) देयता (-) (₹ करोड़ में)	(23.20)	-
(iii)	ऋण प्रकटीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	बचाव-रहित प्रकटीकरण (बकाया मूलधन राशि हेतु जिसमें आंशिक बचाव शामिल है जिसे बचाव नहीं माना जाता है) (₹ करोड़ में)	2360.71	

*काल्पनिक मूलधन, लेखाबंदी तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करते हुए भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में बकाया सौदे की राशि को दर्शाता है।

झ. परिसंपत्तियों और देयताओं के कतिपय मदों की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पद्धति

31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	7 दिनों तक	8 से 14 दिन	14 दिनों से ऊपर -30/31 दिन	1 महीने से ऊपर-2 महीने	2 महीने से ऊपर-3 महीने	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 वर्ष तक	1 वर्ष से ऊपर एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ऊपर	कुल
जमा	-	-	-	-	1.15	5.63	0.01	-	-	-	**6.79**
ब्याज सहित अग्रिम	1.01	-	979.47	971.65	2,109.40	4,100.30	8,413.43	22,584.76	15,641.51	35,635.12	**90,436.65**
निवेश	1.11	2.51	2.76	4.22	6.09	25.71	98.83	643.20	99.39	26.00	**909.82**
रुपया ऋण	267.23	40.42	148.33	479.88	2,531.84	2,336.92	9,435.39	21,884.09	9,264.87	21,459.79	**67,848.76**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.00**
विदेशी मुद्रा देयताएं	-	-	90.96	13.33	126.33	193.04	423.67	1,569.64	2,948.65	4,648.24	**10,013.86**

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	7 दिनों तक	8 से 14 दिन	14 दिनों से ऊपर -30/31 दिन	1 महीने से ऊपर-2 महीने	2 महीने से ऊपर-3 महीने	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 वर्ष तक	1 वर्ष से ऊपर एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ऊपर	कुल
जमा	-	-	-	-	-	1.59	-	-	-	-	**1.59**
ब्याज सहित अग्रिम	0.98	-	538.90	550.06	1,818.89	3,254.75	6,411.52	21,973.64	10,066.74	29,824.51	**74,439.99**
निवेश	0.62	-	-	52.78	1.95	3.19	376.20	66.06	-	125.34	**626.14**
रुपया ऋण	308.76	8.33	405.17	1,309.94	1,039.68	3,128.21	5,494.74	14,068.53	6,789.07	23,677.57	**56,230.00**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	**0.32**
विदेशी मुद्रा देयताएं	-	-	82.24	12.05	111.80	175.41	381.50	1,528.43	1,296.85	4,939.33	**8,527.61**

ञ. ऋण निवेश

❖ **भूसंपदा क्षेत्र में ऋण निवेश**

31 मार्च, 2026 तक कंपनी का भूसंपदा क्षेत्र में कोई ऋण निवेश नहीं है (पिछले वर्ष : शून्य करोड़)।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ **पूंजी बाजार में ऋण निवेश**

31 मार्च, 2026 तक कंपनी का पूंजी बाजार में कोई ऋण निवेश नहीं है (पिछले वर्ष : शून्य करोड़)।

❖ **क्षेत्रीय ऋण निवेश**

क्षेत्र	31.03.2026 को समाप्त वर्ष			31.03.2025 को समाप्त वर्ष		
	कुल ऋण निवेश (तुलन पत्र और तुलन पत्र से बाहर ऋण निवेश शामिल) (₹ करोड़)	सकल एनपीए (₹ करोड़ में)	उस क्षेत्र में कुल ऋण निवेश में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल ऋण निवेश (तुलन पत्र और तुलन पत्र से बाहर ऋण निवेश शामिल) (₹ करोड़)	सकल एनपीए (₹ करोड़ में)	उस क्षेत्र में कुल ऋण निवेश में सकल एनपीए का प्रतिशत
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-	-	-	-	-	-
2. उद्योग						
i) नवीकरणीय ऊर्जा	95,519.30	3,245.46	3.40%	78,700.12	1,866.25	2.37%
उद्योग का योग (i+ii+अन्य)						
3. सेवाएँ						
अन्य	-	-	-	-	-	-
सेवाओं का योग (i+ii+अन्य)						
4. व्यक्तिगत ऋण						
अन्य	-	-	-	-	-	-
व्यक्तिगत ऋणों का योग (i+ii+अन्य)						
5. अन्य, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-

❖ **अंतर-समूह ऋण निवेश**

अंतर-समूह ऋण निवेश से संबंधित प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:-

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
i	अंतर-समूह निवेश की कुल राशि	-	-
ii	शीर्ष 20 अंतर-समूह निवेश की कुल राशि	-	-
iii	ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल निवेश में अंतर-समूह निवेश का प्रतिशत	-	-

❖ **बचाव रहित विदेशी मुद्रा निवेश**

वित्तीय विवरणों की नोट 38(20) देखें।

ट. **मूल कंपनी उत्पादों के वित्तपोषण का विवरण –** लागू नहीं

ठ. **लागू एनबीएफसी द्वारा पार की गयी एकल ऋणकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह ऋणकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण।**

❖ **31.03.2026 को सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	नाम	निवेश (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

आरबीआई परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.417/21.01.002/2025-26 दिनांक 10.03.2026 के अनुसार, निवेश सीमा की गणना के लिए जिन स्तरीयर। पूँजी/ स्वामित्व वाली निधियों पर विचार किया जाता है, वे सबसे नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों पर आधारित हो सकते हैं। इसके अनुसार, 31 दिसंबर 2025 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर ₹14,736.62 करोड़ की स्तरीयर। पूँजी/ स्वामित्व वाली निधियों का प्रयोग सीमा से ज़्यादा निवेश का हिसाब लगाने के लिए किया गया है।

❖ **31.03.2025 को सीमा से अधिक एकल निवेश की सूची**

क्र. सं.	नाम	एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

31.03.2024 को स्तरीयर। पूँजी/ स्वामित्व वाली निधियों के आधार पर, यानी ₹8,265.20 करोड़।

❖ **31.03.2026 को सीमा से अधिक समूह निवेश की सूची**

क्र. सं.	समूह का नाम	एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

आरबीआई परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.417/21.01.002/2025-26 दिनांक 10.03.2026 के अनुसार, एक्सपोज़र सीमा की गणना के लिए जिन स्तरीयर। पूँजी/ स्वामित्व वाली निधियों पर विचार किया जाता है, वे सबसे नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों पर आधारित हो सकते हैं। इसके अनुसार, 31 दिसंबर 2025 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर ₹14,736.62 करोड़ की स्तरीयर। पूँजी/ स्वामित्व वाली निधियों का प्रयोग सीमा से ज़्यादा एक्सपोज़र का हिसाब लगाने के लिए किया गया है।

❖ **31.03.2025 को सीमा से अधिक समूह निवेशों की सूची**

क्र. सं.	समूह का नाम	एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

31.03.2024 को स्तरीयर। पूँजी/ स्वामित्व वाली निधियों के आधार पर, यानी ₹8,265.20 करोड़।

ड. विविध

❖ **अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों से प्राप्त पंजीकरण:**

क्र.सं.	विनियामक का नाम	विवरण	पंजीकरण विवरण
1	निगमित मामलों का मंत्रालय	निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	L65100DL1987GOI027265
2	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	14.000012
3	लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई संख्या	335800AXWFKW4BC99J48

❖ **कंपनी के पास निम्नलिखित विदेशी परिसंपत्तियाँ हैं*:-**

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	देश	31.03.2026 तक कुल परिसंपत्तियाँ	31.03.2025 तक कुल परिसंपत्तियाँ
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात, भारत	26.00	26.00

*यह कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में किए गए निवेश से संबंधित है।

❖ तुलन-पत्र से बाहर कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी नहीं हैं।

❖ कंपनी भारत में पंजीकृत है और इसका कामकाज भी भारत में ही होता है। भारत में किए गए निवेश में आईएफएससी, गिफ्ट सिटी, गुजरात में निगमित एक सहयक कंपनी के इक्विटी साधन शामिल हैं। यह सहायक कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के ढांचे के तहत काम करती है और इसे अनिवासी इसके माना जाता है।

❖ कंपनी भारतीय लेखा मानक - 110 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है।

❖ कंपनी चांदी और/या सोना संपार्श्विक के बदले ऋण नहीं देती है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

ढ. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का खुलासा

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक को क्रमशः ₹7.00 करोड़ और ₹7.80 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ शून्य करोड़) की धोखाधड़ी के 2 (दो) मामले (पिछले वर्ष: कोई मामला नहीं) रिपोर्ट किए गए। वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की नोट 38(51) भी देखें।

ण. वर्ष के दौरान आरबीआई और अन्य विनियामकों द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण :

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी विनियामक द्वारा समूह में कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है [पिछले वर्ष: शून्य]।

त. शिकायतों का प्रकटीकरण: -

1) कंपनी को अपने शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

विवरण		31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	-	04
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	02	19
ग)	वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या	02	23
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

2) कंपनी को अपने डिबेंचर धारकों/बंधपत्र धारकों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	06	02
ग)	वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या	06	02
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

3) ग्राहकों से और लोकपाल कार्यालयों से कंपनी को प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
	एनबीएफसी को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	-	-
3.	वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या	-	-
3.1	इनमें से,एनबीएफसी द्वारा रद्द की गयी शिकायतों की संख्या	-	-
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
	लोकपाल कार्यालय से एनबीएफसी को प्राप्त होने वाली सुनवाई योग्य शिकायतें		
5.	लोकपाल कार्यालय से एनबीएफसी को प्राप्त होने वाली सुनवाई योग्य शिकायतों की संख्या	6	2
5.1	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा एनबीएफसी के पक्ष में हल की गयी शिकायतों की संख्या	-	1*
5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी किये गये सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गयी शिकायतों की संख्या	6	2
5.3	5 में से, एनबीएफसी के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा पंचाट पारित करने के बाद हल की गयी शिकायतों की संख्या	-	-
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू न किये गये पंचाटों की संख्या (उन लोगों के अतिरिक्त जिन्होंने अपील किया था)	-	-

*वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में आरबीआई सीएमएस टीम के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी; वित्त वर्ष 2024-25 में समाधान हो गया है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार।

शिकायतों का आधार, (अर्थात निम्न से संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु					
ऋण और अग्रिम	-	5	400%	-	-
पीओआई	-	1	-	-	-
कुल	**-**	**6**	**200%**	**-**	**-**
31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु					
ऋण और अग्रिम	1	1	-	-	-
पीओआई	0	1	100%	-	-
कुल	**1**	**2**	**100%**	**-**	**-**

थ. साख श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा दी गयी साख श्रेणी और साख श्रेणी का स्थानांतरण।

कंपनी ने कर योग्य/कर-मुक्त/बैंक ऋण/ईसीबी सावधि ऋण जारी करके संसाधन उगाहे हैं, जिसके लिए उसने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय श्रेणी निर्धारण एजेंसियों से इन निर्गमों के लिए श्रेणी प्राप्त की है। 31 मार्च, 2026 तक विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	श्रेणी निर्धारण एजेंसी	कर योग्य/कर-मुक्त बंधपत्र/उप ऋण पर दीर्घकालिक श्रेणी निर्धारण	सतत ऋण पर दीर्घकालिक श्रेणी निर्धारण	बैंक ऋण ऋण पर श्रेणी निर्धारण*	ईसीबी सावधि ऋण पर श्रेणी निर्धारण
1.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए (स्थिर)	आईसीआरए एए+ (स्थिर)	आईसीआरए एएए (स्थिर)/आईसीआरए ए1+**	लागू नहीं
2.	सीएआरई	सीएआरई एएए (स्थिर)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	इंडिया श्रेणी निर्धारण	इंड एएए (स्थिर)	इंड एए+ (स्थिर)	इंड एएए (स्थिर)/ इंड ए1+**	इंड एएए/स्थिर
4.	ब्रिकवर्क रेटिंग	बीडब्ल्यूआर एएए (स्थिर)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	एक्यूइट रेटिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	एक्यूइट एएए (स्थिर)	लागू नहीं

*बैंक ऋण में अल्पकालिक ऋण शामिल हैं।

** बैंकों से अल्पकालिक ऋण हेतु

अंतरराष्ट्रीय श्रेणी निर्धारण :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घकालिक जारीकर्ता श्रेणी निर्धारण	अल्पकालिक जारीकर्ता श्रेणी निर्धारण	दृष्टिकोण
1.	एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग लिमिटेड	बीबीबी	ए-2	स्थिर

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

श्रेणी निर्धारण का स्थानांतरण :

क्र. सं.	श्रेणी निर्धारण एजेंसी	पिछला श्रेणी निर्धारण		वर्तमान श्रेणी निर्धारण		मंतव्य
		दीर्घकालिक	अल्पकालिक	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	
1.	एसएंडपी ग्लोबल श्रेणी निर्धारण लिमिटेड	बीबीबी-	ए-3	बीबीबी	ए-2	प्रोन्नत

भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड्स को श्रेणी निर्धारण प्रदान किया गया

श्रेणी निर्धारण एजेंसी	लिखत/उद्देश्य/विषय	श्रेणी निर्धारण
सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड	भारत सरकार के पूर्ण सेवित बंधपत्र	एएए, स्थिर
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड		
आईसीआरए लिमिटेड		

वर्ष के दौरान भारत सरकार के पूर्ण सेवित बंधपत्र का श्रेणी निर्धारण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

द. सह-ऋण व्यवस्थाओं पर प्रकटीकरण

इरेडा, अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे कि पीएफसी, आईएफसी, आईडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईआईएफसीएल, यूबीआई, एचडीएफसी, बीओआई, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र आदि के साथ अलग-अलग सह-ऋण व्यवस्थाओं/ संघ वित्तपोषण में शामिल होता है। ऐसे ऋण की कुल राशि ₹19,682.45 करोड़ है, जिसमें इरेडा का हिस्सा ₹11,040.90 करोड़ है।

31.03.2026 तक संबंधित परियोजनाओं के लिए बकाया राशि ₹9,521.85 करोड़ है। सीएलए/संघ वित्तपोषण वाले आरई क्षेत्र में पवन, सौर, इथेनॉल, हाइड्रो, डब्ल्यूटीई आदि शामिल हैं।

ध. जमा, अग्रिम, जोखिम और एनपीए का संकेन्द्रण

❖ अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को दिये गये कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	40,285.06	33,708.57
कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों का प्रतिशत	43.29%	44.20 %

❖ निवेश का संकेन्द्रण

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल निवेश (₹ करोड़ में)	40,834.06	34,162.59
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर लागू एनबीएफसी के कुल निवेश में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को दिये गये निवेशों का प्रतिशत	42.76%	43.42%

उपर्युक्त में शीर्ष-20 ऋणकर्ताओं के संबंध में 31 मार्च, 2026 तक ₹ 549 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹454.02 करोड़) का गैर-निधि निवेश शामिल है।

❖ एनपीए का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल निवेश	1,173.75	639.64

उपर्युक्त में शीर्ष-4 एनपीए के संबंध में 31 मार्च, 2026 तक ₹ 3.50 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ शून्य करोड़) का गैर-निधि निवेश शामिल है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ क्षेत्र-वार एनपीए

क्र. सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		31.03.2026 को	31.03.2025 को
1.	कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ	-	-
2.	एमएसएमई	-	-
3.	निगमित ऋणकर्ता	3.49%	2.45%
4.	सेवाएँ	-	-
5.	अरक्षित व्यक्तिगत ऋण	-	-
6.	ऑटो ऋण	-	-
7.	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

नोट – कंपनी निगमित ऋणकर्ता को आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण के व्यवसाय में युक्त है, इसलिए सकल एनपीए % का योग निगमित ऋणकर्ता में दिखाया गया है।

❖ एनपीए संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण		31.03.2026 को	31.03.2025 को
(i)	निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%)		1.29 %	1.35 %
(ii)	एनपीए संचलन (सकल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	1,866.25	1,410.85
	(ख)	वर्ष के दौरान संयोजन	1,606.77	669.51
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	227.56	214.11
	(घ)	अंतिम शेष	3,245.46	1,866.25
(iii)	निवल एनपीए का संचलन			
	(क)	प्रारंभिक शेष	1,020.66	581.21
	(ख)	वर्ष के दौरान संयोजन	452.81	560.44
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	301.16	120.99
	(घ)	अंतिम शेष	1,172.31	1,020.66
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधानों का संचलन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	845.59	829.64
	(ख)	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	1,292.25	153.47
	(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/वापस लिखना	64.69	137.52
	(घ)	अंतिम शेष	2,073.15	845.59

वित्तीय विवरणों की नोट 38(40) भी देखें।

*इस राशि में से ₹783.34 करोड़ पिछले वर्षों से संबंधित हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा रोक हटाए जाने के कारण मौजूदा अवधि के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नोट 38(40) भी देखें।

न. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचा

i) महत्वपूर्ण प्रतिरूपी (जमा और ऋण दोनों) के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण

क्र.सं.	अवधि	महत्वपूर्ण प्रतिरूपियों की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	कुल जमा का %	कुल देयताओं का %
1	31.03.2026 को	33	67,712.25	लागू नहीं	84.62%
2.	31.03.2025 को	33	55,196.93	लागू नहीं	82.88%

***नोट :**

- एक "महत्वपूर्ण प्रतिरूपी"को एक एकल प्रतिरूपी या जुड़े हुए या संबद्ध प्रतिरूपियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर कंपनी की कुल देयताओं का 1% से अधिक हिस्सा लेते हैं।
- कुल देयताओं की गणना कुल परिसंपत्तियों में से इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी को घटाकर की गयी है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

ii) शीर्ष 20 बड़ी जमा राशि

अवधि	बड़ी जमा राशियाँ	राशि (₹ करोड़ में)	कुल जमा राशियाँ का %
31.03.2026 को	लागू नहीं		
31.03.2025 को			

iii) शीर्ष 10 ऋण

31.03.2026 को

क्र. सं.	ऋण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋण का %
1	पंजाब नेशनल बैंक से ऋण	8,456.05	10.86%
2	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र से ऋण	5,166.61	6.64%
3	बैंक ऑफ़ बड़ोदा से ऋण	5,000.00	6.42%
4	कैनरा बैंक से ऋण	4,565.56	5.86%
5	यूनियन बैंक ऑफ़ इण्डिया से ऋण	4,000.00	5.14%
6	भारतीय स्टेट बैंक से ऋण*	3,321.69	4.27%
7	बैंक ऑफ़ इण्डिया से ऋण	2,918.47	3.75%
8	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ऋण	2,903.13	3.73%
9	यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक से ऋण	2,588.29	3.32%
10	7.37% इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र श्रृंखला XVI-F**	2,000.00	2.57%

*संपूर्ण निवेशर अर्थात बैंक ऋण, अल्पावधि ऋण, ओवरड्राफ्ट/सीसी सीमा और जेपीवाई में बाह्य वाणिज्यिक ऋण शामिल है

**अंकित मूल्य पर

31.03.2025 को

क्र. सं.	ऋण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋण का %
1	भारतीय स्टेट बैंक से ऋण*	11,933.17	18.43%
2	पंजाब नेशनल बैंक से ऋण	3,106.09	4.80%
3	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ऋण	2,946.65	4.55%
4	यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से ऋण	2,564.96	3.96%
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण	2,069.09	3.20%
6	7.37% इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र श्रृंखला XVI-च	2,000.00	3.09%
7	बैंक ऑफ इंडिया से ऋण	1,968.23	3.04%
8	7.94% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XII-घ	1,500.00	2.32%
9	7.44% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XVI-ख	1,500.00	2.32%
10	7.36% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XVI-घ	1,500.00	2.32%

*इसमें बैंक ऋण, अल्पावधि ऋण और ओवरड्राफ्ट/सीसी सीमा शामिल है

iv) महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद पर आधारित वित्तपोषण संकेन्द्रण

31.03.2026 को

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1	बैंकों से सावधि ऋण (सुरक्षित)	25,679.63	32.09%
2	कर योग्य बंधपत्र - गैर-परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (अरक्षित)*	22,811.74	28.51%

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
3	बैंक से सावधि ऋण (अरक्षित)	15,327.81	19.15%
4	कर योग्य बंधपत्र - गैर-परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (सुरक्षित)*	3,568.00	4.46%
5	अन्य से सावधि ऋण (अरक्षित)	3,395.96	4.24%
6	अधीनस्थ देयताएँ*	3,260.37	4.07%
7	कर मुक्त बंधपत्र - गैर-परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (सुरक्षित)*	2,055.83	2.57%
8	बाह्य वाणिज्यिक ऋण (अरक्षित)	1,540.50	1.93%

*अंकित मूल्य पर

31.03.2025 को

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1.	बैंकों से सावधि ऋण (सुरक्षित)	26,102.18	39.19%
2.	कर योग्य बंधपत्र - गैर-परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (अरक्षित)*	22,066.14	33.13%
3.	अन्य से सावधि ऋण (अरक्षित)	3,678.15	5.52%
4.	कर योग्य बंधपत्र - गैर-परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (सुरक्षित)*	3,818.00	5.73%
5.	कर-मुक्त बंधपत्र - गैर-परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (सुरक्षित)	2,576.60	3.87%
6.	बैंकों से सावधि ऋण (अरक्षित)	3,709.16	5.57%
7.	अधीनस्थ देयताएँ*	2,807.37	4.22%

*अंकित मूल्य पर

नोट :

- एक "महत्वपूर्ण प्रतिरूपी"को एक एकल प्रतिरूपी या जुड़े हुए या संबद्ध प्रतिरूपियों प्रतिरूपी के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर कंपनी की कुल देयताओं का 1% से अधिक हिस्सा लेते हैं।
- कुल देयताओं की गणना कुल परिसंपत्तियों में से इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित निधि और अधिशेष को घटाकर की गयी है।
- एक"महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद"का मतलब है कोई एक लिखत/उत्पाद या एक जैसे लिखत/उत्पाद का समूह,जिनका कुल मूल्य कंपनी की कुल देनदारियों के 1% से ज़्यादा हो।

v) स्टॉक अनुपात:

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	31.03.2026 को	31.03.2025 को
1	कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
2	कुल देयताओं के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
3	कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
4	कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)	लागू नहीं	लागू नहीं
5	कुल देयताओं के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)	लागू नहीं	लागू नहीं
6	कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)	लागू नहीं	लागू नहीं
7	कुल लोक निधियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों,	2.01%	1.98%
8	कुल देनदारियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों	1.95%	1.93%

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	31.03.2026 को	31.03.2025 को
9	कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों	1.67%	1.67%

नोट :

- अन्य अल्पकालिक देनदारियों की गणना परिपक्वता के आधार पर व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों, व्यावसायिक देय, अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय देनदारियों के कुल योग के रूप में की गई है।
- कुल सार्वजनिक निधियों में ऋण प्रतिभूति, ऋण (ऋण प्रतिभूति के अतिरिक्त) और उप-ऋण शामिल हैं।

vi) चल निधि जोखिम प्रबंधन हेतु संस्थागत व्यवस्था

कंपनी के निदेशक मंडल ने परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निवेश समिति का गठन किया है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, परिसंपत्ति देयता प्रोफ़ाइल, जोखिम निगरानी प्रणाली, चल निधि जोखिम प्रबंधन, वित्तपोषण और पूंजी नियोजन, लाभ नियोजन और विकास अनुमानों, विभिन्न परिदृश्यों का पूर्वानुमान और विश्लेषण और आकस्मिक योजनाओं की तैयारी की समीक्षा करती है।

इसके अतिरिक्त, जोखिम प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के जोखिम प्रोफ़ाइल की निगरानी और माप करती है और कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की देख-रेख करती है। कंपनी पर्याप्त नकद/कोषागार अधिशेष बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। प्रबंधन नियमित रूप से नकद और नकद समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय ऋण वित्तपोषण योजनाओं और तुलन पत्र चल निधि के रख-रखाव सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन किया जाता है। कंपनी की अधिशेष निधि का निवेश 'अधिशेष निधि के निवेश के लिए निवेश समिति' द्वारा किया जा रहा है और उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसपत्तियों (एचक्यूएलए) में निवेश 'एचक्यूएलए के लिए निवेश समिति' द्वारा किया जा रहा है।

प. ऋण चूक निवेश - शून्य

फ. चल निधि कवरेज अनुपात पर प्रकटीकरण: -

आरबीआई ने अपने मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - वित्तीय विवरण : प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण) निर्देश, 2025, के माध्यम से एनबीएफसी के लिए चल निधि जोखिम प्रबंधन को कवर करने वाले दिशानिर्देश जारी किये, जिसमें आरबीआई ने ₹5,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाले सभी गैर-जमा लेने वाले एनबीएफसी पर लागू चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पेश किया। दिशानिर्देशों का उद्देश्य एलसीआर के संदर्भ में एक चल निधि सुरक्षा बनाये रखना है और यह सुनिश्चित करके कि उनके पास अगले 30 दिनों तक चलने वाले किसी भी तीव्र चल निधि दबावग्रस्त परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) है। दिशा-निर्देश के अनुसार, एलसीआर को अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकद बहिर्वाह (दबावग्रस्त बहिर्वाह कम दबावग्रस्त अंतर्वाह) से विभाजित उच्च-गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) के स्टॉक द्वारा दर्शाया जाता है। एचक्यूएलए को आरबीआई द्वारा चल निधि परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है या कम/बिना किसी मूल्य हानि के तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सकता है या दबाव की स्थिति में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

कंपनी ने 01 दिसंबर, 2020 से एलसीआर आवश्यकता का अनुपालन किया है, जो कि 50% के न्यूनतम एलसीआर की निर्धारित आवश्यकता के विरुद्ध है, जो 1 दिसंबर, 2024 तक 100% के आवश्यक स्तर तक उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। कंपनी केवल भारतीय रुपये में एलसीआर बनाये रख रही है; इसलिए कोई मुद्रा बेमेल नहीं है।

31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

उच्च गुणवत्ता सम्पन्न चल निधि परिसंपत्तियां		पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025)		दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025)		तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025)		चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	कुल उच्च गुणवत्ता सम्पन्न चल निधि परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	744.15	744.15	784.63	784.63	822.03	822.03	1,080.93	1,080.93

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

उच्च गुणवत्ता सम्पन्न चल निधि परिसंपत्तियां		पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025)		दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025)		तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025)		चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
	सरकारी क्षेत्र / राज्य विकास ऋण (एसडीएल) / विशेष प्रतिभूतियां	659.10	659.10	747.76	747.76	795.22	795.22	853.21	853.21
	नकद एवं नकद समकक्ष	85.05	85.05	36.87	36.87	26.81	26.81	227.72	227.72
नकद बहिर्वाह									
2	जमा (जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों हेतु)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अरक्षित थोक वित्तपोषण	-	-	-	-	-	-	-	-
4	रक्षित थोक वित्तपोषण	-	-	-	-	-	-	-	-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	-	-	-	-	-	-	-	-
(i)	व्युत्पन्नी जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण के नुकसान से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण और चल निधि सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	2,153.08	2,476.04	2,416.46	2,778.93	1,753.11	2,016.07	1,638.51	1,884.28
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	53.21	61.19	130.12	149.64	117.31	134.91	585.25	673.03
8	**कुल नकद बहिर्वाह**	**2,206.29**	**2,537.23**	**2,546.58**	**2,928.56**	**1,870.42**	**2,150.98**	**2,223.76**	**2,557.31**
नकद अंतर्वाह									
9	सुरक्षित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
10	पूरी तरह से निष्पादित जोखिमों से अंतर्वाह	1,592.86	1,194.64	1,615.23	1,211.42	1,754.14	1,315.61	1,885.24	1,413.93
11	अन्य नकद अंतर्वाह*	4,610.32	3,457.74	4,628.39	3,471.29	4,806.57	3,604.92	4,506.40	3,379.80
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**6,240.84**	**4,680.63**	**6,243.62**	**4,682.72**	**6,560.71**	**4,920.53**	**6,391.64**	**4,793.73**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

उच्च गुणवत्ता सम्पन्न चल निधि परिसंपत्तियां		पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025)		दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025)		तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025)		चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए		744.15		784.63		822.03		1,080.93
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		634.31		732.14		537.74		639.33
15	चल निधि कवरेज अनुपात (%)		117%		107%		153%		169%

औसत के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान रोज़ाना अवलोकन को ध्यान में रखा गया है।

*अप्रयुक्त अल्पकालिक बैंकिंग सुविधाएँ; निवेश संबंधी अंतर्वाह

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां		पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2024)		दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2024)		तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2024)		चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2025)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	**कुल उच्च गुणवत्ता संपन्न चल निधि परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)**	**389.17**	**389.17**	**754.46**	**754.46**	**750.27**	**750.27**	**726.57**	**726.57**
	- सरकारी क्षेत्र / राज्य विकास ऋण (एसडीएल) / विशेष प्रतिभूतियां	300.66	300.66	636.00	636.00	656.74	656.74	649.42	649.42
	-नकद एवं नकद समकक्ष	88.51	88.51	118.46	118.46	93.53	93.53	77.15	77.15
नकद बहिर्वाह									
2	जमा (जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों हेतु)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अरक्षित थोक वित्तपोषण	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सुरक्षित थोक वित्तपोषण	-	-	-	-	-	-	-	-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	-	-	-	-	-	-	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां		पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2024)		दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2024)		तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2024)		चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2025)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
(i)	व्युत्पन्नी जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण के नुकसान से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण और चल निधि सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	1,138.23	1,308.96	1,712.85	1,969.78	2,099.38	2,414.29	1,802.79	2,073.21
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	-	-	-	-	-	-	23.76	27.32
8	**कुल नकद बहिर्वाह**	**1,138.23**	**1,308.96**	**1,712.85**	**1,969.78**	**2,099.38**	**2,414.29**	**1,826.55**	**2,100.54**
नकद अंतर्वाह									
9	रक्षित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
10	पूरी तरह से निष्पादित जोखिमों से अंतर्वाह	1,010.04	757.53	1,525.92	1,144.44	1,338.63	1,003.97	2,114.41	1,585.81
11	अन्य नकद अंतर्वाह*	4,078.17	3,048.63	5,566.20	4,174.65	3,883.16	2,912.37	4,590.02	3,442.52
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**5,088.21**	**3,816.16**	**7,092.12**	**5,319.09**	**5,221.79**	**3,916.34**	**6,704.43**	**5,028.33**
			कुल समायोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**
13	कुल एचक्यूएलए		389.17		754.46		750.27		726.57
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		327.24		492.44		603.57		525.13
15	चल निधि कवरेज अनुपात (%)		119%		153%		124%		138 %

*ऋण की लाइनें - ऋण/ चल निधि /अन्य आकस्मिक सुविधाएं

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

ब. आरबीआई की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखा मानक 109 'वित्तीय उपकरण' के अनुसार हानि भत्ते की तुलना।

31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अधीन आवश्यक अनुसार ऋण भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5) =(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	87,656.36	340.14	87,316.23	729.85	(120.95)
	चरण 2	2,078.36	268.76	1,809.60		
उप-योग		**89,734.73**	**608.90**	**89,125.83**	**729.85**	**(120.95)**
गैर- निष्पादक परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
घटिया	चरण 3	829.31	639.73	189.59	586.70	53.03
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	663.37	273.71	389.66	275.10	(1.39)
1 से 3 वर्ष	चरण 3	7.11	4.46	2.65	7.11	(2.65)
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	1,745.64	1,155.22	590.42	1,390.82	(235.60)
संदिग्ध हेतु उप-योग		**2,416.12**	**1,433.39**	**982.72**	**1,673.02**	**(239.63)**
हानि	चरण 3	0.03	0.03	-	0.03	**-**
एनपीए हेतु उप-योग		**3,245.46**	**2,073.15**	**1,172.31**	**2,259.75**	**(186.60)**
गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएँ आदि जैसी अन्य मद जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	2,450.63	7.09	2,443.54	-	7.09
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-योग		**2,450.63**	**7.09**	**2,443.54**	**-**	**7.09**
	चरण 1	90,107.00	347.23	89,759.77	729.85	(113.86)
	चरण 2	2,078.36	268.76	1,809.60		
	चरण 3	3,245.46	2,073.15	1,172.31	2,259.75	(186.60)
	कुल योग	**95,430.82**	**2,689.14**	**92,741.68**	**2,989.60**	**(300.46)[5]**

[1] ₹17.69 करोड़ के एनपीए खाते में आकस्मिक शुल्क (नामे शेष) पर प्रावधान को छोड़कर

[2] इसमें पुनर्गठित और सामान्य प्रावधान के लिए प्रावधान शामिल हैं

[3] भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01.10.2025 से लागू होने वाले 'परियोजना वित्तीय निर्देश' जारी किए हैं। इन निर्देशों में मानक और गैर-कार्यनिष्पादन परिसम्पत्तियों (एनपीए) हेतु आय की पहचान, परिसंपत्ति का वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) के लिए लागू नियमों को अद्यतन किया गया है और निर्माण के चरण वाली परियोजनाओं के लिए प्रावधान को बढ़ाया गया है। आईआरएसीपी नियमों के तहत प्रावधान की गणना में उपरोक्त बातों पर भी विचार किया गया है।

[4] आईआरएसी नियमों और ईसीएल के तहत प्रावधान के कार्य करने हेतु, एक मामले में, जहाँ कई "वेस्ट-टू-एनर्जी" (कचरे से ऊर्जा बनाने वाली) परियोजनाओं के लिए कोष की ज़रूरतें पूरी करने के लिए एमएनआरई के ज़रिए केंद्र सरकार से मंज़ूर "केंद्रीय वित्तीय सहायता" (सीएफए) के समकक्ष राशि के तहत ₹150 करोड़ का अल्पकालिक ऋण 03.07.2023 को मंज़ूर किया गया था, वहाँ मिलने वाली सीएफए की रकम को एमएनआरई के 31.03.2026 के पत्र के आधार पर सुरक्षित माना गया है। बताया गया है कि सीएफए जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और यह मौजूदा मार्गदर्शन के अनुसार कार्य-निष्पादन मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगा। इन परियोजनाओं के लिए मौजूदा विस्तार 31.03.2027 तक मान्य है, हालांकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान यह परियोजना एनपीए की श्रेणी में आ गई और 31.03.2026 तक यह परियोजना "संदिग्ध -1" परिसंपत्ति वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। इस मामले में हुई प्रगति के आधार पर वित्त वर्ष 2026-27 में इसकी समीक्षा की जाएगी।

[5] भारतीय लेखा मानक 109 के तहत 'हानि भत्ता' और आरबीआई द्वारा जारी 'आय की पहचान, परिसंपत्ति का वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों' (जिसमें मानक परिसंपत्ति प्रावधान भी शामिल है) के तहत आवश्यक प्रावधान के बीच ₹300.46 करोड़ का अंतर, लागू मार्गदर्शन के अनुसार "हानि आरक्षित निधि" में स्थानांतरित किया गया है। वित्तीय विवरणों की नोट 26(1.9) भी देखें।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अधीन आवश्यक अनुसार ऋण भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5) =(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	71,685.96	329.66	71,356.30	804.80	243.64
	चरण 2	2,633.30	718.78	1,914.52		
उप-योग		**74,319.26**	**1,048.44**	**73,270.82**	**804.80**	**243.64**
गैर- निष्पादक परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
घटिया	चरण 3	703.65	128.38	575.27	70.36	58.02
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	11.98	7.41	4.57	8.71	(1.30)
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	1,150.59	709.76	440.83	868.09	(158.33)
संदिग्ध हेतु उप-योग		1,162.57	717.17	445.40	876.80	(159.63)
हानि	चरण 3	0.03	0.03	-	0.03	-
एनपीए हेतु उप-योग		**1,866.25**	**845.58**	**1,020.67**	**947.19**	**(101.61)**
गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएँ आदि जैसी अन्य मद जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	2,418.47	26.21	2,392.26	-	26.21
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-योग		**2,418.47**	**26.21**	**2,392.26**	**-**	**26.21**
	चरण 1	74,104.43	355.87	73,748.56	804.80	269.85
	चरण 2	2,633.30	718.78	1,914.52		
	चरण 3	1,866.25	845.58	1,020.67	947.19	(101.61)
	कुल योग	**78,603.98**	**1,920.23**	**76,683.75**	**1,751.99**	**168.24**

[1] इसमें पुनर्गठित और सामान्य प्रावधान के लिए प्रावधान शामिल हैं

[2] ₹12.28 करोड़ के एनपीए खाते में आकस्मिक शुल्क (नामे शेष) पर प्रावधान को छोड़कर

भ. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अर्जित ऋणों के शून्य रिपोर्ट योग्य मामले हैं (पिछले वर्ष: शून्य) जिन्हें मास्टर निर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - वित्तीय विवरण : प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के अधीन रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

म. निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को दिए गए ऋणों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
निदेशक और उनके रिश्तेदार*	-	-
निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाएँ	-	-
वरिष्ठ अधिकारी और उनके रिश्तेदार	-	-

*संबंधित निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं। वित्तीय विवरण की नोट 38(9) भी देखें।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

य. मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 के अनुलग्नक VIII में निर्धारित अनुसार जानकारी/विवरण

इरेडा के तुलन पत्र की अनुसूची
31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण			**31.03.2026 को**	
देनदारी पक्ष			**बकाया राशि**	**अतिदेय राशि**
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिये गये ऋण और अग्रिम, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया:**			
	(क)	डिबेंचर: सुरक्षित	5,725.09	-
		: अरक्षित	26,800.81	-
		(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने वालों को छोड़कर)		-
	(ख)	आस्थगित ऋण	-	-
	(ग)	सावधि ऋण	44,883.70	-
	(घ)	अंतर-निगमित ऋण और ऋण	-	-
	(ङ)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
	(च)	सार्वजनिक जमा	-	-
	(छ)	अन्य ऋण - ओवरड्राफ्ट	1,402.79	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का विवरण (बकाया सार्वजनिक जमा, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया) :**			
	(क)	अरक्षित डिबेंचर के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर के रूप में, यानी ऐसे डिबेंचर, जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष			**बकाया राशि**	
3	**बिल प्राप्य सहित ऋण और अग्रिम का विवरण [नीचे (4) में शामिल किए गए को छोड़कर]:**			
	(क)	सुरक्षित	81,171.32	
	(ख)	अरक्षित	11,725.01	
	(ग)	घटाएँ : क्षति हानि भत्ता	2,699.74	
	(घ)	ऋण (निवल प्रावधान)	**90,196.59**	
4	**पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियों और किराये पर स्टॉक तथा अन्य परिसंपत्तियों का पृथक-पृथक ब्यौरा, जो एएफसी गतिविधियों में शामिल हैं**			
	(i)	विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टे के किराये सहित पट्टे की परिसंपत्तियां		
		(क) वित्तीय पट्टा		-
		(ख) परिचालन पट्टा		-
	(ii)	विविध देनदारों के अंतर्गत किराये के शुल्क सहित किराये पर स्टॉक:		
		(क) किराये पर परिसंपत्तियां	-	
		(ख) पुनः प्राप्त परिसंपत्तियां	-	
	(iii)	एएफसी गतिविधियों में शामिल अन्य ऋण		
		(क) ऐसे ऋण, जहां परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त किया गया है	-	
		(ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त अन्य ऋण	-	
5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	वर्तमान निवेश			

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) अधिमान्यता	-
		(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	141.24
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) अधिमान्यता	-
		(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
		अल्पकालिक जमा (भारतीय रुपये)		6.79
		वाणिज्यिक पत्र (पूर्ण रूप से प्रदान की गयी हानि)		68.99
	दीर्घकालिक निवेश			
	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) अधिमान्यता	-
		(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	742.58
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर-उद्धृत**		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	26.00
		(ख)	अधिमान्यता	-
	(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र		-
	(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

6	**उपर्युक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणकर्ता समूहवार वर्गीकरण**				
	श्रेणी			**राशि (प्रावधान का निवल) (₹ करोड़ में)**	
				सुरक्षित	**अरक्षित**	**कुल**
	1	संबंधित पक्ष				
		(क)	सहायक कंपनियां	-	-	-
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	1.21	-	1.21
	2	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य		78,470.36	11,725.01	90,195.37
	कुल			**78,471.57**	**11,725.01**	**90,196.58**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

7	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण:**				
	श्रेणी			**बाजार मूल्य/ ब्योरा या उचित मूल्य या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्ष			
		(क)	सहायक कंपनियां	26.00	26.00
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	-	-
	2	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य		877.06	890.61
	कुल			**903.06**	**916.61**
8	**अन्य जानकारी**				
	विवरण				**राशि (₹ करोड़ में)**
	(i)	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ			
		(क)	संबंधित पक्ष		51.11*
		(ख)	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य		3,194.35
	(ii)	निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ			
		(क)	संबंधित पक्ष		19.94
		(ख)	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य		1,152.37
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अर्जित परिसंपत्तियाँ			-

*यह मामला मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) के एनपीए खाते से जुड़ा है, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है और जिस पर 31 मार्च 2026 को ₹51.11 करोड़ का बकाया ऋण है।

इरेडा के तुलन पत्र की अनुसूची (31.03.2025 को)

(₹ करोड़ में)

	विवरण			**31.03.2025 को**	
	देनदारी पक्ष			**बकाया राशि**	**अतिदेय राशि**
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिये गये ऋण और अग्रिम, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया:**				
		(क)	डिबेंचर: सुरक्षित	6,520.93	-
			: अरक्षित	25,520.81	-
			(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने वालों को छोड़कर)		-
		(ख)	आस्थगित ऋण	-	-
		(ग)	सावधि ऋण	33,434.94	-
		(घ)	अंतर-निगमित ऋण और ऋण	-	-
		(ङ)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
		(च)	सार्वजनिक जमा	-	-
		(छ)	अन्य ऋण - ओवरड्राफ्ट	222.92	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का विवरण (बकाया सार्वजनिक जमा, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया):**				
		(क)	अरक्षित डिबेंचर के रूप में	-	-
		(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर के रूप में, यानी ऐसे डिबेंचर, जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
		(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

परिसम्पत्ति पक्ष				बकाया राशि
3	**बिल प्राप्य सहित ऋण और अग्रिम का विवरण [नीचे (4) में शामिल किए गए को छोड़कर]:**			
		(क)	सुरक्षित	63,291.99
		(ख)	अरक्षित	12,885.86
		(ग)	घटायें: क्षति हानि भत्ता	1,906.31
		(घ)	ऋण (निवल प्रावधान)	**74,271.54**
4	**पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियों और किराये पर स्टॉक तथा अन्य परिसंपत्तियों का ब्यौरा, जो एएफसी गतिविधियों में शामिल हैं**			
	(i)	विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टे के किराये सहित पट्टे की परिसंपत्तियां		
		(क)	वित्तीय पट्टा	-
		(ख)	परिचालन पट्टा	-
	(ii)	विविध देनदारों के अंतर्गत किराये के शुल्क सहित किराये पर स्टॉक:		
		(क)	किराये पर परिसंपत्तियां	-
		(ख)	पुनः प्राप्त परिसंपत्तियां	-
	(iii)	एएफसी गतिविधियों में शामिल अन्य ऋण		
		(क)	ऐसे ऋण, जहां परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त किया गया है	-
		(ख)	उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त अन्य ऋण	-
5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	चालू निवेश			
	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) अधिमान्यता	-
		(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	434.72
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) अधिमान्यता	-
		(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
		अल्पकालिक जमा (भारतीय रुपये)		1.59
		वाणिज्यिक पत्र (पूर्ण रूप से प्रदान की गयी हानि)		68.99
	दीर्घकालिक निवेश			
	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) अधिमान्यता	-
		(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	165.42
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर-उद्धृत**		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	26.00
		(ख)	अधिमान्यता	-
	(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र		-
	(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

6	**उपर्युक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणकर्ता समूहवार वर्गीकरण**				
	श्रेणी			**राशि (प्रावधान का निवल) (₹ करोड़ में)**	
				रक्षित	**अरक्षित**	**कुल**
	1	संबंधित पक्ष				
		(क)	सहायक कंपनियां	-	-	-
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	1.25	-	1.25
	2	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य		61,384.43	12,885.86	74,270.29
	कुल			**61,385.68**	**12,885.86**	**74271.54**

7	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण:**				
	श्रेणी			**बाजार मूल्य/ ब्योरा या उचित मूल्य या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्ष			
		(क)	सहायक कंपनियां	26.00	26.00
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	-	-
	2	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य		596.55	601.72
	कुल			**622.55**	**627.72**

8	**अन्य जानकारी**			
	विवरण			**राशि (₹ करोड़ में)**
	(i)	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ		
		(क)	संबंधित पक्ष	51.11*
		(ख)	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य	1,815.14
	(ii)	निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ		
		(क)	संबंधित पक्ष	27.52*
		(ख)	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य	993.15
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अर्जित परिसंपत्तियाँ		-

* मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) से संबंधित मामला, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, जिसका 31 मार्च, 2025 तक ऋण बकाया ₹51.11 करोड़ है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

एए. आरबीआई ने 28 नवंबर 2025 के अपने संचार के ज़रिए, एनबीएफसी पर लागू मौजूदा कई मास्टर निर्देश और परिपत्र को वापस लेते हुए और उन्हें एक साथ मिलाते हुए, एक संयुक्त मास्टर निर्देश जारी किया है। कंपनी उन निर्देशों के लागू होने और उनके प्रभाव की समीक्षा कर रही है। अब तक की गई समीक्षा के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में ऐसी अतिरिक्त या बदली हुई जानकारी शामिल की है, जिन्हें अभी लागू माना जा रहा है। अगर कोई और ज़रूरतें हैं, तो उनकी जांच की जा रही है और उन्हें विनियामक समय-सीमा के अनुसार पूरा किया जाएगा।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

क. विभिन्न क्षेत्रों में निवेश – वित्तीय विवरणों की नोट 38(48ञ) देखें।

ख. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण - वित्तीय विवरणों की नोट 38(9) देखें।

ग. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, लिए गए ऋणों या जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में अनुबंधों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया है (पिछले वर्ष: शून्य) वित्तीय विवरणों की नोट 38(36) देखें।

घ. 31 मार्च 2026 तक लेखा परीक्षकों द्वारा व्यक्त की गई किसी भी संशोधित राय, विभिन्न वित्तीय मदों पर इसके प्रभाव और लेखा परीक्षा योग्यता पर प्रबंधन के विचारों पर प्रकटीकरण - शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)।

ङ. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए असाधारण प्रकृति की आय और व्यय की मदें - शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

च. शिकायतों का प्रकटीकरण - वित्तीय विवरणों की नोट 38(48त) देखें।

छ. आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में, बिना बांटे गए ऋण प्रतिबद्धता के संबंध में जोखिम भारित परिसंपत्ति (आरडब्ल्यूए) में ₹6,283.86 करोड़ का अंतर बताया है, जिसका सीआरएआर पर 1.40% का प्रभाव पड़ा है। कंपनी ने अपनी लागू होने की स्थिति से जुड़े तथ्यों के आधार पर आरबीआई के पास समीक्षा और विचार के लिए मामला उठाया है और इस पर जवाब का इंतज़ार है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईआरएसीपी प्रावधान में ₹52 करोड़ का अंतर भी बताया है।

ज. कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति में कर्मचारियों को रियायती शर्तों पर दिए गए ऋण को शामिल किया है और लागू ज़रूरतों और मौजूदा तरीकों के हिसाब से कुछ सुधार किए हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव कोई मायने नहीं रखता और वित्तीय विवरण में उन पर विचार किया गया है।

झ. लाभ और हानि खाते में 'व्यय' शीर्षक के अंतर्गत दिखाए गए प्रमुख 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-	-
ऋण के संबंध में क्षति हानि भत्ता	788.02	218.10
व्यावसायिक प्राप्तियों के संबंध में क्षति हानि भत्ता	2.76	-
गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र और अन्य पर अपेक्षित ऋण नुकसान हेतु प्रावधान	(13.70)	17.15
आयकर हेतु किये गए प्रावधान	565.12	471.31
आस्थगित कर हेतु किये गए प्रावधान	(101.54)	(66.11)
गारंटी कमीशन पर कर एवं अन्य हेतु प्रावधान	6.26	6.26

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

49. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और 53(च) द्वारा अपेक्षित अनुसार प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

सहयोगी		31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
		31.03.2026 को राशि	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	31.03.2025 को राशि	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
1	ऋण और ऋण की प्रकृति में अग्रिम	शून्य		शून्य	
क)	सहयोगियों को				
ख)	उन कंपनियों को जिनमें निदेशकों की रुचि है				

*इसमें संबंधित निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों को नौकरी की शर्तों के तहत दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं। वित्तीय विवरणों की नोट 38(9) भी देखें।

50. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	31.03.2026 को समाप्त तिमाही के अनुसार/हेतु	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के अनुसार/ हेतु	31.03.2025 को समाप्त तिमाही के अनुसार/हेतु	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के अनुसार/ हेतु
1	ऋण इक्विटी अनुपात[1]	गुणा	5.65		6.31	
2	बकाया मोचनीय अधिमान्यता शेयर	₹ करोड़ में	-		-	
3	डिबेंचर मोचनीय आरक्षित निधि	₹ करोड़ में	-		439.01	
4	निवल मूल्य[2]	₹ करोड़ में	13,781.35		10,266.16	
5	कर पश्चात निवल लाभ	₹ करोड़ में	492.75	1,873.34	501.79	1,698.60
6	प्रति शेयर आय	₹ प्रति शेयर	1.76	6.73	1.87	6.32
7	कुल परिसम्पत्तियों पर कुल ऋण[3]	गुणा	0.83		0.81	
8	परिचालन मार्जिन प्रतिशत[4]	%	28.20%	27.78%	32.53%	31.02 %
9	निवल लाभ मार्जिन प्रतिशत[5]	%	22.59%	22.47%	26.21%	25.15 %
10	क्षेत्र विशिष्ट समतुल्य अनुपात					
	- सीआरएआर[6]	%	20.59%		17.77 %	
	- स्तरीयर I पूँजी	₹ करोड़ में	14,668.22		11,137.60	
	- सकल गैर-निष्पादक परिसंपत्ति अनुपात[7]	%	3.49%		2.45 %	
	- निवल गैर-निष्पादन परिसंपत्ति अनुपात[8]	%	1.29%		1.35 %	

नोट :

1. ऋण/इक्विटी अनुपात = कुल ऋण/निवल मूल्य
2. निवल मूल्य की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) में परिभाषित अनुसार की जाती है।
3. कुल ऋण से कुल परिसंपत्तियां = कुल ऋण / कुल परिसंपत्तियां

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

4. परिचालनगत मार्जिन = कर पूर्व शुद्ध परिचालनगत लाभ / परिचालन से कुल राजस्व
5. शुद्ध लाभ मार्जिन = कर पश्चात शुद्ध लाभ / कुल आय
6. सीआरएआर = (स्तरीयर I पूंजी +स्तरीयर II पूंजी) / जोखिम भारित परिसंपत्तियां (आरडब्ल्यूए), जिनकी गणना आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।
7. सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां अनुपात = सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां/सकल ऋण परिसंपत्तियां
8. निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां अनुपात = निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां/निवल ऋण परिसंपत्तियां

51. वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी के एक ऋणकर्ता, मैसर्स हेटेरो रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (हेटेरो) ने इरेडा से परियोजना का वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए बीपीसीएल के नाम पर 'ऑफ-टेकर एग्रीमेंट' (उठाव समझौता) से जुड़े जाली दस्तावेज़ जमा किए थे। इन दस्तावेज़ों की जांच की गई और बीपीसीएल ने पुष्टि की कि वे जाली थे। मैसर्स हेटेरो रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (हेटेरो) को ₹10.40 करोड़ का ऋण मंज़ूर किया गया था, जिसमें से इरेडा ने ₹7.80 करोड़ की राशि जारी की थी। 31.03.2026 तक बकाया मूलधन की राशि ₹7.80 करोड़ है। इरेडा की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति (एफआरएमपी) के अनुसार उचित आंतरिक जांच की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि मैसर्स हेटेरो रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने इरेडा को जाली दस्तावेज़ जमा करके धोखाधड़ी की है। ऋण लेने वाले के खिलाफ 17.07.2025 को दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त, ऋणकर्ता के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण को वसूली के रिकॉर्ड (यानी उप-मानक) के आधार पर बनाए रखा जाता है और भारतीय लेखा मानक109 के तहत ईसीएल पद्धति के अनुरूप उचित ईसीएल प्रावधान किया गया है। कंपनी के खिलाफ वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, एक आंतरिक जांच समिति ने एक ऋणकर्ता द्वारा ₹7 करोड़ की कथित तौर पर जाली बैंक गारंटी जमा करने से जुड़े मामले की जांच की। जांच करने पर बैंक गारंटी जाली पाया गया। हालांकि, बाद में ऋण लेने वाले ने उसकी जगह उतनी ही रकम की स्थाई जमा रसीदें (एफडीआर) और बैंक गारंटी (बीजी) जमा कर दीं। आरबीआई की एसबीआर मार्गदर्शन के अनुसार, इस परिसंपत्ति को जाली घोषित किया गया था। हालांकि, इस तरह के वर्गीकरण से परियोजना की स्थिति नहीं बदलेगी; यह पूरी तरह से चालू और प्रचालनगत बना रहेगा, इससे राजस्व मिलता रहेगा, ऋण का पुनर्भुगतान पहले ही शुरू हो चुका है और यह नकद प्रवाह में योगदान देता रहेगा। मौजूदा स्थिति के आधार पर, यह खाता मानक है और संपार्श्विक के अतिरिक्त परियोजना परिसंपत्ति को गिरवी रखकर सुरक्षित की गयी है; साथ ही, ईसीएल पद्धति के तहत ज़रूरी प्रावधान भी कर लिया गया है। ऋणकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय से खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित न किए जाने के लिए एक अंतरिम आदेश भी प्राप्त कर लिया है।

52. कंपनी को 16 अप्रैल 2025 को सेबी से एक अंतरिम आदेश रिपोर्ट मिली, जो ऋण लेने वाले एक ग्रुप, यानी मैसर्स जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईएल) के कामकाज में अनियमितताओं से संबंधित थी। कंपनी की आंतरिक जांच समिति ने इस मामले की जांच की और उनकी सिफारिश पर, कंपनी ने सेबी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत रेटिंग एजेंसियों को ऋणकर्ता द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों में हेरफेर और निधि के गलत प्रयोग को लेकर की गई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को जीईएल के पक्ष में जारी कुछ पीओआई/एलओसी के तहत इनवोकेशन (भुगतान की मांग) के अनुरोध प्राप्त हुए। अब तक कुल ₹ 114.58 करोड़ के पीओआई/एलओसी का आह्वान किया गया है और समझौते के अनुसार उन्हें ऋण खाते में बदल दिया गया है।

कंपनी ने ऋण वापस मंगा लिया है। इसके बाद, कंपनी ने मैसर्स जीईएल और मैसर्स जेनसोल ईवी लीज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध क्रमशः ₹510.01 करोड़ और ₹218.95 करोड़ की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में 'दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी)' की धारा 7 के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अर्ज़ी दी है, और 'ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993' की धारा 19 के तहत माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष ऋण की वसूली के लिए अर्ज़ी भी दायर की है। यह ऋण परियोजना परिसम्पत्तियों को गिरवी रखकर, परियोजना से जुड़ी चल और अचल परिसम्पत्तियों पर अतिरिक्त शुल्क, व्यक्तिगत और निगमित गारंटी, और जीईएल में 20% इक्विटी हिस्सेदारी को गिरवी रखकर सुरक्षित किया गया है।

बकाया ऋण की वसूली के लिए 25.05.2025 को डीआरटी, दिल्ली के समक्ष पुनर्प्राप्ति आवेदन भी दायर की गई है। डीआरटी ने इरेडा के अधिकृत अधिकारी को कोर्ट रिसीवर के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त करते हुए अंतरिम आदेश जारी किए हैं। कोर्ट रिसीवर ने डीआरटी, दिल्ली में हलफ़नामा दायर किया है, जिसमें गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों से जुड़ी रिपोर्ट (तस्वीरों और वीडियो सहित) रिकॉर्ड पर रखी गई है। दस्तावेज़ों को प्रदर्श के तौर पर चिह्नित करने का काम 07.10.2025 को पूरा हो गया था और मामला अभी प्रक्रियाधीन है। कंपनी ने एक फ़ोरेंसिक ऑडिटर भी नियुक्त किया है जिसने रिपोर्ट सौंप दी है; आगे की कार्रवाई चल रही है और संदिग्ध धोखाधड़ी के मामले की जांच की जा रही है।

एनसीएलटी ने 13.06.2025 को सीआईआरपी शुरू करने के लिए कंपनी की ओर से दायर अर्ज़ी को मंज़ूरी दे दी है और एनसीएलटी ने आईआरपी नियुक्त किया है, जिन्होंने (बाद में आरपी के तौर पर पुष्टि होने के बाद) मैसर्स जेनसोल इंजीनियरिंग

एकल वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

लिमिटेड और मैसर्स जेनसोल ईवी लीज प्राइवेट लिमिटेड का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। आईबीसी प्रक्रिया के अनुसार, आरपी समय-समय पर सीओसी की बैठकें आयोजित कर रहा है। समाधान प्रक्रिया में आरपी को सहायता देने के लिए मैसर्स बीडीओ रिस्ट्रक्चरिंग एडवाइजरी एलएलपी को आईपीई के तौर पर नियुक्त किया गया है। सीओसी से मिली मंज़ूरी के अनुसार, आरपी ने कंपनियों के लिए मूल्यांकनकर्ता और लेखा परीक्षक नियुक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, जीईएल और मैसर्स जेनसोल ईवी लीज प्राइवेट लिमिटेड के ऋण खाते को भी वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में एनपीए के तौर पर अवनति कर दिया गया है और भारतीय लेखा मानक 109 के तहत ईसीएल पद्धति के अनुसार उचित ईसीएल प्रावधान किया गया है। तब से समाधान पेशेवर कंपनी की परिसंपत्तियों (जिनमें गाड़ियाँ भी शामिल हैं) की पहचान कर रहा है और उन्हें अपने कब्ज़े में ले रहा है। इसके बाद, इनमें से कुछ वाहनों की आवश्यक मरम्मत और चार्जिंग भी की गई है। समाधान पेशेवर ने राजस्व कमाने और इनकी निरंतर देख-रेख सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दौरान प्रचालनगत प्रयोग के लिए इन गाड़ियों को लगाना शुरू कर दिया है।

53. आंकड़े नज़दीकी करोड़ रुपये (₹) में पूर्णांकित किये गये हैं (शेयरों की संख्या और ईपीएस को छोड़कर)। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किया गया है। 0.00 में दिए गए आंकड़े ₹50,000 से कम मूल्य को दर्शाते हैं।

सम तिथि के हमारे लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989NQ

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या: 08816532

हस्ता./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या: 07448576

हस्ता./-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक का रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड** (जिसे आगे "धारक कंपनी" कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें इसकी सहायक कंपनी भी शामिल है (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को संयुक्त रूप से आगे "समूह" कहा गया है)। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण (जिसमें अन्य व्यापक आय भी शामिल है), समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण शामिल हैं। इसके साथ ही, समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ भी शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित है (इन्हें आगे "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और सहायक कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी को निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पठित निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों ("इंड एएस") और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2026 को समूह की समेकित वित्तीय स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ, जिसमें उसकी समेकित कुल व्यापक आय भी शामिल है, समेकित इक्विटी में परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं।

राय हेतु आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानकों ("एसएएस") के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी उत्तरदायीयिों का विवरण हमारे रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षक की उत्तरदायीयिं' अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के अधीन समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायीयिों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य तथा सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं।

महत्त्वपूर्ण मामले पर जोर

हम समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित मामलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं:

i. लेखा परीक्षा समिति के गठन और समेकित वित्तीय विवरणों को अपनाने के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 38(2)।

ii. समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 38(48)(डब्ल्यू) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 के अनुपालन में, कंपनी ने आईआरएसीपी मानदंडों (मानक परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान की गणना की है तथा इंड एएस 109 के अंतर्गत ह्रासन भत्ते और आईआरएसीपी मानदंडों (मानक परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानीकरण सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों के बीच के अंतर को "ह्रासन आरक्षित निधि" में विनियोजित किया है।

iii. समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 38(48)(डी)(क) में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) के प्रकटीकरण के संबंध में, आरबीआई ने अधिसूचना सं. आरबीआई /2025-26/168 दिनांक 01 जनवरी, 2026 के माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) हेतु पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों पर संशोधन निर्देश, 2026 जारी किए हैं, जिनमें 'उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना परियोजनाओं' को दिए गए ऋणों पर लागू जोखिम-भार निर्धारण की रूपरेखा में संशोधन किया गया है। ये निर्देश 01 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे अथवा यदि किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा इन्हें पहले ही अपना लिया जाता है, तो उससे पूर्व लागू होंगे।

धारक कंपनी ने 31 मार्च, 2026 से इन निर्देशों को अपनाया है, जिसके परिणामस्वरूप जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ (आरडब्ल्यूए) में ₹7,787.77 करोड़ की कमी आई है और सीआरएआर में 1.83% की बढ़ोतरी हुई है। इन बदलावों के साथ, 31 मार्च, 2026 को सीआरएआर 20.59% पर है।

iv. धारक कंपनी के कुछ खातों के वर्गीकरण के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 38(40); इन खातों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के अंतरिम आदेशों के अनुसार स्तर III/गैर-कार्य-निष्पादन करने वाली परिसम्पत्तियों (एनपीए) के बजाय स्तर II/मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे खातों की कुल राशि ₹ 394.00 करोड़ है। हालांकि, सावधानी बरतते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एनपीए माने जाने वाले इन खातों से होने वाली ब्याज की आय को 'संग्रह के आधार' पर माना गया है और उसी के अनुसार क्षति हानि भत्ता के लिए प्रावधान किए गए हैं।

v. नए श्रमिक विधि ढाँचे पर प्रकटीकरण से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 38(6)।दिनांक 21 नवंबर 2025 को, भारत सरकार ने चार लेबर कोड (श्रमिक संहिता) अधिसूचित किए, जिनमें 29 श्रम कानूनों को एक साथ मिलाया गया और अन्य बदलावों के साथ-साथ वेतन की एक समान परिभाषा भी लागू की गई। कंपनी की वेतन संरचना पहले से ही बदली हुई परिभाषा के अनुरूप थी; इसलिए, किसी भी बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ी और कोई प्रभाव भी नहीं देखा गया। कंपनी नियमों को अंतिम रूप दिए जाने पर नज़र रखेगी और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी प्रभाव को ध्यान में रखेगी।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपने रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में माना है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक का प्रत्युत्तर
1.	**ऋण परिसंपत्तियों का ह्रास- अपेक्षित ऋण हानि** वित्तपोषण ही धारक कंपनी का प्रमुख व्यवसाय है और क्षति के कारण होने वाली हानि के प्रावधान पर विचार करने के बाद उचित मूल्य पर ऋण परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। धारक कंपनी एक बोर्ड अनुमोदित पद्धति का अनुसरण करती है, जिसमें ऋण जोखिम और क्षति के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करते हुए, एक बाहर एजेंसी द्वारा क्षति के लिए अनुमति का आकलन कुछ मानदंडों/ढांचे के आधार पर किया जाता है। परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि अनुमति (ईसीएल) के मापन के लिए, चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के कारण हानि (एलजीडी) और चूक पर जोखिम (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए जटिल मॉडलों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार (जैसे- ग्राहकों द्वारा चूक करने और परिणामी हानि की संभावना) के बारे में महत्वपूर्ण मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ये मॉडल और मान्यताएँ क्षति हानि को मापने के लिए प्रमुख चालक हैं। ईसीएल का आकलन करते समय धारक कंपनी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और ईसीएल में अंतर्निहित मान्यताओं की समय-समय पर निगरानी और समीक्षा की जाती है।	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ जिनके आधार पर हम प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता और ऋण परिसंपत्तियों की क्षति - अपेक्षित ऋण हानि के लेखांकन के संबंध में निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमने भारतीय लेखा मानक 109 "वित्तीय साधन" में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों, विभिन्न नियामक अद्यतनों, आईसीएआई के मार्गदर्शन और ईसीएल के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त कर ली है और निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है: ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण क्षति का आकलन, और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का मूल्यांकन और परीक्षण। ऋण परिसंपत्तियों में वसूली का सत्यापन किया जाता है ताकि उन पर दबाव के स्तर और एकल वित्तीय विवरणों में क्षति भत्ते पर प्रभाव का पता लगाया जा सके। दस्तावेज़ीकरण, प्रचालन/कार्य-निष्पादन, उपलब्ध प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और ऋण परिसंपत्तियों, विशेष रूप से बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी का सत्यापन/समीक्षा, ताकि किसी भी ऋण परिसंपत्ति खाते में किसी भी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक का प्रत्युत्तर
	ऐसी मान्यताओं का उचित अनुप्रयोग ऋण परिसंपत्तियों के विवरण के लिए आवश्यक है। समेकित वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि की महत्ता को देखते हुए, ऋण परिसंपत्तियों की क्षति के कारण होने वाली हानि को हमारी लेखा परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा विषय माना गया है। समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 38(19)(अ)(ii)(क) देखें, जिसे लेखांकन नीति संख्या 3(xxii) - 'वित्तीय साधन' के साथ पढ़ा गया है।	धारक कंपनी ईसीएल घटकों के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ की सेवाएँ लेती है। उक्त बाह्य विशेषज्ञ द्वारा किए गए हानि भत्ते के अध्ययन में की गई गणनाओं पर हम भरोसा करते हैं और उसके लिए परीक्षण जाँच करते हैं। इस संबंध में हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया सीमित है, क्योंकि हम ऐसे डेटा के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर एक्सेस को उक्त बाह्य विशेषज्ञ द्वारा गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए साझा नहीं किया जाता है। हमने भारतीय लेखा मानक 109 के तहत हिसाब लगाए गए 'हानि भत्ते' की तुलना आरबीआई के आईआरएसीपी नियमों के अनुसार 'प्रावधान की ज़रूरत' से की। चूंकि आईआरएसीपी नियमों के तहत प्रावधान की ज़रूरत 'अपेक्षित ऋण हानि' (ईसीएल) भत्ते से ज़्यादा थी, इसलिए हमने पुष्टि की कि कंपनी ने एक 'हानि आरक्षित' बनाया है और यह सुनिश्चित किया है कि 'इक्विटी में बदलाव का विवरण' में इक्विटी के तहत इसे एक अलग हिस्से के रूप में प्रकट किया गया है। वित्तीय विवरण में दिखाए गए हानि भत्ते और आईआरएसीपी नियमों के अनुसार किए गए प्रावधान को स्वीकार्य और संतोषजनक माना गया है।
2	**व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन** विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर के प्रति धारक कंपनी के जोखिम को कम करने के लिए, गैर-रुपया नकद प्रवाह की निगरानी की जाती है और बचाव उद्देश्य के लिए व्युत्पन्नी अनुबंध दर्ज किये जाते हैं। व्युत्पन्नों को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। बचाव लेखांकन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, बचाव संबंध को भारतीय लेखा मानक के अनुसार कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करना चाहिए। बचाव लेखांकन के परिणामस्वरूप समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, साथ ही इसके लेखांकन/धारणाओं की जटिलता और बचाव संबंध स्थापित करने के लिए उसमें कई मानदंड होते हैं। इन व्युत्पन्नों पर लाभ/हानि को भारतीय लेखा मानक द्वारा प्रदान की गयी अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। धारक कंपनी के संचालन के अनुसार ऐसे लेन-देन का परिमाण महत्वपूर्ण है। मामले के तथ्यों को देखते हुए हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना है। [लेखांकन नीति संख्या 3(xxii)-'वित्तीय साधन' के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरण हेतु नोट संख्या 38(28) देखें]	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं जिनके आधार पर हम प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता और व्युत्पन्नों के लिए लेखांकन के संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** - प्रबंधन की धारणा पर चर्चा करना और समझना तथा जोखिम प्रबंधन के लिए धारक कंपनी की नीति का अध्ययन करना। - भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार व्युत्पन्नी के उचित मूल्य का सत्यापन, व्युत्पन्नी लेन-देन की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण करना। - व्युत्पन्नी लिखतों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और मूल्यांकन मॉडल पर प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन। - 31 मार्च, 2026 तक निपटान के लिए बकाया/लंबित के रूप में विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्नी अनुबंधों का विवरण प्राप्त किया। - 31 मार्च 2026 तक बकाया व्युत्पन्न सौदे के लिए धारक कंपनी द्वारा बाह्य मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त मार्क टू मार्केट मूल्यांकन रिपोर्ट का सत्यापन। - उन वित्तीय व्युत्पन्नी अनुबंधों हेतु प्राप्त उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। - व्युत्पन्नी लिखतों हेतु लागू मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता और नमूना आधार पर उनका परीक्षण करना। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि खाते में व्युत्पन्नी पर लाभ/हानि के लेखांकन का सत्यापन किया। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक के रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए धारक कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक का रिपोर्ट सहित निदेशक के रिपोर्ट का अनुलग्नक, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में निहित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट शामिल नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्य जानकारी को इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख़ के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के अंतर्गत अन्य जानकारी नहीं आती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी उत्तरदायी है कि जब ऊपर पहचानी गयी अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त की गयी हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऊपर बतायी गयी अन्य जानकारी पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें मामले को अभिशासन के प्रति उत्तरदायी लोगों को बताना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करना होगा। सहायक कंपनी से संबंधित अन्य जानकारी, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किए गए उनके वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी से ली गई है।

प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन बाबत प्रभारी लोगों की उत्तरदायीयिँ

धारक कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की स्थिति (वित्तीय स्थिति), समेकित लाभ या हानि (समेकित अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

इस उत्तरदायी में समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, समूह में शामिल कंपनियों के निदेशक मंडल, संबंधित संस्थाओं को एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखने के लिए उनका मूल्यांकन करने, जहाँ लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल अपनी-अपनी संस्थाओं का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखें, या ऐसा करने के अतिरिक्त उनके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख हेतु उत्तरदायी होते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षक की उत्तरदायीयिँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखा-परीक्षा के अनुसार आयोजित एक लेखा-परीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा कर सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखा-परीक्षा के अंग स्वरूप, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेहवाद बनाये रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और निष्पादित करना तथा लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी से

उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा-परीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों के अनुकूल हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या समूह के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है;

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और समूह की सम्बंधित कंपनियों के प्रबंधन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा-परीक्षक के रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।

- प्रकटीकरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए समूह के अंतर्गत संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त और उचित लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए हम उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा-परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखा-परीक्षक अपने द्वारा की गई लेखा-परीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे। हम अपनी लेखा-परीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी बने रहेंगे।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावित बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा-परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में पहचाने गये किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम धारक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य इकाई के अभिशासन के लिए उत्तरदायी लोगों के साथ, अन्य मामलों के अतिरिक्त, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम अभिशासन के लिए प्रभारी लोगों को यह भी विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी करते हैं।

अभिशासन के लिए उत्तरदायी लोगों के साथ संवाद किये गये मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं, जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे तथा इस प्रकार वे प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में तब तक करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

अन्य मामले

i. हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की, जिसके एकल वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2026 तक कुल परिसंपत्तियां ₹33.75 करोड़, कुल राजस्व ₹0.14 करोड़, कुल शुद्ध लाभ ₹0.67 करोड़, कुल व्यापक आय ₹3.70 करोड़ तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹5.59 करोड़ की शुद्ध नकद अंतर्वाह प्रतिबिंबित है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।

ii. विगत प्रथाओं के अनुसार, ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में, धारक कंपनी ने कंपनी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रस्तुत ईसीएल रिपोर्ट के आधार पर भारतीय लेखा मानक 109 के अंतर्गत आवश्यक अनुसार अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) प्रदान की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी मानदंडों/कुछ पहलुओं पर आधारित धारणाएँ भी शामिल हैं। ऐसी रिपोर्ट का प्रयोग करने से ईसीएल का अनुमान लगाने की प्रबंधन की उत्तरदायी कम नहीं होती, और न ही प्रयोग की गई मान्यताओं, तरीक़ों और डेटा का मूल्यांकन करने की हमारी उत्तरदायी कम होती है।

iii. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए धारक कंपनी की लेखा परीक्षा कंपनी के मौजूदा संयुक्त लेखा परीक्षकों में से एक, मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था। मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार ने 15 अप्रैल, 2025 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के ज़रिए उन वित्तीय विवरणों पर बिना किसी बदलाव के अपनी राय ज़ाहिर की।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार, हम समूह के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में **"अनुलग्नक-क"** में जानकारी देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे रिपोर्ट और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट और समूह में शामिल सहायक कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार के आधार पर, हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

   क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, समूह द्वारा विधि अनुसार अनुरक्षित यथा अपेक्षित उचित लेखा-बहियाँ, जिसमें पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के तैयार करने से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं, उन बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों से यह प्रतीत होता है कि इन्हें उचित रूप से रखा गया है।

   ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और नकद प्रवाह का समेकित विवरण, लेखा-बही के अनुरूप हैं;

   घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

   ङ) निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   च) निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 धारक कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   छ) समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया **"अनुलग्नक-ख"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   ज) कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 ('लेखा-परीक्षा नियम') के नियम 11 के अनुसार लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

      i. समेकित वित्तीय विवरण अपने समेकित वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों की नोट 38 (16) देखें।

      ii. व्युत्पन्नी अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के अधीन अपेक्षित अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है : - समेकित वित्तीय विवरणों की नोट 38(19)(स)(II)(ग) देखें।

      iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे समूह द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

      iv.

         (क) धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखा-परीक्षा की गई है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षकों (नोट 38(26) देखें) को बताया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, धारक कंपनी और उसकी

सहायक कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे ऋण ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ख) धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखा-परीक्षा की गई है, के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षकों को [नोट 38(26) देखें] बताया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्था ("निधियन पार्टियां") शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि नियंत्रण कंपनी और उसकी सहायक कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देंगी या निवेश करेंगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेंगी; और

(ग) लेखा-परीक्षाप्रक्रिया के आधार पर, जिसे परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप खंड (क) और (ख) के अधीन अभिवेदनों में कोई महत्वपूर्ण गलत कथन है।

v. वर्ष के दौरान धारक कंपनी द्वारा घोषित अंतरिम लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल थी और इसकी सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के आधार पर 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु अपने खाते की बहियों को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा-परीक्षा सत्यापन (लॉग संपादित करें) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान हमें लेखा-परीक्षा सत्यापन की सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला और प्रबंधन ने कहा है कि लेखा-परीक्षा सत्यापन की सुविधा को अक्षम नहीं किया जा सकता। धारक कंपनी और सहायक कंपनी ने रिकॉर्ड रखने की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा-परीक्षा सत्यापन को संरक्षित रखा है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुच्छेद 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जिसे लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हम बताते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल एक सहायक कंपनी की उपलब्ध सीएआरओ रिपोर्ट में संबंधित लेखा परीक्षक ने कोई योग्यता या प्रतिकूल नोट नहीं दी है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417
यूडीआईएन: 26098417ALCIYA2123

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607
यूडीआईएन: 26098607IXKOAG7909

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मंतव्य।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की उत्तरदायी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा-परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा कहा गया है कि यह कार्य उनके द्वारा 29.05.2026 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6) (क) के अधीन 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा आयोजित की है। हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन वैधानिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई नोट या अनुपूरक करने की आवश्यकता हो।

कृते तथा उनकी ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.07.2026

हस्ता./-
(डॉ. कविता प्रसाद)
निदेशक लेखा-परीक्षा, केन्द्रीय व्यय
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

समेकित तुलन-पत्र

31 मार्च, 2026 को

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2026 को	31.03.2025 को
I	**परिसम्पत्तियां**			
अ	**वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समतुल्य	2	47.69	57.29
	(ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त बैंक शेष	3	702.51	461.01
	(ग) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	4	997.49	487.89
	(घ) प्राप्य			
	(I) व्यावसायिक प्राप्य	5	3.15	5.93
	(ङ) ऋण	6	90,196.59	74,271.54
	(च) निवेश	7	883.82	600.14
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	23.44	28.05
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (अ)		**92,854.69**	**75,911.85**
ब	**गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) चालू कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	9	112.93	219.90
	(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	10	476.31	360.57
	(ग) निवेश संपत्ति	11	0.02	0.02
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)	12	177.37	199.68
	(ङ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	13	-	-
	(च) परिसम्पत्तियां उपयोग का अधिकार	14	138.64	143.60
	(छ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	15	0.23	-
	(ज) अमूर्त परिसम्पत्तियां	16	4.34	5.49
	(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	17	43.34	26.28
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (ब)		**953.18**	**955.54**
	कुल परिसंपत्तियाँ (अ+ब)		**93,807.87**	**76,867.39**
II	**देयताएँ और इक्विटी**			
	देयताएँ			
अ	**वित्तीय देयताएँ**			
	क) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	4	47.40	23.20
	(ख) देय			
	(I) व्यावसायिक देय राशि	18		
	(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		1.12	1.07
	(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		3.39	8.05
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ	19	28,421.60	28,446.24
	(घ) ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	20	46,166.69	33,489.50
	(ङ) अधीनस्थ देयताएँ	21	3,257.34	2,804.57
	(च) अन्य वित्तीय देयताएँ	22	1,730.34	1,472.05
	कुल वित्तीय देयताएँ (अ)		**79,627.88**	**66,244.68**
ब	**गैर-वित्तीय देयताएँ**			
	(क) प्रावधान	23	196.76	169.05
	(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	24	197.81	187.13
	कुल गैर-वित्तीय देयताएँ (ब)		**394.57**	**356.18**
स	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	2,809.23	2,687.76
	(ख) अन्य इक्विटी	26	10,976.19	7,578.78
	कुल इक्विटी (स)		**13,785.42**	**10,266.54**
	कुल देयताएँ और इक्विटी (अ+ब+स)		**93,807.87**	**76,867.39**

समूह अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी 1
साथ में दी गई नोट 1 से 38 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि के हमारे लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या : 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
डॉ.बी के महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या: 08816532

हस्ता./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या: 07448576

हस्ता./-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

लाभ और हानि का समेकित विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	नोट सं.	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
I	**प्रचालन से राजस्व**			
i)	ब्याज आय	27	8,180.46	6,576.30
ii)	शुल्क और कमीशन आय	28	58.83	95.71
iii)	उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि)	29	31.21	13.13
iv)	अन्य प्रचालन आय	30	39.91	58.18
	प्रचालन से कुल राजस्व (I)		**8,310.41**	**6,743.32**
II	**अन्य आय**	**31**	**28.48**	**12.37**
III	**कुल आय (I+II)**		**8,338.89**	**6,755.69**
IV	**व्यय**			
i)	वित्त लागत	32	4,904.68	4,141.05
ii)	शुद्ध परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)	33	43.41	41.61
iii)	वित्तीय लिखतों पर हानि	34	777.08	237.23
iv)	कर्मचारी लाभ व्यय	35	105.55	81.66
v)	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	36	43.89	38.87
vi)	अन्य व्यय	37	93.20	86.95
vii)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	38(38)	33.50	24.78
	कुल व्यय (IV)		**6,001.31**	**4,652.15**
V	**असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**2,337.58**	**2,103.54**
VI	**असाधारण मदें**		**-**	**-**
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**2,337.58**	**2,103.54**
VIII	**कर व्यय**	**38(3)**		
	(i) चालू कर		565.12	471.31
	-वर्तमान वर्ष		580.45	477.02
	-पूर्ववर्ती वर्ष		(15.33)	(5.71)
	(ii) आस्थगित कर		(101.54)	(66.11)
IX	निरंतर प्रचालन से लाभ/(हानि) (VII-VIII)		1,874.00	1,698.34
	बंद प्रचालन से लाभ/(हानि)		-	-
X	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**		**1,874.00**	**1,698.34**
XI	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)			
(अ)	**(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन :-		(41.51)	(20.78)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		10.45	5.23
	उप-योग (अ)		(31.06)	(15.55)
(ब)	**(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा :-**			
	- नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		202.03	111.96
	-समेकन पर परिवर्तन आरक्षित निधि		3.03	0.64
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(50.85)	(28.18)
	उप-योग (ब)		**154.21**	**84.42**
	अन्य व्यापक आय (अ+ब)		**123.15**	**68.87**
XII	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (X+XI) [लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सम्मिलित]**		**1,997.15**	**1,767.21**
XIII	**आय प्रति इक्विटी शेयर (निरंतर प्रचालन हेतु)**			
	मूल (₹)	38(14)	6.73	6.32
	डाइल्यूटेड (₹)		6.73	6.32
XIV	**आय प्रति इक्विटी शेयर (बंद प्रचालन हेतु)**			
	मूल (₹)		-	-
	डाइल्यूटेड (₹)		-	-
XV	**आय प्रति इक्विटी शेयर (निरंतर और बंद प्रचालन हेतु)**			
	मूल (₹)		6.73	6.32
	डाइल्यूटेड (₹)		6.73	6.32

समूह अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी 1
साथ में दी गई नोट 1 से 38 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि के हमारे लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या : 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
डॉ.बी के महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या: 08816532

हस्ता./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या: 07448576

हस्ता./-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

नकद प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
अ	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :**					
	कर पूर्व लाभ		**2,337.58**		**2,104.17**	
	निम्न हेतु समायोजन:					
	1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करने पर हानि/(लाभ) (शुद्ध)	1.08		0.54	
	2	वित्तीय साधनों पर हानि	777.08		237.23	
	3	मूल्यह्रास और परिशोधन	43.89		38.87	
	4	डब्ल्यूबी अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन	0.37		0.37	
	5	पट्टा देयता पर ब्याज	0.40		0.36	
	6	शुद्ध परिवर्तन/ लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)	43.41		41.61	
	7	वापस लिखा गया प्रावधान - -	-		(0.01)	
	8	बट्टे खाते डाली गई राशि / खराब ऋण	14.55		17.02	
	9	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	3.51		4.09	
	10	ऋण प्रतिभूतियों पर प्रभावी ब्याज दर	0.51		(7.36)	
	11	अधीनस्थ देयताओं पर प्रभावी ब्याज दर	(0.24)		(2.21)	
	12	ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	62.05		43.03	
	13	कर्मचारियों के लिए ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	0.19		-	
	14	अप्रत्यक्ष कर (गारंटी कमीशन पर सहित) और अन्य के लिए प्रावधान	6.26		23.22	
	15	निवेश की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(0.22)		-	
	16	उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध हानि / (लाभ)	31.21		13.13	
	परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**3,321.63**		**2,514.06**	
	परिचालन परिसंपत्तियों/देनदारियों में वृद्धि/कमी					
	1	ऋण परिसंपत्तियां	(16,797.34)		(16,623.35)	
	2	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों	(516.61)		(202.05)	
	3	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	(30.26)		(53.58)	
	4	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	(18.72)		3.64	
	5	व्यावसायिक प्राप्य	2.77		0.09	
	6	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	26.88		33.70	
	7	अन्य वित्तीय देयताएं	290.18		409.63	
	8	व्यावसायिक देय	**(4.61)**		1.82	
	9	नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक शेष	(241.50)		20.35	
			(17,289.21)		**(16,409.75)**	
	असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से नकद प्रवाह		**(13,967.58)**		**(13,895.69)**	
		असाधारण मद	-		-	
	कर पूर्व परिचालन से शुद्ध नकद अन्तर्वाह/(बहिर्वाह)		**(13,967.58)**		**(13,895.69)**	
		आयकर	(509.00)		(563.99)	
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह			**(14,476.58)**		**(14,459.68)**
ब	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**					
	1	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की खरीद (आरओयू सहित)	(15.04)		(25.38)	
	2	अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद	(0.39)		(1.93)	
	3	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री (आरओयू सहित)	0.16		0.32	
	4	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	(0.23)		-	
	5	सरकारी प्रतिभूतियों (शुद्ध) एवं सहायक कंपनी में निवेश	(265.36)		(490.39)	
	6	पूँजीगत कार्य-प्रगति-पर (सीडब्ल्यूआईपी) में संयोजन	-		(0.27)	
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह			**(280.86)**		**(517.65)**
स	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**					
	1	इक्विटी शेयरों के निर्गम से आय	121.47		-	
	2	प्रतिभूति प्रीमियम से आय	1,884.43		-	
	3	शेयर निर्गम व्यय	(14.87)		-	
	4	ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम (मोचन का शुद्ध)	(25.16)		10,740.00	

नकद प्रवाह का समेकित विवरण
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र.सं.	विवरण		31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
	5	पीडीआई सहित अधीनस्थ देनदारियों को जुटाना (मोचन का निवल)	453.01		2,157.37	
	6	ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अन्य ऋण उगाही (पुनर्भुगतान का निवल)	12,329.27		2,063.33	
	7	पट्टा देयता बाबत भुगतान	(0.31)		(0.29)	
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह			**14,747.84**		**14,960.41**
	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/कमी			**(9.60)**		**(16.92)**
	शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष			57.29		74.21
	अंत में नकद और नकद समकक्ष			47.69		57.29
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष के घटक निम्नानुसार हैं:					
	बैंकों की भारतीय शाखा के चालू खातों में			3.16		19.74
	बैंकों की विदेशी शाखा के चालू खातों में			1.36		0.02
	विदेशी शाखाओं में अल्पावधि जमा			31.55		27.75
	बैंकों के साथ ओवरड्राफ्ट खातों में			3.91		1.90
	बैंकों के साथ जमा खातों में			1.15		-
	बैंकों के साथ बचत बैंक खातों में			6.56		7.88
	संग्रह के अधीन चेक/डीडी हाथ में और डाक अग्रदाय			0.00		0.00
	वर्ष के अंत में कुल नकद और नकद समकक्ष			**47.69**		**57.29**

समूह अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी 1
साथ में दी गई नोट 1 से 38 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

1 नकद प्रवाह का उपर्युक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकद प्रवाह का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अधीन तैयार किया गया है।

2 परिसंपत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण तथा सीएसआर गतिविधियों से संबंधित अन्य उद्देश्यों पर व्यय की गयी राशि के लिए नोट 38 (38) देखें।

3 ऊपर प्रस्तुत रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में नकद तथा नकद समकक्षों एवं बैंक में शेष राशि के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

4 जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित तथा पुनर्समूहित किया गया है।

सम तिथि के हमारे लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या : 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
डॉ.बी के महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या: 08816532

हस्ता./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या: 07448576

हस्ता./-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

अ. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या (अदद)	राशि (₹ करोड़ में)
जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त :		
01.04.2024 को आरंभिक शेष राशि	2,68,77,64,706	2,687.76
वर्ष के दौरान परिवर्तन		
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी		
(i) इक्विटी शेयरों का नया निर्गम	-	-
(ii) अदत्त पूंजी की मांग	-	-
31.03.2025 को अंतिम शेष राशि	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**
01.04.2025 को प्रारंभिक शेष राशि	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**
वर्ष के दौरान परिवर्तन		
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी		
(i) इक्विटी शेयरों का नया निर्गम	12,14,66,562	121.47
(ii) अप्रदत्त पूंजी की मांग	-	-
31.03.2026 को अंतिम शेष राशि	**2,80,92,31,268**	**2,809.23**

(₹ करोड़ में)

ब. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष										
	सामान्य आरक्षित	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित	डिबेंचर मोचन आरक्षित	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ISी के तहत एनबीएफसी आरक्षित	प्रतिधारित आय	प्रतिभूति प्रीमियम	समेकन पर परिवर्तन आरक्षित	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित	हानि आरक्षित	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	कुल
01.04.2024 तक प्रारंभिक शेष राशि	**2,610.48**	**1,581.10**	**397.75**	**712.83**	**38.26**	**863.63**	**-**	**(318.37)**		**(14.02)**	**5,871.66**
शेयर जारी करने का खर्च (कर लाभों का निवल)	-	-	-	-	-	0.63	-	-	-	**-**	**0.63**
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	1,698.34	-	-	-	-	**-**	**1,698.34**
ओसीआई के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	-	-	-	-	(15.55)	-	-	-	-	**83.78**	**68.23**
सहायक कंपनी के समेकन पर परिवर्तन आरक्षित	-	-	-	-	-	-	0.64	-	-	**-**	**0.64**
31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,682.78**	**-**	**0.64**	**-**	**-**	**83.78**	**1,767.20**
वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय से/में शुद्ध अंतरण	950.00	362.00	41.26	340.00	(1,693.26)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर में संयोजन	-	-	-	-	-	-	-	(65.26)	-	**-**	**(65.26)**
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर का परिशोधन	-	-	-	-	-	-	-	4.55	-	**-**	**4.55**
31.03.2025 को अंतिम शेष राशि	3,560.48	1,943.10	439.01	1,052.83	27.78	864.26	0.64	(379.08)	-	**69.76**	**7,578.78**
01.04.2025 को प्रारंभिक शेष राशि	**3,560.48**	**1,943.10**	**439.01**	**1,052.83**	**27.78**	**864.26**	**0.64**	**(379.08)**	**-**	**69.76**	**7,578.78**
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम	-	-	-	-	-	1,884.43	-	-	-	-	**1,884.43**
शेयर जारी करने का खर्च (कर लाभों का निवल)	-	-	-	-	-	(11.13)	-	-	-	-	**(11.13)**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	1,874.00	-	-	-	-	**-**	**1,874.00**
ओसीआई के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	-	-	-	-	(31.06)	-	-	-	-	**151.19**	**120.12**
सहायक कंपनी के समेकन पर परिवर्तन आरक्षित	-	-	-	-	-	-	3.03	-	-	**-**	**3.03**
31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,842.93**	**-**	**3.67**	**-**	**-**	**151.19**	**1,997.79**

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष										
	सामान्य आरक्षित	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित	डिबेंचर मोचन आरक्षित	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ISी के तहत एनबीएफसी आरक्षित	प्रतिधारित आय	प्रतिभूति प्रीमियम	समेकन पर परिवर्तन आरक्षित	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित	हानि आरक्षित	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	कुल
वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में/से निवल अंतरण	250.00	466.00	-	375.00	(1,391.46)	-	-	-	300.46	-	-
साधारण आरक्षित को अंतरण	439.01	-	(439.01)		-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	(168.55)	-	-	-	-	-	**(168.55)**
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर में संयोजन	-	-	-	-	-	-	-	(319.29)	-	-	**(319.29)**
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर का परिशोधन	-	-	-	-	-	-	-	14.79	-	-	**14.79**
31.03.2026 को अंतिम शेष राशि	**4,249.49**	**2,409.10**	**-**	**1,427.83**	**310.71**	**2,737.56**	**3.67**	**(683.58)**	**300.46**	**220.95**	**10,976.19**

समूह अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी
साथ में दी गई नोट 1 से 38 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि के हमारे लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या : 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
डॉ.बी के महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या: 08816532

हस्ता./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या: 07448576

हस्ता./-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 1: समेकित वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की जानकारी

1) समूह की जानकारी

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("इरेडा" या "कंपनी") **(सीआईएन : L65100DL1987GOI027265**) भारत में वर्ष 1987 में निगमित हुई थी। यह कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका मुख्यालय भारत में है और यह शेयरों द्वारा सीमित है। इसका पंजीकृत कार्यालय और व्यवसाय का मुख्य स्थान प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, ईस्ट कोर्ट, कोर-4ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अतिरिक्त, कंपनी के शाखा कार्यालय भी हैं और केरल राज्य के कासरगोड में स्थित एक 50 मेगावाट की सौर परियोजना भी इसके स्वामित्व में है।

कंपनी भारत सरकार का एक [नवरत्न] उद्यम है जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण में है और "शाश्वत ऊर्जा" के ध्येय के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और प्रदान करने में लगी हुई है।

कंपनी एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडीएसआई)/ एनबीएफसी मिडिल लेयर (एमएल) है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है।

कंपनी के इक्विटी शेयर और ऋण प्रतिभूतियाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

कंपनी के पास आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र)-गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में "इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड" ("आईजीईएफआईएल" या "सहायक कंपनी") नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो 07.05.2024 को निगमित हुई थी। इस सहायक कंपनी को एक वित्त कंपनी के रूप में कार्य करने हेतु आईएफएससीए से दिनांक 18.02.2025 का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है।

ये समेकित वित्तीय विवरण इरेडा और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (जिन्हें सामूहिक रूप से 'समूह' कहा जाता है) के वित्तीय विवरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह समूह मुख्य रूप से ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और प्रदान करने में लगा हुआ है।

2) तैयारी का आधार

(i) भारतीय लेखा मानक के अनुपालन का विवरण

समूह के समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) के अनुपालन में तथा आगे संशोधित रूप में तैयार किये गये हैं।

समेकित वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तथा लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार किये जाते हैं। समूह ने ऐतिहासिक लागत परंपरा को अपनाया है, सिवाय कुछ मदों के जिन्हें विभिन्न आधार पर मापा गया है तथा ऐसे आधार को प्रासंगिक लेखांकन नीति में प्रकट किया गया है।

समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड III की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं। नकद प्रवाह का समेकित विवरण, भारतीय लेखा मानक 7 'नकद प्रवाह का विवरण' की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है।

लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहां नये जारी किये गये लेखांकन मानक को आरंभ में अपनाया गया है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है।

(ii) अनुमानों का उपयोग

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन को निर्णय, अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो प्रतिवेदित राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों तथा देनदारियों की राशियों तथा संबंधित प्रकटीकरणों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी में उपयोग किये गये अनुमान विवेकपूर्ण तथा उचित हैं। भावी परिणाम इन

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमान में किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य की अवधि में भावी दृष्टि से मान्यता दी जाती है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने और अनिश्चितता का आकलन करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

(अ) महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता की मान्यता - जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, समूह प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत अनुरक्षित और सृजित विशेष आरक्षित निधि से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, अनुरक्षित और सृजित विशेष आरक्षित निधि को उलटा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, समूह उक्त आरक्षित निधि पर कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाता है।

परिसंपत्तियों की हानि के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाह्य और आंतरिक कारकों का आकलन करने की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है।

क्रेडिट-ह्रासित ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - क्रेडिट-ह्रासित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को विवेकपूर्ण तरीके से मान्यता नहीं दी जा रही है, क्योंकि दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के परिणाम लंबित हैं।

पूर्व अवधि मद का महत्व

पूर्व अवधि मद जिनका महत्व नहीं हैं, उन्हें तुलनात्मक राशियों के पुनर्कथन के माध्यम से पूर्वव्यापी रूप से ठीक नहीं किया जाता है और उन्हें चालू वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

मदों की चूक या गलत बयानी महत्वपूर्ण है यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। महत्वपूर्णता आस-पास की परिस्थितियों में आंकी गयी चूक या गलत बयानी के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। मदों के आकार और प्रकृति का संयोजन निर्धारण कारक हैं।

(ब) महत्वपूर्ण अनुमान

मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन - प्रबंधन प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएँ तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित हैं जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती हैं।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ का प्रबंधन अनुमान कई अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित है जैसे कि मुद्रास्फीति की मानक दरें, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा। इन मान्यताओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य माप - प्रबंधन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं)। इसमें बाजार सहभागियों द्वारा साधन की कीमत निर्धारित करने के तरीके के अनुरूप अनुमान और मान्यताएँ विकसित करना शामिल है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, समूह बाजार अवलोकनीय डेटा का उपयोग करता है, जहाँ तक यह उपलब्ध है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की जाने वाली अपेक्षित राशि और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता के संबंध में आयकर के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

अपेक्षित ऋण हानि ('ईसीएल') - परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ते के मापन के लिए जटिल मॉडलों और भावी आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार (जैसे, ग्राहकों द्वारा चूक करने और उसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान की संभावना) के बारे में महत्वपूर्ण मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ईसीएल का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करते समय समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मानदंड निर्धारित करना;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबंधित ईसीएल के लिए अग्रगामी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार स्थापित करना;
- ईसीएल को मापने के लिए समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह स्थापित करना; और
- चूक की संभावना और चूक के कारण नुकसान का अनुमान लगाना (चूक के मामले में वसूली योग्य राशियों का अनुमान)।

प्रावधान: देयता (मुकदमों सहित) की पहचान और परिमाणीकरण के समय के लिए मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। प्रावधानों और देनदारियों की वहन राशि की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बदलते तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है।

(iii) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ('आईएनआर') में प्रस्तुत किये जाते हैं, जो समूह की प्रकार्यात्मक मुद्रा है।

3) समूह की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(i) समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को सम्मिलित करते हैं। समेकन के उद्देश्य से सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी की प्रतिवेदित तिथि तक तैयार किए जाते हैं।

(ii) सहायक कंपनी

एक सहायक कंपनी एक इकाई होती है जिस पर कंपनी का नियंत्रण होता है। कंपनी किसी इकाई को तब नियंत्रित करती है जब कंपनी उस इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनशील प्रतिफल प्राप्त करती है या उसके पास उस पर अधिकार होते हैं और इकाई की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की अपनी शक्ति के माध्यम से उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। सहायक कंपनियों का पूर्ण समेकन उस तिथि से होता है जिस दिन कंपनी नियंत्रण प्राप्त करती है।

कंपनी अपनी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर संयोजित करती है, और परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय और व्यय की मदों को एक साथ जोड़ती है। सहायक कंपनी में कंपनी के निवेश की वहन राशि और सहायक कंपनी की इक्विटी में कंपनी के हिस्से को हटा दिया जाता है। अंतर-कंपनी लेन-देन, शेष राशि, कंपनी और सहायक कंपनी के बीच लेन-देन पर अप्राप्त लाभ को हटा दिया जाता है। अप्राप्त हानियाँ भी समाप्त कर दी जाती हैं, जब तक कि लेन-देन से हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण न मिले।

समेकित वित्तीय विवरण समान लेन-देनों और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुए तैयार किए जाते हैं और जहाँ तक संभव हो, कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के समान तरीके से ही प्रस्तुत किए जाते हैं, सिवाय इसके कि अन्यथा कहा गया हो। आवश्यकता पड़ने पर, वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है ताकि उनकी लेखांकन नीतियों को समूह की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाया जा सके। यदि कंपनी अपनी किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देती है, तो वह उस सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों और किसी भी संबंधित गैर-नियंत्रक हित (एनसीआई) और इक्विटी के अन्य घटकों की मान्यता रद्द कर देती है। पूर्व सहायक कंपनी में रखे गए किसी भी हित को नियंत्रण खोने की तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। परिणामी किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई))

(iii) मूर्त परिसंपत्तियां (पीपीई)

पीपीई (मूर्त परिसंपत्तियां) को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत में उसका क्रय मूल्य शामिल होता है, जिसमें आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य कर, व्यावसायिक छूट और रियायत घटाने के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर ऋण लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई भी लागत शामिल होती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाले स्टोर और स्पेयर को पूंजीकृत किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

समूह ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मापने के लिए अनुवर्ती मान्यता के लागत मॉडल को अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप, सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उसकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है।

अ-मान्यता

पीपीई की किसी वस्तु की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उसका निपटान हो जाता है, या जब उसके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो। पीपीई की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि, जो शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापी जाती है, को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य -प्रगति-पर

रिपोर्ट तिथि पर निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य-प्रगति-पर ' के रूप में दर्शाया गया है। इस लागत में क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर, व्यावसायिक छूट और रियायत घटाने के बाद, पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करने पर ऋण लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई भी लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए भुगतान किए गए अग्रिम, जो समेकित तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं, उन्हें 'पूंजीगत अग्रिम' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

(iv) अमूर्त परिसंपत्तियाँ और परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। लागत में क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर, व्यावसायिक छूट और रियायतें घटाने के बाद, पूंजीकरण मानदंडों की पूर्ति होने पर ऋण लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए आवश्यक स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई भी लागत शामिल होती है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता तब दी जाती है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्तियों से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे।

परिमित उपयोगी जीवन वाली सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को बाद में लागत मॉडल पर मान्यता दी जाती है। इन अमूर्त परिसंपत्तियों को बाद में उनकी लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर रखा जाता है।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

किया गया व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण के लिए पात्र है, को तब तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ' के रूप में रखा जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएँ।

अ-मान्यता

किसी अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उसका निपटान हो जाता है, या जब उसके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि, जो शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापे जाते हैं, को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

(v) मूल्यह्रास और परिशोधन

मूर्त पीपीई पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट तरीके और उपयोगी जीवन के अनुसार अपलिखित मूल्य आधार (डब्ल्यूडीवी) पर प्रदान किया जाता है, सिवाय नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों के:

- लाइब्रेरी पुस्तकों पर मूल्यह्रास खरीद वर्ष में 100% की दर से प्रदान किया जाता है।
- सौर ऊर्जा परियोजना के पीपीई पर मूल्यह्रास, प्रासंगिक केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और प्रासंगिक राज्य आयोग टैरिफ आदेशों के अधीन निर्धारित दरों/पद्धति पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।
- ₹5,000 या उससे कम की परिसंपत्तियों के संबंध में खरीद के वित्त वर्ष में 100% की दर से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।
- अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर प्रदान किया जा रहा है।
- कर्मचारियों से संबंधित परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, संबंधित योजनाओं के अनुरूप, एक निश्चित अवधि के दौरान किया जाता है।
- कर्मचारी-संबंधी योजना के अंतर्गत खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, संबंधित योजना में बताई गई परिसंपत्ति की उपयोगी आयु के अनुसार, अपलिखित मूल्य आधार (डब्ल्यूडीवी) के आधार पर लगाया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

- सभी पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी आयु की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है। यदि कोई परिवर्तन होता है, तो उसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में दर्ज किया जाता है।

- **अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी आयु:**

परिसंपत्ति का विवरण	अनुमानित उपयोगी आयु	मूल लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	60 वर्ष	5%
कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ		
-लैपटॉप/कंप्यूटर	3 वर्ष	5%
-सर्वर	6 वर्ष	5%
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	5%
फर्नीचर और फिक्सचर	10 वर्ष	5%
वाहन	8 वर्ष	5%
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5 वर्ष	0%

- **सीईआरसी के आदेश के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन**

परिसंपत्ति विवरण	अनुमानित उपयोगी आयु	मूल लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य
सौर संयंत्र	25 वर्ष	10%

(vi) सरकारी और अन्य अनुदान/सहायता

समूह सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकता है जिसके लिए समूह की प्रचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है या समूह को कुछ अर्हता मानदंडों के आधार पर वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

सरकारी अनुदान तब मान्यता प्राप्त होते हैं जब यह उचित आश्वासन होता है कि अनुदान प्राप्त होगा और समूह उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करने में सक्षम होगा। इन अनुदानों को अनुदान की प्रकृति के आधार पर परिसंपत्तियों और राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को खरीदने, निर्माण करने या अन्यथा प्राप्त करने की शर्त वाले सरकारी अनुदानों को शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है। आस्थगित आय के रूप में एकबार मान्यता प्राप्त होने पर, ऐसे अनुदानों को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है। अनुमानों में परिवर्तन को परिसंपत्ति के शेष जीवनकाल में भावी रूप से मान्यता दी जाती है।

आर्थिक सहायता से संबंधित अनुदान को आस्थगित किया जाता है और संबंधित लागतों, जिसके लिए क्षतिपूर्ति करने का उद्देश्य है, को व्यय किये जाने की अवधि में लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (एनआरएसई) के निर्दिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सहायता अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसका लेखा-जोखा रखा जाता है।

तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के अंतर्गत किये गये व्यय को वसूली योग्य माना जाता है और इसे 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से प्रतिपूर्ति की गयी सहायता उक्त खाते में जमा की जाती है।

(vii) पट्टे

- **पट्टेदार के रूप में**

समूह अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करता है कि क्या कोई अनुबंध पट्टा है, या उसमें कोई पट्टा शामिल है। यदि कोई अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी निश्चित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान करता है, तो वह अनुबंध एक पट्टा है, या उसमें एक पट्टा शामिल है। यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, समूह यह पता लगाता है कि क्या

i. अनुबंध में वर्गीकृत की गयी परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है;
ii. समूह को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हैं, और
iii. समूह को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

समूह सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करता है, सिवाय अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों के। समूह पट्टा भुगतान करने के लिए पट्टा देयताओं को मान्यता देता है तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देता है, जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है।

i) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ

समूह पट्टे की आरंभ तिथि (यानी, वह तिथि जब अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें से संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान घटायी जाती है और पट्टा देनदारियों के किसी भी पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें और आरंभ तिथि पर या उससे पहले किये गये पट्टा भुगतान में से प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

ii) पट्टा देयताएँ

पट्टे की आरंभ तिथि पर, समूह पट्टे की अवधि में किये जाने वाले पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गयी पट्टा देयताओं को मान्यता देती है। पट्टा भुगतानों में निश्चित भुगतान (मूल रूप से निश्चित भुगतानों सहित) कम कोई भी पट्टा प्रोत्साहन प्राप्तियाँ, परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर हैं, और अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशियाँ शामिल हैं। समूह पट्टा आरंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है। वृद्धिशील ऋण दर ऋण की अवधि के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर है यदि ऋण 3 वर्ष तक का है। 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, 3 वर्ष के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर ली जा सकती है।

iii) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

अल्पावधि पट्टों (जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने तक होती है) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों (₹10,00,000 तक मूल्य वाली परिसंपत्ति) के पट्टों पर पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। पट्टे की अवधि पट्टे की गैर-रद्द करने योग्य अवधि को लेकर निर्धारित की जाती है, साथ ही दोनों को मिलाकर:

क) पट्टे को बढ़ाने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि, यदि पट्टेदार उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से आश्वस्त है; और

ख) पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गयी अवधि यदि पट्टेदार यथोचित रूप से आश्वस्त है कि वह उस विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा।

- **पट्टाकर्ता के रूप में**

जब समूह पट्टाकर्ता के रूप में कार्य करता है, तो वह पट्टे की शुरुआत में यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा है या प्रचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, समूह इस बात का समग्र मूल्यांकन करता है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े लगभग सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित हो जाते हैं। यदि ऐसा है, तो पट्टा वित्त पट्टा है, यदि नहीं, तो यह प्रचालन पट्टा है। मूल्यांकन के भाग के रूप में, समूह कुछ संकेतकों पर विचार करता है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग के लिए है या नहीं। यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर-पट्टा घटक शामिल हैं, तो समूह अनुबंध में विचार आवंटित करने के लिए भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करता है। समूह परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त पट्टे के भुगतान को "परिचालन से राजस्व" के भाग के रूप में पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में पहचानता है।

(viii) गैर-वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

समूह प्रत्येक रिपोर्ट तिथि पर यह आकलन करता है कि क्या इस बात का कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो समूह परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति या नकद-उत्पादक इकाइयों (सीजीयू) के उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उसके उपयोग में मूल्य में से जो अधिक है, वह है। वसूली योग्य राशि किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति ऐसा नकद प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र हो। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उसे उसकी वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकद प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

(ix) नकद और नकद समतुल्य

नकद में हाथ में नकद, बैंक में नकद, बैंक ओवरड्राफ्ट में नामे शेष, यदि कोई हो, बैंकों के साथ डिमांड डिपॉजिट, वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक जमा (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक चल निधि निवेश हैं जो आसानी से नकद की ज्ञात राशि में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

(x) ऋण लेने की लागत

किसी पात्र परिसंपत्ति को प्राप्त करने, बनाने या तैयार करने से सीधे तौर पर जुड़ी सामान्य और विशिष्ट ऋण लागतों को उस तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है, जब वह परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रक्रिया में, ऐसी धनराशि के अस्थायी निवेश से हुई किसी भी आय को घटा दिया जाता है।

जहां तक समूह सामान्य रूप से निधि ऋण लेता है और योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उसका उपयोग करता है, पूंजीकरण के लिए पात्र ऋण लेने की लागत की राशि उस परिसंपत्ति पर व्यय के लिए पूंजीकरण दर लागू करके निर्धारित की जाती है।

ऋण लेने की लागतें उस अवधि में व्यय की जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

(xi) विदेशी मुद्रा लेन-देन

कार्यात्मक मुद्रा के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं में लेन-देन को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक मदों को उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः परिवर्तित किया जाता है। ऐसे लेन-देन के निपटान से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि तथा अवधि के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित मौद्रिक मदों के पुनः मापन को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि खाता (एफसीएमआईटीआर), दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋणों पर असंशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को दर्शाता है, जिसका परिशोधन संबंधित ऋणों की अवधि के दौरान किया जाता है। समूह ने भारतीय लेखा मानक 101 के अनुच्छेद डी13एए की छूट को अपनाया था, जिसके अनुसार वह पिछले जीएएपी के अनुसार, प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों के लेखांकन हेतु अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन-देन को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। 31 मार्च, 2018 तक बकाया दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट पर उत्पन्न विनिमय अंतर, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रचलित दर पर, उस दर से भिन्न जिस पर उन्हें उस अवधि के दौरान प्रारंभिक रूप से दर्ज किया गया था, या पिछले समेकित वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, एफसीएमआईटीआर खाते में जमा किए जाते हैं और ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में, ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता देकर, परिशोधित किए जाते हैं। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें वे हैं जिनकी उत्पत्ति की तिथि पर अवधि बारह महीने या उससे अधिक होती है।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें (जिनकी उत्पत्ति की तिथि पर अवधि बारह महीने से कम होती है) प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रचलित दर पर परिवर्तित की जाती हैं। परिणामी विनिमय उतार-चढ़ाव को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 27 के अनुसार, मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर जो नकद प्रवाह बचाव में बचाव लिखत के रूप में योग्य हैं, उन्हें अन्य व्यापक आय में बचाव के प्रभावी होने की सीमा तक मान्यता दी जाती है। तदनुसार, समूह नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में प्रतिवेदित तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा ऋणों के परिवर्तन के कारण विनिमय अंतर की पहचान करता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(xii) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के योग से कर पश्चात समायोजित शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से मिश्रित इक्विटी शेयरों की संख्या को शेयर विभाजन/प्रतिवर्ती शेयर विभाजन और बोनस शेयरों के लिए, जैसा उचित हो, समायोजित किया जाता है।

(xiii) प्रावधान

प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है, जब समूह के पास अतीत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

(xiv) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन नोट में तब प्रकट किया जाता है जब समूह के पास अतीत की घटनाओं के कारण संभावित दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व भावी घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं होता है और वर्तमान दायित्व अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होते हैं जहां यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देनदारियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है या नहीं। यदि बहिर्वाह संभावित हो जाता है, तो समेकित वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

(xv) आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन नोट में उनका प्रकटीकरण किया जाता है, जो आमतौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जो आर्थिक लाभ के अन्तर्वाह की संभावना को उत्पन्न करती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आर्थिक लाभ का अन्तर्वाह लगभग निश्चित होता है या नहीं, फिर ऐसी परिसंपत्तियों और सापेक्ष आय को समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

(xvi) खंड रिपोर्ट

प्रचालन खंडों का रिपोर्ट मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता को प्रदान की गयी आंतरिक रिपोर्ट के अनुरूप तरीके से की जाती है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के रूप में पहचाना गया है।

(xvii) महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियाँ

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत की गयी पिछली अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः बताकर पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि सबसे पहली प्रस्तुत अवधि से पहले हुई थी, तो उस अवधि के लिए परिसंपत्ति, दायित्व और इक्विटी के शुरुआती शेष को फिर से निर्धारित किया जाता है। यदि ऐसा करना संभव न हो, तो तुलनात्मक जानकारी को इस तरह समायोजित किया जाता है कि लेखांकन नीति को सबसे पहली संभव तारीख से आगे के लिए लागू किया जा सके।

(xviii) कराधान

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के कर योग्य लाभ पर आधारित है। लाभ और हानि के समेकित विवरण/अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत किया गया है 'कर-पूर्व लाभ' से भिन्न होता है कर योग्य लाभ, क्योंकि आय या व्यय की वे मदें जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य होती हैं और वे मदें जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होतीं। समूह के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्ट अवधि के अंत तक लागू हो चुकी हैं या मूल रूप से लागू हो चुकी हैं।

चालू कर को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मामलों के जहाँ वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता दी जाती है, ऐसी स्थिति में, चालू कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहाँ चालू कर किसी व्यावसायिक संयोजन के प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहाँ कर प्रभाव को व्यावसायिक संयोजन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों और कराधान उद्देश्य हेतु उपयोग की जाने वाली संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होगा।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रम से अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।.

(xix) सहायक कंपनी के अवितरित लाभ/हानि के संबंध में आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर परिसंपत्ति

सहायक कंपनी के अवितरित लाभ/हानि के संबंध में समूह के निवेशों के संबंध में आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर परिसंपत्ति के लेखांकन में विवेकाधिकार की आवश्यकता होती है। सहायक कंपनी के अवितरित लाभ/हानि के संबंध में, कंपनी अस्थायी अंतरों के प्रत्यावर्तन के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और निकट भविष्य में अस्थायी अंतरों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा। तदनुसार, समूह सहायक कंपनी में निवेश से जुड़े सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देयता को मान्यता नहीं देता है।

(xx) निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी वृद्धि (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) के लिए रखी जाती हैं। निवेश संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर, व्यावसायिक छूट और रियायत में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर ऋण लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में सीधे तौर पर उत्तरदायी कोई भी लागत शामिल है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, समूह लागत मॉडल का उपयोग करके निवेश संपत्ति को मापती है।

एक निवेश संपत्ति को निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से हटा दिया जाता है और निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे मान्यता से हटा दिया जाता है। संपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल की जाती है जिसमें संपत्ति को मान्यता से हटा दिया जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति वर्ग के अनुसार किया जाएगा जिससे वह संबंधित है और परिसंपत्ति का जीवन समूह में उसी परिसंपत्ति वर्ग के लिए निर्धारित अवधि के अनुसार होगा।

हालांकि निवेश संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, निवेश संपत्ति का उचित मूल्य टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

(xxi) कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति (जैसे कि भुगतान की गयी वार्षिक छुट्टी) सहित अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, जहां अनुपस्थिति उस अवधि के अंत के बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, लाभ साझाकरण और बोनस उस अवधि के अंत के बारह महीनों के भीतर देय होते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं और वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-मौद्रिक लाभों का अनुमान लगाया जाता है और बिना छूट के आधार पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

ख) रोजगार के बाद लाभ योजनाओं को परिभाषित लाभ योजनाओं और परिभाषित योगदान योजनाओं में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

(i) परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत समूह कर्मचारियों के संबंध में एक अलग कोष में निश्चित योगदान का अंशदान करता है। समूह के पास निश्चित अंशदान के अपने भुगतान के बाद आगे कोई अंशदान देने का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए समूह द्वारा किये गये योगदानों को उस अवधि में लाभ और हानि के समेकित विवरण में शामिल किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना

समूह का उपदान, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व है, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने वाली परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जा रहा है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत, सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को मिलने वाली राशि कर्मचारी की सेवा की अवधि, अंतिम वेतन और अन्य परिभाषित मानदंड के संदर्भ में परिभाषित की जाती है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व समूह के पास रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना को वित्तपोषित करने के लिए योजना परिसंपत्तियाँ अलग रखी गयी हों।

परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति समूह का दायित्व अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त देयता रिपोर्ट तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) के वर्तमान मूल्य से योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से वार्षिक डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनर्मापन से होने वाले बीमांकिक लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है।

भविष्य निधि, परोपकारी निधि, सेवानिवृत्ति निधि और उपदान के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता को अलग-अलग ट्रस्टों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति निधि में समूह का अंशदान पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित अलग-अलग ट्रस्टों को भेजा जाता है और लाभ और हानि के समेकित विवरण के नामें डाला जाता है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

समेकित तुलन पत्र की तिथि के एक वर्ष से अधिक समय बाद देय या अपेक्षित होने वाली क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के संबंध में देयता का अनुमान, अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लाभ और हानि के समेकित विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें ऐसे लाभ या हानि का निर्धारण किया जाता है।

घ) कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

कर्मचारियों को रियायती दर पर दिए गए ऋणों को शुरुआत में उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के शुरुआती उचित मूल्य और लेन-देन मूल्य के बीच के अंतर को 'आस्थगित कर्मचारी लाभ' के रूप में माना जाता है, जिसे ऋण की अपेक्षित शेष अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। यदि ऋण की अपेक्षित शेष अवधि में कोई परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन की तिथि पर मौजूद अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी लाभों को, ऋण की अद्यतन अपेक्षित शेष अवधि के दौरान भविष्य के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

(xxii) वित्तीय लिखतें

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाता है और इन्हें शुरू में लेन-देन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के बाद के मापन का वर्णन नीचे किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल या एफवीओसीआई पर इक्विटी उपकरणों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ कम से कम प्रत्येक रिपोर्ट तिथि पर हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई वस्तुनिष्ठ प्रमाण है कि कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह क्षतिग्रस्त है। वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी पर हानि निर्धारित करने के लिए अलग-अलग मानदंड लागू होते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

❖ **परिशोधित लागत पर ऋण**

ऋण (वित्तीय परिसंपत्ति) को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना है; और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकद प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जो सिर्फ़ मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान होता है।

परिशोधित लागत पर रखी गयी वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता मान्यता प्राप्त है।

❖ **लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में सभी व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं, सिवाय उन वित्तीय उपकरणों के जो बचाव उपकरणों के रूप में नामित और प्रभावी हैं, जिन पर बचाव लेखांकन आवश्यकताएँ लागू की जा रही हैं। इस श्रेणी की परिसंपत्तियों को लाभ और हानि के समेकित विवरण में दर्शाए गए लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी की वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेन-देन के संदर्भ में या किसी सक्रिय बाजार के अभाव में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

❖ **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी गयी इक्विटी लिखत से मिलकर बनी होती हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य और लेन-देन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और लाभांश आय को छोड़कर, जिसे लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई आरक्षित निधि में रिपोर्ट किया जाता है। निवेश की मान्यता रद्द होने पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के समेकित विवरण में ऐसे लाभ और हानि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, समूह इसे इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकता है।

<u>वित्तीय परिसंपत्तियों की अमान्यता</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहाँ लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) की मान्यता तब रद्द कर दी जाती हैं (यानी समूह के तुलन पत्र से हटा दी जाती हैं) जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और उससे जुड़े लगभग सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। यदि समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित कर दिया है और यह हस्तांतरण' मान्यता समाप्त करने की शर्तों को पूरा करता है, तो समूह उस वित्तीय परिसंपत्ति को अपनी पुस्तकों से हटा देता है।

<u>वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन</u>

वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, सिवाय व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के जिन्हें एफवीटीपीएल पर रखा जाता है, बाद में लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर। सभी होस्ट अनुबंध जो वित्तीय देयता की प्रकृति के हैं और अंतर्निहित व्युत्पन्नी से अलग हैं, प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

वित्तीय देनदारियों की अमान्यता

किसी वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब उस दायित्व के अंतर्गत दायित्व मुक्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता द्वारा भिन्न शर्तों पर किसी अन्य दायित्व से प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों में परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता समाप्त करने और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशियों के अंतर को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

व्युत्पन्नी वित्तीय साधन

समूह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों पर विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के संपर्क में है। समूह व्युत्पन्नी उपयोग सहित स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का पालन करके विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करता है।

समूह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों का बचाव करने के लिए व्युत्पन्नी साधन का उपयोग करती है जिसमें प्रिंसिपल स्वैप, क्रॉस करेंसी और ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा और क्रॉस करेंसी विकल्प, संरचित उत्पाद आदि शामिल हैं।

व्युत्पन्नी को पहचाना और उचित मूल्य पर मापा (एमटीएम) जाता है। उत्तरदायी लेन-देन लागत को लाभ और हानि के समेकित विवरण में लागत के रूप में पहचाना जाता है।

वित्तीय परिसंपत्ति की अमान्यता :

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकद प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार स्थानांतरित हो जाते हैं।

जोखिम बचाव लेखांकन

व्युत्पन्नी वित्तीय साधनों को लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर लेखाबद्ध किया जाता है, सिवाय नकद प्रवाह बचाव संबंधों में बचाव लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्नी के, जिसके लिए एक विशिष्ट लेखांकन उपचार की आवश्यकता होती है। बचाव लेखांकन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, बचाव संबंध को निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करना चाहिए:

- बचाव किये गये मदों और बचाव लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है
- ऋण जोखिम का प्रभाव उस आर्थिक संबंध से होने वाले मूल्य परिवर्तनों पर हावी नहीं होता है
- बचाव संबंध का बचाव अनुपात बचाव किये गये मद की मात्रा से उत्पन्न होने वाले अनुपात के समान है जिसका इकाई वास्तव में बचाव करती है और बचाव लिखत की मात्रा जिसे इकाई वास्तव में बचाव किये गये मद की मात्रा को बचाव करने के लिए उपयोग करती है।

समूह ने नकद प्रवाह बचाव संबंधों में बचाव लिखत के रूप में ज्यादातर व्युत्पन्नी अनुबंधों को नामित किया है। ये व्यवस्थाएं विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए की गयी हैं, जो विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ऋण उपकरणों के विरुद्ध उत्पन्न होते हैं।

- नकद प्रवाह बचाव समूह की नकद प्रवाह स्थिति को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव में परिवर्तन से बचाने और नकद प्रवाह में परिवर्तनशीलता को निश्चित करने के लिए की जाती है।
- समूह निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार बचाव लिखत में प्रवेश करता है; और लिखित सिद्धांत प्रदान करता है जो समूह की जोखिम प्रबंधन रणनीति/नीतियों के अनुरूप हैं।
- बचाव लेखांकन के लिए उपयोग किये जाने वाले सभी व्युत्पन्नी वित्तीय साधनों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में समेकित तुलन पत्र में उचित मूल्य पर प्रतिवेदित किया जाता है।

बचाव लिखत को अनुबंध की शुरुआत में बचाव के रूप में नामित और प्रलेखित किया जाता है। बचाव लिखत की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और मापन शुरुआत में और निरंतर आधार पर किया जाता है। निर्धारित बचाव उपकरण के उचित मूल्य में होने वाले बदलाव का वह प्रभावी हिस्सा, जिसका आकलन संबंधित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए एमटीएम मूल्यांकन या किसी तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, उसे "अन्य व्यापक आय" में " नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि" के रूप में दर्ज किया जाता है। अप्रभावी हिस्से को, जैसे ही वह उत्पन्न होता है, तुरंत लाभ और हानि के समेकित विवरण में दर्ज कर लिया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

जिस समय बचाव की गयी वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है, उस समय अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और अन्य व्यापक आय के भीतर पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि बचाव संबंध अब बचाव लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो बचाव लेखांकन को भावी रूप से बंद कर दिया जाता है। यदि बचाव लिखत की समय सीमा समाप्त हो जाती है या उसे बेच दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है, तो नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत पर संचयी लाभ या हानि, बचाव के प्रभावी होने की अवधि तक नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बनी रहती है। नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को अंतर्निहित लेन-देन की घटना पर लाभ और हानि के समेकित विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

क्षति

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

❖ **ऋण परिसंपत्तियाँ**

समूह प्रारंभिक मान्यता के पश्चात ऋण गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर परिशोधित लागत पर वहन की जाने वाली ऋण परिसंपत्ति की हानि के लिए 'तीन-चरण' मॉडल का पालन करती है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- चरण 1 में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम है।
- चरण 2 में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन जिनमें हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं हैं।
- चरण 3 में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हैं।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) को चरण 1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह की ईसीएल और चरण 2 और चरण 3 ऋण परिसंपत्तियों हेतु आजीवन ईसीएल पर मापा जाता है। ईसीएल चूक की संभावना, चूक पर जोखिम और हानि प्रदत्त चूक का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

चूक की संभावना (पीडी) - पीडी, ऋणकर्ता द्वारा अपने वित्तीय दायित्व पर चूक करने की संभावना को दर्शाता है, या तो अगले 12 महीनों में (12 महीने पीडी), या दायित्व के शेष जीवनकाल (लाइफटाइम पीडी) में।

चूक पर हानि (एलजीडी) - एलजीडी चूक जोखिम पर हानि की सीमा के बारे में समूह की अपेक्षा को दर्शाता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, दावे के प्रकार और वरीयता तथा संपार्श्विक या अन्य ऋण सहायता की उपलब्धता के अनुसार भिन्न होता है।

चूक पर जोखिम (ईएडी) - ईएडी उस मूल्यांकन तिथि पर बकाया जोखिम की राशि पर आधारित है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है।

12 महीने और आजीवन पीडी, ईएडी और एलजीडी निर्धारित करने में अग्रगामी आर्थिक जानकारी शामिल की जाती है। अपेक्षित ऋण हानि के अंतर्निहित अनुमानों की निरंतर आधार पर निगरानी और समीक्षा की जाती है।

❖ **ऋण के अलावा अन्य वित्तीय लिखतों में शामिल -**

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकद समतुल्य, व्यावसायिक प्राप्य, बिल रहित राजस्व, वित्त पट्टा प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम शामिल हैं।
- वित्तीय देनदारियों में ऋण, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यावसायिक देय शामिल हैं।

ऋणों के अतिरिक्त अन्य गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कोई भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी लेन-देन लागत शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों को तब मान्यता से हटा दिया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्त संभावित हानि के विरुद्ध संतुलित लाभ की संभावना में हस्तांतरित कर दिये गये हों। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त संभावित हानि के विरुद्ध संतुलित लाभ की संभावना न तो हस्तांतरित की गई है और न ही बनाये रखी गई है, वित्तीय परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता से हटा दिया जाता है जब समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरक़रार नहीं रखा हो।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, उन्हें नीचे निर्धारित पद्धति से मापा जाता है:

क) नकद और नकद समतुल्य

नकद प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजनों हेतु, नकद और नकद समतुल्यों में उपलब्ध और बैंक में नकद, बैंकों में मांग जमा, नकद ऋण, सावधि जमा और विदेशी मुद्रा जमा, निवल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं जो मांग पर चुकाये जाने योग्य हैं और

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

समूह की नकद प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट को ऋण के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

ख) व्यावसायिक प्राप्य

समूह व्यावसायिक प्राप्य पर हानि क्षति भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करता है। सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए समूह को ऋण जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि नुकसान भत्ते को मान्यता दी जाती है। समूह प्राप्य के व्यक्तिगत मूल्यांकन, व्यावसायिक प्राप्य के अपेक्षित जीवनकाल में ऐतिहासिक रूप से देखी गयी चूक दरों के आधार पर हानि नुकसान भत्ते का निर्धारण करता है और इसे भविष्य-उन्मुख अनुमानों के लिए समायोजित करता है।

ग) अन्य देय

अन्य देय को शुरू में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। इन वित्तीय लिखतों हेतु, इन लिखतों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण वहन राशि अनुमानित उचित मूल्य के करीब होती है।

(xxiii) लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है जिसमें उसे क्रम से निदेशक मंडल और शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाता है।

(xxiv) उचित मूल्य माप व प्रकटीकरण

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर व्युत्पन्नी जैसे वित्तीय लिखतों को मापता है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाए। उचित मूल्य माप इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने का लेन-देन इस प्रकार होता है,जैसे या तो:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में मुख्य या सबसे अधिक लाभप्रद बाजार समूह द्वारा अवश्य सुलभ होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है, जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय करेंगे, जिसमें जोखिम के बारे में मान्यताएँ शामिल हैं, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं। किसी गैर-वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य मापन परिसंपत्ति का उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करके या उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की बाजार प्रतिभागी की क्षमता को ध्यान में रखता है, जो परिसंपत्ति का उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करेगा।

समूह उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकनीय निविष्टियों के उपयोग को अधिकतम करना और अवलोकनीय निविष्टियों के उपयोग को न्यून करना।

सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिनके लिए उचित मूल्य समेकित वित्तीय विवरणों में मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन निम्नतम स्तर निविष्टि के आधार पर किया जाता है जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर निविष्टि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर निविष्टि अवलोकनीय नहीं है।

नियमित रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (न्यूनतम स्तर निविष्टि पर आधारित जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं का निर्धारण करती है।

(xxv) राजस्व मान्यता

- **ब्याज आय**

ब्याज आय सभी वित्तीय परिसंपत्तियों (समूह द्वारा ऋण क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को मान्यता नहीं दिये जाने को छोड़कर) को परिशोधित लागत पर मापी जाती है। ब्याज आय को भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय साधनों के अनुरूप प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो वित्तीय

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर छूट देती है। ईआईआर की गणना लेन-देन लागत और शुल्क को ध्यान में रखकर की जाती है जो भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ऋणकर्ताओं द्वारा ब्याज का समय पर भुगतान करने पर मिलने वाली छूट, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, समय पर देय संपूर्ण ब्याज राशि प्राप्त होने पर मान्यता प्राप्त होती है तथा उसे संबंधित ब्याज आय के प्रति घटा दिया जाता है।

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, ऋणकर्ताओं से वसूली (i) आकस्मिक शुल्क (ii) दंडात्मक ब्याज (iii) अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन की चुकौती के क्रम में विनियोजित की जाती है; सबसे पुराने को पहले समायोजित किया जाता है। एकमुश्त निपटान(ओटीएस)/दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली पहले बकाया मूलधन के लिए विनियोजित की जाती है और उसके बाद शेष वसूली, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए, यदि कोई हो।

❖ **अन्य राजस्व**

- राजस्व (उन मदों के अतिरिक्त जिन पर भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखत लागू होते हैं) को भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व अनुसार मान्यता दी जाती है, जो ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न राजस्व के लिए लेखांकन के एकल व्यापक मॉडल को रेखांकित करता है। समूह भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व में निर्धारित सिद्धांत के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है।
- ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि आर्थिक लाभ समूह को मिलेगा और यदि लागू हो तो राजस्व और लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अनुबंध के तहत सहमत लेन-देन मूल्य पर राजस्व मापा जाता है। लेन-देन मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गयी राशियाँ शामिल नहीं होती हैं (उदाहरण के लिए, सरकार की ओर से एकत्र किये गये कर) और इसमें रियायत, छूट जैसे परिवर्तनीय विचार शामिल/समायोजित किये जाते हैं, केवल इस सीमा तक कि यह अत्यधिक संभावित है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण उलटफेर तब तक नहीं होगा जब तक परिवर्तनीय विचार से जुड़ी अनिश्चितता बाद में हल नहीं हो जाती है।

❖ **सौर संयंत्र से राजस्व**

सौर संयंत्र से आय को तब मान्यता दी जाती है जब समय के साथ प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाते हैं। दी गयी रियायत को सकल राजस्व की राशि से कटौती के रूप में प्रकट किया जाता है।

❖ **शुल्क व कमीशन से राजस्व**

- <u>शुल्क और कमीशन से राजस्व</u>

शुल्क और कमीशन को समय आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसे शुल्क संचित करने की संभावना स्थापित हो जाती है।

- <u>सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं के कार्यान्वयन से राजस्व</u>

समूह अपनी निजी गतिविधियों के अतिरिक्त, समूह और ऐसे संगठन के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। ऐसी गतिविधियों का विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

जब भी ऐसे समझौता ज्ञापन में शामिल होने के आधार पर ट्रस्ट के तहत कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो उसे नकद और नकद समतुल्यों में शामिल नहीं किया जाता है और ऐसे संगठनों से संबंधित ऐसी निधि से उत्पन्न ब्याज आय सहित किसी भी आय को समूह के राजस्व के रूप में नहीं गिना जाता है।

समूह द्वारा कार्यान्वित ऐसी योजनाओं से अर्जित सेवा-शुल्क को उस समय आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसे सेवा-शुल्क संचित करने की निश्चितता स्थापित हो जाती है।

(xxvi) व्यय

व्यय का लेखा-जोखा उपार्जन आधार पर किया जाता है। प्रति मद ₹5,00,000 तक के पूर्व-प्रदत्त व्यय को लाभ और हानि के समेकित विवरण में तब प्रभारित किया जाता है जब वह व्यय/समायोजित/प्राप्त हो।

(xxvii) शेयर जारी करने पर व्यय

शेयर जारी करने पर व्यय, यदि कोई हो, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 2: नकद और नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
I. नकद और नकद समतुल्य		
(अ) उपलब्ध नकद	-	-
(ब) बैंकों के पास शेष राशि:-		
(क) बैंकों के साथ चालू खाता		
- भारतीय शाखाओं में	3.16	19.74
- विदेशी शाखाओं में	1.36	0.02
(ख) जमा खाता		
भारतीय शाखाओं में अल्पावधि जमा	1.15	-
विदेशी शाखाओं में अल्पावधि जमा	31.55	27.75
(ग) बचत बैंक खाता		
- भारतीय शाखाओं में	6.56	7.88
(स) चेक/डीडी उपलब्ध और डाक अग्रदाय	0.00	0.00
(द) ओवरड्राफ्ट खातों में	3.91	1.90
कुल (अ+ब+स+द)	**47.69**	**57.29**

ऊपर प्रस्तुत रिपोर्ट वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्यों तथा बैंक में शेष राशि के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) के बारे में प्रकटीकरण के लिए नोट 38(48वी) भी देखें।

नोट 3 : नकद और नकद समतुल्यों के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
क. बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि		
अ) चालू खाते में		
- इरेडा बॉण्ड्स खातों पर ब्याज	2.67	1.64
- इरेडा लाभांश खाता	168.55	-
- इरेडा सीएसआर अव्ययित खाता [नोट 38(38) देखें]	18.61	7.37
-अन्य	0.02	0.02
उप योग (अ)	**189.85**	**9.03**
ब) बचत खाते में		
- इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	7.40	7.67
- एमएनआरई/यूएनडीपी-इरेडा योजना निधि [नोट 38(43) देखें] [1]	-	0.07
उप योग (ब)	**7.40**	**7.74**
स) जमा खाते में (आईएनआर)		
- इरेडा[1]	0.51	0.48
- इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	487.60	431.88
- ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच के लिए चूक जोखिम में कमी (केएफडब्ल्यू VI)[2]	10.59	10.12
- अन्य	0.91	0.17

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
उप-योग (स)	**499.62**	**442.65**
उप-योग (द)	-	-
उप-योग (क)=(अ+ब+स+द)	**696.87**	**459.42**
ख. जमा खाता (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक)		
- आईएनआर सावधि जमा	5.64	1.59
उप-योग (ख)	**5.64**	**1.59**
कुल	**702.51**	**461.01**

[1] माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28928 ऑफ़ 2009 में पारित दिनांक 03.07.2009 के आदेश के अनुसार दो बॉण्ड धारकों अर्थात मैसर्स द बंगाल क्लब लिमिटेड और सुश्री माया एम. चुलानी के भुगतान के विरुद्ध बैंक ऑफ बड़ौदा, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली में ब्याज सहित एफडीआर के रूप में ₹0.51 करोड़ (31.03.2025 तक : ₹0.48 करोड़) की राशि रखी गयी है। उक्त सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28928 ऑफ़ 2009 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2018 के आदेश द्वारा चूक के कारण खारिज कर दिया गया था। उक्त बर्खास्तगी के अनुसरण में, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद ने 30.03.2019 को बहाली आवेदन दायर किया है। इसके अतिरिक्त, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद द्वारा 23.03.2024 को शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन भी दायर किया गया है। उक्त मामले को अभी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है।

[2] पोर्टफोलियो जोखिम आरक्षित खाता (पीआरआरए) की स्थापना करके केएफडब्ल्यू VI ऋण सीमा के तहत कंपनी के समग्र 'ऊर्जा तक पहुंच' पोर्टफोलियो के 70% तक चूक जोखिमों को कवर करने के लिए केएफडब्ल्यू द्वारा प्रदान किया गया। उक्त राशि का उपयोग एनपीए घोषित होने पर ऋण सेवा आरक्षित खाता (डीएसआरए) समाप्त होने के बाद ऋणकर्ता के बकाया ऋण सेवा दायित्व के 70% तक की वसूली के लिए किया जाएगा।

चालू खाते में ₹1.44 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹101.25 करोड़), बचत खाते में ₹12.35 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹17.37 करोड़) और जमा खाते में ₹50.68 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹61.71 करोड़) की बैंक में शेष राशि को ऊपर दी गई नोट में उनकी संबंधित श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये एमएनआरई/कंपनी द्वारा संभाली जा रही अन्य योजना से संबंधित हैं।

नोट 38(42) और 38(43) भी देखें।

नोट 4: व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत

कंपनी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को बचाने के लिए व्युत्पन्नी अनुबंध में शामिल होती है। व्युत्पन्न लेन-देन में देनदारियों के बचाव के लिए फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप आदि शामिल हैं। ये व्युत्पन्न लेन-देन बचाव के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, न कि व्यापार या अनुमानात्मक उद्देश्य के लिए।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को			31.03.2025 को		
भाग I	**कल्पित राशियाँ**	**उचित मूल्य - परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य - देयताएँ**	**कल्पित राशियाँ**	**उचित मूल्य - परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य - देयताएँ**
(i) मुद्रा व्युत्पन्नी:-						
प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस)	6,267.72	892.76	40.46	4,728.54	386.73	21.29
विकल्प अनुबंध	1,600.26	21.93	6.94	1,576.39	42.51	1.91
उप-योग (i)	**7,867.97**	**914.69**	**47.40**	**6,304.93**	**429.24**	**23.20**
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्नी :-						
पारंपरिक मुद्रा ब्याज दर विनिमय (सीसीआईआरएस)	271.27	78.28	-	285.20	58.65	-
ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)	474.00	4.53	-	-	-	-
उप-योग (ii)	**745.27**	**82.80**	**-**	**285.20**	**58.65**	**-**
कुल व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत (i+ii)	**8,613.24**	**997.49**	**47.40**	**6,590.12**	**487.89**	**23.20**

ऊपर (भाग I) में बचाव और जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए रखे गए व्युत्पन्नी शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं:-

विवरण	31.03.2026 को			31.03.2025 को		
भाग II	**कल्पित राशियाँ**	**उचित मूल्य - परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य - देयताएँ**	**कल्पित राशियाँ**	**उचित मूल्य - परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य - देयताएँ**
(i) नकद प्रवाह बचाव:-						
मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	5,807.97	805.79	11.61	4,305.32	339.41	0.98

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को			31.03.2025 को		
भाग II	**कल्पित राशियाँ**	**उचित मूल्य - परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य - देयताएँ**	**कल्पित राशियाँ**	**उचित मूल्य - परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य - देयताएँ**
विकल्प अनुबंध	1,600.26	21.93	6.94	1,576.39	42.51	1.91
ब्याज दर व्युत्पन्नी (सीसीआईआरएस)	271.27	78.28	-	285.20	58.65	-
ब्याज दर व्युत्पन्नी (आईआरएस)	474.00	4.53	-	-	-	-
उप-योग (i)	**8,153.50**	**910.52**	**18.55**	**6,166.91**	**440.57**	**2.89**
(ii) अनिर्दिष्ट व्युत्पन्नी :-						
मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	459.75	86.97	28.86	423.22	47.31	20.31
उप-योग (ii)	**459.75**	**86.97**	**28.86**	**423.22**	**47.31**	**20.31**
कुल व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत (i) + (ii)	**8,613.24**	**997.49**	**47.40**	**6,590.12**	**487.89**	**23.20**

जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटीकरण के लिए देखें नोट 38(19) व 38(28)।

नोट 5 : प्राप्य

व्यावसायिक प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
अ व्यावसायिक प्राप्य		
(क) प्राप्य अच्छे माने गये - आरक्षित	-	-
(ख) प्राप्य अच्छे माने गये - अरक्षित	3.15	5.93
(ग) प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
(घ) प्राप्य क्रेडिट क्षतिग्रस्त	2.76	-
उप योग (अ)	**5.91**	**5.93**
क्षतिग्रस्त हानि के लिए भत्ता (ब)	2.76	-
कुल (अ-ब)	**3.15**	**5.93**

व्यावसायिक प्राप्य एजिंग अनुसूची
31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
			6 महीनों से कम	6 महीनों से 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यावसायिक प्राप्य – अच्छा माना गया	3.15	-	-	-	-	-	-	**3.15**
(ii) निर्विवाद व्यावसायिक प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(iii) निर्विवाद व्यावसायिक प्राप्य– क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	2.76	-	**2.76**
(iv) विवादित व्यावसायिक प्राप्य–अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	**-**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
			6 महीनों से कम	6 महीनों से 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(v) विवादित व्यावसायिक प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यावसायिक प्राप्य–क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**3.15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.76**	**-**	**5.91**

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
			6 महीनों से कम	6 महीनों से 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यावसायिक प्राप्य – अच्छा माना गया	3.17				2.76	-	0.00	**5.93**
(ii) निर्विवाद व्यावसायिक प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यावसायिक प्राप्य–क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यावसायिक प्राप्य – अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यावसायिक प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यावसायिक प्राप्य–क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**3.17**	**-**	**-**	**-**	**2.76**	**-**	**0.00**	**5.93**

एजिंग भुगतान की नियत तिथि पर आधारित है और जहाँ भुगतान की निर्धारित तिथि विनिर्दिष्ट नहीं है, एजिंग लेन-देन की तिथि पर आधारित है।

बिना बिल वाली बकाया राशि के विवरण के लिए देखें नोट 38(29)

नोट 6 : ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
अ) ऋण		
(i) सावधि ऋण		
सावधि ऋण	93,068.71	76,281.65
ऋणों पर उपचित और देय ब्याज, परिसमाप्त क्षतिपूर्ति सहित	44.25	35.79
ऋणों पर उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज	23.44	28.87
प्रारम्भिक शुल्क समायोजन	(278.93)	(216.88)
परिशोधित लागत पर सकल सावधि ऋण	**92,857.47**	**76,129.43**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(ii) अन्य		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	6.65	6.65
एमएनआरई ऋणों पर उपचित और देय ब्याज	2.55	2.55
कर्मचारियों को ऋण	21.21	32.75
केएमपी को ऋण	1.18	1.16
कर्मचारियों के ऋणों पर उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज	6.91	5.23
केएमपी के ऋणों पर उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज	0.36	0.08
कुल (अ) - निवल ऋण	**92,896.33**	**76,177.85**
घटाएँ: ह्रसित हानि भत्ता*	2,699.74	1,906.31
कुल (अ) - शुद्ध ऋण	**90,196.59**	**74,271.54**
(ब) उपर्युक्त का उप-वर्गीकरण:		
सुरक्षा-वार वर्गीकरण		
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित		
सावधि ऋण	74,086.91	58,493.11
कर्मचारियों को ऋण	20.80	32.23
केएमपी को ऋण	1.18	1.16
ऋणों पर अर्जित और देय ब्याज सहित परिसमाप्त क्षतिपूर्ति	44.25	35.79
ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	30.27	34.06
केएमपी के ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	0.36	0.08
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	6.65	6.65
एमएनआरई ऋणों पर अर्जित एवं देय ब्याज	2.55	2.55
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित		
कर्मचारियों को ऋण	0.42	0.53
ऋण पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	0.08	0.04
(iii) सरकारी गारंटी द्वारा आवृत्त		
सावधि ऋण	6,977.85	4,685.80
(iv) अरक्षित		
सावधि ऋण	11,725.01	12,885.86
कुल (ब) - सकल ऋण	**92,896.32**	**76,177.85**
घटाएँ : क्षति हानि भत्ता*	2,699.74	1,906.31
कुल (ब) -निवल ऋण	**90,196.59**	**74,271.54**
(स) (I) भारत में ऋण		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	25,159.07	20,872.00
(ii) अन्य	67,737.25	55,305.85
कुल (स) (I) सकल ऋण	**92,896.32**	**76,177.85**
घटाएँ: क्षति हानि भत्ता*	2,699.74	1,906.31
कुल (स) (I) - निवल ऋण	**90,196.59**	**74,271.54**
(स) (II) भारत के बाहर ऋण	**-**	**-**
कुल स (I) और स (II) - निवल ऋण	**90,196.59**	**74,271.54**

31.03.2026 तक ₹11,725.01 करोड़ (31.03.2025 तक : ₹ 12,885.86 करोड़) के कुल अरक्षित ऋणों में से, 31.03.2026 तक ₹11,725 करोड़ (31.03.2025 तक : ₹12,885 करोड़) की राशि के ऋण कंपनी ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अप्रतिबंधित विशिष्ट राजस्व धारा निर्धारित कर डिफ़ॉल्ट एस्क्रो खाते पर विशेष प्रभार के माध्यम से अमूर्त प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऋणकर्ताओं को पत्र भेजे हैं, सिवाय उन मामलों के जहां ऋण वापस लिये गये हैं या न्यायालय/एनसीएलटी के समक्ष लंबित हैं, ऋणकर्ताओं को 31.03.2026 तक शेष राशि की पुष्टि की मांग की है। उक्त शेष राशि के 29.51% की पुष्टि प्राप्त हुई है (पिछले वर्ष: 22.42%)। शेष ऋण परिसंपत्तियों में से ₹65,601 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 59,165.69 करोड़) की राशि, जिसके लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, 75.37% ऋण (पिछले वर्ष: 79.59%) मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित हैं,10.61% (पिछले वर्ष : 7.91 %) सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में और शेष अरक्षित ऋण हैं।

ऋण लेने वाली संस्थाओं की परिसंपत्तियों आदि के माध्यम से रखी गयी सुरक्षा के अतिरिक्त, कंपनी ने बैंकों द्वारा जारी एफडीआर और गारंटियाँ दिनांक 31.03.2026 को क्रम से ₹1,162.81 करोड़ एवं ₹519.91 करोड़ (31.03.2025 को : क्रम से ₹ 730.50 करोड़ और ₹307.61 करोड़) रखीं, जो दिये गये ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियों के रूप में थीं।

क्रेडिट जोखिम पर प्रकटीकरण के लिए, देखें नोट 38(19) ।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित समाधान योजनाओं पर प्रकटीकरण के लिए,देखें नोट 38 (48बी)।

*इसमें ₹17.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12.28 करोड़) के आकस्मिक खातों के लिए प्रावधान शामिल है।

नोट 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(अ) निवेश		
परिशोधित लागत पर		
(i) सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (उद्धृत)	883.82	600.14
इकाई की संख्या : 8.42 करोड़ [31.03.2025 : 5.91 करोड़]		
कुल	**883.82**	**600.14**
कुल - सकल (अ)	**883.82**	**600.14**
(ब) उपर्युक्त का उप-वर्गीकरण:		
(i) भारत के बाहर निवेश	-	-
(ii) भारत में निवेश	883.82	600.14
कुल (ब)	**883.82**	**600.14**
घटाएँ: क्षति हानि के लिए भत्ता (स)	-	-
कुल - शुद्ध (द) = (अ) - (स)	**883.82**	**600.14**

नोट 38 (48च) भी देखें

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
सुरक्षा जमा	0.96	3.73
कर्मचारियों को अग्रिम	7.59	6.55
केएमपी को अग्रिम	0.23	0.11
अन्य प्राप्य :		
एफडीआर - ऋणकर्ता	9.18	11.95
वाणिज्यिक पत्र	68.99	68.99
घटाएँ: वाणिज्यिक पत्रों पर क्षति हानि भत्ता	(68.99)	(68.99)
अन्य	5.48	5.71
कुल	**23.44**	**28.05**

नोट 9 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
अग्रिम आयकर और टीडीएस (क)	2,326.74	2,442.59
घटाएँ: आयकर हेतु प्रावधान (ख)	2,213.81	2,222.69
कुल (क-ख)	**112.93**	**219.90**

नोट 10: आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
लाभ और हानि अनुभाग, ओसीआई व अन्य इक्विटी		
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर और अन्य हेतु प्रावधान	29.83	28.07
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	4.88	4.08
क्षति हेतु प्रावधान	553.16	391.50
शुल्क आय - बहियों में आस्थगित	94.69	72.85
शेयर जारी करने का व्यय	6.03	4.55
उप योग	**688.59**	**501.05**
स्थगित कर देयताएँ		
मूल्यह्रास	35.96	40.72
विदेशी मुद्रा हानि परिवर्तन अंतर	172.04	95.41
बॉण्ड की लेन-देन लागत	4.28	4.35
उप योग	**212.28**	**140.48**
कुल	**476.31**	**360.57**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)	**476.31**	**360.57**

आस्थगित करों के हलचल पर प्रकटीकरण हेतु देखें नोट 38(3)

नोट 11 : निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि*
सकल ब्लॉक	
01.04.2024 को शेष	**0.09**
जोड़ें	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण -	-
31.03.2025 को शेष	**0.09**
01.04.2025 को शेष	**0.09**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	राशि*
जोड़ें	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण	-
31.03.2026 को शेष	**0.09**
संचित मूल्यह्रास	
01.04.2024 को शेष	**0.06**
मूल्यह्रास व्यय	0.00
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2025 को शेष	**0.07**
01.04.2025 को शेष	**0.07**
मूल्यह्रास व्यय**	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2026 को शेष	**0.07**
वहन राशि	
31.03.2025 को	**0.02**
31.03.2026 को	**0.02**

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य	राशि*
31.03.2025 को	**3.66**
31.03.2026 को	**3.75**

*निवेश संपत्ति (भवन - आवासीय) से संबंधित है। देखें नोट 38(18)।

** परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है क्योंकि यह अपने अवशिष्ट मूल्य पर है, यानी मूल लागत का 5%।

नोट 12 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	भवन		संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
सकल ब्लॉक									
01.04.2024 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**7.13**	**1.59**	**7.45**	**13.01**	**0.00**	**346.79**
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-	-	5.25	-	6.62	13.51	0.00	25.38
समायोजन/ पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान निपटान/ बिक्री/हस्तांतरण	-	-	-	0.46	0.19	0.20	0.87	-	1.72
31.03.2025 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**11.92**	**1.40**	**13.87**	**25.66**	**0.00**	**370.45**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	भवन		संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
01.04.2025 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**11.92**	**1.40**	**13.87**	**25.66**	**0.00**	**370.45**
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-	-	5.49	-	2.65	6.85	-	14.99
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान निपटान/ बिक्री/हस्तांतरण	-	-	-	2.41	0.13	0.37	0.80	-	3.70
31.03.2026 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**15.00**	**1.27**	**16.16**	**31.71**	**0.00**	**381.75**
संचित मूल्यह्रास									
01.04.2024 को शेष	**0.65**	**9.25**	**120.42**	**3.83**	**0.51**	**1.62**	**4.12**	**0.00**	**140.40**
समायोजन/ पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	0.06	1.33	17.29	2.90	0.34	2.45	7.10	0.00	31.47
पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: निपटान/ बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-	-	-	0.38	0.18	0.09	0.44	-	1.09
31.03.2025 को शेष	**0.71**	**10.58**	**137.71**	**6.35**	**0.67**	**3.98**	**10.78**	**0.00**	**170.78**
01.04.2025 को शेष	**0.71**	**10.58**	**137.71**	**6.35**	**0.67**	**3.98**	**10.78**	**0.00**	**170.78**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	0.06	1.33	17.29	4.84	0.23	3.87	8.62	-	36.24
पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: निपटान/ बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-	-	-	1.99	0.12	0.13	0.38	-	2.63

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	भवन		संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
31.03.2026 को शेष	**0.77**	**11.90**	**155.00**	**9.20**	**0.77**	**7.71**	**19.02**	**0.00**	**204.38**
वहन राशि									
31.03.2025 को	**0.59**	**11.82**	**156.21**	**5.56**	**0.73**	**9.89**	**14.88**	**0.00**	**199.68**
31.03.2026 को	**0.53**	**10.49**	**138.91**	**5.80**	**0.50**	**8.45**	**12.69**	**0.00**	**177.37**

कंपनी के नाम पर नहीं रखी गयी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेखों की जानकारी के लिए, नोट 38(32) देखें।

नोट 13: पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर - भवन	
01.04.2024 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संयोजन	-
ऋण लागत पूंजीकृत	-
घटाएँ: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / निवेश संपत्ति / परिसंपत्तियां के उपयोग का अधिकार में स्थानांतरण	-
31.03.2025 को शेष	**-**
01.04.2025 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संयोजन	-
ऋण लागत पूंजीकृत	-
घटाएँ : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / निवेश संपत्ति /परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार में स्थानांतरण	-
31.03.2026 को शेष राशि	**-**

पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर की एजिंग निर्धारण अनुसूची (जिसमें वह परियोजना शामिल है जिसका पूरा होना अतिदेय है)।

(क) पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर (निर्धारित पूरा होने के भीतर)

(₹ करोड़ में)

31.03.2026 को	जिस अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-

31.03.2025 को	जिस अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर	-	-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-

(ख) पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर (मूल योजना की तुलना में पूरा होने में विलंब/लागत अधिक होना) **(₹ करोड़ में)**

31.03.2026 को	**जिस अवधि में पूरा करना**			
	1 वर्ष से कम	**1 - 2 वर्ष**	**2 - 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
परियोजना 1	-	-	-	-
परियोजना 2	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	**जिस अवधि में पूरा करना**			
	1 वर्ष से कम	**1 - 2 वर्ष**	**2 - 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
परियोजना 1	-	-	-	-
परियोजना 2	-	-	-	-

नोट 14 : परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(₹ करोड़ में)

विवरण	**राशि**		
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	**भवन***	**भूमि**	**कुल**
01.04.2024 को शेष	**163.44**	**4.33**	**167.78**
वर्ष के दौरान संयोजन	-		-
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	0.27		0.27
31.03.2025 को शेष	**163.71**	**4.33**	**168.05**
01.04.2025 को शेष	**163.71**	**4.33**	**168.05**
वर्ष के दौरान संयोजन	1.51		1.51
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-
31.03.2026 को शेष	**165.23**	**4.33**	**169.56**
संचित मूल्यह्रास			
01.04.2024 को शेष	**17.25**	**0.64**	**17.89**
मूल्यह्रास व्यय	6.37	0.18	6.55
समायोजन/पुनर्वर्गीकरण			-
31.03.2025 को शेष	**23.62**	**0.82**	**24.44**
01.04.2025 को शेष	**23.62**	**0.82**	**24.44**
मूल्यह्रास व्यय	6.30	0.18	6.48
समायोजन/पुनर्वर्गीकरण	-		-
31.03.2026 को शेष	**29.91**	**1.01**	**30.92**
वहन राशि			
31.03.2025 को	**140.10**	**3.51**	**143.60**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	राशि		
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	**भवन***	**भूमि**	**कुल**
31.03.2026 को	**135.31**	**3.32**	**138.64**

परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार पर विवरण के लिए देखें नोट 38(31)

*एनबीसीसी से ली गई लीज होल्ड संपत्ति पर कर प्रभाव का लेखा-जोखा तब लिया जाएगा जब यह स्पष्ट हो जाएगा।

नोट 15 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि*
01.04.2024 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संयोजन	-
घटाएँ: अमूर्त परिसंपत्तियों में स्थानांतरण	-
31.03.2025 को शेष	**-**
01.04.2025 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संयोजन	-
घटाएँ: अमूर्त परिसंपत्तियों में स्थानांतरण	-
31.03.2026 को शेष	**0.23**

(i) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की अवधि निर्धारण अनुसूची (जिसमें वह परियोजना शामिल है जिसका पूरा होना अतिदेय है)

(क) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (निर्धारित पूरा होने के भीतर)

(₹ करोड़ में)

31.03.2026 को	**के वर्ष हेतु विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में राशि**				
	1 वर्ष से कम	**1 - 2 वर्ष**	**2 - 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजनाएँ प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	**के वर्ष हेतु विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में राशि**				
	1 वर्ष से कम	**1 - 2 वर्ष**	**2 - 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजनाएँ प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-

(ख) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (मूल योजना की तुलना में पूरा होने में देरी/लागत अधिक होना)

(₹ करोड़ में)

31.03.2026 को	**में पूरा किया जाना**			
	1 वर्ष से कम	**1 - 2 वर्ष**	**2 - 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	**में पूरा किया जाना**			
	1 वर्ष से कम	**1 - 2 वर्ष**	**2 - 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
	-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 16 : अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि*
01.04.2024 को शेष	**9.82**
वर्ष के दौरान संयोजन	1.93
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण	-
31.03.2025 को शेष	**11.75**
01.04.2025 को शेष	**11.75**
वर्ष के दौरान संयोजन	0.39
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण	-
31.03.2026 को शेष	**12.14**
संचित मूल्यह्रास	
01.04.2024 को शेष	**5.04**
परिशोधन व्यय	0.85
विश्व बैंक अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन	0.37
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2025 को शेष	**6.26**
01.04.2025 को शेष	**6.26**
परिशोधन व्यय	1.17
विश्व बैंक अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन [नोट 38(7क) और 38(17) देखें]	0.37
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2026 को शेष	**7.80**
वहन राशि	
31.03.2025 को	**5.49**
31.03.2026 को	**4.34**

*कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित

नोट 17 : अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31. 03.2025 को
अन्य प्राप्य	23.67	24.85
अन्य अग्रिम	4.28	1.43
आस्थगित कर्मचारी लाभ	15.39	-
कुल	**43.34**	**26.28**

ऊपर दी गई नोट में ₹1,640.00 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹1,638.79 करोड़) की राशि शामिल नहीं है, क्योंकि यह शेष राशि एमएनआरई से संबंधित है।
[नोट 38(43) भी देखें]

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 18 : देय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
व्यावसायिक देय		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	1.12	1.07
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	3.39	8.05
कुल	**4.51**	**9.12**

व्यावसायिक देय अवधि निर्धारण अनुसूची
31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया*				
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	0.45	0.67	-	-	-	-	**1.12**
(ii) अन्य	1.08	0.80	1.51	-	-	-	**3.39**
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	**-**

*अवधि निर्धारण भुगतान की देय तिथि पर आधारित है और जहां भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है, वहां अवधि निर्धारण लेन-देन की तिथि पर आधारित है।

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया*				
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	0.71	0.31	0.05	-	-	-	**1.07**
(ii) अन्य	4.37	2.60	1.07	-	-	-	**8.05**
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	**-**

*अवधि निर्धारण भुगतान की देय तिथि पर आधारित है और जहां भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है, वहां अवधि निर्धारण लेन-देन की तिथि पर आधारित है।

[देखें नोट 38(37)]

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 19 : ऋण प्रतिभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
बंधपत्र		
(I) कर मुक्त बंधपत्र - गैर परिवर्तनीय मोचन योग्य डिबेंचर (सुरक्षित)		
[कंपनी के ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा आरक्षित]		
7.17% कर मुक्त बंधपत्र	-	284.00
(शृंखला XIV प्राइवेट IC -2015-16) (01.10.2025 को परिपक्व)		
7.28% कर मुक्त बंधपत्र	-	108.89
(शृंखला XIV किश्त-I-IA- 2015-16) (21.01.2026 को परिपक्व)		
7.53% कर मुक्त बंधपत्र	-	127.88
(शृंखला XIV किश्त-I-IB- 2015-16) (21.01.2026 को परिपक्व)		
8.55% कर मुक्त बंधपत्र	123.08	123.08
(शृंखला XIII किश्त-I-IIA - 2013-14) (13.03.2029 को चुकाने योग्य)		
8.80% कर मुक्त बंधपत्र	234.55	234.55
(शृंखला XIII किश्त-I-IIB - 2013-14) (13.03.2029 को चुकाने योग्य)		
8.56% कर मुक्त बंधपत्र	36.00	36.00
(शृंखला XIII किश्त-I-IC- 2013-14) (27.03.2029 को चुकाने योग्य)		
7.49% कर मुक्त बंधपत्र	884.27	884.27
(शृंखला XIV किश्त-I-IIA - 2015-16) (21.01.2031 को चुकाने योग्य)		
7.74% कर मुक्त बंधपत्र	483.52	483.52
(शृंखला XIV किश्त-I-IIB- 2015-16) (21.01.2031 को चुकाने योग्य)		
8.55% कर मुक्त बंधपत्र	38.81	38.81
(शृंखला XIII किश्त-I-IIIA- 2013-14) (13.03.2034 को चुकाने योग्य)		
8.80% कर मुक्त बंधपत्र	144.16	144.16
(शृंखला XIII किश्त-I-IIIB- 2013-14) (13.03.2034 को चुकाने योग्य)		
7.43% कर मुक्त बंधपत्र	36.44	36.44
(शृंखला XIV किश्त-I-IIIA- 2015-16) (21.01.2036 को चुकाने योग्य)		
7.68% कर मुक्त बंधपत्र	75.00	75.00
(शृंखला XIV किश्त-I-IIIB- 2015-16) (21.01.2036 को चुकाने योग्य)		
उप-योग (अ)	**2,055.83**	**2,576.60**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(II) कर योग्य बंधपत्र - अपरिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (सुरक्षित)		
[कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (बही ऋण) पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित]।		
9.02% कर योग्य बंधपत्र	-	250.00
(शृंखला III- 2010-11 - किश्त II) (24.09.2025 को परिपक्व)		
8.49% कर योग्य बंधपत्र	200.00	200.00
(शृंखला VB- 2013-14) (10.05.2028 को चुकाने योग्य)		
8.12% कर योग्य ग्रीन बंधपत्र	200.00	200.00
(शृंखला VI A- 2016-17) (24.03.2027 को चुकाने योग्य)		
8.05% कर योग्य ग्रीन बंधपत्र	500.00	500.00
(शृंखला VI B - 2016-17) (29.03.2027 को चुकाने योग्य)		
8.51% कर योग्य बंधपत्र	275.00	275.00
(शृंखला VIIA- 2018-19) (03.01.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.09	0.12
	274.91	274.88
8.47% कर योग्य बंधपत्र	590.00	590.00
(शृंखला VIIB- 2018-19) (17.01.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.09	0.12
	589.91	589.88
8% कर योग्य बंधपत्र	1,000.00	1,000.00
(शृंखला IX A- 2019-20) (24.09.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.11	0.14
	999.89	999.86
7.40% कर योग्य बंधपत्र	803.00	803.00
(शृंखला IX B- 2019-20) (03.03.2030 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.22	0.27
	802.78	802.73
उप-योग (ब)	**3,567.49**	**3,817.35**
(III) कर योग्य बंधपत्र - अपरिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (अरक्षित)		
5.98% कर योग्य बंधपत्र	-	106.00
(शृंखला XI A - 2021-22) (16.04.2025 को परिपक्व)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	-	0.00

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
	-	106.00
7.46% कर योग्य बंधपत्र	-	648.40
(शृंखला XII A- 2022-23) (12.08.2025 को परिपक्व)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	-	0.02
	-	648.38
7.85% कर योग्य बंधपत्र	1,200.00	1,200.00
(शृंखला XII B- 2022-23) (12.10.2032 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.13	0.15
	1,199.87	1,199.85
7.79% कर योग्य बंधपत्र	515.00	515.00
(शृंखला XII C- 2022-23) (07.12.2032 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.06	0.07
	514.94	514.93
7.94% कर योग्य बंधपत्र	1,500.00	1,500.00
(शृंखला XII D- 2022-23) (27.01.2033 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.42	0.46
	1,499.58	1,499.54
7.63% कर योग्य बंधपत्र	1,000.00	1,000.00
(शृंखला XV-A 2023-24) (11.08.2033 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.56	0.61
	999.44	999.39
7.75% कर योग्य बंधपत्र	683.00	683.00
(शृंखला XV-B 2023-24) (12.10.2033 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.38	0.42
	682.62	682.58
7.68% कर योग्य बंधपत्र	1,000.00	1,000.00
(शृंखला XV-C 2023-24) (22.12.2033 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.61	0.66
	999.39	999.34
7.77% कर योग्य बंधपत्र	809.74	809.74
(शृंखला XV-D 2023-24) (10.05.2027 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.14	0.25
	809.60	809.49
7.59% कर योग्य बंधपत्र	1,130.00	1,130.00
(शृंखला XV-E 2023-24) (23.02.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.10	1.20

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
	1,128.90	1,128.80
7.53% कर योग्य बंधपत्र	1,222.00	1,222.00
(शृंखला XV-F 2023-24) (10.05.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.80	0.87
	1,221.20	1,221.13
7.57% कर योग्य बंधपत्र	447.00	447.00
(शृंखला XV-G 2023-24) (18.05.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.19	0.24
	446.81	446.76
7.59% कर योग्य बंधपत्र	1,065.00	1,065.00
(शृंखला XV-H 2023-24) (26.07.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.75	0.81
	1,064.25	1,064.19
7.50% कर योग्य बंधपत्र	1,000.00	1,000.00
(शृंखला XVI-A 2024-25) (05.06.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.91	0.99
	999.09	999.01
7.44% कर योग्य बंधपत्र	1,500.00	1,500.00
(शृंखला XVI-B 2024-25) (25.08.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.75	0.82
	1,499.25	1,499.18
7.39% कर योग्य बंधपत्र	1,090.00	1,090.00
(शृंखला XVI-C 2024-25) (22.07.2039 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.97	1.01
	1,089.03	1,088.99
7.36% कर योग्य बंधपत्र	1,500.00	1,500.00
(शृंखला XVI-D 2024-25) (09.09.2039 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.26	1.32
	1,498.74	1,498.68
7.32% कर योग्य बंधपत्र	1,500.00	1,500.00
(शृंखला XVI-E 2024-25) (04.11.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.48	0.59
	1,499.52	1,499.41
7.37% कर योग्य बंधपत्र	2,000.00	2,000.00

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(शृंखला XVI-F 2024-25) (27.11.2031 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.12	1.28
	1,998.88	1,998.72
7.28% कर योग्य बंधपत्र	1,330.00	1,330.00
(शृंखला XVI-G 2024-25) (21.01.2035 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.12	1.20
	1,328.88	1,328.80
7.40% कर योग्य बंधपत्र	820.00	820.00
(शृंखला XVI-H 2024-25) (27.02.2036 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.82	0.88
	819.18	819.12
7.00% कर योग्य बंधपत्र	1,500.00	-
(शृंखला XVII-A 2025-26) (31.05.2030 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.90	-
	1,499.10	-
उप-योग (स)	**22,798.28**	**22,052.29**
कुल बॉण्ड्स (अ+ब+स)	**28,421.60**	**28,446.24**
भौगोलिक वार ऋण प्रतिभूतियाँ		
भारत में ऋण प्रतिभूतियाँ	28,421.60	28,446.24
भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
कुल	**28,421.60**	**28,446.24**

टिप्पणियाँ :

i) कंपनी द्वारा जारी किए गए कर योग्य बंधपत्र के पास सम्बंधित बंधपत्र के सूचना ज्ञापन में बंधपत्र के पुनर्निर्गम हेतु खंड है।

ii) 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने शृंखला XVII-A के अंतर्गत ₹ 1,500.00 करोड़ के कर योग्य अरक्षित बंधपत्र जारी किए हैं (31.03.2025 को समाप्त वर्ष : शृंखला XVI-A से XVI-H के अंतर्गत ₹ 10,740.00 करोड़ के कर योग्य अरक्षित बंधपत्र)।

iii) 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने शृंखला XI-k, XII-क, III-ख, XIVग, XIV-1क और XIV-1ख के तहत ₹1,525.18 करोड़ के कर योग्य बॉण्ड्स का मोचन किया है (31.03.2025 को समाप्त वर्ष में : शून्य करोड़ रुपये के कर योग्य बंधपत्र का मोचन किया है)।

iv) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 54 के अनुसार, कंपनी द्वारा जारी और 31.03.2026 तक बकाया सभी सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए, कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

v) कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों के अनुबंधों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं था।

vi) वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज़/सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं के लिए किया गया है।

नोट 20 : ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(क) सावधि ऋण -		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(I) बैंकों से		
अ. सावधि ऋण - सुरक्षित		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-V [ऋण और अग्रिम (पुस्तिका ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा आरक्षित]	229.51	291.57
(दिनांक 30.12.2018 से शुरू करके 30.12.2027 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 5,263,000 यूरो की 16 समान किस्तों में और प्रत्येक 5,264,000 यूरो की 3 समान किस्तों में पुनर्भुगतान)		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से - ऋण-III	-	62.50
(कंपनी के पुस्तिका ऋण और प्राप्य पर 100% कवर के साथ एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		
(30.03.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹20.83 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना था , ऋण दिनांक 30.12.2025 को समाप्त हो गया)।		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से - ऋण-IV	-	83.33
(कंपनी के पुस्तिका ऋणों और प्राप्य पर 100% कवर के साथ एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		
(23.04.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 20.83 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना था, ऋण दिनांक 23.01.2026 को समाप्त हो गया)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-IV	-	1,041.62
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(ट्रैंच क के लिए प्रत्येक ₹125 करोड़ और ट्रैंच ख के लिए ₹83.34 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, दोनों 22.07.2023 से शुरू हो चुके हैं। हालांकि, ट्रैंच ख को 30-06-2025 को पूरी तरह से पहले ही बंद कर दिया गया है और ट्रैंच क को 30-09-2025 को पूरी तरह से पहले ही बंद कर दिया गया है)।		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण II	-	333.31
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(इसे 27.06.2023 से 27.12.2025 तक प्रत्येक ₹ 83.33 करोड़ की 11 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना था और आखिरी किस्त ₹ 83.30 करोड़ की 27.03.2026 को चुकाई गई, जिसके बाद ऋण पूरी तरह से चुका दिया गया।)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - ऋण IV- बीओआई	420.97	631.50
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.09.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 52.63 करोड़ की 19 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
एचएसबीसी बैंक से - ऋण I - एचएसबीसी - शृंखला I	50.00	72.22
[100% कवर के साथ कंपनी के ऋण और अग्रिम (पुस्तिका ऋण) तथा प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा आरक्षित]		
(09.03.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 5.56 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
इंडियन ओवरसीज बैंक से - ऋण I- आईओबी	-	333.33
(100% के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्तियों पर बहु बैंकिंग व्यवस्था के अधीन अन्य ऋणदाताओं के साथ एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.03.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹333.33 करोड़ के 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना था, हालांकि ऋण दिनांक 19.01.2026 को पहले ही पूरी तरह से चुकता कर दिया गया है		
आईडीबीआई बैंक से - सावधि ऋण सुविधा I	222.20	333.32
(बकाया ऋण राशि के 100% की सीमा तक पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.12.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹27.78 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से - ऋण -II (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	1,135.85	1,141.09
[ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा आरक्षित]		
(15.04.2020 से शुरू करके 15.10.2034 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 6,666,666.67 अमेरिकी डॉलर के 29 समान किस्तों में तथा 30वीं किस्त में 6,666,666.57 अमेरिकी डॉलर में चुकौती-योग्य)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - ऋण-I	273.10	409.86
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(22.02.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹34.19 करोड़ की 21 समान तिमाही किस्तों में चुकौती-योग्य)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - II शृंखला-क	105.13	210.39
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.09.2022 से शुरू करके प्रत्येक ₹26.32 करोड़ की 19 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से - ऋण-II	112.46	262.47

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(बकाया ऋण राशि के 1 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(16 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है। ₹37.51 करोड़ की पहली किस्त 21.03.2023 को देय थी और प्रत्येक ₹37.50 करोड़ की बाकी बची किस्तें, 21.06.2023 से शुरू हैं।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-III श्रृंखला-क	378.40	883.80
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(29.12.2022 से शुरू करके 29.09.2026 तक प्रत्येक ₹126.35 करोड़ की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, दूसरी अंतिम क़िस्त 29.12.2026 को और ₹ 62.85 करोड़ की अंतिम क़िस्त 29.03.2027 को देय है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-III श्रृंखला -ख	-	266.50
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(29.12.2022 से शुरू करके 29.12.2026 तक प्रत्येक ₹33.35 करोड़ की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है और ₹33.05 करोड़ की अंतिम किस्त 29.03.2027 को देय है; हालाँकि ऋण का भुगतान 27.10.2025 को पूरी तरह से कर दिया गया है)।		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-VI	77.89	92.35
[ऋण और अग्रिम (पुस्तिका ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा आरक्षित]		
(30.12.2021 से शुरू करके 30.06.2028 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 1,428,000 यूरो की 6 समान किस्तों और प्रत्येक 1,429,000 यूरो की 8 समान किस्तों में चुकाया जाना है।)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से	366.55	611.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.06.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 61.11 करोड़ की 18 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है)		
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से	468.62	843.63
(बकाया ऋण राशि के 1 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		
(27.09.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 93.75 करोड़ की 16 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है)।		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - II श्रृंखला -ख	52.73	105.48
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(19 तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है। 30.09.2022 को ₹ 52.63 करोड़ की पहली किस्त और प्रत्येक ₹13.18 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तें 31.12.2022 से शुरू हो चुकी हैं)।		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से - I	-	249.96
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(29.03.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 83.33 करोड़ की 12 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है और ऋण 29.12.2025 को चुकता हो गया)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V श्रृंखला -क	-	533.33
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(28.06.2024 से शुरू होकर, प्रत्येक ₹ 66.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 27.10.2025 को कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V श्रृंखला -ख	-	450.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(07.07.2024 से शुरू करके, प्रत्येक ₹ 50.00 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 17.11.2025 को कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V श्रृंखला-ग	-	240.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.07.2024 से शुरू करके, प्रत्येक ₹ 26.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 29.12.2025 को कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V श्रृंखला-घ	-	232.50
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(प्रत्येक ₹25.83 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, जो 04.08.2024 से शुरू हुआ; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 29.12.2025 को कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-ङ	-	465.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(19.08.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹51.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 29.11.2025 को कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V शृंखला -च	-	1,387.50
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.08.2024से शुरू करके प्रत्येक ₹154.17 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 29.12.2025 को कर दिया गया है)।		
एचएसबीसी से - ऋण-I शृंखला -II	200.00	266.67
[100% कवर के साथ कंपनी के ऋण और अग्रिम (पुस्तिका ऋण) और प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा आरक्षित।]		
(01.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹16.67 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कर्नाटक बैंक से - ऋण-II	333.49	444.49
(किसी भी समय बकाया राशि के 100% की सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के मानक प्राप्य/ पुस्तिका ऋणों पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(15.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹27.75 करोड़ की 17 समान तिमाही किस्तों और ₹28.25 करोड़ की 18वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
आईडीबीआई बैंक से - ऋण-II	333.33	444.44
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक कंपनी के बही ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(01.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹27.78 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI-क	-	375.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(27.09.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹41.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 27.10.2025 को पहले ही कर दिया गया है)।		
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) बैंक से - ऋण-I	-	499.88
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्य राशि पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(30.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 62.50 करोड़ की 8 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 30.04.2025 को पहले ही कर दिया गया है)।		
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) से	-	785.00
(ये एसटीएल/डब्ल्यूसीडीएल कई हिस्सों में ₹2000 करोड़ की कुल सीमा के अंदर निकाले गए हैं, जिनकी समय-सीमा 90 दिनों तक है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI श्रृंखला ख	-	358.33
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(02.10.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 35.83 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 27.10.2025 को पहले ही कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI श्रृंखला ग	-	83.33
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(14.10.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 8.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 30.09.2025 को पहले ही कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI श्रृंखला घ	-	533.33
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(08.11.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 53.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 30.09.2025 को पहले ही कर दिया गया है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI किस्त ङ	-	275.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(14.11.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 27.50 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है। हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 30.09.2025 को पहले ही कर दिया गया है)		
केनरा बैंक से श्रृंखला क	75.83	99.17
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.01.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹5.83 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
केनरा बैंक से श्रृंखला ख	252.78	330.56
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(28.02.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹19.44 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
केनरा बैंक से श्रृंखला ग	36.11	47.22
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(28.02.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 2.78 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
केनरा बैंक से श्रृंखला घ	278.06	363.61
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(28.02.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 21.39 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
साउथ इंडियन बैंक से	250.00	250.00
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्तियों पर बहु-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अन्य ऋणदाताओं के साथ एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा आरक्षित, सहित 21.09.2027 को बुलेट पुनर्भुगतान।)		
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) बैंक से - ऋण-I श्रृंखला II	-	350.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 43.75 करोड़ की 8 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है। हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 31.05.2025 को पहले ही कर दिया गया है)		
आईडीबीआई बैंक से - ऋण III	288.88	377.77
(बकाया ऋण राशि के 100% की सीमा तक पुस्तिका ऋण पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(01.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹22.22 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
साउथ इंडियन बैंक से - ऋण II	120.00	200.00
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्य पर बहु-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अन्य ऋणदाताओं के साथ एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(27.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹20.00 करोड़ की 10 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
केनरा बैंक से श्रृंखला ङ	322.78	415.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹23.06 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
भारतीय स्टेट बैंक से VII श्रृंखला क	-	800.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बही ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(21.05.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹42.11 करोड़ की 19 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 10.11.2025 को पहले ही कर दिया गया है)		
पंजाब नेशनल बैंक से - ऋण V	1,874.99	1,999.99
(ऋण बकाया राशि के 100% के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.03.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹125.00 करोड़ की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV श्रृंखला क	204.16	320.83
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.03.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 29.17 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV श्रृंखला ख	133.32	200.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 16.67 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV श्रृंखला ग	166.65	250.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹20.83 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV श्रृंखला घ	110.00	165.00

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.05.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹13.75 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला ङ	266.66	400.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.05.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹33.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला च	99.99	150.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(10.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹12.50 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण VIII शृंखला क	-	2,000.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(05.09.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹166.67 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, ऋण का पूरा भुगतान 08-08-2025 को कर दिया गया है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण VIII शृंखला ख	-	1,000.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(06.09.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 83.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है; हालाँकि, लोन का पूरा भुगतान 30-06-2025 को पहले ही कर दिया गया है)		
बैंक ऑफ महाराष्ट्र से	2,666.62	750.00
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की मानक प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹166.67 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में और ₹166.61 करोड़ के अंतिम किस्त में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला छ	363.73	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(10.07.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 40.42 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
जम्मू एवं कश्मीर बैंक से	670.55	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(06.01.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 44.44 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
बैंक ऑफ इंडिया से - ऋण V शृंखला क	800.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.12.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 100.00 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कर्नाटक बैंक से - ऋण III	283.33	-
[यह किसी भी समय बकाया राशि के 100% की सुरक्षा कवर के साथ कंपनी की मानक प्राप्तियों/ बैक ऋणों (वर्तमान एवं भावी) पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित]		
(30.03.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 16.66 करोड़ की 17 समान तिमाही किस्तों में और 30.06.2030 को ₹16.78 करोड़ की 18वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
बैंक ऑफ इंडिया से - ऋण V शृंखला ख	400.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.12.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 50.00 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कैनरा बैंक से - ऋण II शृंखला क	600.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.04.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 60 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कैनरा बैंक से - ऋण II शृंखला ख	150.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.04.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹15 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कैनरा बैंक से - ऋण II शृंखला ग	300.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.04.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 30 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
कैनरा बैंक से - ऋण II श्रृंखला घ	300.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.05.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 30 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कैनरा बैंक से - ऋण II श्रृंखला ङ	610.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.05.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 61 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कैनरा बैंक से - ऋण II श्रृंखला च	1,640.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.05.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹164 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र से - ऋण II	2,499.98	-
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की मानक प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.06.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 138.89 करोड़ की 17 समान तिमाही किस्तों में और 14.09.2030 को ₹138.87 करोड़ की 18वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
बैंक ऑफ़ बड़ौदा से - ऋण II	2,010.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.06.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹201 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
पंजाब नेशनल बैंक से - ऋण VI श्रृंखला क	1,000.00	-
(बकाया ऋण राशि के 1.00 गुना की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(बुलेट पुनर्भुगतान 30-09-2028 को)		
पंजाब नेशनल बैंक से - ऋण VI श्रृंखला ख	300.00	-
(बकाया ऋण राशि के 1.00 गुना की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(बुलेट पुनर्भुगतान 30-09-2028 को)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
पंजाब नेशनल बैंक से - ऋण VI शृंखला ग	700.00	-
(बकाया ऋण राशि के 1.00 गुना की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(बुलेट पुनर्भुगतान 27-10-2028 को)		
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से - ऋण V शृंखला क	155.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(बुलेट पुनर्भुगतान 30-12-2026 को)		
बैंक ऑफ़ बड़ौदा से - ऋण II शृंखला ख	490.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.06.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹49 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
बैंक ऑफ़ इण्डिया से - ऋण V शृंखला ग	500.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.12.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 50 करोड़ की 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
उप-योग (अ)	**25,679.63**	**26,102.18**
ब. सावधि ऋण - अरक्षित		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरौफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-I	179.15	162.57
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(30.12.2009 से शुरू करके 30.12.2039 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 586,451.79 यूरो की 28 समान किस्तों में, प्रत्येक 586,963.08 यूरो की 32 सामान किस्तों में और 586,963 यूरो की 61वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरौफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-III	174.24	153.72
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(30.06.2020 से शुरू करके 30.12.2049 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 332,000 यूरो की 9 समान किस्तों में और प्रत्येक 333,000 यूरो की 51 समान किस्तों में चुकाया जाना है।)		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-VII	253.26	253.09
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(15.05.2023 से शुरू करके 15.05.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर 8,912,000 अमेरिकी डॉलर की 1 किस्त और प्रत्येक 1,408,248.09 अमेरिकी डॉलर की 24 समान किस्तों में चुकाया जाना है।)		
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से - ऋण-III	320.50	318.77
(भारत सरकार द्वारा जोखिम के 80% की सीमा तक गारंटीकृत)		
(15.04.2022 से शुरू करके 15.10.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 556,508.17 अमेरिकी डॉलर की 3 समान किस्तों में, प्रत्येक 779,500.64 अमेरिकी डॉलर की 2 समान किस्तों में, प्रत्येक 1,693,241.41 अमेरिकी डॉलर की 22 समान किस्तों तथा 1,688,973.99 अमेरिकी डॉलर की 28वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) - ऋण-III	132.37	119.69
(भारत सरकार द्वारा जोखिम के 80% की सीमा तक गारंटीकृत)		
(15.04.2027 से शुरू करके 15.10.2056 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 139,849.43 अमेरिकी डॉलर की 20 समान किस्तों में तथा प्रत्येक 279,698.86 अमेरिकी डॉलर की 40 समान किस्तों में चुकाया जाना है)		
कर्नाटक बैंक से ऋण-I	-	136.37
(इसे 29-05-2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹45.45 करोड़ की 10 किस्तों में चुकाया जाना था और आखिरी क़िस्त ₹ 45.50 करोड़ की 29-11-2025 को चुकाई गई, जिसके बाद ऋण पूरी तरह से समाप्त हो गया।)		
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से - ऋण-I	1,306.43	1,295.32
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(किस्त I - 26.09.2019 से शुरू करके 26.03.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 662,000 अमेरिकी डॉलर की 32 समान किस्तों में चुकाया जाना है)।		
(क़िस्त II - 15.07.2020 से शुरू करके 15.07.2036 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 1,999,636.36 अमेरिकी डॉलर की 32 समान किस्तों में और 1,999,636.48 अमेरिकी डॉलर की 33वीं क़िस्त में चुकाया जाना है)।		
(किस्त III - 16.02.2021 से शुरू करके 15.08.2036 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 4,005,375 अमेरिकी डॉलर की 32 समान किस्तों में चुकाया जाना है)।		
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से - ऋण-II	1,281.86	1,269.64
(किस्त I - 27.02.2023 से शुरू करके 27.08.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 2,263,653.85 अमेरिकी डॉलर की 25 समान किस्तों में और 2,263,653.75 की 26वीं किस्त में चुकाया जाना है)।		
(किस्त II - 09.03.2024 से शुरू करके 09.03.2037 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 4,200,740.74 अमेरिकी डॉलर की 26 समान किस्तों में तथा 4,200,740.76 अमेरिकी डॉलर की 27वीं किस्त में चुकाया जाना है)।		
पंजाब नेशनल बैंक से- ऋण VII श्रृंखला क	1,050.00	-
(बुलेट पुनर्भुगतान 17.10.2028 को)		

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
पंजाब नेशनल बैंक से- ऋण VII शृंखला ख	145.00	-
(बुलेट पुनर्भुगतान 21.12.2028 को)		
पंजाब नेशनल बैंक से- ऋण VII शृंखला ग	380.00	-
(बुलेट पुनर्भुगतान 22.12.2028 को)		
पंजाब नेशनल बैंक से- ऋण VII शृंखला घ	265.00	-
(बुलेट पुनर्भुगतान 25.12.2028 को)		
पंजाब नेशनल बैंक से- ऋण VII शृंखला ङ	2,160.00	-
(बुलेट पुनर्भुगतान 28.12.2028 को)		
बैंक ऑफ बड़ौदा से - ऋण III	790.00	-
(30.09.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹79 करोड़ के 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया से - ऋण I	4,000.00	-
(21.11.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹400 करोड़ के 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
बैंक ऑफ बड़ौदा से - ऋण III शृंखला ख	1,710.00	-
(30.09.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹171 करोड़ के 10 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
उप योग (ब)	**14,147.81**	**3,709.17**
बैंकों से कुल ऋण (स=अ+ब)	**39,827.44**	**29,811.35**
(II) अन्य से		
द. सावधि ऋण - आरक्षित	**-**	**-**
उप योग (द)	**-**	**-**
य. सावधि ऋण - अरक्षित		
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से	13.68	25.42
(41 संरचित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
एजेंसे फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) से - ऋण-I	254.35	258.51
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(31.07.2016 से शुरू करके 31.01.2031 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 2,333,333.33 यूरो की 29 किस्तों तथा 2,333,333.43 यूरो की 30वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से - ऋण-I	1,343.96	1,370.30

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(20.06.2021 से शुरू करके 20.06.2041 तक अर्धवार्षिक आधार पर 731,720,000 जापानी येन की 1 किस्त और प्रत्येक 731,707,000 जापानी येन की 40 समान किस्तों में चुकाया जाना है।)		
जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से - ऋण-II	1,559.17	1,576.35
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(20.03.2024 से शुरू करके 20.03.2044 तक अर्धवार्षिक आधार पर 731,000,000 जापानी येन की 1 किस्त और प्रत्येक 730,975,000 जापानी येन की 40 समान किस्तों में चुकाया जाना है।)		
भारत सरकार से	224.80	224.65
(अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (आईडीए) के प्रति - दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना (आईएनआर ऋण)		
(15.10.2010 से शुरू करके 15.04.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 625,000.00 अमेरिकी डॉलर की 20 समान किस्तों में तथा प्रत्येक 1,250,000.00 अमेरिकी डॉलर की 30 समान किस्तों में भारतीय रुपये में देय चुकाया जाना है।)		
उप-योग (य)	**3,395.96**	**3,455.23**
अन्य से कुल ऋण (र=द+य)	**3,395.96**	**3,455.23**
कुल अवधि ऋण (क=स+र)	**43,223.40**	**33,266.58**
(ख) मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण:-		
(i) सुरक्षित		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से	-	222.92
(ऋण राशि की 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के पुस्तिका ऋण पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
उप योग (i)	**-**	**222.92**
(ii) अरक्षित		
बैंकों से		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - नकद ऋण	222.79	-
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - डब्ल्यूसीडीएल	1,180.00	-
उप योग (ii)	**1,402.79**	**-**
उप योग (ख=i+ii)	**1,402.79**	**222.92**
(ग) एफसीएनआर (ब) मांग ऋण:-		
उप योग (ग)	**-**	**-**

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
(घ) बाह्य वाणिज्यिक ऋण :-		
अरक्षित		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - टोक्यो	1,540.50	-
(बुलेट पुनर्भुगतान सहित अरक्षित सुविधा)		
(2 भागों ने चुकाया जाना है अर्थात 25.04.2030 को 16 बिलियन जापानी येन तथा 25.06.2030 को 10 बिलियन जापानी येन)		
उप योग (घ)	**1,540.50**	**-**
कुल योग (क+ख+ग+घ)	**46,166.69**	**33,489.50**
भौगोलिक वार ऋण		
भारत में ऋण	36,152.83	24,961.89
भारत के बाहर ऋण	10,013.86	8,527.61
कुल	**46,166.69**	**33,489.50**

i) विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों जैसे एडीबी, विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू, एएफडी, जेआईसीए और ईआईबी से विदेशी मुद्रा ऋण को रुपये में परिवर्तित किया गया है और उसी का बचाव विभिन्न बैंकों के साथ प्लेन वेनिला स्वैप लेन-देन/मुद्रा ब्याज दर स्वैप/प्रिंसिपल ओनली स्वैप/फॉरवर्ड अनुबंध आदि करके की जाती है, जिनके साथ कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्वैप और व्युत्पन्न संघ (आईएसडीए) मास्टर समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। ये व्युत्पन्नी लेन-देन भागीदार बैंक के साथ परिपक्वता की अवधि के लिए किये गये हैं, जो ऋण की परिपक्वता अवधि से कम हो सकती है। विदेशी मुद्रा ऋण का बचाव विभिन्न अंतरालों पर किया गया है और क्रेडिट लाइनों के तहत निकासी और रोलओवर के आधार पर कई किस्तों में की गयी है। ब्याज लागत और अन्य वित्तीय शुल्कों के अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा ऋणों के बचाव के कारण, इन ऋणों में बचाव /व्युत्पन्नी लागत होती है, जो क्रेडिट लाइन के तहत निकासी के अनुसार किस्तों के अनुसार होती है, इसलिए इन क्रेडिट लाइनों पर लागू ब्याज दर का प्रकटीकरण ऊपर नहीं किया गया है।

ii) नोट संख्या 20 में उल्लिखित 31-03-2026 तक रुपया ऋण संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों की बेंचमार्क दर और 0 बीपीएस से 210 बीपीएस तक के प्रसार पर प्राप्त किया गया।

iii) बॉण्ड सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से कंपनी धन प्राप्त करती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने किसी भी ऋण सेवा-दायित्व की सेवा में चूक नहीं की है, फिर चाहे वह मूलधन हो या ब्याज।

iv) वर्ष के दौरान प्राप्त की गयी धनराशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन/सुविधा समझौते में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है।

v) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

vi) कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास दायर किये गये पुस्तिका ऋणों के विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

vii) किसी भी ऋण की गारंटी कम्पनी के निदेशकों द्वारा नहीं दी गई है।

viii) कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों के नियमों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं था।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 21 : अधीनस्थ देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
क) अरक्षित		
9.23% इरेडा कर योग्य अरक्षित	150.00	150.00
(अधीनस्थ स्तरीयर-II बंधपत्र -शृंखला VIII- 22.02.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.12	0.16
	149.88	149.84
7.74% इरेडा कर योग्य अरक्षित	500.00	500.00
(अधीनस्थ स्तरीयर -II बंधपत्र - शृंखला-X-08.05.2030 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.28	0.34
	499.72	499.66
7.74% इरेडा कर योग्य अरक्षित	910.37	910.37
(अधीनस्थ स्तरीयर -II बंधपत्र -एसडी -III-27.03.2035 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.71	0.77
	909.66	909.60
8.40% इरेडा सतत कर योग्य बंधपत्र	1,239.00	1,239.00
(सतत स्तरीयर -I बंधपत्र -शृंखला-पीडीआई-I - 21.03.2035 को कॉल विकल्प के साथ और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर)		
घटाएं : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.42	1.52
	1,237.58	1,237.48
8.40% इरेडा सतत कर योग्य बंधपत्र	8.00	8.00
(सतत स्तरीयर -I बंधपत्र - शृंखला-पीडीआई-I - 21.03.2035 को कॉल विकल्प के साथ और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर)- आरबीआई मानदंड के अनुसार स्तरीयर II पूँजी के तौर पर वर्गीकृत		
घटाएं : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.01	0.01
	7.99	7.99
7.70% इरेडा सतत कर योग्य बंधपत्र	430.86	-
(सतत स्तरीयर -I बंधपत्र - शृंखला-पीडीआई-II - 15.09.2035 को कॉल विकल्प के साथ और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर)	0.47	-
घटाएं : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	430.39	-
7.70% इरेडा सतत कर योग्य बंधपत्र	22.14	-
(सतत स्तरीयर -I बंधपत्र - शृंखला-पीडीआई-II - 15.09.2035 को कॉल विकल्प के साथ और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर)- आरबीआई मानदंड के अनुसार स्तरीयर II पूँजी के तौर पर वर्गीकृत		
घटाएं : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.02	-
	22.12	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत पर	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर
कुल (अ)	**3,257.34**	**2,804.57**
(ख) भौगोलिक वार वर्गीकरण		
भारत में अधीनस्थ देयताएँ	3,257.34	2,804.57
भारत के बाहर अधीनस्थ देयताएँ	-	-
कुल (ख)	**3,257.34**	**2,804.57**

नोट:

i) 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 453 करोड़ के सतत ऋण उपकरण (31.03.2025 को समाप्त वर्ष : ₹ 1,247 करोड़) और ₹ शून्य करोड़ के अधीनस्थ स्तरीयर II बंधपत्र (31.03.2025 को समाप्त वर्ष: ₹ 910.37 करोड़) जारी किए हैं। नोट 38(48डी)(ख) भी देखें।

नोट : 22 - अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	495.37	440.74
(ख) ऋण पर अर्जित ब्याज और अन्य शुल्क लेकिन देय नहीं	966.78	959.28
(ग) लाभांश देय [नोट 38(48डी)(घ) देखें]	168.55	-
(घ) अन्य देय:		
एफडीआर - ऋणकर्ता	9.18	11.95
दावाहीन बॉण्ड मूलधन *	0.20	0.20
दावाहीन बंधपत्र ब्याज *	2.99	1.93
पट्टा देयता	4.99	3.90
अन्य	82.28	54.05
कुल	**1,730.34**	**1,472.05**

*इसमें से कोई भी राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के योग्य नहीं है।

₹64.43 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹165.99 करोड़) की राशि को ऊपर दी गई नोट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह शेष एमएनआरई से संबंधित है। [नोट 38(42) और 38(42ख) देखें]

नोट 23 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान [नोट संख्या 38(6) देखें]		
-छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	13.31	10.58
-सेवा-निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) हेतु प्रावधान	20.79	-
-अस्वस्थता छुट्टी हेतु प्रावधान	6.12	5.27
-बैगेज भत्ते हेतु प्रावधान	0.29	0.27
-विदाई उपहार हेतु प्रावधान	0.21	0.23
अन्य		
-अप्रत्यक्ष कर (गारंटी कमीशन पर सहित) हेतु प्रावधान	104.58	98.32
-निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) हेतु प्रावधान	44.37	28.17
-वित्तीय साधनों (ऋण) पर आकस्मिक प्रावधान*	7.09	26.21
कुल	**196.76**	**169.05**

*गैर-निधि जोखिम पर क्षति हानि भत्ता।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 24 : अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
अग्रिम में प्राप्त प्रारम्भिक शुल्क	98.70	72.58
भविष्य निधि देय	0.84	0.04
वैधानिक बकाया	16.03	19.09
विविध देनदारियां - ब्याज का पूंजीकरण (वित्तपोषित ब्याज अवधि ऋण)	69.69	82.79
विश्व बैंक से पूंजी अनुदान [नोट 38(7क) देखें]	0.78	1.15
ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच के लिए चूक जोखिम न्यूनीकरण कोष (केएफडब्ल्यू VI)#	10.59	10.12
अन्य	1.18	1.36
कुल	**197.81**	**187.13**

केएफडब्ल्यू द्वारा केएफडब्ल्यू VI ऋण व्यवस्था के तहत कंपनी के ऊर्जा पोर्टफोलियो तक समग्र पहुंच के 70% तक चूक जोखिमों को कवर करने के लिए पोर्टफोलियो जोखिम आरक्षित खाता (पीआरआरए) की स्थापना करके प्रदान किया गया। उक्त राशि का उपयोग डीएसआरए समाप्त होने के बाद, एनपीए घोषित होने पर ऋणकर्ता के बकाया ऋण सेवा दायित्व के 70% तक की वसूली के लिए किया जाएगा।

"अन्य गैर-वित्तीय देनदारियों" से ₹1,640.04 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1,653.12 करोड़) की राशि को हटा दिया गया है, क्योंकि उक्त शेष एमएनआरई से संबंधित हैं। नोट 38(43) देखें।

नोट 25 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क) अधिकृत शेयर पूंजी		
6,00,00,00,000 (पिछले वर्ष 6,00,00,00,000) इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक	6,000.00	6,000.00
	6,000.00	6,000.00
(ख) जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान		
2,80,92,31,268 इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक पूरी तरह से भुगतान (पिछले वर्ष: 2,68,77,64,706 इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक)।	2,809.23	2,687.76
कुल	**2,809.23**	**2,687.76**

बकाया शेयरों की संख्या का समाधान:-

विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 का)	2,68,77,64,706	2,687.76	2,68,77,64,706	2,687.76
जोड़ें:- वर्ष के दौरान शेयर जारी और आवंटित	12,14,66,562	121.47	-	-
वर्ष के दौरान वापस मंगाए गये	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 का)	**2,80,92,31,268**	**2,809.23**	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**

5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:-

विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
	शेयरों की संख्या	% धारित	शेयरों की संख्या	% धारित
भारत सरकार	2,01,58,23,529	71.76	2,01,58,23,529	75.00

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च, 2026 को

वर्ष की समाप्ति पर प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण:-

विवरण	31.03.2026 को			31.03.2025 को		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
भारत सरकार	2,01,58,23,529	71.76	(3.24)	2,01,58,23,529	75.00	-

1 कंपनी ने केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर जारी किये हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर है।

2 इक्विटी शेयरधारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं, जो अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन है।

3 इक्विटी शेयरधारक शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं।

4 कंपनी ने तुलन पत्र की तारीख से ठीक पहले के 5 वर्षों में निम्न कार्य नहीं किये हैं:

क) नकद भुगतान प्राप्त किये बिना इक्विटी शेयर जारी किया।

ख) बोनस शेयर के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी किया।

ग) अपने किसी भी शेयर को वापस नहीं खरीदा।

5 कंपनी के पास शेयरों की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प/अनुबंध/प्रतिबद्धता के तहत जारी करने के लिए कोई इक्विटी शेयर आरक्षित नहीं है। [नोट 38(24) देखें]

6 अदत्त माँग (निदेशकों और अधिकारियों द्वारा अदत्त माँग का कुल मूल्य दिखाते हुए): शून्य

7 जब्त शेयर (मूल रूप से भुगतान की गयी राशि): शून्य

8 पूंजी प्रबंधन के लिए: नोट 38(23) देखें।

नोट 26 : अन्य इक्विटी*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क) आरक्षित निधि और अधिशेष		
(i) विशेष आरक्षित निधि	2,409.10	1,943.10
(ii) डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	0.00	439.01
(iii) सामान्य आरक्षित निधि	4,249.49	3,560.48
(iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)	(683.58)	(379.08)
(v) एनबीएफसी आरक्षित निधि	1,427.83	1,052.83
(vi) प्रतिभूति प्रीमियम	2,737.56	864.26
(vii) क्षति आरक्षित निधि	300.46	-
(viii) समेकन पर परिवर्तन आरक्षित निधि	3.67	0.64
(ख) प्रतिधारित आय	**310.71**	**27.78**
(ग) नकद प्रवाह बचाव का प्रभावी हिस्सा		
(i) नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	220.95	69.76
कुल अन्य इक्विटी (क+ख +ग)	**10,976.19**	**7,578.78**

*वर्ष के दौरान परिवर्तनों के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण देखें।

अन्य इक्विटी का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
विशेष आरक्षित निधि [आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन]		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	1,943.10	1,581.10
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	466.00	362.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस लिखा गया	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**2,409.10**	**1,943.10**

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च, 2026 को

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	439.01	397.75
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	-	41.26
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	439.01	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**-**	**439.01**
सामान्य आरक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	3,560.48	2,610.48
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	250.00	950.00
जोड़ें : डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि से स्थानांतरित	439.01	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**4,249.49**	**3,560.48**
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(379.08)	(318.37)
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन /स्थानांतरण	(319.29)	(65.26)
घटाएँ: वर्ष के दौरान परिशोधन	(14.79)	(4.55)
वर्ष के अंत में शेष राशि	**(683.58)**	**(379.08)**
एनबीएफसी आरक्षित निधि(आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-IG)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	1,052.83	712.83
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	375.00	340.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1,427.83**	**1,052.83**
प्रतिभूति प्रीमियम		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	864.26	863.63
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयरों पर प्रीमियम	1,884.43	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया शेयर जारी करने का खर्च (कर लाभ का निवल)	11.13	-
जोड़ें : शेयर जारी करने के व्यय के लिए समायोजन (कर लाभ का निवल)	-	0.63
वर्ष के अंत में शेष राशि	**2,737.56**	**864.26**
क्षति आरक्षित निधि (आरबीआई)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	300.46	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**300.46**	**-**
प्रतिधारित आय		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	27.78	38.26
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	1,874.00	1,698.34
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	(31.06)	(15.55)
घटाएँ: विशेष आरक्षित निधि में स्थानांतरण	466.00	362.00
जोड़ें/(घटाएँ): डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि में/(से) शुद्ध स्थानांतरण	-	41.26

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च, 2026 को

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	250.00	950.00
घटाएँ: एनबीएफसी आरक्षित निधि में स्थानांतरण	375.00	340.00
घटाएँ: क्षति आरक्षित निधि में स्थानांतरण	300.46	-
घटाएँ: अंतरिम लाभांश	168.55	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**310.71**	**27.78**
नकद प्रवाह बचाव का प्रभावी हिस्सा		
नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	69.76	(14.02)
जोड़ें: अन्य व्यापक आय/(व्यय) (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	151.19	83.78
वर्ष के अंत में शेष राशि (करों का निवल)	**220.95**	**69.76**
समेकन पर परिवर्तन आरक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	0.64	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	3.03	0.64
वर्ष के अंत में शेष राशि	**3.67**	**0.64**
कुल	**10,976.19**	**7,578.78**

1 आरक्षित निधि की प्रकृति और उद्देश्य

1.1 विशेष आरक्षित निधि:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत आयकर कटौती का लाभ उठाने हेतु दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त कर-पूर्व लाभ के 20% की दर से विशेष आरक्षित निधि बनायी गयी है। तदनुसार, 31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु ₹466.00 करोड़ की राशि प्रदान की गयी है (पिछले वर्ष: ₹362.00 करोड़)।

1.2 डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि:

कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014, जिसे कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) संशोधित नियम , 2019 द्वारा संशोधित किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लिए डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) बनाना ज़रूरी नहीं है। इसके अनुसार, 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए कोई डीआरआर नहीं बनाया गया है (पिछले वर्ष: ₹41.26 करोड़)।

इसके अतिरिक्त, इस ज़रूरत के लागू न होने के कारण, डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) में मौजूद ₹439.01 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹439.01 करोड़) की पूरी शेष राशि को 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

1.3 सामान्य आरक्षित निधि:

सामान्य आरक्षित निधि का उपयोग समय-समय पर विनियोग उद्देश्यों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे में स्थानांतरित करके बनाया जाता है।

1.4 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षित निधि:

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋण पर असंशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को दर्शाता है जो संबंधित ऋण की अवधि के दौरान परिशोधित होते हैं। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 101 के अनुच्छेद डी13एए की छूट को अपनाया है, जिसके अनुसार पहली बार अपनाने वाला व्यक्ति पिछले जीएएपी के अनुसार पहले भारतीय लेखा मानक वित्त वर्ष की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर के लिए लेखांकन के लिए अपनायी गयी नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन-देन लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 तक बकाया दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रचलित दर पर, जिस पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, उससे अलग, एक "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित खाता" में जमा किये जाते हैं और ऐसे दीर्घकालिक मौद्रिक मद के शेष वर्ष में परिशोधित किये जाते हैं, ऐसे प्रत्येक वर्ष में

समेकित तुलन पत्र
31 मार्च, 2026 को

आय या व्यय के रूप में मान्यता देकर। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें वे हैं जिनकी उत्पत्ति की तारीख पर बारह महीने या उससे अधिक की अवधि होती है। एफसीएमआईटीआर की चाल ऊपर दी गयी सारणी में दिखायी गयी है।

1.5 एनबीएफसी आरक्षित निधि:

आरबीआई परिपत्र संख्या डीएनबीआर (पीडी)सीसी.सं. 092/03.10.001/2017-18 दिनांक 31 मई, 2018 के अनुसार, कंपनी को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-ाग के तहत कर-पश्चात लाभ के 20% की दर से एनबीएफसी आरक्षित निधि बनाना आवश्यक है। तदनुसार, 31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु, एनबीएफसी आरक्षित निधि के लिए ₹375 करोड़ की राशि विनियोजित की गयी है (पिछले वर्ष : ₹340 करोड़)।

1.6 प्रतिभूति प्रीमियम:

शेयरों के निर्गम पर प्रीमियम रिकॉर्ड करने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित निधि का उपयोग केवल सीमित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। शेयरों के निर्गम पर व्यय प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

1.7 प्रतिधारित आय:

प्रतिधारित आय, कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त लाभ और अन्य व्यापक आय की मदों को दर्शाती है, जिसमें से लाभांश वितरण और अन्य आरक्षित निधियों को तथा से अंतरण घटाया जाता है।

1.8 नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि:

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और ऋण से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्नी उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम के बचाव के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। बचाव लेखांकन के तहत नामित व्युत्पन्नी अनुबंध प्रभावी बचाव हैं, बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकद प्रवाह बचाव के प्रभावी हिस्से' में मान्यता दी जाती है। ऐसे आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि के समेकित विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जब बचाव की गयी मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है। नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि के संचलन को ऊपर दी गयी तालिका में दिखाया गया है।

1.9 हानि आरक्षित निधि:

आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, अगर भारतीय लेखा मानक 109 के तहत 'हानि भत्ता' की रकम 'प्रूडेंशियल फ्लोर' से कम है, तो एनबीएफसी को उस अंतर की रकम को कर पश्चात अपने निवल लाभ या हानि में से निकालकर एक अलग 'हानि आरक्षित निधि' में डालना होगा। 'हानि आरक्षित निधि' की शेष राशि को विनियामक पूँजी के लिए नहीं गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग की पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित निधि से कोई भी निकासी नहीं की जाएगी। आईआरएसीपी नियमों के तहत हानि भत्ता और प्रावधान के बीच तुलना के बारे में जानकारी के लिए नोट 38(48डब्ल्यू) देखें।

1.10 समेकन पर परिवर्तन आरक्षित निधि

भारतीय रुपये के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यात्मक मुद्रा वाली विदेशी इकाइयों के वित्तीय विवरणों के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को 'अन्य व्यापक आय' के माध्यम से मान्यता दी जाती है, और इसे इक्विटी के अंतर्गत 'विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि' में दर्शाया जाता है।

नोट 27 : ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
(i) ऋण पर ब्याज	8,109.41	6,539.89
घटाएँ: छूट	69.53	44.54
ऋण पर ब्याज (शुद्ध)	8,039.88	6,495.35
(ii) निवेश पर ब्याज आय		
-भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज	51.99	40.03
(iii) बैंकों के पास जमा पर ब्याज		
-अल्पकालिक जमा-भारतीय रुपये	17.41	17.37
-अल्पकालिक जमा-विदेशी मुद्रा	1.26	2.66
(iv) अंतर ब्याज	69.92	20.89
कुल	**8,180.46**	**6,576.30**

वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज, परिशोधित लागत पर मापा गया

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 28 : शुल्क और कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
व्यावसायिक सेवा शुल्क		
(i) शुल्क आधारित आय	24.06	17.17
(ii) गारंटी कमीशन	28.56	68.37
कुल व्यावसायिक सेवा शुल्क (क)	**52.62**	**85.54**
सेवा शुल्क		
(i) सरकारी योजना कार्यान्वयन	6.21	10.17
कुल सेवा शुल्क - सरकारी योजना कार्यान्वयन (ख)	**6.21**	**10.17**
कुल (क+ख)	**58.83**	**95.71**

नोट 29 : उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध लाभ/(हानि)*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
व्यापारिक निवेश सूची के अतिरिक्त लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)		
(i) व्युत्पन्नी		
- विदेशी मुद्रा ऋण हेतु लिये गये व्युत्पन्नी कवर पर उचित मूल्य परिवर्तन	31.11	13.13
(ii) म्युचुअल फंड्स		
-अल्पकालिक म्युचुअल फंड्स पर उचित मूल्य परिवर्तन	0.10	-
उचित मूल्य परिवर्तन:		
- प्राप्त	0.10	-
- अप्राप्त	31.11	13.13
उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल शुद्ध लाभ/(हानि)	**31.21**	**13.13**

*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उपार्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अतिरिक्त हैं।

नोट 30: अन्य परिचालन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
i) सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व*		
बिजली की बिक्री (क)	27.36	27.02
घटाएँ: ग्राहक को छूट (ख)	0.55	0.54
सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व (शुद्ध) (ग=क-ख)	26.81	26.48
ii) अशोध्य ऋण की वसूली	13.10	31.70
कुल (i+ii)	**39.91**	**58.18**

*[नोट संख्या 38(29) और 38(30) देखें]

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 31 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
अतिरिक्त प्रावधान बट्टे खाते में डाला गया	-	0.01
कर्मचारी ऋण पर ब्याज	3.53	1.93
आय कर वापसी पर ब्याज	24.65	9.68
किराये से आय [नोट संख्या 38(18) देखें)]	0.07	0.07
अन्य	0.23	0.68
कुल	**28.48**	**12.37**

नोट 32 : वित्त लागत*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ऋण पर ब्याज	2,358.01	2,243.56
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	2,203.32	1,759.15
अधीनस्थ देनदारियों पर ब्याज	246.68	56.62
अन्य ऋण लागत	94.43	80.25
ऋण पर लेन-देन लागत	1.84	1.11
पट्टा देयता पर ब्याज	0.40	0.36
कुल	**4,904.68**	**4,141.05**

*वित्तीय देनदारियों पर वित्त लागत को परिशोधन लागत के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है

नोट 33 : शुद्ध परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
निवल परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि	28.62	37.06
एफसीएमआईटीआर का परिशोधन	14.79	4.55
कुल	**43.41**	**41.61**

नोट 38(19) देखें

नोट 34 : वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ऋण	774.32	237.23
अन्य :		
-व्यावसायिक प्राप्तियां	2.76	-
कुल	**777.08**	**237.23**

वित्तीय उपकरणों पर हानि को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।
नोट संख्या 38(19क) देखें।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 35: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	83.15	63.67
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	7.71	5.85
कर्मचारी कल्याण व्यय	14.69	12.15
कुल	**105.55**	**81.66**

नोट 36: मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास [नोट 38(5) देखें]	36.24	31.47
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन [नोट 38(17) देखें]	1.17	0.85
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास [नोट 38(18) देखें]	-	0.00
परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का परिशोधन [नोट 38(31) देखें]	6.48	6.55
कुल	**43.89**	**38.87**

नोट 37: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
किराया, कर और बिजली लागत	20.47	14.13
मरम्मत और अनुरक्षण	8.43	7.10
संचार लागत	2.76	2.23
मुद्रण और लेखन-सामग्री	0.51	0.41
विज्ञापन और प्रचार	8.12	8.16
निदेशक का शुल्क, भत्ते और व्यय	2.02	2.34
लेखा परीक्षक का शुल्क और व्यय [नोट संख्या 38(39) देखें]	0.78	0.50
कानूनी और पेशेवर शुल्क	20.69	19.42
यात्रा और परिवहन	6.96	6.64
बीमा	0.63	0.40
अशोध्य ऋण	13.44	14.74
साख श्रेणी निर्धारण व्यय	1.52	1.58
पीपीई की बिक्री पर हानि	1.08	0.54
अन्य व्यय	5.79	8.76
कुल	**93.20**	**86.95**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

नोट 38: समेकित वित्तीय विवरण हेतु टिप्पणियाँ

1. ग्रुप अवलोकन

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ["इरेडा" या "कंपनी"] भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, ईस्ट कोर्ट, कोर- 4A, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में स्थित है।

आरबीआई या अन्य विनियामक द्वारा जारी किसी भी निर्देश को लागू होने पर अनुपालन में लाया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ –पंजीकरण, छूट और स्केल-आधारित विनियम के लिए ढांचा) निर्देश, 2025 के तहत, कंपनी को एनबीएफसी–मिडिल लेयर (एमएल) के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) का दर्जा मिलने के कारण, इसे एनबीएफसी-आईएफसी के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी के इक्विटी शेयर और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और/या बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

कंपनी की आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र)-गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में "इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड" ("आईजीईएफआईएल" या "सहायक कंपनी") नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका निगमन 07 मई, 2024 को हुआ था। इस सहायक कंपनी को एक वित्त कंपनी के रूप में कार्य करने हेतु आईएफएससीए से 18 फरवरी, 2025 का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को एक साथ अब 'समूह' कहा जाएगा।

समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (एसओसीआईई) एनबीएफसी हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III के अधीन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का अनुपालन करना आवश्यक है। भारतीय लेखा मानक 7 - "नकद प्रवाह का विवरण" की आवश्यकता के अनुसार नकद प्रवाह का समेकित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-10 "प्रतिवेदित अवधि के बाद की घटनाएँ" के संबंध में प्रकटीकरण

वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

कंपनी अधिनियम और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशक के उपलब्ध न होने के कारण, 28 मार्च 2026 से कंपनी की लेखा परीक्षा समिति अस्तित्व में नहीं है। इसे देखते हुए, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण की समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा उसे मंज़ूरी दी गई है और 29 मई 2026 को हुई बैठक में इसे जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

कंपनी के 'संस्था के अंतर्नियम' के अनुसार, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। कंपनी ने ज़रूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पहले ही संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया है।

3. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-12 "आयकर" के संबंध में प्रकटीकरण

क. लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता प्राप्त कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
निम्नलिखित से संबंधित वर्तमान कर व्यय :		
वर्तमान वर्ष	580.45	477.02
पूर्ववर्ती वर्ष*	(15.33)	(5.71)
उप योग (क)	**565.12**	**471.31**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिवर्तन	(101.54)	(66.11)
उप योग (ख)	**(101.54)**	**(66.11)**
कुल (ग=क+ख)	**463.58**	**405.20**

*चालू वर्ष में निर्धारित

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

ख. अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनःमापन पर कर	(10.45)	(5.23)
नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर प्रभावी हिस्से पर कर	50.85	28.18
समेकित अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल कर	**40.40**	**22.95**

ग. अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
शेयर जारी करने के व्यय पर कर	3.74	(0.21)
अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त कुल कर	**3.74**	**(0.21)**

घ. कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ और ओसीआई	**2,497.44**	**2,194.97**
लागू आयकर दर (%)	25.17 %	25.17 %
अपेक्षित आयकर	**628.56**	**552.43**
आयकर समायोजन का कर प्रभाव		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की बिक्री पर मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	(0.06)	0.16
आस्थगित मद, ओसीआई समायोजन एवं एफसीएमआईटीआर	0.01	(34.00)
वित्तीय लिखतों पर क्षति	33.22	26.54
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43ख के तहत अस्वीकृति	(0.52)	0.05
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) के तहत कटौती	(150.40)	(117.66)
सीएसआर व्यय	8.43	6.24
पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कर व्यय	(15.33)	(5.71)
अन्य	0.07	0.10
लाभ और हानि के समेकित विवरण में कुल कर व्यय	**503.98**	**428.15**
पुस्तिका आय पर वास्तविक प्रभावी आयकर दर (%)	**20.18 %**	**19.51 %**

ङ. आस्थगित कर संचलन

31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2025 को निवल शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त	31.03.2026 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ					
गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर एवं अन्य के लिए प्रावधान	28.07	1.76	-	-	29.83

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	01.04.2025 को निवल शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त	31.03.2026 को निवल शेष
कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान	4.08	(9.65)	10.45	-	4.88
वित्तीय साधनों पर क्षति हेतु प्रावधान	391.50	161.66	-	-	553.16
अग्रांत शुल्क - बहियों में आस्थगित	72.85	21.84	-	-	94.69
शेयर जारी करने का खर्च	4.55	(2.26)	-	3.74	6.03
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**501.05**	**173.35**	**10.45**	**3.74**	**688.59**
आस्थगित कर देयताएँ					
मूल्यह्रास और परिशोधन	40.72	(4.77)	-	-	35.95
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)	95.41	76.64	-	-	172.05
बॉण्ड्स पर लेन-देन लागत	4.35	(0.07)	-	-	4.28
कुल आस्थगित कर देयताएं	**140.48**	**71.80**	**-**	**-**	**212.28**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	**360.57**	**101.55**	**10.45**	**3.74**	**476.31**

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2024 को निवल शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त	31.03.2025 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ					
गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर एवं अन्य के लिए प्रावधान	26.31	1.76	-	-	28.07
कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान	3.92	(5.07)	5.23	-	4.08
वित्तीय साधनों पर क्षति हेतु प्रावधान	358.84	32.66	-	-	391.50
अग्रांत शुल्क - बहियों में आस्थगित	54.62	18.23	-	-	72.85
शेयर जारी करने का खर्च	6.28	(1.52)	-	(0.21)	4.55
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**449.97**	**46.07**	**5.23**	**(0.21)**	**501.05**
आस्थगित कर देयताएँ					
मूल्यह्रास और परिशोधन	43.86	(3.14)	-	-	40.72
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)	114.72	(19.31)	-	-	95.41
बंधपत्र पर लेन-देन लागत	1.94	2.41	-	-	4.35
कुल आस्थगित कर देयताएं	**160.52**	**(20.04)**	**-**	**-**	**140.48**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	**289.44**	**66.11**	**5.23**	**(0.21)**	**360.57**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

च. कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानि/अप्रयुक्त कर क्रेडिट अग्रेनीत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	समाप्ति की तारीख	31.03.2025 को	समाप्ति की तारीख
कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानि/ अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिसके लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं है	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं

छ. कुल वर्तमान कर और आस्थगित कर जो सीधे अन्य इक्विटी/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभहित योजनाओं के पुनः मापन पर कर	(10.45)	(5.23)
नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखतों पर लाभ/(हानि) के प्रभावी हिस्से पर कर	50.85	28.18
शेयर जारी करने के व्यय पर कर	3.74	(0.21)
कुल	**44.14**	**22.74**

4. अप्रकटित आय

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में चालू एवं पिछले वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन-देन नहीं था जो लेखा बहियों में दर्ज न किया गया हो, जिसे आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो। इस प्रकार, लेखा बहियों में आगे कोई लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता नहीं है।

5. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-16 "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में शामिल डीकमीशनिंग देयताएँ

इंड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, परिशिष्ट ए "मौजूदा डीकमीशनिंग, पुनर्बहाली और समान देयताओं में परिवर्तन" के अनुसार, डीकमीशनिंग, पुनर्बहाली या समान देयता में निर्दिष्ट परिवर्तनों को उस परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाना चाहिए जिससे यह संबंधित है; फिर परिसंपत्ति की समायोजित मूल्यह्रास राशि को उसके शेष उपयोगी जीवन पर भावी रूप से मूल्यह्रास किया जाता है।

इंड एएस 16 के पैरा 55 के अनुसार, किसी परिसंपत्ति की मूल्यह्रास राशि उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद निर्धारित की जाती है। सौर संयंत्र से संबंधित डीकमीशनिंग देयता और अवशिष्ट मूल्य की राशि विश्वसनीय रूप से पता लगाने योग्य नहीं है। इसलिए, सौर संयंत्र से संबंधित डीकमीशनिंग देयता और अवशिष्ट मूल्य पर विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन की राय है कि डीकमीशनिंग लागत (सौर संयंत्र के अवशिष्ट मूल्य का निवल), महत्वपूर्ण नहीं होगी।

6. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-19 "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:-

- **भविष्य निधि:** 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर भविष्य निधि में अंशदान के संबंध में ₹ 3.79 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 3.15 करोड़) व्यय की पहचान की है एवं लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित किया है।
- **राष्ट्रीय पेंशन योजना / सेवा-निवृत्ति हितलाभ निधि (परिभाषित अंशदान निधि):** 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में अंशदान के संबंध में ₹ 2.85 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹2.29 करोड़) के व्यय की पहचान की है तथा लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया है।

अन्य लाभ:

- **अर्जित अवकाश (ईएल) लाभ:** प्रति वर्ष 30 दिन उपचय। सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार नकदीकरण। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण अधिकतम 300 दिन, जिसमें आधा वेतन अवकाश (एचपीएल) शामिल है।

  31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अर्जित अवकाश के लिए ₹ 2.39 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 2.38 करोड़) प्रतिचिह्नित की है।

समेकित तुलन पत्र
31 मार्च, 2026 को

- **अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) लाभ:** प्रति वर्ष 10 पूर्ण दिन अर्जित। सेवा में रहते हुए कोई नकदीकरण नहीं। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण अधिकतम 300 दिन, जिसमें ईएल शामिल है।

  31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अर्ध वेतन अवकाश के लिए ₹0.56 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 0.19 करोड़) प्रतिचिह्नित की है।

- **उपदान:** सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन अर्जित किया जाएगा। निहित अवधि 5 वर्ष की है और 1 अक्टूबर 2025 से लागू डीए की दर में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी के बाद भुगतान 25 लाख रुपये तक सीमित है।

  31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ऑन रोल कर्मचारी के लिए तुलन-पत्र में उपदान के लिए मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति ₹4.48 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 0.42 करोड़) है, जबकि ₹14.06 करोड़ की देयता के प्रति ₹18.54 करोड़ की परिसंपत्ति धारित है (पिछले वर्ष: ₹12.59 करोड़ की देयता के प्रति ₹13.01 करोड़)।

- **सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):** कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए परिभाषित लाभ योजनायें प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र भूतपूर्व कर्मचारियों और पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इरेडा सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) ट्रस्ट चालू हो गया है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ 01 अक्टूबर 2024 से इरेडा पीआरएमएस ट्रस्ट एवं नियमों के तहत शासित होंगे। लाभार्थियों में लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित शामिल हैं।

  दिनांक 24 मार्च 2026 को ट्रस्ट को ₹ 20 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है, जो 31 दिसंबर 2025 तक के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्ट की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के सुचारू संचालन को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त योगदान के रूप में थी । यह धनराशि मौजूदा नीति के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश की गई है।

  इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 1 अप्रैल 2026 से अपनी पीआरएमबी दिशानिर्देशों/नीतियों में बदलाव किया है, जिसके कारण कंपनी पर पीआरएमएस देयता ₹31.70 करोड़ बढ़ गई है। इसे मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों में शामिल कर लिया गया है।

  31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, तुलन पत्र में पीआरएमबी के लिए मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता ₹20.79 करोड़ है (पिछले वर्ष: शुद्ध परिसंपत्तियां ₹4.55 करोड़), जबकि ₹88.32 करोड़ की देयता के मुकाबले ₹67.53 करोड़ की परिसंपत्तियां हैं (पिछले वर्ष: ₹ 39.71 करोड़ की देयता के मुकाबले ₹44.27 करोड़ की परिसम्पत्तियां)।

- **सामान भत्ता:** सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर बसने के हकदार होते हैं, और वे सामान भत्ते के लिए पात्र होते हैं।

  31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, सामान भत्ते के लिए कंपनी ने ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.04 करोड़) प्रदान किये हैं।

- **विदाई उपहार:** कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय, कंपनी इस उद्देश्य के लिए बनायी गई नीति के अनुसार कर्मचारी को विदाई उपहार प्रदान करती है। उपहार का मूल्य सेवानिवृत्त कर्मचारी के पदनाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

  31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने विदाई उपहार के लिए ₹0.04 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹0.03 करोड़) प्रदान किये हैं।

  लाभ और हानि, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और तुलन-पत्र तथा अन्य प्रकटीकरणों के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:-

❖ **दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	01.04.2025	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	0.23
	01.04.2024	12.18	16.88	5.62	8.85	0.24	0.20

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च, 2026 को

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
ब्याज लागत	31.03.2026	0.88	2.70	0.36	0.72	0.02	0.02
	31.03.2025	0.88	1.22	0.41	0.65	0.02	0.01
वर्तमान सेवा लागत	31.03.2026	1.08	4.84	1.42	3.17	0.02	0.02
	31.03.2025	0.70	1.79	0.88	1.58	0.02	0.02
नया अधिग्रहण	31.03.2026	0.97	-	0.65	1.32	-	-
	31.03.2025	-	-	-	-	-	-
पिछली सेवा लागत	31.03.2026	0.00	-	-	-	-	-
	31.03.2025	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	31.03.2026	(0.88)	(1.13)	(0.35)	(0.98)	(0.00)	(0.03)
	31.03.2025	(1.25)	(1.07)	(0.27)	(1.01)	-	(0.02)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	31.03.2026	(0.58)	42.20	(1.22)	(1.50)	(0.02)	(0.03)
	31.03.2025	0.07	20.89	1.47	0.14	(0.01)	0.02
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	31.03.2026	14.06	88.32	6.12	13.31	0.29	0.21
	31.03.2025	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	0.23

❖ नियोजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	01.04.2025	13.01	44.27	-	-	-	-
	01.04.2024	12.40	-	-	-	-	-
प्रारंभिक निधि में अंतर	31.03.2026	0.00	-	-	-	-	-
	31.03.2025	-	-	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	31.03.2026	0.93	3.10	-	-	-	-
	31.03.2025	0.87	1.28	-	-	-	-
मृत्यु प्रभार	31.03.2026	(0.05)	-	-	-	-	-
	31.03.2025	(0.02)	-	-	-	-	-
नियोक्ता योगदान	31.03.2026	4.56	21.29	-	-	-	-
	31.03.2025	0.81	44.05	-	-	-	-
अन्य संगठन से प्राप्त निधि	31.03.2026	0.97	-	-	-	-	-
	31.03.2025	0.20	-	-	-	-	-
भुगतान किये गये लाभ	31.03.2026	(0.88)	(1.13)	-	-	-	-
	31.03.2025	(1.25)	(1.07)	-	-	-	-
अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2026	18.54	67.53	-	-	-	-
	31.03.2025	13.01	44.27	-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	31.03.2026	14.06	88.32	6.12	13.31	0.29	0.21
	31.03.2025	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	0.23
अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2026	18.54	67.53	-	-	-	-
	31.03.2025	13.01	44.27	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति	31.03.2026	4.48	(20.79)	(6.12)	(13.31)	(0.29)	(0.21)
	31.03.2025	0.42	4.55	(5.27)	(10.58)	(0.27)	(0.23)

❖ लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
वर्तमान सेवा लागत	31.03.2026	1.08	4.84	1.42	3.17	0.02	0.02
	31.03.2025	0.70	1.79	0.88	1.58	0.02	0.02
ब्याज लागत	31.03.2026	0.88	2.70	0.36	0.72	0.02	0.02
	31.03.2025	0.88	1.22	0.41	0.65	0.02	0.01
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	31.03.2026	0.91	3.01	-	-	-	-
	31.03.2025	0.90	1.28	-	-	-	-
मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	31.03.2026	(0.58)	3.10	(1.22)	(1.50)	-	-
	31.03.2025	-	-	(1.47)	0.14	-	-
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31.03.2026	1.05	4.53	0.56	2.38	0.04	0.04
	31.03.2025	0.68	1.73	(0.19)	2.38	0.04	0.03
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि (लाभ)	31.03.2026	(0.55)	42.11	-	-	0.02	0.03
	31.03.2025	0.12	20.89	-	-	(0.01)	0.02

❖ बीमांकिक धारणा

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
छूट की दर	31.03.2026	7.32%	7.32%	7.32%	7.32%	7.32%	7.32%
	31.03.2025	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%
वेतन वृद्धि की दर	31.03.2026	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	-
	31.03.2025	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	-
व्यवहृत पद्धति	31.03.2026	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC
	31.03.2025						

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ परिभाषित हितलाभ दायित्व का संवेदनशील विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क) छूट की दर में परिवर्तन का प्रभाव	उपदान	पीआरएमबी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
	(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.05	88.32	6.12	13.31	0.29	0.21
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.53)	(3.04)	(0.21)	(0.62)	(0.01)	(0.01)
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	0.57	3.20	0.23	0.67	0.01	0.01
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	**उपदान**	**पीआरएमबी**	**अस्वस्थता अवकाश**	**अर्जित अवकाश**	**सामान**	**विदाई उपहार**
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.05	88.32	6.12	13.31	0.29	-
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	0.29	3.24	0.23	0.67	0.01	-
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(0.32)	(3.12)	(0.22)	(0.63)	(0.01)	-

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है। भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएँ लागू नहीं होती हैं।

- **नए श्रम कानून ढांचे के बारे में जानकारी**

  भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से नया श्रम क़ानून ढांचा लागू किया है। इसमें 'मजदूरी संहिता, 2019', 'औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020', 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' और 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020' के साथ-साथ इनसे जुड़े अधिसूचित नियम भी शामिल हैं।

  कंपनी ने अपने कामकाज, कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ से जुड़ी उत्तरदायीयिों और कानूनी नियमों के पालन पर उक्त संहिताओं के संभावित प्रभाव का आकलन किया है। इस मूल्यांकन में कई प्रमुख प्रावधान शामिल थे, जैसे कि 'मजदूरी संहिता, 2019' की धारा 2(वाई) के तहत वेतन की संशोधित परिभाषा, 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज और योगदान और 'ओएसएच संहिता, 2020' के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा से जुड़ी ज़रूरतें।

  इरेडा के वेतन पहले से ही "मजदूरी" की परिभाषा के अनुरूप थी। इसलिए, वेतन संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चूंकि कोई बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए कोई प्रभाव नहीं देखा गया और न ही कोई जानकारी दी गई।कंपनी विनियामक घटनाक्रमों पर निरंतर नज़र रख रही है, जिसमें तत्पश्चात नियम, स्पष्टीकरण और संशोधन जारी करना शामिल है। ऐसे बदलावों से होने वाले किसी भी प्रभाव को उसी अवधि के वित्तीय विवरण में दर्ज किया जाएगा, जिसमें वे बदलाव लागू होते हैं।

- **कार्य-निष्पादन से संबंधित वेतन**

  31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कार्य-निष्पादन से जुड़े वेतन के लिए ₹14.13 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹9.43 करोड़) का प्रावधान (निवल प्रतिवर्तन) किया है। वर्ष के दौरान पात्र कर्मचारियों को संबंधित योजना के तहत कुल ₹8.45 करोड़ का भुगतान किया गया। इसमें वित्त वर्ष 2023–24 के लिएअंतिम पीआरपी के तौर पर ₹2.19 करोड़ और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए तदर्थ पीआरपी के तौर पर ₹6.26 करोड़ शामिल हैं (पिछले वर्ष यह राशि ₹6.00 करोड़ थी, जिसमें पूरी तरह से वित्त वर्ष 2023–24 के लिए तदर्थ पीआरपी का भुगतान शामिल था)।

7. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-20 "सरकारी अनुदान के लिए लेखा और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

क) पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु अनुदान

विश्व बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) अनुदान: -

अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित प्राप्त विश्व बैंक सीटीएफ अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर परिशोधन व्यय में कटौती के रूप में व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। वित्तीय विवरणों की नोट 38(17) देखें।

कंपनी ने 31 मार्च, 2026 तक अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद के लिए शेष अनुदान के रूप में ₹ 0.78 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹1.15 करोड़) का प्रकटीकरण किया है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में "अन्य गैर-वित्तीय देनदारियों" (नोट 24 देखें) के अधीन "विश्व बैंक-स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) से पूंजी अनुदान" के रूप में उक्त अनुदान का प्रकटीकरण किया है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अनुदान की गतिविधि निम्नलिखित अनुसार है:

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	1.15	1.52
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	-
लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त अनुदान	0.37	0.37
अंतिम शेष	**0.78**	**1.15**

ख) राजस्व अनुदान

विश्व बैंक ऋण सहायता के अंतर्गत ऋण आवेदनों का आकलन करने हेतु बाह्य परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए कंपनी को विश्व बैंक से राजस्व अनुदान "तकनीकी सहायता" (टीए) प्राप्त हुआ है, जिसकी राशि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु ₹ शून्य करोड़ है (पिछले वर्ष : ₹6.92 करोड़)। कंपनी भारतीय लेखा मानक 20 "सरकारी अनुदान और सहायता" का अनुपालन करती है और उसे संबंधित व्यय में कटौती के रूप में अपने राजस्व अनुदान को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपनायी है।

निम्न तालिका लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि का प्रकटीकरण करती है:-

(₹ करोड़ में)

समाप्त वर्ष	प्राप्त टीए घटक	टीए के तहत किये गये व्यय	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त निवल राशि
31.03.2026	-	-	-
31.03.2025	6.92	6.92	-

8. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-23 "ऋण लागत" के संबंध में प्रकटीकरण

₹ शून्य करोड़ [पिछले वर्ष: ₹ शून्य करोड़)

9. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

क. सरकार और सरकार संबंधित संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रकटीकरण

संबंधित पक्ष की सूची

31.03.2026 को

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026 तक
डॉ. बिजय कुमार महान्ती	निदेशक- वित्त व मुख्य वित्त अधिकारी	01.04.2025 से 31.03.2026 तक
श्री पदम लाल नेगी	निदेशक - सरकार नामित	01.04.2025 से 31.03.2026 तक
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[1]	01.04.2025 से 27.03.2026 तक
डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[2]	01.04.2025 से 27.03.2026 तक
श्री राम निहाल निषाद	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[3]	01.04.2025 से 05.03.2026 तक
श्रीमती रोहिणी रावत	निदेशक -स्वतंत्र निदेशक[3]	01.04.2025 से 05.03.2026 तक
श्रीमती एकता मदान	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी	01.04.2025 से 31.03.2026 तक
श्री अमित गोयल	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)[4]	10.07.2025 से 02.03.2026 तक
श्री तुषार कांत परिदा	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)[4]	02.03.2026 से 31.03.2026 तक

इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री प्रदीप कुमार दास	निदेशक और अध्यक्ष	01.04.2025 से 31.03.2026 तक
डॉ. बिजय कुमार महान्ती	निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026 तक

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा	निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026 तक
श्री एस के डे	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	01.04.2025 से 31.03.2026 तक
श्रीमती पुन्नू ग्रोवर*	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2025 से 30.04.2025 तक
श्रीमती एकता मदान	कंपनी सचिव	01.04.2025 से 31.03.2026 तक
श्रीमती मीनाक्षी जायसवाल**	मुख्य वित्तीय अधिकारी	30.10.2025 से 31.03.2026 तक

* श्रीमती पुन्नू ग्रोवर मुख्य अनुपालन अधिकारी, इरेडा के रूप में उनकी नियुक्ति के कारण दिनांक 30.04.2025 से मुख्य वित्तीय अधिकारी नहीं रहीं।

** श्रीमती मीनाक्षी जयसवाल को 30.10.2025 से मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया था।

सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	सहायक कंपनी*	01.04.2025 से 31.03.2026 तक

*वित्तीय विवरणों की नोट 38(11) भी देखें।

31.03.2025 को

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री प्रदीप कुमार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
डॉ. बिजय कुमार महान्ती	निदेशक- वित्त व मुख्य वित्तीय अधिकारी निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार[5]	01.04.2024 से 31.03.2025 तक 01.04.2024 से 04.03.2025 तक
श्री पदम लाल नेगी	निदेशक - सरकार नामित	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्री अजय यादव	निदेशक - सरकार नामित[6]	01.04.2024 से 11.12.2024 तक
श्री शब्दशरण एन.ब्रह्मभट्ट	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[1]	01.04.2024 से 20.01.2025 तक 28.03.2025 से 31.03.2025 तक
डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्री राम निहाल निषाद	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्रीमती रोहिणी रावत	निदेशक -स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्रीमती एकता मदान	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री प्रदीप कुमार दास	निदेशक व अध्यक्ष	07.05.2024 से 31.03.2025 तक
डॉ. बिजय कुमार महान्ती	निदेशक	07.05.2024 से 31.03.2025 तक
डॉ. रमेश चंद्र शर्मा*	निदेशक	07.05.2024 से 31.07.2024 तक
श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा	निदेशक	01.08.2024 से 31.03.2025 तक
श्री एस. के. दे	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	25.06.2024 से 31.03.2025 तक
सुश्री पुन्नू ग्रोवर	मुख्य वित्तीय अधिकारी	25.06.2024 से 31.03.2025 तक
श्रीमती एकता मदान	कंपनी सचिव	25.06.2024 से 31.03.2025 तक

*डॉ. रमेश चंद्र शर्मा, निदेशक का कार्यकाल 31 जुलाई, 2024 (अपराह्न) को पूरा हो गया। तदनुसार, 31 जुलाई, 2024 से वे कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	सहायक कंपनी*	07.05.2024 से 31.03.2025 तक

*वित्तीय विवरणों की नोट 38(11) भी देखें

[1]एमएनआरई ने अपने 21 जनवरी, 2022 की आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा के तहत, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के तौर पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। इसके अनुसार, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट का कार्यकाल 20.01.2025 को पूरा हुआ। इसके बाद, एमएनआरई के 28 मार्च, 2025 की आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा-पार्ट(1) के तहत, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को 28 मार्च, 2025 से इरेडा का गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति एमएनआरई आदेश जारी होने की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। इसके अनुसार, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट का कार्यकाल 27.03.2026 को पूरा हो गया और वे 28.03.2026 से इरेडा के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

[2] एमएनआरई ने अपने 28 मार्च, 2022 की आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा के तहत डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के तौर पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। इसके अनुसार, डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर का कार्यकाल 27.03.2025 को पूरा हो गया और वे 28.03.2025 से इरेडा के निदेशक नहीं रहे। हालांकि, एमएनआरई के 28 मार्च, 2025 की आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा -पार्ट(1) के तहत, डॉ. जगनाथ सी एम जोड़ीधर को 28 मार्च, 2025 से इरेडा का गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) फिर से नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति एमएनआरई के आदेश जारी होने की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। इसके अनुसार, डॉ. जगनाथ सी एम जोड़ीधर का कार्यकाल 27.03.2026 को पूरा हो गया और वे 28.03.2026 से इरेडा के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

[3] एमएनआरई ने अपने 06 मार्च, 2023 की आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा के तहत श्री राम निहाल निषाद और श्रीमती रोहिणी रावत को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के तौर पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी । इसके अनुसार, श्री राम निहाल निषाद और श्रीमती रोहिणी रावत का कार्यकाल 05.03.2026 को पूरा हो गया और वे 06.03.2026 से इरेडा के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

[4] श्री तुषार कांत परिदा, कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) को 02.03.2026 से श्री अमित गोयल, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) की जगह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार कंपनी के 'मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक' के रूप में नियुक्त किया गया है।

[5]एमएनआरई ने कार्यालय आदेश संख्या 1/13/2017-इरेडा दिनांक 27 मार्च 2024 के माध्यम, डॉ बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) को निदेशक (तकनीकी) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह प्रभार 05 मार्च 2024 से 6 (छह) महीने की अवधि के लिए, या नियमित उम्मीदवार की नियुक्ति होने तक, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए दिया गया है।

डीपीई की मंज़ूरी के बाद, कंपनी में निदेशक (तकनीकी) के पद का नाम बदलकर 27 जून 2024 से निदेशक (परियोजना) कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एमएनआरई ने 12.09.2024 के अपने पत्र के ज़रिए, 07.09.2024 के कार्यालय ज्ञापन के तहत कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंज़ूरी की जानकारी दी है। इसके अनुसार, इरेडा के निदेशक (वित्त) डॉ बिजय कुमार महान्ती को निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार 05.09.2024 से अगले 6 महीने की अवधि के लिए, या किसी नियमित उम्मीदवार की नियुक्ति होने तक, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है। इसके अनुसार, डॉ बिजय कुमार महान्ती के लिए इरेडा के निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार 04.03.2025 तक बढ़ा दिया गया था।

[6] एमएनआरई ने दिनांक 12.12.2024 की अपनी पत्र संख्या 340/85/2017-इरेडा के माध्यम जानकारी दी है कि श्री अजय यादव, आईएएस (भूतपूर्व जेएस,एमएनआरई) का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल दिनांक 11.12.2024 को (दोपहर बाद) पूरा हो गया है। इसके अनुसार, श्री अजय यादव, निदेशक (सरकार नामित) 12.12.2024 से इरेडा के निदेशक नहीं रहे।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

कंपनी की नियंत्रणाधीन ट्रस्ट/निधियाँ

- इरेडा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
- इरेडा कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट
- इरेडा सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट
- इरेडा कर्मचारी हितैषी निधि

i. केएमपी को मुआवजा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक हितलाभ		
- बैठक शुल्क (स्वतंत्र निदेशकों को)	0.74	0.63
- अन्य (वेतन)	2.87	2.49
रोजगार के बाद के लाभ	0.26	0.27
कुल	**3.87**	**3.39**

नोट:-

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) को सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार मासिक शुल्क के भुगतान पर प्रति माह 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार की अनुमति भी दी गयी है।
- कार्यात्मक निदेशकों के लिए उपदान निधि में योगदान अलग से निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एलआईसी में योगदान कर्मचारी वार नहीं किया जाता है।
- कार्यात्मक निदेशक के लिए अवकाश नकदीकरण, सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, विदाई उपहार आदि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और यह उपर्युक्त दिये गये मुआवजे के अतिरिक्त है।

ii. केएमपी को और से ऋण व अग्रिम:

केएमपी को दिये गये ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	1.35	0.32
वर्ष के दौरान दिये गये ऋण व अग्रिम	0.58	1.22
वर्ष के दौरान प्राप्त पुनर्भुगतान	0.18	0.15
वर्ष के दौरान प्रभारित ब्याज	0.07	0.05
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.05	0.09
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1.77**	**1.35**

केएमपी से ऋण व अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान दिये गये ऋण व अग्रिम	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**-**	**-**

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के प्रमुख नियम और शर्तें

1. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन आरक्षित और सुविधाजनक लेन-देन की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार होता है।
2. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और ऋण एवं अग्रिम कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।
3. संबंधित पक्षों के लिए कोई लंबित प्रतिबद्धता नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

ख. सरकार और सरकारी संस्थाओं के साथ किये गये लेन-देन का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

सरकार/ सरकारी संस्था का नाम	कंपनी के साथ सम्बन्ध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2026 को शेष राशि	31.03.2025 को शेष राशि
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	प्रशासनिक मंत्रालय	ऋण पुनर्भुगतान- एमएनआरई के जरिये आईडीए	21.87	20.93	224.80	224.65
		ब्याज भुगतान	1.68	1.77	-	-
		गारंटी शुल्क भुगतान*	74.99	77.33	-	-

*यह क्रमशः वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2024-25 की राशि को दर्शाता है।

लाभांश में भारत सरकार के हिस्से की जानकारी के लिए वित्तीय विवरणों की नोट 38(48(डी) घ1) भी देखें।

एमएनआरई की ओर से करयोग्य बॉण्ड्स (भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड्स) जारी करने के बारे में जानकारी के लिए वित्तीय विवरणों की नोट 38(43) भी देखें।

कंपनी भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य सीपीएसयू के साथ टेलीफोन व्यय, हवाई यात्रा और जमा आदि जैसे अन्य लेन-देन भी किये हैं। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए उनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है। सभी लेन-देन निष्पक्ष आधार पर किए जाते हैं।

एक ही सरकार के नियंत्रण/संयुक्त नियंत्रण के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2026 को शेष	31.03.2025 को शेष
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का पुनर्भुगतान	30.22	30.22	351.21	381.43
भारतीय स्टेट बैंक	ऋण का पुनर्भुगतान	0.85	0.68	-	0.85
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड*	ऋण का पुनर्भगतान	-	4.06	51.11	51.11
एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	ऋण का संवितरण	1,335.49	696.00	3,561.40	2,225.91
भारतीय जीवन बीमा निगम	किराया एवं अन्य शुल्क -शाखा कार्यालय	0.10	0.07	-	(0.00)
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	अनुरक्षण शुल्क	1.88	1.73	0.44	0.25
पावरग्रिड टेलीसर्विस लिमिटेड	इंटरनेट कनेक्टिविटी शुल्क	0.19	0.11	-	(0.05)
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.30	-	0.09	0.09
केंद्रीय भंडारण निगम	कार्यालय स्वच्छता	0.23	0.22	-	-
राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	किराया आय	0.09	0.07	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

*यह मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) के एनपीए खाते से संबंधित है, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है और 31 मार्च, 2026 को ₹51.11 करोड़ का ऋण बकाया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी को सरकारी संस्थाओं को दिए गए ऋणों पर ₹251.93 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹175.47 करोड़) का ब्याज और ₹31.07 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹34.96 करोड़) के मूलधन का पुनर्भुगतान भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार (जीओआई) के आदेशानुसार कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए ₹6.21 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹10.17 करोड़) की राशि को सेवा शुल्क के रूप में लेखांकित किया गया है। वित्तीय विवरणों की नोट 28 भी देखें)।

ग. कंपनी के नियंत्रणाधीन कर्मचारी लाभ ट्रस्ट और सहायक कंपनी के साथ लेन-देन:-

(₹ करोड़ में)

सम्बंधित पक्ष का नाम	सम्बन्ध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2026 को शेष	31.03.2025 को शेष
इरेडा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	नियंत्रणाधीन ट्रस्ट	कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान	8.85	7.39	(0.82)	(0.02)
इरेडा कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट	नियंत्रणाधीन ट्रस्ट	एलआईसी प्रीमियम के लिए अंशदान	5.13	0.47	-	-
इरेडा सेवा-निवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट	नियंत्रणाधीन ट्रस्ट	कर्मचारियों और नियोक्ता के लिए मासिक अंशदान	21.32	43.39	-	-

नोट 38(6) भी देखें

10. प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को दिये गये ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम, या तो अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में हैं , जो कि:

(क) मांग पर चुकौती-योग्य हैं या

(ख) कोई भी शर्त या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट किये बिना

(₹ करोड़ में)

ऋण का प्रकार	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि	कुल ऋण एवं ऋण की प्रकृति में अग्रिम राशि का %	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि	कुल ऋण एवं ऋण की प्रकृति में अग्रिम राशि का %
प्रवर्तक	शून्य		शून्य	
निदेशक				
केएमपी				
अन्य सम्बंधित पक्ष				

11. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-27 "पृथक वित्तीय विवरण" के संबंध में प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
सहायक कंपनी में निवेश [A]	26.00	26.00

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम में निवेश	-	-

क. कंपनी ने आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) - गिफ्ट सिटी (गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी) में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमन किया है, जिसका नाम "इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड" है, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्राओं में ऋण उपलब्ध कराती है। कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी में 3.11 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी ₹26.00 करोड़ के बराबर का निवेश किया है। सहायक कंपनी को एक वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करने हेतु आईएफएससीए से 18 फरवरी, 2025 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

ख. नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण पर केंद्रित एक स्वयंरा सहायक कंपनी के निगमन हेतु निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से 10 अक्टूबर 2024 को अनुमोदन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात, आरबीआई से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन मांगा गया है और निर्णय का परिणाम प्रतीक्षित है।

ग. 09 सितंबर 2024 को एसजेवीएन, जीएमआर और इरेडा के बीच एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें जीएमआर अपर करनाली हाइड्रो पावर लिमिटेड (जीयूकेएचएल), नेपाल और करनाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (केटीसीपीएल), नेपाल प्रत्येक में इरेडा के लिए 5% का इक्विटी निवेश निर्धारित किया गया। जीयूकेएचएल और केटीसीपीएल प्रत्येक में इरेडा द्वारा 5% इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को क्रमशः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, आरबीआई ने 14 मई 2025 के पत्र के ज़रिए इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने भी 12 सितंबर 2025 को परियोजना की लागत को मंज़ूरी दे दी है।आगे चलकर, जीएमआर, एसजेवीएन, इरेडा और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (एनईए) के बीच एक संशोधित और पुनः निर्धारित संयुक्त उद्यम समझौता करने की योजना है। इसके अनुसार, अभी मंज़ूर की गई परियोजना की लागत और शेयरधारिता की संरचना के आधार पर, जीयूकेएचएल और केटीसीपीएल में इरेडा का अनुमानित निवेश ₹181.72 करोड़ है, जिसमें एनईए की मुफ़्त इक्विटी में योगदान भी शामिल है।

12. कंपनियों के स्तरों की संख्या का अनुपालन

कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी (स्तरों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 में यथा निर्दिष्ट नियमों का अनुपालन किया है।

13. व्यवस्था की अनुमोदित योजना(ओं) का अनुपालन

चालू और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था योजना नहीं बनाई गई जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता हो।

14. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-33 "प्रति शेयर आय (ईपीएस)" के संबंध में प्रकटीकरण

क. मूल ईपीएस

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। मूल ईपीएस की गणना निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष हेतु लाभ/(हानि), कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर अधिरोप्य (₹करोड़)	1,874.00	1,698.34
मूल आय प्रति शेयर की गणना में व्यवहृत आय (क) (₹करोड़)	1,874.00	1,698.34
मूल आय प्रति शेयर के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	2,78,56,03,526	2,68,77,64,706
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10	10
मूल ईपीएस (क/ख) (₹ में)	**6.73**	**6.32**

*इसकी गणना [(2,68,77,64,706*365/365) + (12,14,66,562*294/365)] के तौर पर की गई है, जिसमें कंपनी द्वारा योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के ज़रिए 11.06.2025 को नए इक्विटी शेयर आवंटित किए जाने को ध्यान में रखा गया है। वित्तीय विवरणों की नोट 38(24) को भी देखें।

ख. डाइल्यूटेड ईपीएस

प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को दी गई अवधि के शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। डाइल्यूटेड ईपीएस की गणना निम्नानुसार है:-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (₹करोड़)	1,874.00	1,698.34
डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर की गणना में उपयोग की गयी आय (क) (₹करोड़)	1,874.00	1,698.34
डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	2,78,56,03,526	2,68,77,64,706
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10	10
डाइल्यूटेड ईपीएस (क/ख) (₹ में)	**6.73**	**6.32**

*इसकी गणना [(2,68,77,64,706*365/365) + (12,14,66,562*294/365)] के तौर पर की गई है, जिसमें कंपनी द्वारा योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के ज़रिए 11.06.2025 को नए इक्विटी शेयर आवंटित किए जाने को ध्यान में रखा गया है। वित्तीय विवरणों की नोट 38(24) को भी देखें।

15. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-36 "परिसंपत्तियों की हानि" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर यह आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति और/या नकद उत्पादक इकाई की हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो प्रत्येक परिसंपत्ति और/या नकद उत्पादक इकाई की वहन राशि की तुलना शुद्ध बिक्री मूल्य या उपयोग में मूल्य में से अधिक होने वाली वसूली योग्य राशि से करके परिसंपत्तियों की हानि की जाती है। उपयोग में मूल्य का निर्धारण परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से अनुमानित भावी नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य से किया जाता है। कंपनी को चालू और पिछले वर्ष के दौरान कोई क्षति हानि नहीं हुई है।

16. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के संबंध में प्रकटीकरण

क) आकस्मिक देयताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में प्रतिचिह्नित नहीं किया गया है		
i. कराधान मांगें:		
आयकर मामले[1]	15.47	18.30
सेवा कर तथा वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) मामले[2]	295.91	280.92
ii. अन्य[3]	4.57	5.00
ख) वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटी		
i. गारंटी	910.70	1,569.81
ii. आश्वासन पत्र/भुगतान आदेश लिखत जारी किया गया और बकाया	1,539.93	930.58

[1]आयकर

यह निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आय कर मामले से जुड़ा है जो सीआईटी (अपीलीय) के समक्ष लंबित है [पिछले वर्ष : यह निर्धारण वर्ष 2014-15 (₹14.03 करोड़) और निर्धारण वर्ष 2020-21 (₹ 4.27 करोड़) के आय कर मामलों से जुड़ा है जो सीआईटी (अपीलीय) के समक्ष लंबित हैं, जबकि निर्धारण वर्ष 2022-23 के मामले को आय कर अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधार के लिए प्रेषित किया है]।

कंपनी को आईटीएटी से 31.12.25 का एक अनुकूल फ़ैसला मिला है, जिसमें अन्य सालों (निर्धारण वर्ष 2010-11 से निर्धारण वर्ष 2018-19 तक, सिवाय निर्धारण वर्ष 2014-15 के, क्योंकि उसका मामला अभी लंबित है) में सभी आधारों पर अपील मंज़ूर कर ली गई हैं। ज़रूरी समायोजन किए गए हैं और निर्धारण वर्ष 2014-15 से जुड़ी ₹1.44 करोड़ की राशि को 'आकस्मिक देयता' के तौर पर फिर से दिखाया गया है। कंपनी को अपीलों में शामिल विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद है, इसलिए किसी भी प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।

कंपनी को निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए सीआईटी (ए) दिनांक 17.10.25 से एक अनुकूल निर्णय प्राप्त हुआ है, जिसमें सभी आधारों पर अपील की अनुमति दी गई है। हालांकि आय कर विभाग ने इस आदेश के खिलाफ अपील की है और मामला आईटीएटी में है, फिर भी कंपनी को अपील में शामिल अलग-अलग विषयों पर अपने पक्ष में नतीजे की उम्मीद है, इसलिए किसी भी तरह का प्रावधान ज़रूरी नहीं समझा गया है।

पूर्ववर्ती वर्षों (निर्धारण वर्ष 1998-99 - निर्धारण वर्ष 2009-10) के आयकर मामलों के लिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 08 दिसंबर, 2023 के आदेश के मार्फ़त कंपनी के पक्ष में रिट याचिका का फैसला किया और कहा कि न्यायाधिकरण के दिनांक 21 नवम्बर, 2014 और 29 मई, 2015 के आदेशों के अनुसार, निर्धारण वर्ष 1998-99 से निर्धारण वर्ष 2009-10 तक की कर निर्धारण कार्यवाही समय-बाधित हो गयी है और इस प्रकार ए.ओ. को

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

लौटायी गयी आय को स्वीकार करने और परिणामी आदेश पारित करने का निर्देश दिया। ऐसे परिणामी आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है और किसी भी समायोजन का हिसाब संबंधित आदेशों की प्राप्ति पर लगाया जाएगा।

[2]सेवा कर और वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) मामले

कंपनी को आयुक्त, न्यायनिर्णयन, केंद्रीय कर, जीएसटी दिल्ली पूर्व से दिनांक 15 मार्च, 2022 को मांग/आदेश का नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें कंपनी पर वित्त वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए ₹117.09 करोड़ (लागू ब्याज को छोड़कर) की मांग की गयी थी। हालांकि कंपनी का तर्क है कि पूरी मांग सीमा बाधित है, लेकिन इसने परिमित आधार पर ब्याज सहित ₹13.95 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹13.22 करोड़) प्रदान किया है। मामले में कानून और तथ्यों के आधार पर, ₹259.92 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹244.94 करोड़) की सेवा कर मांग (ब्याज सहित) को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि कंपनी एक सरकारी उद्यम है, इसलिए इसके पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा अधिरोपित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, ऐसे मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों के आधार पर सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए दंड को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण के लिए नहीं माना गया है। कंपनी ने इस मामले में 15 जून, 2022 को सीईएसटीएटी, नई दिल्ली में अपील दायर की है और यह लंबित है।

कंपनी को अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन) के कार्यालय से 25 मार्च 2022 का एक आदेश मिला था। यह आदेश अप्रैल 2016 से जून 2017 की अवधि के लिए प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर सरकार को चुकाई गई गारंटी फीस पर सेवा कर की वसूली से संबंधित था। इसमें कर के तौर पर ₹20.73 करोड़, दंड के तौर पर ₹20.73 करोड़ और उस पर लागू ब्याज की मांग की गई थी। हालांकि कंपनी ने 24 जून 2022 को माननीय सीईएसटीएटी, मुंबई के समक्ष इसके खिलाफ़ एक अपील दायर की थी, लेकिन उसने कर और उस पर लगने वाले ब्याज के लिए ₹75.62 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹69.36 करोड़) का ज़रूरी प्रावधान किया है और ₹20.73 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹20.73 करोड़) के जुर्माने की रकम को 'आकस्मिक देयता' के तौर पर दिखाया है।

कंपनी को केंद्रीय कर अपील आयुक्त-1, दिल्ली के कार्यालय से दिनांक 31 जनवरी, 2024 का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार 01 जुलाई, 2017 से 26 जुलाई, 2018 की अवधि के लिए प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर सरकार को भुगतान की गयी गारंटी शुल्क पर जीएसटी की वसूली के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है। जबकि कंपनी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, वित्त वर्ष 2023-24 में इसने विरोध के तहत ₹13.28 करोड़ की कर राशि का भुगतान किया है और कर तथा उस पर ब्याज के लिए ₹28.96 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹28.96 करोड़) की अपेक्षित राशि का प्रावधान किया है। ₹15.26 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹15.26 करोड़) की जुर्माना राशि को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

[3]अन्य

इसमें महिला निदेशक की नियुक्ति न करने के मामले में निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा लगाया गया ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष : ₹0.03 करोड़) का जुर्माना शामिल है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी के पास निदेशकों की नियुक्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। कंपनी ने क्षेत्रीय निदेशक (एनआर) एमसीए के समक्ष अपील दायर की है। एमसीए के क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) ने 11 दिसंबर 2025 के आदेश के ज़रिए, दिल्ली और हरियाणा के निर्णायक प्राधिकरण/कंपनियों के रजिस्ट्रार , एनसीटी द्वारा 30 सितंबर 2022 को दिए गए निर्णायक आदेश को रद्द कर दिया है। इसके अनुसार, इरेडा द्वारा दायर अपील को मंज़ूरी दे दी गई है और उसका निपटारा कर दिया गया है। इसमें कंपनी की सेवा से कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ लिखित याचिका के रूप में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों से संबंधित ₹2.96 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 4.62 करोड़) की राशि भी शामिल है। इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं है। इसमें कंपनी के पूर्व-कार्यात्मक निदेशकों के रोके गये पीआरपी से संबंधित ₹0.35 करोड़ (पिछली अवधि : ₹ 0.35 करोड़) भी शामिल हैं, जो स्पष्टीकरण के लिए लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें ₹1.26 करोड़ की वह राशि भी शामिल है जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 'शुरुआती शुल्क' की वापसी के लिए दायर याचिका से संबंधित है।

उपर्युक्त में 15 अगस्त 2024 को इरेडा और अन्य के खिलाफ मैसर्स जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित राशि शामिल नहीं है, जो आपूर्ति, निर्माण कार्य, सिविल और संबद्ध कार्यों के लिए अनुबंध समझौतों के तहत इरेडा द्वारा ₹13.46 करोड़ की राशि के परिसमाप्त हर्जाने की कटौती और साथ ही कासरगोड सोलर पार्क, जिला - कासरगोड, केरल में 50 मेगावाट (एसी) सोलर पीवी प्लांट नामक परियोजना के चालू होने में देरी के के मामले से संबंधित भी है। दावेदार (जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड) ने लगभग ₹156.55 करोड़ का दावा दायर किया है और इरेडा ने 30 अक्टूबर 2024 को ₹47.34 करोड़ के प्रतिदावे के साथ बचाव का बयान दायर किया है। यह संभावना नहीं है कि इरेडा को कोई प्रतिकूल आदेश मिल सकता है क्योंकि दावाकर्ता को एसईसीआई द्वारा नियुक्त किया गया था ना कि इरेडा द्वारा। हालांकि, यदि न्यायाधिकरण द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है। इसे देखते हुए, संभावित बहिर्वाह दूर है, इसलिए इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रदान या प्रकट नहीं किया गया है।

ख) आकस्मिक परिसंपत्तियां : शून्य (पिछले वर्ष : शून्य)

ग) प्रतिबद्धताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ:		
पूंजी खाते पर निष्पादित किये जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	0.04	0.54
कुल प्रतिबद्धताएँ	**0.04**	**0.54**

17. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) - 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति (ईआरपी) के जीवनकाल में लाभ और हानि के विवरण में ईआरपी से संबंधित प्राप्त विश्व बैंक सीटीएफ अनुदान [वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 38 (7क) देखें] को मान्यता दी है और इसे ₹ 0.37 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 0.37 करोड़) की राशि के कम परिशोधन व्यय के रूप में प्रस्तुत किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

31 मार्च 2026 तक, समूह ने "विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों" के अंतर्गत ₹ 0.23 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ शून्य करोड़) की राशि का प्रकटीकरण किया है।

18. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) -40 "निवेश संपत्ति" के संबंध में प्रकटीकरण

निवेश संपत्ति में जंगपुरा, नई दिल्ली में एक आवासीय फ्लैट शामिल है जिसे पट्टे पर दिया गया है। वित्तीय विवरणों की नोट 11 देखें।

(i) आय और व्यय का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
किराये से आय	0.07	0.07
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण)	0.00	0.00

(ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:

निवेश संपत्ति का बाजार मूल्य [कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अधीन परिभाषित अनुसार एक पंजीकृत आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार] 31 मार्च, 2026 को ₹3.75 करोड़ आंका गया है, जो 09 अप्रैल, 2026 की मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है (पिछले वर्ष: ₹3.66 करोड़)।

19. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 107- "वित्तीय साधन प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी ने क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और प्रचालनगत जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक नीति ढांचा स्थापित किया है। जोखिम प्रबंधन नीति को जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन के अधीन विकसित किया गया है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति एक बोर्ड स्तर की समिति है तथा जोखिम प्रबंधन समिति की समग्र उत्तरदायी बोर्ड के पास है, जिसे प्रबंधन स्तर और निगमित स्तर की समितियों, जैसे परिसंपत्ति देयता समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति और प्रचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा पूरक किया जाता है। जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में स्वतंत्र जोखिम निरीक्षण और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। आरबीआई दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, जो कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शासी ढांचा बनाते हैं, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसमर्थन किया जाता है। इसमें स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) की भूमिकाएं और उत्तरदायीयिां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV, धारा 177(4)(vi), डीपीई दिशानिर्देश 2011 के विनियम 6.12 और सेबी एलओडीआर विनियम 4 में उल्लिखित है। ये भूमिकाएं और उत्तरदायीयिां उप-बोर्ड समिति के सदस्यों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। कंपनी में सलाहकार की भूमिका में एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी है, जो प्रबंधन के कार्यों से मिली जानकारी और निविष्टियों के आधार पर जोखिम की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है।

कंपनी में एक विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति तथा एक विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति (एफएमसी) मौजूद है और विदेशी मुद्रा ऋण पर ऋण और ब्याज दर जोखिम को न्यूनतम करने/कम करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप आदि जैसे बचाव लिखित का उपयोग किया जाता है। बचाव लिखित का उपयोग केवल बचाव उद्देश्य के लिए किया जाता है, न कि व्यावसायिक या अव्यवहार्य लिखत के रूप में।

अपने व्यावसायिक परिचालन के दौरान कंपनी जिन प्रमुख जोखिमों का सामना करती है, वे हैं क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालनगत जोखिम।

इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक पहचान की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और कार्यान्वित जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से उनका प्रबंधन किया जाता है। यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे इकाई अवगत है और यह बताता है कि जोखिम का प्रबंधन इकाई कैसे करती है और वित्तीय विवरणों में बचाव लेखांकन का प्रभाव क्या है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

जोखिम	निम्न से उत्पन्न जोखिम	मापन	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	ऋण, प्राप्य, नकद और नकद समकक्ष और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	आवधिक विश्लेषण और साख श्रेणी निर्धारण, संभावित ऋण हानि विश्लेषण	ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया, ऋण सांद्रता सीमा, संपार्श्विक, अतिरिक्त गारंटी व परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण।
तरलता जोखिम	ऋण प्रतिभूतियाँ, ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) और अधीनस्थ देयताएँ तथा अन्य वित्तीय देयताएँ	नकद प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों, ऋण सुविधाओं और अल्पकालिक ऋणों/डब्ल्यूसी सीमाओं और ओडी सीमाओं की उपलब्धता।
बाजार जोखिम- विदेशी मुद्रा	विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय परिसंपत्तियाँ व देयताएँ	नकद प्रवाह पूर्वानुमान व संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, स्वैप आदि जैसे बचाव लिखत
बाजार जोखिम- ब्याज दर	परिवर्तनीय दरों पर ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	संवेदनशीलता विश्लेषण	ब्याज दर स्वैप
बाजार जोखिम- सुरक्षा कीमत	निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण

क. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम ऋण प्रचालन में निहित जोखिम है और यह ऋणकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में कमी और ऋणकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान में चूक के जोखिम से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है। इस प्रक्रिया में परियोजनाओं का मूल्यांकन, बाह्य एजेंसियों द्वारा रेटिंग और ऋण जोखिम का आकलन, जोखिम को कम करने के लिए उचित संरचना के साथ-साथ अन्य ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। कंपनी अपने जोखिमों को साझा ऋण जोखिम विशेषता के आधार पर छोटे समरूप पोर्टफोलियो में विभाजित करती है, जैसा कि निम्नलिखित क्रम में वर्णित है : -

- रक्षित/अरक्षित यानी, इस आधार पर कि ऋण आरक्षित हैं या नहीं।
- सुरक्षा की प्रकृति यानी, यदि ऋण आरक्षित होने का निर्धारण किया जाता है तो सुरक्षा की प्रकृति।
- ऋण की प्रकृति यानी, आरई क्षेत्र जिसके लिए ऋण बढ़ाया गया है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं, इसके लिए वित्तीय लिखत के शेष जीवन में होने वाले चूक के जोखिम में परिवर्तन पर विचार किया जाता है। यह निर्धारित करने में कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से चूक का जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है या नहीं, कंपनी 30 दिनों से अधिक की देरी को एक मानदंड के रूप में मानती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देने वाले किसी अन्य अवलोकनीय निविष्टि पर भी विचार करती है।

कंपनी वित्तीय लिखत को चूक में तब परिभाषित करती है जब रिपोर्टिंग तिथि पर उसके पास हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हों। इसने चरण III के तहत इन ऋणों का मूल्यांकन चूक के समय, परियोजना के प्रदर्शन/संचालन पर आधारित मामला-दर-मामला के आधार पर किया है। कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईसीएल मॉडल के आधार पर वित्तीय लिखतों पर हानि की पहचान की है।

ईसीएल कार्यप्रणाली/नीति की समीक्षा और उसे अद्यतन किया जाता है ताकि वह बाज़ार की स्थितियों और विभिन्न नियामक दिशानिर्देशों/अवलोकनों के अनुरूप विकसित हो सके। 12-महीने और लाइफ़टाइम पीडी, ईएडी और एलजीडी निर्धारित करने में भविष्य की आर्थिक जानकारी को शामिल किया जाता है।अपेक्षित ऋण नुकसान के आधारभूत अनुमानों की निरंतर निगरानी और समीक्षा की जाती है।

संपार्श्विक और अन्य ऋण संवर्द्धन

आवश्यक संपार्श्विक की राशि और प्रकार ऋण जोखिम के आकलन पर निर्भर करता है। संपार्श्विक के मुख्य प्रकार हैं एफडीआर/बीजी, प्रमोटरों से संबंधित अचल संपत्ति पर प्रभार और मामले-दर-मामले के आधार पर निगमित गारंटी।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(क) कंपनी व्यक्तिगत प्रतिपक्षकारों और उद्योग सांद्रता हेतु स्वीकार किये जाने वाले जोखिम की मात्रा पर सीमाएँ निर्धारित करके और उक्त सीमाओं के संबंध में जोखिमों की निगरानी करके ऋण जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करती है।

i. अपेक्षित ऋण हानियों हेतु प्रावधान

चरण	श्रेणी	श्रेणी का विवरण	अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान की मान्यता का आधार
			ऋण
चरण 1	मानक परिसंपत्तियाँ	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ प्रतिपक्ष के पास दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है और जहाँ चूक का जोखिम नगण्य या शून्य/नियमित रूप से भुगतान करने वाली परिसंपत्तियाँ हैं	12 माह हेतु ईसीएल
चरण 2	वर्धित ऋण जोखिम वाले ऋण	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	जीवन भर अपेक्षित ऋण हानियाँ
चरण 3	ऋण- क्षतिग्रस्त	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ चूक की उच्च संभावना है और बट्टे खाते में डाली गयी परिसंपत्तियाँ जहाँ वसूली की कम उम्मीद है	जीवन भर अपेक्षित ऋण हानियाँ

ii. महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

(क) ऋणों के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) एवं गैर-निधि आधारित सुविधाएं

ऋण परिसम्पत्तियों पर हानि भत्ता (ईसीएल) बोर्ड द्वारा मंज़ूर ईसीएल कार्यप्रणाली और एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की गई गणना के आधार पर दिया जाता है, साथ ही जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ प्रबंधन की निविष्टियां भी शामिल की जाती हैं। 31 मार्च 2026 तक संचयी हानि भत्ता (जिसमें मानक ऋण और गैर-निधि आधारित सुविधाएँ शामिल हैं) ₹2,689.14 करोड़ है (पिछली अवधि में ₹1,920.24 करोड़), जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

चरण	परिसंपत्ति समूह	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		ऋण राशि	ईसीएल	ऋण राशि	ईसीएल
चरण I	ऋण	87,656.36	340.14	71,685.96	329.66
चरण II	ऋण	2,078.36	268.76	2,633.30	718.78
चरण III	ऋण	3,245.46	2,073.15	1,866.25	845.59
उप योग		**92,980.18**	**2,682.05**	**76,185.51**	**1,894.03**
गैर-निधि आधारित सुविधाएँ		2,450.63	7.09	2,500.39	26.21
कुल ईसीएल			**2,689.14**		**1,920.24**

₹ 69.69 करोड़ (पिछली अवधि ₹ 82.79 करोड़) के वित्तपोषित ब्याज अवधि ऋण (एफआईटीएल) शेष राशि को छोड़कर, जिस पर बहियों में समतुल्य देयता स्थायी है।

31.03.2026 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, आरबीआई के कुछ अवलोकनों को ईसीएल की कार्यप्रणाली/कार्यों में भविष्य के लिए शामिल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ईसीएल मूल्यांकन में 4.13 करोड़ रुपये की कमी आई।

(ख) सरलीकृत दृष्टिकोण के अधीन व्यावसायिक प्राप्तियों हेतु अपेक्षित ऋण हानि:

31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	देय नहीं	देय से 0-30 दिन बाद	देय से 31-60 दिन बाद	देय से 61-90 दिन बाद	देय से 91-120 दिन बाद	देय से 120 से ज़्यादा दिन बाद	कुल
सकल वहन राशि	3.15	-	-	-	-	2.76	**5.91**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	देय नहीं	देय से 0-30 दिन बाद	देय से 31-60 दिन बाद	देय से 61-90 दिन बाद	देय से 91-120 दिन बाद	देय से 120 से ज़्यादा दिन बाद	कुल
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-	**-**
अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	(2.76)	**(2.76)**
व्यावसायिक प्राप्य की वहन राशि (क्षति के बाद निवल)	3.15	-	-	-	-	-	**3.15**
31.03.2026 को शेष राशि	**3.15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.15**

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	देय नहीं	देय से 0-30 दिन बाद	देय से 31-60 दिन बाद	देय से 61-90 दिन बाद	देय से 91-120 दिन बाद	देय से 120 से ज़्यादा दिन बाद	कुल
सकल वहन राशि	3.17	-	-	-	-	2.76	**5.93**
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-	**-**
अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
व्यावसायिक प्राप्य की वहन राशि (क्षति का निवल)	3.17	-	-	-	-	2.76	**5.93**
31.03.2025 को शेष राशि	**3.17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.76**	**5.93**

ख. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसमें कोई कंपनी पर्याप्त नकद और विपणन योग्य प्रतिभूतियों की कमी या वित्तपोषण की उपलब्धता के कारण अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन में नकद, विपणन योग्य प्रतिभूतियों और प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं का उचित स्तर बनाए रखना शामिल है ताकि दायित्वों को पूरा किया जा सके, जब भी वे बकाया हों। कंपनी का प्रबंधन चलनिधि स्थिति के पूर्वानुमान और ब्याज आय और व्यय सहित अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर नकद और नकद समकक्षों की उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करता है।

व्यापक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढांचा भी चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है। कंपनी चलनिधि कवरेज अनुपात की आवश्यकता का भी अनुपालन कर रही है और आरबीआई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च-गुणवत्ता वाली चलनिधि परिसंपत्ति बनाए रख रही है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(i) वित्तपोषण व्यवस्था

वर्ष के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित अनाहरित ऋण सुविधाओं तक पहुँच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
नियत दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	-	-
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	-	-
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	-	-
अस्थिर दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	1,659.00	1,475.50
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	12,585.00	4,585.00
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	-	-
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	-	-

(ii) सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल सीमाएँ

अप्रत्याशित चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी के पास बैंकों से नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, ऋण की सीमा और कार्यशील पूंजी मांग ऋण तक पहुँच है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास एएए/ए1+ की उच्चतम घरेलू साख श्रेणी निर्धारण है, जिससे यह कम समय में घरेलू बाजार से धन जुटाने में सक्षम है। कंपनी के पास निम्नलिखित अनाहरित ऋण सुविधाओं तक पहुंच है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल सीमाएं	4,327.21	4,472.08

(iii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गयी तालिका कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में करती है, जो सभी गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर होती है, जिसके लिए नकद प्रवाह के समय को समझने के लिए संविदात्मक परिपक्वता आवश्यक है। तालिका में बतायी गयी राशियाँ संविदात्मक छूट रहित नकद प्रवाह हैं:--

31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन (1 महीना)	1 महीने से ऊपर-2 महीना	2 महीने से ऊपर-3 महीना	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 वर्ष तक	1 वर्ष से ऊपर-3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर-5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
रुपए ऋण	267.23	40.42	148.33	479.88	2,531.84	2,336.92	9,435.39	21,884.09	9,264.87	21,459.79	**67,848.77**
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	90.96	13.33	126.33	193.04	423.67	1,569.64	2,948.65	4,648.24	**10,013.86**

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन (1 महीना)	1 महीने से ऊपर-2 महीना	2 महीने से ऊपर-3 महीना	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 वर्ष तक	1 वर्ष से ऊपर-3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर-5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
रुपए ऋण	308.76	8.33	405.17	1,309.94	1,039.68	3,128.21	5,494.74	14,068.53	6,789.07	23,677.57	**56,230.00**
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	82.24	12.05	111.80	175.41	381.50	1,528.43	1,296.85	4,939.33	**8,527.61**

ग. बाजार जोखिम

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

बाजार जोखिम मुख्य रूप से ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि की संभावना है। ऋण ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी के पास एक समिति है जो बाजार की स्थितियों, समकक्षों की चल रही ब्याज दरों और ऋण की बढ़ती लागत के आधार पर समय-समय पर अपनी ऋण दरों की समीक्षा करती है।

कंपनी के ऋण में अस्थायी दर और स्थिर दर दोनों तरह के ऋण शामिल हैं जो लागू अनुसार बेंचमार्क दरों से जुड़े हैं। विदेशी मुद्रा ऋण के लिए, कंपनी बचाव व्यवस्था करके और अस्थायी दर से जुड़े पोर्टफोलियो की समय-समय पर निगरानी करके अस्थायी ब्याज दर के कारण होने वाले जोखिम को कम करती है।

विदेशी ऋण एजेंसियों से विदेशी मुद्रा ऋण लेने से कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उठाना पड़ता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नी लिखत जैसे कि प्रिंसिपल ओनली स्वैप, मुद्रा और ब्याज दर स्वैप (व्युत्पन्नी लेन-देन), वादा संविदा आदि को अपनाकर विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किये गये इन व्युत्पन्नी संविदाओं की परिपक्वता अवधि कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग-अलग होती है।

I. विदेशी मुद्रा जोखिम: -

कंपनी के पास अपने संसाधन जुटाने की रणनीति के तहत विदेशी ऋण एजेंसियों से ऋण के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम है। अस्थिरता के साथ-साथ बड़े सीमा पार प्रवाह कंपनी के तुलन पत्र को विनिमय दर के हलचल के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी 'प्रिंसिपल ओनली स्वैप' (पीओएस), 'क्रॉस करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप' (सीसीआईआरएस), 'फॉरवर्ड्स', 'इंटरेस्ट रेट स्वैप' (आईआरएस), 'क्रॉस करेंसी ऑप्शंस' और लागत कम करने वाले संरचित / लागत में कमी वाले उत्पाद आदि (व्युत्पन्नी लेन-देन) के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करती है।

उचित मूल्य पर दर्ज इन विदेशी मुद्रा अनुबंधों की परिपक्वता अवधि अलग-अलग होती है, जो मूल अनुबंध की आवश्यकताओं, उत्पादों की बाजार में उपलब्धता और कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति पर निर्भर करती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण:

वर्ष के अंत में कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण भारतीय रुपये में व्यक्त किया गया है, जो निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को			31.03.2025 को		
	अमेरिकी डॉलर	यूरो	जापानी येन	अमेरिकी डॉलर	यूरो	जापानी येन
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
विदेशी मुद्रा में बैंक में शेष राशि	-	-	-	0.32	-	-
व्युत्पन्नी परिसंपत्तियाँ						
विदेशी मुद्रा स्वैप अनुबंध*	869.93	101.64	25.92	425.20	25.92	36.76
वित्तीय देनदारियाँ						
विदेशी मुद्रा में ऋण	4,655.07	915.14	4,443.63	4,622.24	958.72	2,946.65
व्युत्पन्नी देनदारियाँ						
विदेशी मुद्रा स्वैप अनुबंध*	-	-	47.40	0.98	-	22.22
विदेशी मुद्रा जोखिम (परिसंपत्तियाँ)/ देनदारियों का निवल प्रकटीकरण	**3,785.14**	**813.50**	**4,465.11**	**4,197.70**	**932.80**	**2,932.11**

*विदेशी मुद्रा स्वैप अनुबंध में विकल्प अनुबंध शामिल हैं।

(ख) संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि विवरण की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होती है। नीचे दी गयी तालिका विदेशी मुद्रा जोखिम* पर 5% (भारतीय रुपये के मुकाबले) तक विदेशी मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि के विवरण [+लाभ /(-) हानि] पर प्रभाव प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
	लाभ और हानि के विवरण पर प्रभाव			
अमेरिकी डॉलर संवेदनशीलता	4.20	(4.20)	4.33	(4.33)
यूरो संवेदनशीलता	19.56	(19.56)	17.41	(17.41)
जापानी येन संवेदनशीलता	85.92	(85.92)	89.39	(89.39)

*सभी अन्य परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए

II. नकद प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम: -

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति कंपनी का प्रकटीकरण अस्थिर ब्याज दरों वाले दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋणों और बैंकों से अस्थिर ब्याज दर अवधि ऋण से संबंधित है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पनी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपने विदेशी मुद्रा ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी के निश्चित दर वाले रुपये के ऋण परिशोधित लागत पर लिये जाते हैं। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण न तो वहन राशि और न ही भावी नकद प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

क) ब्याज दर जोखिम का प्रकटीकरण

वर्ष के अंत में ब्याज दर में परिवर्तन के लिए कंपनी के ऋणों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
परिवर्ती दर ऋण		
रुपया मूल्यवर्ग	34,357.97	12,653.30
विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग	4,443.75	2,894.95
कुल	**38,801.72**	**15,548.25**

(ख) संवेदनशीलता

ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋण से उच्च/निम्न ब्याज व्यय के प्रति लाभ या हानि संवेदनशील है*

(₹ करोड़ में)

विवरण	लाभ और हानि के विवरण पर प्रभाव	
	31.03.2026 को	31.03.2025 को
ब्याज दरें – 50 आधार अंकों की वृद्धि	(194.01)	(77.74)
ब्याज दरें – 50 आधार अंकों की कमी	194.01	77.74

* सभी अन्य परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए

(ग) बचाव गतिविधियों का प्रभाव

<u>व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत और बचाव लेखांकन</u>

कंपनी के पास अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और विदेशी मुद्रा ऋण में ब्याज दर जोखिमों को कम करने और बचाव करने के लिए प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप (आईआरएस), क्रॉस करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शन्स, संरचित/लागत में कमी उत्पाद आदि जैसे व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

बचाव अप्रभाविता का निर्धारण बचाव संबंध की शुरुआत में और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचाव किये गये मद और बचाव लिखत के बीच आर्थिक संबंध मौजूद है।

कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियों को लागू करती है:

- क्रॉस करेंसी स्वैप, विकल्प संरचनाओं और ब्याज दर विनिमय के लिए, जो बचाव मद की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हैं, आर्थिक संबंध और बचाव प्रभावशीलता, क्रिटिकल टर्म्स मैच पद्धति का उपयोग करके गुणात्मक कारकों पर आधारित होते हैं। विकल्प संरचनाओं के लिए, कंपनी प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग करके बचाव लिखत और बचाव किये गए मद के मूल्य में परिवर्तन के बीच संबंध का भी विश्लेषण करती है।
- कंपनी ने बचाव संबंधों हेतु 1:1 का बचाव अनुपात स्थापित किया है क्योंकि बचाव लिखत के अंतर्निहित जोखिम और कल्पित राशि बचाये गये मद के समान हैं।

नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि (सीएफएचआर) में संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(19.41)	(137.44)
बचाव लिखतों के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	442.01	171.66
बचाव किये गये मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	(232.77)	(53.63)
वर्ष के अंत में शेष राशि (कर पूर्व)	**189.82**	**(19.41)**

बचाव आरक्षित निधि की लागत में संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(6.07)	-
विदेशी मुद्रा विकल्प संरचना के आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(85.81)	(23.25)
वर्ष के लिए समय मूल्य का परिशोधन	78.61	17.18
वर्ष के अंत में शेष राशि (कर पूर्व)	**(13.27)**	**(6.07)**

तुलन पत्र पर बचाव लेखांकन के प्रभावों पर प्रकटीकरण:

31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

बचाव और जोखिम का प्रकार	परिपक्वता तारीख	बचाव अनुपात	भारित औसत नियत भाव/दर	बचाव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) प्रिंसिपल ओनली स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-अप्रैल-2026 से 09-मार्च-2037	1:1	72.0369	388.09
- यूरो	30-जून-2026 से 31-जनवरी-2031	1:1	85.6357	75.73
- जापानी येन	24-अप्रैल-2028 से 19-सितम्बर-2028	1:1	0.5841	(8.07)
(ii) क्रॉस मुद्रा ब्याज दर विनिमय				
- अमेरिकी डॉलर	15-जुलाई-2026 से 15-अक्टूबर-2026	1:1	67.0711	19.63
- यूरो	-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

बचाव और जोखिम का प्रकार	परिपक्वता तारीख	बचाव अनुपात	भारित औसत नियत भाव/दर	बचाव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन
- जापानी येन	-	-	-	-
(iii) वादा संविदा				
- अमेरिकी डॉलर	-	1:1	-	-
- यूरो	-	1:1	-	-
(iv) विकल्प अनुबंध				
- अमेरिकी डॉलर	15-मई-2026 से 16-नवंबर-2026	1:1	91.8421	(1.68)
- जापानी येन	16-जून-2026 से 16-दिसंबर-2026	1:1	0.5899	(23.94)
(v) ब्याज दर स्वैप				
- जापानी येन	24-अप्रैल-2028	1:1	0.9825%	4.53

व्युत्पन्नी की काल्पनिक राशि और वहन राशि से सम्बंधित विवरण के लिए, वित्तीय विवरणों की नोट 4 देखें।

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

बचाव और जोखिम का प्रकार	परिपक्वता तारीख	बचाव अनुपात	भारित औसत नियत भाव/दर	बचाव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) प्रिंसिपल ओनली स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-अप्रैल-2026 से 09-मार्च-2037	1:1	70.7387	(105.42)
- यूरो	30-दिसंबर-2025 से 31-जनवरी-2031	1:1	85.8493	(7.65)
- जापानी येन	-	1:1	-	59.85
(ii) क्रॉस मुद्रा ब्याज दर विनिमय				
- अमेरिकी डॉलर	15-जुलाई-2026 से 15-अक्टूबर-2026	1:1	67.0729	1.89
- यूरो	-	-	-	-
- जापानी येन	-	-	-	-
(iii) वायदा संविदा				
- अमेरिकी डॉलर	-	1:1	-	0.23
- यूरो	-	-	-	-
- जापानी येन	-	1:1	-	(39.44)
(iv) विकल्प अनुबंध				

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

- अमेरिकी डॉलर	15-अप्रैल-2025 से 14-नवंबर-2025	1:1	84.3796	5.75
-जापानी येन	18-जून-2025 से 18-दिसंबर-2025	1:1	0.5581	34.85

व्युत्पन्नी की काल्पनिक राशि और वहन राशि से सम्बंधित विवरण के लिए, वित्तीय विवरणों की नोट 4 देखें।

लाभ और हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण पर बचाव लेखांकन के प्रभाव: -

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम तथा विदेशी मुद्रा ऋण से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु व्युत्पन्नी लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम के बचाव के लिए कंपनी वायदा अनुबंध, क्रॉस मुद्रा स्वैप, प्रिंसिपल ओनली स्वैप तथा ब्याज दर स्वैप आदि का उपयोग करती है। बचाव लेखांकन के तहत निर्दिष्ट व्युत्पन्नी अनुबंधों के प्रभावी बचाव होने की सीमा तक, बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकद प्रवाह बचाव के प्रभावी भाग' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियाँ लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत की जाती हैं, जब बचाव की गई मद लाभ और हानि के विवरण को प्रभावित करती है।

31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

बचाव के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त बचाव अप्रभाविकता	बचाव किये गये मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन मद
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम	356.20	-	(232.77)	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

बचाव के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त बचाव अप्रभाविकता	बचाव किये गये मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन मद
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम	148.41	-	(53.63)	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश

20. कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा ऋण (बकाया राशि का 40%) पर खुला प्रकटीकरण अनुमेय है। 31 मार्च, 2026 को खुला प्रकटीकरण ₹2,334.36 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹2,360.71 करोड़) है जो कुल बकाया विदेशी मुद्रा ऋण का 23.31% (पिछले वर्ष: 27.68%) है और अनुमेय सीमा के अंदर है।

उक्त मुक्त खुलासे में से, 30.38 मिलियन यूरो (पिछले वर्ष: 30.38 मिलियन यूरो) हेतु आंशिक बचाव किया गया है, जिसके लिए 33.73 मिलियन अमरीकी डॉलर (पिछले वर्ष : 33.73 मिलियन अमरीकी डॉलर) के लिए प्रिंसिपल ओनली स्वैप (यूएसडी/आईएनआर) लिया गया है, जो ₹319.23 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹288.63 करोड़) के बराबर है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

इसके अतिरिक्त, 2,371.50 मिलियन जापानी येन (पिछले वर्ष: 2,371.50 मिलियन जापानी येन) को 17.60 मिलियनअमेरिकी डॉलर (पिछले वर्ष: 17.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के बराबर प्रिंसिपल ओनली स्वैप (यूएसडी/जेपीवाई) लेकर बचाव किया गया है, जिसकी राशि ₹140.51 करोड़ बनती है (पिछले वर्ष : ₹134.58 करोड़)।

21. परिसंपत्तियों पर सृजित प्रतिभूति

i. प्रतिभूति के रूप में बंधक परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
ऋण और अग्रिम (कंपनी के बही ऋण) पर एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2,055.83	2,576.60
- कर मुक्त बांड	24,236.38	23,792.18
- बैंक ऋण	1443.25	1,525.01
- विदेशी मुद्रा ऋण		
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
अस्थायी प्रभार		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-

ii. पुस्तिका ऋणों पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा जमानती

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
नकारात्मक ग्रहणाधिकार (कंपनी का पुस्तिका ऋण)		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
- कर योग्य बंधपत्र	3,567.49	3,817.36
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-

22. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण

31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु

सभी फॉर्म समय पर दाखिल किये गये थे और कंपनी के पास सांविधिक समय-सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि का मामला नहीं है।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

सभी फॉर्म समय पर दाखिल किये गये थे और कंपनी के पास सांविधिक समय-सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि का मामला नहीं है।

23. पूंजी प्रबंधन

कंपनी की पूंजी प्रबंधन नीति का प्राथमिक उद्देश्य है विनियामक पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी प्रत्येक समय पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करती है और अपने व्यवसाय का प्रबंधन इस तरह से करती है कि पूंजी सुरक्षित रहे, संतोषजनक व्यावसायिक विकास सुनिश्चित हो, नकद प्रवाह की निगरानी हो और रेटिंग बनी रहे।

उद्योग में अपने समकक्षों के अनुरूप, कंपनी ऋण-इक्विटी अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है, जिसकी गणना ऋण (कुल ऋण) को कुल इक्विटी से विभाजित करके की जाती है, जैसा कि तुलन पत्र में दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
ऋण	77,845.63	64,740.31
इक्विटी (पूंजी आरक्षित निधि सहित)	13,785.42	10,266.54
ऋण-इक्विटी अनुपात	**5.65**	**6.31**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

24. निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 सितंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन के मार्फ़त योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) रूट के द्वारा नई इक्विटी जारी करने को मंजूरी दी, जिसमें एक या एक से अधिक चरणों में इरेडा में भारत सरकार की शेयरधारिता को पोस्ट इश्यू (निर्गम पश्चात) के आधार पर इरेडा की चुकता इक्विटी के 7% की सीमा तक कम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इरेडा के निदेशक मंडल ने 23 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी 431वीं बैठक में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार पोस्ट इश्यू के आधार पर इरेडा की चुकता इक्विटी के 7% की अधिकतम कमी के अधीन क्यूआईपी के माध्यम से एक या एक से अधिक चरणों में ₹5000 करोड़ तक की राशि के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने की मंजूरी दी। 24 फरवरी, 2025 को आयोजित 22वीं ईजीएम के दौरान कंपनी के शेयरधारकों ने भी उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इसी क्रम में, कंपनी ने क्यूआईपी के पहले चरण के तहत, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018, यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार, 11 जून 2025 को योग्य प्राप्त खरीदार को नकद के बदले 12,14,66,562 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। इन शेयरों का अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर था और इन्हें ₹155.14 प्रति शेयर के प्रीमियम पर जारी किया गया, जिससे कुल इक्विटी निधि जुटाने की राशि ₹2,005.90 करोड़ हो गई। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी की जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में ₹121.46 करोड़ की और शेयर प्रीमियम खाते में ₹1,869.57 करोड़ (शेयर जारी करने के खर्च घटाकर) की वृद्धि हुई है। ऊपर बताए गए क्यूआईपी के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार की हिस्सेदारी 71.76% है।

क्यूआईपी के ज़रिए जुटायी गई निधि का प्रयोग निर्गम के उद्देश्यों के अनुसार किया गया, यानी भविष्य की पूँजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी का पूँजी आधार बढ़ाने; आगे ऋण देने और सामान्य निगमित कामों के लिए। इन उद्देश्यों की जानकारी वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में एक्सचेंजों को दी गई थी और उन्हें नीचे संक्षेप में बताया गया है:-

विवरण-पुस्तिका के अनुसार निर्गम के उद्देश्य	विवरण-पुस्तिका के अनुसार प्रयोग की जाने वाली राशि – निवल प्राप्ति[2]	उपयोग	उपयोग की गई राशि
भविष्य की पूंजी ज़रूरतों को पूरा करने और आगे ऋण देने के लिए हमारे पूँजी आधार को बढ़ाना	1,493.27	1,493.27	-
सामान्य निगमित उद्देश्य[1]	497.76	497.76	-
कुल	**1,991.03**	**1,991.03**	**-**

नोट ::

[1] सिर्फ़ साधारण निगमित कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली रकम सकल प्राप्ति के 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

[2] निवल प्राप्ति = ₹2,005.90 करोड़ के नए निर्गम से हुई कुल प्राप्ति में से हमारे अनुमानित प्रस्तावित व्यय ₹14.87 करोड़ घटाकर।

इसके बाद, 6 फरवरी 2026 को हुई बैठक में, इरेडा के निदेशक मंडल ने क्यूआईपी के ज़रिए इक्विटी शेयर जारी करके एक या ज़्यादा किस्तों में कुल ₹2,994 करोड़ (दो हज़ार नौ सौ चौरानवे करोड़ रुपये) तक की कुल राशि जुटाने की मंज़ूरी दी। यह मंज़ूरी इस शर्त पर दी गई कि भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के ज़रिए भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी, कंपनी के निर्गम के बाद की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी के 3.76% से ज़्यादा कम न हो। इसके अतिरिक्त, कंपनी के शेयरधारकों ने 14 मार्च 2026 को ज़रूरी बहुमत के साथ पास किए गए एक विशेष संकल्प के ज़रिए इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

25.

i. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने एसएमबीसी गिफ्ट सिटी शाखा (मुख्य ऋणदाता) से 28 बिलियन जापानी येन (जिसमें 12 बिलियन जापानी येन का ग्रीन शू ऑप्शन भी शामिल है) की बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) लेने के लिए एक सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पांच वर्ष की यह असुरक्षित सुविधा, जिसमें परिपक्वता पर एकमुश्त भुगतान (बुलेट पेमेंट) करना होगा, कंपनी की वैश्विक बाज़ार में मौजूदगी को सुदृढ़ करेगी। यह ऋण बाह्य बेंचमार्क अर्थात टीओएनएआर और लागू फैलाव से जुड़ा है।

ii. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने एसबीआई टोक्यो शाखा से बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) के रूप में दो श्रृंखलाओं में सावधि ऋण लिया, यानी श्रृंखला 1: 16 बिलियन जापानी येन (₹ 963.04 करोड़) और श्रृंखला 2: 10 बिलियन जापानी येन (₹ 589.80 करोड़)। यह ऋण बिना किसी प्रतिभूति के है और इसकी अदायगी एकमुश्त चुकौती के ज़रिए होगी; इसकी अवधि ऋण लेने की तारीख से 5 वर्ष है। क़िस्त 1 की परिपक्वता 25 अप्रैल 2030 है और श्रृंखला 2 की परिपक्वता 25 जून 2030 है। यह ऋण बाह्य बेंचमार्क अर्थात टीओएनएआर और लागू फैलाव से जुड़ा है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

iii. वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान, कंपनी ने अपने ऋण पोर्टफोलियो की समीक्षा के आधार पर एएफडी के साथ एक क्रेडिट लाइन बंद कर दी। इस क्रेडिट लाइन की बची हुई अवधि 60 महीने थी और कंपनी ने 50 मिलियन यूरो की पूरी बकाया राशि का समय से पहले भुगतान करके इसे बंद किया है। संबंधित क्रेडिट लाइन के पूरी तरह और अंतिम रूप से निपटाने के बाद, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (जिसे ऋण की अवधि के दौरान धीरे-धीरे परिशोधित किया जाना था) के कारण जमा हुई शेष राशि को 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि' [एफसीएमआईटीआर] और 'अन्य व्यापक आय' [ओसीआई] से लाभ एवं हानि खाता में हस्तांतरित कर दिया गया था। इसमें संबंधित बचाव लेन-देन (ऋण का 91.41% की सीमा तक बचाव किया गया था) को समाप्त करना शामिल था, जिससे ₹7.80 करोड़ का निवल लाभ हुआ। ऋण को समय से पहले बंद करने के कुल प्रभाव को 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹45.41 करोड़ की हानि के तौर पर माना गया है।

26. ऋण निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग।

1. कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था(ओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यवर्ती) शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई भी निधि (या तो ऋण ली गयी निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि) अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ को यह सुनिश्चित करना होगा कि
   i. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देना या निवेश करना या
   ii. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करना
2. इसके अतिरिक्त, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, से, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई भी निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि
   i. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से प्रतिचिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या निवेश करना या
   ii. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई सुविधा प्रदान करना।

कंपनी की राय है कि एमएनआरई जीओआई पूर्ण सेवित बॉण्ड [वित्तीय विवरणों की नोट 38(43) देखें] के संबंध में प्राप्त होने वाली राशि उपर्युक्त प्रकटीकरण के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि यह भारत सरकार के अधिदेश/समझौता ज्ञापन के समान है।

27. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) -108 "प्रचालन क्षेत्र" के संबंध में प्रकटीकरण

(i) परिचालन क्षेत्र

इंड एएस 108 में यथा परिभाषित के अनुसार "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, सीएमडी, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं और व्यवसाय खंडों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करते हैं। वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किये जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों को व्यक्तिगत व्यवसाय खंड में राजस्व और व्यय रिकॉर्ड करने के लिए निरंतर लागू किया जाता है और वे महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निर्धारित किये गये हैं।

कंपनी दो खंडों में काम करती है - अक्षय ऊर्जा (आरई) व ऊर्जा दक्षता (ईई) क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियाँ और केरल के कासरगोड में सौर संयंत्र संचालन के माध्यम से बिजली का उत्पादन। कंपनी के लिए प्रमुख राजस्व आरई एवं ईई क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियों के खंड से आता है। अन्य परिचालन खंड - सौर संयंत्र के माध्यम से बिजली का उत्पादन एक रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है। कंपनी भारत में काम करती है; इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में काम करने वाला माना जाता है। इस प्रकार खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से इसे एकल व्यवसाय/भौगोलिक खंड के रूप में माना जाता है।

(ii) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कोई भी बाह्य ग्राहक हमारे राजस्व में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान नहीं देता है।

(iii) भौगोलिक जानकारी

संचालन के स्थान के अनुसार बाह्य ग्राहकों से राजस्व और परिसंपत्तियों के स्थान के अनुसार इसकी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बाह्य ग्राहकों से राजस्व*		गैर-चालू परिसंपत्तियां**	
	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
भारत	8,338.89	6,755.69	320.60	348.79
भारत से बाहर	-	-	-	-
कुल	**8,338.89**	**6,755.69**	**320.60**	**348.79**

*व्युत्पन्नी के उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि) से संबंधित ₹ 31.21 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹13.13 करोड़) की राशि शामिल है।

**इसमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति, परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार, अमूर्त परिसंपत्तियों और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों से जुड़ी राशि शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(iv) प्रमुख उत्पादों से राजस्व

प्रत्येक उत्पाद और सेवा के लिए बाह्य ग्राहकों से राजस्व निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	8,180.46	6,576.30
शुल्क और कमीशन आय	58.83	95.71
विद्युत की बिक्री (निवल)	26.81	26.48

28. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-113 "उचित मूल्य माप" के संबंध में प्रकटीकरण

I. उचित मूल्य माप

संवर्ग के अनुसार वित्तीय लिखत

(₹ करोड़ में)

विवरण (31.03.2026 को)	परिशोधन लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम	पीएंडएल के माध्यम	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकद और नकद समतुल्य	47.69	-	-	-	47.69
निर्धारित बैंक शेष	702.51	-	-	-	702.51
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	910.52	86.97	997.49
व्यावसायिक प्राप्य	3.15	-	-	-	3.15
ऋण	90,196.59	-	-	-	90,196.59
निवेश	883.82	-	-	-	883.82
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	23.44	-	-	-	23.44
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**91,857.20**	**-**	**910.52**	**86.97**	**92,854.69**
वित्तीय देनदारियाँ					
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	18.55	28.85	47.40
व्यावसायिक देय	4.51	-	-	-	4.51
ऋण प्रतिभूतियाँ	28,421.60	-	-	-	28,421.60
ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	46,166.69	-	-	-	46,166.69
अधीनस्थ देयताएँ	3,257.34	-	-	-	3,257.34
अन्य वित्तीय देयताएँ	1,730.34	-	-	-	1,730.34
कुल वित्तीय देयताएँ	**79,580.48**	**-**	**18.55**	**28.85**	**79,627.88**

(₹ करोड़ में)

विवरण (31.03.2025 को)	परिशोधन लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम	पीएंडएल के माध्यम	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकद और नकद समतुल्य	57.29	-	-	-	57.29
निर्धारित बैंक शेष	461.01	-	-	-	461.01
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	440.58	47.31	487.89

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण (31.03.2025 को)	परिशोधन लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम	पीएंडएल के माध्यम	
व्यावसायिक प्राप्य	5.93	-	-	-	5.93
ऋण	74,271.54	-	-	-	74,271.54
निवेश	600.14	-	-	-	600.14
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	28.05	-	-	-	28.05
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**75,423.96**	**-**	**440.58**	**47.31**	**75,911.85**
वित्तीय देनदारियाँ					
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	2.89	20.31	23.20
व्यावसायिक देय	9.12	-	-	-	9.12
ऋण प्रतिभूतियाँ	28,446.24	-	-	-	28,446.24
ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	33,489.50	-	-	-	33,489.50
अधीनस्थ देयताएँ	2,804.57	-	-	-	2,804.57
अन्य वित्तीय देयताएँ	1,472.05	-	-	-	1,472.05
कुल वित्तीय देयताएँ	**66,221.48**	**-**	**2.89**	**20.31**	**66,244.68**

II. उचित मूल्य पदानुक्रम

यह खंड वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किये गये निर्णय और अनुमानों की व्याख्या करता है जो

क) उचित मूल्य पर पहचाने और मापे जाते हैं और

ख) परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग की गई निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय लिखतों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर पर एक स्पष्टीकरण हेतु निम्नलिखित तालिका देखें।

ग) कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार ईआईआर पद्धति का प्रयोग करते हुए, कर्मचारियों को रियायती दरों पर दिए गए ऋण और अग्रिम से जुड़े 'आस्थगित कर्मचारी लाभ' को मान्यता दी है और वित्त वर्ष 2025-26 से इनका हिसाब-किताब भविष्य के लिए किया है, हालांकि इसका वित्तीय प्रभाव बहुत न्यून है।

कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का निर्धारण और प्रकटीकरण करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गये वित्तीय लिखत शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी उपकरण, व्यापारित बंधपत्र और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिनकी कीमत उद्धृत की गयी है। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किये जाने वाले सभी इक्विटी लिखतों (बंधपत्र सहित) का उचित मूल्य रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार समापन मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकित किया जाता है। म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन समापन एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय लिखत जो सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करते हैं (उदाहरण के लिए, व्यापारित बंधपत्र) वे अन्य तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किये जाते हैं, जिसके लिए सभी निविष्टियाँ जो दर्ज किये गये उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य होते हैं।

स्तर 3: वह तकनीक जो ऐसे निविष्टियों का उपयोग करती है जिनका रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों जैसे अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं होते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क. उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएँ - आवर्ती उचित मूल्य माप- 31.03.2026 को*

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	805.79
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	78.28
ब्याज दर स्वैप	-	-	4.53
वायदा संविदा	-	-	21.92
बचाव के रूप में नामित नहीं की गयी व्युत्पन्नी	**-**	**-**	
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	86.97
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**997.49**
वित्तीय देयताएँ			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	11.60
विकल्प संविदा	-	-	6.94
बचाव के रूप में नामित नहीं की गयी व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	28.86
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**47.40**

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गयी हैं

** इसमें सरकारी क्षेत्र में किया गया निवेश शामिल है, जिसका उचित मूल्य रिपोर्टिंग तिथि के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है

(₹ करोड़ में)

31.03.2026 को*	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:			
ऋण	-	-	90,099.24
निवेश**	870.26	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**870.26**	**-**	**90,099.24**
वित्तीय देयताएँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ:			
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	28,421.60
ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	-	-	46,166.69
अधीनस्थ देयताएँ	-	-	3,257.34
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**77,845.63**

* राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गयी हैं

** इसमें सरकारी क्षेत्र में किया गया निवेश शामिल है, जिसका उचित मूल्य रिपोर्टिंग तिथि के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ख. उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएँ - आवर्ती उचित मूल्य माप- 31.03.2025 को*

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ : -			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	339.41
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर विनिमय	-	-	58.65
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	42.51
बचाव के रूप में नामित नहीं की गयी व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	47.31
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर विनिमय	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**487.88**
वित्तीय देयताएँ			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	0.98
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर विनिमय	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	1.91
बचाव के रूप में नामित नहीं की गयी व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	20.31
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर विनिमय	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**23.20**

*राशि उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गयी हैं

परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3*
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:			
ऋण	-	-	74,167.65
निवेश**	594.96	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**594.96**	**-**	**74,167.65**
वित्तीय देयताएँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ:			
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	28,446.24
ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	-	-	33,489.50
अधीनस्थ देयताएँ	-	-	2,804.57
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**64,740.31**

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गयी हैं

III. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयोग मूल्यांकन तकनीक

एमटीएम गणना रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया व्युत्पन्नी लिखत हेतु कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अधीन यथा परिभाषित के अनुसार पंजीकृत स्वतंत्र आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किये गये मूल्यांकन पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

महत्वपूर्ण असंप्रेक्षणीय निविष्टियों (स्तर 3) का उपयोग करते हुए उचित मूल्य माप

कर-पूर्व दर जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है

31.03.2026 तथा 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न तालिका स्तर 3 मदों में परिवर्तन प्रस्तुत करती है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
व्युत्पन्नी लेखांकन में व्युत्पन्नी सौदों के तहत लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त लाभ/(हानि)	31.11	13.13
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त लाभ/(हानि)	434.81	165.59
कुल	**465.92**	**178.72**

IV. मूल्यांकन प्रक्रियाएँ

बचाव सौदों के एमटीएम मूल्यांकन हेतु, कंपनी ने कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत यथा परिभाषित के अनुसार एक पंजीकृत स्वतंत्र आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन प्राप्त किया है, जिसने बाजार की स्थिति में उतार-चढ़ाव, विनिमय दर, ब्याज दर आदि में उतार-चढ़ाव पर विचार करने के बाद ऐसा मूल्यांकन प्रदान किया है।

V. परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/वित्तीय देयताएं	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
	लेन-देन मूल्य	उचित मूल्य	लेन-देन मूल्य	उचित मूल्य
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:				
ऋण	90,378.17	90,099.24	74,384.54	74,167.65
निवेश*	883.82	870.26	600.14	594.96
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**91,261.99**	**90,969.50**	**74,984.68**	**74,762.61**
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं:				
ऋण प्रतिभूतियाँ	28,435.57	28,421.60	28,460.74	28,446.24
ऋण (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	46,166.69	46,166.69	33,489.50	33,489.50
अधीनस्थ देयताएं	3,260.37	3,257.34	2,807.37	2,804.57
कुल वित्तीय देयताएं	**77,862.63**	**77,845.63**	**64,757.61**	**64,740.31**

व्यावसायिक प्राप्य, व्यावसायिक देय, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

ऋण, ऋण और ऋण प्रतिभूतियों के उचित मूल्य की गणना भारतीय लेखा मानक 109 के तहत दी गई पद्धति के आधार पर की जाती है। अपनी ऋण जोखिम सहित, अदृश्य निविष्टियां (जिनका सीधे तौर पर पता नहीं लगाया जा सकता) के शामिल होने के कारण, इन्हें 'उचित मूल्य पदानुक्रम' में 'स्तर 3 उचित मूल्य' के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।

गैर-वर्तमान ऋण के उचित मूल्य की गणना भारतीय लेखा मानक 109 के तहत दी गई पद्धति के आधार पर की जाती है। अपनी ऋण जोखिम सहित, अदृश्य निविष्टियां (जिनका सीधे तौर पर पता नहीं लगाया जा सकता) के प्रयोग होने के कारण, इन्हें 'उचित मूल्य पदानुक्रम' में 'स्तर 3 उचित मूल्य' के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।

29. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी एक सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन कर रही है। कंपनी और केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31 मार्च 2017 को ₹4.95 प्रति यूनिट या केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किये गये हैं। तदनुसार, कंपनी ने केएसईआरसी के साथ विद्युत क्रय समझौते की मंजूरी के लिए याचिका दायर की, जिसने 14 फरवरी 2018 के अपने अंतरिम आदेश में मार्च 2018 तक ₹3.90 प्रति यूनिट के अंतरिम प्रशुल्क को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, केएसईआरसी ने एक प्रशुल्क आदेश पारित किया और ₹3.83 प्रति यूनिट का प्रशुल्क निर्धारित किया। विवरण के लिए वित्तीय विवरणों की नोट 38(30) देखें।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

तदनुसार, कंपनी ने ₹3.83 प्रति यूनिट के निर्धारित प्रशुल्क पर केएसईबीएल को बिजली की आपूर्ति करने के लिए सकल राजस्व को मान्यता दी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करना जारी रखा है।

(क) विद्युत उत्पादन

31.03.2026 को समाप्त वर्ष

क्र. सं.	विवरण	उत्पादित यूनिट (एमआईएल.)	बेची गयी यूनिट (एमआईएल.)	दर प्रति यूनिट (₹)	कुल (₹ करोड़ में)
i)	विद्युत उत्पादन	71.84	71.44	3.83	27.36

31.03.2025 को समाप्त वर्ष

क्र. सं.	विवरण	उत्पादित यूनिट (एमआईएल.)	बेची गयी यूनिट (एमआईएल.)	दर प्रति यूनिट (₹)	कुल (₹ करोड़ में)
i)	विद्युत उत्पादन	70.96	70.54	3.83	27.02

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
बिक्री में शामिल बिल रहित राजस्व की राशि (निवल)	2.88	2.89

(ख) अनुबंधित मूल्य और पी एंड एल में मान्यता प्राप्त राजस्व का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
अनुबंध मूल्य	27.36	27.02
समायोजन :		
-व्यावसायिक छूट	0.55	0.54
-धन वापसी	-	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व	**26.81**	**26.48**

(ग) राजस्व का विभाजन

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विभाजन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
1	**राजस्व**		
	परिचालन से निवल राजस्व (छूट निवल, जहाँ प्रयोज्य हो)	26.81	26.48
	परामर्श	-	-
2	**प्राथमिक भौगोलिक बाजार**		
	घरेलू राजस्व	26.81	26.48
	अंतरराष्ट्रीय राजस्व	-	-
	कुल राजस्व	**26.81**	**26.48**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
3	**राजस्व मान्यता समय**		
	किसी समय पर	-	-
	समयोपरि	26.81	26.48
	कुल राजस्व	**26.81**	**26.48**

नोट : केएसईबीएल बिजली की बिक्री के लिए एकमात्र ग्राहक है। तत्काल भुगतान शर्तों के साथ मासिक आधार पर चालान जारी किया जाता है।

(घ) व्यावसायिक प्राप्य और संविदागत शेष

निम्न तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्तियों और संविदागत देयताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
व्यावसायिक प्राप्य (निवल) (सौर संयंत्र)	2.88	2.89

30. सौर ऊर्जा परियोजना

कंपनी ने केरल राज्य के कासरगोड जिले के अंबालाथारा सोलर पार्क में स्थित कंपनी की 50 मेगावाट की सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2014-15 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पूरी तरह से चालू किया गया, जिसे जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड ने ईपीसी ठेकेदार के रूप में निष्पादित किया। इसे बही में पूंजीकृत किया गया है और वर्तमान पूंजीकृत लागत ₹319.36 करोड़ है, जिसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत दिखाया गया है। वित्तीय विवरणों की नोट 12 देखें।

कंपनी और केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31 मार्च 2017 को ₹4.95/केडब्ल्यूएच या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर पीपीए पर हस्ताक्षर किये गये थे। तदनुसार, कंपनी ने केएसईआरसी के साथ बिजली खरीद समझौते की मंजूरी के लिए याचिका दायर की, जिसने 14 फरवरी, 2018 के अपने अंतरिम आदेश में ₹3.90 प्रति यूनिट के अंतरिम प्रशुल्क को मंजूरी दी थी। इसके अतिरिक्त, केएसईआरसी ने 06 फरवरी, 2019 के अपने आदेश में ₹3.83 प्रति यूनिट की दर से लेवलाइज्ड प्रशुल्क को मंजूरी दी थी। इसने आगे निम्नलिखित आदेश भी दिये हैं:

- केएसईबी लिमिटेड इस आदेश में विनिर्दिष्ट इक्विटी की राशि तक सीमित, इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) पर भुगतान किये गये किसी भी कर की प्रतिपूर्ति करेगा। कर का दावा करने के लिए, डेवलपर केएसईबी लिमिटेड को ऐसे कर के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- केएसईबी लिमिटेड, कंपनी/आरपीसीकेएल द्वारा भुगतान की गयी भूमि पट्टे की राशि, उपर्युक्त के अतिरिक्त आर्थिक सब्सिडी, यदि कोई हो, के रूप में प्राप्त राशि को घटाकर प्रतिपूर्ति करेगा।

उक्त आदेश को माननीय एपीटीईएल के समक्ष 27 अगस्त, 2019 को अपील दायर करके चुनौती दी गयी थी ताकि कंपनी द्वारा किये गये व्यय के लिए कुछ लागतों की अनुमति दी जा सके और टैरिफ निर्धारित करने के लिए आरपीसीकेएल को भुगतान किया जा सके। उक्त अपील के खारिज होने पर, कंपनी ने 05 अप्रैल, 2022 को अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के साथ एक समीक्षा याचिका दायर की। उक्त समीक्षा याचिका को 10 नवम्बर 2025 को रद्द कर दिया गया।

कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष समीक्षा याचिका के लंबित रहने के दौरान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 4634 ऑफ़ 2022 भी दायर की, ताकि अपील को माननीय न्यायालय के समक्ष समय-सीमा द्वारा वर्जित होने से बचाया जा सके। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जुलाई, 2022 के आदेश के माध्यम से कंपनी को समीक्षा याचिका के निपटारे के समय सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी थी। समीक्षा याचिका खारिज होने के मद्देनजर, हमने दूसरी अपील संख्या 4634 ऑफ़ 2022 में संशोधन किया है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।इसके बावजूद, उत्पादन आय का हिसाब ₹ 3.83 प्रति यूनिट की दर से लगाया जा रहा है।

सौर परियोजना लीज़होल्ड भूमि पर स्थापित की गई है, जिसके लिए 07 अक्टूबर 2020 से 06 अक्टूबर 2043 तक (06 अक्टूबर 2020 तक छूट) रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ केरल लिमिटेड (आरपीसीकेएल) को पट्टा शुल्क देय है। केएसईआरसी के 06 फ़रवरी 2019 के टैरिफ आदेश के अनुसार, आरपीसीकेएल को भुगतान किए गए ऐसे भूमि पट्टा शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कंपनी पात्र है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

हालाँकि, ₹0.39 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित) के भूमि पट्टा शुल्क का वार्षिक भुगतान और उसकी वसूली का निपटान किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर किसी भी संगत राशि को परिसंपत्ति/देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है। इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) के लिए अन्य वसूलियाँ, अनिश्चित होने के कारण, मामले के अंतिम समाधान पर शामिल की जाएँगी।

31. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-116 "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

क) भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के रूप में पट्टा लेखा का विवरण

कंपनी के पास दिल्ली और मुंबई में कार्यालय स्थानों, दिल्ली में आवासीय जगह और केरल में सोलर पार्क भूमि के लिए विभिन्न पट्टे समझौते हैं। प्रत्येक समझौते की अवधि और किराये का भुगतान अलग-अलग है। कंपनी ने इंड एएस 116 के तहत माप सिद्धांतों को उन पट्टों के लिए लागू किया है जिन पर कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप अल्पकालिक पट्टे के तहत छूट उपलब्ध नहीं है।

ख) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता विश्लेषण - संविदात्मक छूट रहित नकद प्रवाह	31.03.2026 को	31.03.2025 को
एक वर्ष से कम	0.82	0.62
एक वर्ष से पांच वर्ष तक	3.38	2.10
पांच वर्ष से अधिक	4.68	5.07
कुल छूट रहित पट्टा देयताएं	**8.88**	**7.79**
वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल पट्टा देयताएं	**4.98**	**4.04**
चालू	0.69	0.74
गैर- चालू	4.29	3.30

ग) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
पट्टा देयताओं पर ब्याज	0.40	0.36
पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किये गये परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	-	-
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के उप-पट्टे से आय	-	-
पट्टा देनदारियों की अ-मान्यता	-	-
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की अ-मान्यता	-	-
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर संचित मूल्यह्रास की अ-मान्यता	-	-
अल्पकालिक पट्टे से संबंधित व्यय	0.14	0.11
अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास शुल्क*	6.47	6.55

*पट्टा आरंभ की अवधि विवाद में है; एनबीसीसी बिल्डिंग एवं आवासीय फ्लैट पर मूल्यह्रास उपयोग में लाये जाने की तिथि अर्थात 23 जून, 2023 से लगाया गया है। किसी भी परिवर्तन को भविष्यलक्षी प्रभाव के रूप से निपटाया जाएगा।

घ) नकद प्रवाह विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
31.03.2026 को समाप्त वर्ष	0.40
31.03.2025 को समाप्त वर्ष	0.36

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

ङ) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	167.98	167.78
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि	1.52	0.27
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का विलोपन/अमान्यता	0.09	0.07
वर्ष के अंत में शेष राशि	**169.41**	**167.98**
अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार वर्ष के अंत में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की वहन राशि।	138.64	143.60

च) अन्य प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक पट्टे से सम्बंधित व्यय	0.14	0.11

32. कंपनी के नाम पर नहीं रखी गयी अचल परिसंपत्तियों के स्वत्व विलेख का विवरण निम्नानुसार है: -

31.03.2026 को

तुलन पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	कार्यालय परिसर -आईएचसी	1.72	आईएचसी द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर अधिकृत किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993	भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आईएचसी और आवंटी संस्थानों के बीच] द्वारा त्रिपक्षीय उप-पट्टा विलेख/समझौते का निष्पादन इरेडा सहित आईएचसी में सभी आवंटी संस्थानों के संबंध में लंबित है। आईएचसी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए एल एंड डीओ के साथ संपर्क में है। पट्टा विलेख के मसौदे को एल एंड डीओ द्वारा मंजूरी दे दी गयी है। आईएचसी ने 24.03.23 को सूचित किया है कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और अदालत ने उसी आशय का आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त, आईएचसी और एसडीएमसी दोनों पक्षों द्वारा 11.04.23 के आदेश के तहत दो अन्य याचिकाएं भी वापस ले ली गयीं। कंपनी त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए आईएचसी के साथ नियमित रूप से संवाद कर रही है। आईएचसी ने 31.12.2024 को ईमेल के ज़रिए सूचित किया है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंतिम संचार 30.03.2026 को प्रेषित किया।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

तुलन पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
	कार्यालय परिसर -एकेबी	21.10	हडको द्वारा सतत पट्टा विलेख के आधार पर अधिकृत किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006	संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण का कार्य हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचयूडीसीओ) के साथ चल रहा है। नवीनतम संचार 24.03.2026 को प्रेषित किया गया।
	कार्यालय परिसर -एनबीसीसी किदवई नगर	132.92	आवंटन पत्र के आधार पर अधिकृत किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित दी गयी थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए अधिकृत की तारीख और पट्टे की शुरुआती तिथि के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। नवीनतम संचार 25.03.2026 को प्रेषित किया था।
	आवासीय फ्लैट -एनबीसीसी किदवई नगर	6.61	आवंटन पत्र के आधार पर अधिकृत किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गयी थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए अधिकृत की तारीख और पट्टे की शुरुआत की तारीख के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। फ्लैट एमओएचयूए के साथ घरों के इंटर-पूल एक्सचेंज में पड़ा हुआ है और इसे कंपनी के कब्ज़े में वापस लेने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नवीनतम संचार 25.03.2026 को प्रेषित किया था।
निवेश संपत्ति	आवासीय फ्लैट	0.09	एचपीएल द्वारा बिक्री हेतु समझौता	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 23.06.1994	संपत्ति का हस्तांतरण हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एल एंड डीओ के साथ किया जा रहा है, उसके बाद विलेख का निष्पादन होगा। नवीनतम संचार 24.03.2026 को प्रेषित किया था।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2025 को

तुलन पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	कार्यालय परिसर -आईएचसी	1.72	आईएचसी द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर अधिकृत किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993	भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आईएचसी और आवंटी संस्थानों के बीच] द्वारा त्रिपक्षीय उप-पट्टा विलेख/ समझौते का निष्पादन इरेडा सहित आईएचसी में सभी आवंटी संस्थानों के संबंध में लंबित है। आईएचसी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए एल एंड डीओ के साथ संपर्क में है। पट्टा विलेख के मसौदे को एल एंड डीओ द्वारा मंजूरी दे दी गयी है। आईएचसी ने 24.03.23 को सूचित किया है कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और अदालत ने उसी आशय का आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त, आईएचसी और एसडीएमसी दोनों पक्षों द्वारा 11.04.23 के आदेश के तहत दो अन्य याचिकाएं भी वापस ले ली गयीं। कंपनी त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए आईएचसी के साथ नियमित रूप से संवाद कर रही है। आईएचसी ने 31.12.2024 को ईमेल के ज़रिए सूचित किया है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मामले पर अंतिम संचार 21.03.2025 को प्रेषित किया।
	कार्यालय परिसर-एकेबी	21.10	हडको द्वारा जारी स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर प्रेषित किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006	संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण का काम हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचयूडीसीओ) के साथ चल रहा है। नवीनतम संचार 21.03.2025 को प्रेषित किया।
	कार्यालय परिसर-एनबीसीसी किदवई नगर	132.92	आवंटन पत्र के आधार पर प्रेषित किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गयी थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए अधिकृत की तारीख और पट्टे की शुरुआती तिथि के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। नवीनतम संचार 21.03.2025 को प्रेषित किया था।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

तुलन पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	आवासीय फ्लैट -एनबीसीसी किदवई नगर	6.61	आवंटन पत्र के आधार पर प्रेषित किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गयी थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए अधिकृत की तारीख और पट्टे की शुरुआत की तारीख के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। फ्लैट एमओएचयूए के साथ घरों के इंटर-पूल एक्सचेंज में पड़ा हुआ है और इसे कंपनी के कब्ज़े में वापस लेने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नवीनतम संचार 06.03.2025 को प्रेषित किया था।
निवेश संपत्ति	आवासीय फ्लैट	0.09	एचपीएल द्वारा विक्रय हेतु समझौता	नहीं	23.06.1994	संपत्ति का हस्तांतरण हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एल एंड डीओ के साथ किया जा रहा है, उसके बाद विलेख का निष्पादन होगा। नवीनतम संचार 24.03.2025 को प्रेषित किया था।

33. संपत्ति कर का विवरण

सभी आवासीय और कार्यालय परिसरों के संबंध में 31 मार्च, 2026 तक की संपत्ति कर मांग का भुगतान कर दिया गया है।

एनबीसीसी किदवई नगर में कार्यालय स्थल और आवासीय फ्लैटों के संबंध में संपत्ति कर की मांग नहीं की गई है। हालांकि, कंपनी के पास उपलब्ध सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर वित्तीय विवरणों में ₹5.70 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

34. बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन चालू और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

35. हाल ही में लेखांकन घोषणाएँ/मानक/संशोधन जारी की गयी, लेकिन प्रभावी नहीं हैं।

क. निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 13 अगस्त 2025 की अधिसूचना के ज़रिए 'कंपनी (भारतीय लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2025' जारी किया है। भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' (देनदारियों का चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकरण और शर्तों वाली गैर-चालू देनदारियां) और इसके परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक 10, 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' में किए गए बदलाव, 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू होंगे; इसलिए, ये 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए प्रभावी नहीं हैं। ये संशोधन देनदारियों को चालू या गैर-चालू के तौर पर वर्गीकृत करने की ज़रूरतों को स्पष्ट करते हैं, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ शर्तों का उल्लंघन, अनुग्रह अवधि और रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं का सम्बद्ध आकलन शामिल हो।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

कंपनी इन संशोधनों का अपने वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। शुरुआती आकलन के आधार पर, इन संशोधनों का वित्तीय विवरणों में देनदारियों की पहचान और माप पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ –पंजीकरण, छूट और स्केल-आधारित विनियम हेतु ढांचा) निर्देश, 2025' में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें 'उच्च स्तरीय एनबीएफसी की पहचान करने के मौजूदा तरीक़े को बदलने और सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को उच्च स्तरीय (एनबीएफसी-यूएल) ढांचा में शामिल करने का प्रस्ताव है।

ऊपर बताए गए बदलाव फ़िलहाल मसौदा के रूप में हैं और हितधारकों की प्रतिक्रिया और आरबीआई की अंतिम अधिसूचना के आधार पर इनमें बदलाव हो सकता है। आरबीआई द्वारा अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाने पर, यदि आवश्यक हुआ, तो ज़रूरी मूल्यांकन किया जाएगा।

36. कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों की शर्तों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया। कंपनी ने इन व्यवस्थाओं के तहत लागू सभी शर्तों का पालन किया है। कंपनी को अगले बारह महीनों में अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में किसी कठिनाई की उम्मीद नहीं है। कंपनी नियमित रूप से सभी संबंधित शर्तों पर नज़र रखती है और अपनी दीर्घकालिक देनदारियों की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय मानक बनाए रखती है।

37. कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं है, जिसके लिए कंपनी का बकाया है, जो 31.03.2026 को 45 दिनों से अधिक समय से बकाया है (पिछले वर्ष: ₹ शून्य करोड़)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली यथा अपेक्षित जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गयी है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
1	समाप्त वर्ष को भुगतान न की गयी शेष मूलधन राशि	1.12	1.06
2	समाप्त वर्ष को उस पर देय ब्याज का भुगतान अप्रदत्त है	-	-
3	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान की राशि।	-	-
4	भुगतान करने में देरी के वर्ष हेतु देय और भुगतान योग्य ब्याज, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
5	समाप्त वर्ष को अर्जित और शेष अप्रदत्त ब्याज	-	-
6	'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' की धारा 23 के तहत, किसी कटौती योग्य व्यय को अस्वीकार करने के उद्देश्य से, यदि देय ब्याज का भुगतान लघु उद्यमों को नहीं किया जाता है, तो वह ब्याज आने वाले वर्षों में भी देय बना रहेगा—जब तक कि वास्तव में उसका भुगतान न कर दिया जाए।	-	-

38. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन करना आवश्यक है और कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गयी कंपनी के तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% खर्च करना है। कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार 22 जनवरी 2021 से अधिसूचित, किसी भी चालू परियोजना के लिए कोई भी अव्ययित राशि वित्त वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर किसी भी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, जिसका उपयोग उक्त हस्तांतरण की तिथि से तीन वित्त वर्षों की अवधि के भीतर किया जाएगा। किसी भी चालू परियोजना के अतिरिक्त, कोई भी अव्ययित सीएसआर राशि वित्त वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी क़ानून के तहत आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, तो अतिरिक्त राशि को आगे बढ़ाया जा सकता है और व्यय की जाने वाली राशि के प्रति तीन आगामी वित्त वर्षों में कटौती की जाएगी।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क. 31.03.2026 तक, कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली सकल राशि का विवरण निम्नानुसार है:

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, सीएसआर परियोजनाओं के लिए कुल ₹33.50 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹24.78 करोड़) की राशि मंज़ूर की गई। मंज़ूर की गई निधि में से, ₹32.60 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹24.36 करोड़) की राशि वित्त वर्ष 2025-26 की परियोजनाओं से संबंधित है, जिसका विवरण नीचे (ग) में दिया गया है।

सीएसआर खर्चों का विवरण: -

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
1	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि	32.60	24.36
2	वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि [(ग) देखें]	32.60	24.36
3	वर्ष के अंत में कमी / (अधिक) (1-2)	-	-
4	पिछले वर्षों से अग्रेनीत (अधिक) सीएसआर खर्च	-	-
5	चालू वर्ष में पहले खर्च की गयी अतिरिक्त राशि का समायोजन	-	-
6	वर्ष के अंत में अग्रेनीत कुल कमी / (अधिक) खर्च	-	-

ख. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार औसत एकल लाभ (कर पूर्व) के 2% के आधार पर ₹32.60 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25 में ₹24.36 करोड़) का सीएसआर बजट मंज़ूर किया था। एक वर्ष में मंज़ूर की गई परियोजनाओं को बाद के सालों में पूरा किया जा सकता है; इसके लिए भुगतान परियोजना के पूरा होने के विभिन्न चरणों में निर्धारित किए गए महत्वपूर्ण पड़ावों से जुड़ा होता है।

ग. वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गयी राशि: -

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष			31.03.2025 को समाप्त वर्ष		
		भुगतान या निपटाया गया	भुगतान अभी किया जाना है	कुल	भुगतान या निपटाया गया	भुगतान अभी किया जाना है	कुल
(i)	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण; अनुसंधान और विकास से संबंधित सीएसआर गतिविधियों पर	6.48	26.09	32.57	2.31	22.03	24.34
(iii)	उपर्युक्त (ii) के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों पर - प्रशासनिक व्यय	0.03	-	0.03	0.02	-	0.02
	कुल	**6.51**	**26.09**	**32.60**	**2.33**	**22.03**	**24.36**

घ. चालू वर्ष या पिछले वर्ष में सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

ङ. व्यय की गयी और अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: -

31.03.2026 को समाप्त वर्ष

अव्ययित राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	अनुसूची- VII के निर्दिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा की गयी राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	अंतिम शेष
-	-	32.60	6.51	26.09

व्यय की गयी अतिरिक्त राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	वर्तमान वर्ष में कमी के तहत समायोजित राशि	अंतिम शेष
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

चल रही परियोजनाओं के लिए:

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष से संबंधित	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि		अंतिम शेष		चल रही परियोजनाओं का विवरण
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	
25-26	-	-	32.60	6.51	-	26.09*	-	स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल, शिक्षा, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, पीएमआईएस, पीएम-केयर्स से संबंधित परियोजनाएँ
24-25	-	22.03	-	-	6.13	-	15.90	स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल, शिक्षा एवं पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, पीएमआईएस, पीएम-केयर्स से संबंधित परियोजनाएँ
23-24	-	6.14	-	-	3.76	-	2.38	स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पीएम-केयर्स से संबंधित परियोजनाएँ
22-23	-	1.22	-	-	0.90	-	0.32#	स्वास्थ्य देखभाल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देने तथा रोज़गार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल, पीएम-केयर्स से संबंधित परियोजनाएँ
कुल	**-**	**29.39**	**32.60**	**6.51**	**10.79**	**26.09**	**18.60**	

*वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹26.09 करोड़ की खर्च न की गई राशि को 29 अप्रैल 2026 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 'अव्ययित सीएसआर खाते' में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पूरी हो चुकी परियोजनाओं की बिना खर्च हुई ₹0.01 करोड़ की राशि 30 अप्रैल 2026 को पीएम केयर्स कोष में स्थानांतरित कर दी गई है।

#30 अप्रैल 2026 को अनुसूची VII के तहत बताए गए पीएम केयर्स कोष में राशि स्थानांतरित कर दी गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2025 को समाप्त वर्ष

अव्ययित राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	अनुसूची- VII के निर्दिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा की गयी राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	अंतिम शेष
-	-	24.36	2.33	22.03

व्यय की गयी अतिरिक्त राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	वर्तमान वर्ष में कमी के तहत समायोजित राशि	अंतिम शेष
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

चालू परियोजनाओं के लिए:

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष से संबंधित	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि		अंतिम शेष		चल रही परियोजनाओं का विवरण
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	
24-25	-	-	24.13	2.10	-	22.03*	-	स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल, शिक्षा और पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित परियोजनाएँ
23-24	-	11.13	-	-	4.99	-	6.14	स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित परियोजनाएँ
22-23	-	1.64	-	-	0.42	-	1.22	स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित परियोजनाएँ
कुल	**-**	**12.77**	**24.13**	**2.10**	**5.41**	**22.03**	**7.36**	

*वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹22.03 करोड़ की खर्च न की गई राशि को 29 अप्रैल 2025 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'अव्ययित सीएसआर खाते' में स्थानांतरित कर दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

39. लेखा परीक्षक को पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष*	31.03.2025 को समाप्त वर्ष*
लेखा परीक्षक		
सीमित समीक्षा	-	0.03
सांविधिक लेखा परीक्षा	0.25	0.17
कर लेखा परीक्षा	0.05	0.05
अंतरिम खातों के लिए लेखा परीक्षा शुल्क	0.46	0.24
अन्य सेवाएँ		
प्रमाणन शुल्क	0.02	0.02
आईपीओ से संबंधित**	0.20	-
कुल*	**0.98**	**0.51**

*जीएसटी छोड़कर

**शेयर जारी करने के व्यय के अंग स्वरूप और प्रतिभूति प्रीमियम से समायोजित। वित्तीय विवरणों की नोट 26 देखें।

वित्तीय विवरणों की नोट 37 भी देखें।

40. ऐसे ऋण खातों के बारे में जानकारी जिनका भुगतान 90 दिनों से ज़्यादा समय से बकाया है, लेकिन जिन्हें 'ऋण क्षति' नहीं माना गया है।

दो ऋणकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश और दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालयों से अंतरिम आदेश प्राप्त किए हैं, ताकि उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। इसके अनुसार, ऐसे ऋणकर्ताओं के बकाया ऋण को 'स्तर III परिसंपत्ति' के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही बकाया राशि 90 दिनों से ज़्यादा पुरानी हो। हालांकि, कंपनी ने परियोजनाओं के वित्तीय और परिचालनगत मानदंड को ध्यान में रखते हुए, 'अपेक्षित ऋण हानि' (ईसीएल) के अनुसार लेखा बहियों में पर्याप्त प्रावधान किया है। भले ही इन खातों को एनपीए घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इनसे होने वाली आय को नकद या प्राप्ति के आधार पर दर्ज किया जाता है (यानी, जो ब्याज बकाया है लेकिन मिला नहीं है, उसे उलट दिया जाता है और ब्याज आय के तौर पर नहीं गिना जाता है)। कंपनी ने ऋण लेने वाली कंपनी मेसर्स बैतरणी पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ लगी रोक को हटाने के लिए 2 जनवरी 2026 को पहले ही आवेदन दाखिल कर दिया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 15.09.2026 है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण लेने वाली कंपनी मैसर्स जेडआर रिन्यूवेबल्स के मामले में आगे की गतिविधियों की समीक्षा कर रही है, क्योंकि ऋण लेने वाली कंपनी ने मार्च 26 के दौरान कुछ रकम जमा की है।

इन खातों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों/स्तर की संख्या	बकाया राशि	अतिदेय राशि	ईसीएल राशि
31.03.2026 को	2/स्तर II	394.00	89.46	223.41
31.03.2025 को	8/स्तर II	1,202.21	889.72	631.13

ऋण लेने वालों के समूह में से एक, जिसे वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में एनपीए के तौर पर वर्गीकृत किया गया था, ने 2 जुलाई 2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए गए आदेश को हटाए जाने के बाद गैर-निधि आधारित सुविधा का बकाया चुका दिया है। साथ ही, उन्होंने दो खातों के लिए एक व्यापक समाधान योजना भी जमा किया है, जिनमें कुल ₹257.00 करोड़ का मूल बकाया है। इस योजना में निर्धारित शर्तों के अनुसार मूलधन और साधारण ब्याज का भुगतान करने का प्रस्ताव है, जिसे इरेडा ने स्वीकार कर लिया है। इसके एवज में, एक खाते में 6 मार्च 2026 को ₹143.10 करोड़ की राशि प्राप्त हुई और उसका हिसाब-किताब दर्ज किया गया; इसके अनुसार, 31.03.2026 को वह खाता बंद हो गया।

एक अन्य मामले में, ऋणकर्ता ने बताया कि उन्हें उम्मीद के अनुरूप निधि मिलने में देरी हुई है, जिसके कारण वे मूल ओटीएस के तहत निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं कर पाए हैं और इसलिए उन्होंने समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस पर विचार किया गया और निदेशक मंडल की 25.03.2026 को हुई बैठक में मिली मंज़ूरी के आधार पर, ओटीएस मंज़ूरी की वैधता को 30.06.2026 तक बढ़ा दिया गया है। समूह के बाकी चार खाते, जिन पर ₹519.80 करोड़ बकाया हैं, उनके पुनर्गठन योजना की जांच की जा रही है। ईसीएल पद्धति के अनुसार इन खातों के लिए प्रावधान पहले ही बही खातों में कर दिए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

41. एकमुश्त निपटान (ओटीएस), बट्टे खाते डाला गया (ऋण परिसंपत्तियाँ)

31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, दो ओटीएस स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक खाता पूरी तरह से निपटाया गया है। कुल ₹143.10 करोड़ की राशि वसूल की गई है, जिसमें निर्धारित किए गए ओटीएस के तहत ₹100.00 करोड़ की बकाया मूल राशि शामिल है। इससे ₹43.10 करोड़ की आय हुई है और ₹60.50 करोड़ के हानि भत्ते का प्रतिलेखन हुआ।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, एक ओटीएस स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक खाता पूरी तरह से निपटाया गया है। उक्त निपटाये गये ओटीएस के प्रति कुल ₹176.49 करोड़ की राशि वसूल की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप ₹85.56 करोड़ की आय हुई और ₹54.13 करोड़ के हानि भत्ते का प्रतिलेखन हुआ।

42. कंपनी द्वारा प्रबंधित एमएनआरई / यूएनडीपी / यूएनआईडीओ/ अन्य योजनाओं की धनराशि

कंपनी अपनी गतिविधियों के अतिरिक्त उक्त मंत्रालय के साथ किये गये समझौता ज्ञापन के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम को क्रियान्वित करती है। प्रत्येक समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, एमएनआरई ने कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कंपनी के साथ प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में एक सहमत राशि रखी है। एमएनआरई निधियों पर ब्याज जब और जैसे प्राप्त होता है उसका लेखा-जोखा किया जाता है। चूंकि एमएनआरई कार्यक्रम ऋणों द्वारा उत्पन्न आय कंपनी की आय नहीं है और ऋण परिसंपत्तियां भी एमएनआरई से सम्बंधित हैं, इसलिए उन्हें परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान उद्देश्यों के लिए नहीं माना जाता है। संबंधित कार्यक्रम के समापन पर, कंपनी को एमएनआरई के ऋण की शेष राशि (उस पर अर्जित ब्याज सहित), सेवा शुल्क, अपरिवर्तनीय चूक और एमओयू में निर्धारित अन्य बकाया राशि की कटौती करने के बाद एमएनआरई को हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है।

क) **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) / पूंजी आर्थिक सब्सिडी योजना आदि:** कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की ओर से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और योजना के तहत पंजीकृत पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजी आर्थिक सब्सिडी के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रशासक है। इन योजनाओं के तहत, एमएनआरई द्वारा कंपनी को जीबीआई दावेदारों यानी परियोजना डेवलपर्स/डिस्कॉम को योजना के अनुसार ऊर्जा उत्पादन के लिए उसी के वितरण के उद्देश्य से निधि प्रदान की जाती है। इसलिए, अनिवार्य रूप से, गतिविधि निधियों की प्राप्ति और उपयोग है। एमएनआरई द्वारा जीबीआई निधि जारी करने के लिए, कंपनी को एमएनआरई द्वारा जारी निधि की पिछली क़िस्त के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय के लेखा परीक्षित विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त आवश्यकता का कंपनी द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है तथा एमएनआरई द्वारा अब तक इसके अतिरिक्त कुछ भी अपेक्षित नहीं किया गया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने योजना के खातों की लेखा परीक्षा नहीं की है।

वर्ष के अंत में उपर्युक्त के कारण एमएनआरई को देय राशि, बचत बैंक/अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग-अलग बैंक खातों में रखी गई अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज, जो कंपनी के वित्तीय विवरणों का हिस्सा नहीं हैं।

(ख) **जीईएफ-एमएनआरई-संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) परियोजना:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और यूएनआईडीओ ने संयुक्त रूप से अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण के लिए बायोगैस/बायो-मीथेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, नवाचारों को लक्षित करने और औद्योगिक जैविक कचरे से टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन पर जीईएफ-5 वित्तपोषित परियोजना को लागू किया है। उक्त परियोजना के अधीन यूएनआईडीओ परियोजना डेवलपर्स के लिए ब्याज दर में 5% का आर्थिक सब्सिडी देने के लिए धन उपलब्ध कराएगा और कंपनी एक फंड हैंडलर है। वित्त वर्ष 2021-22 में 340000 अमेरिकी डॉलर की पहली क़िस्त हेतु कंपनी को ₹2.55 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, यूएनआईडीओ के प्रति शून्य दावा (पिछले वर्ष : शून्य) किया गया है।

इस प्रकार प्राप्त धनराशि को बचत बैंक/अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग-अलग बैंक खाते में रखा गया है, जो कंपनी के वित्तीय विवरणों का अंश नहीं है।

ग) **अन्य एमएनआरई योजनाएँ जहाँ इरेडा, एमएनआरई की ओर से निधि प्रबंधन एजेंसी है:** एमएनआरई की वे योजनाएँ जिनमें इरेडा, एमएनआरई की ओर से कोष संभालने वाली एजेंसी है, जैसे कि ग्रिड से जुड़े हाइड्रो पावर एमएनआरई स्कीम, ऑफ-ग्रिड हाइड्रो पावर एमएनआरई स्कीम, सूचना और जन-जागरूकता योजना, बायो पावर (ऑफ-ग्रिड) एमएनआरई स्कीम, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण (I) और (II), सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम-एमएनआरई (एसडब्ल्यूएचएस) को लागू करना, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड, एमएनआरई को-जेन स्पेसिफिक ग्रांट, डीआईआरईसी -2010, इंडो-यूएस पेससेटर फंड, यूएसआईसीईएफ आदि। इस तरह से मिले कोष को अलग-अलग बैंक खातों में बचत बैंक / अल्पकालिक जमा वगैरह के तौर पर रखा गया है, जो कंपनी के वित्तीय विवरणों का अंश नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

एमएनआरई योजनाओं से संबंधित निम्नलिखित परिसंपत्तियां और देनदारियां कंपनी के तुलन पत्र का लाभ नहीं हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट संख्या	31.03.2026 को	31.03.2025 को
परिसंपत्तियां			
नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक में शेष राशि			
(चालू, बचत और जमा खातों में रखी गई रकम)	12	64.43	61.08
कुल		**64.43**	**61.08**
देनदारियां			
अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां	11	64.43	61.01
कुल		**64.43**	**61.01**

वित्तीय विवरणों की नोट 3 को भी देखें।

43. एमएनआरई भारत सरकार पूर्ण सेवित बंधपत्र

आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 के का.ज्ञा. संख्या एफ.15 (4)-बी (सीडीएन)/2015 के अनुसार, कंपनी को ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा, ऑफ-ग्रिड/वितरित व विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा तथा निगमों व स्वायत्त निकायों में निवेश से संबंधित एमएनआरई योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु आय का उपयोग करने के लिए भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स के माध्यम से ₹4,000 करोड़ की राशि की उगाही के लिए कहा गया था। एमएनआरई और कंपनी के बीच 25 जनवरी, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसमें दोनों की भूमिका और उत्तरदायीयिों को परिभाषित किया गया है। समझौता ज्ञापन की पृष्ठ संख्या 5 पर सामान्य खंडों की मद संख्या। में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि एमएनआरई बॉण्ड्स के ऋण को कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय गणना के लिए परिसंपत्ति/देयता के रूप में नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि एमएनआरई बॉण्ड्स के माध्यम से जुटायी गयी राशि ऋण के साथ-साथ परिसंपत्तियों में भी दिखायी देगी, हालांकि, कंपनी के ऋण/परिसंपत्तियों या आय/व्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान एमएनआरई की ओर से भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स के जरिये ₹1,640 करोड़ जुटाए। इसके विरुद्ध विभिन्न योजनाओं/योजनाओं के लिए एमएनआरई के निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2026 तक ₹1,638.79 करोड़ की राशि संवितरित की गयी है (पिछले वर्ष: ₹1,638.79 करोड़)। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने एमएनआरई को ₹ 1.21 करोड़ की बची हुई रकम और उस पर बने ₹13.71 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया; यह रकम पहले एमआईबीओआर से जुड़े जमा खाते में रखी गई थी।

इस रकम को एमआईबीओआर से जुड़ी जमा राशि में रखा गया था, जिस पर 31 मार्च 2026 तक ₹ 0.01 करोड़ का ब्याज जमा हुआ (पिछले वर्ष : ₹ 13.12 करोड़)। 31 मार्च, 2026 तक शेष संचयी राशि (उपार्जित/अर्जित ब्याज सहित) ₹ 0.82 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹14.31 करोड़) है, जिसे एमआईबीओआर से जुड़े सावधि जमा में रखा गया है और 31 मार्च, 2026 तक चालू खाते में शेष राशि ₹0.03 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹0.03 करोड़) रखी गई है।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, ₹124.35 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹124.35 करोड़) के भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड पर ब्याज निवेशकों को भुगतान हेतु देय हो गया। इस प्रकार उगाहे गये बंधपत्रों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बंधपत्र श्रृंखला	31.03.2026 को	31.03.2025 को
1	7.22% भारत सरकार पूर्ण सेवित बंधपत्र (श्रृंखला I - मोचन की तिथि - 06 फरवरी, 2027)	610.00	610.00
2	7.60% भारत सरकार पूर्ण सेवित बंधपत्र (श्रृंखला IA - मोचन की तिथि - 23 फरवरी, 2027)	220.00	220.00
3	7.85% भारत सरकार पूर्ण सेवित बंधपत्र (श्रृंखला IB - मोचन की तिथि - 06 मार्च, 2027)	810.00	810.00
	कुल	**1,640.00**	**1,640.00**

एमएनआरई भारत सरकार पूर्ण सेवित बंधपत्र से जुड़ी निम्नलिखित परिसंपत्तियां और देनदारियां समूह के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि इनकी सेवा एमएनआरई द्वारा की जाती है:

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

बंधपत्र श्रृंखला	नोट संख्या	31.03.2026 को	31.03.2025 को
परिसंपत्तियां			
अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां *(भारत सरकार पूर्ण सेवित बंधपत्र के संबंध में एमएनआरई से मिलने वाली राशि)*	11	1,640.00	1,638.79
नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक में शेष राशि *(चालू, बचत और जमा खाते में रखी गई राशि)*	12	0.04	14.33
कुल		**1,640.04**	**1,653.12**
देनदारियां			
अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां *(भारत सरकार पूर्ण सेवित बंधपत्र के संबंध में बंधपत्र धारकों को भुगतान की जाने वाली राशि)*	11	1,640.00	1,640.00
अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां *(एमआईबीओआर जमा पर ब्याज के संबंध में एमएनआरई को भुगतान की जाने वाली राशि)*	12	0.04	13.12
कुल		**1,640.04**	**1,653.12**

44. एमएनआरई से प्राप्त आर्थिक सब्सिडी/ प्रोत्साहन तथा उनकी ओर से प्रबंधित

क. ब्याज आर्थिक सब्सिडी

सरकारी नीति के अनुसार, एमएनआरई ब्याज आर्थिक सब्सिडी प्रदान कर रहा है जो एमएनआरई कार्यक्रमों को लागू करने वाले ऋणकर्ताओं को जारी की जाती है। सह-उत्पादन, लघु जलविद्युत, ब्रिकेटिंग, बायोमास, सौर तापीय तथा अपशिष्ट से ऊर्जा के संबंध में ब्याज आर्थिक सब्सिडी एनपीवी आधार पर जारी की जाती है तथा सौर एवं एसपीवी कार्यक्रमों के लिए यह एक वास्तविक आधार पर किया जाता है।

ब्याज आर्थिक सब्सिडी ऋणकर्ताओं को अर्ध-वार्षिक आधार पर दी जाती है, बशर्ते ऋणकर्ता स्वीकृति के नियम और शर्तों का अनुपालन करें। ब्याज आर्थिक सब्सिडी के स्थायी शेष का कार्यक्रमवार विवरण निम्नानुसार है:-

(i) एनपीवी आधार पर पहले प्राप्त तथा बकाया ब्याज आर्थिक सब्सिडी:-

(₹ करोड़ में)

समाप्त वर्ष	बायो-मास सह-उत्पादन	लघु जल विद्युत	उप योग (क)
31.03.2026	2.15	0.02	**2.17**
31.03.2025	2.15	0.02	**2.17**

(ii) वास्तविक आधार पर पहले प्राप्त तथा बकाया ब्याज आर्थिक सहायता:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष समाप्त	सौर तापीय क्षेत्र	एसपीवी डब्ल्यूपी 2000-01	एसपीवी डब्ल्यूपी 2001-02	एसपीवी डब्ल्यूपी 1999-00	एसपीवी डब्ल्यूपी मैन्युफैक्चरिंग	एसपीवी डब्ल्यूपी 2002-03	अक्सेलरेटेड एसडब्ल्यूएच प्रणाली	उप योग (ख)	कुल योग (क+ख)
31.03.2026	0.00	(0.51)	(1.36)	(0.07)	(0.03)	(0.41)	0.00	**(2.38)**	**(0.21)**
31.03.2025	0.00	(0.51)	(1.36)	(0.07)	(0.03)	(0.41)	0.00	**(2.38)**	**(0.21)**

ख. पूंजीगत आर्थिक सहायता

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, पूंजी आर्थिक सहायता हेतु एमएनआरई से ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ शून्य करोड़) की राशि प्राप्त हुई थी। उपलब्ध कुल पूंजी आर्थिक सब्सिडी राशि में से ₹शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ शून्य करोड़) पूंजी आर्थिक सब्सिडी योजना की शर्तों और नियमों के अनुपालन पर ऋणकर्ताओं को दी गयी।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

45. हटायी गयी कंपनियों के साथ प्रकटीकरण संबंध

हटायी गयी कंपनी का नाम	हटायी गयी कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	31.03.2026 तक बकाया शेष राशि (₹ करोड़ में)	हटायी गयी कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो	31.03.2025 तक बकाया शेष राशि (₹ करोड़ में)	हटायी गयी कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो
एसपीवी पावर लि.	प्राप्य	0.00	ऋणकर्ता	0.00	ऋणकर्ता
ओचा पाइन फ्यूल्स प्रा. लि.	प्राप्य	0.00	ऋणकर्ता	0.00	ऋणकर्ता

विभिन्न कानूनी मंचों में प्रमोटरों/गारंटरों से संबंधित मामलों में वसूली कार्यवाही के मद्देनजर शेष राशि को बहियों में दर्ज किया जा रहा है।

46. अतिरिक्त जानकारी

क) विदेशी मुद्रा में व्यय:

- यात्रा पर : ₹0.23 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.22 करोड़)
- ब्याज और प्रतिबद्धता व्यय : ₹226.46 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 248.28 करोड़)

ख) विदेशी मुद्रा में आय:

- ब्याज : ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1.75 करोड़)

ग) विश्व बैंक ने आईबीआरडी III ऋण सहायता के अंतर्गत सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के वित्तपोषण में सहायता के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) अनुदान स्वीकृत किया है। वर्ष के दौरान, विश्व बैंक ने सीटीएफ अनुदान के अंतर्गत कंपनी को ₹शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹7.57 करोड़) जारी किए, जिनमें राजस्व व्यय के लिए ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 6.92 करोड़) और पूंजीगत व्यय के लिए ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.65 करोड़) शामिल हैं।

घ) क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा का विवरण : कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यावसायिक या निवेश नहीं किया है।

47. परिसंपत्ति और देयताओं के अधीन प्रत्येक व्यवसाय मद के लिए 12 महीने के अंदर और उसके बाद वसूल/निपटान की जाने वाली अपेक्षित राशि-

लागू नहीं

48. मास्टर निर्देश – भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 (1 अप्रैल, 2026 को अद्यतन) और अतिरिक्त स्वैच्छिक प्रकटीकरण के सन्दर्भ में प्रकटीकरण:

क. परियोजना वित्तपोषण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद का विवरण	तिमाही 3 (अक्टूबर-दिसंबर 2025)		तिमाही 4 (जनवरी-मार्च 2026)	
		खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि
1	तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खाते	161	20,816.82	171	21,034.95
2	तिमाही के दौरान स्वीकृत कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खाते (इसमें "तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खातों" के लिए तिमाही 04 में किया गया संवितरण भी शामिल है	22	5,857.74	31	7,200.52

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	मद का विवरण	तिमाही 3 (अक्टूबर-दिसंबर 2025)		तिमाही 4 (जनवरी-मार्च 2026)	
		खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि
3	कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खाते, जहाँ तिमाही के दौरान डीसीसीओ प्राप्त कर लिया गया है।	12	5,639.61	24	2,746.70
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खाते। (1+2-3)	171	21,034.95	178	25,488.77
5	'4' में से – वे खाते जिनके संबंध में मूल/ बढ़ाई गई डीसीसीओ (जहाँ जैसा मामला हो) में विस्तार से जुड़ी समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।	52	6,059.78	86	9,762.50
5.1	'5' में से – वे खाते जिनके लिए समाधान योजना लागू कर दी गई है।	25	3,961.94	74	8,211.21
5.2	'5' में से – वे खाते जिनके लिए समाधान योजना लागू की जा रही है।	25	2,081.41	11	1,476.76
5.3	'5' में से – वे खाते जिनके लिए समाधान योजना फ़ेल हो गया है	2	16.44	1	74.54
6	'5' में से, वे खाते जिनके मामले में परियोजना के दायरे और आकार में बदलाव के कारण मूल/ बढ़ाई गई डीसीसीओ (जहाँ जैसा मामला हो) को आगे बढ़ाने से जुड़ी समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।	2	874.02	-	-
7	'5' में से, वह खाता जिसके तहत मूल /बढ़ाई गई डीसीसीओ (जहाँ जैसा मामला हो) में विस्तार से जुड़ी लागत वृद्धि के लिए वित्तपोषण किया गया था।	5	1,381.96	3	443.34
7.1	'7' में से, वे खाते जिनमें वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और निरंतर नवीनीकृत किया गया था	-	-	1	196.82
7.2	'7' में से, वे खाते जहाँ एसबीसीएफ को पहले से मंज़ूर या निरंतर नवीनीकृत नहीं किया गया था।	5	1,381.96	2	246.52
8	'4' में से, ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना शुरू की गई है, जिसमें मूल /बढ़ाई गई डीसीसीओ (जहाँ जैसा मामला हो) की समय-सीमा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।	1	39.00	-	-
8.1	'8' में से – वे खाते जिनके लिए समाधान योजना लागू की गई है।	1	39.00	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	मद का विवरण	तिमाही 3 (अक्टूबर-दिसंबर 2025)		तिमाही 4 (जनवरी-मार्च 2026)	
		खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि
8.2	'8' में से– वे खाते जिनके लिए समाधान योजना लागू की जा रही है	-	-	-	-
8.3	'8' में से–वे खाते जिनके लिए समाधान योजना विफल रही है	-	-	-	-

नोट:

1. यह 1 अक्टूबर, 2025 से शुरू होने वाली तिमाही जानकारी है। एनबीएफसी को समय-समय पर संशोधित 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान) निर्देश, 2025' का पालन करना होगा।
2. क्रम संख्या 2 में, "खातों की संख्या" तिमाही के दौरान मंज़ूर किए गए मामलों को दिखाती है। हालाँकि, इन मूल्यों में पहले मंज़ूर की गई परियोजानाओं के लिए जारी की गई संवितरण राशि भी शामिल है।

ख. कंपनी द्वारा लागू की गई समाधान योजनाएँ

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान

30 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा मैसर्स लोकशाति सुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सम्बन्ध में मंज़ूर की गई समाधान योजना के निष्पादन के अनुपालन में, ₹39.18 करोड़ के बकाया मूलधन और ₹ 44.92 करोड़ के जमा हुए ब्याज के तहत ₹ 84.10 करोड़ की राशि वसूल की गई है। इसके अनुसार, ₹23.38 करोड़ का संबंधित हानि भत्ता भी वापस लिख दिया गया है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई समाधान योजना लागू नहीं की गई है।

ग. परिशोधन लागत व्यवसाय से बिक्री हेतु नीति

कंपनी सामान्य कामकाज के दौरान ऋण परिसम्पत्तियों सहित वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचने का काम नहीं करती है।

हालांकि, भारत में विनियामक ढांचा के अनुसार, कंपनी ऋण-क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में बकाया रकम वसूलने की कार्रवाई कर सकती है। नतीजतन, ऋण-क्षतिग्रस्त लोन को या तो पुनर्गठित/पुनः बातचीत किया या फिर आईबीसी कार्यवाही या किसी अन्य तरीके से निपटाया जा सकता है, और भारतीय लेखा मानक 109 – ' वित्तीय लिखतों' की ज़रूरतों के अनुसार इसे मान्यता समाप्त करने के लिए आंका जाता है।

घ. पूँजी

क. जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों के लिए पूंजी अनुपात (सीआरएआर))

कंपनी, समय-समय पर संशोधित, आरबीआई द्वारा निर्धारित मास्टर निर्देशों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, कंपनी को 15% (10% की न्यूनतम स्तरीयर। पूंजी के साथ) का पूंजी पर्याप्तता अनुपात या जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए पूँजी अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखना आवश्यक है, जिसकी गणना कंपनी की स्तरीयर-। और स्तरीयर-।। पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्तियों से विभाजित करके की जाती है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
1	सीआरएआर (%)	20.59%	17.77 %
2	सीआरएआर –स्तरीयर । पूंजी (%)	18.41%	15.15 %
3	सीआरएआर –स्तरीयर ।। पूंजी (%)	2.18%	2.62 %

सतत ऋण लिखत की राशि 31 मार्च, 2025 तक स्तरीयर-। पूँजी के रूप में 14.98% है और 31 मार्च, 2026 तक स्तरीयर-। पूँजी के रूप में 11.37% है।

*आरबीआई ने 01 जनवरी 2026 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2025-26/168 डीओआर.सीआरई.आरईसी.373/21-01-002/2025-26 के माध्यम से 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) संशोधन निर्देश, 2026' जारी किए हैं। इसके तहत, 'उच्च-गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं' को दिए गए ऋणों पर लागू

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

जोखिम भारित ढांचे में संशोधन किया गया है, जिसमें जोखिम भारित को ऋणकर्ता द्वारा किए जाने वाले पुनर्भुगतान से जोड़ा गया है। इन संशोधनों में 'उच्च-गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं' को परिभाषित करने के लिए परिचालन, परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋणकर्ता सुरक्षा से जुड़े विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये निर्देश 01 अप्रैल 2026 से, या उस तारीख से (जो भी पहले हो) लागू होंगे जब कोई एनबीएफसी इन निर्देशों को पूरी तरह से अपना लेती है।

कंपनी ने 31 मार्च 2026 से इन निर्देशों को अपना लिया है और लागू कर दिया है। इन्हें लागू करने के बाद,जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों (आरडब्ल्यूए) में ₹7,787.77 करोड़ की कमी आई है, जिससे पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में 1.83% की बढ़ोतरी हुई है।

ख. वर्ष के दौरान जुटाई गई स्तरीयर II पूंजी और सतत ऋण लिखतों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
1	अधीनस्थ ऋण	-	910.37
2	सतत ऋण लिखत	453.00	1247.00

लेन-देन मूल्य पर

ग. वर्ष के अंत में बकाया स्तरीयर II पूंजी और सतत ऋण लिखतों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
		परिशोधन लागत	लेन-देन मूल्य	परिशोधन लागत	लेन-देन मूल्य
1	अधीनस्थ ऋण*	1,559.25	1,560.37	1,559.10	1,560.37
2	सतत ऋण लिखत**	1,698.08	1,700.00	1,245.47	1,247.00

*आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीआरएआर की गणना में स्तरीयर II पूँजी के तौर पर माने गए अधीनस्थ ऋण की राशि ₹1,370.37 करोड़ है।

पीडीआई धारकों के दावे इस प्रकार हैं:

1. कंपनी द्वारा जारी किये गए इक्विटी शेयरों के धारकों के दावों से बेहतर; और
2. कंपनी के अन्य सभी लेनदारों (लेकिन पीडीआई धारकों के लिए एक साथ रूप से) के दावों के अधीनस्थ। कंपनी कूपन का भुगतान स्थगित कर सकती है, यदि:
   i. कंपनी का पूंजी से जोखिम परिसंपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से कम है; या
   ii. कंपनी के सीआरएआर में ऐसे भुगतान का प्रभाव आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम हो जाता है या कम रहता है।
3. यदि जारीकर्ता द्वारा किसी कूपन भुगतान के परिणामस्वरूप शुद्ध हानि हो सकती है या जारीकर्ता की शुद्ध हानि बढ़ सकती है, तो जारीकर्ता द्वारा ऐसा कूपन भुगतान आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा और ऐसा अनुमोदन के प्राप्त होने पर किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा भुगतान करने के बाद सीआरएआर नियामक मानदंड से ऊपर बना रहे।
4. बंधपत्रपर कूपन ऊपर (2) में वर्णित मामलों को छोड़कर संचयी नहीं होगा।
5. लॉक-इन क्लॉज़ की मांग के सभी मामलों को जारीकर्ता द्वारा आरबीआई को सूचित किया जाएगा या लागू कानून के तहत अन्यथा आवश्यक होगा।
   जारीकर्ता द्वारा लॉक-इन क्लॉज़ के आह्वान को जारीकर्ता द्वारा की गई चूक नहीं माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप बंधपत्र के संबंध में 'चूक की घटना' (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) नहीं होगी।

घ. लाभांश

निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की निगरानी करता है और इसकी एक सुस्पष्ट वितरण नीति है जो कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/policy/dividend पर उपलब्ध है।

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ("सीपीएसई") होने के नाते, कंपनी पूंजी पुनर्गठन पर सीपीएसई दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, जिसके तहत प्रत्येक सीपीएसई को कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30% या निवल संपत्ति का 4%, जो भी अधिक हो, किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत सीमा के अधीन, यदि कोई हो, का भुगतान करना अनिवार्य है। एनबीएफसी जैसे वित्तीय क्षेत्र के सीपीएसई किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सीमा के अधीन, यदि कोई हो, कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30% के वार्षिक लाभांश का भुगतान कर सकते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

कंपनी ने एमएनआरई के ज़रिए डीआईपीएएम को लाभांश के भुगतान से छूट का प्रस्ताव सौंपा। हालांकि, छूट की मांग को नहीं माना गया और कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर पश्चात लाभ के 20% की कम दर पर लाभांश घोषित करे।

घोषित/प्रस्तावित लाभांश , लागू होने पर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार है।

घ.1 कंपनी द्वारा प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए घोषित/प्रस्तावित लाभांश:-

(₹ करोड़ में, जब तक अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	वित्त वर्ष 2025-26				वित्त वर्ष 2024-25			
	शेयर पूँजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि	भारत सरकार को भुगतान की गई / देय राशि	शेयर पूँजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि	भारत सरकार को भुगतान की गई / देय राशि
अंतरिम लाभांश	6.00 %	0.60	168.55	120.95	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	7.50%	0.75	210.69	151.19	-	-	-	-
कुल लाभांश	**13.50%**	**1.35**	**379.25**	**272.14**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष हेतु लाभ के % के रूप में कुल लाभांश (कुल लाभांश/ कर पश्चात लाभ)	**20.24%**				-			

भारतीय लेखा मानक 10 के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक के वित्तीय विवरण में अंतिम लाभांश के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि के बाद प्रस्तावित लाभांश तुलन पत्र की तारीख पर कोई मौजूदा दायित्व नहीं बनाते हैं और इसलिए, उन्हें देयता के तौर पर नहीं माना जाता है।

ङ. गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सुविधाएँ

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		रक्षित अंश	अरक्षित अंश	रक्षित अंश	अरक्षित अंश
I.	बकाया गारंटियां				
	i) भारत में	910.70	-	1,569.81	-
	ii) भारत के बाहर	-		-	
II	स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	-	-	-	-
III	अन्य एनएफबी ऋण सुविधाएं	1,539.93	-	930.58	-

च. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण				31.03.2026 को	31.03.2025 को
(1)	निवेश मूल्य				
	(i)	निवेश का सकल मूल्य			
		(क)	भारत में		
			सहायिका कंपनी	26.00	26.00
			3 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा (ब्याज सहित)	32.70	27.43
			3 महीनों से ज़्यादा की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा (ब्याज सहित)	5.64	1.59
			भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (उद्धृत) (अर्जित ब्याज सहित)	883.82	600.14
			वाणिज्यिक कागजात (पूर्णत: ह्रासित)	68.99	68.99
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
	(ii)	हानि हेतु प्रावधान			

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

		(क)	भारत में	68.99	68.99
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
	(iii)	निवेश का निवल मूल्य			
		(क)	भारत में	948.16	655.16
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
(2)	निवेश पर हानि के लिए रखे गये प्रावधानों का संचलन।				
	(i)	प्रारंभिक शेष		68.99	68.99
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान		-	-
	(iii)	घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / वापस लिखना		-	-
	(iv)	अंतिम शेष		68.99	68.99

*नोट 7 के अंतर्गत बताए गए निवेश :भारतीय लेखा मानक - 110 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार, निवेशों में उक्त राशि शामिल नहीं है।

छ. प्रतिभूतिकरण से संबंधित खुलासे – शून्य

ज. व्युत्पन्नी

❖ **वादा दर संविदा / ब्याज दर विनिमय समझौता**

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2026 को	31.03.2025 को
(i)	विनिमय समझौतों का काल्पनिक मूलधन*	8,613.24	6,590.12
(ii)	यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	997.49	487.88
(iii)	विनिमय में प्रवेश करने पर लागू एनबीएफसी द्वारा आवश्यक संपार्श्विक	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	विनिमय से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण **	नोट देखें*	नोट देखें*
(v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	950.09	464.68

*समापन तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करके भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में सभी व्युत्पंनी लेन-देन के सौदे की राशि को काल्पनिक मूलधन दर्शाता है।

**आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी उन बैंकों के साथ व्युत्पन्नी समझौता करती है जिनके साथ इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (आईएसडीए) समझौता किए गए हैं (इनमें सार्वजानिक क्षेत्र के बैंक, निजी भारतीय बैंक और विदेशी बैंक शामिल हैं)। बैंकों के साथ किए गए सभी व्युत्पंनी समझौते, बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'विदेशी मुद्रा और व्युत्पंनी जोखिम प्रबंधन नीति' में निर्धारित ऋण जोखिम सीमा के भीतर हैं।

❖ **विनिमय व्यावसायिक ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नी** - शून्य

❖ **व्युत्पन्नी में जोखिम अनावरण पर प्रकटीकरण**

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) कंपनी ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और अन्य परिसंपत्ति देयता बेमेल सहित विभिन्न बाजार जोखिमों से अवहित है।

(ii) सभी व्युत्पन्नी सौदे विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति (एफएमसी) की देख-रेख में किये जाते हैं। कंपनी को विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए, कंपनी ने व्युत्पन्नी लिखत के माध्यम से ऐसे जोखिम को कम करने के लिए आईएसडीए बैंकों के साथ दीर्घकालिक समझौते किये हैं।

(iii) कंपनी मामले-दर-मामला आधार पर बचाव लिखत अपनाकर विनिमय में उतार-चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी की जोखिम क्षमता और प्रचलित बाजार परिदृश्य के आधार पर प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), फॉरवर्ड आदि जैसे विभिन्न व्युत्पंनी अनुबंध किए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(iv) कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति है, जो खुले जोखिम की अधिकतम स्वीकार्य सीमा को परिभाषित करती है और जो बकाया विदेशी मुद्रा ऋण के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। 31 मार्च, 2026 तक कंपनी का विदेशी मुद्रा ऋण खुला जोखिम कुल विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम का 23.31% (पिछले वर्ष : 27.68%) है।

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण

31.03.2026 को

क्र. सं.	विवरण	वायदा संविदा सहित मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर विनिमय सहित ब्याज दर व्युत्पन्नी
(i)	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूलधन राशि)		
	*बचाव हेतु (मिलियन में)	€ 48.07 $ 473.12 ¥ 48,366.24	$28.66 ¥ 8,000.00
	मूल्य (₹ करोड़ में)	₹ 7,867.97	₹ 745.27
(ii)	मार्क दर बाजार स्थिति		
	क) परिसंपत्ति (+) (₹ करोड़ में)	914.69	82.80
	ख) देयता (-) (₹ करोड़ में)	(47.40)	-
(iii)	ऋण प्रकटीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	बचाव-रहित प्रकटीकरण (बकाया मूलधन राशि हेतु जिसमें आंशिक बचाव शामिल है जिसे बचाव नहीं माना जाता है) (₹ करोड़ में)	2,334.36	

*काल्पनिक मूलधन, समापन तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करते हुए भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में बकाया सौदे की राशि को दर्शाता है।

31.03.2025 को

क्र. सं.	विवरण	वायदा संविदा सहित मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर विनिमय सहित ब्याज दर व्युत्पन्नी
(i)	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूलधन राशि)		
	*बचाव हेतु (मिलियन में)	€ 66.12 $ 514.25 ¥ 22,791.60	$ 33.32
	मूल्य (₹ करोड़ में)	₹ 6,304.92	₹ 285.20
(ii)	मार्क दर बाजार स्थिति		
	क) परिसंपत्ति (+) (₹ करोड़ में)	429.24	58.64
	ख) देयता (-) (₹ करोड़ में)	(23.20)	-
(iii)	ऋण प्रकटीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	बचाव-रहित प्रकटीकरण (बकाया मूलधन राशि हेतु जिसमें आंशिक बचाव शामिल है जिसे बचाव नहीं माना जाता है) (₹ करोड़ में)	2360.71	

*काल्पनिक मूलधन, समापन तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करते हुए भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में बकाया सौदे की राशि को दर्शाता है।

झ. परिसंपत्तियों और देयताओं के कतिपय मदों की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पद्धति

31.03.2026 को

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	7 दिनों तक	8 से 14 दिन	14 दिनों से ऊपर -30/31 दिन	1 महीने से ऊपर-2 महीने	2 महीने से ऊपर-3 महीने	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 वर्ष तक	1 वर्ष से ऊपर एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ऊपर	कुल
जमा	-	-	-	-	1.15	5.63	0.01	-	-	-	**6.79**
ब्याज सहित अग्रिम	1.01	-	979.47	971.65	2,109.40	4,100.30	8,413.43	22,584.76	15,641.51	35,635.12	**90,436.65**
निवेश	1.11	2.51	2.76	4.22	6.09	25.71	98.83	643.20	99.39	26.00*	**909.82**
रुपया ऋण	267.23	40.42	148.33	479.88	2,531.84	2,336.92	9,435.39	21,884.09	9,264.87	21,459.79	**67,848.76**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.00**
विदेशी मुद्रा देयताएं	-	-	90.96	13.33	126.33	193.04	423.67	1,569.64	2,948.65	4,648.24	**10,013.86**

*नोट 7 के अंतर्गत बताए गए निवेश : भारतीय लेखा मानक - 110 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार, इन निवेशों में उक्त राशि शामिल नहीं है।

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	7 दिनों तक	8 से 14 दिन	14 दिनों से ऊपर -30/31 दिन	1 महीने से ऊपर-2 महीने	2 महीने से ऊपर-3 महीने	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 वर्ष तक	1 वर्ष से ऊपर एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ऊपर	कुल
जमा	-	-	-	-	-	1.59	-	-	-	-	**1.59**
ब्याज सहित अग्रिम	0.98	-	538.90	550.06	1,818.89	3,254.75	6,411.52	21,973.64	10,066.74	29,824.51	**74,439.99**
निवेश*	0.62	-	-	52.78	1.95	3.19	376.20	66.06	-	125.34*	**626.14**
रुपया ऋण	308.76	8.33	405.17	1,309.94	1,039.68	3,128.21	5,494.74	14,068.53	6,789.07	23,677.57	**56,230.00**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	**0.32**
विदेशी मुद्रा देयताएं	-	-	82.24	12.05	111.80	175.41	381.50	1,528.43	1,296.85	4,939.33	**8,527.61**

*नोट 7 के अंतर्गत बताए गए निवेश : भारतीय लेखा मानक - 110 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार, इन निवेशों में उक्त राशि शामिल नहीं है।

ञ. निवेश

❖ भूसंपदा क्षेत्र में निवेश

31 मार्च, 2026 तक कंपनी का भूसंपदा क्षेत्र में कोई निवेश नहीं है (पिछले वर्ष : शून्य करोड़)।

❖ पूंजी बाजार में निवेश

31 मार्च, 2026 तक कंपनी का पूंजी बाजार में कोई एक्सपोजर नहीं है (पिछले वर्ष : शून्य करोड़)।

❖ क्षेत्रीय निवेश

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्षेत्र	31.03.2026 को समाप्त वर्ष			31.03.2025 को समाप्त वर्ष		
	कुल निवेश (तुलन पत्र और तुलन पत्र से बाहर निवेश शामिल हैं) (₹ करोड़)	सकल एनपीए (₹ करोड़ में)	उस क्षेत्र में कुल निवेश में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल निवेश (तुलन पत्र और तुलन पत्र से बाहर निवेश शामिल हैं) (₹ करोड़)	सकल एनपीए (₹ करोड़ में)	उस क्षेत्र में कुल निवेश में सकल एनपीए का प्रतिशत
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-	-	-	-	-	-
2. उद्योग						
i) नवीकरणीय ऊर्जा	95,519.30	3,245.46	3.40%	78,700.12	1,866.25	2.37%
उद्योग का योग (i+ii+अन्य)						
3. सेवाएँ						
अन्य	-	-	-	-	-	-
सेवाओं का योग (i+ii+अन्य)						
4. व्यक्तिगत ऋण						
अन्य	-	-	-	-	-	-
व्यक्तिगत ऋणों का योग (i+ii+अन्य)						
5. अन्य, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-

❖ **अंतर-समूह निवेश**

अंतर-समूह निवेश से संबंधित प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
i	अंतर-समूह निवेश की कुल राशि	-	-
ii	शीर्ष 20 अंतर-समूह निवेश की कुल राशि	-	-
iii	ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल निवेश में अंतर-समूह निवेश का प्रतिशत	-	-

❖ **बचाव रहित विदेशी मुद्रा निवेश**

वित्तीय विवरणों की नोट 38(20) देखें।

ट. मूल कंपनी उत्पादों के वित्तपोषण का विवरण – लागू नहीं

ठ. लागू एनबीएफसी द्वारा पार की गयी एकल ऋणकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह ऋणकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण।

❖ **31.03.2026 को सीमा से अधिक एकल निवेश की सूची**

क्र. सं.	नाम	निवेश (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

आरबीआई परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.417/21.01.002/2025-26 दिनांक 10.03.2026 के अनुसार, निवेश सीमा की गणना के लिए जिन स्तरीयर। पूँजी/ स्वामित्व वाली निधियों पर विचार किया जाता है, वे सबसे नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों पर आधारित हो सकते हैं। इसके अनुसार, 31 दिसंबर 2025 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर ₹14,736.62 करोड़ की स्तरीयर। पूँजी/ स्वामित्व वाली निधियों का प्रयोग सीमा से ज़्यादा निवेश का हिसाब लगाने के लिए किया गया है।

❖ **31.03.2025 को सीमा से अधिक एकल निवेश की सूची**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	नाम	निवेश (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

31.03.2024 को स्तरीयर। पूँजी/ स्वामित्व वाली निधियों के आधार पर, यानी ₹8,265.20 करोड़।

❖ **31.03.2026 को सीमा से अधिक समूह निवेश की सूची**

क्र.सं.	समूह का नाम	निवेश (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

आरबीआई परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.417/21.01.002/2025-26 दिनांक 10.03.2026 के अनुसार, एक्सपोज़र सीमा की गणना के लिए जिन स्तरीयर। पूँजी/ स्वामित्व वाली निधियों पर विचार किया जाता है, वे सबसे नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों पर आधारित हो सकते हैं। इसके अनुसार, 31 दिसंबर 2025 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर ₹14,736.62 करोड़ की स्तरीयर। पूँजी/ स्वामित्व वाली निधियों का प्रयोग सीमा से ज़्यादा एक्सपोज़र का हिसाब लगाने के लिए किया गया है।

❖ **31.03.2025 को सीमा से अधिक समूह एक्सपोजरों की सूची**

क्र.सं.	समूह का नाम	निवेश (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

31.03.2024 को स्तरीयर। पूँजी/ स्वामित्व वाली निधियों के आधार पर, यानी ₹8,265.20 करोड़।

ड. विविध

❖ **अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों से प्राप्त पंजीकरण:**

इरेडा लिमिटेड हेतु

क्र.सं.	विनियामक का नाम	विवरण	पंजीकरण विवरण
1	निगमित मामलों के मंत्रालय	निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	L65100DL1987GOI027265
2	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	14.000012
3	लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई संख्या	335800AXWFKW4BC99J48

इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड हेतु

क्र.सं.	विनियामक का नाम	विवरण	पंजीकरण विवरण
1	निगमित मामलों के मंत्रालय	निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	U66190GJ2024GOI151339
2	आईएफएससीए	पंजीकरण संख्या	FCO2025FNC0793
3	लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई संख्या	3358004Z1TUWVPZRGE81

❖ **कंपनी के पास निम्नलिखित विदेशी परिसंपत्तियाँ हैं:-**

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	देश	31.03.2026 तक कुल परिसंपत्तियाँ	31.03.2025 तक कुल परिसंपत्तियाँ
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात, भारत	26.00*	26.00

*यह कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में किए गए निवेश से संबंधित है तथा नोट 7 के अंतर्गत बताए गए निवेश:भारतीय लेखा मानक- 110 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार, उक्त राशि शामिल नहीं है।

❖ तुलन पत्र से बाहर कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी नहीं हैं।

❖ कंपनी भारत में निगमित है और इसका कामकाज भी भारत में ही होता है।

❖ कंपनी भारतीय लेखा मानक - 110 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है।

❖ कंपनी चांदी और/या सोना संपार्श्विक के बदले ऋण नहीं देती है।

ढ. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का खुलासा

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक को क्रमशः ₹7.00 करोड़ और ₹7.80 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ शून्य करोड़) की धोखाधड़ी के 2 (दो) मामले (पिछले वर्ष: कोई मामला नहीं) रिपोर्ट किए गए। वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की नोट 38(51) भी देखें।

ण. वर्ष के दौरान आरबीआई और अन्य विनियामकों द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण:

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी विनियामक द्वारा समूह में कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है [पिछले वर्ष: शून्य]।

त. शिकायतों का प्रकटीकरण:-

1) कंपनी को अपने शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

विवरण		31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	-	04
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	02	19
ग)	वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या	02	23
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

2) कंपनी को अपने डिबेंचर धारकों/बंधपत्र धारकों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	06	02
ग)	वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या	06	02
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

3) ग्राहकों से और लोकपाल कार्यालयों से कंपनी को प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
	एनबीएफसी को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	-	-
3.	वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या	-	-
3.1	इनमें से, एनबीएफसी द्वारा रद्द की गयी शिकायतों की संख्या	-	-
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
	लोकपाल कार्यालय से एनबीएफसी को प्राप्त होने वाली सुनवाई योग्य शिकायतें		
5.	लोकपाल कार्यालय से एनबीएफसी को प्राप्त होने वाली सुनवाई योग्य शिकायतों की संख्या	6	2
5.1	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा एनबीएफसी के पक्ष में हल की गयी शिकायतों की संख्या	-	1*
5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी किये गये सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गयी शिकायतों की संख्या	6	2
5.3	5 में से, एनबीएफसी के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा निर्णय पारित करने के बाद हल की गयी शिकायतों की संख्या	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू न किये गये अवर्डों की संख्या (उन लोगों के अतिरिक्त जिन्होंने अपील किया था)	-	-

*वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में आरबीआई सीएमएस टीम के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी; वित्त वर्ष 2024-25 में समाधान हो गया है।

एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार।

शिकायतों का आधार, (अर्थात निम्न से संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी का %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु					
ऋण और अग्रिम	-	5	400%	-	-
पीओआई	-	1	-	-	-
कुल	**-**	**6**	**200%**	**-**	**-**
31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु					
ऋण और अग्रिम	1	1	-	-	-
पीओआई	**0**	**1**	**100%**	**-**	**-**
कुल	**1**	**2**	**100%**	**-**	**-**

थ. साख श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा प्रदत्त श्रेणी निर्धारण और श्रेणी निर्धारण का स्थानांतरण।

कंपनी ने कर योग्य/कर-मुक्त/बैंक ऋण/ईसीबी सावधि ऋण जारी करके संसाधन उगाहे हैं, जिसके लिए उसने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय साख निर्धारण एजेंसियों से इन निर्गमों हेतुश्रेणी निर्धारण प्राप्त किया है। 31 मार्च, 2026 तक विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	कर योग्य/कर-मुक्त बंधपत्र/उप ऋण पर दीर्घकालिक श्रेणी निर्धारण	सतत ऋण पर दीर्घकालिक श्रेणी निर्धारण	बैंक ऋण ऋण पर श्रेणी निर्धारण*	ईसीबी सावधि ऋण पर श्रेणी निर्धारण
1.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए (स्थिर)	आईसीआरए एए+ (स्थिर)	आईसीआरए एएए (स्थिर)/ आईसीआरए ए1+**	लागू नहीं
2.	सीएआरई	सीएआरई एएए (स्थिर)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	इंडिया श्रेणी निर्धारण	इंड एएए (स्थिर)	इंड एए+ (स्थिर)	इंड एएए (स्थिर)/ इंड ए1+**	इंड एएए /स्थिर
4.	ब्रिकवर्क श्रेणी निर्धारण	बीडब्ल्यूआर एएए (स्थिर)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	एक्यूइट श्रेणी निर्धारण	लागू नहीं	लागू नहीं	एक्यूइट एएए (स्थिर)	लागू नहीं

*बैंक ऋण में अल्पकालिक ऋण शामिल हैं।

** बैंकों से अल्पकालिक ऋण के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

अंतरराष्ट्रीय श्रेणी निर्धारण:

क्र. सं.	श्रेणी निर्धारण एजेंसी	दीर्घकालिक जारीकर्ता श्रेणी निर्धारण	अल्पकालिक जारीकर्ता श्रेणी निर्धारण	दृष्टिकोण
1.	एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स लिमिटेड	बीबीबी	ए-2	स्थिर

श्रेणी निर्धारण का स्थानांतरण :

क्र. सं.	श्रेणी निर्धारण एजेंसी	पिछला श्रेणी निर्धारण		वर्तमान श्रेणी निर्धारण		मंतव्य
		दीर्घकालिक	अल्पकालिक	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	
1.	एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स लिमिटेड	बीबीबी-	ए-3	बीबीबी	ए-2	प्रोन्नत

भारत सरकार के पूर्ण सेवित बंधपत्र को श्रेणी निर्धारण प्रदान किया गया

श्रेणी निर्धारण एजेंसी	लिखत/उद्देश्य/विषय	श्रेणी निर्धारण
सीएआरई श्रेणी निर्धारण लिमिटेड	भारत सरकार के पूर्ण सेवित बंधपत्र	एएए, स्थिर
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड		
आईसीआरए लिमिटेड		

वर्ष के दौरान भारत सरकार के पूर्ण सेवित बंधपत्रों की रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

द. सह-ऋण व्यवस्थाओं पर प्रकटीकरण

इरेडा, अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे कि पीएफसी, आईएफसी, आईडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईआईएफसीएल, यूबीआई, एचडीएफसी, बीओआई, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र आदि के साथ अलग-अलग सह-ऋण व्यवस्थाओं/ संघ वित्तपोषण में शामिल होता है। ऐसे ऋण की कुल राशि ₹19,682.45 करोड़ है, जिसमें इरेडा का हिस्सा ₹11,040.90 करोड़ है।

31.03.2026 तक संबंधित परियोजनाओं के लिए बकाया शेष राशि ₹9,521.85 करोड़ है। सीएलए/संघ वित्तपोषण वाले आरई क्षेत्र में पवन, सौर, इथेनॉल, हाइड्रो, डब्ल्यूटीई आदि शामिल हैं।

ध. जमा, अग्रिम, जोखिम और एनपीए का संकेन्द्रण

❖ **अग्रिमों का संकेन्द्रण**

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को दिये गये कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	40,285.06	33,708.57
कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों का प्रतिशत	43.29%	44.20 %

❖ **निवेश का संकेन्द्रण**

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल निवश (₹ करोड़ में)	40,834.06	34,162.59
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर लागू एनबीएफसी के कुल निवश में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को दिये गये निवेशों का प्रतिशत	42.76%	43.42%

उपर्युक्त में शीर्ष-20 ऋणकर्ताओं के संबंध में 31 मार्च, 2026 तक ₹ 549.00 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹454.02 करोड़) का गैर-निधि निवश शामिल है।

❖ **एनपीए का संकेन्द्रण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल निवश	1,173.75	639.64

उपर्युक्त में शीर्ष-4 एनपीए के संबंध में 31 मार्च, 2026 तक ₹3.50 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ शून्य करोड़) का गैर-निधि निवश शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ क्षेत्र-वार एनपीए

क्र. सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		31.03.2026 को	31.03.2025 को
1.	कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ	-	-
2.	एमएसएमई	-	-
3.	निगमित ऋणकर्ता	3.49%	2.45%
4.	सेवाएँ	-	-
5.	अरक्षित व्यक्तिगत ऋण	-	-
6.	ऑटो ऋण	-	-
7.	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

नोट – कंपनी निगमित ऋणकर्ता को आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण के व्यवसाय में युक्त है, इसलिए सकल एनपीए % का योग निगमित ऋणकर्ता में दिखाया गया है।

❖ एनपीए संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण		31.03.2026 को	31.03.2025 को
(i)	निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%)		1.29 %	1.35 %
(ii)	एनपीए संचलन (सकल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	1,866.25	1,410.85
	(ख)	वर्ष के दौरान संयोजन	1,606.77	669.51
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	227.56	214.11
	(घ)	अंतिम शेष	3,245.46	1,866.25
(iii)	निवल एनपीए का संचलन			
	(क)	प्रारंभिक शेष	1,020.66	581.21
	(ख)	वर्ष के दौरान संयोजन	452.81	560.44
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	301.16	120.99
	(घ)	अंतिम शेष	1,172.31	1,020.66
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधानों का संचलन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	845.59	829.64
	(ख)	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	1,292.25	153.47
	(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/वापस लिखना	64.69	137.52
	(घ)	अंतिम शेष	2,073.15	845.59

वित्तीय विवरणों की नोट 38(40) भी देखें।

*इस राशि में से ₹783.34 करोड़ पिछले वर्षों से संबंधित हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा रोक हटाए जाने के कारण मौजूदा अवधि के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नोट 38(40) भी देखें।

न. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचा

i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा और ऋण दोनों) के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण

क्र. सं.	अवधि	महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	कुल जमा का %	कुल देयताओं का %
1	31.03.2026 को	33	67,712.25	लागू नहीं	84.62%
2.	31.03.2025 को	33	55,196.93	लागू नहीं	82.88%

*नोट:

- एक"महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष"को एक एकल प्रतिपक्ष या जुड़े हुए या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर कंपनी की कुल देयताओं का 1% से अधिक हिस्सा लेते हैं।
- कुल देयताओं की गणना कुल परिसंपत्तियों में से इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी को घटाकर की गयी है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

ii) शीर्ष 20 बड़ी जमा

अवधि	बड़ी जमा	राशि (₹ करोड़ में)	कुल जमा का %
31.03.2026 को	लागू नहीं		
31.03.2025 को			

iii) शीर्ष 10 ऋण

31.03.2026 को

क्र. सं.	ऋण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋण का %
1	पंजाब नेशनल बैंक से ऋण	8,456.05	10.86%
2	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र से ऋण	5,166.61	6.64%
3	बैंक ऑफ़ बड़ोदा से ऋण	5,000.00	6.42%
4	कैनरा बैंक से ऋण	4,565.56	5.86%
5	यूनियन बैंक ऑफ़ इण्डिया से ऋण	4,000.00	5.14%
6	भारतीय स्टेट बैंक से ऋण*	3,321.69	4.27%
7	बैंक ऑफ़ इण्डिया से ऋण	2,918.47	3.75%
8	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ऋण	2,903.13	3.73%
9	यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक से ऋण	2,588.29	3.32%
10	7.37% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड शृंखला XVI-F**	2,000.00	2.57%

*संपूर्ण एक्सपोज़र अर्थात बैंक ऋण, अल्पावधि ऋण, ओवरड्राफ्ट/सीसी सीमा और जेपीवाई में बाह्य वाणिज्यिक ऋण शामिल है ।

**अंकित मूल्य पर।

31.03.2025 को

क्र. सं.	ऋण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋण का %
1	भारतीय स्टेट बैंक से ऋण*	11,933.17	18.43%
2	पंजाब नेशनल बैंक से ऋण	3,106.09	4.80%
3	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ऋण	2,946.65	4.55%
4	यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से ऋण	2,564.96	3.96%
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण	2,069.09	3.20%
6	7.37% इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र शृंखला XVI-F	2,000.00	3.09%
7	बैंक ऑफ इंडिया से ऋण	1,968.23	3.04%
8	7.94% इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र शृंखला XII-D	1,500.00	2.32%
9	7.44% इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र शृंखला XVI-B	1,500.00	2.32%
10	7.36% इरेडा कर योग्य अरक्षित बंधपत्र शृंखला XVI-D	1,500.00	2.32%

*इसमें बैंक ऋण, अल्पावधि ऋण और ओवरड्राफ्ट/सीसी सीमा शामिल है।

iv) महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद पर आधारित वित्तपोषण संकेन्द्रण

31.03.2026 को

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1	बैंकों से सावधि ऋण (रक्षित)	25,679.63	32.09%

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
2	कर योग्य बंधपत्र - गैर-परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (अरक्षित)*	22,811.74	28.51%
3	बैंक से सावधि ऋण (अरक्षित)	15,327.81	19.15%
4	कर योग्य बंधपत्र - गैर-परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (रक्षित)*	3,568.00	4.46%
5	अन्य से सावधि ऋण (अरक्षित)	3,395.96	4.24%
6	अधीनस्थ देयताएँ*	3,260.37	4.07%
7	कर मुक्त बंधपत्र - गैर-परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (रक्षित)	2,055.83	2.57%
8	बाह्य वाणिज्यिक ऋण (अरक्षित)	1,540.50	1.93%

*अंकित मूल्य पर।

31.03.2025 को

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1.	बैंकों से सावधि ऋण (रक्षित)	26,102.18	39.19%
2.	कर योग्य बंधपत्र - गैर-परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (अरक्षित)*	22,066.14	33.13%
3.	अन्य से सावधि ऋण (अरक्षित)	3,678.15	5.52%
4.	कर योग्य बंधपत्र - गैर-परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (रक्षित)*	3,818.00	5.73%
5.	कर-मुक्त बंधपत्र - गैर-परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (रक्षित)	2,576.60	3.87%
6.	बैंकों से सावधि ऋण (अरक्षित)	3,709.16	5.57%
7.	अधीनस्थ देयताएँ*	2,807.37	4.22%

*अंकित मूल्य पर।

नोट:

- एक"महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष"को एक एकल प्रतिपक्ष या जुड़े हुए या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर कंपनी की कुल देयताओं का 1% से अधिक हिस्सा लेते हैं।
- कुल देयताओं की गणना कुल परिसंपत्तियों में से इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित निधि और अधिशेष को घटाकर की गयी है।
- एक"महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद" का मतलब है कोई एक लिखत/उत्पाद या एक जैसे लिखत/उत्पाद का समूह, जिनका कुल मूल्य कंपनी की कुल देनदारियों के 1% से ज़्यादा हो।

v) स्टॉक अनुपात :

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	31.03.2026 को	31.03.2025 को
1	कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
2	कुल देयताओं के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
3	कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
4	कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)	लागू नहीं	लागू नहीं
5	कुल देयताओं के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)	लागू नहीं	लागू नहीं
6	कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)	लागू नहीं	लागू नहीं
7	कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों,	2.01%	1.98%

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	31.03.2026 को	31.03.2025 को
8	कुल देनदारियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों	1.95%	1.93%
9	कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों	1.67%	1.67%

नोट :

- अन्य अल्पकालिक देनदारियों की गणना परिपक्वता के आधार पर व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों, व्यावसायिक देय, अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय देनदारियों के कुल योग के रूप में की गई है।
- कुल सार्वजनिक निधियों में ऋण प्रतिभूति, ऋण (ऋण प्रतिभूति के अतिरिक्त) और उप-ऋण शामिल हैं।

vi) चल निधि जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था

कंपनी के निदेशक मंडल ने परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निवेश समिति का गठन किया है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, परिसंपत्ति देयता प्रोफ़ाइल, जोखिम निगरानी प्रणाली, चल निधि जोखिम प्रबंधन, वित्तपोषण और पूंजी नियोजन, लाभ नियोजन और विकास अनुमानों, विभिन्न परिदृश्यों का पूर्वानुमान और विश्लेषण और आकस्मिक योजनाओं की तैयारी की समीक्षा करती है।

इसके अतिरिक्त, जोखिम प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के जोखिम प्रोफ़ाइल की निगरानी और माप करती है और कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की देख-रेख करती है। कंपनी पर्याप्त नकद/कोषागार अधिशेष बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। प्रबंधन नियमित रूप से नकद और नकद समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय ऋण वित्तपोषण योजनाओं और तुलन पत्र चल निधि के रख-रखाव सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन किया जाता है। कंपनी की अधिशेष निधि का निवेश 'अधिशेष निधि के निवेश के लिए निवेश समिति' द्वारा किया जा रहा है और उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसपत्तियों (एचक्यूएलए) में निवेश 'एचक्यूएलए के लिए निवेश समिति' द्वारा किया जा रहा है।

प. ऋण चूक विनिमय - शून्य

फ. चल निधि आवृत अनुपात पर प्रकटीकरण:-

आरबीआई ने अपने मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - वित्तीय विवरण : प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण) निर्देश, 2025, के माध्यम से एनबीएफसी के लिए चल निधि जोखिम प्रबंधन को कवर करने वाले दिशानिर्देश जारी किये, जिसमें आरबीआई ने ₹5,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाले सभी गैर-जमा लेने वाले एनबीएफसी पर लागू चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पेश किया। दिशानिर्देशों का उद्देश्य एलसीआर के संदर्भ में एक चल निधि सुरक्षा बनाये रखना है और यह सुनिश्चित करके कि उनके पास अगले 30 दिनों तक चलने वाले किसी भी तीव्र चल निधि दबावग्रस्त परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) है। दिशा-निर्देश के अनुसार, एलसीआर को अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकद बहिर्वाह (दबावग्रस्त बहिर्वाह कम दबावग्रस्त अंतर्वाह) से विभाजित उच्च-गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) के स्टॉक द्वारा दर्शाया जाता है। एचक्यूएलए को आरबीआई द्वारा चल निधि परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है या कम/बिना किसी मूल्य हानि के तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सकता है या दबाव की स्थिति में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

कंपनी ने 01 दिसंबर, 2020 से एलसीआर आवश्यकता का अनुपालन किया है, जो कि 50% के न्यूनतम एलसीआर की निर्धारित आवश्यकता के विरुद्ध है, जो 1 दिसंबर, 2024 तक 100% के आवश्यक स्तर तक उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। कंपनी केवल भारतीय रुपये में एलसीआर बनाये रख रही है; इसलिए कोई मुद्रा बेमेल नहीं है।

31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां		पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025)		दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025)		तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025)		चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	744.15	744.15	784.63	784.63	822.03	822.03	1,080.93	1,080.93

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां		पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025)		दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025)		तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025)		चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
	सरकारी क्षेत्र / राज्य विकास ऋण (एसडीएल) / विशेष प्रतिभूतियां	659.10	659.10	747.76	747.76	795.22	795.22	853.21	853.21
	नकद एवं नकद समकक्ष	85.05	85.05	36.87	36.87	26.81	26.81	227.72	227.72
नकद बहिर्वाह									
2	जमा (जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों हेतु)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अरक्षित थोक वित्तपोषण	-	-	-	-	-	-	-	-
4	रक्षित थोक वित्तपोषण	-	-	-	-	-	-	-	-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	-	-	-	-	-	-	-	-
(i)	व्युत्पन्नी जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण के नुकसान से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण और चल निधि सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	2,153.08	2,476.04	2,416.46	2,778.93	1,753.11	2,016.07	1,638.51	1,884.28
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	53.21	61.19	130.12	149.64	117.31	134.91	585.25	673.03
8	**कुल नकद बहिर्वाह**	**2,206.29**	**2,537.23**	**2,546.58**	**2,928.56**	**1,870.42**	**2,150.98**	**2,223.76**	**2,557.31**
नकद अंतर्वाह									
9	रक्षित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
10	पूरी तरह से निष्पादित जोखिमों से अंतर्वाह	1,592.86	1,194.64	1,615.23	1,211.42	1,754.14	1,315.61	1,885.24	1,413.93
11	अन्य नकद अंतर्वाह*	4,610.32	3,457.74	4,628.39	3,471.29	4,806.57	3,604.92	4,506.40	3,379.80

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां		पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025)		दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025)		तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025)		चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**6,240.84**	**4,680.63**	**6,243.62**	**4,682.72**	**6,560.71**	**4,920.53**	**6,391.64**	**4,793.73**
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए		744.15		784.63		822.03		1,080.93
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		634.31		732.14		537.74		639.33
15	चल निधि कवरेज अनुपात (%)		117%		107%		153%		169%

औसत के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 की 4थी तिमाही के दौरान रोज़ाना अवलोकन को ध्यान में रखा गया है।

*प्रयोग न की गई अल्पकालिक बैंकिंग सुविधाएँ; निवेश से जुड़ी अंतर्वाह

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां		पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2024)		दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2024)		तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2024)		चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2025)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	**कुल उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)**	**389.17**	**389.17**	**754.46**	**754.46**	**750.27**	**750.27**	**726.57**	**726.57**
	- सरकारी क्षेत्र / राज्य विकास ऋण (एसडीएल) / विशेष प्रतिभूतियां	300.66	300.66	636.00	636.00	656.74	656.74	649.42	649.42
	-नकद एवं नकद समकक्ष	88.51	88.51	118.46	118.46	93.53	93.53	77.15	77.15
नकद बहिर्वाह									
2	जमा (जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों हेतु)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अरक्षित थोक वित्तपोषण	-	-	-	-	-	-	-	-
4	रक्षित थोक वित्तपोषण	-	-	-	-	-	-	-	-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	-	-	-	-	-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां		पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2024)		दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2024)		तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2024)		चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2025)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
(i)	व्युत्पन्नी जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण के नुकसान से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण और चल निधि सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	1,138.23	1,308.96	1,712.85	1,969.78	2,099.38	2,414.29	1,802.79	2,073.21
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	-	-	-	-	-	-	23.76	27.32
8	**कुल नकद बहिर्वाह**	**1,138.23**	**1,308.96**	**1,712.85**	**1,969.78**	**2,099.38**	**2,414.29**	**1,826.55**	**2,100.54**
नकद अंतर्वाह									
9	रक्षित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
10	पूरी तरह से निष्पादित जोखिमों से अंतर्वाह	1,010.04	757.53	1,525.92	1,144.44	1,338.63	1,003.97	2,114.41	1,585.81
11	अन्य नकद अंतर्वाह*	4,078.17	3,048.63	5,566.20	4,174.65	3,883.16	2,912.37	4,590.02	3,442.52
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**5,088.21**	**3,816.16**	**7,092.12**	**5,319.09**	**5,221.79**	**3,916.34**	**6,704.43**	**5,028.33**
			कुल समायोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**
13	कुल एचक्यूएलए		389.17		754.46		750.27		726.57
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		327.24		492.44		603.57		525.13
15	चल निधि कवरेज अनुपात (%)		119%		153%		124%		138 %

*ऋण की लाइनें - ऋण/ चल निधि /अन्य आकस्मिक सुविधाएं

ब. आरबीआई की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखा मानक 109 'वित्तीय उपकरण' के अनुसार हानि भत्ते की तुलना।

31.03.2026 को समाप्त वर्ष हेतु

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अधीन आवश्यक अनुसार ऋण भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5) =(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	87,656.36	340.14	87,316.23	729.85	(120.95)
	चरण 2	2,078.36	268.76	1,809.60		
उप-योग		**89,734.73**	**608.90**	**89,125.83**	**729.85**	**(120.95)**
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3	829.31	639.73	189.59	586.70	53.03
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	663.37	273.71	389.66	275.10	(1.39)
1 से 3 वर्ष	चरण 3	7.11	4.46	2.65	7.11	(2.65)
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	1,745.64	1,155.22	590.42	1,390.82	(235.60)
संदिग्ध के लिए उप-योग		**2,416.12**	**1,433.39**	**982.72**	**1,673.02**	**(239.63)**
हानि	चरण 3	0.03	0.03	-	0.03	**-**
एनपीए के लिए उप-योग		**3,245.46**	**2,073.15**	**1,172.31**	**2,259.75**	**(186.60)**
गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएँ आदि जैसी अन्य मद जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	2,450.63	7.09	2,443.54	-	7.09
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-योग		**2,450.63**	**7.09**	**2,443.54**	**-**	**7.09**
	चरण 1	90,107.00	347.23	89,759.77	729.85	(113.86)
	चरण 2	2,078.36	268.76	1,809.60		
	चरण 3	3,245.46	2,073.15	1,172.31	2,259.75	(186.60)
	कुल योग	**95,430.82**	**2,689.14**	**92,741.68**	**2,989.60**	**(300.46)[5]**

[1] ₹17.69 करोड़ के एनपीए खाते में आकस्मिक शुल्क (नामे शेष) पर प्रावधान को छोड़कर

[2] इसमें पुनर्गठित और सामान्य प्रावधान के लिए प्रावधान शामिल हैं

[3] भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01.10.2025 से लागू होने वाले 'परियोजना वित्तीय निर्देश' जारी किए हैं। इन निर्देशों में मानक और गैर-कार्यनिष्पादन परिसम्पत्तियों (एनपीए) हेतु आय की पहचान, परिसंपत्ति का वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) के लिए लागू नियमों को अद्यतन किया गया है और निर्माण के चरण वाली परियोजनाओं के लिए प्रावधान को बढ़ाया गया है। आईआरएसीपी नियमों के तहत प्रावधान की गणना में उपरोक्त बातों पर भी विचार किया गया है।

[4] आईआरएसी नियमों और ईसीएल के तहत प्रावधान के कार्य करने हेतु, एक मामले में, जहाँ कई "वेस्ट-टू-एनर्जी" (कचरे से ऊर्जा बनाने वाली) परियोजनाओं के लिए कोष की ज़रूरतें पूरी करने के लिए एमएनआरई के ज़रिए केंद्र सरकार से मंज़ूर "केंद्रीय वित्तीय सहायता" (सीएफए) के समकक्ष राशि के तहत ₹150 करोड़ का अल्पकालिक ऋण 03.07.2023 को मंज़ूर किया गया था, वहाँ मिलने वाली सीएफए की रकम को एमएनआरई के 31.03.2026 के पत्र के आधार पर सुरक्षित माना गया है। बताया गया है कि सीएफए जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और यह मौजूदा मार्गदर्शन के अनुसार प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगा। इन परियोजनाओं के लिए मौजूदा विस्तार 31.03.2027 तक मान्य है, हालांकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान यह परियोजना एनपीए की श्रेणी में आ गई और 31.03.2026 तक यह परियोजना "संदिग्ध -1" परिसंपत्ति वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। इस मामले में हुई प्रगति के आधार पर वित्त वर्ष 2026-27 में इसकी समीक्षा की जाएगी।

[5] भारतीय लेखा मानक 109 के तहत 'हानि भत्ता' और आरबीआई द्वारा जारी 'आय की पहचान, परिसंपत्ति का वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों' (जिसमें मानक परिसंपत्ति प्रावधान भी शामिल है) के तहत आवश्यक प्रावधान के बीच ₹300.46 करोड़ का अंतर, लागू मार्गदर्शन के अनुसार "हानि आरक्षित निधि" में स्थानांतरित किया गया है। वित्तीय विवरणों की नोट 26(1.9) भी देखें।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अधीन आवश्यक अनुसार ऋण भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5) =(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	71,685.96	329.66	71,356.30	804.80	243.64
	चरण 2	2,633.30	718.78	1,914.52		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अधीन आवश्यक अनुसार ऋण भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5) =(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
उप-योग		**74,319.26**	**1,048.44**	**73,270.82**	**804.80**	**243.64**
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3	703.65	128.38	575.27	70.36	58.02
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	11.98	7.41	4.57	8.71	(1.30)
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	1,150.59	709.76	440.83	868.09	(158.33)
संदिग्ध के लिए उप-योग		**1,162.57**	**717.17**	**445.40**	**876.80**	**(159.63)**
हानि	चरण 3	0.03	0.03	-	0.03	-
एनपीए के लिए उप-योग		**1,866.25**	**845.58**	**1,020.67**	**947.19**	**(101.61)**
गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएँ आदि जैसी अन्य मद जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	2,418.47	26.21	2,392.26	-	26.21
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-योग		**2,418.47**	**26.21**	**2,392.26**	**-**	**26.21**
	चरण 1	74,104.43	355.87	73,748.56	804.80	269.85
	चरण 2	2,633.30	718.78	1,914.52		
	चरण 3	1,866.25	845.58	1,020.67	947.19	(101.61)
	कुल योग	**78,603.98**	**1,920.23**	**76,683.75**	**1,751.99**	**168.24**

[1] इसमें पुनर्गठित और सामान्य प्रावधान के लिए प्रावधान शामिल हैं

[2] ₹12.28 करोड़ के एनपीए खाते में आकस्मिक शुल्क (नामे शेष) पर प्रावधान को छोड़कर

भ. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अर्जित ऋणों के शून्य रिपोर्ट योग्य मामले हैं (पिछले वर्ष: शून्य) जिन्हें मास्टर निर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के अधीन रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

म. निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को दिए गए ऋणों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
निदेशक और उनके रिश्तेदार*	-	-
निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाएँ	-	-
वरिष्ठ अधिकारी और उनके रिश्तेदार	-	-

*संबंधित निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

य. मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 के अनुलग्नक VIII में निर्धारित अनुसार जानकारी/विवरण

इरेडा के तुलन पत्र की अनुसूची
31.03.2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण			31.03.2026 को	
देनदारी पक्ष			**बकाया राशि**	**अतिदेय राशि**
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिये गये ऋण और अग्रिम, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया:**			
	(क)	डिबेंचर: सुरक्षित	5,725.09	-
		: अरक्षित	26,800.81	-
		(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने वालों को छोड़कर)		-
	(ख)	आस्थगित ऋण	-	-
	(ग)	सावधि ऋण	44,883.70	-
	(घ)	अंतर-निगमित ऋण और ऋण	-	-
	(ङ)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
	(च)	सार्वजनिक जमा	-	-
	(छ)	अन्य ऋण - ओवरड्राफ्ट	1,402.79	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का विवरण (बकाया सार्वजनिक जमा, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया) :**			
	(क)	अरक्षित डिबेंचर के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर के रूप में, यानी ऐसे डिबेंचर, जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष			**बकाया राशि**	
3	**बिल प्राप्य सहित ऋण और अग्रिम का विवरण [नीचे (4) में शामिल किए गए को छोड़कर]:**			
	(क)	सुरक्षित	81,171.32	
	(ख)	अरक्षित	11,725.01	
	(ग)	घटाएँ : क्षति हानि भत्ता	2,699.74	
	(घ)	ऋण (निवल प्रावधान)	**90,196.59**	
4	**पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियों और किराये पर स्टॉक तथा अन्य परिसंपत्तियों का ब्यौरा, जो एएफसी गतिविधियों में शामिल हैं**			
	(i)	विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टे के किराये सहित पट्टे की परिसंपत्तियां		
		(क) वित्तीय पट्टा		-
		(ख) परिचालन पट्टा		-
	(ii)	विविध देनदारों के अंतर्गत किराये के शुल्क सहित किराये पर स्टॉक:		
		(क) किराये पर परिसंपत्तियां	-	
		(ख) पुनः प्राप्त परिसंपत्तियां	-	
	(iii)	एएफसी गतिविधियों में शामिल अन्य ऋण		
		(क) ऐसे ऋण, जहां परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त किया गया है	-	
		(ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त अन्य ऋण	-	

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	वर्तमान निवेश			
	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	141.24
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
		अल्पकालिक जमा (भारतीय रुपये)		6.79
		वाणिज्यिक पत्र (पूर्ण रूप से प्रदान की गयी हानि)		68.99
	दीर्घकालिक निवेश			
	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	742.58
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर उद्धृत**		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	26.00
		(ख)	वरीयता	-
	(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र		-
	(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

6	**उपर्युक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणकर्ता समूहवार वर्गीकरण**					
	श्रेणी			**राशि (प्रावधान का निवल) (₹ करोड़ में)**		
				सुरक्षित	**अरक्षित**	**कुल**
	1	संबंधित पक्ष				
		(क)	सहायक कंपनियां	-	-	-
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	1.21	-	1.21
	2	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य		78,470.36	11,725.01	90,195.37
	कुल			**78,471.57**	**11,725.01**	**90,196.58**
7	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण:**					
	श्रेणी				**बाजार मूल्य/ ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्ष				
		(क)	सहायक कंपनियां		26.00	26.00
		(ख)	समान समूह की कंपनियां		-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष		-	-
	2	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य			877.06	890.61
	कुल				**903.06**	**916.61**
8	**अन्य जानकारी**					
	विवरण					**राशि (₹ करोड़ में)**
	(i)	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ				
		(क)	संबंधित पक्ष			51.11*
		(ख)	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य			3,194.35
	(ii)	निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ				
		(क)	संबंधित पक्ष			19.94
		(ख)	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य			1,152.37
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अर्जित परिसंपत्तियाँ				-

*यह मामला मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) के एनपीए खाते से जुड़ा है, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है और जिस पर 31 मार्च 2026 को ₹51.11 करोड़ का बकाया ऋण है।

भारतीय लेखा मानक - 110 "समेकित वित्तीय विवरणों" के अनुसार, नोट 7 के तहत बताए गए निवेशों में यह राशि शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

इरेडा के तुलन पत्र की अनुसूची (31.03.2025 को)

(₹ करोड़ में)

विवरण				31.03.2025 को	
देनदारी पक्ष				**बकाया राशि**	**अतिदेय राशि**
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिये गये ऋण और अग्रिम, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया:**				
		(क)	डिबेंचर: सुरक्षित	6,520.93	-
			: अरक्षित	25,520.81	-
			(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने वालों को छोड़कर)		-
		(ख)	आस्थगित ऋण	-	-
		(ग)	सावधि ऋण	33,434.94	-
		(घ)	अंतर-निगमित ऋण और ऋण	-	-
		(ङ)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
		(च)	सार्वजनिक जमा	-	-
		(छ)	अन्य ऋण - ओवरड्राफ्ट	222.92	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का विवरण (बकाया सार्वजनिक जमा, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया) :**				
		(क)	अरक्षित डिबेंचर के रूप में	-	-
		(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर के रूप में, यानी ऐसे डिबेंचर, जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
		(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष				**बकाया राशि**	
3	**बिल प्राप्य सहित ऋण और अग्रिम का विवरण [नीचे (4) में शामिल किए गए को छोड़कर]:**				
		(क)	सुरक्षित	63,291.99	
		(ख)	अरक्षित	12,885.86	
		(ग)	घटायें : क्षति हानि भत्ता	1,906.31	
		(घ)	ऋण (निवल प्रावधान)	**74,271.54**	
4	**पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियों और किराये पर स्टॉक तथा अन्य परिसंपत्तियों का ब्यौरा, जो एएफसी गतिविधियों में शामिल हैं**				
	(i)		विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टे के किराये सहित पट्टे की परिसंपत्तियां		
		(क)	वित्तीय पट्टा	-	
		(ख)	परिचालन पट्टा	-	
	(ii)		विविध देनदारों के अंतर्गत किराये के शुल्क सहित किराये पर स्टॉक:		
		(क)	किराये पर परिसंपत्तियां	-	
		(ख)	पुनः प्राप्त परिसंपत्तियां	-	
	(iii)		एएफसी गतिविधियों में शामिल अन्य ऋण		
		(क)	ऐसे ऋण, जहां परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त किया गया है	-	
		(ख)	उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त अन्य ऋण	-	

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	वर्तमान निवेश			
	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	434.72
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
		अल्पकालिक जमा (भारतीय रुपये)		1.59
		वाणिज्यिक पत्र (पूर्ण रूप से प्रदान की गयी हानि)		68.99
	दीर्घकालिक निवेश			
	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	165.42
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर उद्धृत**		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	26.00
		(ख)	वरीयता	-
	(ii)	डिबेंचर और बंधपत्र		-
	(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

6	**उपर्युक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणकर्ता समूहवार वर्गीकरण**				
	श्रेणी			**राशि (प्रावधान का निवल) (₹ करोड़ में)**	
				सुरक्षित	**अरक्षित**	**कुल**
	1	संबंधित पक्ष				
		(क)	सहायक कंपनियां	-	-	-
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	1.25	-	1.25
	2	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य		61,384.43	12,885.86	74,270.29
	कुल			**61,385.68**	**12,885.86**	**74271.54**
7	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण:**				
	श्रेणी				**बाजार मूल्य/ ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्ष				
		(क)	सहायक कंपनियां		26.00	26.00
		(ख)	समान समूह की कंपनियां		-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष		-	-
	2	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य			596.55	601.72
	कुल				**622.55**	**627.72**
8	**अन्य जानकारी**				
	विवरण				**राशि (₹ करोड़ में)**
	(i)	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ			
		(क)	संबंधित पक्ष		51.11*
		(ख)	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य		1,815.14
	(ii)	निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ			
		(क)	संबंधित पक्ष		27.52*
		(ख)	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य		993.15
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अर्जित परिसंपत्तियाँ			-

* मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) से संबंधित मामला, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, जिसका 31 मार्च, 2025 तक ऋण बकाया ₹51.11 करोड़ है।
भारतीय लेखा मानक - 110 "समेकित वित्तीय विवरणों " के अनुसार, नोट 7 के तहत बताए गए निवेशों में यह राशि शामिल नहीं है।

एए. आरबीआई ने 28 नवंबर 2025 के अपने संचार के ज़रिए, एनबीएफसी पर लागू मौजूदा कई मास्टर निर्देश और परिपत्र को वापस लेते हुए और उन्हें एक साथ मिलाते हुए, एक संयुक्त मास्टर निर्देश जारी किया है। कंपनी उन निर्देशों के लागू होने और उनके प्रभाव की समीक्षा कर रही है। अब तक की गई समीक्षा के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में ऐसी अतिरिक्त या बदली हुई जानकारी शामिल की है, जिन्हें अभी लागू माना जा रहा है। अगर कोई और ज़रूरतें हैं, तो उनकी जांच की जा रही है और उन्हें विनियामक समय-सीमा के अनुसार पूरा किया जाएगा।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

क. विभिन्न क्षेत्रों में निवेश – वित्तीय विवरणों की नोट 38(48ञ) देखें।

ख. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण - वित्तीय विवरणों की नोट 38(9) देखें।

ग. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, लिए गए ऋणों या जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में अनुबंधों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया है (पिछले वर्ष: शून्य)। वित्तीय विवरणों की नोट 38(36) देखें।

घ. 31 मार्च 2026 तक लेखा परीक्षकों द्वारा व्यक्त की गई किसी भी संशोधित राय, विभिन्न वित्तीय मदों पर इसके प्रभाव और लेखा परीक्षा योग्यता पर प्रबंधन के विचारों पर प्रकटीकरण - शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)।

ङ. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए असाधारण प्रकृति की आय और व्यय की मदें - शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

च. शिकायतों का प्रकटीकरण - वित्तीय विवरणों की नोट 38(48त) देखें।

छ. आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में, बिना बांटे गए ऋण प्रतिबद्धता के संबंध में जोखिम भारित परिसंपत्ति (आरडब्ल्यूए) में ₹6,283.86 करोड़ का अंतर बताया है, जिसका सीआरएआर पर 1.40% का प्रभाव पड़ा है। कंपनी ने अपनी लागू होने की स्थिति से जुड़े तथ्यों के आधार पर आरबीआई के पास समीक्षा और विचार के लिए मामला उठाया है और इस पर जवाब का इंतज़ार है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईआरएसीपी प्रावधान में ₹52 करोड़ का अंतर भी बताया है।

ज. कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति में कर्मचारियों को रियायती शर्तों पर दिए गए ऋण को शामिल किया है और लागू ज़रूरतों और मौजूदा तरीकों के हिसाब से कुछ सुधार किए हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव कोई मायने नहीं रखता और वित्तीय विवरण में उन पर विचार किया गया है।

झ. लाभ और हानि खाते में 'व्यय' शीर्षक के अंतर्गत दिखाए गए प्रमुख 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-	-
ऋण के संबंध में क्षति हानि भत्ता	788.02	218.10
व्यावसायिक प्राप्तियों के संबंध में क्षति हानि भत्ता	2.76	-
गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र और अन्य पर अपेक्षित ऋण नुकसान के लिए प्रावधान	(13.70)	17.15
आयकर हेतु किये गए प्रावधान	565.12	471.31
आस्थगित कर हेतु किये गए प्रावधान	(101.54)	(66.11)
गारंटी कमीशन पर कर एवं अन्य हेतु प्रावधान	6.26	6.26

49. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और 53(च) द्वारा अपेक्षित अनुसार प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

सहयोगी		31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
		31.03.2026 को राशि	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	31.03.2025 को राशि	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
1	ऋण और ऋण की प्रकृति में अग्रिम	शून्य		शून्य	
क)	सहयोगियों को				
ख)	उन कंपनियों को जिनमें निदेशकों की रुचि है				

*इसमें संबंधित निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों को नौकरी की शर्तों के तहत दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं। वित्तीय विवरणों की नोट 38(9) भी देखें।

50. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	31.03.2026 को समाप्त तिमाही के अनुसार/हेतु	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के अनुसार/हेतु	31.03.2025 को समाप्त तिमाही के अनुसार/हेतु	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के अनुसार/हेतु
1	ऋण इक्विटी अनुपात[1]	गुणा	5.65		6.31	
2	बकाया मोचनीय अधिमान्यता शेयर	₹ करोड़ में	-		-	
3	डिबेंचर मोचनीय आरक्षित निधि	₹ करोड़ में	-		439.01	
4	निवल मूल्य[2]	₹ करोड़ में	13,785.42	10,266.54		
5	कर पश्चात निवल लाभ	₹ करोड़ में	492.62	1,874.00	501.55	1,698.34
6	प्रति शेयर आय	₹ प्रति शेयर	1.76	6.73	1.87	6.32
7	कुल परिसम्पत्तियों पर कुल ऋण[3]	गुणा	0.83		0.81	
8	परिचालन मार्जिन प्रतिशत[4]	%	28.19%	27.79%	32.50%	31.01 %
9	निवल लाभ मार्जिन प्रतिशत[5]	%	22.58%	22.47%	26.18%	25.14%

नोट :

1. ऋण/इक्विटी अनुपात = कुल ऋण/निवल मूल्य
2. निवल मूल्य की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) में परिभाषित अनुसार की जाती है।
3. कुल ऋण से कुल परिसंपत्तियां = कुल ऋण / कुल परिसंपत्तियां
4. परिचालनगत मार्जिन = कर पूर्व शुद्ध परिचालनगत लाभ / परिचालन से कुल राजस्व
5. शुद्ध लाभ मार्जिन = कर पश्चात शुद्ध लाभ / कुल आय

51. वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी के एक ऋणकर्ता, मैसर्स हेटेरो रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (हेटेरो) ने इरेडा से परियोजना का वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए बीपीसीएल के नाम पर 'ऑफ-टेकर एग्रीमेंट' (उठाव समझौता) से जुड़े जाली दस्तावेज़ जमा किए थे। इन दस्तावेज़ों की जांच की गई और बीपीसीएल ने पुष्टि की कि वे जाली थे। मैसर्स हेटेरो रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (हेटेरो) को ₹10.40 करोड़ का ऋण मंज़ूर किया गया था, जिसमें से इरेडा ने ₹7.80 करोड़ की राशि जारी की थी। 31.03.2026 तक बकाया मूलधन की राशि ₹7.80 करोड़ है। इरेडा की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति (एफआरएमपी) के अनुसार उचित आंतरिक जांच की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि मैसर्स हेटेरो रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने इरेडा को जाली दस्तावेज़ जमा करके धोखाधड़ी की है। ऋण लेने वाले के खिलाफ 17.07.2025 को दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त, ऋणकर्ता के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण को वसूली के रिकॉर्ड (यानी उप-मानक) के आधार पर बनाए रखा जाता है और भारतीय लेखा मानक109 के तहत ईसीएल पद्धति के अनुरूप उचित ईसीएल प्रावधान किया गया है। कंपनी के खिलाफ वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, एक आंतरिक जांच समिति ने एक ऋणकर्ता द्वारा ₹7 करोड़ की कथित तौर पर जाली बैंक गारंटी जमा करने से जुड़े मामले की जांच की। जांच करने पर बैंक गारंटी जाली पाया गया। हालांकि, बाद में ऋण लेने वाले ने उसकी जगह उतनी ही रकम की स्थाई जमा रसीदें (एफडीआर) और बैंक गारंटी (बीजी) जमा कर दीं। आरबीआई की एसबीआर मार्गदर्शन के अनुसार, इस परिसंपत्ति को जाली घोषित किया गया था। हालांकि, इस तरह के वर्गीकरण से परियोजना की स्थिति नहीं बदलेगी; यह पूरी तरह से चालू और प्रचालनगत बना रहेगा, इससे राजस्व मिलता रहेगा, ऋण का पुनर्भुगतान पहले ही शुरू हो चुका है और यह नकद प्रवाह में योगदान देता रहेगा। मौजूदा स्थिति के आधार पर, यह खाता मानक है और संपार्श्विक के अतिरिक्त परियोजना परिसंपत्ति को गिरवी रखकर सुरक्षित की गयी है; साथ ही, ईसीएल पद्धति के तहत ज़रूरी प्रावधान भी कर लिया गया है। ऋणकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय से खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित न किए जाने के लिए एक अंतरिम आदेश भी प्राप्त कर लिया है।

52. कंपनी को 16 अप्रैल 2025 को सेबी से एक अंतरिम आदेश रिपोर्ट मिली, जो ऋण लेने वाले एक ग्रुप, यानी मैसर्स जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईएल) के कामकाज में अनियमितताओं से संबंधित थी। कंपनी की आंतरिक जांच समिति ने इस मामले की जांच की और उनकी सिफारिश पर, कंपनी ने सेबी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत रेटिंग एजेंसियों को ऋणकर्ता द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों में हेरफेर और निधि के गलत प्रयोग को लेकर की गई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को जीईएल के पक्ष में जारी कुछ पीओआई/एलओसी के तहत

इनवोकेशन (भुगतान की मांग) के अनुरोध प्राप्त हुए। अब तक कुल ₹ 114.58 करोड़ के पीओआई/एलओसी का आह्वान किया गया है और समझौते के अनुसार उन्हें ऋण खाते में बदल दिया गया है।

कंपनी ने ऋण वापस मंगा लिया है। इसके बाद, कंपनी ने मैसर्स जीईएल और मैसर्स जेनसोल ईवी लीज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध क्रमशः ₹510.01 करोड़ और ₹218.95 करोड़ की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में 'दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी)' की धारा 7 के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अर्ज़ी दी है, और 'ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993' की धारा 19 के तहत माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष ऋण की वसूली के लिए अर्ज़ी भी दायर की है। यह ऋण परियोजना परिसम्पत्तियों को गिरवी रखकर, परियोजना से जुड़ी चल और अचल परिसम्पत्तियों पर अतिरिक्त शुल्क, व्यक्तिगत और निगमित गारंटी, और जीईएल में 20% इक्विटी हिस्सेदारी को गिरवी रखकर सुरक्षित किया गया है।

बकाया ऋण की वसूली के लिए 25.05.2025 को डीआरटी, दिल्ली के समक्ष पुनर्प्राप्ति आवेदन भी दायर की गई है। डीआरटी ने इरेडा के अधिकृत अधिकारी को कोर्ट रिसीवर के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त करते हुए अंतरिम आदेश जारी किए हैं। कोर्ट रिसीवर ने डीआरटी, दिल्ली में हलफ़नामा दायर किया है, जिसमें गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों से जुड़ी रिपोर्ट (तस्वीरों और वीडियो सहित) रिकॉर्ड पर रखी गई है। दस्तावेज़ों को प्रदर्शन के तौर पर चिह्नित करने का काम 07.10.2025 को पूरा हो गया था और मामला अभी प्रक्रियाधीन है। कंपनी ने एक फ़ोरेंसिक ऑडिटर भी नियुक्त किया है जिसने रिपोर्ट सौंप दी है; आगे की कार्रवाई चल रही है और संदिग्ध धोखाधड़ी के मामले की जांच की जा रही है।

एनसीएलटी ने 13.06.2025 को सीआईआरपी शुरू करने के लिए कंपनी की ओर से दायर अर्ज़ी को मंज़ूरी दे दी है और एनसीएलटी ने आईआरपी नियुक्त किया है, जिन्होंने (बाद में आरपी के तौर पर पुष्टि होने के बाद) मैसर्स जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैसर्स जेनसोल ईवी लीज प्राइवेट लिमिटेड का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। आईबीसी प्रक्रिया के अनुसार, आरपी समय-समय पर सीओसी की बैठकें आयोजित कर रहा है। समाधान प्रक्रिया में आरपी को सहायता देने के लिए मैसर्स बीडीओ रिस्ट्रक्चरिंग एडवाइजरी एलएलपी को आईपीई के तौर पर नियुक्त किया गया है। सीओसी से मिली मंज़ूरी के अनुसार, आरपी ने कंपनियों के लिए मूल्यांकनकर्ता और लेखा परीक्षक नियुक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, जीईएल और मैसर्स जेनसोल ईवी लीज प्राइवेट लिमिटेड के ऋण खाते को भी वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में एनपीए के तौर पर अवनति कर दिया गया है और भारतीय लेखा मानक 109 के तहत ईसीएल पद्धति के अनुसार उचित ईसीएल प्रावधान किया गया है।

तब से समाधान पेशेवर कंपनी की परिसंपत्तियों (जिनमें गाड़ियाँ भी शामिल हैं) की पहचान कर रहा है और उन्हें अपने कब्ज़े में ले रहा है। इसके बाद, इनमें से कुछ वाहनों की आवश्यक मरम्मत और चार्जिंग भी की गई है। समाधान पेशेवर ने राजस्व कमाने और इनकी निरंतर देख-रेख सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दौरान प्रचालनगत प्रयोग के लिए इन गाड़ियों को लगाना शुरू कर दिया है।

53. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत यथा-अपेक्षित, समेकित इकाइयों के संबंध में प्रकटीकरण

समूह में इकाई का नाम	शुद्ध परिसंपत्ति, यानी कुल परिसंपत्ति में से कुल देनदारियों को घटाने के बाद बची राशि		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि
मूल कंपनी								
इरेडा लिमिटेड	99.97 %	13,781.35	99.96%	1,873.34	97.54%	120.12	99.81%	1,993.46
सहायक कंपनी- भारतीय								
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	0.22 %	30.06	0.04%	0.67	2.46%	3.03	0.19%	3.70
समायोजन एवं विलोपन का प्रभाव	(0.19) %	(25.99)	0.00 %	(0.01)	0.00%	-	-	-
कुल	**100 %**	**13,785.43**	**100 %**	**1,874.00**	**100 %**	**123.15**	**100 %**	**1,997.16**

54. समेकित वित्तीय विवरण कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के खातों के समेकन को दर्शाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	निगमन का देश / व्यवसाय का मुख्य स्थान	स्वामित्व हित का अनुपात जिस तारीख को		31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की स्थिति
			31.03.2026	31.03.2025	
सहायक कंपनी :					
1	इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	भारत	100%	100%	लेखा परीक्षित

55. आंकड़े नज़दीकी करोड़ रुपये (₹) में पूर्णांकित किये गये हैं (शेयरों की संख्या और ईपीएस को छोड़कर)। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किया गया है। 0.00 में दिए गए आंकड़े ₹50,000 से कम मूल्य को दर्शाते हैं।

56. समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण उस सीमा तक किए गए हैं, जो समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक हैं और जितनी जानकारी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में उपलब्ध है।

सम तिथि के हमारे लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या : 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
डॉ.बी के महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या: 08816532

हस्ता./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या: 07448576

हस्ता./-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

प्रपत्र एओसी - 1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएँ शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	**इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड**
सीआईएन	U66190GJ2024GOI151339
वह प्रावधान जिसके तहत कंपनी एक सहायक कंपनी बनी है - धारा 2(87)(i)/2(87)(ii)	2(87)(ii)
वह तारीख जब सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया / उसे निगमित किया गया:	07.05.2024
संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि (यदि यह धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग है)।	लागू नहीं
विदेशी सहायक कंपनी के मामले में, संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर।	लागू नहीं
शेयर पूंजी	26.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	4.06
कुल परिसंपत्ति	33.75
कुल देनदारियां	3.69
निवेश -	-
कारोबार	0.14
कराधान-पूर्व लाभ	0.67
कराधान के लिए प्रावधान	-
कराधान-पश्चात लाभ	0.67
प्रस्तावित लाभांश	-
शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	100%

नोट :

1. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका अभी परिचालन शुरू होना बाकी है: शून्य
2. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या विक्रय हो चुका है: शून्य
3. कंपनी की कोई विदेशी सहायक कंपनी नहीं है।
4. कारोबार को परिचालन से राजस्व के रूप में माना जाता है।

सम तिथि के हमारे लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ता./-
सीए अमित सिंघल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098417

कृते राव एंड एम्मार
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या : 003084S

हस्ता./-
सीए कमल राय मधरा
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098607

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हस्ता./-
डॉ.बी के महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या: 08816532

हस्ता./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या: 07448576

हस्ता./-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

पांच वर्षों का प्रचालन सारांश

वित्तीय स्थिति (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 26	वित्त वर्ष 25	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 22
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	92,849.73	75,911.56	60,125.55	47,891.79	34,235.08
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	952.49	955.24	2,474.90	2,555.21	2,473.32
कुल परिसंपत्तियाँ	**93,802.22**	**76,866.80**	**62,600.45**	**50,447.00**	**36,708.40**
वित्तीय देयताएँ	79,627.69	66,244.46	51,242.50	41,656.68	28,636.42
गैर-वित्तीय देयताएँ	393.18	356.18	2,798.53	2,855.15	2,803.87
कुल देयताएँ	**80,020.87**	**66,600.64**	**54,041.03**	**44,511.83**	**31,440.29**
इक्विटी शेयर पूंजी	2,809.23	2,687.76	2,687.76	2,284.60	2,284.60
अन्य इक्विटी	10,972.12	7,578.40	5,871.66	3,650.57	2,983.51
कुल इक्विटी	**13,781.35**	**10,266.16**	**8,559.42**	**5,935.17**	**5,268.11**
कुल देयताएं और इक्विटी	**93,802.22**	**76,866.80**	**62,600.45**	**50,447.00**	**36,708.40**

ऋण पोर्टफोलियो (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 26	वित्त वर्ष 25	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 22
ऋण स्वीकृति	51,883.36	47,453.11	37,353.68	32,586.60	23,921.06
ऋण संवितरण	34,945.67	30,167.87	25,089.04	21,639.21	16,070.82
बकाया ऋण	93,068.71	76,281.65	59,698.11	47,075.52	33,930.61

वित्तीय कार्य-निष्पादन (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 26	वित्त वर्ष 25	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 22
परिचालन से राजस्व					
ब्याज आय	8,179.20	6,575.39	4,822.40	3,373.83	2,713.22
शुल्क और कमीशन आय	58.68	95.71	60.02	37.33	106.39
व्युत्पन्नियों के उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)	31.21	13.13	(11.26)	12.43	(1.47)
अन्य परिचालन आय	39.91	58.18	92.77	58.39	41.77
प्रचालन से कुल राजस्व	**8,309.00**	**6,742.41**	**4,963.93**	**3,481.98**	**2,859.91**
अन्य आय	28.48	12.37	1.36	1.07	14.26
कुल आय	**8,337.48**	**6,754.78**	**4,965.29**	**3,483.05**	**2,874.17**
व्यय					
वित्त लागत	4,904.66	4,141.03	3,164.10	2,088.44	1,587.25
शुद्ध परिवर्तन /लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)	43.41	41.61	(16.53)	24.03	45.89
वित्तीय लिखतों पर हानि	777.08	237.23	(67.22)	66.58	179.90
कर्मचारी लाभ व्यय	105.24	81.05	71.32	63.09	58.82
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	43.81	38.80	30.35	23.50	23.24
अन्य व्यय	92.86	86.48	76.51	71.19	135.71
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	33.50	24.78	21.51	6.97	9.51
कुल व्यय	**6,000.56**	**4,650.98**	**3,280.04**	**2,343.80**	**2,040.32**
परिचालन लाभ	**2,380.73**	**2,142.60**	**1,715.60**	**1,162.75**	**857.09**
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**2,336.92**	**2,103.80**	**1,685.25**	**1,139.25**	**833.85**
कर व्यय	463.58	405.20	433.01	274.62	200.31
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**1,873.34**	**1,698.60**	**1,252.24**	**864.63**	**633.54**

प्रमुख अनुपात/जानकारी (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 26	वित्त वर्ष 25	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 22
निवल मूल्य (₹करोड़ में)	**13,781.35**	**10,266.16**	**8,559.42**	**5,935.17**	**5,268.11**
स्तरीयर I पूंजी (₹करोड़ में)	14,668.22	11,137.60	8,265.20	5,489.56	4,814.51
स्तरीयर II पूंजी (₹करोड़ में)	1740.61	1,922.96	929.93	1,086.06	991.18
सकल एनपीए (%)	3.49%	2.45%	2.36%	3.21%	5.21%
निवल एनपीए (%)	1.29%	1.35%	0.99%	1.66%	3.12%
औसत परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल (%)	2.20%	2.44%	2.20%	1.71%	1.93%
ऋण से इक्विटी अनुपात	5.65	6.31	5.80	6.77	5.24
प्रति शेयर आय (₹)	6.73	6.32	5.16	3.78	8.03
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	49.06	38.20	31.85	25.98	23.06

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इरेडा-एमएनआरई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर



इरेडा के निदेशक (वित्त) और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, एमएनआरई के सचिव और इरेडा के तत्कालीन सीएमडी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रणनीतिक लक्ष्यों को रेखांकित करने वाले कार्य-निष्पादन-आधारित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

शाश्वत ऊर्जा

इरेडा
IREDA

एक बार इरेडा सदैव इरेडा
(एक नवरत्न सीपीएसई)

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)
(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)
पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, कोर-4ए, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष : 011-24682206-19, फैक्स : 91-11-24682202
निगमित कार्यालय : तृतीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, दूरभाष : 011-26717400-12, फैक्स : 91-11-26717416
व्यवसाय केंद्र : एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-II, प्लेट-बी, 7वाँ तल, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023, दूरभाष : 011-24604157, 24347700-24347799
वेबसाइट : www.ireda.in, **सीआईएन :** L65100DL1987GOI027265

हमें यहाँ देखें

IREDALtd | IREDALimited | iredaofficial | IREDA Ltd. | IREDALtd